



# आत्म-संयम

ब्रह्मचर्यके लाभ तथा भोगकी हानियों पर  
महात्मा गांधीके लेखोंका संग्रह



१९५४

सस्ता साहित्य मंडल-प्रकाशन

प्रकाशक  
मार्तण्ड उपाध्याय  
मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल  
नई दिल्ली

‘नवजीवन ट्रस्ट’, अहमदाबादकी सहमतिसे

पहली बार : १९५४

मूल्य

तीन रुपये

मुद्रक  
जे० के० शर्मा  
इलाहाबाद लाँ जर्नल प्रेस  
इलाहाबाद

## प्रकाशककी ओरसे

इस पुस्तकमे गाधीजीके उन लेखोका सग्रह किया गया है, जिनमे उन्होने ब्रह्मचर्यके लाभ और भोगकी हानियोपर प्रकाश डाला है। इसमे ३ पुस्तके सम्मिलित है, जो पाठकोके लिए उपयोगिताकी दृष्टिसे अलग-अलग भी छापी गई है: १. अनीतिकी राहपर २. ब्रह्मचर्य—१ ३. ब्रह्मचर्य—२. सन् १९३५ तकके लेख पहलीमे आ गये है, १९३६से १९३८ तकके दूसरीमे और १९३८के बादसे अतिम समय तकके तीसरीमे। इस प्रकार इस समूची पुस्तकमे ब्रह्मचर्य-विषयक गाधीजीके लगभग सभी लेख आ गये है।

विषय और सामग्रीके विचारसे पुस्तक स्थायी महत्वकी है। आशा है, पाठक उसके अध्ययन तथा तदनुसार आचरणसे लाभ उठावेगे।

—मंत्री



## विषय-सूची

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| १. अनीतिकी राहपर              | ९—१७३ |
| १. नीतिनाशकी ओर               | ११    |
| २. एकान्तकी बात               | ५४    |
| ३. ब्रह्मचर्य                 | ६०    |
| ४. नैष्ठिक ब्रह्मचर्य         | ६५    |
| ५. सत्य बनाम ब्रह्मचर्य       | ७०    |
| ६. ब्रह्मचर्य-पालनके उपाय     | ७४    |
| ७. जनन-नियमन                  | ७७    |
| ८. कुछ दलीलोपर विचार          | ८०    |
| ९. गुह्यप्रकरण                | ९३    |
| १०. सुधार या बिगाड़           | १०२   |
| ११. वीर्य-रक्षा               | १०८   |
| १२. मनोवृत्तियोका प्रभाव      | ११२   |
| १३. धर्म-सकट                  | ११८   |
| १४. मेरा व्रत                 | १२२   |
| १५. विकारका बिच्छू            | १२७   |
| १६. समयको किसकी आवश्यकता है ? | १२९   |
| १७. मां-बापकी जिम्मेदारी      | १३१   |
| १८. कामको कैसे जीते           | १३४   |
| १९. काम-रोगका निवारण          | १३८   |
| २०. परिशिष्ट                  |       |
| १. सब रोगोका मूल              | १४१   |
| २. जनन और पुनर्जनन            | १५५   |

२. ब्रह्मचर्य—१

१७५—३३२

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| १. ब्रह्मचर्य                         | १७७ |
| २ ब्रह्मचर्यकी व्याख्या               | १८१ |
| ३. एक अस्वाभाविक पिता                 | १८६ |
| ४ विद्यार्थियोकी दशा                  | १८८ |
| ५. बढता हुआ दुराचार                   | १९० |
| ६ नम्रताकी आवश्यकता                   | १९२ |
| ७ एक परित्याग                         | १९६ |
| ८ सुधारकोका कर्तव्य                   | १९९ |
| ९. उसकी कृपा बिना कुछ नहीं            | २०२ |
| १०. सतति-निग्रह—१                     | २०६ |
| ११ सतति-निग्रह—२                      | २१० |
| १२ नवयुवकोसे ।                        | २१३ |
| १३ कृत्रिम साधनोसे सतति-निग्रह        | २१७ |
| १४. सुधारक वहनोसे                     | २२३ |
| १५ फिर वही समयका विषय                 | २२९ |
| १६ समय द्वारा सतति-निग्रह             | २३३ |
| १७ भ्रष्टताकी ओर                      | २३५ |
| १८. कैसी नाशकारी चीज है ।             | २४० |
| १९ अश्लील विज्ञापन                    | २४२ |
| २० कामशास्त्र                         | २४६ |
| २१. अश्लील विज्ञापनको कैसे रोका जाय ? | २५० |
| २२ ब्रह्मचर्यका अर्थ                  | २५२ |
| २३ अरण्य-रोदन                         | २५५ |
| २४ ब्रह्मचर्यपर नया प्रकाश            | २५९ |
| २५ आश्रमजनक, अगर सच है ।              | २६१ |
| २६ सतति-निरोध                         | २६४ |

|  |     |
|--|-----|
| २७. विवाहकी मर्यादा                    |     |
| २८. एक युवककी कठिनाई                   | २७१ |
| २९. विद्यार्थियोंके लिए                | २७४ |
| ३०. विवाह-संस्कार                      | २७९ |
| ३१. धर्म-संकट                          | २८४ |
| ३२. अप्राकृतिक व्यभिचार                | २८६ |
| ३३. सभोगकी मर्यादा                     | २८९ |
| ३४. अहिंसा और ब्रह्मचर्य               | २९२ |
| ३५. विद्यार्थियोंके लिए लज्जाजनक       | २९९ |
| ३६. आजकलकी लड़कियां                    | ३०५ |
| ३७. परिशिष्ट                           |     |
| १. सतति-निरोधकी हिमायतन                | ३०८ |
| २. पाप और सतति-निग्रह                  | ३१३ |
| ३. श्रीमती सेगर और सतति-निरोध          | ३१८ |
| ४. श्रीमती सेगरका पत्र                 | ३२७ |
| ५. स्त्रियोंको स्वर्गकी देविया न बनाइए | ३३० |

### ३ ब्रह्मचर्य--२

३३३-४०५

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| १. ब्रह्मचर्य              | ३३५ |
| २. ब्रह्मचर्यका स्पष्टीकरण | ३३८ |
| ३. लड़कीको क्या चाहिए      | ३४० |
| ४. चरित्र-बल आवश्यक है     | ३४२ |
| ५. एक ही शत्रु             | ३४५ |
| ६. दृश्य तथा अदृश्य दोष    | ३४७ |
| ७. एक युवककी दुविधा        | ३४९ |
| ८. साहित्यमें गदगी         | ३५१ |
| ९. आर्यसमाज और गदा साहित्य | ३५४ |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| १०  | मेरा जीवन                                 | ३५५ |
| ११. | स्त्री-धर्म क्या है ?                     | ३६० |
| १२  | पुरुष और स्त्रिया                         | ३६८ |
| १३  | एक विधवाकी कठिनाई                         | ३६९ |
| १४  | गृहस्थ आश्रम                              | ३७१ |
| १५  | भरोसेकी सहायता                            | ३७३ |
| १६  | व्याह और ब्रह्मचर्य                       | ३७५ |
| १७  | वहनीकी दुविधा                             | ३७८ |
| १८  | मैंने कैसे शुरू किया                      | ३८० |
| १९  | ब्रह्मचर्यकी रक्षा                        | ३८२ |
| २०  | ईश्वर कहा है और कौन है ?                  | ३८५ |
| २१  | नाम-साधनाकी निशानिया                      | ३८७ |
| २२  | एक उलझन                                   | ३९० |
| २३. | पुराने विचारोका बचाव                      | ३९२ |
| २४. | मुश्किलको समझना                           | ३९५ |
| २५. | एक विद्यार्थीकी उलझन                      | ३९९ |
| २६  | शकाओके जवाब                               | ४०२ |
| २७. | ब्रह्मचर्य द्वारा मातृभावनाका साक्षात्कार | ४०५ |



अनीतिकी राहपर



# अनीतिकी राहपर

: १ :

## नीतिनाशकी ओर

कृपालु मित्र मुझे भारतीय पत्रोंके ऐसे लेखोंकी कतरने भेजा करते हैं जिनमें गर्भ-निरोधके कृत्रिम साधनोंसे काम लेकर सन्तति-नियमनके विचारका समर्थन होता है। युवकोंके साथ उनके वैयक्तिक जीवनके विषयमें मेरा पत्र-व्यवहार दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे पत्र लिखने-वाले भाई जो सवाल उठाते हैं उनके बहुत ही छोटे भागकी चर्चा मैं इन पृष्ठोंमें कर सकता हूँ। अमरीकावासी मित्र भी इस विषयके लेख, पुस्तकें मेरे पास भेजते हैं। और कुछ तो गर्भ-निरोधके कृत्रिम साधनोंके उपयोगका विरोध करनेके कारण मुझपर खफा भी है। उन्हें यह देखकर दुःख होता है कि अन्य अनेक विषयोंमें तो मैं बहुत आगे बढ़ा हुआ सुधारक हूँ, पर सन्तति-नियमनके विषयमें मेरे विचार मध्य युगके हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि गर्भ-निरोधके कृत्रिम साधनोंसे काम लेनेके हिमायतियोंमें कुछ ऐसे स्त्रीपुरुष भी हैं जिनकी गणना दुनियाके बड़े-से-बड़े विचारशील जनोंमें है।

अतः मैंने सोचा कि कृत्रिम साधनोंसे काम लेनेके पक्षमें कोई बहुत ही पक्की दलील होनी चाहिए, और यह भी सोचा कि अबतक इस विषयपर जो-कुछ मैंने कहा है उसमें मुझे कुछ अधिक कहना चाहिए। मैं इस प्रश्नपर और इन विषयका नाहित्य पढ़नेके वारेमें विचार कर ही रहा था कि 'नीतिनाशकी ओर' ('ट्रुवर्ट्स मॉरल बैकरप्सी') नामकी पुस्तक मुझे पढ़ने-की सी गई। इस पुस्तकमें इसी विषयका विवेचन है और मेरी समझमें

वह शुद्ध शास्त्रीय रीतिसे किया गया है। मूल पुस्तक फरासीसी भाषामे श्रीपाल व्यूरोने लिखी है, जिसके नामका शाब्दिक अर्थ 'नैतिक अराजकता' होता है। अंग्रेजी उलथा कान्स्टेबल एड कंपनीने प्रकाशित किया है और उसकी प्रस्तावना डाक्टर मेरी स्कारली सी० वी० ई०, एम० डी० ने लिखी है। उसमे ५३८ पृष्ठ और १५ अध्याय है।

पुस्तक पढ जानेके बाद मैंने सोचा कि लेखकके विचारोका साराश करनेसे पहले विषयके प्रति न्याय करनेकी खातिर कृत्रिम साधनोसे काम लेनेके पक्षका पोषण करनेवाली प्रमाणभूत पुस्तके मुझे अवश्य पढ लेनी चाहिए। अत मैंने भारतसेवक-समितिसे अनुरोध किया कि इस विषयका जो साहित्य उसके पास हो वह मुझे थोडे दिनोंके लिए मँगनी देनेकी कृपा करे। समितिने कृपा कर अपने सग्रहकी कुछ पुस्तके भेज दी। काका कालेलकरने, जो इस विषयका अध्ययन कर रहे है, हैवलॉक एलिसके ग्रथके इस विषयका विवेचन करनेवाले खड दिये, और एक मित्रने 'प्रेक्टिशनर' पत्रका विशेषांक भेजा जिसमे कुछ सुप्रसिद्ध चिकित्सकोकी बहुमूल्य सम्म-तिया सगृहीत है।

इस साहित्य-सग्रहका उद्देश्य यह था कि श्री व्यूरोके निष्कर्षोकी परख, जहा तक एक चिकित्साशास्त्रका ज्ञान न रखनेवाला साधारण मनुष्य कर सकता है, कर ले। यह बात अक्सर देखनेमे आती है कि जब शास्त्र-विशेषके पंडित किमी प्रश्नपर बहस करते है तब भी उसके दो पक्ष होते है और दोनोके पोषणमे बहुत-कुछ कहा जा सकता है। अत मैं चाहता था कि श्री व्यूरोकी पुस्तक पाठकोके सामने रखनेके पहले गर्भ-निरोधके कृत्रिम साधनोके समर्थकोका दृष्टिकोण समझ लूं। अब मेरी पक्की राय है कि कम-से-कम हिन्दुस्तानमे तो कृत्रिम मावनोके उपयोगकी आवश्यकता सिद्ध नही की जा सकती। जो लोग भारतमे उनके उपयोगका समर्थन करते है वे या तो यहाकी हालत नही जानते या जान-बूझकर उसकी ओरसे आखे मूढ लेते है। पर अगर यह बात साबित कर दी जाय कि उपदिष्ट उपाय पच्छिममे भी हानिकर सिद्ध हो रहे है तो भारतकी विशेष परिस्थितिकी छान-बीन करनेकी आवश्यकता ही नही रहती।

## अनीतिकी राहपर : नीतिनाशकी ओर

अतः अब हम यह देखें कि श्री व्यूरो कहते क्या हैं। उन्होंने केवल फ्रांसकी स्थिति पर विचार किया है। पर फ्रांस कोई छोटी चीज नहीं। दुनियाके जो देश सबसे आगे बढ़े हुए हैं उनमें उसकी गणना है। ऊपर बताए हुए साधन जब वहा विफल हो गये तब अन्यत्र उनके सफल होनेकी आशा नहीं रखी जा सकती।

विफलताके अर्थके विषयमें मतभेद हो सकता है। अतः यहाँ मैं किस अर्थमें उसका व्यवहार कर रहा हूँ यह मुझे बताना चाहिए। अगर हम यह दिखा सकें कि इन साधनोंके व्यवहारसे नीतिके बधन ढीले हुए हैं, व्यभिचार बढ़ा है और जहाँ केवल स्वास्थ्य-रक्षा तथा आर्थिक दृष्टिसे कुटुम्बका अति विस्तार न होने देनेके उद्देश्यसे स्त्री-पुरुषोंको उनसे काम लेना चाहिए था वहाँ मुख्यतः भोग-वासनाकी तृप्तिके लिए उनका व्यवहार हो रहा है, तो मानना होगा कि उनका विफल होना साबित कर दिया गया। यही मध्यमा वृत्ति है। चरम नैतिक दृष्टि तो प्रत्येक परिस्थितिमें गर्भ-निरोधके साधनोंके उपयोगका निषेध करती है। उस पक्षकी दलील तो यह है कि स्त्री-पुरुषका सयोग तभी जायज है जब उसका प्रयोजन सन्तानोत्पादन हो, उस हेतुके बिना उनका काम-वासनाकी तृप्ति करना सर्वथा अनावश्यक है, वैसे ही जैसे शरीर-रक्षाको छोड़कर और किसी उद्देश्यसे उनका भोजन करना आवश्यक नहीं होता। एक तीसरा पक्ष भी है। यह ऐसे लोगोंका वर्ग है जिनका कहना है कि दुनियामें नीति नामकी कोई चीज है ही नहीं, और है तो उसका अर्थ विषय-वासनाका समय नहीं बल्कि हर तरहकी भोग-वासनाकी पूर्ण तृप्ति है, हाँ, इतना ध्यान रहे कि उससे हमारा स्वास्थ्य इतना न बिगड़ जाय कि हम वासनाओंकी तृप्तिके, जो हमारे जीवनका उद्देश्य है, काबिल ही न रह जाय। मैं समझता हूँ कि श्री व्यूरोने ऐसे अतिवादियोंके लिए अपनी पुस्तक नहीं लिखी है। कारण यह कि उन्होंने उसकी समाप्ति टाममानके इस वचनसे की है—

“भविष्यका मैदान उन्हीं जातियोंके हाथ है जो सदाचारिणी हैं।”

## २ : अविवाहितोंमें नीतिभ्रष्टता

अपनी पुस्तकके पहले भागमें श्री व्यूरोने ऐसे तथ्य इकट्ठे किये हैं जिन्हे पढ़कर चित्तको अतिशय खेद होता है। उनसे प्रकट होता है कि फ्रांसमें कैसे विशाल सघटन खड़े हो गये हैं जिनका काम केवल मनुष्यकी अधम वासनाओकी तृप्तिके साधन जुटा देना है। गर्भ-निरोधके कृत्रिम उपायोंके समर्थकोका सबसे बड़ा दावा यह है कि उनके इस्तेमालसे गर्भपात-का पाप बंद हो जायगा। पर यह भी टिक नहीं सकता। श्री व्यूरो कहते हैं—“फ्रांसमें इधर २५ बरससे गर्भ-निरोधके उपायोंका विगेष रूपसे प्रचार रहा है। पर अपराधरूप गर्भपातकी संख्या कम न हुई।” श्री व्यूरोकी रायमें उनकी तादाद उल्टे और बढ़ी है। उनका अंदाजा है कि वहाँ हर साल २।।। से ३। लाख तक गर्भपात होते हैं। कुछ बरस पहले लोकमत उनके समाचार सुनकर काप उठता था, अब यह बात भी नहीं रही।

श्री व्यूरो लिखते हैं—“गर्भपातके पीछे-पीछे बाल-हत्या, कुल-कुटुम्बके भीतर व्यभिचार और प्रकृति-विरुद्ध पापोंकी पात पहुँचती है। बाल-हत्याके वारेमें तो इतना ही कहना है कि अविवाहिता माताओंके लिए सब तरहके सुभीते कर दिये गए हैं, और गर्भ-निरोधके साधनोंका उपयोग और गर्भपात बढ गया है, फिर भी यह पाप घटनेके बदले और बढ़ा ही है। सम्य प्रतिष्ठित कहलानेवाले लोग अब उसे वैसी नफरतकी निगाहसे भी नहीं देखते, और मुकदमोंमें जूरी आम तौरसे अभियुक्तको ‘निरपराध’ ही ठहराया करते हैं।”

गंदे, अश्लील साहित्यकी वृद्धिपर श्री व्यूरोने एक पूरा अध्याय लिख डाला है। उसकी व्याख्या वह इस प्रकार करते हैं—“साहित्य, नाटक और चलचित्र मनुष्यके थके मनको विश्रान्ति देने और फिर तर्रो-ताजा कर देनेके जो साधन उसे दे रहे हैं उनका काम-वासनाको जगाने, भडकाने या दूझरे गन्दे उद्देश्यकी पूर्तिके लिए दुरुपयोग करना।” वह कहते हैं—“इस साहित्यकी हरएक शाखाकी जितनी खपत हो रही है उसका कुछ अंदाजा इस बातसे किया जा सकता है कि इस घबेको चलानेवाले कैसे चतुर-

## अनीतिकी राहपर : नीतिनाशकी ओर

चूड़ामणि है, उनका सघटन कितना बढ़िया है, कितनी विशाल पूजा इस कारवारमे लगा दी गई है और उसे चलानेके तरीके सर्वांगपूर्णतामे कैसे बेजोड़ है।” “इस साहित्यका मनुष्योके मनपर इतना जबर्दस्त और ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा है कि व्यक्तिका सारा मानस जीवन उसके रगसे रग गया है और एक प्रकारके गौण काम जीवनका निर्माण हो गया है जिसका अस्तित्व सर्वांशमे उसकी कल्पनामे ही होता है।”

अनन्तर श्री व्यूरो श्री रूइसाका यह करुणा-जनक पैराग्राफ उद्धृत करते हैं—

“यह सारा अश्लील और कामज क्रूरतासे भरा साहित्य अगणित मनुष्योके लिए अति प्रबल प्रलोभनकी वस्तु बन रहा है, ओर इस साहित्यकी जबर्दस्त खपत असदिग्धरूपमे बताती है कि कल्पनामे दूसरे काम-जीवनका निर्माण कर लेनेवालोकी सख्या लाखो तक पहुचती है। जो लोग इसकी बदौलत पागलखानोमे पहुँच गये हैं उनका तो जिक्र ही क्या; खासकर आजके-से समयमे जब अखवारो और पुस्तकोका दुरुपयोग सब ओर उन अन्त करणोकी सृष्टि कर रहे हैं, जिन्हे डब्लू जेम्स ‘अन्तर्जगतकी अनेकता’ कहते हैं और जिसमे विचरण कर हर आदमी वर्तमान जीवनके कर्त्तव्योको भूल सकता है।”

याद रहे, ये सारे घातक परिणाम एक ही मूलगत भ्रमके कुफल हैं। वह यह है कि विषय-भोग, सन्तानकी इच्छाके बिना भी मानव-प्रकृतिके लिए आवश्यक है और उसके बिना पुरुष हो या स्त्री किसीका भी पूर्ण विकास नहीं हो सकता। ज्यो ही यह भ्रम दिमागमे घुसा और मनुष्य जिसे बुराई समझता था उसे भलाईके रूपमे देखने लगा कि फिर वह विषय-वासनाको जगाने और उसकी तृप्तिमे सहायक होनेके नित नये उपाय ढूढने लगता है।

इसके बाद श्री व्यूरीने प्रमाण देकर दिखाया है कि आजके दैनिकपत्र, मासिक, परचे, उपन्यास, चित्र और नाटक-सिनेमा किस तरह इस हीन सचिको दिन-दिन अधिकाधिक भडका और उसकी तृप्तिकी सामग्री जुटा रहे हैं।

### ३ : विवाहितोंमें नीति-भ्रष्टता

अवतक तो अविवाहित जनोके नीति-नाशकी कथा कही गई है । इसके बाद श्री व्यूरो यह दिखाते हैं कि विवाहित जनोकी नीति-भ्रष्टता किस हद तक पहुच रही है । वह कहते हैं—“अमीर, मध्यवित्त और कृपक वर्गोंमें बहुसंख्यक विवाह वडप्पन दिखाने या धन-संपत्ति पानेके लिए किये जाते हैं ।” बहुतसे व्याह अच्छा ओहदा पाने, दो जायदादो, खासकर जमीदारियोंके मालिक बनने, नाजायज सम्बन्धको जायज बनाने, अवैध सन्तानको वैध बनवाने, बुढापे और गठियेकी बीमारीके समय कोई मनसे सेवा-टहल करनेवाला हो इसका उपाय करने और सेनामें अनिवार्य भरतीके समय कौन-सी छावनी पसन्द करे यह तै कर सकनेके लिए भी किये जाते हैं । कुछ व्याह व्यभिचारके जीवनसे ऊवकर दूसरे प्रकारका थोडा सयमवाला भोग-जीवन प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भी किये जाते हैं ।

इसके बाद श्री व्यूरोने उदाहरण और आकडे देकर सिद्ध किया है कि इन व्याहोंसे व्यभिचार घटनेके बदले वस्तुतः ओर बढ़ता है । पत्नीके उन तथोक्त वैज्ञानिक साधनोने, जो सयोगमें बाधक न होते हुए उसके फलसे बचनेके लिए बनाये गये हैं, इस पतनको जवर्दस्त मदद पहुचाई है । पुस्तकके उस दु खद भागको तो मैं छोड देता हू जिसमें व्यभिचार-वृद्धिका विवरण और अदालतकी डिगरीसे होनेवाले पतिपत्नी-विलगाव और तलाकोके चौंकानेवाले आँकडे दिए गये हैं । इन विलगावो और तलाकोकी संख्या पिछले बीस वरसके अदर दूनीसे अधिक हो गई है । “स्त्री-पुरुष दोनोके लिए समान नैतिक मानदंड होना चाहिए” इस सिद्धांतके नामपर स्त्रीको जो भोग-वासनाकीमनमानी तृप्तिकी स्वतंत्रता दे दी गई है उसकी भी मैं चलती चर्चा भर कर सकता हू । गर्भाधान न होने देनेकी क्रियाओ और गर्भपात करानेके उपायोके पूर्णता प्राप्त कर लेनेसे स्त्री-पुरुष दोनोको नैतिक बचनोने पूर्ण मुक्ति मिल गई है । ऐसी दगामे अगर खुद व्याहका ही मजाक उडाया जा रहा है तो इसमें किसीको अचरज-अचभा न होना चाहिए । व्यूरोने एक लोकप्रिय लेखकके कुछ वाक्य उद्धृत किये हैं । उनका आशय

## अनीतिकी राहपर : नीतिनाशकी ओर

यह है—“मेरे विचारसे ब्याह उन बड़े-से-बड़े जगली रिवाजोमे से एक है जिन्हे आदमीका दिमाग अबतक सोच सका है । मुझे इस बातमे तनिक शक-शुबहा नही कि मानव-समाज अगर न्याय और विवेककी ओर कुछ भी बढ़ा तो यह प्रथा दफना दी जायगी । . . . . पर पुरुष इतना मट्ठर और स्त्री इतनी कायर है कि जो कानून उनका शासन कर रहा है उससे अच्छे ऊंचे कानूनकी माँग करनेकी हिम्मत वे नही कर सकते ।”

श्री ब्यूरोने जिन क्रियाओकी चर्चा की है उनके नतीजो और जिन सिद्धातोसे उन क्रियाओका समर्थन किया जाता है उनकी उन्होने बडी बारीकीसे समीक्षा की है । वह कहते है—“यह नीति-बधन तोड़ फैंकनेका आदोलन हमे नई भवितव्यताओकी ओर खींचे लिये जा रहा है । पर वे है क्या ? जो भविष्य हमारे आगे आ रहा है वह क्या प्रगति, प्रकाशन-सौन्दर्य और उत्तरोत्तर बढ़नेवाले अध्यात्म-भावका होगा ? या पीछे लोटने, अधकार, कुरूपता और पशुभावका होगा जिसकी भूख दिन-दिन बढ़ती जा रही है ? यह नैतिक स्वच्छदता जिसकी स्थापना की गई है क्या दकियानूसी नियमोके विरुद्ध किये जानेवाले उन फलजनक विद्रोहो, हितकर विप्लवोमेसे है जिन्हे आनेवाली पीढिया कृतज्ञताके साथ याद किया करती है, इसलिए, कि उनकी प्रगति उनके उत्थानके लिए विशेष कालोमे अनिवार्य हो जाती है ? अथवा वह मानव-मनकी वही आदिम वृत्ति है, जिसकी विरासत उसे अपने आदि पुरुष वावा आदम'से मिली है—जो उन नियमोके विरुद्ध विद्रोह किया करती है जिनकी कठोरता ही उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपनी पागव प्रेरणाओके हमलोके सामने टिक सके ?

---

‘आदम और हौवाको ईश्वरने अदनके बागमे रखा और मालीका काम सौंपा था । उन्हे बगीचेके सब पेड़ोके फल खानेकी इजाजत थी; पर एक ज्ञान-वृक्षका फल खानेकी मनाही थी । आदमने इस निषेधका उल्लंघन कर ज्ञान-वृक्षका फल चख लिया और इस पापके दंड-स्वरूप अदनके उद्यानसे निकाल दिये गए और देवत्व तथा अमरत्वसे वंचित होकर मृत्युधर्मा हुए ।—अनु०

समाजकी रक्षा और जीवनके लिए आवश्यक नियम-वधनके विरुद्ध यह विनाशकारी विद्रोह तो नहीं है ?” इसके बाद वह यह सावित करनेके लिए जवर्दस्त सबूत पेश करते हैं कि इस विद्रोहका फल हर लिहाजसे सत्यानासी हुआ है। वह खुद जीवनकी ही जड काट रहा है।

विवाहित स्त्री-पुरुषोका अपनी वासनाओको अकुशमे रखकर जरूरतसे ज्यादा बच्चे न पैदा करनेका यथासभव यत्न करना एक बात है और मनमाना भोग करते हुए उसके फलसे बचनेके उपायोकी मदद लेकर सन्तति-नियमन करना विलकुल दूसरी बात है। पहली सूरतमे मनुष्यको सभी प्रकारसे लाभ है और दूसरीमे हानिके सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। श्री व्यूरोने आकडे और नक्शे देकर दिखाया है कि काम-वासनाकी मनमानी तृप्ति करते हुए भी उसके स्वाभाविक फलोसे बचनेकी गरजसे गर्भ-निरोधक साधनोका उपयोग दिन-दिन बढ़ रहा है। उसका फल यह हुआ है कि अकेले पेरिसमे ही नहीं, समूचे फ्रासमे जन्म-संख्या मृत्यु-संख्याकी तुलनामे बहुत घट गई है। फ्रास जिन ८७ प्रदेशोमे बटा हुआ है उनमेसे ६८मे जन्मकी संख्या मृत्युकी संख्यासे नीची है। लोते-गारोमे १६२ मौतोके मुकाबलेमे १०० जन्म होते हैं। इसके बाद ताने-गारोका नबर है। वहा १५६ मौतोपर १०० जन्मोका औसत रहता है। जिन १९ प्रदेशोमे जन्म-संख्या मृत्यु-संख्यासे ऊंची है उनमे से भी कईमे तो यह अन्तर महज नामका है। केवल दस ही रकबे ऐसे हैं जहा मृत्यु-संख्यासे जन्म-संख्याकी अधिकता कहने लायक हो। मोरव्या और पास-दे-कैलेमे मृत्यु-संख्या सबसे कम है—१०० जन्म पीछे ७२। श्री व्यूरो हमें बताते हैं कि आवादी घटनेका यह क्रम जिसे वह ‘मागी हुई मौत’ कहते हैं। अभी तक चल ही रहा है।

अनन्तर श्री व्यूरो फ्रासके सूबोकी हालतकी तफसीलसे जाच-पडताल करते हैं और १९१४मे नारमडीके वारेमें लिखी हुई श्री जीदकी पुस्तकसे नीचे लिखा पैराग्राफ उद्धृत करते हैं—“५० वरसके अदर नारमडीकी आवादी ३ लाखमे अधिक घट चुकी है। यानी उसकी जन-संख्यामे उतनेकी कमी हो चुकी जितनी समूचे ओर्न जिलेकी आवादी है। हर २० सालमे वह एक जिलेकी जिननी आवादी गवा देता है और चूकि उसमें कुल पाच

## अनीतिकी राहपर : नीतिनाशकी ओर

जिले है इसलिए सौ सालमे ही उसके हरे भरे मैदान फ्रेच जनोसे बिल्कुल खाली हो जायगे । 'फ्रेच जन' शब्दका व्यवहार मैं जान-बूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि निश्चय ही दूसरे लोग आकर उनपर कब्जा जमा लेंगे । और ऐसा न हुआ तो यह बड़े दुःखकी बात होगी । जर्मन आस-पासकी खानोको खोद रहे हैं और अभी कल ही पहली बार चीनी मजदूरोका अग्रगामी दस्ता उस जगह उतरा है जहासे विजयी विलियम<sup>1</sup>का जहाज इंग्लैंड-विजयके लिए रवाना हुआ था ।" इस पैराग्राफकी आलोचनामे श्री व्यूरो कहते हैं— "अन्य अनेक प्रात है जिनकी दशा इससे कुछ अच्छी नहीं ।"

इसके बाद श्री व्यूरो यह लिखते हैं कि जनसख्याके इस ह्राससे राष्ट्रकी शक्ति भी घटती जा रही है । उनका विश्वास है कि फ्राससे जो दूसरे देशोमे जाकर लोगोका बसना बढ़ हो गया है उसका कारण भी यही है । फ्रासके औपनिवेशिक साम्राज्य, व्यापार, फ्रेच भाषा और सस्कृति इन सबके ह्रासका कारण भी वह इसीको मानते हैं ।"

अनन्तर वह पूछते हैं—“क्या सयत सहवासके पुराने रास्तेको छोड़ देनेवाले फ्रेचजन सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मन सस्कारमे आज अधिक आगे हैं ?” इस प्रश्नका उत्तर वह यो देते हैं—“स्वास्थ्यकी उन्नतिके विषयमे तो दो-चार शब्द कह देना ही काफी होगा । हम कितना ही चाहते हो कि सब एतराजोका एक सिरेसे जवाब दे दे, इस दलीलपर सजीदगीके साथ विचार करना कठिन है कि भोगकी घूटसे किसीका शरीर अधिक सबल और स्वास्थ्य अधिक अच्छा हो सकता है । हर तरफसे यही रोना सुनाई दे रहा है कि नौजवान और प्रौढ सभी पहलेसे निर्बल हो रहे हैं । (प्रथम) महायुद्धसे पहले सैनिक अधिकारियोको रगरूटोकी शारीरिक योग्यताका मानदंड बार बार नीचा करना पडता था, और सारे देशमें लोगोकी कष्ट-सहनकी शक्ति काफी घट गई है । अवश्य यह कहना अन्याय होगा कि केवल सयमका अभाव ही इस सारी गिरावटका कारण है ।

---

<sup>1</sup>नामंडीका ड्यूक—१०६६ से १०८७ ई० तक इंग्लैंडपर राज्य किया । (जन्म १०२७, मृत्यु १०८७ ई०)

पर वह और उसके साथ-साथ शरावखोरी, और घर-द्वारकी गदगी आदि मिलकर इसका बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। और हम जरा वारीक निगाहसे काम ले तो सहज ही देख सकते हैं कि असयम और उसके पोषक मनोभाव इन दूसरी बुराइयोंके सबसे बड़े सहायक हैं। . जननेन्द्रियके रोगो— गरमी, सूजाक आदिकी भयानक वाढने जन-स्वास्थ्यकी जो हानि की है उसका तो अदाजा ही नहीं लगाया जा सकता।”

श्री व्यूरो नव्य मालथ्यूसियन सिद्धात—कृत्रिम साधनोसे गर्भ-निरोधके समर्थकोकी इस दलीलको भी अस्वीकार करते हैं कि जन्म-सख्या अथवा सन्तानोत्पादनका नियमन करनेवाले समाजमे व्यक्तियोंका धन-उसके नियमनकी मात्राके हिसाबसे बढ़ता जाता है। अपने उत्तरकी, पुष्टि वह फ्रासकी स्थितिकी जर्मनीके साथ तुलना करके देते हैं। जर्मनीमे बच्चोंकी पैदाइश बढ़ रही है, और साथ-साथ राष्ट्रकी समृद्धि भी दिन-दिन बढ़ती जा रही है। पर फ्रासमे जन्म-सख्याके साथ-साथ देगकी धन-सम्पत्ति भी बराबर घटती जा रही है। उनका कहना है कि जर्मनीके व्यापारका आश्चर्य-जनक वृद्धि-विस्तार भी इसलिए नहीं हो रहा है कि वहा श्रमिक वर्गका और देगोकी अपेक्षा अधिक शोषण हो रहा है। वह ऐसिनोलका यह कथन प्रमाणमे पेश करते हैं—“जर्मनीमे जब केवल ४ करोड १० लाख आदमी बसते थे तब सैंकडो आदमी भूखो मर गए, पर जबसे उसकी आबादी बढ़कर ६ करोड ८० लाख हो गई है तबसे वह दिन-दिन अधिक धनवान होता जा रहा है।” इसके बाद वह कहते हैं कि “ये लोग (जर्मन) जो कोई योगी-वैरागी नहीं हैं, साल-व-साल सेविग बैंकमे इतनी रकमे जमा करनेमे समर्थ हुए हैं कि १९११ ई० मे उनका जोड २२ अरब फ्राक (फ्रासका सिक्का) हो गया था। १८९५मे उनके कुल ८ अरबही उक्त खातेमे जमा थे। इसके भानी यह हुए कि उन्होंने हर साल ८५ करोड अधिक बचाए।”

जर्मनीकी कला-शिल्प-सवधिनी उन्नतिका विवरण देनेके बाद श्री व्यूरोने उसकी सामान्य सस्कृतिके विषयमे जो पैराग्राफ लिखा-है-वह-बड़ी दिल्लचस्पीके साथ पढा जायगा। उसका आशय यह है—

“समाजशास्त्रकी गहराईमे उतरे बिना यह बात निश्चक होकर कही

जा सकती है—इसलिए कि वह बिलकुल स्पष्ट है—कि जर्मन मजदूर अगर अधिक सस्कृत न होते, फोरमैन अधिक पढ़े-लिखे न होते, वहा पूर्ण शिक्षाप्राप्त इजीनियर उपलब्ध न होते, तो शिल्प-कलाकी इतनी उन्नति वहा कदापि न हुई होती। . . जर्मनीके उद्योग-धंधे सिखानेवाले विद्यालय तीन तरहके है—१. पेशे (डाक्टरी आदि) सिखानेवाले, जिनकी सख्या ५०० से ऊपर और जिनमे शिक्षा प्राप्त करनेवालोकी सख्या ७० हजार है, २. शिल्प-कलाकी शिक्षा देनेवाले, जिनकी सख्या और बडी है और जिनमेसे कुछमे १ हजारसे अधिक विद्यार्थी है, ३ कालिज, जिनमे ऊचे दर्जेकी शिक्षा दी जाती है और जिनकी शिष्य-सख्या १५ हजार है। ये कालिज विद्यार्थियोकी तरह डाक्टर (आचार्य)की स्पृहणीय उपाधि प्रदान करते है। . ३६५ विद्यालय वाणिज्य-व्यवसायकी शिक्षा देते है, जिनमे कुल ३१ हजार विद्यार्थी शिक्षा पा रहे है। खेती-बारीकी शिक्षाका प्रबध तो अनगिनत विद्यालयोमे है और यह विद्या सीखनेवालोकी सख्या ६० हजारसे ऊपर है। विविध धनोत्पादक धंधोकी शिक्षा पानेवाले इन ४ लाख विद्यार्थियोके सामने हमारे व्यावसायिक विद्यालयोके कुल ३५ हजार विद्यार्थियोकी क्या विसात है। और जब हमारे १७ लाख ७० हजार जन, जिनमेसे ७,७६,७६८ अठारह सालसे कमके है, खेतीसे ही जीविका चला रहे है तब हमारे कृषि-विद्यालयोमे कुल जमा ३२५५ ही विद्यार्थी क्यों दिखाई देते है ?”

श्री व्यूरो यह स्वीकार करते है कि जर्मनीकी यह सारी आश्चर्य-जनक उन्नति अकेले मृत्यु-सख्यासे जन्म-सख्याके अधिक होनेका ही फल नहीं है। पर कहते है, और ठीक कहते है, कि और अनुकूलताओके साथ-साथ मरनेवालोसे जन्म लेनेवालोकी तादाद अधिक होना भी राष्ट्रके बढ़ने-पनपनेके लिए लाजिमी होता है। वस्तुतः वह जिस बातको सावित करता चाहते है वह यह है कि आवादीका बढ़ना देशके समृद्धिलाभ और नैतिक प्रगतिका विरोधी नहीं है। जहा तक जन्म-सख्याका सवाल है, हिन्दुस्तानमे हमारी स्थिति फ्रासकी जैसी नहीं है। पर यह कह सकते है कि यह जन्मकी अधिकता हमारे यहा राष्ट्रकी बाढमे सहायक नहीं है, जैसा कि जर्मनीमे है। पर श्री व्यूरोके तथ्यो, अको और निष्कर्षोकी दृष्टिसे भारतकी परि-

स्थिति पर हमें अलग अध्यायमें विचार करना होगा। इसलिए यहाँ इस विषयकी चर्चा अकर्त्तव्य है।

जर्मनीकी परिस्थितिकी, जहाँ मृत्युसे जन्मकी सख्या बढ़ी हुई है, समीक्षा करनेके बाद श्री व्यूरो कहते हैं—“क्या हमें यह मालूम नहीं है कि राष्ट्रीय संपत्तिमें फ्रांसका स्थान दुनियाके देशोंमें चौथा है और तीसरे नंबरवाले देशसे बहुत पीछे ? फ्रांसने वाणिज्य-व्यवसायमें जो पूजी लगा रखी है उससे उसे सालाना २५ अरब फ्रांककी आमदनी होती है, जर्मनी को ५० अरबकी होती है। हमारी जमीनकी मालियत ३५ बरस के अन्दर— १८७६ से १९१४ के बीच—४० अरब फ्रांक घट गई—६२ अरबसे ५२ अरबकी हो गई। देशके सभी जिलोंमें खेती-किसानीका धधा करनेवालोंकी कमी है और कुछ जिलोंकी दशा तो यह है कि जहाँ देखो वहाँ बूढ़े-ही-बूढ़े दिखाई देते हैं।” वह और कहते हैं—“नैतिक उच्छृंखलता और व्यवस्थित प्रयत्नसे प्राप्त वध्यात्वका अर्थ यह होता है कि समाजकी स्वाभाविक शक्तियाँ क्षीण हो जाय और सामाजिक जीवनमें बूढ़ोंका पक्का प्राधान्य स्थापित हो जाय। फ्रांसमें हजार आदमी पीछे केवल १७० वच्चोंका औसत आता है, जब कि जर्मनीमें वह २२० और इंग्लैंडमें २१० है। . . बूढ़ोंकी सख्याका अनुपात जितना होना चाहिए उससे अधिक है, और दूसरे लोग, जिन्होंने नीति-रहित जीवन और प्रयत्न-प्राप्त-वध्यात्वके फल-स्वरूप जवानीमें ही बुढ़ापेको बुला लिया है, गतबल राष्ट्रके सारे वृद्धजनोचित कार्यापनमें हिस्सेदार हो रहे हैं।

इसके बाद श्री व्यूरो कहते हैं—“हम जानते हैं कि फ्रांसकी जनताका ७०-८० प्रतिशत भाग अपने शासकोंकी इस ‘घरेलू बात’ (ढीली-ढाली नीति) की ओरसे उदासीन है, क्योंकि किसीकी खानगी जिन्दगीके बारेमें पूछ-ताछ करना ठीक नहीं समझा जाता।” और श्री लियो पोल्डमोनोका निम्नलिखित उक्तिको बड़े खेदके साथ उद्धृत करते हैं—

“निन्दित बुराइयोंके निष्कासनके लिए युद्ध करना और उनसे पीडित जनोन्मा उद्धार करना प्रगसनीय कार्य है। पर उन लोगोंका क्या उपाय है जिनकी भीरता यह नहीं जान पाई है कि प्रलोभनोंसे अपनी अन्तरात्मा,

अपनी विवेकवृत्तिकी रक्षा किस तरह करनी चाहिए, जिनका साहस एक प्यार या रूठनेकी एक भावभगीके सामने घुटने टेक देता है, जो लज्जाको तिलाजलि देकर, बल्कि शायद अपने इस कारनामेपर गर्व करते हुए, उस प्रतिज्ञाको भंग करते हैं जो उन्होंने अपनी युवा-कालकी जीवन-सगिनीके साथ बड़े उल्लाससे और विधि-विधानके साथ की थी, जो अपनी अति-रजित और स्वार्थमयी अहन्ताके अत्याचारसे अपने कुटुम्बियोको त्रस्त किये रहते हैं ? ऐसे आदमी दूसरोका उद्धार किस तरह कर सकते हैं ?”

श्री व्यूरो अपने कथनका उपसंहार यो करते हैं—

“इस प्रकार हम चाहे जिधर निगाह डाले, हम सदा यही देखते हैं कि हमारे नीति-सदाचारके बन्धन तोड़ देनेका फल व्यक्ति, कुटुम्ब और समाज सबके लिए बहुत बुरा हुआ है, उससे हमारी इतनी हानि हुई है कि वह सचमुच अवर्णनीय है। हमारे युवा जनोका कामुक आचरण, वेश्या-वृत्ति, गन्दी पुस्तको, चित्रोके प्रचार और पैसे, बडप्पन या भोग-विलासके लिए व्याह करना, व्यभिचार और तलाक, अपनेसे बुलाया हुआ बाभूपन और गर्भपात—इन सबने मिलकर राष्ट्रका तेजवल नष्ट कर दिया और उसकी बाढ मार दी है। व्यक्तिमे शक्ति-सचयकी योग्यता नहीं रह गई और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वे सख्यामे कम होनेके साथ-साथ शारीरिक एव मानसिक शक्तिमे भी पिछली पीढियोसे हीन होने लगे। ‘ग्रीठ बच्चे और अधिक अच्छे स्त्री-पुरुष’का नारा उन लोगोको मोह लेता है जो वैयक्तिक और सामाजिक जीवनके विषयमे अपनी जडवादी दृष्टिके कँदखानेमे पडे रहकर यह सोचा करते हैं कि हम आदमियोकी नस्ल भी भेड़-बकरियो और घोडोकी तरह पैदा की जा सकती है। आगस्त काम्तेने इन लोगोपर तीखा व्यग्य करते हुए कहा था—‘अच्छा होता कि हमारे सामाजिक रोगोका उलाज करनेके ये दावेदार पशु-वैद्य बने होते, क्योकि व्यक्ति और समाज दोनोकी जटिल मनोरचनाका समझ लेना तो उनके बशकी बात नहीं।’

“सच यह है कि मनुष्य जीवनमे जितनी भी दृष्टियोको ग्रहण करता है, जितने भी निश्चय करता है, जितनी भी आदते लगाता है उन सबमे एक भी ऐनी नहीं, जो उसके वैयक्तिक और सामाजिक जीवनपर वैसा असर डाले

जैसा काम-वासनाकी तृप्तिके विषयमे उसकी दृष्टि, उसके निश्चयो और उसकी आदतोका पडा करता है । चाहे वह उसको वशमे रखे या खुद उसके इगारे पर नाचता रहे, सामाजिक जीवनके दूर-से-दूर कोनेमे भी उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी, क्योकि प्रकृतिका यह विधान है कि हमारे गुप्त-से-गुप्त और निजी-से-निजी कामकी प्रतिक्रिया भी अति व्यापक हो ।

“इसी गुप्त विधानकी कृपासे जब हम नीति-नियमका किसी रूपमे उल्लघन करने लगते हैं तो अपने-आपको यह भुलावा देनेकी कोशिश करते हैं कि हमारे कुकर्मका कोई अधिक बुरा फल न होगा । खुद अपने वारेमे तो पहले हम उससे सन्तुष्ट होते हैं, क्योकि अपनी रुचि या सुख ही हमारे उस कार्यका हेतु होता है । समाजके विषयमे हम सोचते हैं कि हमारी तुच्छ हस्तीसे वह इतना ऊचा है कि वह हमारे दुष्कर्मकी ओर आख उठाकर देखनेका कष्ट भी न करेगा । सर्वोपरि, हम मन-ही-मन यह आशा रखते हैं कि दूसरे सब लोग सच्चे और सदाचारी बने रहेंगे । सबसे बुरी बात यह है कि जबतक हमारा आचरण असाधारण और अपवाद-रूप कार्य होता है तबतक यह कापुरुषोचित आशा प्रायः सफल होती रहती है । फिर इस सफलतासे फलकर हम बार-बार वही आचरण करने लगते हैं और जब उसे करना होता है उसे जायज मान लेते हैं । यही हमारे कर्मका सबसे बडा ढाङ है ।

“पर एक वक्त आता है जब इस आचरणके द्वारा उपस्थित किया हुआ उदाहरण हमें और तरहसे धर्म-च्युत करनेका भी कारण होता है । हमारा हर एक दुष्कर्म ‘दूसरो’ मे जिस धर्मनिष्ठताका हम विश्वास रखते आये हैं उसको अपनेमे पैदा करना अधिक कठिन, अधिक वीरोचित कार्य बना देता है । हमारा पडोसी भी बार-बार ठगे जानेसे खीभकर हमारी नकल करनेको अवीर हो जाता है । वस उसी दिनसे हमारा अघ पात प्रारम्भ होता है और हर आदमी यह सोच सकता है कि उसके दुष्कर्मके न्या-न्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी कितनी बडी है ।

“अपने गुप्त कर्मको हम जिस तहखानेमे छिपा हुआ मानते थे उससे वह निकल आना है । उममे अतः प्रवेशकी शक्ति होती है जिससे वह समाजके

अगोमे व्याप्त हो जाता है। सभी सबके रोपका फल भुगतते हैं, क्योंकि हमारे कर्मोंका प्रभाव भवरसे उठनेवाली नन्ही लहरोंकी तरह समाज-जीवनके दूर-से-दूरके कोनो तक पहुंचता है।

“नीति-नाश जातिके रस-स्रोतको तुरत सुखा देता है और जवानोको झटपट बुढापेकी ओर ढकेलकर शरीर और मन दोनोसे निर्वल बना देता है।”

## ४ : इलाज—संयम और ब्रह्मचर्य

नीति-नाश और गर्भनिरोधके कृत्रिम साधनोके उपयोगसे उसकी वृद्धि तथा उसके भयावह परिणामोकी चर्चा करनेके बाद श्री व्यूरोने इस बुराईको दूर करनेके उपायोपर विचार किया है। उन्होने पहले कानून-कायदोकी मदद-से इसे रोकनेके प्रश्न और उनकी आवश्यकतापर विचार किया है और उन्हे नितात व्यर्थ बताया है। पुस्तकके इस अशकी चर्चा मुझे छोड देनी होगी। उसके बाद उन्होने अविवाहितके लिए ब्रह्मचर्यकी, मानव जातिका जो बहुत बडा भाग सदाके लिए अपनी काम-वासनाको जीत नही सकता उसके लिए व्याहकी, विवाहित स्त्री-पुरुषके लिए एक-दूसरेके प्रति सच्चा, वफादार रहने तथा विवाहित जीवनमे सयमकी और इनके पक्षमे लोकमत तैयार करनेकी आवश्यकतापर विचार किया है। “ब्रह्मचर्य स्त्री-पुरुषकी प्रकृतिके विरुद्ध है और उनके स्वास्थ्यके लिए हानिकारक है। वह व्यक्तिकी स्वतन्त्रता और उसके सुखपूर्वक जीने तथा जिस जगह चाहे रहने-सहनेके अधिकार-पर असह्य आघात है।” इस तर्ककी उन्होने समीक्षा की है। वह इस निष्पत्तको सही माननेसे इन्कार करते हैं कि ‘जननेद्रिय भी और इन्द्रियो जैसी हैं और उन्हे भी काम मिलना ही चाहिए।’ वह पूछते हैं—“ऐसा है तो हमारी मकल्प-शक्तिको जो काम-वासनाको पूरी तरह रोक रखनेकी गणिन प्राप्त है, उसने या इस तथ्यसे हम इसका मेल किस तरह बँठावगे कि कामवासनाका जगना उन अगणित उत्तेजनाओका फल होता है जिन्हे हमारी मर्यादा वय प्राप्तिके बँट दरस्त पहले ही हमारे नवयुवको और मनुष्यशक्तियोके लिए जूटा देती है ?”

सयमसे स्वास्थ्यकी हानि नहीं होती, बल्कि वह स्वास्थ्यके लिए आवश्यक है और सर्वथा साध्य है। इस दावेकी पुष्टिमें, पुस्तकमें जो बहुमूल्य डाक्टरी शहादते इकट्ठी की गई हैं, उन्हें उद्धृत करनेका लोभ मैं रोक नहीं सकता।

टविंगन विद्यापीठ (जर्मनी) के प्रोफेसर ओस्टरलेन लिखते हैं—“काम-वासना इतनी प्रबल नहीं होती कि नीति-बल और विवेकसे वह दवाई, बल्कि पूरी तरह वशमें न लाई जा सके। युवतियोंकी तरह युवकोंको भी योग्य वय प्राप्त होने तक उसे कावूमें रखना सीखना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि इस इच्छाकृत त्यागका फल तगडा शरीर और हमेशा ताजादम बना रहनेवाला बल-उत्साह होता है।”

“इस बातको चाहे जितनी बार दुहराइये, अधिक न होगा कि भोग-विलास और पूर्ण पवित्र-जीवनका शरीरशास्त्र (फिजियालोजी) और नीतिशास्त्रके नियमोंके साथ पूरा मेल है, और असयत विषय-भोगका शरीरशास्त्र तथा मानसशास्त्र भी उतना ही विरोध करते हैं जितना धर्म और नीति।”

लदनके रायल कालिजके प्रोफेसर सर लायोनल वील कहते हैं—“श्रेष्ठ पुरुषोंके उदाहरणोंसे यह बात सदा सिद्ध हुई है कि हमारी सबसे दुर्दम वासनाएँ दृढ़ और पक्के सकल्पसे और रहने-सहनेके तरीके तथा काम-धवोंके बारेमें काफी सावधानी रखकर कावूमें लाई जा सकती हैं। ब्रह्मचर्यसे कभी किसीको हानि नहीं हुई वगैरें कि वह किसी तरहकी लाचारीसे नहीं बल्कि खुशीसे अपनाई हुई जीवन-विधिके रूपमें धारण किया गया हो। सार यह है कि कौमार्य इतना कठिन नहीं है कि चल न सके, पर शर्त यह है कि वह मनकी अवस्था-निशेषकी बाह्य अभिव्यक्ति हो। ब्रह्मचर्यका अर्थ केवल इन्द्रिय-सयम नहीं होता, मनके भावोंका निर्मल होना और वह शक्ति भी होती है जो पक्के विश्वाससे मिला करती है।”

स्विट्जरलैंडके मानसशास्त्री फारल कामसवधी अनियमितताओंकी चर्चा कैसे मौम्य भावमें करता है—जो उसके पाण्डित्यके सर्वथा अनुरूप है। वह कहता है—“व्यायामसे नाडी-सस्थानकी हर एक क्रिया तेज और सशक्त होती है। इसके विपरीत अगविशेषकी निष्क्रियता उस उत्तेजित करनेवाली

वातका असर घटा देती है। काम-प्रवृत्तिको छेड़नेवाली सभी वाते भोगकी इच्छाको भडकाती है। इन उत्तेजनाओसे वचते रहे तो वह कुछ मन्द हो जाती है और धीरे-धीरे बहुत घट जाती है। युवक-युवतियोमे यह खयाल फैला हुआ है कि सयम प्रकृतिविरुद्ध और अनहोनी बात है। पर बहुसख्यक जन, जो उसका पालन कर रहे हैं, इस बातको सिद्ध कर रहे हैं कि स्वास्थ्यकी किसी तरह हानि किये बिना ब्रह्मचर्यका पालन किया जा सकता है।”

रिविंगका कहना है—“२५, ३० या इससे भी ऊंची उम्रके कितने ही व्यक्तियोंको मैं जानता हू, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन किया था जिन्होंने व्याह होने तक उस नियमको निवाहा। ऐसे लोग इने-गिने नहीं हैं, हाँ वे अपना ढिडोरा नहीं पीटते फिरते। मुझे तन-मन दोनोसे स्वस्थ कितने ही विद्यार्थियोंके गोपनीय पत्र मिले हैं, जिन्होंने मुझे इसलिए कोसा है कि विषय-वासनाको वशमे लाना कितना सहज है, इसपर मैंने उतना जोर नहीं दिया जितना देना चाहिए था।”

डाक्टर ऐवटन कहते हैं कि “व्याहके पहले युवकोको पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए।”

ब्रिटिश राज-दरबारके चिकित्सक सर जेम्स पेजेटका कहना है कि “ब्रह्मचर्यसे जिस तरह आत्माकी हानि नहीं होती, उसी तरह शरीरकी भी नहीं होती। सयम सर्वश्रेष्ठ आचार है।”

डाक्टर ई० पेरिये लिखते हैं—“पूर्ण ब्रह्मचर्यको तन्दुरुस्तीके लिए सतरनाक मानना एक विचित्र भ्रम है। इस भ्रमकी जड खोद डालनी चाहिए, क्योंकि यह बच्चोंके ही नहीं वापोंके मनको भी विगाड रहा है। ब्रह्मचर्य युवकोंके लिए शारीरिक, मानसिक और नैतिक तीनों दृष्टियोंसे कवच-रूप है।”

सर ऐड् क्लार्क कहते हैं—“नयमसे कोई हानि नहीं होती, शरीरकी दाउमे दाया नहीं होती। वह शक्तिको बढ़ाता और मन-इन्द्रियोंको सतेज करता है। अनयम मन-इन्द्रियोंको दममे रखनेकी शक्ति घटाता, दिन्दाईकी आश गगाता, जीवनकी नारी क्रियाओंको मद करता और विगाउता और ऐसे रोगोंको निमग्न देता है जिनकी विरामत कई पीटियो तक चली जाय।

कामवासनाकी असयत तृप्ति युवकोके स्वास्थ्यके लिए आवश्यक है, यह कहना भूल ही नहीं उनके प्रति अत्याचार भी है। यह कथन असत्य और हानिकर दोनो है।”

डाक्टर सर ब्लेड लिखते हैं—“असयत विषयभोगकी बुराइया निर्विवाद है, पर सयमकी बुराइया कपोलकल्पना मात्र है। पहलीके विवेचनमें बड़े-बड़े पोथे लिखे गए हैं, पर दूसरीको अभी तक अपना इतिहास लिखनेवाले-का इन्तज़ार है। सयमसे होनेवाली हानिके बारेमें जो कुछ कहा जाता है, वह कुछ गोल-मटोल बातें हैं जिन्हें बातचीतके दायरेके बाहर आने और समीक्षाकी कसौटीपर चढ़नेकी हिम्मत नहीं होती।”

डाक्टर मोते गाजा ‘लाजिफियालोजी देलामूर’ (कामका शरीरशास्त्र) नामकी पुस्तकमें लिखते हैं—“ब्रह्मचर्यसे किसीको कोई रोग हुआ हो यह अवतक मैंने नहीं देखा। सभी लोग, खासकर युवा पुरुष, उसके तुरत होनेवाले लाभोका अनुभव कर सकते हैं।”

वर्न (स्विट्ज़रलैंड)के नाडीसस्थानके रोगोकी चिकित्साके यशस्वी अध्यापक डाक्टर दुवाँय लिखते हैं—“नाडीसस्थानकी दुर्बलता—दिल-दिमागकी कमजोरीके मरीज जितने उन लोगोमें मिलते हैं, जो अपनी कामवासनाकी लगाम विलकुल ढीली किये रहते हैं, उतने उन लोगोमें नहीं जो जानते हैं कि अपनी पाशव-प्रवृत्तियोकी गुलामीसे कैसे बचा जा सकता है। विसेत्र अस्पतालके चिकित्सक डाक्टर फेरे उनकी इस शहादतकी पूरी तरह पुष्टि करते हैं। वह कहते हैं कि जो लोग अपने मनको निर्मल रख सकते हैं वे अपने स्वास्थ्यकी ओरसे निर्भय रहकर ब्रह्मचर्यका पालन कर सकते हैं। स्वास्थ्य कामवासनाकी तृप्तिपर अवलंबित नहीं होता।

प्रोफेसर आलफ्रेद फर्निये लिखते हैं—“ब्रह्मचर्य रखनेसे युवकोके स्वास्थ्यके लिए खतरा होनेके बारेमें कुछ अयुक्त और गम्भीरतारहित बातें कही जाती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हू कि ये खतरे अगर नचमुच हैं तो मैं उनके बारेमें विलकुल ही अनजान हू और एक चिकित्सककी हैसियतमें मुझे अवतक उनके अस्तित्वका प्रमाण नहीं मिला है, यद्यपि अपने धवेके सिलसिलेमें मुझे उनकी जानकारी होनेका पूरा मौका हासिल

था । इसके सिवा शरीर-शास्त्रका अध्ययन करनेवालेकी हैसियतसे मैं यह भी कहूंगा कि मोटे हिसाब २१की उम्रके पहले सच्चा वीर्य या पुरुषत्व नहीं प्राप्त होता, और दूषित उत्तेजनाएँ कामवासनाको समयसे पहले जगा न दे तो तबतक सहवासकी आवश्यकता भी नहीं पैदा होती । काम-वासनाका समयसे पहले जगना अस्वाभाविक बात है और आम तौरसे बच्चोका लालन-पालन गलत तरीकेसे किये जानेका फल होता है ।

“कुछ भी हो इतना तो पक्का समझिये कि काम-वासनाको समयसे पहले जगाने और तृप्त करनेमें जितना खतरा होता है उसे रोकने-दवानेमें उससे कहीं कम होता है ।”

ये अति प्रामाणिक शहादते, जो आसानीसे बढाई जा सकती हैं, पेश करनेके बाद श्री ब्यूरो अन्तमें वह प्रस्ताव उद्धृत करते हैं जिसे १९०२ ई० में ब्रसेल्स (बेल्जियम) में हुए रोगोसे बचनेके उपायोपर विचार करनेवाले दूसरे सार्वदेशिक सम्मेलनमें उपस्थित १०२ चिकित्सा-पंडितोंने एक मतसे स्वीकार किया था । इस सम्मेलनके प्रतिनिधि अपने विषयके दुनियामें सबसे अधिक प्रामाणिक पंडित थे । प्रस्तावका भाव यह है—  
“युवकोको यह बता देना और सब शिक्षाओंसे अधिक आवश्यक है कि समय और ब्रह्मचर्यसे उनके स्वास्थ्यकी कोई हानि नहीं हो सकती; बल्कि शुद्ध चिकित्सा-शास्त्र और स्वास्थ्य-विज्ञानकी दृष्टिसे भी इन गुणोको अपनानेकी उनसे पूरे जोरके साथ सिफारिश की जानी चाहिए ।”

अनन्तर श्री ब्यूरो लिखते हैं—“क्रिस्टियानिया (नारवे) विद्यापीठ के चिकित्सा-विभागके अध्यापकोने कुछ बरस पहले सर्वसम्मतिसे यह घोषणा की थी कि ‘सयमका जीवन स्वास्थ्यकी हानि करनेवाला है’ यह कथन हमारे सर्वस्वीकृत अनुभवके अनुसार निराधार है । पवित्र और सदाचारयुक्त जीवनसे कोई हानि होनेकी बात हमें मालूम नहीं ।”

“इस प्रकार सारा मुकदमा सुन लिया गया और समाजशास्त्री तथा नीतिशास्त्री अब श्री रूइसाके स्वरमें स्वर मिलाकर इस बुनियादी और शरीरशास्त्र द्वारा अनुमोदित सत्यकी घोषणा कर सकते हैं कि ‘काम-वासना आहार और अगोसे काम लेनेकी आवश्यकताओं जैसी वस्तु नहीं है जिसका

एक खास हृद तक तृप्त होना आवश्यक हो । यह सत्य है कि कुछ असाधारण कोटिके, किसी तरहकी विकृतिसे पीडित जनोको छोडकर, और सभी स्त्री-पुरुष सयम, पवित्रताका जीवन विता सकते हैं, इससे न उनके जीवनमें कोई बडा उपद्रव उपस्थित होगा और न कोई क्लेश ही होगा । इस बातको जितनी बार भी दुहराए अधिक न होगा, क्योंकि ऐसी बुनियादी सचाइयोकी उपेक्षा होना सामान्य बात है, कि ब्रह्मचर्यके पालनसे साधारण स्त्री-पुरुषोको, जिनके तन-मनकी बनावटमें कोई खास खराबी नहीं है—और १०० में ६८-६९ ऐसे ही लोग होते हैं—कभी कोई रोग कष्ट नहीं होता, पर अनेक भयानक और सर्वविदित बीमारिया असयत विषय-भोगका ही प्रसाद होती हैं । शुक्र-शोणितके अतिरेकका अति सरल और अचूक उपाय प्रकृतिने स्वप्नदोष और रजोधर्मके रूपमें कर ही दिया है ।

“अत डाक्टर बीरीका यह कहना बिलकुल सही है कि यह प्रश्न किसी सच्ची प्राकृतिक प्रेरणा या आवश्यकताकी तृप्ति-पूर्तिका नहीं है । हर आदमी जानता है कि क्षुधा की तृप्ति न करने या सास लेना बन्द कर देनेका दण्ड उसे क्या मिलेगा । पर कोई किसी तात्कालिक या लम्बी बीमारीका नाम नहीं बता सकता जो थोडे दिनों तक या यावज्जीवन ब्रह्मचर्य-पालनसे पैदा होती हो । साधारण जीवनमें हम ऐसे ब्रह्मचर्यधारियोंको देखते हैं जिनका चरित्र किसीसे कम बलवान् नहीं है, जिनका शरीर भी दूसरोसे कम तगडा नहीं और व्याह करे तो सन्तानोत्पादनके सामर्थ्यमें भी किसीसे पीछे नहीं है । जिस आवश्यकतामें इतना उतार-चढाव हो सकता है, जो नैसर्गिक प्रेरणा-तृप्तिके अभावको इतनी आसानीसे सह लेती है, वह न आवश्यकता हो सकती है न प्रकृतिसे प्राप्त प्रेरणा ।”

“कामवासनाकी तृप्ति बढ़नेवाली वयके बालककी किसी शारीरिक आवश्यकताकी पूर्ति नहीं करती, बल्कि उलटे पूर्ण ब्रह्मचर्य ही उसकी साधारण वाढ-विकासके लिए अत्यावश्यक है, और जो लोग उसको भग करते हैं वे अपने स्वास्थ्यकी कभी पूरी न हो सकनेवाली हानि करते हैं । कोई बालक या बालिका जब जवान होने लगती है तो उसके तन-मनमें बहुतमें गहरे उलट-फेर होते हैं, अनेक शारीरिक क्रियाओमें सच्ची गडबड

पैदा हो जाती है। सारा शरीर बढता, पुष्ट होता है। किशोर अवस्थावाले बालकको अपनी सारी शक्ति बटोर रखनेकी जरूरत होती है, क्योंकि इस उम्रमे अकसर रोगोका आक्रमण रोकनेकी शक्ति घट जाती है और इस उम्रवाले और छोटी उम्रवालोकी तुलनामे अधिक बीमार होते तथा मरते हैं। शरीरकी सामान्य बाढका लम्बा काम, विभिन्न अंगो, इन्द्रियोका विकास, देह और मनमे लगातार होनेवाले वे बहु-सख्यक परिवर्तन जिनके अन्तमे बालक पुरुष बनता है, ये सब ऐसे काम हैं जिनके लिए प्रकृतिको गहरी मेहनत करनी पडती है। ऐसे नाजुक वक्तमे हर तरहका अतिरेक, किसी भी अंग-इन्द्रिय-से अधिक काम लेना, खतरनाक है, जननेन्द्रियका समयसे पहले उपयोग तो खास तौरसे खतरनाक है।”

## ५ : व्यक्ति-स्वातन्त्र्यकी दलील

ब्रह्मचर्यके शारीरिक लाभोकी चर्चा करनेके बाद श्री ब्यूरो उसके नैतिक और मानसिक लाभ बतानेके लिए प्रोफेसर मोतेगाजाकी पुस्तकका निम्नलिखित अंश उद्धृत करते हैं—

“सभी लोग, खासकर युवक, ब्रह्मचर्यके तत्काल होनेवाले लाभोका अनुभव कर सकते हैं। स्मृति स्थिर और धारक, मस्तिष्क सजीव और उद्भावनाक्षम हो जाता है। सकल्प-शक्ति सबल-सतेज हो जाती है। सारे चरित्रमे वह बल आ जाता है कामुक जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्यका तिनपहला शीशा हमारे आसपासकी सारी चीजोको, हमारी दुनियाको जैसे स्वर्गीय रंगोसे रजित कर देता है वैसा और कोई कलम नहीं कर सकती। विश्वकी छोटी-से-छोटी चीजको भी वह अपनी किरणोसे आलोकित कर देता है, हमें उस नित्य सुखके शुद्धतम आनन्दमे पहुँचा देता है जो न घटना जानता है और न छीजना। ब्रह्मचारीका आनन्द, हार्दिक उल्लास और प्रसन्नतासे भरा आत्मविश्वास और उसके विषयवासनाके गुलाम साथियोके वेचैन किये रहनेवाले बद्धमूल विचार और बौखलाहटमे कैसा दिन-रातका-सा अन्तर है !”

सयमके लाभोकी कामुकता और ऐयाशीके कुपरिणामोसे तुलना करते

हुए लेखक कहता है—“सयमसे पैदा होनेवाले किसी रोगका नाम कोई नहीं बता सकता, पर असयत विषयभोगसे होनेवाली डरावनी बीमारियोंको कौन नहीं जानता ? देह तो सड़ी-गली चीज बनती ही जाती है, कल्पना-शक्ति, हृदय और बुद्धिकी दशा और भी बुरी हो जाती है। हर तरफसे चरित्रके पतन, युवकोकी उद्दाम कामुकता और स्वार्थपरताकी वाढका रोगा सुनाई देता है।”

यह तो हुई वीर्य-व्ययकी तथोक्त आवश्यकता और उसके कारण व्याहके पहले युवकोके नीतिकी लगाम कुछ ढीली रखनेके औचित्यकी बात। इस आजादीके हिमायती यह भी कहते हैं कि कामवासनाका नियंत्रण मनुष्यके अपने शरीरसे चाहे जिस तरह काम लेनेकी स्वतंत्रताका हरण है। लेखक सबल दलीलोसे यह सिद्ध करता है कि समाजशास्त्र और मानसशास्त्रकी दृष्टिसे यह रोक आवश्यक है। वह कहता है—

“सामाजिक जीवन केवल बहुविध सबधोका एक जाल, क्रियाओ और प्रतिक्रियाओका ताना-बाना है। उसके बीच कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता जिसे हम दूसरोसे विलकुल अलग, असम्बद्ध कह सकें। हम जो कुछ भी करनेका निश्चय या यत्न करें, हमारी अखण्डता, हमारा एक-दूसरेसे लगा-जुड़ा होना हमारे निश्चय और कार्यका सबध हमारे भाइयोके विचारो और कार्योंसे जोड़ देगा। हमारे छिपे विचार और छन भरके लिए मनमे उठनेवाली कामवासनाकी प्रतिध्वनि भी इतनी दूर तक पहुँचती है कि हमारा मन उस दूरीका अदाज्ञा नहीं कर सकता। सामाजिकता मनुष्यका ऐसा गुण नहीं है जो बाहरसे लिया गया हो या जिसका काम किसी और गुप्त वृत्तिका पोषण मात्र हो। वह तो उसका सहज गुण है, उसकी मनुष्यताका ही अंग है। वह सामाजिक इसीलिए है कि वह मनुष्य है। हमारे कामोका दूसरा कोई भी मैदान इसके जितना सच्चे अर्थमे हमारा अपना नहीं। शरीरशास्त्र और नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति, बुद्धि और सौन्दर्य-भावनाके कार्य-क्षेत्र, हमारे धार्मिक और सामाजिक कार्य—सभी एक विश्वव्यापी विधानके साथ रहस्यभरे सूत्रोसे बंधे और अनिर्दिष्ट मवधोसे जुड़े हुए हैं। यह बंधन इतना दृढ़ है, जाल इतना गठकर

बुना हुआ है कि बेचारा समाजशास्त्री सम्पूर्ण देश और कालको अतिक्रमण करके उसके सामने खड़ी इस विराट्सत्ताको देखकर कभी-कभी चक्करमे आ जाता है। वह एक ही निगाहमे इसका अदाजा कर लेता है कि कुछ विशेष अवस्थाओमे व्यक्तिकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, और कुछ सामाजिक हलके उसे जो आजादी देनेके इच्छुक हो सकते हैं उसे स्वीकार कर वह किस तरह क्षुद्र बन जानेकी जोखिम उठाता है।”

लेखक और कहता है—“अगर हम कह सकते हैं कि कुछ खास हालतोमे हमे सडकपर थकनेकी आजादी नहीं है, तो अपनी कामशक्ति, अपने वीर्यको जिस तरह चाहे खर्च करनेका अधिकार, जो उससे अधिक महत्त्वकी वस्तु है, हमे कैसे मिल सकता है? क्या यह शक्ति अखण्डताके विश्वव्यापी विधानके बाहर है? उलटा हर आदमी यह देख सकता है कि उक्त क्रियाके आत्यन्तिक महत्त्वके कारण वैयक्तिक कार्यकी समाजपर होनेवाली प्रतिक्रिया और बढ जाती है। इस नवयुवक और नवयुवतीको देखिये जिन्होंने अभी-अभी वह नाजायज सबध जोडा है जिसका रूप पाठक को ज्ञात है। उन्होने मान लिया है कि इस समझौतेका सबध केवल उन्हीसे है, और किसीसे नहीं। अपनी स्वाधीनताके भ्रममे वे यह मान लेते हैं कि हमारे निजी और गुप्त कार्योंसे समाजको कोई वास्ता-सरोकार नहीं, और वे उसके नियन्त्रणसे विलकुल बाहर हैं। ऐसा सोचना उनकी निरी खामखयाली है। समाजकी जो अखण्डता एक राष्ट्रके लोगोको और उससे भी आगे जाकर सम्पूर्ण मानव-जातिको एक लडीमे पिरोती है उसे सभी तरहकी दीवारो—गयनागारोकी दीवारोका भेदन करनेमे भी कोई कठिनाई नहीं होती। परस्पर-संबधकी एक जवर्दस्त जजीर हमारे निजी माने जानेवाले कार्योंको जिसे समाज-जीवनके विघटनमे वे सहायक हो रहे हैं उसके हजारो कोस दूरके धर्म-कलाओंके साथ भी जोड़ देती है। हर आदमी जो यह कहता है कि—किन्हीके साथ कुछ दिनोंके लिए या गर्भ-धारणका वचाव करने हुए पति-पत्नी संबध स्थापित करनेका अधिकार है, उसे इसकी आजादी है कि प्रकृतिने प्राप्त अपनी जनन-शक्ति—अपने वीर्यका—केवल अपने ध्यानदके लिए उपयोग करे, न चाहे या न चाहे पर वह समाजके अंदर भेद-विलगाव और

विश्रुखलताके बीज बो रहा है । हमारी सभी सामाजिक सस्थाए हमारी स्वार्थपरता और उनके प्रति अपने कर्तव्यके अपालनसे विकृत तो हो ही रही है, वे यह मान लेती हैं कि कामवासनाकी तृप्तिके साथ जो जिम्मेदारी आती है हर आदमी उसे खुशीसे उठा लेगा । इस स्वीकृतिको मानकर ही समाजने श्रम और सपत्ति, मजदूरी और वरासत, कर और सैनिक रूपमे राष्ट्रकी सेवा आदि अगणित व्यवस्थाए बनाई है । पार्लमेण्टके चुनावमे मत देनेका अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताके इस बोझको उठानेमे अपना कधा लगानेसे इनकार करके व्यक्ति सामाजिक समझौतेके मूल तत्त्वपर ही हस्ताल फेरता है, और चूकि वह ऐसा करके दूसरोका बोझ और बढा देता है इसलिए वह दूसरोका शोषण करनेवाले, दूसरोकी कमाईपर जीनेवाले चोर और ठगसे अच्छा कहलानेका अधिकारी नहीं है । हम अपनी और सभी शक्तियोंके समान अपनी शारीरिक शक्तिके सदुपयोगके लिए भी समाजके सामने जवाबदेह है, और चूकि वह निहत्था और वाहरी दबावके साधनसे लगभग विलकुल ही रहित होनेके कारण उस शक्तिको समझदारीके साथ और समाजके भलेका ध्यान रखते हुए काममे लानेका भार हमारे सद्भावको ही सौंप देनेको लाचार है, इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी और बडी मानी जा सकती है ।

लेखक मानसशास्त्रके आधारपर भी अपनी बात उतनी ही जोरसे कहता है । उसका कहना है—“स्वाधीनता ऊपरसे देखनेमे तो राहत या कण्टसे छुटकारा है, पर वास्तवमे वह एक भारी बोझ है । यही उसकी महत्ता भी है । वह हमे बाधती और विवश करती है । जितनी कोशिश करना हर आदमी पर फर्ज है, वह उससे अधिक करनेका आदेश देती है । व्यक्ति स्वाधीन होना चाहता है, अपनी स्वतंत्रताका विकास करके अपने आपको व्यक्त करने, अपनी आकाशाओको कार्यरूप देनेकी इच्छा उसके अतरमे प्रज्वलित है । यह काम देखनेमे तो बहुत सहल और बहुत सीधा जान पडता है । पर पहला ही अनुभव उसे बता देता है कि वह कितना टेटा और पेचीदा है । एकता हमारी प्रकृति और हमारे नैतिक जीवनकी प्रवान विशेषता है । हम अपने अतरमे बहुविध और परस्पर-विरोधिनी

प्रेरणाओका अनुभव करते हैं; उनमेसे हर एकमे हमे अपने-आपका पता होता है। फिर भी हर बात हमे बताती है कि हमे उनमे कुछका ग्रहण और कुछका त्याग करना होगा। युवा पुष्प, तुम कहोगे कि मैं अपनी इच्छाओ, विचारोका जीवन बिताना चाहता हूँ, अपने-आपको व्यक्त करना चाहता हूँ। पर महान् शिक्षक फारेस्टरके शब्दोम हम तुमसे पूछते हैं कि तुम अपने व्यक्तित्वके किस भागको कार्यरूप देना चाहते हो? उसका कौन-सा अंश अच्छा है—जो तुम्हारी मानसशक्तिका केन्द्र है वह या वह जो तुम्हारी प्रकृतिमे सबसे नीचे रहता है, उसका वासनामय भाग? अगर यह बात सच है कि व्यक्ति और समाज दोनोकी प्रगतिका आधार अध्यात्मभावकी उत्तरोत्तर वृद्धि और जड प्रकृतिपर आत्माका पूर्ण प्रभुत्व है तो हमारा चुनाव क्या होगा, यह निश्चित है। पर हर हालमे हममे कर्म-शक्ति तो होनी ही चाहिए, और यह काम आसान नहीं है। इसके जवाबमे शायद तुम कहो कि मुझे चुनाव नहीं करना है—एकको अपनाते दूसरेको छोड़नेके पचड़ेमे नहीं पडना है। मुझे तो अपने जीवनको अखण्ड सत्ताके रूपमे ही उपलब्ध करना है। ठीक है, पर याद रखो, यह निश्चय खुद ही एक चुनाव है। क्योंकि यह मेल विग्रहके बाद बना है। अमर जर्मन कवि गेटेने कहा था 'मरकर जन्मो' और यह शब्द १६०० साल पहले कहे हुए हजरत ईसाके इस वजनकी प्रतिध्वनि मात्र है—'तथास्तु, मैं तुमसे कहता हूँ कि धरतीपर गिरनेवाला गेहूँका दाना जवतक मरता नहीं वह अकेला रहता है। पर वह मरता है तो बहुतसे नए दाने पैदा कर देता है।'

श्री जब्रील मीले लिखते हैं—“हम मर्द बनना चाहते हैं” यह कहना तो बहुत आसान है। पर यह अधिकार कर्तव्य, कठोर कर्तव्य बन जाता है जिसके पालनमे कमोवेश सभी विफल होते हैं। हम आजाद होना चाहते हैं, इसकी घोषणा हम धमकीके लहजेमे करते हैं। आजादीका मतलब अगर यह हो कि हम जो जीमे आये वह करे, अपनी पशु-प्रवृत्तियोंके गुलाम हो जाय, तो यह स्वाधीनता हमारे गर्वकी वस्तु न होनी चाहिए। हा, अगर हम सच्ची स्वाधीनताकी बात कह रहे हो तो हमे कभी समाप्त न होनेवाले संघामके लिए कमर कस लेनी चाहिए। हम अपनी एकता, भीतर-बाहरसे

विलकुल एक होने और स्वाधीनताकी वाते करते हैं और गर्वके साथ मान लेते हैं कि हम ईश्वरके अमर पुत्र हैं। पर दुःख है कि इस आत्माको अगर हम पकडना चाहते हैं तो वह हमारी पकडके बाहर हो जाती है। वह ऐसी असम्बद्ध वस्तुओका समूह बन जाती है जो एक-दूसरेके अस्तित्वको अस्वीकार करती है, वह परस्परविरोधी इच्छाओकी खीचातानीका भूला भूलती रहती है। वह जिस स्वाधीनताके उपभोगका दावा करती है वह गुलामीके सिवा और कुछ नहीं। पर वह उसे गुलामी लगती नहीं, इसलिए वह उसका विरोध नहीं करती।”

स्टडसॉ कहते हैं—“सयम शातिसे भरा हुआ गुण और असयम दुर्जय दोषोको निमंत्रण देनेवाला दुर्गुण। काम-वासनाका जगना यो तो हर समय कष्टका कारण होता है, पर युवावस्थामे तो वह एक मूलगत विकृति, इच्छा-शक्ति और इन्द्रियोके सन्तुलनके सदाके लिए विगड जानेका सकेत हो सकता है। किसी नवयुवकका किसी स्त्रीके साथ प्रथम सम्पर्क उसे जीवनका एक क्षणिक अनुभव-सा जान पडता है, पर वह नहीं जानता कि वह वास्तवमे अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक तीनों जीवनोके साथ खिलवाड कर रहा है। वह नहीं जानता कि यह वासना अब प्रेतकी तरह उसका पीछा करेगी—घर, दफ्तर, जलसा, दावत हर जगह उसको परेशान करेगी, यह दूसरेके मनपर उसकी विजय उसके लिए इन्द्रियोकी जन्मभरकी गुलामी बन जायगी। हम जानते हैं कि कितने खिलते जीवन, कितने ‘होनहार विरवे’ इस भ्रमामे भुलस गये, जिसका आरम्भ उनके पहले नैतिक पतन, ब्रह्मचर्यके प्रथम भंगसे हुआ।”

एक यशस्वी कविकी ये पक्तिया इस दार्शनिकके इस वचनकी प्रति-ध्वनि है—

“मनुष्यकी आत्मा एक गहरा वरतन है। उसमे पडनेवाली बूदे नमल हो तो सारे समुद्रका पानी भी उस धव्वेको धो नहीं सकता।” (भावार्थ)

ग्लामगो विद्यापीठके शरीरशास्त्रके अध्यापक जान जी० एम० कड्रिक की, जो अपने विषयके प्रख्यात पंडित हैं, यह सलाह भी उसकी वैसी ही प्रति-ध्वनि है—“उगती हुई कामवामनाकी तृप्ति अविहित नीति-दोष ही नहीं

है, शरीरकी भयानक क्षति भी है। इस वासनाके आदेशका तुमने एक वार पालन किया कि फिर उसका निरकुश शासन तुम्हारे ऊपर स्थापित हुआ। अपनेको दोषी समझनेवाला तुम्हारा मन उसका हुकम बजानेमें सुख भोगेगा और उसे और बेकही बना देगा। उसकी आज्ञाका प्रत्येक पालन आदतकी जजीरमें एक नई कडी बनता जायगा। बहुतोमें इस वेडीको तोड़नेका बल नहीं होता और वे अपने तन-मनका बुरी-तरह नाश कर डालते हैं। वे अपनी आदतके गुलाम हो जाते हैं, जो आमतौरसे मनकी किसी विकृतिके कारण नहीं बल्कि ज्ञानवश ही लग जाती है।”

इस मतकी पुष्टिमें श्री ब्यूरो डाक्टर एस्कादे की यह उक्ति उद्धृत करते हैं—

“कामवासनाके वारेमें हम जोर देकर कहते हैं कि बुद्धि और सकल्पशक्ति उसे पूरी तरह बसमें रख सकती है। यहा वासना शब्दका ही व्यवहार उचित है, शारीरिक आवश्यकता या हाजतका नहीं, क्योंकि वह शरीरकी ऐसी माग नहीं है जिसकी पूर्ति किये बिना हम जिदा न रह सके। सच तो यह है कि वह हाजत है ही नहीं। पर बहुतेरे उसे हाजत मानते हैं। इस वासना या इच्छाका जो अर्थ वे करते हैं वह उन्हें सहवासको जीवनकी अनिवार्य आवश्यकता माननेको मजबूर करता है। यहाँ हम कामवासनाकी उस तृप्तिका विचार नहीं कर रहे हैं जो प्रकृतिके नियमके सामने सिर झुका देनेका फल होती है, जो हम स्वभावके वश होकर करते हैं। हमारा मतलब तो उस अपनी इच्छासे किये जानेवाले कामसे है जो हमारे सकल्प या मनकी मौन सम्मतिसे किया जाता है, जिसे हम अकसर पहलेसे सोचे हुए होते हैं और उसकी तैयारी भी कर रखते हैं।”

## ६ : आजीवन ब्रह्मचर्य

व्याहके पहले और पीछे भी ब्रह्मचर्य-पालनकी आवश्यकतापर जोर देने और वह न हो सकनेवाला या किसी तरहकी हानि करनेवाला नहीं बल्कि सर्वथा साध्य और मन-देह दोनोके लिए सोलहो आने हितकर कार्य है, इसकी सिद्धिमें सबूतका ढेर लगा देनेके बाद श्री ब्यूरोने एक अध्यायमें नैष्ठिक

या आजीवन ब्रह्मचर्यके मूल्य, महत्त्व और साध्यतापर विचार किया है । उसका पहला पैराग्राफ उद्धृत करने योग्य है—

“इन उद्धारको, काम-वासनाकी गुलामीसे सच्चा छुटकारा दिलाने-वाले इन वीरोकी पहली श्रेणीमे उन युवा पुरुषो और स्त्रियोके नाम लिये जाने चाहिए जो अपना जीवन किसी महत्कार्यमे लगानेके विचारसे आजीवन ब्रह्मचारी रहनेका निश्चय करते और गृहस्थ-जीवनके सुखोका लाभ त्याग देते हैं । उनके निश्चयके कारण परिस्थितिके अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं । कोई बूढ़े अशक्त माता-पिताकी सेवाके लिए यह व्रत लेता है, कोई अपने मातृ-पितृ-हीन भाई-बहनोके लिए मा-बाप बनना चाहता है, किसीको अपने-आपको किसी कला-विज्ञानकी आराधनामे, दीन-दुखियोकी सेवामे अथवा नीति-शिक्षा या धर्म-प्रचारके कार्यमे अपना सारा समय और शक्ति लगानेकी लगन है । इसी तरह इस इच्छाकृत त्यागका मूल्य भी न्यूनाधिक हो सकता है । सुशिक्षा और सदाचारके अभ्यासकी कृपासे कुछका मन ऐसा होता है कि विषय-भोग उसे एक तरहसे ललचा ही नहीं सकते । दूसरोको अपनी वासनाओपर विजय पानेमे अपनी पाशविक प्रवृत्तियोके साथ घोर युद्ध करना पडता है, जिसकी कठोरताका पता केवल उन्हीको होता है । पर अन्तिम निश्चयका स्वरूप सबके लिए एक ही होता है । ये स्त्री और पुरुष यह सोचते हैं कि व्याह न करना ही उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता है, ओर चाहे अपनी अतरात्माके, चाहे ईश्वरके सामने यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम आजन्म अविवाहित रहकर पवित्रताका जीवन वितायेगे । विवाह हमारा कितना ही पक्का असदिग्ध कर्त्तव्य क्यों न हो, हम यह देख सकते हैं कि विगेष परिस्थितियोमे अविवाह-व्रत जायज होता है, क्योंकि वह एक ऊँचे, उदात्त उद्देश्यके लिए लिया जाता है । माइकेल एजेलो<sup>१</sup>को जब व्याहकी सलाह दी गई तो उसने जवाब दिया—‘चित्र-कला ऐसी प्रेमिका है जो किमीकी सौत बनना नहीं सह सकती ।’

---

<sup>१</sup>इटालियन चित्रकार और मूर्तिकार, जिसकी गणना दुनियाके प्रमुख कलाकारोमें है । (१४७५-१५६४ ई०) ।

श्री ब्यूरोने आजीवन ब्रह्मचर्यका व्रत लेनेवालोके जितने वर्ग गिनाये है, अपने यूरोपीय मित्रोमेसे लगभग उन सभी प्रकारके लोगोके अनुभवोसे मैं इस शहादतकी पुष्टि कर सकता हूँ। यह तो केवल हमारे हिंदुस्तानकी ही विशेषता है कि हमे बचपनसे ही अपने ब्याहकी वाते सुननी पडती है। मा-बापके मनमे इसके सिवा न कोई दूसरा विचार है न हौसला कि उनके वच्चोकी भावरे फिर जायँ और वे उनके लिए काफी पैसा या जायदाद छोड जायँ। पहली बात उन्हे समयसे पहले ही तन-मनसे बृढा बना देती है, और दूसरी आलसी और अक्सर परोपजीवी—दूसरेकी मेहनतपर पलनेवाला होनेको प्रेरित करती है। ब्रह्मचर्य और स्वेच्छासे लिये हुए दारिद्र्य-व्रतकी कठिनाइयोको हम बढा-चढाकर दिखाते और उन्हे साधारण-जनकी शक्तिके परेकी बात बताते हैं। कहते हैं कि केवल 'महात्मा' और योगी ही इन व्रतोको निभा सकते हैं और हम ससारियोमे उनके दर्शन कहा। वे यह भूल जाते हैं कि जिस समाजका साधारण जीवन गिरकर बहुत नीचे आ जाता है उसमे सच्चे महात्मा और योगीकी पहचान नही की जा सकती। बुराईकी चाल खरहेकी और भलाईकी कछुएकी होती है। इस न्यायसे पश्चिमकी विलासिता विद्युत्-वेगसे हमारे पास पहुचती है और अपनी बहुरंगी छटासे हमारी आखोमे ऐसी चकाचौध पैदा कर देती है कि हम जीवनकी सचाइया देखनेमे असमर्थ हो जाते हैं। पश्चिमकी शान-शौकतकी जगमगाहट तारोसे प्रतिक्षण, और पश्चिमके मालसे हमारे देशको पाटनेवाले जहाजोसे प्रति-दिन हमारे पास पहुच रही है। उसे देखकर हम सयम-सदाचारसे लज्जित-से होने लगे हैं, और अपनेसे लिये हुए दारिद्र्य-व्रतको अपराध मान लेनेको तैयार हो गए हैं। पर पच्छिमको हम हिंदुस्तानमे जिस रूपमे देखते हैं वह बिलकुल वही चीज नही है। दक्षिण अफ्रीकाके गोरे जैसे मुट्ठी-भर प्रवासी भारतीयोको देखकर सपूर्ण भारतीयोके रहन-सहन और चरित्रका अदाजा लगाते हैं तो हमारे साथ अन्याय करते हैं; वैसे ही पश्चिमसे जो मानव (मनुष्य-रूप) और दूसरी तरहका माल रोज-ब-रोज हमारे यहा पहुच रहा है उसे हम सारे पाश्चात्य जगत्को नापनेका पैमाना बना ले तो हम भी उसके साथ वैसा ही अन्याय करनेके अपराधी होंगे। पश्चिम मे भी पवित्रता

और नीति-बलका एक नन्हा-सा पर कभी न सूखनेवाला सोता है और जिनकी आखे परदेके पार जा सकती हैं, वे धोखा देनेवाले ऊपरी सतहके नीचे उसके दर्शन कर सकते हैं । यूरोपके रेगिस्तानमे हर जगह ऐसे नखलिस्तान, ऐसे हरे-भरे टुकड़े मौजूद हैं जहा जाकर जो चाहे जीवनके स्वच्छतम जलसे अपनी प्यास बुझा सकता है । सैकड़ो स्त्री और पुरुष विना ढोल पीटे, विना किसी शेखी-शानके पूरी नम्रताके साथ आजीवन ब्रह्मचर्य और गरीबीकी जिन्दगी वितानेका व्रत लेते हैं । बहुतेरे किसी प्रियजन या स्वदेशकी सेवाके लिए ही उसे ग्रहण करते हैं ।

आध्यात्मिकताके वारेमे हम अक्सर इस तरहकी वाते किया करते हैं जैसे साधारण व्यावहारिक जीवनसे उसका कुछ लगाव ही न हो और वह हिमालयके बनोमे बसने या उसकी किसी अगम्य गुफामे समाधि लगानेवाले योगियोंके लिए ही सुरक्षित हो । जिस आध्यात्मिक साधनाका हमारी रोजकी जिदगीसे लगाव न हो, जिसका उसपर कुछ असर न पडता हो, वह महज हवाई चीज है । जिन युवको और युवतियोंके लिए 'यग इडिया'मे हर हफ्ते लिखा जाता है उन्हे जान लेना चाहिए कि अगर उन्हे अपने आसपासके वायु-मंडलको शुद्ध और अपनी कमजोरीको दूर करना हो तो ब्रह्मचर्यका पालन करना उनका कर्तव्य है और वह यह भी जान ले कि वह उतना कठिन नहीं है जितना उन्हे बताया गया है ।

श्री व्यूरोकी राय थोड़ी और सुन लीजिए—“समाज-शास्त्र हमारी जीवन-प्रणालीके विकासको ज्यो-ज्यो समझता जा रहा है त्यो-त्यो आजीवन ब्रह्मचर्यसे इन्द्रिय-सयमके महान् कार्यमे मिलनेवाली सहायताके मूल्यका उसे अधिकाधिक ज्ञान होता जाता है ।” विवाह अगर समाजके बहुत बड़े भागके लिए जीवनकी स्वाभाविक स्थिति है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सभी व्याह कर सकते हैं या सबको करना ही चाहिए । जिन असाधारण जीवन-व्यवनायोकी बात हमने अभी-अभी कही है उनको अलग रखिए तो भी अविवाहित रहनेवालोके कम-से-कम तीन वर्ग तो ऐसे हैं जिन्हे व्याह न करनेके लिए कोई दोष नहीं दे सकता—(१) जो लोग—स्त्री-पुरुष—दोनों—अपने पेटके वाधा या पैसैकी कमीके कारण व्याहको आगेके लिए

टाल रखना जरूरी समझते हैं। (२) जो लोग अपने मनका वर-वधू न पा सकनेके कारण न चाहते हुए भी अविवाहित रहनेको मजबूर हैं। (३) जिन लोगोमे कोई ऐसा शारीरिक दोष या रोग होता है जिसके बच्चोको भी होनेका डर हो, और फलतः जिन्हे अविवाहित रहना ही चाहिए बल्कि उसका खयाल भी दिलसे निकाल देना चाहिए।

इन लोगोका यह त्याग उनका अपना सुख और समाजका हित दोनोकी दृष्टिसे आवश्यक है। क्या यह देखकर वह कम क्लेशकर और प्रसन्नता-जनक न हो जायगा कि ऐसे लोगोने भी, जो तन-मनसे पूर्ण स्वस्थ सशक्त हैं और जिनके पास पैसा भी काफी या काफीसे ज्यादा है, आजीवन ब्रह्मचर्य-धारणका व्रत ले लिया है। ये अपनी इच्छा और पसदसे अविवाहित रहने-वाले, जिन्होने अपना जीवन भगवान्, भगवत-भजन और आत्माकी साधना-को समर्पित करनेका सकल्प किया है, कहते हैं कि ब्रह्मचारीका जीवन हमारी निगाहमे जीवनकी हीन नही बल्कि अधिक ऊची अवस्था है, जिसमे मनुष्य अपनी पशु-प्रवृत्ति या सहज प्रेरणापर सकल्पके पूर्ण प्रभुत्वकी घोषणा करता है।

वे और लिखते हैं—“उन नवयुवको और नवयुवतियोको, जो अभी ब्याहकी उम्रको नही पहुँचे हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य यह दिखाता है कि अपनी जवानीको पवित्रतापूर्वक विता देना उनके बूतेके बाहरकी बात नही है; विवाहितोको वह इसकी याद दिलाता है कि उनको दाम्पत्य जीवनके नियमोके अधीन होना चाहिए, और नैतिक उदारता या एक-दूसरेके प्रति सच्चे रहनेके धर्मके आदेशोकी अवहेलना कर किसी स्वार्थ-भावनाकी तृप्तिका यत्न, वह कितनी ही न्याय-सगत क्यों न हो, कदापि न करना चाहिए।”

फोस्टर लिखता है—“ब्रह्मचर्यका व्रत ब्याहका दरजा गिराता नही उलटे वह दाम्पत्य सम्बन्धकी पवित्रताका सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि अपनी प्रकृति या पशु-वृत्तिकी अधीनतासे मनुष्यकी मुक्तिकी वह ठोस शकल है। वासनाओ और विकारोके हमलेके सामने वह कवचका काम करता है। वह ब्याहकी भी इस अर्थमे रक्षा करता है कि विवाहित स्त्री-पुरुषोको वह यह माननेसे रोकता है कि पति-पत्नीके रूपमे हम

दुर्ज्ञेय प्राकृतिक प्रेरणाओके गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम स्वाधीन मनुष्यकी तरह उनसे लोहा ले और उनपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग आजीवन ब्रह्मचर्यको अस्वाभाविक या अनहोनी बात बताकर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं वे जानते नहीं कि वे वास्तवमें क्या कर रहे हैं। वह यह नहीं देख पाते कि जो विचार-धारा उन्हें ब्रह्मचर्यका मजाक उड़ानेको प्रेरित कर रही है वह उन्हें व्यभिचार और बहुपत्नीत्व या बहुपतित्वके गढेमें गिराकर रहेगी। प्रकृतिके आदेशका पालन अगर अनिवार्य है, उसकी उपेक्षा मनुष्यके बूतेके बाहरकी बात है, तो विवाहित स्त्री-पुरुषोंसे सदाचारयुक्त जीवनकी आगा कैसे रखी जा सकती है? वे यह भी भूल जाते हैं कि वैसे व्याहोकी सस्या कितनी बड़ी होती है जिनमें पति-पत्नीमेंसे किसी एकको दूसरेके रोग या दूसरे प्रकारकी असमर्थताके कारण महीनो, बरसो या आजीवन सच्चे ब्रह्मचर्यका पालन करना पड़ता है। अकेले एक इसी कारणसे सच्चे एक-पत्नी-व्रत या एक-पति-व्रतको हम ब्रह्मचर्यके बराबर ही दर्जा देते हैं।”

## ७ : विवाह धार्मिक संस्कार है

आजीवन ब्रह्मचर्यके अध्यायके बाद कई अध्यायोंमें विवाहके धर्मरूप और अविच्छेद्य होनेपर विचार किया गया है। श्री व्यूरो यद्यपि नैष्ठिक ब्रह्मचर्यको सर्वश्रेष्ठ जीवन मानते हैं, पर साधारण जनके लिए उसका पालन शक्य नहीं, अतः ऐसे लोगोंके लिए विवाहको धर्मरूप मानना होगा। उन्होंने दिखाया है कि व्याहका उद्देश्य और मर्यादा ठीक तौरसे समझ ली जाय तो गर्भ-निरोधके साधनोंका समर्थन किया ही नहीं जा सकता। आज जो समाजमें सर्वत्र नैतिक अराजकताका राज दिखाई दे रहा है वह दूषित नीति-शिक्षाकी ही देन है। व्याहका मजाक उड़ानेवाले 'प्रगतिशील' लेखकोंके विचारोंकी समीक्षा करनेके बाद वह लिखते हैं—“इन नीति-शिक्षक बनने-वालों और लेखकोंमें बहुतेरे नीति-ज्ञानसे विलकुल कोरे और कुछ साहित्य-सेवाकी सच्ची भावनासे भी रहित हैं। इसे आनेवाली पीढ़ियोंका सौभाग्य समझना चाहिए कि इनकी यह राय हमारे समयके सच्चे मानस-शास्त्रियों

और समाज-शास्त्रियोंका मत नहीं है। अखबार, कहानी, उपन्यास और नाटक-सिनेमाकी शोर-शराबे वाली दुनिया और उस जगत्का, जहाँ विचारोंका उत्पादन और हमारे मानस और सामाजिक जीवनके गूढ तत्त्वोंका सूक्ष्म अध्ययन होता है, बिलगाव जितना पक्का और पूरा यहाँ दिखाई देता है उतना और कहीं नहीं है।”

श्री ब्यूरो स्वच्छन्द प्रेमकी दलीलको अस्वीकार करते हैं। मोदेस्ताँकी तरह वह भी मानते हैं कि “विवाह स्त्री और पुरुषका मिलकर एक हो जाना, सारी जिन्दगीका साथ, और दिव्य तथा मानव न्याय्य अधिकारोंकी साभेदारी है। वह ‘महज कानूनी इकरार’ नहीं बल्कि एक ‘संस्कार’, एक धार्मिक कर्तव्य है। उसने “गोरिल्लाको सीधा खडा होना सिखाया है—बनमानसको मनुष्य बनाया है।” यह सोचना भारी भ्रम है कि विधिवत् विवाहित स्त्री-पुरुषके लिए सबकुछ जायज है। और पति-पत्नी सन्तानों-त्पादन-विषयक नैतिक सयमका पालन करते हो तो भी उनका मैथुनके अपनेको रुचनेवाले अन्य उपायोंको अपनाना नाजायज है। यह रोक खुद उनके हितके लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी समाजके हितके लिए, जिसका पोषण और वर्धन ही उनके पति-पत्नी बननेका उद्देश्य होता चाहिए। उनका कहना है कि ब्याह काम-वासनाको जिस कडे बधनमे बाधता है उसको व्यर्थ करनेके जो नित नये रास्ते निकल रहे हैं वे शुद्ध प्रेमके लिए भारी खतरा है। इस खतरेको दूर करनेका उपाय केवल यही है कि हम काम-वासनाकी तृप्ति उस हृदके अदर ही रहकर करनेकी सावधानी रखे, जो खुद ब्याहके उद्देश्यने ही बाध दी है।

सन्त फ्रांसिस कहते हैं—“उग्र औषधका व्यवहार हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर वह जरूरतसे ज्यादा खा ली गई या ठीक तौरसे न बनी तो उससे भारी अपकार होता है। ब्याह कामुकताकी दवा बताया जाता है और निस्सन्देह वह उसकी बहुत बढिया दवा है, पर साथ ही बहुत तेज काम करनेवाली दवा है, इसलिए सम्हालकर काममे न लाई गई तो बहुत खतरनाक भी होती है।”

श्री ब्यूरो इस मतका खण्डन करते हैं कि व्यक्तिको इसकी स्वतन्त्रता

है कि जब चाहे विवाह-बन्धनमे बंधे या उसे तोड़ फेके, या उसकी जिम्मेदारिया न उठाते हुए मनमाना विषय-सुख भोगे । वह एक-पत्नी-व्रतपर जोर देते हैं और कहते हैं—

“यह कहना गलत है कि व्यक्ति व्याह करने या उसकी स्वार्थवृद्धि कहे तो अविवाहित रहनेको स्वतन्त्र है । यह बात तो और भी गलत है कि यथाविधि-विवाहित स्त्री-पुरुष, आपसकी रजामन्दीसे, जब चाहे अपना विवाह-बन्धन तोड़ सकते हैं । एक-दूसरेको चुनते समय वे स्वतन्त्र थे और उनपर फर्ज है कि पूरी जानकारी और अच्छी तरह सोच-विचार कर लेनेके बाद ही यह चुनाव करे, तथा उसी आदमीको अपना जीवन-सगी बनाये जिसके विषयमे उन्हें विश्वास हो कि जिस नये जीवनमे वे प्रवेश करने जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारियोंका बोझ वे उसके साथ उठा सकेंगे । पर ज्यो ही सस्कार और व्यवहार-रूपमे विवाह सम्पन्न हुआ, पति-पत्नी शारीरिक अर्थमे पति-पत्नी बने कि उनका काम उन दो आदमियोंकी बीचकी ही बात नही रह जाता, उसका असर सब ओर बहुत दूर-दूर तक पडने लगता है, और उससे ऐसे परिणाम होने लगते हैं जिनका पहलेसे अनुमान करना कठिन है । हो सकता है कि ये नतीजे इस अराजक व्यक्तिवादके युगमे खुद पति-पत्नीके ध्यानमे न आये, पर ज्यो ही गार्हस्थ्य-जीवनकी स्थिरताको धक्का लगा, ज्यो ही व्याह एकनिष्ठ दाम्पत्य जीवनके हितकर समयके बदले चंचल काम-वासनाकी तृप्तिका साधन बना, त्यो ही सारे समाजको जो घोर कष्ट मिलने लगता है वह उन परिणामोके महत्त्वका यथेष्ट प्रमाण है । जो आदमी इन व्यापक परिणामो और इस सूक्ष्म सम्बन्ध-जालको समझता है उसके लिए इस जानका कुछ अधिक महत्त्व नही कि चूँकि मनुष्यके बनाये सारे धर्म-विधान विकासके विश्व-व्यापी नियमके अधीन है इसलिए औरोकी तरह विवाह-व्यवस्थामे भी आवश्यक परिवर्तन होना ही चाहिए । कारण, यह कि यह बात शका, सन्देहसे परे है कि इस दिशामे हमारा प्रगतिका रूप केवल यही हो सकता है कि व्याहका बन्धन और कडा हो जाय । आज विवाहके जन्मभरका बन्धन होने, कभी तोड़े न जा सकनेपर जो हमले किये जा रहे हैं और पति-पत्नीको आपसका रजामन्दीसे चाहे जब तलाक देनेका

अधिकार मिलनेकी मागकी जा रही है उससे इस बन्धनका समाजके हितके लिए आवश्यक होना और अधिक स्पष्ट हो जायगा । और ज्यो-ज्यो दिन बीतेगे यह स्पष्ट होता जायगा कि यह नियम जो सदियों तक, जब समाज उसके सामाजिक मूल्यको पहचान न सकता था, धर्मका एक अनुशासन-मात्र बना रहा, व्यक्तिके लिए भी उतना ही हितकर है जितना समाजके लिए ।

“विवाह-बन्धनके अटूट होनेका नियम हमारा श्रृंगार, बडप्पनका दिखावामात्र, नहीं है, वह वैयक्तिक और सामाजिक जीवनके सबसे नाजुक पुरजोके साथ जुडा हुआ है । और चूकि लोग क्रम-विकासकी बाते किया करते हैं, उन्हे यह सोचना चाहिए कि मानव-जातिकी यह अनन्त प्रगति, जिसे सभी इष्ट मानते हैं, किस बातपर अवलंबित है ।

“फोर्स्टर लिखता है—अपनी जिम्मेदारियोंका खयाल बढना, व्यक्तिको अपनेसे नियम-बधनमे बधनेकी शिक्षा मिलना, धैर्य और उदारताकी वृद्धि, स्वार्थ-भावनाका अकुशमे रहना, क्षणिक विकारो-वासनाओके उपद्रवसे रागात्मक जीवनकी रक्षा होना—ये सभी ऐसी बाते हैं जिन्हे हम उच्च सामाजिक सस्कृतिके लिए सदा अनिवार्य और इस कारण आर्थिक परिस्थितिमे भारी उलट-फेर होनेसे होनेवाली गडवडोका असर उनपर न पडने देना अपना कर्तव्य मान सकते हैं । सच तो यह है कि आर्थिक प्रगति समाजकी सामान्य प्रगतिकी अनुगामिनी होती है, इसलिए कि आर्थिक सुरक्षा और सफलता अन्तमे हमारे सामाजिक सहयोगकी सच्चाई पर ही अवलंबित होती है । जो आर्थिक परिवर्तन इन बुनियादी शर्तोंकी उपेक्षा करता है वह अपनी जड अपने ही हाथो काट देता है । अतः अगर हमे काम-सम्बन्धकी विभिन्न रीतियोंके गुण-दोषका नैतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियोंसे विचार करना है, तो हमे यह देखना होगा कि उसकी कौन-सी रीति, इस प्रकार सम्पूर्ण सामाजिक जीवनके पोषण और दृढीकरणके लिए सर्वोत्तम है । कौन जीवनकी भिन्न-भिन्न मजिलोमे व्यक्तिके अन्दर अपने दायित्वका अधिक-से-अधिक ज्ञान और आत्म-त्यागका भाव उत्पन्न कर सकता है, उसकी असयत स्वार्थ-परता और चंचल भोग-वासनापर कडा-से-कडा अकुश रख सकता है ? इन प्रश्नोका उत्तर ही इस विचारमे निर्णायक होगा ।

प्रश्नपर इस दृष्टिसे विचार किया जाय तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि एकनिष्ठ विवाह, एक ही स्त्रीको पत्नी और एक ही पुरुषको पति-रूपमें स्वीकार करनेका नियम हर अधिक उन्नत सम्यताका स्थायी अंग होना ही चाहिए, क्योंकि समाजके हित और व्यक्तिको सयमकी शिक्षा देनेकी दृष्टिसे वह बहुत ही मूल्यवान् है। सच्ची प्रगति विवाह-वधनकी गाठको ढीली करनेके बजाय और कड़ी कर देगी। कुटुम्ब मनुष्यके अपने-आपमें सामाजिक जीवनकी योग्यता उत्पन्न करनेके सारे प्रयत्नका, अर्थात् जिम्मेदारी, सहानुभूति, मनोनिग्रह, एक-दूसरेके प्रति सहिष्णुता रखने और एक-दूसरेको शिक्षा देनेकी सारी तैयारीका केन्द्र है। वह इस आसनपर इसलिए विराज रहा है कि वह हमारे जीवनमें सदा बना रहता है, उसके साथ हमारा सम्बन्ध अविच्छेद्य है, अटूट है और इस स्थायित्वके कारण साधारण कुटुम्ब-जीवन और व्यवस्थाओंकी वनिस्वत अधिक गहराई वाला, अधिक स्थिर और मनुष्य-मनुष्यके परस्पर व्यवहारके लिए अधिक उपयुक्त है। एकनिष्ठ विवाहको हम मनुष्यके सारे सामाजिक जीवनका हृदयरूप कहे तो अनुचित न होगा।”

आगस्त कातेके कथनानुसार—“हमारा चित्त इतना चंचल है कि हमारी छन-छनमें बदलनेवाली वासनाओंको अकुशमें रखनेके लिए समाजको हस्तक्षेप करना ही होगा। नहीं तो वे मनुष्यके जीवनको निकम्मे और निरर्थक अनुभवोंकी शृंखला-मात्र बना देगी।”

डाक्टर त्लूज लिखते हैं—“यह भ्रम बहुतेरे स्त्री-पुरुषोंके दाम्पत्य जीवनको दुःखमय बना देता है कि काम-वासना दुर्दम प्रवृत्ति है जिसकी तृप्ति जैसे भी बने करनी ही होगी। पर मनुष्य-स्वभावकी विशेषता यही है और उसके विकासका प्रकट उद्देग्य भी यही मालूम होता है कि अपनी प्रकृतिकी मांगों, अपनी हाजतोंकी हुकूमतसे दिन-दिन अधिक स्वतन्त्र होता जाय। वच्चा अपनी स्थूल आवश्यकताओंको रोकना, दवाना सीखता है, वय प्राप्त स्त्री-पुरुष अपने मनोविकारोंपर विजय प्राप्त करना। सुशिक्षाकी यह योजना कोरी कल्पनाकी उडान या व्यावहारिक जीवनके बाहरकी बात नहीं है। हमारी प्रकृतिकी वनावट यही कहती है कि हम अपने सकल्प

या इच्छा-शक्तिके ही अधीन रहे—जो करना चाहे वही करे । जिसे हम 'मिजाज' या स्वभाव कहा करते हैं वह आम तौरसे महज हमारी कमजोरी होता है । जो आदमी सचमुच बलवान है वह जानता है कि कब और कैसे अपनी शक्तियोंसे काम लेना होता है ।”

## ८ : उपसंहार

अब इस लेख-मालाको समाप्त करना चाहिए । श्री व्यूरोने मालथस'के सिद्धान्तकी जो समीक्षा की है उसका अनुसरण हमारे लिए आवश्यक नहीं है । मालथसने इस सिद्धांतका प्रतिपादन कर अपने जमानेके लोगोको चौंका दिया था कि दुनियाकी आवादी हृदसे ज्यादा हो रही है और मानव-बगको लुप्त होनेसे बचाना ही तो हमें जरूरतसे ज्यादा बच्चे पैदा करना बंद करना होगा । फिर भी उसने इन्द्रिय-सयमका समर्थन किया था । पर उसके सिद्धांतके नए अनुयायी कहते हैं कि अपनी वासनाओसे लडना बेकार बल्कि हानिकारक है । हमें ऐरो रासायनिक द्रव्यो और आलोसे काम लेना चाहिए जिससे हम उनकी तृप्ति तो करते रहे पर उसके नतीजोसे बच जाय । श्री व्यूरो आवश्यकतासे अधिक बच्चे पैदा न करनेके सिद्धांतको स्वीकार करते हैं, पर वह कहते हैं कि यह काम इन्द्रिय-सयमके सहारे किया जाय, ओर जैसा कि हम देख चुके हैं, दवाओ, यन्त्रो, आलोके उपयोगका जोरोसे विरोध करते हैं । इस समीक्षाके बाद उन्होने धर्मिक वर्गो, मेहनत-मजदूरी करने-वालोंकी दशा और उनमें बच्चोके जन्मके अनुपात पर विचार किया है और अन्तमें उन साधनोंकी समीक्षा की है जिनसे व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और मनुष्यताके नामपर आज जो भयानक अनीति फैल रही है उनकी रोक-थाम हो सकती है । उन्होने लोकननको ठीक रास्ता दिखाने और उसपर चलनेके लिए नष्टित प्रयत्न होने और इसमें राज्यके दबल देने—वातनसे लागूगता देनेकी भी सलाह दी है । पर अन्तमें यही कहा है कि जन-समाजमें धर्म-भायका जगना ही इन रोगका अच्छा दवाज है । नीति-नाशकी बाढ

मामूली उपायोसे नही रोकी जा सकती, खासकर उस दशामे जब व्यभिचार, सद्गुण और सदाचार हमारे मनकी दुर्बलता, अध-विश्वास या असदाचार भी बनाया जाने लगा हो। कृत्रिम साधनोसे गर्भ-निरोधके कितने ही समर्थक निस्सदेह सयमको अनावश्यक बल्कि हानिकारक भी बताते हैं। ऐसी अवस्थागे धर्मकी सहायता ही जायज मान लिये गए पापको रोकनेमे समर्थ हो सकती है। धर्मको यहा सकीर्ण साम्प्रदायिक अर्थमे न लेना चाहिए। सच्चा धर्म व्यष्टि और समष्टि दोनोके जीवनमे जितनी उथल-पुथल मचाता है उतना और कोई चीज नही मचा सकता। धर्म भावके जागनेका अर्थ व्यक्तिके जीवनमे क्रान्ति होना, उसका रूप बदल जाना, उसे नया जीवन मिलना होता है। ओर कोई ऐसी महाशक्ति ही फ्रासको विनाशके उस गढेमे गिरनेसे बचा सकती है जिसकी ओर श्री व्यूरोकी रायमे वह अग्रसर हो रहा है।

पर अब हमे श्री व्यूरो ओर उनकी पुस्तकसे छुट्टी लेनी ही होगी। फ्रासकी स्थिति हिन्दुस्तानकी तरह नही है, हमारी समस्या बहुत कुछ भिन्न है। गर्भ-निरोधके साधनोका उपयोग अभी यहा देश-व्यापी नही बना है। यह बुराई अभी अकेले शिक्षित-वर्गमे प्रविष्ट हुई है और उसे भी छू भर पाई है। भारतमे उनका व्यवहार होनेके लिए मेरी समझसे एक भी कारण नही बताया जा सकता। मध्यम-वर्गके दम्पति क्या सचमुच बच्चोकी वाढसे परेशान है? कुछ व्यक्तियोके उदाहरण यह साबित करनेके लिए काफी नही हो सकते कि मध्यवित्त वर्गमे जरूरतसे बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहा तो मैं देखता हू कि विधवाओ और बालबधुओके लिए ही इन साधनोके उपयोगकी आवश्यकता बताई जाती है। इस प्रकार विधवाओके विषयमे तो उनका गुप्त सहवास नही, बल्कि अवैध सन्तानकी उत्पत्ति रोकना हमे अभीष्ट है और बाल बधुओके मामलेमे कोमल वयकी बालिकापर बलात्कार होना नही, बल्कि उसे गर्भ रह जाना ही वह चीज है जिससे हम डरते हैं। इसके वाद रह जाते हैं रोगी, दुर्बल, पुरुषोचित गुणोसे रहित युवक, जो चाहते हैं कि अपनी पत्नी या पराई स्त्रीके साथ शक्ति-भर विषय-भोग करते रहे, पर इन पाप-कर्मके परिणाम उन्हें न भुगतने पडे।

उनसे मैं यह कहनेका साहस कर सकता हूं कि भारतीय जनताके इस महा-समुद्रमे ऐसे स्त्री-पुरुष डूबे-गिने ही निकलेगे, जो बल-वीर्य सम्पन्न होते हुए भी चाहते हैं कि हम सहवासका मुख तो ले पर बच्चोका बोझ उठानेसे बच जाय। अपने उदाहरणोका ढिढोरा पीटकर उन्हें इस क्रियाकी आवश्यकता सिद्ध करनेका यत्न और उसकी वकालत न करनी चाहिए, जिसका व्यापक प्रचार इस देशमे हुआ तो यहा के युवक वर्गका सर्वनाश होना निश्चित है। अति कृत्रिम शिक्षा-प्रणालीने हमारे युवकोको शरीर और मनके बलसे यो ही वंचित कर रखा है, हममेसे बहुतेरे बचपनमे व्याहे हुए मा-बापकी सतान है। स्वास्थ्य और शौचके नियमोकी उपेक्षाने हमारे शरीरको घुन लगा दिया है। हमारी गलत, पोषक तत्त्वोसे रहित और उत्तेजक मसालोसे भरी खूराकने हमारी पाचन-शक्तिका दिवाला निकाल दिया है। अत हमे गर्भ-निरोधके माधनोसे काम लेनेकी शिक्षा और अपनी पशु-वृत्तिकी तृप्तिमे सहायताकी आवश्यकता नहीं है। बल्कि उस वासनाको वशमे करने और कुछ लोगोको जिन्दगी-भरके लिए ब्रह्मचर्य-व्रत ले लेनेकी शिक्षा लगातार मिलते रहनेकी आवश्यकता है। उपदेग और उदाहरण दोनोसे हमे यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य सर्वथा बलने लायक, और अगर हमे तन-मनसे अवमरा बनकर नहीं जीना है तो अत्यावश्यक व्रत है। यह बात पुकार-पुकारकर हमारे कानांमे डाली जानी चाहिए कि अगर हमे वानोकी जाति नहीं बनना है तो जो प्राण-शक्ति हमारे पास बच रही है और जिसे हम नित्य नाश कर रहे हैं उनका नश्य करना और उसे बढानेका यत्न करना होगा। हमारी युवती विधवाओको गुप्त व्यभिचारकी शिक्षाकी नहीं, बल्कि इन उपदेगकी आवश्यकता है कि मातृके माय सामने आकर नमाजमे पुनर्विवाहकी माग करे, जिनका उन्हे भी उतना ही अधिकार है जितना विधुर युवकोको। हमे ऐसा लोचन बनाना है जिनमे अवोध, अवय-प्राप्त बच्चोका व्याह नार्थकिय हो जाय। हमारे विचार-नक्षत्रकी अस्थिरता, हमारा बडी शैली-शरीरकामर तम बालेमे भगना, हमारे शरीरका बडी और ज्यादातर शैलीके उपयोग होना, बडी जानने शुरू किये गए हमारे कामोका बैठ जानना, गर्भ-नाश होनेकी शक्तिका अभाव यह सब हमारे यहा काम हो

रहा है, और इनका प्रधान कारण अत्यधिक वीर्य-नाश ही है। मैं आशा करता हूँ कि नवयुवक अपने मनको यह भुलावा न देंगे कि बच्चे न जनमे तो सभोगसे कोई हानि नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं आती। सच यह है कि गर्भ-स्थिति पर अस्वाभाविक रोक लगाकर किया जानेवाला सभोग उस सभोगसे कहीं अधिक शक्तिका क्षय करता है, जो उस कामकी जिम्मेदारी पूरी तरह समझते हुए किया जाय।

**“मन एव मनुष्याणां कारण बंधमोक्षयोः”**

हमारा मन यह मान ले कि काम-वासनाकी तृप्ति करनेमें कोई हानि और पाप नहीं है तो हम उसकी लगाम ढीली कर देना पसन्द करेंगे और फिर उसको रोकनेकी शक्ति ही हममें न रह जायगी। पर अगर हम अपने-आपको यह समझाये कि इस प्रकारका विषय-भोग हानिकर, पापमय और अनावश्यक है और उसकी इच्छा दवाई जा सकती है, तो हमें मालूम होगा कि अपने मन-इन्द्रियोको कावृमे रखना सर्वथा शक्य बात है। नई सचाई और तथोक्त मानव स्वाधीनताके वहाने मदमत्त पश्चिमी स्वच्छन्द कामुकताकी जो कड़ी शरावके करावे हमारे सामने लाकर धर रहा है उससे हमें होशियार रहना चाहिए। उलटा अपने पुरखोका प्राचीन ज्ञान अब हमारे लिए बेकार हो गया हो तो पश्चिमकी उस शात-गम्भीर वाणीको ही सुने जो वहाके ज्ञानीजनोके बहुमूल्य अनुभवोसे छनकर जब-तब हमतक पहुँच जाया करती है।

चार्ली<sup>१</sup> एड्जने श्री विलियम लाफ्ट्स हेयरका एक ज्ञान-गर्भ लेख मेरे पाम भेजा है जो ‘ओपेन कोर्ट’ नामक मासिक पत्रके मार्च १९२६ के अंकमें प्रकाशित हुआ था। लेखका विषय ‘जनन और पुनर्जनन’ है और वह तर्क-युक्तियोसे पूर्णपोषित शास्त्रीय लेख है। लेखकने दिखाया है कि सभी सप्राण पिण्डो, सभी प्राणियोकी देहोमें दो तरहकी क्रियाएँ सदा होती रहती हैं—शरीरको बनानेके लिए भीतरी उत्पादन और वश-रक्षाके लिए बाह्य उत्पादन। पहली

<sup>१</sup>स्वर्गीय श्री सी० एफ० एड्ज

क्रियाको वह पुनर्जनन (रीजेनरेशन) और पिछलीको जनन (जेन-रेशन) कहता है। “पुनर्जननकी क्रिया—भीतरी उत्पादन व्यक्ति-जीवनका आधार है, इसलिए आत्यावश्यक और मुख्य कार्य है। जनन-क्रिया कोषोके आधिक्यका परिणाम है, इसलिए गौण कार्य है। . . . जीवनका नियम है कि पहले पुनर्जननके लिए बीज-कोषोका पोषण किया जाय, फिर जननके लिए। पोषणकी कमी हो तो पुनर्जननकी क्रिया पहले होगी और जननका काम वन्द रखा जायगा। इससे हम जान सकते हैं कि जनन क्रियाके विरामकी जड़ कहा है और वह कहासे चलकर हमारे ब्रह्मचर्य और तपस्याके जीवन तक पहुँची है। आन्तरिक उत्पादनकी क्रिया कभी वन्द रह ही नहीं सकती, उसके वन्द रहनेका अर्थ मृत्यु होगा। यह सूत्र हमें बताता है कि “मृत्यु अपने स्वाभाविक रूपमें क्या चीज है।” पुनर्जनन क्रियाकी शास्त्रीय विवेचनाके बाद श्री हेयर कहते हैं—“सभ्य समाजमें स्त्री-पुरुषका संयोग अगली पीढ़ीको पैदा करनेकी आवश्यकतासे कहीं अधिक होता है। इससे आन्तरिक पुनर्जनन-शरीरके पोषणकी क्रियामें बाधा पड़ती है और इसका फल रोग, मृत्यु और दूसरी खराबियाँ होती हैं।”

जिस आदमीको हिन्दू दर्शनका थोड़ा भी परिचय होगा उसे श्री हेयरके निबन्धके इस पैराग्राफका भाव समझानेमें कठिनाई न होगी—

“पुनर्जनन यात्रिक क्रिया—वेजान कलके पुरजोका हिलना न है और न हो सकता है। वह तो जीव-सृष्टिमें कोषके प्रथम विभाजनकी तरह प्राण या जीवनका अस्तित्व बतानेवाला व्यापार है। अर्थात् वह कतमिं बुद्धि और सकल्पकी शक्ति होनेकी सूचना देता है। प्राण-तत्त्वका विभाजन और विलगाव—उसका विशिष्ट कार्योंकी योग्यता प्राप्त करना—शुद्ध यात्रिक क्रिया है, यह बात तो सोची भी नहीं जा सकती। इसमें सन्देह नहीं कि जीवनकी ये मूलभूत क्रियाएँ हमारी वर्तमान चेतनासे इतनी दूर जा पड़ी हैं कि कोई बुद्धिकृत या सहज सकल्प उनका नियमन करता है, यह नहीं जान पड़ता। पर क्षण भरके विचारसे ही यह बात स्पष्ट हो जायगी कि पूरी घाटको पहुँचे हुए मनुष्यका सकल्प जिस तरह उसकी बाह्य चेष्टाओं और क्रियाओंका संचालन, बुद्धिके निर्देशानुसार करता है, वैसे ही यह भी मानना

होगा कि आरम्भमें होनेवाली शरीरके क्रमिक संघटनकी क्रियाएँ भी, अपनी परिस्थितिकी सीमाओंके अंदर, एक प्रकारकी बुद्धिकी रहनुमाईमें काम करनेवाली एक प्रकारकी इच्छा-शक्ति या सकल्पके द्वारा परिचालित होती हैं। इस बुद्धिको मानस शास्त्रके पंडित अचेतन मन या अन्तर-चेतना कहने लगे हैं। यह हमारी व्यष्टि-सत्ता, हमारे आत्माका ही एक अंग है जो हमारे साधारण चिन्तनसे लगाव न रखते हुए भी अपने निजके कर्तव्योंके विषयमें अतिगंभीर जागरूक और सावधान रहता है। हमारी बाह्य चेतना सुपुष्टि, वेहोगी आदिमें सो जाती है, पर यह कभी एक क्षणके लिए भी आंखें नहीं मूंदती।”

केवल वासना-तृप्तिके लिए किये जानेवाले सभोगसे हमारी सत्ताके अचेतन और अधिक स्थायी अंगकी जो लगभग अपूरणीय हानि हो रही है उसकी माप-तौल कौन कर सकता है? पुनर्जननका फल मरण है। “मैथुन पुरुषके लिए मूलतः क्षयकी क्रिया—मृत्युकी ओर प्रगति है, और प्रसव स्त्रीके लिए।” इसीलिए लेखकका कहना है कि “पूर्ण ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य-सदृश समयके पालनका पुरस्कार बलवीर्य और आरोग्य होता है।” “बीजकोषको शरीर-पोषणके कार्यसे हटाकर सन्तानोत्पादन या केवल वासना-तृप्तिके लिए व्यय करना शरीरके अवयवोंको उस पूँजीसे वंचित कर देता है जिसमें वे अपनी रोजकी छीजन पूरी कर सकते हैं। फलतः कुछ दिनोंमें वे अशक्त हो जाते हैं।” “ये शारीरिक तथ्य ही व्यक्तिके काम-समयका आधार हैं, जो हमें वासनाके पूर्ण दमनकी नहीं तो उसकी समयत तृप्तिकी शिक्षा अवश्य देते हैं—कम-से-कम इतना तो बता ही देते हैं कि समयका मूल कहा है।

लेखक यत्रो और दवाओंकी सहायतासे गर्भ-निरोधका विरोधी है यह तो हम समझ ही सकते हैं। उसका कहना है—“इससे अपनी वासनाको दवानेके लिए कोई बुद्धिसंगत हेतु नहीं रह जाता, और यह पति-पत्नीके लिए ज्वलन्त भोगेच्छा निर्बल नहीं हो जाती या बुढ़ापा नहीं आ जाता, तबतक वीर्य-नाश करने रहनेका दरवाजा खोल देता है। इसके सिवा इनका द्वारा अमर वैवाहिक मवधके बाहर भी पड़े बिना नहीं रहता। यह

अनियमित, अवैध और अफलजनक सतानरहित सम्बन्धका रास्ता खोल देता है, जो आधुनिक उद्योग-नीति, समाजशास्त्र और राजनीतिकी दृष्टिसे खतरसे भरी हुई बात है। पर यहाँ मैं उन हानियोकी चर्चा नहीं कर सकता। इतना ही कहना काफी होगा कि गर्भ-निरोधके साधनोके उपभोगसे विवाहित या अविवाहित दोनो दशाओमे काम-त्रासनाकी असयत तृप्तिका सुभीता हो जाता है और गरीर-शास्त्रकी जो दलीले मैंने ऊपर दी है वे ठीक हो तो इससे व्यक्ति और समाज दोनोकी हानि होनी ही चाहिए।

श्री व्यूरोनें जिस वाक्यसे अपनी पुस्तक समाप्त की है, वह इस योग्य है कि हर एक भारतीय युवक उसे अपने हृदयकी पटियापर लिख ले—

“भविष्य उन्ही राष्ट्रोंका है जो सदाचारी हैं।”

## एकान्तकी बात

ब्रह्मचर्य-पालनके विषयमे तरह-तरहके प्रश्न करनेवाले इतने पत्र मेरे पास आते हैं और इस विषयमे मेरे विचार इतने पक्के हैं कि अपने अनुभवके फल पाठकोके सामने न रखना उचित न होगा, खासकर राष्ट्रके जीवनकी इस अति नाजुक घडीमे ।

ब्रह्मचर्य सस्कृत भाषाका शब्द है जिसका अर्थ उसके अंग्रेजी पर्याय 'सेलिवेसी' (अविवाह-व्रत)से अधिक व्यापक है । ब्रह्मचर्यके मानी है सम्पूर्ण इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार । पूर्ण ब्रह्मचारीके लिए कुछ भी अशक्य नहीं । पर यह आदर्श स्थिति है जिस तक विरले ही पहुँच पाते हैं । इसे ज्यामितिकी रेखा कह सकते हैं, जिसका अस्तित्व केवल कल्पनामे होता है, दृश्य रूपमे कभी खीची ही नहीं जा सकती । फिर भी रेखा-गणितकी यह एक महत्त्वपूर्ण परिभाषा है जिससे बड़े-बड़े नतीजे निकलते हैं । इसी तरह, हो सकता है, पूर्ण ब्रह्मचारी भी केवल कल्पना-जगत्मे ही मिल सकता हो । फिर भी अगर हम इस आदर्शको सदा अपने मानस-नेत्रोके सामने न रखे तो हमारी दशा विना पतवारकी नाव-जैसी हो जायगी । ज्यो-ज्यो हम इस काल्पनिक स्थितिके पास पहुँचेगे, त्यो-त्यो अधिकाधिक पूर्णता प्राप्त करते जायगे ।

पर तत्काल मैं वीर्य-रक्षाके सकुचित अर्थमे ही ब्रह्मचर्यपर विचार करना चाहता हूँ । मैं मानता हूँ कि आध्यात्मिक पूर्णताकी प्राप्तिके लिए मन, वाणी और कर्म सबमे पूर्ण सयमका पालन आवश्यक है और जिस राष्ट्रमे ऐसे स्त्री-पुरुष न हो वह रक है, पर तत्काल मेरा प्रयोजन इतना ही है कि हमारा राष्ट्र इस समय विकासकी जिस मजिलसे गुजर रहा है उसमे ब्रह्मचर्यको एक अल्पकालिक आवश्यकता सिद्ध करूँ ।

रोग, अकाल और कगालीमे हमारा हिस्सा औरसे बड़ा है, हमारे लाखो भाइयोको तो रोज भूखे पेट ही सोना पडता है। गुलामोंकी चक्कीमे हम ऐसे कौशलके साथ पीसे जा रहे हैं कि बहुतोको तो पिसनेका पता तक नहीं चलता। यद्यपि आर्थिक, मानसिक और नैतिक शोषणका तिहरा क्षय हमें खा रहा है, फिर भी हम यही मानते हैं कि हम आजादीकी राहमे बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिन-दिन बढ़नेवाला फौजी खर्च, लकागायरके कारखानो ओर दूसरे ब्रिटिश-व्यवसायोके लाभकी दृष्टिसे निर्धारित कर-नीति ओर राज्यके विविध-विभागोके सचालनमे बरती जानेवाली शाहाना फिजूलखर्ची—यह सब भारतका ऐसा भार बन रहा है जो उसकी गरीबी बढ़ाता और रोगोसे लडनेकी शक्ति घटाता जा रहा है। श्रीगोखलेके बच्चोमे शासनके इस ढंगने राष्ट्रकी वाढ इतनी मार दी है कि हमारे बड़े-से-बड़े आदमी भी कमर सीधी रखकर खड़े नहीं हो सकते। अमृतसरमे तो हिन्दु-स्तानियोंको पेटके बल रेगना भी पडा। पजावका जान-बूझकर किया हुआ अपमान—और हिन्दुस्तानके मुसलमानोको दिये हुए वचनको उद्धतपनके साथ तोडनेके लिए माफी मागनेसे इन्कार हमारे नैतिक दारिद्र्यकी ताजा मिमाले है। ये घटनाएँ सीधे हमारी आत्मापर आघात कर रही हैं। इन दोनो अन्यायोको हमने सह लिया तो राष्ट्रको नपुसक बना देनेकी क्रियाकी पूर्ति हो जायगी।

क्या हम लोगोके लिए जो स्थितिको जानते, समझते हैं. ऐसे चरित्र-नाटक बाबु-नण्डरमे बच्चे पैदा करना मुनासिब है? जबतक हम दीन-पसहाय, रोगी और धुवा-पीडित हैं तबतक हम बच्चे पैदा करके केवल गुं प्रनों और मर्दियोंकी ही तादाद बढ़ायेगे। भारत जबतक स्वाधीन और ऐसा राष्ट्र नहीं हो जाता, जो साधारण ही नहीं अकालके समय भी अपना पेट भर लेनेमें समर्थ हो और जो मटेरिया, हैजा, इनफ्लुएजा और दूसरी बनेर बीमारियोंमे अपना रक्षा करना जानता हो, तबतक हमें बच्चे पैदा करनेका हक नहीं है। इन देगने किनीके घर बच्चे पैदा होनेकी खबर सुनकर मेरे दिलमें जो दुःख होता है उसे मैं पाठकोमे छिया नहीं मक्ता।

विचार किया है और इस सभावनासे मुझे सन्तोष हुआ है । हिन्दुस्तान आज अपनी मौजूदा आवादीका बोझ उठानेके काविल भी नहीं है, इसलिए नहीं कि उसकी आवादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बल्कि इसलिए कि उसकी गरदन ऐसे विदेशी राजके जुएके नीचे है जिसने उसके जीवन-रसको अधिकाधिक चूसते जाना ही अपना धर्म मान रखा है ।

सन्तानोत्पादन किस तरह रोका जा सकता है ? यह होगा यूरोपमे काममे लाये जानेवाले नीति-नाशक बनावटी प्रतिबधोसे नहीं, बल्कि नियम-वद्ध जीवन और मन-इन्द्रियोको काबूमे रखनेके अभ्याससे । मा-बापका फर्ज है कि अपने बच्चोको ब्रह्मचर्य-पालनकी शिक्षा दे । हिन्दू शास्त्रोके अनुसार लडकेका व्याह कम-से-कम २५ सालकी उम्रमे होना चाहिए । अपने देशकी माताओसे अगर हम यह मनवा सके कि बालक-बालिकाओको विवाहित जीवनके लिए तैयार करना पाप है तो इस देशमे होनेवाले आधे व्याह अपने-आप बढ़ हो जायगे । हमे इस बहमको भी दिलसे निकाल देना चाहिए कि इस देशकी गरम जलवायुके कारण लडकिया जल्दी ऋतुमती हो जाती है । इससे बड़ा अधविश्वास मैंने दूसरा नहीं देखा । मैं यह कहनेको तैयार हू कि जल्दी या देरसे जवान होनेपर जलवायुका कुछ भी असर नहीं होता । जो चीज हमारे बालक-बालिकाओको बक्तसे पहले जवान बना देती है वह है हमारे कौटुम्बिक जीवनके आस-पास रहनेवाला मानसिक और नैतिक वातावरण । माताए और घरकी दूसरी स्त्रिया अबोध बच्चोको यह सिखा देना अपना धर्म समझती है कि इतने बरसके होनेपर तुम दूल्हा बनोगे या तुम्हे ससुराल जाना होगा । वे निरे बच्चे, बल्कि माकी गोदमे, होते हैं तभी उनकी सगाई कर दी जाती है । उन्हे जो खाना खिलाया और कपडे पहनाये जाते हैं वे भी वासनाओको जगानेमे सहायक होते हैं । हम उन्हे गुडियोकी तरह सजाते हैं, उनके नहीं बल्कि अपने सुखके लिए और अपना बडप्पन दिसानेके लिए । मैं बीसो लडकोका पालन-पोषण कर चुका हू । उन्हे जो कपडे भी दिये गए उन्होने विना किसी कठिनाईके पहन लिये और उन्हीसे खुश रहे । हम उन्हे हर तरहकी गर्म और उत्तेजना पैदा करनेवाली चीजे भी खिलाते रहते हैं । हमारा अब्बा प्रेम यह नहीं देखता

कि वे क्या और कितना पचा सकते हैं। इन सबका परिणाम निश्चय ही यह होता है कि हम समयसे पहले जवान होते, समयसे पहले माँ-बाप बनते और समयसे पहले ही परलोकको पयान कर देते हैं। माँ-बाप अपने व्यवहारसे जो वस्तु-पाठ बच्चोके सामने रखते हैं उसे वे आसानीसे सीख लेते हैं। अपनी वासनाओकी लगाम ढीली छोडकर वे अपने बच्चोके सामने सयम-रहित भोगका नमूना बनाते हैं। हर नये बच्चेके जन्मपर उछाव-बधाव होता है। अचरजकी बात तो यह है कि ऐसे वातावरणमे रहकर भी हम और अधिक असयमी नही हुए।

मुझे इस बातमे लेश-मात्र भी शका नही कि हमारे देशके स्त्री-पुरुष सभी देशका भला चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान सबल, सुन्दर और सुगठित गरीरवाले स्त्री-पुरुषोका राष्ट्र बने, तो उन्हे पूर्ण सयमका पालन करना और फिलहाल तो बच्चे पैदा करना बंद कर ही देना चाहिए। मैं नवविवाहित पति-पत्नियोको भी यही सलाह देता हू। कोई काम करके छोड देनेसे उसे विलकुल ही न करना आसान होता है। वैसे ही जैसे एक पियक्कड या थोडी शराब पीनेवालेके लिए उसका त्याग कठिन और जिसने कभी उसे मुह न लगाया हो उसके लिए आजन्म उससे दूर रहना आसान होता है। गिरकर उठनेसे सीधा खडा रहना हजार दरजे आसान होता है। यह कहना गलत है कि सयमके उपदेशके अधिकारी केवल वही हैं जिनकी वासनाएँ परितृप्त हो चुकी हैं। वैसे ही जिसका तन-मन शिथिल हो गया है उसको भोग-त्यागका उपदेश देनेका कोई अर्थ नही। मेरा कहना तो यह है कि चाहे हम जवान हो या बडे, भोगसे अघा चुके हो या न अघाये हो, तत्काल हमपर फर्ज है कि अपनी गुलामीके उत्तराधिकारी पैदा करना बंद कर दें।

देशके दम्पतियोको मैं यह भी बता देना चाहता हू कि वे साथीके हककी दलीलके भुत्तावेमे न पडे। रजामंदी भोगके लिए दरकार होती है, सयमके लिए नही। वह दिलकुल खुला सत्य है।

हम एक गक्तिवाली सरकारके साथ जीवन-मरणके सग्राममे संलग्न हैं। उनमे हमे अपना सारा गारीरिक, भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक

बल लगाना होगा। यह बल हमें तबतक मिल नहीं सकता जबतक कि हम उस चीजको बहुत किफायतसे न खर्च करें, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती होनी चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवनमें यह पवित्रता न आई तो हम सदा गुलामोका राष्ट्र बने रहेंगे। हम यह सोचकर अपने-आपको धोखा न दें कि चूँकि अंग्रेजोंकी शासन-पद्धतिको हम पापमय मानते हैं इसलिए वैयक्तिक सद्गुण सदाचारमें भी हमें उनको अपनेसे हीन, तिरस्करणीय समझना चाहिए। चरित्रके मूलभूत सद्गुणोंको वे आध्यात्मिक साधनाका नाम देकर उनका ढिंढोरा नहीं पीटते, पर कम-से-कम शरीरसे तो वे उनका भरपूर पालन करते हैं। अपने देशके राजनीतिक कार्योंमें लगे हुए अंग्रेजोंमें जितने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ हैं उतने हमारे यहाँ नहीं हैं। ब्रह्मचर्य-व्रत लेनेवाली स्त्रियाँ तो हममें एक तरहसे हैं ही नहीं। थोड़ी-सी जोगिने-वैरागिने अवश्य हैं, पर देशके जीवनपर उनका कोई असर नहीं। यूरोपमें हजारों स्त्रियाँ एक साधारण सदाचारकी भाँति ब्रह्मचर्यका जीवन विताती हैं।

अब मैं पाठकोके सामने थोड़ेसे सीधे-सादे नियम रखता हूँ जो अकेले मेरे ही नहीं मेरे अनेक साथियोंके भी अनुभवके आधारपर बनाये गये हैं :

१ लडके-लडकियोंका पालन-पोषण सरल और प्राकृतिक ढंगसे तथा मनमें इस बातका पक्का विश्वास रखकर करना चाहिए कि वे निष्पाप हैं और सदा बने रह सकते हैं।

२. मिर्च-मसाले जैसी गरमी और उत्तेजना पैदा करनेवाले और मिठाइयाँ, तली, भुनी चीजों, जैसे पाचनमें भारी पडनेवाले पदार्थोंसे परहेज करना चाहिए।

३ पति और पत्नीको अलग-अलग कमरोंमें रहना और एकान्तसे वचना चाहिए।

४ देह और मन दोनोंको सदा अच्छे, स्वास्थ्य-जनक कामों, विचारोंमें लगाये रखना चाहिए।

५ जल्दी सोने और जल्दी उठनेके नियमका कड़ाईके साथ पालन किया जाय।

६. हर तरहके गन्दे साहित्यसे परहेज किया जाय । मलिन विचारोका इलाज पवित्र विचार है ।

७. वासनाओको जगानेवाले थियेटर, सिनेमा और नाच-तमाशोसे वचना चाहिए ।

८. स्वप्न-दोषसे घबरानेकी जरूरत नहीं; तन्दुहस्त आदमीके लिए उसके बाद ठंडे जलसे नहा लेना इस रोगका अच्छे-से-अच्छा इलाज है । यह कहना गलत है कि कभी-कभी सभोग कर लेनेसे स्वप्नमे वीर्य-पात, बढ हो जाता है ।

९. सबसे बडी बात यह है कि पति-पत्नीके बीच भी ब्रह्मचर्यका पालन असाध्य या अति कठिन न माना जाय; उल्टा सयमको जीवनकी साधारण और स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए ।

१०. प्रतिदिन पवित्रताके लिए सच्चे दिलसे प्रभुसे प्रार्थना की जाय-तो आदमी दिन-दिन अधिकाधिक पवित्र होता जायगा ।

## ब्रह्मचर्य

इस विषयपर कुछ लिखना आसान नहीं है । पर इस विषयमें मेरा अपना अनुभव इतना विशाल है कि उसकी कुछ बूंदें पाठकोके सामने रखनेकी इच्छा सदा बनी रहती है । मुझे मिली हुई कुछ चिट्ठियोंने इस इच्छाको और भी बढा दिया है ।

एक भाई पूछते हैं—“ब्रह्मचर्यके मानी क्या है ? क्या उसका पूर्ण पालन शक्य है ? और है तो क्या आप उसका पालन करते हैं ?”

ब्रह्मचर्यका पूरा और—सच्चा अर्थ है ब्रह्मकी खोज । ब्रह्म सबमें बसता है इसलिए यह खोज अन्तर्ध्यान और उससे उपजनेवाले अन्तर्ज्ञानके सहारे होती है । अन्तर्ज्ञान इन्द्रियोंके सपूर्ण सयमके विना अशक्य है । अतः मन, वाणी और कायासे सपूर्ण इन्द्रियोंका सदा सब विषयोंमें सयम ब्रह्मचर्य है ।

ऐसे ब्रह्मचर्यका सपूर्ण पालन करनेवाली स्त्री या पुरुष नितान्त निर्विकार होता है । अतः ऐसे स्त्री-पुरुष ईश्वरके पास रहते हैं । वे ईश्वर-तुल्य होते हैं ।

ऐसे ब्रह्मचर्यका कायमनोवाक्यसे अखण्ड पालन हो सकनेवाली बात है, इस विषयमें मुझे तिल-भरभी शका नहीं, पर मुझे कहते दुःख होता है कि इस सपूर्ण ब्रह्मचर्यकी स्थितिको मैं अभी नहीं पहुँच सका हूँ । पहुँचनेका प्रयत्न सदा चल रहा है । और इस देहमें ही वह स्थिति प्राप्त कर लेनेकी आशा भी मैंने नहीं छोड़ी है । कायापर मैंने काबू पा लिया है, जाग्रत अवस्थामें मैं सावधान रह सकता हूँ । वाणीके सयमका यथायोग्य पालन करना भी सीख लिया है । पर विचारोपर अभी बहुत काबू पाना बाकी है । जिस समय जो बात सोचनी हो उस क्षण वही बात मनमें रहनी चाहिए । पर ऐसा न होकर और बातें भी मनमें आ जाती हैं इससे विचारोका द्वन्द्व मचा ही रहता है ।

फिर भी जाग्रत अवस्थामे मैं विचारोका एक-दूसरेसे टकराना रोक सकता हूँ। मैं उस स्थितिको पहुँचा हुआ माना जा सकता हूँ जब गन्दे विचार मनमे आ ही न सके। पर निद्रावस्थामे विचारके ऊपर मेरा काबू कम रहता है। नीदमे अनेक प्रकारके विचार मनमे आते हैं, अनसोचे सपने भी दिखाई देते हैं। कभी-कभी इसी देहसे की हुई बातोंकी वासना भी जग उठती है। ये विचार अगर गन्दे हो तो स्वप्नदोष होता है। यह स्थिति विकारयुक्त जीवनकी ही हो सकती है।

मेरे विकारोके विचार क्षीण होते जा रहे हैं। पर अभी उनका नाश नहीं हो पाया है। अपने विचारोपर मैं पूरा काबू पा सका होता तो पिछले दस बरसके बीच जो तीन कठिन बीमारियाँ मुझे हुईं, फेफड़ेकी भिल्लीका शोथ (प्लूरिसी), अतिसार और आँतका फोडा (अपेडिसाइटिस), वे न हुई होती। मैं मानता हूँ कि निरोग आत्माका शरीर भी निरोग ही होता है। अर्थात् ज्यो-ज्यो आत्मा निरोग-निर्विकार होती जाती है त्यो-त्यो शरीर भी निरोग होता जाता है। पर निरोग शरीरके मानी बलवान शरीर नहीं होते। बलवान आत्मा क्षीण देह मे ही बसती है। आत्म-बल ज्यो-ज्यो बढ़ता है, शरीर त्यो-त्यो क्षीण होता जाता है। पूर्णतया निरोग शरीर भी बहुत दुबला-पतला हो सकता है। बलवान शरीरमे अक्सर रोग तो रहता ही है। ऐसा न भी हो तो वैसे शरीरके लोगोकी छूत तुरन्त लग जाती है। पर, पूरी तरह निरोग देहको छूत लग ही नहीं सकती। शुद्ध रक्तमे ऐसे कीडोको दूर रखनेका गुण होता है।

यह अद्भुत दशा तो दुर्लभ ही है। नहीं तो मैं अबतक उसको पहुँच चुका होता, क्योंकि मेरी आत्मा गवाही देती है कि इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिए जो उपाय करने चाहिए उनके करनेमे मैं पीछे रहनेवाला नहीं हूँ। ऐसी एक भी बाहरी वस्तु नहीं है जो मुझे उससे दूर रखनेमे समर्थ हो। पर पिछले सस्कारोको धो डालना सबके लिए सहज नहीं होता। इस तरह लक्ष्यतक पहुँचनेमे देर लग रही है, पर इससे मैंने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी है। कारण यह है कि निर्विकार दशाकी कल्पना मैं कर सकता हूँ। उसकी धुँधली झलक भी जब-तब पा जाता हूँ। और इस रास्तेमे मैं अबतक

जितना आगे बढ़ सकता है वह मुझे निराश करनेके बदले आशावान ही बनाता है। फिर भी अगर मेरी आशा फलीभूत हुए बिना मेरा शरीरपात हो जाय तो मैं यह न मानूंगा कि मैं विफल हो गया। मुझे जितना विश्वास अपनी इस देहके अस्तित्वका है उतना ही दूसरी देह मिलनेका भी है। इसलिए जानता हूँ कि छोटे-से-छोटा प्रयत्न भी व्यर्थ नहीं जाता।

स्वानुभवकी इस चर्चाकी गरज इतनी ही है कि जिन लोगोंने मुझे पत्र लिखे हैं उनके और उन जैसे दूसरे भाइयोंके मनमें धीरज रहे और आत्म-विश्वास उत्पन्न हो। सबकी आत्मा एक ही है। सबकी आत्माकी शक्ति भी समान है। अन्तर इतना ही है कि कुछकी शक्ति प्रकट हो चुकी है, दूसरोकी शक्तिका प्रकट होना अभी बाकी है। प्रयत्न करनेसे उन्हें भी वही अनुभव होगा।

अबतक मैंने व्यापक अर्थवाले ब्रह्मचर्यकी बात कही है। ब्रह्मचर्यका लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो मन, वचन और कायासे विषयेन्द्रियका सयम-मात्र माना जाता है। यह अर्थ सही है क्योंकि इस सयमका पालन बहुत कठिन माना गया है। स्वादेन्द्रियके सयमपर इतना ही जोर नहीं दिया गया। इससे विषयेन्द्रियका सयम अधिक कठिन हो गया है—लगभग अशक्य हो गया है। इसके सिवा वैद्योंका अनुभव है कि जो शरीर रोगसे अशक्त हो गया है उसमें विषय-वासना अधिक उद्दीप्त रहती है। इससे भी इस रोगग्रस्त राष्ट्रको ब्रह्मचर्यका पालन कठिन लगता है।

मैंने ऊपर दुवले, पर निरोग शरीरकी बात कही है। इसका अर्थ कोई यह न लगाये कि हमें शरीर-बल बढ़ानेका यत्न ही न करना चाहिए। मैंने तो सूक्ष्मतम ब्रह्मचर्यकी बात अपनी अति प्राकृत भाषामें लिखी है, उससे कुछ गलतफहमी हो सकती है। जिसे सब इन्द्रियोंके सपूर्ण सयमका पालन करना है उसे अन्तमें शरीरकी क्षीणताका अभिनन्दन करना ही होगा। शरीरका मोह और ममता जब क्षीण हो जायगी तब शरीर-बलकी इच्छा ही न रहेगी।

पर विषयेन्द्रियको जीतनेवाले ब्रह्मचारीका शरीर अति तेजस्वी और बलवान होना ही चाहिए। यह ब्रह्मचर्य भी अलौकिक वस्तु है। जिसकी

विषय-वासना स्वप्नमे भी नहीं जागती वह जगद्वद्य है । उसके लिए दूसरे सब समय सहज है, इसमे तनिक भी शका नहीं ।

इसी विषयको लेकर एक दूसरे भाई लिखते हैं—

“मेरी दशा दयनीय है । दपतरमे, रास्तेमे, रातमे पढते समय काम करते हुए, और ईश्वरका नाम लेते समय भी वही विचार मनमे आते रहते हैं । विचारोको किस तरह काबूमे रखू ? स्त्री-मात्रके प्रति मातृभाव कैसे पैदा हो ? आखोसे शुद्ध वात्सल्यकी किरणें किस तरह निकले ? दूषित विचारोकी जड कैसे उखडे ? ब्रह्मचर्य विषयपर आपका लेख अपने पास रख छोडा है । पर इस जगह मुझे उससे जरा भी मदद नहीं मिल रही है ।”

यह स्थिति हृदय-द्रावक है । यही स्थिति बहुतोकी होती है । पर जबतक मन उन विचारोसे लडता रहे तबतक डरनेका कोई कारण नहीं । आखे दोष करती हो तो उन्हे बद कर लेना चाहिए । कान दोष करे तो उनमे रुई भर लेनी चाहिए । आखोको सदा नीची रखकर चलनेकी रीति अच्छी है । इससे उन्हे और कुछ देखनेका अवकाश ही नहीं रहता । जहां गदी बाते होती हो या गन्दे गीत गाये जा रहे हो वहासे तुरन्त रास्ता लेना चाहिए । जीभपर पूरा काबू हासिल करना चाहिए ।

मेरा अपना अनुभव तो यह है कि जिसने जीभको नहीं जीता वह विषय-वासनाको नहीं जीत सकता । जीभको जीतना बहुत ही कठिन है । पर इस विजयके साथ ही दूसरी विजय मिलती है । जीभको जीतनेका एक उपाय तो यह है कि मिर्च-मसालेका बिलकुल या जितना हो सके त्याग कर दिया जाय । दूसरा उससे अधिक बलवान उपाय यह है कि मनमे सदा यह भाव रखे कि हम केवल शरीरके पोषणके लिए ही खाते हैं, स्वादके लिए कभी नहीं खाते । हम हवा स्वादके लिए नहीं पीते, बल्कि सास लेनेके लिए पीते हैं । पानी जैसे महज प्यास बुझानेके लिए पीते हैं वैसे ही अन्न केवल भूख मिटानेके लिए खाना चाहिए । हमारे मा-बाप वचपनसे ही हमे इसकी उल्टी आदत लगाते हैं, हमारे पोषणके लिए नहीं बल्कि अपना प्यार दिखानेके लिए हमे तरह-तरहके स्वाद चखाकर हमे विगाड़ते हैं । इस वातावरणका हमें सामना करना होगा ।

पर विषय-वासनाको जीतनेका रामवाण उपाय तो रामनाम या ऐसा कोई और मन्त्र है । द्वादशाक्षर मन्त्र भी इस कामके लिए अच्छा है जिसकी जैसी भावना हो वैसे ही मन्त्रका जप वह करे । मुझे बचपनसे रामनाम जपना सिखाया गया था और उसका सहारा मुझे मिलता ही रहता है, इसलिए मैंने उसे सुझाया है । हम जो मन्त्र अपने लिए चुने उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिए । जप करते समय भले ही हमारे मनमें दूसरे विचार आया करते हो फिर भी जो श्रद्धा रखकर मन्त्रका जप करता ही जायगा उसे अन्तमें विघ्नोपर विजय मिलेगी । इसमें मुझे तनिक भी सदेह नहीं कि यह मन्त्र उसका जीवन-डोर बनेगा और उसे सभी सकटोंसे उबारेगा । ऐसे पवित्र मन्त्रका उपयोग किसीको आर्थिक लाभके लिए कदापि न करना चाहिए । इन मन्त्रोंका चमत्कार हमारी नीतिकी रक्षा करनेमें है और ऐसा अनुभव हरएक प्रयत्न करनेवालेको थोड़े ही दिनोंमें हो जायगा । हा, इतना याद रहे कि यह मन्त्र तोतेकी तरह न रटा जाय । उसमें अपने आत्माको पिरो देना चाहिए । तोता यत्रकी तरह मन्त्रको रटता रहता है । हमें उसे जानपूर्वक जपना चाहिए अवाञ्छित विचारोंके निवारणकी भावना और मन्त्रमें इसकी शक्ति है यह विश्वास रखकर ।

## नैष्ठिक ब्रह्मचर्य

मुझसे ब्रह्मचर्यके विषयपर कुछ कहनेको कहा गया है । कुछ विषय ऐसे हैं जिनपर प्रसंग आनेपर 'नवजीवन'में मैं कुछ लिखा तो करता हूँ पर भाषणोमें उनकी चर्चा शायद ही करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती और अति कठिन हैं । ब्रह्मचर्य भी वैसा ही विषय है । आप तो जिस ब्रह्मचर्यके बारेमें मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं वह सामान्य ब्रह्मचर्य है, जिस ब्रह्मचर्यकी विस्तृत व्याख्या सब इन्द्रियोका समय है उसके विषयमें नहीं । पर यह सामान्य ब्रह्मचर्य भी शास्त्रोमें अतिशय कठिन बताया गया है । यह कथन ९९ प्रतिशत सत्य है, सिर्फ एक फीसदीकी कमी रह गई है । ब्रह्मचर्यका पालन इसलिए कठिन लगता है कि हम उसके साथ-साथ दूसरी इन्द्रियोका समय नहीं करते । इन दूसरी इन्द्रियोमें मुख्य जीभ है । जो जीभको बसमें रखेगा, ब्रह्मचर्य उसके लिए आसान-से-आसान चीज हो जायगा ।

प्राणि-शास्त्रका अध्ययन करनेवाले कहते हैं कि पशु ब्रह्मचर्यका जितना पालन करता है मनुष्य उतना नहीं करता और यह सच है । हम इसके-कारणकी खोज करें तो देखेंगे कि पशु अपनी जीभपर पूरा-पूरा काबू रखता है, इरादा और कोशिश करके नहीं बल्कि स्वभावसे ही । वह केवल घास-चारेपर गुजर करता है और वह भी इतना ही कि पेट भर जाय । वह जीनेके लिए खाता है, खानेके लिए जीता नहीं । पर हमारा रास्ता तो इसका उलटा ही है । मा बच्चेको तरह-तरहके स्वाद चखाती है, वह मानती है कि अधिक-से-अधिक चीजे खिलाना ही उसें प्यार करनेका तरीका है । ऐसा करके हम चीजोका जायका बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते हैं । स्वाद तो भूखमें रहता है । भूखवालेको सूखी रोटीमें जो स्वाद मिलता है वह विना

भूखवालेको लड्डूमे नही मिलता । हम तो पेटको ठूस-ठूसकर भरनेके लिए तरह-तरहके मसाले काममे लाते और विविध व्यजन बनाते हैं । फिर भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य चलता नही ।

जो आखे ईश्वरने हमे देखनेके लिए दी है उन्हे हम मलिन करते हैं और जो देखनेकी चीजे है उन्हे देखना नही सीखते । माता क्यो गायत्री न सीखे और बच्चेको न सिखाये ? उसके गहरे अर्थमे पैठना उसके लिए जरूरी नही । उसका तत्त्व सूर्यकी उपासना है । इतना ही समझकर वह बच्चेसे सूर्यकी उपासना कराये तो काफी है । सूर्यकी उपासना तो सनातनी, आर्य-समाजी सभी करते हैं । सूर्यकी उपासना तो उस महामन्त्रका स्थूलतम अर्थ है । यह उपासना क्या है ? यही कि हम सिर ऊंचा रखकर सूर्यनारायणके दर्शन और उससे अपनी आखोकी शुद्धि करे । गायत्री-मन्त्रके रचयिता ऋषि थे, द्रष्टा थे । उन्होने हमे बताया है कि सूर्योदयमे जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लीला है उसके दर्शन हमे अन्यत्र नही होनेके । ईश्वर-जैसा कुशल सूत्रधार दूसरा नही मिल सकता और न आकाशसे अच्छी दूसरी रगगाला मिल सकती है, पर कौन माता बच्चेकी आखे धोकर उसे आकाशके दर्शन कराती है ? माताके भावोमे तो अनेक प्रपंच ही रहते हैं । बडे घरमे जो शिक्षा मिलती है उसके फलस्वरूप लडका शायद बडा अफसर हो जाय । पर घरमे जाने-बैजाने बच्चेको जो शिक्षा मिलती है उसमेसे कितना वह ग्रहण कर लेता है इसका विचार कौन करता है ?

मा-बाप हमारे शरीरको ढकते हैं । कपडोसे हमे लाद देते हैं, हमे सजाते, सवारते हैं; पर इससे कही हम अधिक सुदर बन सकते हैं । कपडे बदलको ढकनेके लिए हैं, उसे सरदी-गरमीसे बचानेके लिए हैं, उसे सजानेके लिए नही । बच्चा सरदीसे ठिठुर रहा है तो हमे चाहिए कि उसे अगीठीके पास ढकेल दे, मैदानमे दण्ड लगानेके लिए छोट दे या खेतमे काम करनेको भेज दे । तभी उसकी देह लोहेकी लाट बनेगी । ब्रह्मचर्यके पालनसे तो वह बज्र-जैनी हो ही जानी चाहिए । हम तो उसके शरीरका नाश कर डालते हैं । घरमे बंद रखकर जो गरमी हम उसे पहुचाना चाहते हैं उससे तो उमकी त्वचामे ऐसी गरमी पैदा होती है जिसकी उपमा खुजलीसे ही दी

जा सकती है । अपने शरीरको बहुत लाड़-प्यारकर हम उसे विगाड़ डालते हैं ।

यह तो हुई कपडोकी वात । घरमे होनेवाली वातचीतसे भी हम बच्चेके मनपर बुरा असर डालते हैं । उसके व्याहकी वाते किया करते हैं । जो चीजे उसे देखनेको मिलती है उनमे भी बहुतेरी ऐसा ही असर डालनेवाली होती है । मुझे तो अचरज इस वातका होता है कि यह सब होते हुए भी हम दुनियामे सबसे बडे जगली क्यों न हो गए ? मर्यादाके टूटनेमे सहायक होनेवाली इतनी वातोके होते हुए भी वह ज्यो-त्यो निवाही जा रही है । ईश्वरने मनुष्यको कुछ ऐसा बनाया है कि विगड़नेके लिए अनेक अवसर आते रहनेपर भी वह बच जाता है । यह ईश्वरकी अलोकिक कला है । ब्रह्मचर्यके रास्तेके ये विघ्न हम दूर कर दे तो उसका पालन शक्य ही नहीं बल्कि आसान हो जाता है ।

इस दशामे भी हम शरीर-बलमे दुनियाका मुकाबला करनेकी इच्छा रखते हैं । इसके दो रास्ते हैं—आसुरी और दैवी । आसुरी मार्ग है—शरीर-बल बढ़ानेके लिए चाहे जैसे उपाय करना, चाहे जैसे पदार्थोंका सेवन करना, शारीरिक प्रतियोगिता करना, गो-मास खाना इत्यादि । मेरा एक दोस्त बचपनमे मुझसे कहा करता था कि हमे मास खाना ही होगा, नहीं तो हम अमेजोंके जैसे तगडे न हो सकेंगे । गुजरातीके प्रसिद्ध कवि नर्मदाशकरने भी अपनी एक कवितामे ऐसी ही सलाह दी है । जापानको भी जब दूसरे देशोंका मुकाबला करना पडा तब गो-मास उसके आहारमे शामिल हो गया । जो आसुरी-रीतिमे हमे देह बनानी हो तो ऐसे पदार्थोंका सेवन करना ही होगा ।

पर दैवी रीतिसे शरीरका विकास करना हो तो ब्रह्मचर्य उसका एक-मात्र उपाय है, मुझे जब कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं तब मुझे अपने-आपपर दया आती है । यहा मुझे जो मान-पत्र दिया गया है उसमे मे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया है । मुझे कहना होगा कि जिनने मान-पत्र लिखा है

ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है ? नैष्ठिक ब्रह्मचारीको तो न कभी बुखार आता है न कभी सिर-दर्द होता है, न कभी खासी सताती है और न कभी 'अपेडिसाइटिस' (आतका फोडा) होता है। डाक्टर कहते हैं कि आतोमे नारगीके बीज रह जानेसे भी 'अपेडिसाइटिस' होता है। पर जिसका शरीर स्वस्थ और निरोग है उसकी आतोमे बीज अटक ही नहीं सकते। जब आते शिथिल हो जाती है तभी इन चीजोको अपने बलसे बाहर नहीं निकाल सकती। मेरी आते भी शिथिल हो गई होगी इसीसे मैं ऐसी कोई चीज न पचा सका हूंगा। बच्चे क्या-क्या चीजे खा जाते हैं माता इसका ध्यान कहा रख सकती है, पर उनकी आतोमे उन्हें पचा लेनेकी स्वाभाविक शक्ति होती है।

इसलिए मैं चाहता हू कि मुझपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्यके पालनका आरोप करके कोई मिथ्याचारी न बने। नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका तेज तो मुझे जितना है उससे सौ गुना अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हू। हा, होनेकी इच्छा अवश्य है। मैंने तो अपने अनुभवकी कुछ वूदे आपके सामने रखी है जो ब्रह्मचर्यकी मर्यादा बताती है।

ब्रह्मचर्यका अर्थ यह नहीं है कि मैं स्त्री-मात्रका, अपनी वहनका भी, स्पर्श न करू। ब्रह्मचारी होनेका अर्थ यह है कि जैसे कागजको छूनेसे मेरे मनमे कोई विकार नहीं उत्पन्न होता वैसे ही स्त्रीका स्पर्श करनेसे भी नहीं। मेरी वहन बीमार हो और ब्रह्मचर्यके कारण मुझे उसकी सेवा करनेसे हिचकना पडे तो वह ब्रह्मचर्य कौडी कामका नहीं। मुर्देको छूकर हम जिस अविकार दशाका अनुभव कर सकते हैं उसी अविकार दशाका अनुभव जब किसी परम सुन्दरी युवतीको छूकर भी कर सके तभी हम सच्चे ब्रह्मचारी हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके लडके ऐसे ब्रह्मचर्यको प्राप्त करे तो इसका अभ्यास-क्रम आप नहीं बना सकते। कोई ब्रह्मचारी ही—चाहे वह मुझ जैसा अधूरा ही क्यों न हो—उसे बना सकता है।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। ब्रह्मचर्याश्रम सन्याससे अधिक ऊंचा आश्रम है। पर हमने उसे गिरा दिया है इसीसे हमारा गृहस्थाश्रम विगडा और वानप्रस्थ आश्रम भी विगडा और सन्यासका तो नाम भी नहीं रहा। आज हमारी दशा ऐसी दीन है।

जो आसुरी मार्ग ऊपर हमने बताया है उसका अनुसरण करके तो पांच सौ सालमे भी हम पठानोका मुकाबला न कर सकेगे । हाँ, दैवी मार्गका अनुसरण किया जाय तो आज ही उनका मुकाबला किया जा सकता है । कारण यह कि दैवी मार्गके लिए आवश्यक मानसिक परिवर्तन छनभरमें हो सकता है । पर शरीरके बदलनेमे युग लग जाते हैं । इस दैवी मार्गका अनुसरण हम तभी कर सकेगे जब हमारे पास पूर्वजन्मका पुण्य-बल होगा और हमारे मा-बाप हमारे लिए जरूरी साधन जुटा देगे ।

## सत्य बनाम ब्रह्मचर्य

एक मित्र श्री महादेव देसाईको लिखते हैं :

“आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ‘नवजीवन’ में ब्रह्मचर्य विषयपर एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका आपने ‘यग इडिया’में उलथा किया। उस लेखमें गांधीजीने स्वीकार किया है कि उन्हें अब भी जब-तब स्वप्न-दोष हो जाता करता है। उसे पढते ही मेरे दिलमें यह बात आई कि ऐसे इकबालोका असर अच्छा नहीं हो सकता। पीछे मुझे मालूम हुआ कि मेरी शका निराधार न थी।

“विलायतमें प्रवासके समय प्रलोभनोंके रहते मैंने और मेरे मित्रोंने अपने चरित्रपर धब्बा नहीं आने दिया। हम माँस, मद्य और स्त्रीसे विलकुल दूर रहे। पर गांधीजीका लेख पढनेके बाद एक मित्रने हिम्मत हार दी और मुझसे कहा—‘ऐसे भगीरथ प्रयासके बाद भी जब गांधीजीका यह हाल है तो हमारी क्या विसात ? ब्रह्मचर्य-पालनकी कोशिश करना बेकार है। गांधीजीकी स्वीकारोक्तिने मेरी दृष्टि विलकुल ही बदल दी। आजसे मुझे डूबा समझो।’ थोड़ी हिचकके साथ मैंने उन्हें समझानेकी कोशिश की। वही दलील उनके सामने रखी जो आप या गांधीजी देते, ‘अगर यह रास्ता गांधीजी जैसे पुरुषोंके लिए भी इतना कठिन है तो हम जैसेके लिए तो कहीं ज्यादा कठिन होना चाहिए। इसलिए हमें दुगनी कोशिश करनी चाहिए।’ पर सारी दलील बेकार गई। जिस चरित्रपर अबतक कलुषका छीटा भी न पडा था वह कीचडसे सन गया। अगर कोई आदमी गांधीजीको उनके इस पतनके लिए जिम्मेदार ठहराये तो वह या आप उसे क्या जवाब देंगे ?

“जबतक मेरे सामने ऐसा एक ही उदाहरण था तबतक मैंने आपको

नहीं लिखा। मुमकिन है, आप यह कहकर मुझे टाल देते कि यह दृष्टान्त तो अपवाद-रूप है। पर इधर मुझे इस तरहके और भी उदाहरण मिले हैं और मेरी आज्ञाका सर्वथा साधार सिद्ध हुई है।

“मैं जानता हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो गांधीजीके लिए तो बहुत आसान हैं, मगर मेरे लिए विलकुल नामुमकिन हैं। पर ईश्वरके अनुग्रहसे मैं यह भी कह सकता हूँ कि कुछ बातें जो गांधीजीके लिए भी अशक्य हो मेरे लिए शक्य हो सकती हैं। इस ज्ञान या गर्वने ही मुझे अबतक गिरनेसे बचाया है, नहीं तो गांधीजीके उक्त इकबालने मेरे खतरेसे बाहर होनेके विश्वासकी जड़ पूरी तरह हिला दी है।

“क्या आप कृपाकर गांधीजीका ध्यान इस ओर खींचेंगे, खासकर जब वह अपनी आत्म-कथा लिखनेमें लग रहे हैं? सत्य और नग्न सत्यको कहना बेशक बहादुरीकी बात है, पर दुनिया और ‘नवजीवन’ तथा ‘यग-इंडिया’के पाठक इससे उनके बारेमें गलत राय कायम करेंगे। मुझे डर है कि एकके लिए जो अमृत है वह दूसरेके लिए विष न हो जाय।”

यह शिकायत पाकर मुझे अचरज नहीं हुआ। असहयोग-आन्दोलन जब पूरे जोरपर था और उसके दरमियान जब मैंने अपनेसे ‘समझकी एक भूल’ हो जानेकी बात स्वीकार की तब एक मित्रने निर्दोष भावसे मुझे लिखा— “अगर यह भूल थी तो आपको उसे कबूल नहीं करना चाहिए था। लोगोको यह माननेके लिए उत्साहित करना चाहिए कि दुनियामें कम-से-कम एक आदमी तो है जो भूल-भ्रमसे परे है। लोग आपको ऐसा ही मानते थे। आपके भूल-स्वीकारसे वे हिम्मत हार देंगे।” यह आलोचना पढ़कर मुझे हँसी आई और रोना भी। हँसी आई लिखनेवालेके भोलेपनपर। पर लोगोको एक पतनशील प्राणीके भूल-भ्रमसे परे होनेका विश्वास दिलाया जाय, यह विचार ही मेरे लिए असह्य था। जो आदमी जैसा है उसे वैसा जाननेमें सदा सबका हित है इससे कभी कोई हानि नहीं होती। मेरा दृढ विश्वास है कि मेरे भ्रम अपनी भूले स्वीकार कर लेनेसे लोगोका हर तरह हित ही हुआ है। कम-से-कम मेरा तो इससे उपकार ही हुआ है।

यही बात मैं बुरे सपनोका होना स्वीकार करनेके बारेमें भी कह सकता

हूँ। पूर्ण ब्रह्मचारी न होते हुए भी मैं होनेका दावा करूँ तो इससे दुनियाकी बड़ी हानि होगी। यह ब्रह्मचर्यकी उज्ज्वलताको मलिन और सत्यके तेजको घूमिल कर देगा। झूठे दावे करके ब्रह्मचर्यका मूल्य घटानेका साहस मैं कैसे कर सकता हूँ? आज मैं यह देख सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य-पालनके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ वे काफी नहीं साबित होते, वे हर जगह कारगर नहीं होते, और केवल इसलिए कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हूँ। मैं दुनियाको ब्रह्मचर्यका सीधा रास्ता न दिखा सकूँ और वह मुझे पूर्ण ब्रह्मचारी माने, यह बात उसके लिए बड़ी भयानक होगी।

मैं सच्चा खोजी हूँ, मैं पूर्ण जाग्रत हूँ, मेरा प्रयत्न अथक और अडिग है—इतना ही जान लेना दुनियाके लिए क्यों काफी न हो? इतना ही जानना औरोको उत्साहित करनेके लिए क्यों पर्याप्त न हो? झूठी प्रतिज्ञाओसे सिद्धांत स्थिर करना गलत है। सिद्धियोंको उनका आधार बनाना ही बुद्धिमानी है। यह दलील क्यों दी जाय कि जब मुझ-जैसा आदमी मलिन विचारोसे न बच सका तब औरोके लिए क्या आशा हो सकती है? उसके वजाय यह क्यों न सोचा जाय कि अगर गांधी, जो एक दिन काम-वासनाका गुलाम था आज अपनी पत्नीका मित्र और भाई बनकर रह सकता है और सुन्दर-से-सुन्दर युवतीको अपनी वहन या बेटेके रूपमें देख सकता है तब अदने-से-अदना और पापके गढेमें गिरा हुआ आदमी भी ऊपर उठनेकी आशा रख सकता है। ईश्वर अगर ऐसे कामुक-जनपर दया कर सकता है तो निश्चय ही दूसरे सब लोग भी उसकी दयाके अधिकारी होंगे।

पत्र लिखनेवाले भाईके जो मित्र मेरी कमियोंको जानकर पीछे हट गए वे कभी आगे बढ़े ही न थे। वह उनकी झूठी साधुता थी जो पहले ही झोकेमें उड़ गई। सत्य, ब्रह्मचर्य और दूसरे सनातन नियम मुझ-जैसे अवकचरे जनोकी साधनापर आश्रित नहीं होते। वे तो उन बहुसंख्यक जनोकी तपश्चर्याके अटल आधारपर खड़े होते हैं जिन्होंने उनकी साधनाका यत्न किया और उनका संपूर्ण पालन कर रहे हैं। जब मुझमें उन पूर्ण पुरुषोकी वगलमें खड़े होनेकी योग्यता आ जायगी तब मेरे शब्दोंमें आगेसे कहीं अधिक निश्चय और बल होगा। जिसके विचार इधर-उधर भटकते नहीं रहते,

जिसका मन बुरी बातोंको सोचता नहीं, जिसकी नींद सपनोंसे रहित होती है और जो सोते हुए भी पूरी तरह जागता रह सकता है वही सच्चे अर्थमें स्वस्थ है। उसे कुनैन खानेकी जरूरत नहीं होती। उसके शुद्ध रक्तमें हर तरहके छूत-विकारसे लड़ लेनेका बल होता है। तन-मन और आत्माकी पूर्ण स्वस्थ दशाकी प्राप्ति का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। पत्र-लेखक तथा उनके अल्प श्रद्धावाले मित्रों और दूसरोंको मेरा निमंत्रण है कि इस कोशिशमें मेरा साथ दें और मेरी कामना है कि पत्र-लेखककी ही तरह उनके कदम भी आगे बढ़नेमें मुझसे ज्यादा तेज हों। मुझे जो-कुछ भी सफलता मिली है वह मुझमें कमियों और जब-तब वासनाके अधीन हो जानेकी दुर्बलताके होते हुए मिली है और मिली है केवल मेरे अथक प्रयत्न और भगवान्की दयामें मेरी असीम श्रद्धाकी बदौलत।

अतः किसीके लिए भी निराश होनेका कारण नहीं। महात्मापन कौड़ी कामका नहीं। यह तो मेरी बाह्य प्रवृत्तियों, मेरे राजनीतिक कामोंका प्रसाद है, जो मेरे जीवनका सबसे छोटा अंग है, फलतः चंद रोजा चीज है। जो वस्तु स्थायी मूल्यवाली है वह है मेरा सत्य-अहिंसा और ब्रह्मचर्य-आग्रह। यही मेरे जीवनका सच्चा अंग है। मेरे जीवनका स्थायी अंग कितना ही छोटा क्यों न हो, वह हेय माननेकी चीज नहीं है। वही मेरा सर्वस्व है। इस मार्गमें होनेवाली विफलताएं और भूल-भ्रमका ज्ञान भी मेरे लिए मूल्यवान् है, क्योंकि वे सफलताके मंदिरपर पहुंचनेकी सीढ़ियां हैं।

## ब्रह्मचर्य-पालनके उपाय

ब्रह्मचर्य और उसके साधनोके विषयमे मेरे पास पत्रोका ताँता लग रहा है। अत दूसरे मौकोपर जो-कुछ कह या लिख चुका हू उसे ही दूसरे शब्दोमें यहा दोहरा देता हू। ब्रह्मचर्यका अर्थ शारीरिक सयम-मात्र नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है सपूर्ण इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार और मन-वचन-कर्मसे काम-वासनाका त्याग। इस रूपमे वह आत्म-साक्षात्कार या ब्रह्म-प्राप्तिका सीधा और सच्चा रास्ता है।

आदर्श ब्रह्मचारीको भोगकी वासना या सन्तानकी कामनासे जूझना नहीं पडता, वह कभी उसे कष्ट नहीं देती, उसके लिए सारा ससार एक विशाल परिवार होगा, मानव-जातिके कष्ट दूर करना ही उसकी सारी महत्वाकाक्षा होगी और सन्तानकी कामना उसके लिए विष-सी कडवी होगी। मानव-जातिके दुःख-दैन्यका जिसे पूरा पता मिल गया है काम-वासना उसके चित्तको चलायमान कर ही नहीं सकती। अपने अदर वहने-वाले शक्ति-स्रोतका पता उसे अपने-आप लग जायगा और वह सदा उसे स्वच्छ, निर्मल बनाये रखनेका यत्न करेगा। उसकी छोटी-सी शक्तिके सामने सारा ससार श्रद्धासे सिर भुकायेगा और उसका प्रभाव राज-दण्डधारी सम्राट्के प्रभावसे बढा-चढा होगा।

पर मुझसे कहा जाता है कि यह आदर्श अशक्य है और 'तुम स्त्री-पुरुषमे जो एक दूसरेके प्रति सहज आकर्षण है उसका खयाल नहीं करते।' पर यहा जिस काम-प्रेरित आकर्षणकी ओर सकेत है मैं उसे स्वाभाविक माननेसे इनकार करता हूँ। वह प्रकृति-प्रेरित हो तो हमे जान लेना चाहिए कि प्रलय होनेमें अधिक देर नहीं है। स्त्री और पुरुषके बीचका सहज आकर्षण वह है जो भाई और बहन, माँ और बेटे, बाप और बेटीके बीच होता है। ससार

इसी स्वाभाविक आकर्षण पर टिका है। मैं सपूर्ण नारी-जातिको अपनी बहन, बेटी और माँ न मानूँ तो काम करना तो दूर रहे, मेरे लिए जीना भी कठिन हो जायगा। मैं उन्हें वासनाभरी दृष्टिसे देखूँ तो यह नरकका सीधा रास्ता होगा।

सन्तानोत्पादन स्वाभाविक क्रिया अवश्य है, पर बँधी हृदके भीतर ही। उस सीमाको लॉघना स्त्री-जातिके लिए खतरा पैदा करता, जातिको हत-वीर्य बनाता, बीमारियोको बुलाता, पापको प्रोत्साहन देता और दुनियाको धर्म तथा ईश्वरसे विमुख करता है। जो आदमी सदा काम-वासनाके बसमे है वह बिना लगरकी नाव है। ऐसा आदमी समाजका पथ-प्रदर्शक हो, अपने लेखोसे उसे पाट रहा हो और लोग उनसे प्रभावित हो रहे हो तो फिर समाजका कहा ठिकाना लगेगा? फिर भी आज यही हो रहा है। मान लीजिए, दीपशिखाके गिर्द चक्कर काटनेवाला पतगा अपने क्षणिक सुखका वर्णन करे और हम उसे आदर्श मान उसका अनुकरण करे तो हमारी गति क्या होगी? नहीं मुझे अपनी सारी शक्तिके साथ कहना होगा कि कामका आकर्षण पति-पत्नीके बीच भी अस्वाभाविक है। विवाहका उद्देश्य पति-पत्नीके हृदयको हीन-वासनाओसे शुद्ध करके उन्हें भगवान्‌के निकट ले जाना है। पति-पत्नीके बीच भी कामना-रहित प्रेम होना नामुमकिन नहीं है। मनुष्य पशु नहीं है। पशुयोनिमे अगणित जन्म लेनेके बाद वह कही इस ऊँची दशाको पहुँच सका है। उसका जन्म तनकर खडा होनेके लिए हुआ है, घुटनोके बल चलने या रेगनेके लिए नहीं। पशुता मनुष्यतासे उतनी ही दूर है जितना चेतनसे जड।

अन्तमें संक्षेपमें ब्रह्मचर्य-पालनके उपाय बताता हूँ—

पहला काम है ब्रह्मचर्यकी आवश्यकताको समझ लेना।

दूसरा काम है इन्द्रियोको क्रमशः बसमे लाना। ब्रह्मचारीको अपनी जीभको तो बसमे करना ही होगा। उसे जीनेके लिए खाना चाहिए, रसना-सुखके लिए नहीं। आँखसे वही चीजे देखनी चाहिए जो शुद्ध, निष्पाप हों, गन्दी चीजोकी ओरसे उसे अपनी आँखे बन्द कर लेनी चाहिए। निगाह नीची करके चलना—उसे इधर-उधर नचाते न रहना, शिष्ट संस्कारवान

होनेकी पहचान है । इसी तरह ब्रह्मचारीको गन्दी अश्लील वाते सुनने और नाकसे तीव्र, उत्तेजक गंध सूघनेसे भी परहेज रखना होगा । साफ-सुथरी मिट्टीकी सुगंध बनावटी इत्रो, एससोकी खुशबूसे कहीं मधुर होती है । ब्रह्मचर्य-पालनके अभिलाषीके लिए यह भी आवश्यक है कि जबतक वह जागता रहे अपने हाथ-पैरोको किसी-न-किसी अच्छे काममे लगाये रखे । वह कभी-कभी उपवास भी कर लिया करे ।

तीसरा काम है शुद्ध, स्वच्छ आचरणवालोका ही सग-साथ करना, उन्हीसे मित्रता जोडना और पवित्र पुस्तके ही पढना ।

आखिरी पर वैसे ही महत्त्वका काम है प्रार्थना । ब्रह्मचारीको नित्य नियमपूर्वक सपूर्ण अन्त करणसे राम नामका जप करना और भगवान्‌के प्रसादकी प्रार्थना करनी चाहिए ।

इनमेसे एक भी बात ऐसी नहीं है जो साधारण स्त्री-पुरुषके लिए कठिन हो । वे अति सरल है, पर उनकी सरलता ही कठिनाई बनी रही है । जिसके दिलमे चाह है उसके लिए राह निहायत आसान है । लोगोमे ब्रह्मचर्य-पालनकी सच्ची इच्छा नहीं होती, इसीसे वे बेकार भटका करते है । दुनिया ब्रह्मचर्यके कमोवेश पालनपर ही टिक रही है, यही इस बातका प्रमाण है कि वह आवश्यक और हो सकनेवाला काम है ।

## जनन-नियमन

वहुत भिन्नक और अनिच्छाके साथ मैं इस विषयपर कलम उठा रहा हूँ । मैं जबसे दक्षिण अफ्रीकासे लौटा तभीसे मुझे कितने ही पत्र मिलते रहे हैं, जिनमें जनन-नियमनके कृत्रिम साधनोसे काम लेनेके बारेमें मेरी राय पूछी जाती है । उन पत्रोंके उत्तर निजी तौरपर तो मैंने दे दिये हैं; पर सार्व-जनिक रूपमें अबतक इस विषयकी चर्चा नहीं की थी । इस विषयने आजसे ३५ साल पहले, जब मैं विलायतमें पढता था, अपनी ओर मेरा ध्यान खींचा था । उन दिनों वहाँ एक समयवादी और एक डाक्टरके बीच गहरी बहस चल रही थी । संयमवादी प्राकृतिक उपायो—इन्द्रिय-संयमके सिवा और किसी उपायको जायज न मानता था और डाक्टर बनावटी साधनोका प्रबल समर्थक था । उस कच्ची उम्रमें कृत्रिम उपायोकी ओर थोड़े दिन झुकनेके बाद मैं उनका कट्टर विरोधी हो गया । अब मैं देखता हूँ कि कुछ हिन्दी-पत्रोंमें इन उपायोका वर्णन इतने नग्नरूपमें हो रहा है कि उसे देखकर हमारी शिष्टताकी भावनाको गहरा धक्का लगता है । मैं यह भी देख रहा हूँ कि एक लेखकको कृत्रिम उपायोके समर्थकोमें मेरा नाम लेते हुए भी संकोच नहीं हो रहा है । मुझे एक भी अवसर याद नहीं आता जब मैंने इन उपायोके समर्थनमें कुछ कहा या लिखा हो । उनके समर्थकोमें दो प्रतिष्ठित पुरुषोंके नाम लिये जाते भी मैंने देखा है । पर उनकी इजाजतके बिना उनके नाम प्रकट करते मुझे हिचक होती है ।

जनन-नियमनकी आवश्यकताके विषयमें तो दो मत हो ही नहीं सकते । पर युगोसे इसका एक ही उपाय हमें बताया गया है और वह है इन्द्रिय-निग्रह या ब्रह्मचर्य । यह अचूक, रामबाण उपाय है, जिससे काम लेनेवालेकी हर तरह भलाई होती है । चिकित्सा-शास्त्रके जानकार गर्भ-निरोधके

अप्राकृतिक साधन ढूँढनेके बदले अगर मन-इन्द्रियोको काबूमे रखनेके उपाय ढूँढे तो मानवजाति उनकी चिर-ऋणी होगी । स्त्री-पुरुषके समागमका उद्देश्य इन्द्रिय-सुख नहीं बल्कि सन्तानोत्पादन है और जहाँ सन्तानकी इच्छा न हो वहाँ सभोग पाप है ।

बनावटी साधनोका उपयोग तो बुराइयोको बढ़ावा देना है । वे स्त्री और पुरुषको नतीजेकी ओरसे बिल्कुल लापरवाह बना देते हैं । और इन उपायोको जो प्रतिष्ठा दी जा रही है उसका फल यह होगा कि लोकमत व्यक्तिपर अभी जो थोडा दाब-अकुश रखता है वह जल्दी ही गायब हो जायगा । अप्राकृतिक उपायोसे काम लेनेका निश्चित परिणाम मानसिक दुर्बलता और नाडी-मण्डलका शिथिल हो जाना है । दवा मर्जसे महगी पड़ेगी । अपने कर्मके फलसे बचनेकी कोशिश नासमझी और पाप है । जरूरतसे ज्यादा खा लेनेवालेके लिए यही अच्छा है कि उसके पेटमे दर्द हो और उसे उपवास करना पड़े । ठूस-ठूसकर खाना और फिर चूरन खाकर उसके स्वाभाविक फलसे बच जाना उसके लिए बुरा है । काम-वासनाकी मनमानी तृप्ति करना और उसके नतीजोसे बचना तो और भी बुरा है । प्रकृतिके हृदयमे दया माया नहीं है, जो कोई उसके नियमोको तोटेगा उससे वह पूरा बदला लेगी । नीति-सगत फल तो नीति-सगत समयसे ही प्राप्त हो सकते हैं, और तरहके प्रतिवध तो जिस बुराईसे बचनेके लिए लगाये जाते हैं उसको उलटा और बढ़ा देते हैं ।

कृत्रिम उपायोके उपयोगके समर्थकोकी बुनियादी दलील यह है कि सभोग जीवनकी एक आवश्यक क्रिया है । इससे बडा भ्रम और कोई हो नहीं सकता । जो लोग चाहते हैं कि जितने बच्चोकी हमे जरूरत है उससे ज्यादा बच्चे पैदा न हो, उन्हें चाहिए कि उन नीतिसगत उपायोकी खोज करे जो हमारे पूर्व पुरुषोने ढूँढ निकाले थे, और उनका चलन फिर कैसे चल सकता है इसका उपाय मालूम करे । उनके सामने बहुत-सा आरम्भिक कार्य करनेको पडा है । बाल-विवाह जन-सख्याकी वृद्धिका एक प्रधान कारण है । रहन-सहनका वर्तमान ढगभी बच्चोकी बेरोक बाढमे बहुत सहायक होता है । इन कारणोकी खोज करके इन्हे दूर करनेका उपाय किया जाय तो समाज

सदाचारकी एक-दो सीढियाँ और चढ़ जायगा । और अगर जनन-निरोधके उत्साही समर्थकोने उनकी उपेक्षा की, प्राकृतिक साधनोका चलन आम हो गया तो नतीजा नैतिक पतनके सिवा और कुछ नहीं हो सकता ।

जो समाज विविध कारणोसे पहले बलवीर्य-रहित हो चुका है वह जन्म-निरोधके कृत्रिम उपायोको अपनाकर अपने-आपको और निर्वल ही बनायेगा । अतः जो लोग बिना सोचे-विचारे कृत्रिम साधनोसे काम लेनेका समर्थन कर रहे हैं उनके लिए इससे अच्छी बात दूसरी नहीं हो सकती कि इस विषयका नये सिरेसे अध्ययन करे, अपने हानिकर प्रचारको रोके और विवाहित-अविवाहित दोनोको ब्रह्मचर्यके रास्तेपर चलानेकी कोशिश करें ।

## कुछ दलीलोंपर विचार

जनन-नियमन विषय पर मेरे लेखको पढकर बनावटी साधनोके समर्थको-ने मेरे साथ जोरोसे पत्र-व्यवहार आरम्भ कर दिया है । मुझे इसीकी आशा भी रखनी चाहिए थी । उनकी चिट्ठियोमेसे मैं तीनको, जो नमूनेका काम दे सकती है, चुन लेता हू । एक पत्र और भी देने लायक था, पर उसमे अधिकतर धर्म-शास्त्रोकी दलीलों दी गई है, इसलिए उसे छोडे देता हू । उन तीन पत्रोमेसे एकका उलथा यह है—

“जनन-नियमन विषयपर आपका लेख मैंने बडी रुचिके साथ पढा । इन दिनों इस विषयने बहुतेरे शिक्षित पुरुषोका ध्यान अपनी ओर खीच रखा है । पिछले साल हम लोगोमे इस विषयपर लम्बे और गरम मुबाहसे हुए । उनसे कम-से-कम इतना तो सावित हो गया कि युवक वर्गको इस मसलेसे गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई है, इसके वारेमे लोगोमे बहुत-सी गलत धारणाएँ हैं और इसकी चर्चामे बनावटी शालीनता बहुत बरती जाती है, और इसकी बहस खुलकर की जाय तो वह सम्यताकी सीमाका उल्लघन बवचित् ही करती है । आपका लेख पढकर मैं इस वारेमे फिरसे सोचने लगा हू । मेरी प्रार्थना है कि आप इस विषयमे मेरी थोडी रहनुमाई करे, जिससे मेरे मनमे उठनेवाली बहुत-सी शकाएँ दूर हो जाय ।

“मैं इस बातको मानता हू कि ‘सन्तति-नियमनकी आवश्यकताके वारेमे दो मत नहीं हो सकते ।’ मैं यह भी मानता हू कि ब्रह्मचर्य इसका अच्छा और रामवाण उपाय है और जो उसे काममे लाता है वह उसका भला ही करता है । पर मैं जानना चाहता हू कि क्या यह प्रश्न आत्म-सयमसे अधिक जनन-निरोधका नहीं है ? अगर है तो हमे देखना चाहिए कि सयम या इन्द्रिय-निग्रह साधारण मनष्यके लिए सन्तति-नियमनका सुलभ मार्ग है ।

“मैं मानता हूँ कि इस प्रश्नपर दो दृष्टियोंसे विचार किया जा सकता है—व्यक्तिकी दृष्टिसे और समाजकी दृष्टिसे। हर आदमीका कर्तव्य है कि अपनी विषय-भोगकी वासनाओको दबाकर अपने आत्मवलकी वृद्धि करे। हर जमानेमें थोड़ेसे ऐसे महान् पुरुष पैदा होते हैं जो यह उच्च आदर्श अपने सामने रखते और आजीवन केवल उसीका अनुगमन करते हैं। पर अनावश्यक बच्चोंकी बाढ़ रोकनेके मसलेको, जिसे हल करनेपर हम तुल रहे हैं, वे समझते हैं, इसमें मुझे शक है। सन्यासी मोक्ष-प्राप्तिका प्रयासी होता है, सन्तति-नियमनका नहीं।

“पर क्या यह उपाय उस आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नको समयकी उचित सीमाके अंदर हल कर सकता है जो जन-समाजके बहुत बड़े भागके लिए अतिशय महत्त्वका है? हर एक समझदार और आगेकी बात सोच सकनेवाले गृहस्थके सामने यह समस्या आज भी रास्ता रोककर खड़ी है। एक आदमी कितने बच्चोंको खिला-पिला, पहना, पढा और उनकी रोजी-रोजगारका उपाय कर सकता है,—यह ऐसा प्रश्न है जिसे हमें तुरन्त हल करना होगा। मनुष्य-स्वभाव कैसा है यह आप जानते ही हैं। उसका खयाल रखते हुए क्या आप हजारों-लाखों आदमियोंसे यह आशा रख सकते हैं कि सन्तानकी आवश्यकता पूरी हो जानेके बाद वे सभोगका सुख लेना विलकुल ही बंद कर देंगे? मैं समझता हूँ कि आप काम-वासनाकी बुद्धि-संगत, सयत तृप्तिकी इजाजत देंगे, जैसी कि हमारे स्मृतिकारोंकी सलाह है। अधिकांश जनोसे न तो अपनी वासनाकी लगाम विलकुल ढीली कर देनेको कहा जा सकता है, और न उसे पूरी तरह दबा देनेको। उनसे तो बस यही कहा जा सकता है कि उसे नियमके अंदर रखें, बीचके रास्तेपर चलाएँ। पर यह मुमकिन हो तो भी क्या जरूरतसे ज्यादा बच्चोंका पैदा होना बन्द होगा? मैं मानता हूँ कि इससे अधिक अच्छे आदमी पैदा होंगे, पर दुनियाकी आवादी घटेगी नहीं बल्कि जन-संख्याकी वृद्धिकी समस्या इससे और विषम हो जायगी, क्योंकि स्वस्थ-सबल समाज निकम्मे लोगोंकी वनिस्वत ज्यादा तेजीसे बढ़ता है। जानवरोकी अच्छी नस्ल पैदा करनेकी कला हमें अच्छे गाय-बैल और घोड़े देते हैं। पर पाँचके बदले चार नहीं देती।”

“मैं मानता हूँ कि ‘स्त्री-पुरुषके समागमका उद्देश्य सभोग-सुख नहीं, किन्तु सन्तानकी प्राप्ति है।’ पर आपको भी यह स्वीकार करना होगा कि एकमात्र सुखकी चाह ही मनुष्यको सभोगके लिए भले ही प्रेरित न करती हो; फिर भी अधिकतर वही इसके लिए उकसाती है। प्रकृति अपना काम निकालनेके लिए हमारे सामने यह चारा फेकती है। सुख न मिले तो कितने उसके प्रयोजनकी पूर्ति करेगे या करते हैं? ऐसे आदमी कितने होंगे जो सुखके लिए सभोग करते हों और सन्तानका प्रसाद पा जाते हों? और ऐसे कितने हैं जो सन्तानकी कामनासे सभोग करते हों और उसके घालमें सुखभी भोग लेते हों? आप कहते हैं—‘जहां सन्तानकी इच्छा न हो वहां सभोग पाप है, आप जैसे सन्यासीको यह कहना जरूर फवता है। आपने यह भी तो कहा ही है कि जो अपने पास जरूरतसे ज्यादा पैसा या चीजे रखता है वह ‘चोर’ और ‘डाकू’ है। और जो दूसरोको अपनेसे अधिक प्यार नहीं करता वह अपने-आपको कम प्यार करता है। पर बेचारे दीन-दुर्बल मनुष्योके प्रति आप इतने कठोर क्यों हो रहे हैं? सन्तानकी इच्छाके बिना उन्हें थोड़ा-सा सुख मिल जाय तो उनके तन-मनमें होनेवाले उलट-फेरोसे पैदा होनेवाली बेचैनी मिट जाय। वच्चे पैदा होनेका डर कुछ लोगोके मानसमें अशांति उत्पन्न कर देगा, कुछ लोग इस डरसे ब्याह करनेमें देर करेंगे। साधारणतः ब्याहके कुछ वरस बाद सन्तानकी चाह समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद क्या पति-पत्नीका समागम अपराध माना जायगा? क्या आप समझते हैं कि जो आदमी इस ‘अपराध’के डरसे अपनी बेचैन वासनाओ-को दबा रखता है वह नीतिमें दूसरोसे ऊंचा है? आखिर जब जरूरतसे ज्यादा पैसा या माल-जायदाद बटोर रखनेवाले ‘चोरो’को आप सहन कर सकते हैं तो इन अपराधियोको क्यों सहन नहीं कर सकते? इसलिए कि चोरोकी सख्या और बल इतना अधिक है कि उनको सुधारना संभव नहीं?”

“अन्तमें आप यह फरमाते हैं कि ‘बनावटी साधनोका उपयोग बुराईको बढ़ावा देना है। वे स्त्री और पुरुषको नतीजेकी ओरसे विलकुल लापरवाह बना देते हैं।’ यह इलजाम सही हो तो सगीन है। मैं जानना चाहता हूँ कि ‘लोकमत’में क्या कभी इतना बल रहा है कि वह सभोगके अतिरेकको

## अनीतिकी राहपर : कुछ दलीलोंपर विचार

रोक सके ? मैं जानता हूँ कि पियक्कड़ लोकनिन्दाके डरसे कुछ काम शराब पीता है। पर मैं इन उक्तियोंसे भी अवगत हूँ कि 'जो मुहञ्जीरता है वह आहार भी देता है।' और 'बच्चे तो भगवान्की देन है।' मुझे इस वहमका भी पता है कि बच्चोकी बहुलता पुरुषत्वका प्रमाण है। मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ जहाँ इस धारणाने पतिको पत्नीकी देहके उपभोगका अबाध अधिकार प्रदान कर दिया है और काम-वासनाकी तृप्तिको ही पति-पत्नीके नातेका मुख्य अर्थ मान लिया है। इसके सिवा क्या यह तय है कि अप्राकृतिक साधनोसे काम लेनेका निश्चित परिणाम मानसिक दुर्बलता और नाडी-मण्डलका शिथिल हो जाना है ? तरीके और तरीकेमे बहुत अन्तर करता है और मेरा विश्वास है कि विज्ञान इस कामकी अ-हानिकर विधिया ढूँढ चुका है या जल्दी ही ढूँढ लेगा। यह कुछ मनुष्यकी बुद्धिके बाहरकी बात नहीं है।

“पर जान पड़ता है, आप किसी भी अवस्थामें उनसे काम लेनेकी इजाजत न देंगे, क्योंकि कर्मके फलसे बचनेकी कोशिश अधर्म है, इसमे एतराजकी बात इतनी ही है कि आप यह मान लेते हैं कि सन्तानकी इच्छा न होनेपर अपनी वासनाकी सयत तृप्ति भी पाप है। इसके सिवा मैं पूछता हूँ, बच्चा पैदा होनेका डर क्या कभी किसीको अपनी भोगेच्छा तृप्त करनेसे रोक सका है ? कितने ही स्त्री-पुरुष अपने सुख-स्वास्थ्यकी हानिकी परवाह न कर अताइयो, नीम-हकीमोके बताये उपाय करते हैं। अपने कर्मके फलसे बचनेके लिए कितने गर्भ गिराये जाते हैं ? पर गर्भ-स्थिति या बच्चा पैदा होनेका डर कारगर रोक साबित हो भी जाय तो इसका नैतिक परिणाम नगण्य-सा ही होगा। फिर बच्चा मा-बापके पापका फल भोगे—व्यक्तिकी नासमझी समाजकी हानि करे—यह कहाका न्याय है ? यह सही है कि 'प्रकृति दया माया रहित है और अपने नियमका उल्लंघन करनेवालेको पूरा दंड देती है।' पर कृत्रिम साधनोसे काम लेना प्रकृतिके नियमको तोड़ना है यह कैसे मान लिया जाय ? बनावटी दात, आख, हाथ, पावको कोई अप्राकृतिक नहीं कहता। अप्राकृतिक वही है जिससे हमारी भलाई नहीं होती। मैं यह नहीं मानता कि मनुष्य स्वभावसे बुरा है और इन उपायोका

उपयोग उसे और बुरा बना देगा । स्वाधीनताका दुरुपयोग आज भी कुछ कम नहीं होता । हमारा हिन्दुस्तान भी इस विषयमें दूसरोपर हँसने लायक नहीं है । इस नई शक्तिका उपयोग समझदारीके साथ किया जायगा, यह सावित करना भी उतना ही आसान है जितना यह सावित करना कि उसका दुरुपयोग किया जायगा । हमें जान लेना चाहिए कि मनुष्य प्रकृतिपर यह बड़ी विजय प्राप्त करना ही चाहता है और उसकी उपेक्षा करके हम अपनी ही हानि करेंगे । बुद्धिमानी इसमें है कि हम इस अशक्तिको कावूमें रखें, उससे भागनेमें नहीं हैं । लोक-हितके लिए काम करनेवाले कुछ अच्छे-से-अच्छे लोग भी, जो इन उपायोके प्रचारक बन रहे हैं, इसलिए नहीं कि लोगोको मनमाना इन्द्रिय-मुख भोगनेका सुभीता हो जाय, बल्कि इसलिए कि लोग अपनी वासनाको कावूमें लाना सीखें ।

हमें यह बात भी याद रखनी होगी कि नारी-जाति और उसकी आवश्यकताओकी हम बहुत उपेक्षा कर चुके । वह चाहता है कि इस वारेमें उसे भी जवान खोलनेका मौका दिया जाय, क्योंकि वह पुरुषको इसकी इजाजत देनेको तैयार नहीं है कि वह उसकी देहको बच्चे पैदा करनेका खेत समझे । सम्यताका बोझ उसके लिए इतना भारी पड़ रहा है कि बड़े कुटुंबके पालनका बोझ उससे नहीं चल सकता । डाक्टर मेरी स्टोप्स और कुमारी ऐलन स्त्रीके 'नाडी-संस्थानके शिथिल हो जाने'का उपाय कभी न करेगी । उनके बताये हुए उपाय ऐसे हैं जो स्त्रियो द्वारा काममें लाये जानेसे ही कारगर हो सकते हैं और उनके उपयोगसे असयत विषय-भोगको प्रोत्साहन मिलनेकी वनिस्वत स्त्रीके मातृकर्तव्यका अधिक अच्छी तरह पालन कर सकनेकी आशा रखी जानी चाहिए । जो हो, कुछ अवस्थाएँ ऐसी होती हैं जब छोटी बुराईको स्वीकार कर लेना बड़ी बुराईसे बचा देता है । कुछ बीमारियाँ इतनी खतरनाक हैं कि नाडी-मण्डलकी शिथिलताकी जोखिम उठाकर भी उनसे बचना ही होगा । बच्चेको दूध पिलानेके कालके बीच ऐसे 'तटस्थ काल' आते हैं जब समागम अनिवार्य होता है, पर उस समय गर्भ रह जाय तो स्त्रीके स्वास्थ्यके लिए हानिकर होता है । कितनी ही स्त्रियोके लिए प्रसवमें जानकी जोखिम रहती है, यद्यपि और सब तरह वे स्वस्थ होती हैं ।

“मैं यह नहीं चाहता कि आप जनन-नियंत्रणके प्रचारक हो जायें, मैं आपसे इसकी आशा भी नहीं रख सकता। आपके दिव्यतम रूपके दर्शन तो तभी होते हैं जब आप सत्य और ब्रह्मचर्यकी पवित्र ज्योति जगाते और उसके खोजियोंके सामने रखते हो। पर नासमझकी अपेक्षा समझदार मा-बापको इस ज्योतिकी तलाश अधिक होगी। जो जन्म-निरोधकी आवश्यकताको समझता है वह वासनाके निरोधका सामर्थ्य सहजमे प्राप्त कर लेगा। स्वच्छन्दता, बिना सोचे-विचारे काम करनेकी प्रवृत्ति और अज्ञान आज इतना बढ़ रहा है कि आपकी आवाज भी जगलमे रोने-जैसी हो रही है। आपके सकोचभरे और अनिच्छासे लिखे हुए लेखमे इसके लिए जितना अवकाश है इस विषय पर उससे अधिक खुली और आलोकजनक चर्चा होनेकी आवश्यकता है। आप उसमे शामिल न हो सके तो कम-से-कम उसकी आवश्यकता तो आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए और जरूरी हो तो समय रहते उसकी रहनुमाई भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे रास्तेमे अनेक खड्ड-खाइया हैं और उन खतरोंकी ओरसे आखे मूढ़ लेने तथा इस विषयपर कलम उठानेमे हिचकनेसे कोई लाभ न होगा।”

मैं आरम्भमे ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हू कि यह लेख न मैंने सन्यासियोंके लिए लिखा है और न सन्यासीकी हैसियत से लिखा है। सन्यासीका जो अर्थ समझा जाता है उस अर्थमे मैं अपने-आपको सन्यासी कह भी नहीं सकता। मैंने जो-कुछ लिखा है, उसका आधार मेरा २५ बरसका अपना अखड अनुभव ही है, जिसमे यदा-कदा, व्रतभंग हुआ है और उन मित्रोंका अनुभव है जिन्होंने इस आजमाइशमे इतने दिनोतक मेरा साथ दिया कि उनके अनुभवसे मैं कुछ नतीजे निकाल सकता हू। इस प्रयोगमे युवा और वृद्ध, पुरुष और स्त्री सभी शामिल हैं। उसमे किसी हदतक वैज्ञानिक प्रामाणिकता होनेका दावा भी मैं कर सकता हू। उसका आधार निस्सन्देह शुद्ध नैतिक था; पर उसका आरम्भ सन्तति-नियमनकी इच्छासे ही हुआ। मेरी अपनी स्थिति खास तौरसे ऐसी ही थी। वादके सोच-विचारसे उससे जवर्दस्त नैतिक परिणाम उत्पन्न हुए; पर सब सर्वथा स्वाभाविक क्रमसे ही उपजे। मैं यह कहनेका साहस भी कर सकता हू कि समझदारी और सावधानी-

से काम किया जाय तो बिना अधिक कठिनाईके ब्रह्मचर्यका पालन किया जा सकता है। यह दावा अकेला मेरा ही नहीं है, जर्मनी और दूसरे देशोंके प्रकृति-चिकित्सक भी यही कहते हैं। ये लोग बताते हैं कि जलका उपचार, मिट्टीका लेप और बिना मिर्च-मसालेका भोजन, खासकर फलाहार नाडी मडलको शांत करते हैं, और काम-क्रोधादिको जीतना आसान बना देते हैं तथा साथ-साथ नाडी-जालको सबल-सतेज भी बनाते हैं। राजयोगीको योग-क्रियाओंसे अकेले प्राणायामके नियमित अभ्याससे भी यही लाभ होता है। न पश्चिमी उपचार-विधि सन्यासियोंके लिए है और न प्राचीन भारतीय साधन-प्रणाली ही, बल्कि दोनों खास तौरसे गृहस्थोंके लिए ही है।

कहा जाता है कि जनन-निरोधकी आवश्यकता हमारे राष्ट्रके लिए है, क्योंकि उसकी आवादी बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे इसे माननेसे इनकार है। जनसंख्याकी अतिवृद्धि अभीतक असिद्ध है। मेरी रायमें तो जमीनका वन्दोवस्त और बँटवारा ठीक तौरपर हो जाय, खेतीका ढग सुधर जाय और कोई सहायक धधा उसके साथ जोड़ दिया जाय तो यह देश आज भी दूनी आवादीके भरण-पोषणका भार उठा सकता है। इस देशमें जनन-निरोधका प्रचार करनेवालोंका साथ जो मैं दे रहा हू वह महज उसकी वर्तमान राजनीतिक स्थितिके खयालसे।

मैं यह जरूर कहता हू कि सन्तानकी आवश्यकता न रह जानेपर लोगोंको अपनी काम-वासनाकी तृप्ति बढ़ कर देनी चाहिए। सयमका उपाय लोक-प्रिय और प्रभावकर बनाया जा सकता है। शिक्षित वर्गने कभी उसे ठीक तौरसे आजमाया नहीं। सयुक्त परिवारकी प्रथाकी बदीलत इस वर्ग कुटुम्ब-वृद्धिका बोझ अभी महसूस ही नहीं किया। जो कर रहे हैं उन्होंने प्रश्नके नैतिक पहलुओंपर कभी विचार नहीं किया। ब्रह्मचर्यपर जहा-तहा दो-चार व्याख्यान हो जानेके सिवा, खासकर वच्चोंकी अनिष्ट बाढ रोकनेके ही उद्देश्यसे, लोगोंको सयमकी शिक्षा देनेके लिए कोई व्यवस्थित प्रचार नहीं किया गया। उलटे यह वहम अब भी बहुतोंमें बना हुआ है कि अधिक बाल-वच्चोंका होना सीभाग्यका चिह्न है। धर्मका उपदेग करनेवाले आम तौरपर यह उपदेग नहीं देते कि कुछ विशेष अवस्थाओंमें सन्तानोत्पत्ति

रोकना भी वैसा ही धर्म होता है जैसा दूसरी अवस्थाओमें सतान उत्पन्न करना ।

मुझे ऐसी शका होती है कि जनन-निरोधके हिमायती इस बातको पक्की मान लेते हैं कि काम-वासनाकी तृप्ति जीवन-धारणके लिए आवश्यक और इष्ट कार्य है । उन्हें स्त्रियोंके लिए चिन्ता प्रकट करते देखकर तो बड़ी दया आती है । मेरी रायमें वनावटी साधनोसे गर्भ-निरोधके समर्थनमें स्त्रीके हितकी दलील देना उसका अपमान करना है । पुरुषकी कामुकता उसे यो ही काफी नीचे घसीट लाई है, अब कृत्रिम साधनोका प्रचार—प्रचारकोकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों न हो—उसे और नीचे गिराये विना न रहेगा । मैं जानता हू कि कुछ नई रोशनीवाली स्त्रिया भी इन साधनोका समर्थन कर रही हैं । पर मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि नारी-जातिका बहुत बड़ा भाग उन्हें अपने गौरवकी हानि करनेवाला मानकर ठुकरा देगा । पुरुषको सचमुच नारी-जातिके भलेकी चिन्ता है तो उसे चाहिए कि अपनी वासनाको वशमें करे । स्त्री उसे ललचाती नहीं । पुरुष आक्रान्ता होता है, इसलिए वस्तुतः वही, सच्चा मुजरिम और ललचानेवाला है ।

कृत्रिम साधनोके समर्थकोसे मेरा साग्रह अनुरोध है कि वे अपने प्रचारके नतीजोपर गौर करे । इन उपायोके अधिक उपयोगका फल होगा विवाहके बंधनका टूट जाना और स्वच्छन्द प्रेमकी बाढ । अगर पुरुषके लिए केवल वासनाकी तृप्तिके लिए ही सभोग करना जायज हो सकता है तो वह उस दशा-में क्या करेगा जब उसे लंबे अरसे तक घरसे दूर रहना पड़े, या वह लंबी लड़ाईमें सैनिकके रूपमें काम कर रहा हो, या विधुर हो गया हो, या पत्नी इतनी बीमार हो कि अगर उसे सभोगकी इजाजत दे तो कृत्रिम साधनोसे काम लेते हुए भी उसके स्वास्थ्यकी हानि हुए विना न रहे ?

पर एक दूसरे सज्जन लिखते हैं—

“जनन-नियंत्रणके विषयमें ‘यंग इंडिया’के हालके अंकमें आपका जो लेख निकला है उसके संबन्धमें मेरा नम्र निवेदन है कि कृत्रिम साधनोको हानिकार बताकर आप दावेको सबूत मान लेते हैं । पिछले सार्वभौम जनन-नियंत्रण सम्मेलन (लंदन, १९२२) की गर्भ-निरोध-परिषद्ने नीचे लिखे

आशयका प्रस्ताव स्वीकार किया था । इस प्रस्तावके विरोधमे उपस्थित १६४ डाक्टरोमेसे केवल तीनने हाथ उठाये थे—

“पाचवे सार्वभौम जनन-नियत्रण-सम्मेलनके चिकित्सक सदस्योकी इस बैठककी रायमे गर्भ-निरोधके स्वास्थ्य-नियमोके अविरोधी उपायोके द्वारा जनन-निरोध शरीरशास्त्र, कानून और नीति-शास्त्र तीनोकी दृष्टिसे गर्भ-पातसे सर्वथा भिन्न वस्तु है । उसका यह भी कहना है कि गर्भ-निरोधके उत्तम उपाय और साधन स्वास्थ्यकी हानि करनेवाले हैं या बाभ्रपन पैदा करते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है ।”

“चिकित्सा-शास्त्रके पंडित इतने स्त्री-पुरुषोकी, जिनमे से कुछ दुनियाके सबसे बड़े डाक्टरोमेसे हैं, राय मेरी समझसे कलमके एक फरटिसे नहीं काटी जा सकती । आप कहते हैं ‘कृत्रिम साधनोके उपयोगका अनिवार्य परिणाम मानसिक दुर्बलता और नाडी-मण्डलका शिथिल हो जाना है’—” वह ‘अनिवार्य’ क्यों है ? मैं यह कहनेका साहस करता हू कि अज्ञानवश हानिकर साधनोके इस्तमालसे भले ही ऐसा होता हो, पर आधुनिक वैज्ञानिक साधनोके व्यवहारसे इस तरहकी कोई हानि कदापि नहीं होती । यह तो इस बातकी एक और दलील है कि गर्भ-निरोधकी समुचित विधि उन सब लोगोको, जिन्हे उनकी जरूरत हो सकती है, अर्थात् सभी वय प्राप्त स्त्री-पुरुषोको सिखा दी जानी चाहिए । आप इन विधियोको वनावटी कहकर उनकी निन्दा करते हैं, फिर भी कहते हैं कि डाक्टर-वैद्य इन्द्रिय-सयमके उपाय ढूँढें । मैं आपका मतलब ठीक तरहसे समझ नहीं पाता, पर चूँकि आप डाक्टर-वैद्योकी बात कहते हैं, इसलिए पूछता हू कि उनके ढूँढे हुए उपाय भी तो उतने ही वनावटी, अप्राकृतिक होंगे ? आप फर्माते हैं, ‘समागमका उद्देश्य सुख-प्राप्ति नहीं, सन्तानोत्पादन है । यह उद्देश्य किसका है ?’ ईश्वरका ? ऐसा है तो उसने काम-वासनाकी सृष्टि किसलिए की ? आप यह भी कहते हैं कि ‘प्रकृति दया-माया-रहित है और अपना कानून तोडनेवालेसे पूरा बदला लेती है ।’ पर प्रकृति अन्तत व्यक्ति नहीं है, जैसा कि ईश्वरके विषयमे माना जाता है, और किसीके नाम फरमान नहीं निकालती । प्रकृतिके राजमे कर्मका फल अवश्य मिलता है । कुछ कर्मोको हम अच्छा कहते

हैं, कुछको बुरा । वनावटी साधनोको बरतनेवाले भी उसी तरह अपने कर्मका फल भुगतते हैं जिस तरह उनसे काम न लेनेवाले अपने कर्मोंका भोगते हैं । अतः जबतक आप यह सावित न कर दे कि बाह्य साधन और विधिया हानिकारक हैं तबतक आपकी दलीलका कुछ अर्थ नहीं होता । अपने अनुभवके बलपर मैं कह सकता हू कि ये चीजे बुरी नहीं हैं, बशर्ते कि ठीक तौरसे काममें लाई जाय । किसीका काम भला या बुरा होनेका फैसला उसके फल देखकर ही किया जा सकता है, अनुमान-परम्पराके सहारे नहीं ।

“सन्तति-नियमका जो रास्ता आप बताते हैं मालथसने भी उसपर चलनेकी सलाह दी थी, पर आप जैसे दस-बीस विशिष्ट पुरुषोंको छोड़कर उसपर चलना और किसीके बसकी बात नहीं । ऐसे उपाय बतानेसे क्या लाभ जो काममें लाये ही न जा सके ? ब्रह्मचर्यकी महिमा बहुत बढ़ाकर गाई जाती है । वर्तमान युगके चिकित्सा-शास्त्रके प्रामाणिक पंडित (मेरा मतलब उन लोगोसे है जो इस मसलेको धर्मकी ऐनकसे नहीं देखते) मानते हैं कि २२-२३ की उम्रके बाद सभोग न करनेसे निश्चित रूपसे हानि होती है । सन्तानकी कामनाको छोड़कर और किसी उद्देश्यसे किये गए समागमको आप जो पाप मानते हैं इसका कारण धर्मकी ओर आपका अनुचित झुकाव है । फलकी गारंटी पहलेसे तो कोई दे नहीं सकेगा, इसलिए आप हर आदमीको या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य-धारणका आदेश देते हैं या पापकी जोखिम उठानेका । शरीर-शास्त्र हमें यह शिक्षा नहीं देता, और लोगोसे यह कहनेके दिन लड़ चुके कि वे विज्ञानकी उपेक्षा करके किसी सन्त-महात्माके आदेशका अधानुसरण करे ।”

इस पत्रके लेखकको अपने मतका अटल आग्रह है । मैं समझता हू, यह दिखानेके लिए मैंने काफी मिसाले सामने रख दी कि अगर हमें विवाहको धर्म-बंधन मानना और उस बंधनकी पवित्रताको बनाये रखना है, तो हमें भोगको नहीं बल्कि सयमको जीवनका नियम मानना होगा । मैंने दावेको सबूत—विवादग्रस्त बातको सिद्ध—नहीं मान लिया है, क्योंकि मैं तो कहता हू कि जनन-निरोधके बाहरी उपाय कितने ही अच्छे क्यों न हों, पर हैं वे हानिकारक ही । हो सकता है, वे स्वयं निर्दोष हों और केवल इनलिए

हानिकारक हो कि वे सोई हुई काम-वासनाको जगाते हैं, जिसकी भूख भोजनसे गात होनेके बदले और भडकती जाती है। जिस मनको यह माननेकी आदत लग गई हो कि अपनी काम-वासनाकी तृप्ति केवल जायज ही नहीं, इष्ट भी है। वह जी भरकर विषय-सुख भोगेगा और अन्तमे मनसे इतना निर्वल हो जायगा कि वासनाओको रोकनेकी उसमे शक्ति ही न रह जायगी। मैं मानता हू कि एक वारके सभोगका अर्थ भी उस अनमोल शक्तिका क्षय है जो स्त्री-पुरुष सबके तन-मन और आत्माका बल-तेज बनाये रखनेके लिए परमावश्यक है। इस प्रसंगमे मैं आत्माका नाम ले रहा हू। पर अवतक मैंने इस चर्चासे उसको जान-बूझकर बाहर रखा था, क्योंकि इसकी गरज महज अपने पत्र-लेखकोकी दलीलोका जवाब देना है, जिन्हे आत्माके होने न होनेका कोई खयाल ही नहीं दिखाई देता। विवाहके अतिरेकमे पीडित और बल-तेज गँवाये हुए भारतको बनावटी साधनोकी सहायतासे काम-वासनाकी परितृप्तिकी नहीं, बल्कि पूर्ण सयमकी शिक्षाकी आवश्यकता है, और किसी विचारसे न सही तो केवल इसलिए कि उसका गया हुआ बल-तेज उसे फिर प्राप्त हो जाय। नीति-नाशक दवाओके विज्ञापन, जो हमारे पत्र-पत्रिकाओके लिए कलकरूप हो रहे हैं, जनन-निरोधके हिमायतियोंके लिए चेतावनी होने चाहिए। दिखाऊ लज्जा या शालीनता मुझे इस विषयकी विस्तृत चर्चा करनेसे नहीं रोक रही है, बल्कि इस बातका निश्चित ज्ञान उससे रोक रहा है कि हमारे देशके तन-मनसे वे-दम नौजवान उन देखनेमे सही-सी लगनेवाली दलीलोके सहजमे गिकार हो जाते हैं जो असयत विषय-भोगके पक्षमे दी जाती है।

दूसरे पत्र-लेखकने अपने पक्षकी पुष्टिमे जो डाक्टरी सर्टिफिकेट पेश किया है उमका जवाब देना अब मुझे जरूरी नहीं मालूम होता। मैं न यह कहता हू और न इससे इन्कार ही करता हू कि कृत्रिम साधनोके व्यवहारसे जननेन्द्रियोकी हानि होती या वाभूपन पैदा होता है। पर अपनी ही स्त्रीके साथ अति विषय-भोगके फलसे जो सैकड़ो युवकोके जीवनका नाश होते मैंने अपनी आखो देखा है, वडे-से-वडे डाक्टरोकी पलटन भी उसे काट नहीं सकती।

पहले लेखकने जो वनावटी दातकी दलील दी है वह मेरी रायमे यहा नही लगती । वनाये हुए दात निस्सन्देह वनावटी और अप्राकृतिक चीज है, पर उनसे एक आवश्यकताकी पूर्ति हो सकती है । मगर जनन-निरोधके कृत्रिम साधन तो उस आदमीका चूरन फाकना है जो अपनी भूख मिटानेके लिए नही बल्कि जीभको तृप्त करनेके लिए खाना चाहता हो । स्वादके लिए भोजन भी वैसा ही पाप है जैसा केवल भोग-सुखके लिए सभोग करना ।

तीसरे पत्रसे हमे एक जानने लायक बात मालूम होती है—“जनन-नियंत्रणका प्रश्न दुनियाकी सभी सरकारोको परेशान कर रहा है । यह तो आप जानते ही होंगे कि अमरीकाकी सरकार इसके प्रचारकी विरोधिनी है । निश्चय ही आपने यह भी सुन रखा होगा कि एक पूर्वीय साम्राज्य जापानने इन साधनोके प्रचार-व्यवहारकी आम इजाजत दे रखी है । एक हर हालतमे गर्भ-निरोधका निषेध करता है, चाहे वह कृत्रिम साधनोसे किया जाय या प्राकृतिक साधनोसे, दूसरा उसका पोषक प्रचारक है । दोनोकी वृत्तियोके कारण सर्वविदित है । मेरी समझसे अमरीकाके रुखमे कोई ऐसी बात नही जिसकी सराहना की जाय । पर जापानका कार्य क्या अधिक निदनीय है ? उसे कम-से-कम वस्तुस्थितिका सामना करनेका यश तो मिलना ही चाहिए । वह अपनी आवादीका वढना रोकनेके लिए लाचार है । मनुष्य-स्वभावको भी उसे, वह आज जैसा है वैसा, मानना ही होगा । ऐसी दशामे क्या जनन-निरोध उस अर्थमे, जिसमे पश्चिममे उसका ग्रहण होता है, उसके लिए एक-मात्र मार्ग नही ? आप कहेगे, ‘हर्गिज नही ।’ पर क्या मैं आपसे पूछ सकता हू कि आप जो रास्ता बताते हैं वह व्यवहार्य है ? वह आदर्श भले ही हो, पर क्या उसपर चला जा सकता है ? क्या जन-समाजसे सभोग-सुखके कहने लायक त्यागकी आगा रखी जा सकती है ? थोडेसे गौरवशाली पुरुषोके लिए जो सयम और ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं वह आसान हो सकता है ? पर क्या यह रास्ता इस योग्य है कि इसके प्रचारके लिए सार्वजनिक आन्दोलन किया जाय ? और हिन्दुस्तानकी हालत ऐसी है कि यहा देगव्यापी आम आन्दोलन होनेसे ही काम हो सकता है ।”

अमरीका और जापानकी स्थितिसे अपनी अनभिज्ञता मुझे स्वीकार करनी ही होगी । जापान जनन-निरोधका प्रचार क्यों कर रहा है इसका मुझे पता नहीं । लेखककी बताई हुई बातें अगर सही हैं और अप्राकृतिक उपायोसे जनन-निरोध जापानमें आम है तो मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि यह श्रेष्ठ राष्ट्र अपने नैतिक नाशकी ओर बहुत तेजीसे बढ़ रहा है ।

हो सकता है, मेरी राय विलकुल गलत हो, मेरे सिद्धान्त गलत तथ्योंके आधारपर स्थिर किये गए हो । पर वनावटी उपायोके समर्थक थोड़ा धीरज रखे । हालकी मिसालोंके सिवा उनके पास और कोई तथ्य-सामग्री नहीं है । निश्चय ही जो प्रणाली देखनेमें मनुष्यकी नीतिवृत्तिकी इतनी विरोधिनी जान पड़ती है उसके वारेमें निश्चयपूर्वक कुछ कहना अभी अति असामयिक है । अपनी जवानीके साथ खिलवाड़ करना आसान है, पर इस खिलवाड़के कुपरिणामोंसे बचना कठिन है ।

## गुह्य प्रकरण

जिन पाठकोने आरोग्यके प्रकरण ध्यानपूर्वक पढे है उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकरणको और भी ध्यानसे पढे, उसपर खूब विचार करे। अभी दूसरे प्रकरण लिखनेको वाकी है और मुझे आशा है कि वे उपयोगी भी होंगे। पर इस विषयपर दूसरा कोई भी प्रकरण इतने महत्त्वका न होगा। मैं पहलेसे बतला चुका हू कि इन प्रकरणोमे मैंने एक भी बात ऐसी नहीं लिखी है जिसको मैंने खुद अनुभव न किया हो और जिसपर मेरा दृढ विश्वास न हो।

आरोग्यकी बहुत-सी कुजिया है और सभी बहुत जरूरी हैं, पर उसकी मुख्य कुजी ब्रह्मचर्य है। अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी खूराकसे हम आरोग्य पा सकते हैं। पर हम जितना पैसा कमाये उतना सब उडा दे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। वैसे ही हम जितनी तदुरुस्ती कमाये उतनी सब खर्च कर डाले तो हमारे पास पूजा क्या होगी? स्त्री-पुरुष दोनोको आरोग्य-रूपी धनका सचय करनेके लिए ब्रह्मचर्य-धारणकी पूरी आवश्यकता है। इसमे किसीको भी शक-शुबहा न होना चाहिए। जिसने अपने वीर्यका सचय किया है वही वीर्यवान्, बलवान कहा और माना जा सकता है।

पूछा जायगा, ब्रह्मचर्य है क्या चीज? पुरुष स्त्रीका और स्त्री पुरुषका भोग न करे, यही ब्रह्मचर्य है। भोग न करनेका अर्थ इतना ही नहीं है कि एक दूसरेको भोगकी इच्छासे स्पर्श न करे बल्कि मन इसका विचार भी न करे। इसका सपना भी नहीं होना चाहिए। पुरुष स्त्रीको देखकर पागल न हो, स्त्री पुरुषको देखकर। प्रकृतिने जो गुह्य शक्ति हमे दे रखी है, हमे उचित है कि उसको अपने शरीरमे ही बनाये रखे और उसका उपयोग केवल तनको ही नहीं, मन, बुद्धि और धारणा-शक्तिको भी अधिक स्वस्थ-सबल बनानेमे करे।

पर अब देखिये, हमारे आस-पास कौन-सा दृश्य दिखाई दे रहा है ? छोटे-बड़े स्त्री-पुरुष सभी इस मोहमे डूब रहे हैं । ऐसे समय हम पागल-से हो जाते हैं । हमारी अकल ठिकाने नहीं रहती । काम हमें अधा बना देता है । कामके वशमे हुए स्त्री-पुरुषों और लडके-लडकियोंको मैंने बिलकुल पागल बन जाते देखा है । मेरा अपना अनुभव अभी इससे भिन्न नहीं है । जब-जब मेरी वह दशा हुई है मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा हू । यह चीज है ही ऐसी । रत्ती-भर रति-सुखके लिए हम मन भरसे अधिक शक्ति पल भरमे गँवा बैठते हैं । जब हमारा नशा उतरता है तो हम रक बन जाते हैं । अगले दिन सवेरे हमारा शरीर भारी रहता है । हमें सच्चा चैन नहीं मिलता । हमारा तन शिथिल होता है और मन बेठौर-ठिकाने हो जाता है । इन सबको ठिकाने लगानेके लिए हम सेरो दूध चढाते, रस-भस्म फाकते, 'याकूती' गोलिया खाते और वैद्योंके पास जा-जाकर 'पुष्टई' मागा करते हैं । क्या खानेसे काम बढेगा, इसकी खोजमे लगे रहते हैं । यो दिन जाते हैं और ज्यो-ज्यो बरस बीतते हैं हमारा शरीर और बुद्धि शिथिल होती जाती है और बुढापेमे अकल सठियाई हुई दिखाई देती है ।

पर वस्तुतः ऐसा होना ही न चाहिए । बुढापेमे बुद्धि मंद होनेके बदले और तीक्ष्ण होनी चाहिए । हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इस देहमे मिले हुए अनुभव हमारे और दूसरेके लिए लाभदायक हो सके और जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है उसकी ऐसी स्थिति रहती भी है । उसे मृत्युका भय नहीं रहता और मरते समय भी वह भगवान्को नहीं भूलता और न बेकारकी हाय-हाय करता है । मरणकालके उपद्रव भी उसे नहीं सताते और वह हँसते-हँसते यह देह छोडकर मालिकको अपना हिसाब देने जाता है । जो इस तरह मरे वही पुरुष और वही स्त्री है । उसीने सच्चे स्वास्थ्यका सम्पादन किया, यह माना जायगा ।

हम साधारणतः यह नहीं सोचते कि दुनियामे जो इतना भोग-विलास, डाह, वैर, बडप्पनका गर्व, आडवर, क्रोध, अधीरता आदि हैं उसकी जड हमारे ब्रह्मचर्य भग करनेमे ही है । यो हमारा मन हाथमे न रहे और हम रोज एक या अनेक बार बच्चेसे भी अधिक नासमझ हो जाय तो फिर

जानकर या अनजानमे कौन-कौनसे पाप हम नही करेगे, कौन-सा घोर कर्म है जिसे करनेमे हमे अटक होगी ?

पर ऐसे लोग भी है जो पूछेगे—ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करनेवालेको किसने देखा है ? सभी ऐसे ब्रह्मचारी हो जाय तो यह दुनिया कितने दिन टिकेगी ? इस प्रश्नपर विचार करनेमे धर्मकी चर्चा भी उठ सकती है । अतः उसके उस अगको छोडकर मै केवल लौकिक दृष्टिसे उसपर विचार करूंगा । मेरी रायमे यह दोनो सवाल हमारे कायरपन और डरपोकपनसे पैदा होते है । हम ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते नही, इसलिए उससे भागनेके लिए बहाने ढूढते रहते है । ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले इस दुनियामे बहुतेरे पड़े है । पर वे गली-गली मारे-मारे फिरे तो उनका मूल्य ही क्या होगा ? हीरा पानेके लिए हजारो मजदूरोको धरतीके पेटमे समा जाना पडता है । इसके वाद भी जब धूल-ककडोका पहाड धो डाला जाता है तब कही मुट्ठीभर हीरा हाथ लगता है । तब सच्चे ब्रह्मचर्यरूपी हीरेकी तलाशमे कितनी मेहनत करनी होगी, इसका जवाब हर आदमी त्रैराशिक करके निकाल सकता है । ब्रह्मचर्यके पालनसे सृष्टिकी समाप्ति हो जाय तो इससे अपने रामको क्या लेना-देना है ? हम कुछ ईश्वर नही है । जिसने सृष्टि रची है वह खुद उसकी फिक्र कर लेगा । दूसरे भी उसका पालन करेगे या नही यह सवाल तो हमे करना ही न चाहिए । हम जब वाणिज्य-व्यापार, वकालत आदि करने लगते है तब तो यह नही पूछते कि अगर सभी वकील-व्यापारी हो जायगे तो क्या होगा ? जो ब्रह्मचर्यका पालन करेगा उस पुरुष या स्त्रीको कुछ दिन बाद इस सवालका जवाब अपने-आप मिल जायगा । उसे अपने-जैसे दूसरे मिल जायगे और सभी ब्रह्मचारी हो जाय तो सृष्टि कैसे चलेगी यह भी दिनके उजालेकी तरह स्पष्ट हो जायगा ।

ससारी मनुष्य इन विचारोको किस तरह अमलमे ला सकता है ? विवाहित स्त्री-पुरुष क्या करे ? बाल-बच्चे वाले क्या करे ? जो कामको वशमे न रख सके वे क्या करे ?

हमारे लिए अच्छी-से-अच्छी स्थिति क्या हो सकती है, यह हमने देख लिया । इस आदर्शको हम अपने सामने रखे तो उसकी हूबहू या उससे

कुछ उतरती नकल उतार सकेंगे । हम वच्चेको अक्षर लिखना सिखाने लगते हैं तो सुन्दर-से-सुन्दर अक्षरके नमूने उसके सामने रखते हैं । वच्चा अपनी शक्तिके अनुसार उनकी पूरी-अधूरी नकल उतारता है । इसी तरह अखड ब्रह्मचर्यका आदर्श अपने सामने रखकर हम उसके अनुकरणका यत्न कर सकते हैं । व्याहकर लिया है तो क्या हुआ । प्रकृतिका नियम यही है कि स्त्री-पुरुषको जब सन्तानकी चाह हो तभी वे ब्रह्मचर्यका भग करे । जो दम्पती इसका ध्यान रखते हुए दो-तीन या चार-पाच वरसमें एक बार ब्रह्मचर्यको तोड़ेंगे वे विलकुल पागल नहीं बन जायेंगे और उनके पास वीर्यरूपी पूजा भी काफी जमा रहेगी । ऐसे स्त्री-पुरुष तो मुश्किलसे ही दिखाई देते हैं जो केवल सन्तानकी कामनासे ही सम्भोग करते हो । हजारो-लाखो जन तो अपनी काम-वासनाकी तृप्ति चाहते हैं और उसके लिए ही सम्भोग करते हैं । फल यह होता है कि उन्हें अपनी इच्छाके विरुद्ध सन्तानकी प्राप्ति होती है । विषय-सुख भोगनेमें हम इनने अन्धे हो जाते हैं कि आगे-पीछे कुछ सुभाई ही नहीं देता । इस विषयमें स्त्रीकी वनिस्वत पुरुष अधिक अपराधी होता है । वह इतना कामाध होता है कि स्त्रीमें गर्भ-धारण और वच्चेके पालन-पोषणका बोझ उठानेकी शक्ति है या नहीं, इसका उसे खयाल तक नहीं रहता ।

पश्चिमके लोग तो इस विषयमें सीमाका अतिक्रमण कर गये हैं । वे इसके लिए अनेक उपाय करते हैं कि वे विषय-सुख तो जी भरकर भोगते रहे पर वच्चेका बोझ उन्हें न उठाना पड़े । इन उपायोपर पुस्तके लिखी गई हैं और गर्भ-निरोधके साधन जुटाना एक रोजगार बन गया है । हम इस पापसे अभी तो मुक्त हैं, पर अपनी पत्नियोपर गर्भ-धारणका बोझ लादते हमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं होता, न इसकी ही परवाह होती है कि हमारी सन्तान निर्वल, निर्वुद्धि, वीर्यहीन और नपुंसक होगी । उलटे घरमें वच्चा पैदा होता है तो इसे भगवानकी दया मानते और उसे धन्यवाद देते हैं । निर्वल, निर्जीव, विषयी अपग सन्तान हो इसे हम ईश्वरका कोप क्यों न मानें ? वारह वरसका बालक वाप बने इसमें किस बातकी खुशी मनाये, किस बातका उछाव-व्रधाव करे ? वारह वर्षकी वच्चीका माता बनना ईश्वरका महाकोप क्यों न माना जाय ? साल दो-सालके लगाये

हुए पेडमें फल आये तो उसकी वाढ मारी जायगी, यह हम जानते हैं और वह इतनी जल्दी न फले इसका उपाय करते हैं। पर बालवधुके बालक वरसे सन्तान उत्पन्न हो तो हम गाते-ब्रजाते और दावते देते हैं ? क्या यह सामने खड़ी दीवारको न देखना नहीं है ?

हिन्दुस्तानमे या दुनियामे और कही निर्वीर्य-निकम्मे आदमी कीडो-मकोडोकी तरह पैदा हो तो इससे हिन्दुस्तान या दुनियाका उद्धार होगा ? एक दृष्टिसे तो पशु ही हमसे अच्छे हैं। हमे जब उनसे बच्चा पैदा कराना होता है तभी हम नर-मादाका सयोग कराते हैं। सयोगके बाद गर्भ-काल और प्रभवके बाद जबतक बच्चेका दूध नहीं छूटता और वह बडा नहीं हो जाता तबतकका काल अति पवित्र माना जाना चाहिए। इस कालमे स्त्री-पुरुष दोनोंको ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए। पर इसके बदले हम क्षण-भर भी मोचे-विचारे बिना अपना काम किये जाते हैं। इतना रोगी हो गया है हमारा मन। इसको कहते हैं असाध्य रोग। यह रोग हमे मौतके पास पहुँचा देता है, और मौत नहीं आती तबतक हम पागलकी तरह भरमते रहते हैं।

अतः विवाहित स्त्री-पुरुषोका फर्ज है कि अपने विवाहका गलत अर्थ न लगाकर मही अर्थ लगाये और जब उन्हे सचमुच सन्तानकी इच्छा और आवश्यकता हो तभी उत्तराधिकारीकी प्राप्तिके उद्देश्यसे समागम करे। हमारी आजकी दयनीय दशामे यह होना बहुत ही कठिन है। हमारी खराक, हमारी रूढ़-नरूढ़, हमारी बातचीत, हमारे आसपामके दृश्य सभी हमारी विषय-बाननागो जगानेवाले हैं। अफीमके नशेकी तरह विषय-वासना हमारे भिन्न-नवार रहती है। ऐसी स्थितिमे विचार करके पीछे हटना हमे तो मरेगा ? पर जो होना चाहिए वह कैसे होगा, यह पूछनेवालोंकी

ऊपर जो-कुछ लिखा गया है उससे हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि जो लोग अबतक अविवाहित हैं उन्हें इस कठिन कालमें ब्याह करना ही न चाहिए। और अगर ब्याह किये बिना चले ही नहीं तो जितनी देरसे कर सके, करे। २५-३० वर्ष तक ब्याह न करनेकी तो युवकोको प्रतिज्ञा ही कर लेनी चाहिए। इस व्रतसे स्वास्थ्यके अतिरिक्त जो अन्य अनेक लाभ होंगे उनका विचार हम यहा नहीं कर सकते। पर हर आदमी वे लाभ ले सकता है।

जो मा-बाप इस लेखको पढ़े उनसे मेरा कहना है कि जो लोग बचपन ही में अपने बेटे-बेटियोंका ब्याह या सगाई करके उन्हें बेच देते हैं वे उनका धोर अहित करते हैं। ऐसा करके वे अपने बच्चोका हित करनेके बदले अपने ही अन्धे स्वार्थका साधन करते हैं। उन्हें अपना बडप्पन दिखाना है, जाति-विरादरीमें नाम पैदा करना है, बेटेका ब्याह करके हौसला निकालना है। उन्हें बेटेका हित देखना हो तो उसकी पढाई-लिखाईपर निगाह रखे, उसकी सेवा-जतन करे, उसकी देहको दृढ-पुष्ट बनानेका उपाय करे। इस कठिन कालमें बचपनमें ही उनके गलेमें गृहस्थीका जुआ डाल देनेसे बढकर उनका अहित और क्या हो सकता है ?

अन्तमें स्वास्थ्यका नियम यह भी है कि पति-पत्नीमेंसे किसी एककी मृत्यु हो जाय तो दूसरा इसके वाद विधुरत्व या वैधव्य-व्रतका पालन करे। कितने ही डाक्टर कहते हैं कि जवान स्त्री-पुरुषको वीर्यपातका मौका मिलना ही चाहिए। दूसरे कितने ही डाक्टर कहते हैं कि किसी भी हालतमें वीर्य-पात आवश्यक नहीं। जब डाक्टर आपसमें यो लड रहे हो तब यह मानकर कि डाक्टर हमारे मतका समर्थन करते हैं हम विषय-भोगमें लीन रहे, यह कदापि न होना चाहिए। मेरे अपने और जिन दूसरोके अनुभव मैं जानता हू उनके आधारपर मैं निस्सकोच कह सकता हू कि स्वास्थ्य-रक्षाके लिए सभोगकी आवश्यकता नहीं है, यही नहीं, उससे—वीर्य-व्ययसे—स्वास्थ्यकी भारी हानि होती है। अनेक वरमोंमें कमाई हुई तन-मनकी शक्ति एक वार-के वीर्य-पातसे भी इतना खर्च हो जाती है कि उस छीजको भरनेके लिए बहुत समय चाहिए। और इतना वक्त लगाकर भी हम अपनी पहली

स्थितिको तो पहुँच ही नहीं सकते । टूटे हुए शीशेको मसालेसे जोड़कर आप उससे काम भले ही ले ले, पर वह होगा तो टूटा हुआ ही ।

वीर्यकी रक्षाके लिए स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ आहार और स्वच्छ विचारकी पूरी आवश्यकता है । इस प्रकार सदाचारका स्वास्थ्यके साथ बहुत नजदीकका नाता है । पूर्ण सदाचारी पुरुष ही पूर्ण स्वास्थ्यका सुख भोग सकता है । 'जगें तवसे सवेरा' मानकर जो लोग ऊपर लिखी बातोंपर भरपूर विचार करके उनमें दी हुई सलाहोंपर अमल करेंगे उन्हें सुद उनकी सचाईका अनुभव हो जायगा । जिसने थोड़े दिन ब्रह्मचर्यका पालन किया होगा वह भी अपने तन और मन दोनोंका बल बढा हुआ पायेगा । और यह पारस-मणि एक बार उसके हाथ लगी तो वह यावज्जीवन उसको बहुत सभालकर रखेगा । जरा भी चूकेगा तो तुरत उसे पता चल जायगा कि उसने भारी भूल की । मने तो ब्रह्मचर्यके अगणित लाभ जान और समझ लेनेके बाद भी भूले की और उनके कडवे फल भी चख लिये हैं । भूलके पहले अपने मनकी जो भव्य दशा थी और उसके बाद जो दीन दशा हो गई, दोनोंकी तलबीरे अब भी मेरी आँखोंके सामने आया करती है । पर अपनी चूकोने ही मैं इस पारस-मणिका मृत्यु जान सका । अब भी ब्रह्मचर्यका पालन पालन कर नकूंगा कि नहीं यह तो नहीं जानता, पर भगवान्की दया होनेमें पालन करनेकी आगा रखता हूँ । उसने मेरे तन-मनका जो उपकार किया है वह मैं दंग नकता हूँ । मैं वचनमें व्याहृत गया । वचनमें ही काममें

भोग-रत रहनेके वाद में जाग पाया। तब अगर वे २० साल भी में बचा सका होता तो आज मैं कहा होता ? मैं मानता हू कि वैसा हुआ होता तो आज मेरे उत्साहका पार न होता और जनताकी सेवामे या अपने स्वार्थके कामोमे ही मैं इतना उत्साह दिखलाता कि मेरी बरावरी करनेवालेकी पूरी परीक्षा हो जाती। इतना सार मेरे खडित ब्रह्मचर्यके उदाहरणमेसे खीचा जा सकता है। तब जो अखड ब्रह्मचर्यका पालन कर सकता है उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक बलको तो जिसने देखा है वही जान सकता है। उसका वर्णन नहीं हो सकता।

इस प्रकरणको पढनेवालोने यह तो समझ ही लिया होगा कि जब मैंने विवाहितको ब्रह्मचर्य-धारणकी ओर जिनका घर उजड गया है उन्हें विधुर या विधवा बने रहकर ही जिदगी बितानेकी सलाह दी है तब विवाहित या अविवाहित स्त्री या पुरुषको और कही अपनी काम-वासना तृप्त करनेका अवकाश तो हो ही नहीं सकता। परन्तु परस्त्री या वेश्यापर कुदृष्टि डालनेके जो घोर परिणाम होते हैं उनपर विचार करनेके लिए हम यहा नहीं रुक सकते। यह धर्म और नीति-तत्त्वका गम्भीर प्रश्न है। यहा तो इतना ही कहा जा सकता है कि परस्त्री-गमन और वेश्या-गमनसे आदमी गरमी-सूजाक जैसे रोगोसे पीडित होता और सडता दिखाई देता है। प्रकृति इतनी दया करती है कि ऐसे स्त्री-पुरुषको अपने पापका फल तुरत मिल जाता है। फिर भी वे सोये ही रहते हैं और अपने रोगोकी दवाकी खोजमे वैद्य-डाक्टरोके यहा भटकते रहते हैं। परस्त्री-गमन न हो तो ५० फीसदी वैद्य-डाक्टर बेरोज-गार हो जायगे। इन रोगोने मनुष्य-जातिको इस तरह जकड लिया है कि विचारशील डाक्टर भी कहते हैं कि परस्त्री-गमनकी बुराई समाजसे न गई तो हमारे लाख खोज करते रहनेपर भी मानव-जातिका नाश निश्चित है। इससे होनेवाले रोगोकी दवाए भी इतनी जहरीली है कि उनसे एक रोग जाता दिखाई देता है तो दूसरे देहमे डेरा डालते हैं और पीढी-दर-पीढी चलते हैं।

यह प्रकरण जितना मोचा था उससे अधिक लवा हो गया। अत अव विवाहित जनोको ब्रह्मचर्य-पालनके उपाय बताकर इसे समाप्त करता

हूँ । महज खूराक, हवा-पानीके नियमोका पालन करके ही कोई विवाहित पुरुष ब्रह्मचर्य नहीं निभा सकता । उसे अपनी स्त्रीके साथ एकान्तमे मिलना-जुलना बंद करना होगा । थोडा विचार करनेसे हर आदमी देख सकता है कि संभोगके सिवा और किसी बातके लिए अपनी स्त्रीसे एकान्तमे मिलनेकी जरूरत नहीं होती । रातमे पति-पत्नीको अलग-अलग कमरोमे सोना चाहिए । दिनमे दोनोको अच्छे कामो और अच्छे विचारोमे सदा लगे रहना चाहिए । जिनसे अपने सद्विचारको उत्तेजन मिले ऐसी पुस्तके पढे । ऐसे स्त्री-पुरुषोके चरित्रोका मनन करे और विषय-भोगमे दुःख-ही-दुःख है इसे सदा स्मरण रखे । संभोगकी इच्छा जब-जब हो तब-तब ठंडे पानीसे नहा लिया करे । शरीरमे रहनेवाली महाग्नि इससे और अच्छा रूप प्राप्त करेगी और स्त्री-पुरुष दोनोके लिए उपकारक होकर उनके सच्चे सुखकी वृद्धि करेगी । यह बात है तो कठिन, पर कठिनाइयोको जीतनेके लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है । जिसे सच्चा स्वास्थ्य भोगना हो उसे इस कठिनाईपर विजय प्राप्त करनी ही होगी ।

## सुधार या बिगाड़

एक भाई जिन्हे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लिखते हैं

“क्या प्रचलित नीति प्राकृतिक है ? यह प्रश्न मनमें बारबार उठा करता हूँ। आपने ‘नीति-धर्म’ लिखकर आजकी प्रचलित नीतिका समर्थन किया है। पर क्या यह नीति प्रकृति-प्रेरित है ? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह अप्राकृतिक है। आजकी नीतिकी बदौलत ही तो मनुष्य विषय-भोगमें पशुसे भी अधिक अधम बन गया है। आजकी नीति-मर्यादामें विवाह-सम्बन्ध सन्तोषजनक शायद ही होता हो, होता ही नहीं कह तो भी गलत न होगा। जब व्याहका नियम न था तब प्रकृतिके अनुसार स्त्री-पुरुषका समागम होता था और वह सुखदायी होता था। जबसे नीतिके बधन लगे तबसे तो यह समागम एक तरहकी व्याधि बन गया है जिसमें आज सारा जगत् ग्रस्त है और होता जा रहा है।

“फिर नीति कहे किसको ? एककी नीति दूसरेके लिए अनीति है। एक एक ही स्त्रीके साथ व्याह करना स्वीकार करता है, दूसरा अनेक पत्निया करनेकी छूट देता है। कोई चाचा-मामाके बेटे-बेटीके साथ विवाह-सम्बन्ध त्याज्य मानता है, कोई इसकी इजाजत देता है। तब किसे नीति माने ? मेरा तो कहना है कि व्याह एक सामाजिक विधान है, धर्मके साथ इसका कोई लगाव नहीं। अगले जमाने के महापुरुषोंने देश-कालके अनुसार नीति बना ली।

“अब आप देखे कि इस नीतिने दुनियाका किस तरह नाश किया है—

१. गरमी-सूजाक-जैसे रोग पैदा हुए। पशुओमें इन बीमारियोंका पता नहीं है, इसलिए कि उनमें समागम प्रकृतिके नियमानुसार होता है।

२. भ्रूण-हत्या और बाल-हत्याएँ हुईं, यह लिखते तो कलेजा काप

## अनीतिकी राहपर : सुधार या बिगाड़

उठता है। इस नीति-नियमके कारण ही कोमलहृदया माता कुरबनकर अपने ही हाथों, गर्भमे ही या गर्भसे बाहर आनेपर, अपने बच्चेका वध करती है।

३. बाल-विवाह, बेमेल विवाह इत्यादि इच्छा-विरुद्ध समागम। इसी समागमकी बदौलत आज दुनिया, खासकर हिन्दुस्तान बल-वीर्यमे इतना रक हो रहा है।

४ जन-जमीन-जरके झगडोमे 'जन' (स्त्री) के लिए होनेवाले झगडेका स्थान पहला है। यह भी आज चलनेवाली नीतिकी ही देन है।

“इन चारके सिवा और बातें भी होंगी। तब मेरी दलील सही हो। तो क्या प्रचलित नीतिमे सुधार न होना चाहिए।

“आप ब्रह्मचर्यको मानते हैं सो तो ठीक है। पर ब्रह्मचर्य अपनी खुशीका होना चाहिए, जोर-जबर्दस्तीका नहीं। मगर हिंदू तो लाखों विधवाओसे जबर्दस्ती ब्रह्मचर्य रखवाते हैं। इन विधवाओका दुख तो आप जानते हैं। इसकी बदौलत बाल-हत्याएँ होती हैं, यह बात भी आपसे छिपी नहीं है। ऐसी दशामे उनके पुनर्विवाहके पक्षमे आप जबर्दस्त आन्दोलन चलाये तो क्या यह कम महत्त्वका कार्य होगा? फिर इस ओर जितना चाहिए उतना ध्यान आप क्यों नहीं देते?”

मैं समझता हूँ, लेखकने इस लेखमे जो प्रश्न उठाये हैं वे केवल इसीलिए उठाये गये हैं कि मैं इस विषयपर कुछ लिखूँ। कारण यह कि इसमे जिस पक्षका समर्थन किया गया है उस पक्षका समर्थन लेखक खुद करता होगा यह मैं नहीं जानता। पर इतना जानता हूँ कि इस लेखमे जो प्रश्न आये हैं वे अब हिन्दुस्तानमे भी उठने लगे हैं। इन विचारोकी पैदाइश पश्चिममे हुई है। ब्याह दकियानूसी, जगली, अनीति बढ़ानेवाली प्रथा है—यह माननेवालोकी संख्या पश्चिममे पहले भी कुछ छोटी नहीं थी। अब तो शायद वह बढ़ती भी जा रही है। ब्याहको जगली रिवाज माननेके लिए पच्छिममे जो दलीले दी जाती हैं उन सभीको मैंने नहीं पढ़ा है। पर प्रस्तुत लेखकने जो दलीले दी हैं वैसे ही वे हो तो मुझ-जैसे पुराण-पथी (या मेरा यह दावा टिक सकता हो तो सनातनी) को उनका खडन करनेमे कोई कठिनाई या परेशानी न होगी।

मनुष्यकी पशुके साथ तुलना करना ही भूलकी जड है। मनुष्यके लिए जो नीति और मानदंड व्यवहृत होता है वह पशु-नीतिसे अनेक विषयोंमें भिन्न और श्रेष्ठ है। और इस भेदमें ही मनुष्यकी विशेषता है। इसलिए प्रकृतिके नियमोंका जो अर्थ पशु-योनिके लिए किया जाता है वह मनुष्य-योनिपर सदा घटित नहीं होता। मनुष्यको ईश्वरने विवेककी शक्ति दे रखी है। पशु पूर्णतया पराधीन हैं। पशुके लिए स्वतन्त्रता अर्थात् पसन्द, चुनाव जैसी कोई चीज है ही नहीं। पर मनुष्यकी अपनी पसन्द होती है—दो चीजोंमेंसे एकको वह चुन सकता है, भले-बुरेका विचार कर सकता है, और स्वतन्त्र होकर काम करता है इससे उसके लिए पाप-पुण्य भी होता है। पर जहां उसके लिए पसन्द-चुनावका अवकाश है वहां पशुसे हीन बन जानेका अवकाश भी है। वह अगर अपने दिव्य स्वभावका अनुसरण करे तो वह पशुसे ऊपर भी उठ सकता है। जगली-से-जगली जान पडती हुई जातिमें भी थोड़ा-बहुत विवाहका बधन होता ही है। अगर कहिए कि इस बधनमेंही उसका जगलीपन है, क्योंकि पशु इस बधनमें बधता ही नहीं तो इसका अर्थ यह निकला कि स्वच्छन्दता ही मनुष्यका नियम है। पर सारे मनुष्य चौबीस घंटे भी पूर्ण स्वच्छाचारी बने रहे तो दुनियाका खातमा ही हो जाय। कोई किसीकी न सुने, न माने, स्त्री-पुरुषके बीच किसी मर्यादाका होना अधर्म माना जाय। मनुष्यके वासना-विकार तो पशुसे प्रबल होते ही हैं। इन विकारोंकी लगाम ढीली कर दी जाय तो इनके वेगमेंसे पैदा होनेवाली आग ज्वालामुखीका विस्फोट बनकर क्षण-भरमें दुनियाको भस्म कर डालेगी। थोड़ा-सा विचार करनेसे यह बात हमारे लिए स्पष्ट हो जायगी कि मनुष्यने जो इस जगत्के दूसरे अनेक प्राणियोंपर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है वह केवल अपने सयम, त्याग, आत्म-बलिदान, यश और कुरवानीके बलसे ही किया है।

गरमी-सूजाकका उपद्रव व्याहकी बदौलत नहीं है। उनकी उत्पत्तिके कारण है विवाहके नियमोंका भंग किया जाना और मनुष्यका पशु न होते हुए भी पशुका अनुकरण करते जाकर दूषित हो जाना। विवाहके नियमोंका पालन करनेवाले एक भी आदमीको मैं नहीं जानता जिसे कभी ऐसी भयानक बीमारिया हुई हो। चिकित्सा-शास्त्रने इस बातको सिद्ध कर

दिया है कि जहा-जहा रोग हुए है वहां-वहा मुख्यतः विवाह-नीतिका भग करने या इस नीतिका भग करनेवालोके स्पर्शसे ही हुए है । बाल-विवाह और बाल-हत्याकी निर्दय प्रथा भी विवाह-नीतिसे नही बल्कि उस नीतिका भग करनेसे पैदा हुई है । विवाह-नीति तो यह कहती है कि जब पुरुष या स्त्री पूरी उम्रको पहुँच जाय, उसे सन्तानकी चाह हो, वह तन-मनसे स्वस्थ हो, तभी कुछ मर्यादाओके अदर रहते हुए वह अपने लिए योग्य साथी ढूँढ ले या उसके मा-बाप ढूँढ दे । उस साथीमे भी आरोग्य आदि गुण होने ही चाहिए । इस विवाह-नीतिका अनुसरण करनेवाले आदमी दुनियामे कही भी जाकर देखिए, सुखी ही दिखाई देगे । जो बात बाल-विवाहकी है वही वैधव्यकी भी है । दु खरूप वैधव्य विवाह-नीतिके भगसे ही उत्पन्न होता है । जहां शुद्ध सच्चा ब्याह हुआ हो वहा वैधव्य या विधुरत्व सहज सुखरूप और शोभा-रूप होते है । विवाह-सम्बन्ध जहा ज्ञानपूर्वक जोडा जाता है वहा यह सम्बन्ध केवल देहका ही नही बल्कि आत्माका भी होता है । और आत्माका सम्बन्ध देह छूट जानेपर भी बना रहता है, वह तो कभी भुलाया ही नही जा सकता । जिसे इस सम्बन्धका ज्ञान है उसके लिए पुनर्विवाह अनहोनी बात है, अनुचित है, अधर्म है । जिस ब्याहमे ऊपर बताये हुए नियमोका पालन न हो उस सम्बन्धको ब्याह कहना ही न चाहिए । और जहा विवाह नही वहा वैधव्य या विधुरत्व-जैसी कोई चीज हो ही नही सकती । ऐसे आदर्श विवाह अगर हमे अधिक होते हुए नही दिखाई देते तो यह उस विवाहकी प्रथाका नाश करनेका नही बल्कि उसे दृढ नीवपर स्थापित करनेकी दलील होनी चाहिए ।

सत्यके नामसे असत्य चलानेवालोकी सख्या देखकर कोई सत्यमें ही दोष निकाले या उसकी अपूर्णता सिद्ध करनेका यत्न करे तो हम उसे अज्ञान मानेगे । वैसे ही विवाह-नीतिके भगके उदाहरणोसे उस नीतिकी निंदा करनेका यत्न भी अज्ञान और अविचारका ही लक्षण है ।

लेखकका कहना है कि विवाह धर्म या नीतिका विषय नही है, यह तो महज एक रूढि या रिवाज है, और वह भी धर्म और नीतिके विरुद्ध है, इस-लिए इस लायक है कि उठा दिया जाय । पर मेरी अल्प मतिके अनुसार तो विवाह धर्मकी रक्षा करनेवाली बाड़ है और वह न रही तो दुनिया मे धर्म

नामकी कोई वस्तु भी न रहेगी। धर्मकी नींव ही सयम या मर्यादा है। जो आदमी सयमी, परहेजगार नहीं है वह धर्मको क्या समझेगा? पशुकी वनिस्वत मनुष्यमे वासना-विकार बहुत अधिक है। दोनोके विकारोकी तुलना हो ही नहीं सकती। जो आदमी अपनी वासनाओ, विकारोको वशमे नहीं रख सकता वह ईश्वरकी पहचान कर ही नहीं सकता। इस सिद्धान्तका समर्थन करनेकी आवश्यकता ही नहीं। कारण यह कि जो ईश्वरका अस्तित्व अथवा आत्मा और देहकी भिन्नताको स्वीकार नहीं करता उसके लिए विवाह-वधनकी आवश्यकता सिद्ध करना कठिन होगा, यह मैं मानता हू। और जो आत्माका अस्तित्व स्वीकार करता और उसका विकास करना चाहता है उसे यह समझानेकी जरूरत होती ही नहीं कि देहका दमन किये बिना आत्माकी पहचान या उसका विकास होना अनहोनी बात है। देह या तो स्वच्छद आचरणका साधन होगी या आत्माको पहचाननेका तीर्थक्षेत्र। अगर वह आत्माकी पहचान करनेवाला तीर्थस्थान है तो उसमे स्वेच्छाचारके लिए स्थान हो ही नहीं सकता। देहको आत्माके अधीन करनेका प्रयत्न प्रतिक्षण कर्त्तव्य है।

‘जन-जमीन-जर’ ‘भगडेके घर’ वही होते हैं, जहा सयम-धर्मका पालन नहीं होता। ब्याहकी प्रथाको मनुष्य जितना ही आदर-मान देगा स्त्री ‘भगडेका घर’ बननेसे उतना ही बचेगी। अगर हरएक स्त्री-पुरुष पशुकी तरह जब जैसा चाहे आचरण कर सके तो सब मनुष्य आपसमें लडकर एक-दूसरेका नाश ही कर डाले। इसलिए मेरी तो यह पक्की राय है कि जिन दोष-दुराचारोका उल्लेख लेखकने किया है उनकी दवा विवाह-धर्मका छेदन नहीं बल्कि उसका सूक्ष्म निरीक्षण और पालन है।

कही स्वजनो और निकट सम्बन्धियोमे ब्याहका सम्बन्ध जोडनेकी इजाजत है, कही नहीं, और यह निस्सदेह नीतिकी भिन्नता है। कही एक-पत्नी-व्रतका पालन धर्म माना जाता है, कही एक साथ कई पत्नियोका पति बननेमें प्रतिवध नहीं होता। नीतिमे यह भिन्नता न होना इष्ट है। पर यह भेद हमारी अपूर्णताकी सूचना देता है, नीतिकी अनावश्यकताका नहीं। हमारा अनुभव ज्यों-ज्यों वटता जायगा त्यो-त्यो सब जातियो और सब

धर्मोंके माननेवालोमे नीतिकी एकता पैदा होती जायगी । नीतिकी सत्ता स्वीकार करनेवाला जगत् तो आज भी एकपत्नी-व्रतको ही आदरकी दृष्टिसे देखता है । कोई भी धर्म यह तो कहता ही नहीं कि अनेक स्त्रियोको पत्नी बनाना पुरुषपर फर्ज है, वह इसकी छूट भर देता है । देश-काल देखकर किसी बातकी इजाजत दे दी जाय तो इससे आदर्श गलत नहीं हो जाता और न आदर्शकी भिन्नता ही सिद्ध होती है ।

विधवाओंके विषयमे अपने विचार मैं अनेक वार प्रकट कर चुका हू । वाल-विधवाका पुनर्विवाह मैं इष्ट मानता हू । इतना ही नहीं, यह भी मानता हू कि उसका व्याह कर देना मा-बापका फर्ज है ।

## वीर्य-रक्षा

कुछ नाजुक मसलोकी निजी तौरपर चर्चा करना पसन्द करते हुए भी मुझे प्रकाश्य रूपमे उनकी चर्चा करनी पडती है । 'यग इडिया'के पाठक मुझे इसके लिए माफ करेगे । पर जिस साहित्यको मुझे मजबूरन सरसरी तौरपर पढ लेना पडा है और श्री व्यूरोकी पुस्तकपर मेरी आलोचना-को लेकर मेरे पास जो पचासो पत्र आये है उनके कारण समाजके लिए अति महत्वपूर्ण एक प्रश्नकी सार्वजनिक रूपमे चर्चा करना जरूरी हो गया है । एक मलावारी भाई लिखते है—

“श्री व्यूरोकी पुस्तककी आलोचनामे आपने लिखा है कि ब्रह्मचर्य अथवा लंबे अरसेतक सयम रखनेसे किसीकी हानि हुई हो, इसकी एक भी मिसाल हमे नही मिलती । मुझे खुद अपने लिए तो अधिक-से-अधिक तीन सप्ताह तक सयम रखना ही लाभजनक मालूम होता है । इसके बाद आम तौरसे मुझे वदन भारी और मन-शरीर दोनोमें बेचैनी मालूम होने लगती है, जिससे मिजाजमे भी चिडचिडापन पैदा हो जाता है । तभी तबीयत ठिकाने आती है जब स्वाभाविक सयोग द्वारा वीर्यपात हो जाय या प्रकृति खुद ही स्वप्नदोषके रूपमे उसका उपाय कर दे । इससे देह या दिमागमे कमजोरी महसूस करनेके बदले सवेरे उठनेपर मैं अपना दिमाग ठंडा और हलका पाता हूँ और अपना काम अधिक उत्साहसे कर सकता हूँ ।

“मेरे एक मित्रके लिए तो सयम स्पष्ट रूपसे हानिकर सिद्ध हुआ । उनकी उम्र ३२के लगभग होगी । पक्के आकाहारी और धर्मनिष्ठ पुरुष है । न कोई तनका दुर्व्यसन है, न मनका । फिर भी दो साल पहले तक, जब उन्होने व्याह किया, रातमे स्वप्नदोष होकर, बहुत अधिक वीर्यपात हो जाया करता था, जिससे सवेरे तन, मन दोनो बहुत सुस्त, कमजोर मालूम

होते थे । कुछ दिन बाद उन्हें पेड़ूमे असह्य पीडा होने लगी । गावमे एक वैद्यकी सलाहसे उन्होने ब्याह कर लिया और अब भले-चगे है ।

“मैं बुद्धिसे तो ब्रह्मचर्यकी श्रेष्ठताका कायल हूँ, जिसके विषयमे हमारे सभी प्राचीन शास्त्र एकमत है । पर जो अनुभव मैंने ऊपर लिखा है उससे स्पष्ट है कि हमारी शुक्र-ग्रथियोसे जो वीर्य निकलता है उस सबको पचा लेनेकी शक्ति हममे नही है और वह फाजिल वीर्य विष हो जाता है । अतः आपसे सवितनय प्रार्थना है कि मुझ-जैसे लोगोके लिए, जिन्हे सयम और ब्रह्मचर्यके महत्त्वमे पूर्ण विश्वास है, ‘यग इण्डिया’ मे हठयोगके आसन जैसा कोई साधन या क्रिया बतानेकी कृपा करे जिससे हम अपने शरीरमे पैदा होनेवाले वीर्यको पचा लेनेमे समर्थ हो सके ।”

पत्र-लेखकने जो मिसाले पेश की है वे सामान्य अनुभव हैं । ऐसे अनेक उदाहरणोमे मैंने देखा है कि लोग दो-चार अनुभवोको ही लेकर सामान्य नियम बना लेते हैं । वीर्यको पचा लेनेका सामर्थ्य लबे अभ्याससे प्राप्त होता है । यह अनिवार्य भी है, क्योंकि इससे हमें तन-मनका जो बल मिलता है वह और किसी साधनासे नही मिल सकता । दबाए और ऊपरी उपाय शरीरको मामूली तौरसे ठीक रख सकते हैं । पर मनसे वे इतना निर्वल कर देते हैं कि वासनाएं और विकार घातक शत्रुकी तरह हर आदमीको सदा घेरे रहते हैं । उनका सामना करनेकी शक्ति उसमे नही रह जाती ।

हम अक्सर जो फल चाहते हैं उनसे उलटे फल देनेवाले नही तो उनकी प्राप्तिमे बाधक होनेवाले कर्म करते हैं । हमारा जीवन-क्रम वासनाओकी तृप्तिको लक्ष्य मानकर ही बनाया गया है । हमारा भोजन, हमारा साहित्य, हमारा मन-बहलाव, हमारा काम करनेका समय, सभी इस ढगसे रखे गये हैं कि हमारी पागव वासनाओको उभारे और पोसे । हममेंसे सैकड़ें ६०-६५ लोगोकी इच्छा होती है कि ब्याह करे, बाल-बच्चे हो और जीवनका मुख—मर्यादित रूपमे ही सही—भोगे । जीवनके अन्ततक यही ढर्रा चलता रहता है ।

पर नियमके अपवाद सदा हुए हैं, आज भी हैं । ऐसे लोग भी हुए हैं और हैं जो अपना सपूर्ण जीवन मानव-जातिकी सेवामे लगा देना चाहते थे । मानव-जातिकी सेवा भगवान्की भक्तिका समानार्थक है । वे अपने विशेष

कुटुम्बके पालन-पोषण और विश्वकुटुम्बकी सेवामें अपने समयका बटवारा करना नहीं चाहते। निश्चय ही ऐसे स्त्री-पुरुषोंके लिए वह साधारण जीवन-क्रम रखना संभव नहीं जो विशेष, वैयक्तिक स्वार्थोंकी पूर्तिको उद्देश्य मानकर बनाया गया है। जो भगवान्को पानेके लिए ब्रह्मचर्य-व्रत लेगा उसे जीवनकी लगाम ढीली कर देनेसे मिलनेवाले सुखोका मोह छोड़ना ही होगा और इस व्रतके कड़े बधनोमें ही सुख मानना होगा। वह दुनियामें रहे भले ही, पर उसका होकर नहीं रहेगा। उसका भोजन, उसका काम-घघा, उसके काम करनेका समय, उसके मन-बहलावके साधन, उसका साहित्य, जीवनके प्रति उसकी दृष्टि, सभी साधारण जन-समुदायसे भिन्न होंगे।

अब हम यह पूछ सकते हैं कि पत्र-लेखक और उनके मित्रने क्या पूर्ण ब्रह्मचारी बननेका सकल्प किया था और किया था तो अपने जीवनके ढगको उस साचेमें ढाल लिया था? अगर यह नहीं किया था तो यह समझना कठिन नहीं कि क्यों एकको वीर्यपातसे आराम मिलता था और दूसरेको उससे सुस्ती-कमजोरी पैदा होती थी। ब्याह निस्सदेह-दूसरेके लिए दवा था। उन लाखों-करोड़ों आदमियोंके लिए भी वह परम स्वाभाविक और इष्ट अवस्था है जिनका मन उनके न चाहनेपर भी सदा ब्याह और विवाहित जीवनकी वाते सोचा करता है। न दवाये हुएपर अमूर्त विचारकी शक्ति उस विचारसे कहीं अधिक होती है जो मूर्तिमान हो चुका हो, अर्थात् कार्य-रूप प्राप्त कर चुका हो। और जब कर्मपर समुचित अकुश रखा जाता है तब वह खुद विचारपर ही असर डालने और उसे ठीक रास्तेपर लगाने लगता है। इस रीतिसे कार्य-रूप प्राप्त करनेवाला विचार बन्दी बनकर हमारे वशमें आ जाता है। इस दृष्टिसे देखिए तो ब्याह भी सयमका एक प्रकार ही है।

जो लोग सयमका जीवन विताना चाहते हैं, उन्हें व्यैरेवार हिदायते एक छोटे-से अखबारी लेखमें नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगोंको तो मैं अपनी छोटी-सी पुस्तक 'आरोग्यविषयक सामान्य ज्ञान' पढ़ जानेकी सलाह दूंगा, जो इसी उद्देश्यको लेकर कुछ वरस पहले लिखी गई थी। नये अनुभवोंकी दृष्टिसे उसके कुछ अशोको दौहरानेकी जरूरत जरूर हो गई है, पर उसके

एक भी शब्दको मैं वापस लेनेके लिए तैयार नहीं हूँ। फिर भी समय-पालनके सामान्य नियम यहाँ बताये जा सकते हैं—

१. मिताहारी बनिए, सदा थोड़ी भूख बाकी रहते ही चौकेपरसे उठ जाइए।

२. अधिक मिर्च-मसालेवाली और अधिक घी-तेलमें तली-पकी साग-भाजियोंसे परहेज रखिए। जब दूध काफी मिलता हो तो अलगसे घी-तेल खानेकी जरूरत बिलकुल नहीं होती। और जब वीर्यका व्यय बहुत थोड़ा होता है तब थोड़ा भोजन भी काफी होता है।

३. तन-मन दोनोंको सदा सुथरे कामोंमें लगाये रखिए।

४. जल्दी सोने और जल्दी उठनेका नियम जरूरी चीज है।

५. सबसे बड़ी बात यह है कि समयका जीवन बितानेके लिए भगवान्के पाने, उनसे सायुज्य-लाभकी उत्कट जीती-जागती इच्छा होना पहली गर्त है। हृदय जब इस बुनियादी बातका अनुभव करने लगेगा तब यह विश्वास दिन-दिन बढ़ता जायगा कि भगवान् अपने इस औजारको खुद साफ-सुथरा और काम देने लायक बनाये रखेंगे। गीता कहती है—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

और यह अक्षरशः सत्य है।

पत्र-लेखक आसन और प्राणायामकी बातें करते हैं। मैं मानता हूँ कि समयके पालनमें आसन-प्राणायामका स्थान महत्त्वपूर्ण है। पर मुझे खेदके साथ कहना पड़ता है कि इस विषयमें मेरा अनुभव इस लायक नहीं कि लिखा जाय। जहातक मैं जानता हूँ, इस विषयपर ऐसा साहित्य नहींके बराबर ही है जिसका आधार इस जमानेका अनुभव हो। पर यह क्षेत्र अन्वेषण करने योग्य है। मगर मैं अनुभवहीन पाठकोको यह चेतावनी दूँगा कि वे इसके प्रयोग न करें और न जो कोई हठयोगी उन्हें मिल जाय उसको गुरु बना लें। उन्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि समययुक्त और धर्म-निष्ठ जीवन ब्रह्मचर्यके अति अभीष्ट लक्ष्यकी सिद्धिके लिए पर्याप्त है।

## मनोवृत्तियोंका प्रभाव

एक भाई लिखते हैं—

“जनन-निरोधके विषयपर ‘यंग इंडिया’में आपने जो लेख लिखे हैं उन्हें मैं बड़े चावसे पढता रहा हूँ। आशा है, आपने जे० ए० हैडफील्डकी पुस्तक ‘साइकालोजी एंड मॉरल्स (मानस-शास्त्र और नीति) पढी होगी। मैं उसके इन वाक्योंकी ओर आपका ध्यान खीचना चाहता हूँ—‘काम-वासना की अभिव्यक्ति जब हमारी नीति-भावनाके प्रतिकूल होती है तो हम उसे रति-सुख कहते हैं और जब वह हमारी प्रेम-भावनाके अनुकूल होता है तब हम उसे कामजनित आनन्द कहते हैं। काम-वासनाकी यह अभिव्यक्ति या तृप्ति पति-पत्नीके परस्पर प्रेमको नष्ट न करके उसको और गाढा करती है। पर सयमरहित सभोग और काम-वासनाकी तृप्ति हेय सुख है, इस भ्रमसे किया जानेवाला इन्द्रिय-दमन दोनो अक्सर मिजाजमें चिडचिडापन पैदा करते और प्रेमको शिथिल कर देते हैं।’ अर्थात्, लेखक यह मानता है कि सभोग सन्तानोत्पादनके अतिरिक्त पति-पत्नीके परस्पर प्रेमको भी अधिक पुष्ट और दृढ करता है, इसलिए वह एक धार्मिक सस्कार या क्रिया जैसा है और लेखककी बात ठीक हो तो केवल सन्तानोत्पादनके लिए किया जानेवाला ही सभोग जायज है—अपने इस सिद्धान्तका समर्थन आप किस तरह करेगे, यह जाननेकी मुझमें उत्सुकता है। मैं खुद तो लेखककी रायको ठीक ही मानना चाहता हूँ, क्योंकि वह मानस-शास्त्रके एक प्रमुख पंडितकी राय तो है ही, मैं खुद भी ऐसे लोगोको जानता हूँ जिनका दाम्पत्य-जीवन प्रेम-भावनाकी शरीर-सगके रूपमें व्यक्त करनेकी स्वाभाविक इच्छाके दमनकी कोशिशसे विकृत और नष्ट हो गया है। एक मिसाल लीजिये। एक युवक और एक युवती एक दूसरेको प्यार करते हैं। पर उनके पास इतना पैसा

नही कि बच्चेके पालन पोषण-और पढाने-लिखानेका बोझ उठा सके । यह तो आप भी जानते ही होंगे कि इस सामर्थ्यके बिना बच्चा पैदा करना पाप है । आप चाहे तो यह भी कह सकते हैं कि बच्चा पैदा करना स्त्रीकी तन्दुरुस्तीके लिए खराब होगा या उसके पास यो ही जरूरतसे ज्यादा बच्चे हैं । अब आपके मतानुसार इस जोड़ेके लिए दो ही रास्ते हैं—या तो वे ब्याह करे और अविवाहितकी तरह अलग-अलग रहे या अविवाहित रहे । पहली हालतमे हैडफील्डकी बात सही हो तो वासनाके दमनके कारण उनमे चिड़-चिड़ापन पैदा होगा और उनका प्रेम नष्ट होगा । दूसरी सूरतमे भी वह नष्ट होगा, क्योंकि प्रकृति हमारी मानव-व्यवस्थाओंका कतई लिहाज नहीं करती । यह बेशक हो सकता है कि वे एक-दूसरेसे जुदा हो जाय । पर इस बिलगावमे भी मन तो अपना काम करता रहेगा । अतः वासनाके दमनसे मानस विकृतिया उत्पन्न होगी । और अगर समाज-व्यवस्थाको बदलकर ऐसी कर दे कि हर आदमी अधिक-से-अधिक बच्चोंका बोझ उठानेमे समर्थ हो जाय तो भी जातिके लिए अति वश-वृद्धि और स्त्रीके लिए अति प्रसवका खतरा तो बना ही रहेगा । कारण यह कि पुरुष अतिशय सयम करते हुए भी साल-भरमे एक बच्चेका बाप तो बन ही जायगा । अतः आप या तो ब्रह्मचर्यका समर्थन करे या जनन-निरोधका । क्योंकि यदा-कदाके समागमका अर्थ भी प्रतिवर्ष एक सन्तानकी प्राप्ति हो सकती है और जैसा कि कभी-कभी अग्नेज पादरियोंके यहा होता है, यह पतिके लिए तो भगवान्का प्रसाद होगा; पर बेचारी पत्नीके लिए मौतके मुहमे पैठना हो सकता है ।

“आप जिसे सयम कहते हैं वह भी प्रकृतिके काममे उतना ही हस्तक्षेप है जितना गर्भ-निरोधके कृत्रिम साधन; बल्कि उससे बडा हस्तक्षेप है । गर्भ-निरोधके साधनोकी बदौलत मनुष्य विषय-भोगमे अति कर सकता है और यह वह करेगा नि शक चित्तसे । और अगर वह अपने-आपको बच्चोंकी पैदाइशका कारण नहीं बनने देता तो उस पापका फल वह खुद ही भुगतेगा, और किसीको वह न भुगतना होगा । याद रखिये, खानोके मजदूरो और मालिकोमे आज जो संघर्ष हो रहा है उसमे अन्तमे मालिक ही जीतेगे,

क्योंकि मजदूरोकी सख्या बहुत बडी है । बहुत अधिक बच्चे पैदा करनेवाले बच्चोका ही अहित नही करते, मानव-जातिका भी करते है ।”

यह पत्र मेरे लिए मनोवृत्तिया और उनके प्रभावका अध्ययन है । एक आदमीका मन रस्सीको साप मान लेता है । वह भयसे सुन्न हो जाता और बदहवास होकर भागता है, या फिर मन कल्पित सापको मारनेके लिए लाठी उठाता है । दूसरा बहनको पत्नी मान लेता है और उसकी काम-वासना जाग जाती है । पर ज्योही उसे अपना भ्रम मालूम हो जाता है, त्यो ही वासना शान्त हो जाती है ।

यही बात लेखकके दिये हुए उदाहरणके भी विषयमे है । बेगक, काम-वासनाकी तृप्ति हेय सुख है—इस भ्रमसे किया जानेवाला इन्द्रिय-दमन मिजाजमे चिडचिडापन पैदा होने और प्रेमके शिथिल होनेका कारण हो सकता है । पर अगर इन्द्रिय-सयम प्रेमको विशुद्ध बनाने, प्रेम-बन्धनको अधिक दृढ करने और वीर्यको अधिक अच्छे प्रयोजनके लिए बचा रखनेके उद्देश्यसे किया जाय तो वह प्रेमकी गाठको ढीली करनेके बदले उसे और दृढ करेगा । जिस प्रेमका आधार विषय-वासनाकी तृप्ति हो वह कितना ही उत्कट हो, फिर भी होगा स्वार्थका सौदा ही और हलके-से-हलके भटककेो भी वर्दाश्त न कर सकेगा । और समागम जब पशुओके लिए सस्कार या धार्मिक विधान नही है तब मानव जगत्मे ही उसे यह पद क्यो दिया जाय ? हम उसे वही क्यो न माने जो वह वास्तवमे है—वश-रक्षाके उद्देश्यसे किया जानेवाला प्रजोत्पादन, जो हमसे बरबस कराया जाता है ? मनुष्यको ईश्वरने सकल्प या इच्छाकी थोडी-सी स्वतन्त्रता दे रखी है, इसलिए केवल वही पशु-पक्षियोके जीवनकी अपेक्षा जिस अधिक ऊंचे प्रयोजनके लिए उसका जन्म हुआ है, उसकी सिद्धिके लिए अपनी भोगेच्छाको रोकने, दवानेमे अपने मानव-अधिकारको काममे ला सकता है । सभोग प्रेमको न बडाता है और न उसे बनाये रखने या उसके पोषण-वर्द्धनके लिए किसी तरह आवश्यक है । इसके अगणित अनुभव होते रहनेपर भी जो उसे प्रेम-बन्धनको अधिक दृढ करनेके लिए आवश्यक और इष्ट मानते है वह महज इसलिए कि ऐसा सोचने-माननेकी हमे आदत लग गई है । ऐसे कितने ही

उदाहरण बताये जा सकते हैं जिनमे सयमसे प्रेमका बन्धन और दृढ हुआ है । हा, इतना जरूर है कि सयम अपनी इच्छासे किया जाय, किसी बाहरी दबाव-से नहीं, और पति-पत्नी दोनोको नीतिके अधिक ऊचे स्तरपर ले जानेके लिए किया जाय ।

मानव-समाज सदा बढ़ती रहनेवाली वस्तु है, आध्यात्मिक दृष्टिसे उसका सतत विकास हो रहा है । यह बात सच है तो पशु-वासनाका दिन-दिन अधिक निग्रह ही उसका आधार होना चाहिए । इस दृष्टिसे विवाहको एक धार्मिक सस्कार मानना होगा, जो पति-पत्नी दोनोको अनुशासनके बन्धनमे बाँधता है, और उनपर यह फर्ज कर देता है कि वे तीसरेके साथ शरीर-सग न करे । परस्पर शरीर-सगकी इजाजत भी, केवल सतानकी कामनासे हो तथा पति-पत्नी दोनो उसे चाहते हो और उसके लिए तैयार हो, तभी देता है । पत्र-लेखकने जो दो स्थितिया बताई हैं उन दोनोमे सन्तानकी कामनाके बिना सभोगका सवाल नहीं उठता ।

अगर हम यह मान ले, जैसा कि पत्र लिखनेवाले भाईने किया है कि सन्तति-प्राप्तिके उद्देश्यके बिना भी सभोग आवश्यक कार्य है तो वहस-दलीलकी गुजाइश ही नहीं रहती । पर यह दावा टिक नहीं सकता, क्योंकि दुनियाके हर हिस्सेमे कुछ सर्वश्रेष्ठ पुरुषोके पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालनकी पक्की नजीरे पेश की जा सकती है । ब्रह्मचर्यका पालन करना अधिकाश मनुष्योके लिए कठिन है तो यह बात उसके शक्य या इष्ट न माननेकी दलील नहीं हो सकती । सौ साल पहले अधिकाश जनोके लिए जो बात शक्य न थी आज उसकी शक्यता सिद्ध हो रही है और सीमा-रहित प्रगतिके लिए जो कालका बिना ओर-छोरवाला मैदान हमारे सामने खुला है, उसमे १०० सालकी भुगत ही क्या है ? वैज्ञानिकोका कहना अगर सही है तो हमे आदमीका चोला मिलना अभी कलकी ही बात तो है ? उसकी शक्तिकी सीमाए कौन जानता है, कौन बाध सकता है ? सोच तो यह है कि उसमे भला-बुरा करनेकी असीम शक्ति है इमके नित नये प्रमाण हमे मिलते जा रहे हैं ।

सयमका शक्य और इष्ट होना मान लिया जाय तो उसके पालनके उपाय हमे ढूढने और निकालने ही होंगे । और जैसा कि मैं किसी पिछले

लेखमे कह चुका हू अगर हमें सयम और नीति-वधनके अदर रहना है तो हमें अपना जीवन-क्रम बदलना ही होगा। लड्डू हमारे पेटमें पहुँच जाय और हाथपर भी बना रहे, यह असम्भव प्रयत्न हमें न करना चाहिए। हम जननेन्द्रियका नियमन करना चाहते हैं तो हमें और सभी इन्द्रियोपर अकुश रखना होगा। आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ और पावकी लगाम ढीली कर दी जाय तो जननेन्द्रियको काबूमें रखना असम्भव होगा। चिडचिडापन, हिस्टीरिया या मूर्च्छा-रोग और पागलपनको भी ब्रह्मचर्य-पालनके प्रयत्नका परिणाम बताना गलत है। पता लगाया जाय तो ये रोग अधिकांशमें इन्द्रियोके असयमके ही फल होते हैं। किसी भी पाप—प्रकृतिके नियमके किसी भी उल्लंघन—का दण्ड हमें न मिले यह हो नहीं सकता।

मुझे शब्दोंके लिए भगडा नहीं करना है। इन्द्रिय-सयम भी अगर गर्भ-निरोधके साधनोंके समान ही प्रकृतिके काममें हस्तक्षेप है तो हुआ करे। मैं तब भी कहूँगा कि एक हस्तक्षेप जायज और इष्ट है, क्योंकि वह व्यक्ति और समाज दोनोंका हित करता है और दूसरा हस्तक्षेप दोनोंके पतनका कारण होता है इसलिए नाजायज है। सयम सन्तति-नियमनका एक-मात्र उपाय है, गर्भाधान-निरोधक साधनोंकी सहायतासे बच्चेका पैदा होना रोकना जातिका आत्मघात है।

खान-मालिक अगर अन्यायके रास्तेपर चलते हुए भी विजयी होंगे तो इसलिए नहीं कि मजदूरोंके घर जरूरतसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, बल्कि इसलिए कि मजदूरोंने सयमका पाठ पूरे तौरपर नहीं पढा है। बच्चे न हो तो खान-मजदूरोंके जीवनमें कोई बात ही न रहेगी जो उन्हें अपनी दशा सुधारनेकी प्रेरणा करे, और न मजदूरी बढ़ानेकी मागके लिए कोई उचित कारण रहेगा। क्या उन्हें शराब पीना, तवाकू पीना, जुआ खेलना चाहिए? क्या यह कहना इसका कोई जवाब होगा कि खानोंके मालिक ये सभी बातें करते हैं और फिर भी उनपर हावी रहते हैं? मजदूर अगर पूजीपतियोंसे अच्छे होनेका दावा नहीं कर सकते तो उन्हें दुनियाकी हमदर्दी मागनेका क्या हक है? इसीलिए कि पूजीपतियोंकी सख्या बढ़े और पूजीवादकी जड और मजबूत हो? हमें यह आशा दिलाकर लोकतन्त्रकी पूजा करनेको

कम जानता है कि दुनियामें उनका राज होनेपर हमें अच्छे दिन देखनेको मिलेंगे। अतः जिन वृत्तियोंका हम पूजापति और पूजावाद्यकी देन बताते हैं उन्हें बड़े पैमानेपर करनेका दोषी हमें नहीं बनना चाहिए।

मैं जानता हूँ और यह मेरे लिए दुःखकी बात भी है कि इन्द्रिय-निग्रह आगम काम नहीं है। पर इस साधनाकी धीमी प्रगतिसे हमें घबराना न चाहिए। 'जतायत्र नो वाचला'। अवीरत्वाने मजदूरी-पेजा वर्गमें बहुत अधिक करने पैश होनेकी वृत्ति नहीं दूर होने की। इस वर्गमें काम करनेवाले एक-दो-तीनों नामनें एक विज्ञान कार्य करनेको पत्र है। उन्हें चाहिए कि मानव-जातिके नयनें के निष्कर्षोंने अपने अन्तःकरणकी अमूल्य निधिमें हमें जो नयनका पाठ पढ़ाया है, उसे अपने जीवन-प्रमत्ते धार न कर दें। जीवनकी जिन मूल्यवान् सचाएयोंकी विरामत उन्होंने हमें सीपी है उनकी परीक्षा जिन प्रयोगशालामें हुई है वह आजकी नये-नये साधनों, उपकरणोंने सपर प्रयोगशालाओं अधिक अच्छी थी। समयको उन नभीने हमारे लिए जरूरी बताया है।

## धर्म-संकट

“मैं विवाहित हूँ। ३० सालका हो चुका हूँ। पत्नीकी उम्र भी लगभग यही होगी। हमें पाँच बच्चे हुए थे जिनमेंसे दो सौभाग्यवश परलोक सिंघार चुके हैं। बाकी बच्चोंके बारेमें मेरी क्या जिम्मेदारी है इसे मैं समझता हूँ। पर उस फर्जको पूरा करना मुझे नामुमकिन नहीं तो अति कठिन अवश्य दिखाई देता है। आपने सयमकी सलाह दी है। पिछले तीन सालसे मैं उसका पालन कर रहा हूँ, पर अपनी सहर्षमिणीकी इच्छाके विरुद्ध ऐसा कर रहा हूँ। साधारण मनुष्य जिसे जीवनका सुख कहते हैं वह उसे भोगनेका आग्रह करती है। आप अपने ऊँचे आसनसे उसे पाप कह सकते हैं, पर मेरी जीवन-सगिनी उसे इस दृष्टिसे नहीं देखती। अधिक बच्चे पैदा करनेसे भी वह नहीं डरती। अपने दायित्वके जिस ज्ञानका मुझे गर्व है वह उसको नहीं है। मेरे मा-बाप अधिकतर पत्नीका ही पक्ष करते हैं, और रोज़ ही घरमें झगडा होता रहता है। काम-वासनाकी तृप्ति न होनेसे पत्नीका मिजाज इतना चिडचिडा और बिगडल हो गया है कि जरा-जरासी बातपर भडक उठती है। अब मेरे सामने यह सवाल है कि इस मुश्किलको कैसे हल करूँ। जितने बच्चे अभी हैं वही मेरे लिए अधिक हैं। मैं इतना गरीब हूँ कि उनका ही पालन-पोषण ठीक तौरसे नहीं कर सकता। पत्नीको समझाना नामुमकिन दिखाई देता है। जो तृप्ति वह चाहती है वह न मिली तो मुमकिन है वह बुरा रास्ता पकड ले, पागल हो जाय या आत्मघात कर ले। सच कहता हूँ, कभी-कभी जीमें आता है कि देशका कानून इजाजत देता तो सभी अनचाहे बच्चोंको गोली मार देता, जैसा आप लावारिस कुत्तोंके साथ करेगें। इधर तीन महीनेसे किसी दिन मुझे दूसरे जून रोटी न मिली, तीसरे पहरका नाश्ता भी नसीब नहीं हुआ। काम-धंधेकी जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि लगातार

कई दिन उपवास भी नहीं चल सकता। पत्नीको मेरे कण्ठसे हमदर्दी नहीं, क्योंकि वह मुझे ढोंगी समझती है। जनन-निरोध-विषयक साहित्यसे मेरा परिचय है। वह लुभानेवाली भाषामें लिखा गया है। ब्रह्मचर्य विषयपर लिखित आपकी पुस्तक भी पढ़ी है। मेरे लिए 'एक ओर कुआ है तो दूसरी ओर खाई'।"

यह एक युवकके लिखे हुए हृदय-विदारक पत्रका अविकल भावार्थ है। लेखकने अपना पूरा नाम-पता दिया है। मैं उसे कई बरससे जानता हूँ। वह अपना नाम देते हुए डरते थे इसलिए इनके पहले दो बार मुझे गुमनाम पत्र लिखा। उन्हें आशा थी कि मैं 'यंग इंडिया'में उनकी चर्चा करूँगा। इस तरहके गुमनाम पत्र मेरे पास इतने आते हैं कि उनकी चर्चा करनेमें मुझे नकोच होता है। मुझे तो इस पत्रपर कुछ लिखनेमें भी भिन्नक हो रही है, गोकि मैं जानता हू कि उसकी बातें सोलह आने सही है, और वह ऐसे आदमीका लिखा हुआ है जो समयके रास्तेपर चलनेकी सच्चे दिलसे कोशिश कर रहा है। विषय बहुत ही नाजुक है, पर मेरा दावा है कि मुझे ऐसे मामलोंका काफी अनुभव है और मैंने यह भी देखा है कि ऐसी कठिनाइयोंमें पड़े हुए लोगोंको मेरे बताये हुए उपायसे राहत मिली है, इसलिए मैं इस स्पष्ट कर्तव्यके पालनसे मुंह नहीं मोड़ सकता।

जहातक अंग्रेजी पढ़े हुए भारतीयोंका सवाल है भारतकी स्थिति हमारे लिए दुहरी कठिनाई पैदा करती है। सामाजिक योग्यताकी दृष्टिसे पति और पत्नीमें इतना अन्तर होता है जिसे मिटाना एक तरहसे असंभव ही है। कुछ युवक नभवतः यह सोचते हैं कि पत्नीको उसके मनपर छोड़ देनेसे ही हमारा मसला हल हो गया, हालांकि वे जानते हैं कि उनकी विरादरीमें तत्प्रायः नहीं दिया जाता, इसलिए उनकी पत्नीके लिए दूसरा व्याह कर लेना शक्य नहीं। दूसरे लोग—और यही वर्ग सबसे बड़ा है—अपनी पत्नियोंको अपने मानस-जीवनका साथी न बनाकर केवल विषय-मुक्त भोगनेका साधन मानता है। बहुत ही थोटे लोग ऐसे हैं—अवश्य ही उनकी संख्या दिन-दिन घट रही है—जिनकी अन्तरात्मा जग चुकी है और जो उनी धर्म-संकटमें पड़े हैं जो पत्र लिखनेवाले भाईके सामने उपस्थित हैं।

मेरी रायमे स्त्री-पुरुषका समागम तभी जायज माना जायगा जब दोनों उसे चाहते हो । मैं नहीं मानता कि पति या पत्नी किसीको भी यह हवा हासिल है कि दूसरेको अपनी इच्छाकी पूर्तिके लिए मजबूर करे । और जिसे दम्पतीका प्रश्न तत्काल हमारे विचारका विषय है उसके वारेमे मेरी स्थिति ठीक हो तो पत्नीके आग्रहके सामने झुकना किसी तरह पतिका नैतिक कर्तव्य नहीं है । पर यह इनकार पतिके सिरपर ज्यादा बड़ी और ऊंची जिम्मेदारी लाद देता है । वह अपने आपको बड़ा साधक-सयमी समझकर पत्नीके हेय दृष्टिसे न देखे, बल्कि नम्रताके साथ यह स्वीकार करे कि जो बात उसके लिए अनावश्यक है वह पत्नीके लिए प्रकृतिका आदेश है, इसलिए वह उसके साथ बहुत ही स्नेह और मृदुताका व्यवहार करे और मनमे यह विश्वास रखे कि उसकी अपनी पवित्रता पत्नीकी काम-वासनाको उच्चतम प्रकारकी शक्तिमे बदल देगी । अतः उसे अपनी पत्नीका सच्चा मित्र, पथ-प्रदर्शक और उसका दुख-दर्द दूर करनेवाला होना होगा । अपनी पत्नीमे उसे पूरा विश्वास रखना होगा और अटूट धैर्यके साथ उसे यह समझाना होगा कि नीतिक कौन-सा तत्त्व उसके आचरणका आधार है, पति-पत्नीके परस्पर सम्बन्धका सच्चा रूप और विवाहका सच्चा अर्थ क्या है । यह करते हुए वह देखेगा कि बहुत-सी बातें जो पहले उसके लिए स्पष्ट नहीं थी अब स्पष्ट हो गईं और उसका सयम सच्चा होगा तो पत्नीके हृदयको वह अपने और भी निकट खींच लेगा ।

प्रस्तुत मामलेमे मुझे कहना ही होगा कि केवल अधिक बच्चे पैदा होनेका डर पत्नीकी सभोगेच्छा तृप्त करनेसे इनकार करनेका यथेष्ट कारण नहीं हो सकता । केवल बच्चोका भार उठानेके डरसे पत्नीके सभोग प्रस्तावको अस्वीकार करना मुझे तो कायरपन-सा लगता है । कुटुम्बकी वेहिसाव वाढ रोकना पति-पत्नीके अलग-अलग और सयुक्त रूपसे अपनी काम-वासनापर अकुश रखनेके लिए अच्छा कारण है, पर वह अपने जीवन सगीके साथ सोनेका अधिकार छीननेके लिए यथेष्ट कारण नहीं हो सकता ।

और फिर बच्चोसे इतनी घबराहट किसलिए ? ईमानदार, मेहनती और समझदार आदमी निश्चय ही इतना पैसा कमा सकता है कि तीन

चार बच्चोके भरण-पोषणका बोझ उठा ले । मैं यह मानता हू कि प्रस्तुत पत्र-लेखक-जैसे पुरुषके लिए जो अपना सारा समय देशकी सेवामे लगा सकनेकी सच्चे दिलसे कोशिश कर रहा है, यह कठिन होगा कि एक बड़े और बढ़ते हुए कुटुम्बका भरण-पोषण करे और साथ-साथ स्वदेशकी सेवा भी करता चले जिसकी करोडो सन्तानोको आधे पेट खाकर रहना पडता है । इन पृष्ठोमे अक्सर मैंने यह बात लिखी है कि हिन्दुस्तान जबतक गुलाम है तबतक बच्चे पैदा करना उचित नहीं । पर यह युवको और युवतियोके अविवाहित रहनेके लिए तो बहुत अच्छा कारण है, किन्तु विवाहित स्त्री-पुरुषके लिए एक-दूसरेके साथ दाम्पत्य असहयोग करनेका निश्चयात्मक हेतु नहीं हो सकता । हा, जब गुट्ट धर्मभावसे, अन्तरसे ब्रह्मचर्य-पालनकी ऐसी पुकार उठे कि उसे अनसुनी करना नामुमकिन हो तब यह असहयोग जायज होता है, बल्कि फर्ज हो जाता है । और यह पुकार जब सच्ची होगी तो दूसरे साथी पर भी इसका बहुत अच्छा असर होगा । वह समयसे उसपर वैसा असर न डाल सके तो भी ब्रह्मचर्य-पालन कर्तव्य होगा, भले ही इसमे अपने साथीका दिमाग खराब हो जाने या उसके मर जानेका भी खतरा हो । सत्यकी साधना और स्वदेशकी सेवाके लिए जैसे बलिदान अपेक्षित है, ब्रह्मचर्यकी साधना भी वैसे ही वीरोचित बलिदान मागती है । इतना कह चुकनेके बाद यह कहनेकी आवश्यकता शायद ही बाकी रहती हो कि कृत्रिम उपायोसे सतानोत्पादन रोकना नीति-नाशक आचरण है और जीवनका जो आदर्श मेरे तर्कका आधार है उसमे इसके लिए स्थान नहीं है ।

: १४ :

## मेरा व्रत

भलीभांति चर्चा कर लेने और गहरे सोच-विचारके अनन्तर १९०६ ई० में मैंने ब्रह्मचर्य-व्रत लिया। व्रत लेनेके समयतक मैंने धर्मपत्नीकी राय इस विषयमें नहीं ली थी। व्रत लेते समय ली। उसकी ओरसे कुछ भी विरोध नहीं हुआ।

यह व्रत लेते हुए मुझे बहुत कठिन जान पड़ा। मेरी शक्ति अल्प थी। वासनाओंको दवाना कैसे हो सकेगा? अपनी पत्नीके साथ भी सविकार सम्बन्ध न रखना कुछ विचित्र-सी बात लग रही थी। फिर भी यही मेरा कर्तव्य है, यह मैं साफ देख सकता था। मेरी नीयत शुद्ध थी। अतः भगवान् बल देगा यो सोचकर मैं कूद पड़ा।

आज बीस बरस बाद उस व्रतको याद करके मुझे आनन्दजनक आश्चर्य होता है। समयके पालनेकी भावना तो १९०१ से प्रबल हो रही थी और मैं उसका पालन कर भी रहा था। पर जो स्वतन्त्रता और आनन्द मुझे अब मिलने लगा वह १९०६ के पहले कभी मिला ही यह मुझे याद नहीं आता। कारण यह कि उस समय मैं वासनासे बधा था। किसी भी क्षण उसके बन्ध हो जा सकता था। अब वासना मुझपर सचारी गाठनेमें असमर्थ हो गई।

इसके सिवा अब ब्रह्मचर्यकी महिमा मैं अधिकाधिक समझने लगा। व्रत मैंने फिनिक्समें लिया। घायलकी सेवाके कामसे छुट्टी पाकर मैं फिनिक्स गया था। वहासे मुझे तुरत जोहान्सबर्ग जाना था। मैं वहा गया और एक महीनेके अंदर ही सत्याग्रह-सग्रामकी नींव पड़ी। मानो यह ब्रह्मचर्य-व्रत मुझे उसके लिए तैयार करनेको ही आया हो। सत्याग्रहकी योजना मैंने पहलेसे नहीं बना रखी थी। उसकी उत्पत्ति तो अनायास और बिना हमारे चाहे हुई। पर मैंने देखा कि उसके पहलेके मेरे सभी काम—फिनिक्स जाना,

जोसान्सवर्गका भारी घर-खर्च घटा डालना, और अन्तमे ब्रह्मचर्य-व्रत लेना मानो उसकी तैयारी थे ।

ब्रह्मचर्यके सम्पूर्ण पालनका अर्थ है ब्रह्मका साक्षात्कार । यह ज्ञान मुझे शास्त्रसे नहीं मिला था । यह अर्थ मेरे लिए धीरे-धीरे अनुभव-सिद्ध होता गया । इससे सम्बद्ध शास्त्र-वचन तो मैंने पीछे पड़े । ब्रह्मचर्यमे शरीरकी रक्षा, बुद्धिकी रक्षा, आत्माकी रक्षा है, व्रत लेनेके बाद मैं इस बातका दिन-दिन अधिकाधिक अनुभव करने लगा । कारण यह कि अब ब्रह्मचर्यको घोर तपश्चर्या-रूप न रहने देकर रसमय बनाना था, इसीके सहारे चलना था । अतः अब उसमे मुझे नित-नई खूबियोंके दर्शन होने लगे ।

पर मैं जो यो ब्रह्मचर्यसे रस लूट रहा था उससे कोई यह न समझ ले कि उसकी कठिनताका अनुभव मुझे नहीं हो रहा था । आज मेरे ५६ साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी उसकी कठिनताका अनुभव तो होता ही है । यह असि-धारा-व्रत है, इस बातको दिन-दिन अधिकाधिक समझ रहा हूँ । निरन्तर जाग्रत रहनेकी आवश्यकता देख रहा हूँ ।

ब्रह्मचर्यका पालन करना हो तो स्वादेन्द्रिय 'जीभ'को वशमे करना ही होगा । मैंने खुद अनुभव करके देखा कि जीभको जीत ले तो ब्रह्मचर्यका पालन बहुत आसान हो जाता है । इसलिए मेरे इसके बादके भोजन-विषयक प्रयोग केवल अन्नाहारकी दृष्टिसे नहीं बल्कि ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे भी होने लगे । मैंने प्रयोग करके देख लिया कि हमारी खुराक थोड़ी सादी और विना मिर्च-मसालेकी होनी चाहिए ओर प्राकृतिक अवस्थामे खाई जानी चाहिए । अपने विषयमे तो मैंने छ वर्षतक प्रयोग करके देख लिया है कि ब्रह्मचारीका आहार वनपक्व फल है । जिन दिनों मैं सुखे या रसदार वनपक्व फल खाकर रहता था उन दिनों मैं अपने आपमे जो निर्विकारता पाता था उस खुराकको बदल देनेके बाद उसका अनुभव न हो सका । फलाहारके समय ब्रह्मचर्य सहज था । दुग्धाहारसे वह कष्ट-साध्य हो गया है । फलाहारसे दुग्धाहारपर मुझे क्या जाना पडा—इसकी चर्चा उचित स्थानपर की जायगी । यहा तो इतना कहना काफी है कि दूधका आहार ब्रह्मचर्यके लिए विघ्नकारक है, इस विषयमे मुझे तनिक भी शका नहीं । इस कथनसे कोई यह अर्थ न निकाल

ले कि हर ब्रह्मचारीके लिए दूधका त्याग आवश्यक है । आहारका असर ब्रह्मचर्यपर कितना होता है इस विषयमे बहुत प्रयोग करनेकी आवश्यकता है । मुझे अबतक कोई ऐसा फलाहार नहीं मिला जो स्नायुओको पुष्ट करने और आसानीसे पचनेमे दूधकी बरावरी कर सके, कोई वैद्य, हकीम या डाक्टर भी नहीं बता सका । इसलिए दूध विकार पैदा करनेवाली चीज है यह जानते हुए भी फिलहाल मैं किसीको उसके त्यागकी सलाह नहीं दे सकता ।

वाह्य उपचारोमे जैसे आहारके प्रकार और परिमाणकी मर्यादा आवश्यक है वैसे ही उपवासको भी समझना चाहिए । इन्द्रिया इतनी बलवान है कि उनपर चारो ओरसे, ऊपर और नीचेसे, दशो दिशाओसे घेरा डाला जाय, तभी काबूमे रहती है । यह तो सभी जानते हैं कि आहारके बिना वे अपना काम नहीं कर सकते । इसलिए इन्द्रिय-दमनके उद्देश्यसे इच्छापूर्वक किये हुए उपवाससे इन्द्रियोको काबूमे लानेमे बहुत मदद मिलती है, इस विषयमे मेरे मनमे तनिक भी शका नहीं । कितने ही लोग उपवास करते हुए भी विफल होते हैं । इसका कारण यह है कि वे यह मान लेते हैं कि उपवाससे ही सबकुछ हो जायगा और शरीरसे स्थूल उपवास-मात्र करते हैं, पर मनसे छप्पन भोग भोगते रहते हैं । उपवासके दरमियान, उपवास समाप्त होनेपर क्या-क्या खायेगे, इस कल्पनाका स्वाद हम लिया करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उससे न जीभ वशमे आई न जननेन्द्रिय । उपवासका सच्चा उपयोग वही है जहा मन भी देह-दमनमे साथ देता है, अर्थात् मनमे विषय-भोगके प्रति विरक्ति हो जानी चाहिए । विषय-वासनाकी जडे तो मनमे ही होती है । उपवासादि साधनोसे बहुत सहायता मिलती है, फिर भी वह मात्रामे थोड़ी ही होती है । कह सकते हैं कि उपवास करते हुए भी मनुष्य विषयोमे आसक्त रह सकता है । पर उपवासके बिना विषयासक्तिका जड-मूलसे जाना संभव नहीं । अत उपवास ब्रह्मचर्य-पालनका अनिवार्य अंग है ।

ब्रह्मचर्य-पालनका प्रयत्न करनेवाले बहुतेरे निष्फल होते हैं । इसका कारण यह है कि खाने-पीने, देखने-सुननेमे वे अब्रह्मचारीके जैसे रहते हुए भी ब्रह्मचर्य निभाना चाहते हैं । यह प्रयत्न वैसा ही है जैसी गरमीके मौसिममे

श्रीतकालका अनुभव करनेकी कोशिश। सयमी और स्वच्छद, त्यागी और भोगीके जीवनमें भेद होना ही चाहिए। साम्य केवल ऊपर-ऊपरसे दिखाई देता है। दोनोंका भेद स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। आंखका उपयोग दोनों करते हैं। पर ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है। भोगी नाटक-सिनेमामें लीन रहता है। कानसे दोनों काम लेते हैं। पर एक भगवद्-भजन सुनता है, दूसरेको विलासी गाने सुननेमें आनन्द आता है। जागरण दोनों करते हैं, पर एक जाग्रत अवस्थामें हृदय-मंदिरमें विराजनेवाले रामको भजता है, दूसरेको नाच-रगकी धुनमें सोनेका खयाल ही नहीं रहता। खाते दोनों हैं, पर एक शरीर-रूपी तीर्थक्षेत्रके रक्षार्थ देहको भोजन-रूपी भांडा देता है, दूसरा जवानके मजेकी खातिर देहमें बहुत-सी चीजोंको ठूसकर उसे दुर्गंधमय बना देता है। यो दोनोंके आचार-विचारमें भेद रहा ही करता है और यह अंतर दिन-दिन बढ़ता जाता है, घटता नहीं।

ब्रह्मचर्यके मानी हैं, मन-वचन-कायासे सम्पूर्ण इन्द्रियोंका सयम। इस सयमके लिए ऊपर बताये हुए त्यागोंकी आवश्यकता है, यह मुझे दिन-दिन दिखाई देता गया। आज भी दिखाई दे रहा है। त्यागके क्षेत्रकी सीमा ही नहीं है, जैसे ब्रह्मचर्यकी महिमा भी नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्प प्रयत्नसे सधनेवाली वस्तु नहीं। करोड़ोंके लिए तो वह सदा केवल आदर्श रूप रहेगा, इसलिए कि प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो अपनी कमियोंको हर वक्त देखता रहेगा। अपने-मनके कोने-अंतरेमें छिपे हुए विकारोंको पहचान लेगा और उन्हें निकाल बाहर करनेकी कोशिश सदा करता रहेगा। जबतक विचारोपर यह काव न मिल जाय कि अपनी इच्छाके विना एक भी विचार मनमें न आये तबतक ब्रह्मचर्य सपूर्ण नहीं। विचार-मात्र विकार है। उन्हें वशमें करनेके मानी हैं मनको वशमें करना। और मनको वशमें करना तो वायुको वशमें करनेसे भी कठिन है। फिर भी अगर आत्माका अस्तित्व सच्चा है तो यह बस्तु साध्य होनी ही चाहिए। हमारे रास्तेमें कठिनाइयां आती हैं हममें कोई यह न मान ले कि यह कार्य असाध्य है। यह परम अर्थ है और परम अर्थके लिए परम प्रयत्नकी आवश्यकता हो तो इनमें अचरज क्या।

पर स्वदेग जानेपर मैंने देखा कि ऐसा ब्रह्मचर्य केवल प्रयत्न-साध्य

नहीं है। कह सकता हू कि तब तो मैं मूर्छामें था। मैंने मान लिया था कि फलाहारसे विकार जड़-मूलसे नष्ट हो जाता है, और अभिमानके साथ समझता था कि अब मुझे कुछ करना नहीं रहा।

पर इस विचारके प्रकरण तक पहुचनेमें अभी देर है। तबतक इतना कह देना जरूरी है कि जो लोग ईश्वर-साक्षात्कारके उद्देश्यसे, जिस ब्रह्मचर्यकी व्याख्या मने ऊपर की है वैसे ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हों, वे अपने प्रयत्नके साथ-साथ ईश्वरपर श्रद्धा रखनेवाले होंगे तो उनके निराश होनेका कोई कारण नहीं।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन ।

रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ॥<sup>१</sup>

अतः रामनाम और रामकृपा यही आत्मार्थीका अंतिम साधन है, इस मत्तक साक्षात्कार मैंने हिन्दुस्तान आनेपर ही किया।<sup>१</sup>

‘निराहार रहनेवालेके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस-राग बना रहता है। ईश्वरके दर्शनमें वह भी चला जाता है।

(गीता अ० २ श्लो० ५९।)

<sup>१</sup> आत्म-ज्ञया खण्ड ३ का आठवा अध्याय ।

## विकारका बिच्छू

कलकत्तेके एक विद्यार्थी पूछते हैं —

‘कोई अपनी पत्नीके साथ शुद्ध व्यवहार रखे, अर्थात् ब्रह्मचर्यका पालन करे तो क्या उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा ? अपढ पत्नीको ब्रह्मचर्यकी महिमा वह किस तरह समझा सकता है ? उसे सयम-धर्म कैसे सिखा सकता है ? ऐसा करनेमे उसे कहातक सफलता मिलेगी ? समाजके आजके दूषित वातावरणमे पत्नीको भ्रष्ट होनेसे कहातक बचाया जा सकता है ?’

मेरा और मेरे साथियोंका अनुभव तो यह है कि पति-पत्नी अगर स्वेच्छासे ब्रह्मचर्यका पालन करे तो आत्यन्तिक सुख पा सकते हैं। अपना सुख उन्हे नित्य बढ़ता हुआ जान पड़ेगा। अशिक्षित पत्नीको ब्रह्मचर्यकी महिमा समझानेमे कोई अडचन नहीं होती, या यो कहिये कि ब्रह्मचर्य शिक्षित-अशिक्षितका भेद नहीं जानता। ब्रह्मचर्य तो केवल हृदयके बलकी बात है। मैं ऐसी अपढ स्त्रियोंको जानता हू जो विवाहिता होते हुए भी ब्रह्मचर्यका पालन कर रही हैं। समाजके चित्तको चंचल कर देनेवाले वातावरणमे भी जो पति ब्रह्मचर्यका पालन करता है वह अपनी पत्नीके शीलकी रक्षा करनेमे अधिक समर्थ हो जाता है। ब्रह्मचर्यका अभाव पत्नीको भ्रष्ट होनेसे बचा तो नहीं सकता, पर उसके भ्रष्टाचारका पर्दा बन जाता है। इसकी मिसाले दी जा सकती है।

ब्रह्मचर्यकी शक्ति अमित है। बहुतेरे उदाहरणोमे मुझे यह अनुभव हुआ है कि ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला स्वयं विकारसे मुक्त नहीं होता, इस कारण उसके प्रयत्नका प्रभाव पत्नीके ऊपर नहीं पड सकता। विकार बड़ा चालाक होता है। अतः अपने भाई-बंदोको पहचाननेमे उसे देर नहीं

लगती । जो पत्नी अभी विकार-रहित नहीं हुई है, जो विकारोके त्यागके लिए अभी तैयार भी नहीं है, वह पतिके हृदयमें छिपे हुए विकारको तुरत पहचान लेती है और उसके ढीले और निष्फल प्रयत्नपर मन-ही-मन हँसती हुई स्वयं निर्भय रहती है । जो ब्रह्मचर्य अविचल है और जिसमें शुद्ध प्रेम भरा हुआ है, वह ब्रह्मचर्य अपने सामनेवालेके विकारको जलाकर भस्म कर देता है, इसमें किसीको शका न करनी चाहिए ।

बेलूर-मठमें बहुत-सी सुन्दर मूर्तियोंका संग्रह है । उसमें एक ऐसी मूर्ति मैंने देखी है जिसके शिल्पीने कामको बिच्छू बनाया है । उसने एक कामिनीको डक मारा है जो उसके कण्ठसे विह्वल होकर विलकुल नगी हो गई है । बिच्छू अपनी इस विजय पर इतराता हुआ कामिनीके पैरके पास खड़ा है और उसकी ओर देखकर हँस रहा है । जिस पतिने इस बिच्छूपर विजय पा ली उसकी आखोंमें, उसके स्पर्शमें, उसकी वाणीमें ब्रह्मचर्यकी शीतलता होती है । वह अपने निकट रहनेवालेके विकारोको क्षेण-मात्रमें ठंडा करके शांत कर देता है ।

## संयमको किसकी आवश्यकता है ?

एक ब्याहके उम्मीदवार भाई लिखते हैं—

“आप लिखते हैं—‘सयमके पालनमें एकको दूसरेकी रजामन्दीकी जरूरत नहीं है।’ क्या यह औचित्यकी सीमाके आगे जाना नहीं है? पत्नीको जबतक अपने ज्ञानमें साझी न बना सके तबतक तो राह देखनी चाहिए। हिन्दुस्तानमें अज्ञानका राज सर्वत्र फैला हुआ है और उसमें भी स्त्रियोंके लिए तो पढाईका दरवाजा ही बन्द है। ऐसे देशमें यह माननेसे कैसे काम चलेगा कि सब लोग सच्चे रास्तेको पहचानकर तुरन्त उसपर चलने लगेंगे? ‘पतिका कर्तव्य’ बार-बार पढ़नेपर अभी खुलासेकी जरूरत बनी है। मैं अभी अविवाहित हूँ, पर थोड़े ही दिनोंमें ब्याह होनेवाला हूँ। अतः आपसे खुलासा कर लेना जरूरी मालूम हो रहा है। इसी गरजसे यह पत्र लिख रहा हूँ।”

जिस सयमको दूसरेकी सहमतिकी आवश्यकता होती है वह सयम टिक नहीं सकता, यह मेरा अनुभव है। सयमको तो केवल अन्तर्नादिकी आवश्यकता होती है। सयमका बल मनके बलपर अवलंबित होता है और संयम ज्ञानमय और प्रेममय हो तो उसकी छाप आस-पासके वातावरणपर पड़े बिना न रहेगी। अन्तमें विरोध करनेवाला भी अनुकूल बन जाता है। पति-पत्नीके वारेमें भी यही बात है। पत्नी तैयार न हो तबतक पतिको और पति तैयार न हो तबतक पत्नीको रुकना पड़े तब तो बहुत करके दोनों भोग-वधनसे कभी छूट ही न सकेंगे। बहुतेरी मिसालोंमें हम देख चुके हैं कि जहाँ एकका सयम दूसरेपर अवलंबित होता है वहाँ वह अन्तमें टूट ही जाता है। और यह ढिलाई या कमजोरी ही इसका कारण है। हम कुछ अधिक गहराईमें उतरकर देखें तो मालूम होगा कि जहाँ एकको दूसरेकी

रजामदीकी जरूरत होती है वहा सयमकी सच्ची तैयारी या उसकी सच्ची लगन होती ही नहीं। इसीसे तो निष्कुलानन्दने लिखा है कि 'त्याग न टके रे वैराग्य विना'। वैराग्यको अगर रागके साथ ही जरूरत हो सकती हो तो सयम-पालनकी इच्छा करनेवालेको इच्छा न करनेवालेकी सहमतिकी आवश्यकता हो सकती है।

ऊपर दिये हुए पत्रके लेखकका रास्ता तो सीधा है। वह अभी अविवाहित है और उन्होने ब्रह्मचर्य-पालनका सचमुच निश्चय कर लिया हो तो फिर वह व्याहके बधनमे बधे ही क्यों ? मा-वाप और दूसरे सगे-सम्बन्धी तो अपने अनुभवके बलपर यह कहेंगे ही कि एक युवकका ब्रह्मचर्य-धारणकी बात करना समुद्र-मथन करके तैरना है। यो कहकर, धमकी देकर, विगडकर और दण्ड देकर भी उसे ब्रह्मचर्यके शुभ सकल्पसे डिगानेकी कोशिश करेंगे। पर जिसके लिए ब्रह्मचर्यका भग ही सबसे बडा दण्ड हो, साम्राज्य पानेका प्रलोभन भी जिसे ब्रह्मचर्यका भग करनेके लिए तैयार नहीं कर सकता, वह किसी भी धमकीसे डरकर क्यों व्याह करेगा ? जिसका आग्रह इतना तीव्र नहीं, जिसने ब्रह्मचर्य आदि सयमका इतना बडा मूल्य न आका हो उसके लिए मैंने वह वाक्य नहीं लिखा है जिसे लेखकने उद्धृत किया है।

## मां-बापको ज़िम्मेदारी

एक शिक्षक लिखते हैं :

“आपने युवकोके दोपके वारेमे लिखा है। उसके लिए मुझे तो मा-बाप ही ज़िम्मेदार मालूम होते हैं। बड़ी उम्रवाले बच्चोके मा-बा जो बच्चे पैदा करते चले जाते हैं, इसका नतीजा क्या होगा ? ऐसे ब्यभिचार कहना क्या अनुचित होगा ? एक बच्चा माकी मृत्युके पिताके पास सोया करता था। कुछ दिन बाद पिताने दूसरा विवाह कर और नई पत्नीके साथ भीतरसे किवाड बन्द कर सोने लगे। ब कुतूहल हुआ कि पिताजी अब मेरे साथ क्यों नहीं सोते ? मेरी जब जीती थी तब तो हम तीनों जने एक साथ सोते थे, अब माके आनेपर पिताजी मुझे साथ क्यों नहीं सुलाते ? बच्चेका ब वढता गया। उसने किवाडकी दरारमेसे भाककर देखनेकी सं दरारमेसे जो दृश्य उसने देखा उसका उसके मनपर क्या हुआ होगा ?

“पर समाजमे यह बात सदा होती रहती है। यह मिसाल मेरे दिम उपज नहीं है। यह तो एक १३-१४ वरसके बालकसे सुना हुआ वृ जो जन-सनाज बचपनमे ही यो आत्मनाशके रास्तेपर लगेगा वह स्क कैसे ले सकेगा ? या मिल जानेपर उसकी रक्षा कर सकेगा ? हर ए बाप, शिक्षक, गृहपति, बालचर-मण्डलका नायक ऐसा न होने सावधानता रखे तो कैसा हो ? छोटी उम्रमे ब्रह्मचर्यका अर्थ स अक्सर कठिन होता है। बहुतसे लडकोको बटोरकर ब्रह्मचर्यपर व्य देनेसे यह बात कही अच्छी जान पडती है कि हर एक बालकका वि भाजन और सच्चा मित्र बनकर इसका यत्न किया जाय कि बचपन

उसका मन सदाचारकी ओर झुक जाय । बच्चेके मनमें कुविचारका प्रवेग ही न हो इसका कोई उपाय तो होगा ही ?

“अब बड़ी उन्नतवालीकी बात सुनिए । जो समाज, जो जाति, गैर-विरादरीकी स्त्रीके हाथका भोजन करनेवालेको जातिसे बाहर कर देती है, वही जाति पर-स्त्रीका सग करनेवालेका बहिष्कार क्यों नहीं करती ? जो जाति राजनीतिक सभा-सम्मेलनमें अछूतोंके साथ बैठ आनेवालेको दण्ड देती है वही व्यभिचारियोंको दण्ड क्यों नहीं देती ? इसका कारण मुझे तो यही जान पड़ता है कि आत्मशुद्धि करने बैठे तो हर एक जातिकी देह बहुत दुबली हो जाय । दुबली-पतली देहमें भी बलवान आत्मा रह सकती है, इसका ज्ञान उसे कहा है ? बहुत-सी जातियोंके मुखिया, चौधरीतक शराव या व्यभिचारके व्यसनमें फँसे होते हैं । इसलिए अपने ही पावोंपर कुल्हाड़ी मारनेके डरसे वे उस ओरसे तो आखे बन्द किये रहते हैं और दूसरोंको विरादरीसे बाहर करनेके लिए हर वक्त कमर कसे तैयार रहते हैं । यह समाज कब सुधरेगा ? जिस देशको राजनीतिक उन्नति करनी हो वह पहले अपनी सामाजिक उन्नति न कर ले तो राजनीतिक उन्नति आकाश-कुसुम-जैसी ही है ।”

इस लेखमें बहुत तथ्य है यह तो सभी स्वीकार करेंगे । बच्चोंके बड़े हो जानेपर उसी पत्नीसे या वह मर जाय तो नया घर बसाकर बच्चे पैदा करनेसे बच्चोंकी हानि होती है । इसे मनवानेके लिए दलील देनेकी जरूरत नहीं । पर इतना सयम न हो सके तो भी पिताको इतना तो करना ही चाहिए कि बच्चोंको अलग कमरेमें रखे या खुद ऐसी जगह सोये, जहासे बच्चे न कुछ सुन सके, न देख सके । इसमें कुछ सम्यता तो रहेगी ही । बचपन सर्वथा निर्दोष, निर्विकार होना चाहिए, पर मा-बाप विलासिताके वश होकर उसे दोषमय बना देते हैं । वानप्रस्थाश्रमकी प्रथा बालकोंको नीतिमान, स्वतंत्र और स्वावलम्बी बनानेमें बहुत उपयोगी हो सकती है ।

शिक्षकोंके लिए लेखकने जो सूचना दी है वह उचित तो है ही, पर जहा ५०-६० लड़कोंका एक दरजा हो वहा गिण्टोंके साथ शिक्षकका सम्बन्ध अक्षर-ज्ञान देने-भरका ही होता है । वहा शिक्षक चाहे तो भी शिक्षार्थियोंके

साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध कैसे जोड़ सकता है ? फिर जहाँ पाँच-सात शिक्षक पाँच-सात विषय सिखाते हों वहाँ बालकोके सदाचारकी जिम्मेदारी कौन उठायेगा, और फिर ऐसे शिक्षक ही कितने मिलेंगे जो बालकोको सदाचार-पथपर लाने या उनका विश्वास-भाजन बननेकी योग्यता रखते हों ? इसमें तो शिक्षाका सारा प्रश्न उपस्थित हो जाता है । पर उसकी चर्चाका यह स्थान नहीं ।

समाज भेड़ोके भुड़की भाँति बिना सोचे, बिना इधर-उधर देखे आगे बढ़ता जा रहा है, और कुछ लोग इसीको प्रगति मान रहे हैं । वे इस बातको जानते हैं कि स्थिति ऐसी भयानक है तो भी हमारा वैयक्तिक रास्ता आसान है । उन्हें अपने क्षेत्रमें जितना वन पड़े उतना नीतिका प्रचार करना चाहिए । सबसे पहले तो वे अपनेमें ही प्रचार करें । दूसरोके दोष देखते समय हम खुद बहुत भलेसे लगने लगते हैं । पर अपने दोषोको देखे तो हम खुद हमीको कुटिल और कामी दिखाई देंगे । दुनियाका काजी बननेकी बनिस्वत खुद अपना काजी बनना अधिक लाभदायक होता है और वैसा करते हुए हमें दूसरोके लिए भी रास्ता मिल जाता है । 'आप भले तो जग भला' का एक अर्थ यह भी है । तुलसीदास ने सन्तपुरुषको जो पारस-मणि कहा है वह गलत नहीं है । सन्त-पद प्राप्त करनेका प्रयत्न करना हम सबका फर्ज है । सन्त होना किसी अलौकिक पुरुषके लिए आकाशसे उतरा हुआ प्रसाद नहीं है, बल्कि हर आदमीका कर्तव्य है । यही जीवनका रहस्य है ।

## कामको कैसे जीतें ?

काम-विकारको जीतनेका प्रयत्न करनेवाले एक भाई लिखते हैं

“आपकी ‘आत्म-कथा’का पहला खण्ड पढनेसे बहुत-सी कामकी बातें मालूम हुई हैं। आपने कोई बात छिपा नहीं रखी है, इसलिए मैं भी आजसे कोई बात छिपा रखना नहीं चाहता।’ ‘नीति-नाशकी ओर’ पुस्तक भी पढी। इससे यह मालूम हुआ कि विषय-वासनाको जीतना खासतौरसे क्यों जरूरी है। पर यह वासना इतनी बुरी है कि योगवासिष्ठ और स्वामी रामतीर्थ तथा स्वामी विवेकानन्दकी पुस्तके पढते समय तो सबकुछ निस्सार जान पडता है, पर उन्हें बन्द किया नहीं कि विषय-वासनाएँ आ घेरती हैं। आँख, नाक, कान, जीभको तो किसी तरह जीत भी सकते हैं, क्योंकि आँख बंद करते ही उसके विषयोका अभाव हो जाता है। दूसरी इन्द्रियोके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। पर जननेन्द्रियका तो रास्ता ही जुदा दिखाई देता है। जब वह सताती है तब जान पडता है—मैंने जो-कुछ पढा उसका जसे कुछ भी मूल्य न हो। मेरा आहार सात्विक है। एक ही समय खाता हूँ, रातमें केवल दूधपर रहता हूँ। फिर भी काम-वासना किसी तरह नहीं जाती। इसका कारण समझमें नहीं आता। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने एक जगह कहा है—“आहार न करनेवाला देहधारी आदमी इन्द्रियोके विषयोसे तो मुक्त हो जाता है, पर विषयोकी आसक्तिसे मुक्त नहीं होता। उससे निवृत्ति तो परमात्माके दर्शन होनेसे ही होती है।”

“इस प्रकार जब ईश्वरके दर्शन हो तभी विषयोकी आसक्तिसे छुटकारा

१ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन ।

रसवर्ज्यं रमोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ।

## अनीतिकी राहपर कामको कैसे जीते?

मिल सकता है, और चूकि ईश्वरके दर्शन हो नहीं सकते, इसलिए विषयोसे निवृत्ति भी नहीं हो सकती। यह है मेरी परेशानी। ऐसी दशामे क्या किया जाय ? क्या आप मुझ-जैसे विषय-जालमे फँस जानेवालेको कोई रास्ता नहीं बतायेगे ?

“ऐसे साधु-सन्त अवश्य होंगे जो ऐसे जनोको रास्ता बता सकें। पर वे मुझे मिलेंगे कैसे ? क्योंकि आजकल तो यह जानना ही कठिन है कि सच्चा साधु कौन है।

“इस जिज्ञासाका उत्तर कृपाकर ‘नवजीवन’ द्वारा दे। जिससे कोई सही रास्ता पकडा और प्रभुको पानेमे विघ्न-रूप विषयोको जीता जा सके।

“अरसेसे यह बात आपसे पूछनेको जी चाहता था, पर हिम्मत न होती थी। मगर जब आपकी ‘आत्म-कथा’ पढ़ी तो जान पडा कि ऐसी बातें आपसे पूछना अनुचित न होगा। यह भी समझमे आया कि प्रभुकी प्राप्तिकी राहमे जो कठिनाइया दिखाई दे, उनका उपाय पूछनेमे शर्म न करनी चाहिए।”

जो दशा इस भाईकी है वही बहुतोकी है। कामको जीतना कठिन अवश्य है पर अशक्य नहीं है। परन्तु जो कामको जीत लेता है वह ससारको जीत लेता है और ससार-सागरको तर जाता है। यह भगवान्का वचन है। इससे हम जान सकते हैं कि कामको जीतना दुनियामे सबसे कठिन बात है। ऐसी वस्तुको पानेके लिए धीरजकी बहुत आवश्यकता है। इसे काम-जयका प्रयत्न करनेवाले सभी लोग स्वीकार, नहीं करते। अक्षर-ज्ञानके अभ्यासमे अध्यवसाय, धीरज और ध्यानकी कितनी जरूरत है, इसे हम जानते हैं। उसपरसे त्रिराशिका हिसाव लगाये तो हमें मालूम हो जाय कि अक्षर-ज्ञानकी प्राप्तिमे धीरज आदिकी जितनी आवश्यकता होती है कामको जीतनेमे उससे अगणित गुना अधिक धीरज अपेक्षित है।

यह तो हुई धीरजकी बात। पर कामके जीतनेके उपायके विषयमे भी तो हम इतने ही उदासीन रहते हैं। मामूली बीमारीको हटानेके लिए तो हम सारी दुनिया छान डालते हैं, डाक्टरोंके यहा दौड़नेमे एडिया घिस डालते हैं, जन्तर-मन्तर भी नहीं छोड़ते। पर कामरूपी महाव्याधिसे छूटनेके लिए हम सब उपाय नहीं करते। थोडा उपचार किया कि थककर बैठ

जाते हैं और उलटा ईश्वर या इलाज बतानेवालेके साथ यह शर्त करने लगते हैं कि इतनी चीजें तो हमसे नहीं छूटने की, फिर भी आप हमारा काम-विकार मिटा दे। इसका फल यह हुआ है कि काम-विकारसे छूटनेके लिए हमारे भीतर सच्ची व्याकुलता नहीं है। उसके लिए सर्वस्व-त्याग करनेको हम तैयार नहीं। यह शिथिलता विजय-प्राप्तिके मार्गमें सबसे बड़ी बाधा है। यह सही है कि निराहार रहनेवालेके विकार दब जाते हैं, पर आत्म-दर्शनके विना आसक्ति नहीं जाती। पर उक्त श्लोकका अर्थ यह नहीं है कि कामको जीतनेमें निराहार-व्रतसे कोई सहायता नहीं मिलती। उसका मतलब तो यह है कि निराहार रहते हुए कभी थको ही नहीं और ऐसी दृढ़ता तथा लगनसे ही आत्म-दर्शन हो सकता है। वह हो जानेपर आसक्ति भी चली जायगी। ऐसा अनशन किसीके कहनेसे नहीं किया जा सकता। दिखावेके लिए भी नहीं किया जा सकता। इसमें तो मन, वचन और काया तीनोंका सहयोग होना चाहिए। यह होनेपर प्रभुका प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा और वह मिल गया तो अन्तमें विकार-शान्ति होकर ही रहेगी।

पर निराहारसे पहले और बहुत-से उपाय करने होते हैं। उनसे विकार शांत न हुए तो ढीले जरूर पड जायगे। भोग-विलासके प्रसंग-मात्रका त्याग कर देना चाहिए। उनकी ओर मनमें अरुचि उत्पन्न करनी चाहिए। इसलिए कि अरुचि या विरागके विना त्याग केवल ऊपरी त्याग होगा और इस कारण टिक न सकेगा। भोग-विलास किसे कहे यह बतानेकी जरूरत न होनी चाहिए। जिस-जिस चीजसे विकार उत्पन्न हो, वे सभी त्याज्य हैं।

आहारका प्रश्न इस विषयमें बहुत विचारणीय है। मेरी अपनी राय यह है कि जो अपने विकारोको शान्त करना चाहता हो उसे घी-दूधका इस्तेमाल थोड़ा ही करना चाहिए। वनपक्व अन्न खाकर निर्वाह किया जा सके तो आग पर पकाई हुई चीजे न खाये या थोड़ी खाये। फल और बहुत-सी साग-सब्जियाँ कच्ची, विना पकाये खाई जा सकती हैं और खानी चाहिए। हा, कच्ची सब्जीकी मात्रा थोड़ी रहे। दो-तीन तोला कच्ची सब्जी आवश्यक पोषणके लिए काफी है। मिठाइया और मिर्च-मसाले विलकुल ही छोड़

देने चाहिए । आहारके विषयमे इतनी सूचनाए दे रहा हूँ, पर जानता हूँ कि केवल आहारसे ही ब्रह्मचर्यका पूर्ण पालन नहीं हो सकता । परन्तु विकारोत्तेजक वस्तुए खाने-पीनेवालेको तो ब्रह्मचर्य निभा सकनेकी आशा ही न रखनी चाहिए ।

## काम-रोगका निवारण

विलियम आर० थर्स्टन नामके लेखकने विवाह-विषयपर जो पुस्तक लिखी है वह इस योग्य है कि हर स्त्री-पुरुष उसको ध्यानपूर्वक पढ़े, समझे। (उसका साराश परिशिष्टमें दिया गया है।) हमारे देशमें १५ बरसके लड़केसे लगाकर ५० तकके पुरुष और इसी या इससे भी कम उम्रकी लड़कीसे लगाकर ५० तककी स्त्रीकी भी यह धारणा रहती है कि सभोग अनिवार्य है। उसके बिना रहा ही नहीं जा सकता। इससे दोनो विह्वल रहते हैं, एक-दूसरेका विश्वास नहीं करते। स्त्रीको देखकर पुरुषका दिल हाथमें नहीं रहता और पुरुषको देखकर स्त्रीकी भी वही दशा होती है। इससे कितने ही ऐसे रिवाज पैदा हो गये हैं जिनकी कृपासे स्त्री-पुरुष सभी निर्बल, निरुत्साही और रोगी हो रहे हैं। हमारा जीवन इतना हीन हो गया है जितना हीन मनुष्यका जीवन न होना चाहिए।

इस वातावरणमें रचे हुए शास्त्रोंमें भी ऐसे आदेश और विश्वास देखनेमें आते हैं जिनके फलस्वरूप स्त्री-पुरुषको परस्पर ऐसा व्यवहार रखना पड़ता है, जैसे वे एक-दूसरेके दुश्मन हो। कारण यह कि एकको देखकर दूसरेका मन विगड जाता है या विगड जानेका डर रहता है।

इस धारणा और उसके आधारपर बने रिवाजोंकी बदौलत जीवन या तो विषय-भोगमें या उसके सपने देखनेमें चला जाता है और दुनिया हमारे लिए जहरसे कड़वी हो जाती है।

होना तो यह चाहिए था कि मनुष्यमें भला-बुरा सोचने-समझनेकी शक्ति होती है इसलिए पशुकी तुलनामें उसमें अधिक त्याग-शक्ति और सयम हो। पर हम रोज ही देखते हैं कि नर-मादाके सयोगकी मर्यादाका पशु जितना पालन करता है मनुष्य उतना नहीं करता। सामान्य रीतिसे

स्त्री-पुरुषके बीच मा-बेटे, भाई-बहन या बाप-बेटीका संबंध होना चाहिए। यह तो खुली बात है कि पति-पत्नीका संबंध अपवाद-रूपमे ही हो सकता है और अगर भाईसे बहनके या बहनसे भाईके डरनेका कारण हो सकता हो तो पुरुष दूसरी स्त्रीसे या स्त्री दूसरे पुरुषसे डर सकती है। पर इसके विपरीत स्थिति यह है कि भाई-बहनको भी आपसमे सकोच रखना पटता है और रखना उन्हें सिखाया जाता है।

इस दयनीय दशा अर्थात् विषय-वासनाकी सड़ाधसे भरी हुई हवासे निकल जाना हमारे लिए निहायत जरूरी है। हमारे अन्दर इस बहमने जड़ जमा ली है कि इस वासनासे निकलना नामुमकिन बात है। उसकी जड़ उखाड़ देना ही पुरुषार्थ है और वह हमसे हो सकनेवाली बात है, यह दृढ़ विश्वास हमारे हृदयमे उत्पन्न होना चाहिए।

यह पुरुषार्थ करनेमे श्री थर्स्टनकी नन्ही-सी पुस्तकसे बड़ी मदद मिलेगी। लेखककी यह खोज मुझे तो ठीक जान पडती है कि अस्वाभाविक काम-वासनाकी जड़ विवाह-विषयक वर्तमान धारणा और उसके आधारपर रचित प्रथाएँ हैं जो पूर्व-पच्छिम सर्वत्र व्याप रही हैं। स्त्री-पुरुषका रातमे एकान्तमे एक कमरेमे और एक विस्तरपर सोना दोनोके लिए घातक और काम-वासनाको व्यापक तथा सार्वजनिक वस्तु बना देनेका जबरदस्त साधन है। एक तरफ तो सारी विवाहित दुनिया इसी नियमका अनुसरण करे और दूसरी ओर धर्मोपदेयक और सुधारक सयमका उपदेय करे। यह आसमानमे धिगली लगाना नहीं तो क्या है ? ऐसे विषय-वासनासे भरे हुए वातावरणमे नियमके उपाय व्यर्थ जाय तो इसमे कोई अचरजकी बात नहीं। शास्त्र पुकार-पुकारकर कहते हैं कि समागम केवल नन्तानकी कामनासे ही होना चाहिए। इस आज्ञाका उल्लंघन हम प्रतिक्षण किया करते हैं। फिर भी जब रोग हमें सताते हैं तो उनके कारण दूसरी जगह डूँडे जाते हैं। रसीयो कहते हैं—'गोदमे लडका और गहरमे टिडोरा'। इस सूर्यके प्रकाश-जैसी स्पष्ट बातको हमने समझ लिया हो तो—

जब सभव हो तब दोनो अलग-अलग कमरेमे सोयें, गरीबीके कारण यह मुमकिन न हो तो पति-पत्नी दूर-दूर और अलग-अलग खाटोपर सोये और बीचमे किसी मित्र या कुटुम्बीको सुला ले ।

२ समझदार मा-बाप अपनी लडकी ऐसे घरमे देनेसे साफ इनकार कर दे जहा उसे अलग कमरा और अलग खाट न मिल सके । ब्याह एक प्रकारकी मित्रता है । स्त्री-पुरुष एक-दूसरेके दु ख-सुखके साथी बनते हैं, पर ब्याह हो जानेके मानी यह नहीं है कि पति-पत्नी पहली ही रातको विषय-भोगमे आकठ निमग्न होकर अपनी जिन्दगीकी बरवादीकी नीव खोद ले । यह शिक्षा लडके-लडकियोको मिलनी चाहिए ।

थर्स्टनकी खोज स्वीकार करनेका अर्थ यह है कि उसके मनमे जो नई, आश्चर्यजनक, कल्याणकर और शांतिदायिनी कल्पना निहित है उसपर मनन किया जाय और ब्याहके विषयमे प्रचलित विचारोमे जो परिवर्तन आवश्यक है उसे हम समझ ले । तभी इस खोजका लाभ हमे मिल सकेगा । जो लोग इस खोजको हजम कर सके हो वे बाल-बच्चेवाले हो तो अपने बच्चोकी तालीम और घरका वातावरण बदल दे ।

यह समझनेके लिए हमे थर्स्टनकी शहादतकी जरूरत न होनी चाहिए कि हम विषय-सुख भोगते हुए भी बच्चोके बोझसे बचे रहें, इसके लिए जिन बनावटी उपायोका जोर-शोरसे प्रचार किया जा रहा है वे अति हानिकर हैं । ये उपाय हिंदुस्तान-जैसे देशमे चल कैसे सकते हैं, यही समझना कठिन है । पढे-लिखे लोग हिन्दुस्तानके दुर्बलता भरे वातावरणमे इन उपायोसे काम लेनेकी सलाह कैसे देते हैं, मेरी समझमे यह बात आती ही नहीं ।



# परिशिष्ट

: १ :

## सब रोगोंका मूल

विलियम राबर्टथर्स्टन नामके अमरीकन लेखकने 'फिलासफी ऑव मैरेज' (विवाहका तत्त्व-ज्ञान) नामकी छोटी-सी पुस्तक लिखी है जिसे न्यूयार्कके स्टिफानी प्रेस और मद्रासकी गणेशन् कम्पनीने भी प्रकाशित किया है। प्रकाशकके कथनानुसार श्री थर्स्टन, सयुक्त राष्ट्रकी सेनामे मेजर थे और लगभग दस बरसतक काम करके १९१९ मे अवकाश ग्रहण किया तबसे न्यूयार्क नगरमे रहते है। १८ बरसतक उन्होने जर्मनी-फ्रांस, फिलिपाइन द्वीपपुज, चीन और अमरीकामे विवाहित स्त्री-पुरुषोकी स्थिति और विवाहके नियमो, प्रथाओके प्रभावका गहरा अध्ययन किया। अपने निजके अवलोकनके अतिरिक्त वह प्रसूति-शास्त्र और स्त्री-रोगोके विशेषज्ञ सैकडो डाक्टरसे मिले और पत्र-व्यवहार करते रहे। इसके सिवा उन्होने फौजमे भरती होनेके उम्मीदवारोकी शारीरिक योग्यताकी जाचके परचो और सामाजिक आरोग्य-रक्षक मण्डलोके इकट्ठे आकडोका भी समुचित उपयोग किया है। लेखकने सैकडो डाक्टरसे कैसे प्रश्न किये और उनके कैसे जवाब उसे मिले, यह उसने बताया है—

प्रश्न—आजकल विवाहित स्त्री-पुरुषोमे सगर्भावस्थामे भी सभोगका रिवाज है या नही ?

इस प्रश्नका उत्तर लगभग सभी डाक्टरसे यही मिला कि यह रिवाज है।

प्र०—ऐसे सभोगसे गर्भपात या असामयिक प्रसव और प्रसूताके रक्तमे विष-प्रवेश (ब्लड पॉयजनिंग) की सभावना है या नही ?

उ०—अवश्य है ।

प्र०—इस सभोगके फलस्वरूप बच्चोका विकलाग होना सभव है या नहो ?

उ०—बहुतसे डाक्टर तो गर्भाविस्थामे भी कुछ महीनोतक सभोगकी इजाजत देते ही हैं । वे इसके खिलाफ राय कैसे देते । सैकडे पर २५ने लिखा है कि इससे विकलाग बच्चे पैदा होते हैं ।

प्र०—विकृत अगवाले बच्चे पैदा होनेका कारण गर्भाविस्थाका समागम न हो तो दूसरा क्या हो सकता है ?

इसके उत्तरमे बहुत मत-भेद है । बहुतेरे तो लिखते हैं कि हम इसका कारण नही बता सकते ।

प्र०—आजकलकी पढी-लिखी स्त्रिया क्या गर्भाधान रोकनेके साधनोका व्यवहार सचमुच करती है ?

उ०—हा ।

प्र०—इन साधनोसे और कुछ नही तो स्त्रीकी जननेन्द्रियकी अपार हानि होनेकी सभावना तो है ही ?

सैकडे ७५ डाक्टरोकी रायमे यह सभावना है ।

इसके अतिरिक्त लेखकने कितने ही चौकानेवाले आकडे दिये हैं जो जानने लायक हैं । सन् १९२० ई० मे अमरीकाकी सरकारने सेनामे भरती होनेवालोके शारीरिक दोषोके विषयमे एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमे बताया गया है कि—

२५ लाख १० हजार आदमियोकी फौजमे भरती होनेकी योग्यताकी जाच की गई ।

उनमेंसे १२ लाख ८९ हजारमे कोई-न-कोई शारीरिक या मानसिक दोष निकला ।

५ लाख ८९ हजार आदमी सेना-सम्बन्धी सभी कामोके लिए अयोग्य पाये गए ।

इन उम्मीदवारोकी उम्र १८ से ४५ सालके बीच थी ।

इतनी जाच और अनेक देशोकी स्थितिके अवलोकनके फलस्वरूप

लेखकने जो महत्त्वपूर्ण नतीजे निकाले हैं, वे सिद्धात उसीके शब्दोमे नीचे दिये जा रहे हैं :—

१. पुरुष स्त्रीको रोटी-कपड़े और रहनेको घर देता है इसलिए वह उसकी दासी बनकर रहे और चूकि वह उसकी ब्याहता कहलाती है इसलिए एक ही कमरेमे रहकर या एक ही विस्तरपर सोकर नित्य उसकी काम-वासनाकी तृप्तिका साधन बनती रहे, प्रकृति हर्गिज ऐसा नहीं चाहती ।

२. विवाह-बधनमे बधनेसे ही पुरुषकी विषय-वासनाकी तृप्ति स्त्रीपर फर्ज हो जाती है, यह माननेका रिवाज दुनियामे सब कही पड गया है । इस प्रथाके फलस्वरूप स्त्रीको रात-दिन अमर्यादित विषय-भोगका साधन बने रहना और विवाहित स्त्रियोमेसे सौ पीछे ६०को अर्थत. वेश्या बन जाना पडता है । यह स्थिति पैदा होनेका कारण यह है कि वेश्यावृत्ति स्वाभाविक और उचित मान ली गई है, क्योकि ब्याहका कानून यही माननेको कहता है । पतिका प्रेम बनाये रखनेके लिए भी यह वृत्ति स्वीकार करना स्त्रीपर फर्ज माना जाता है ।

इस अकुशरहित विषय-भोगके अनेक भयावह परिणाम होते हैं—

१. स्त्रीका नाडी-सस्थान—उसके दिल-दिमाग बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, वह जवानीमे बुढिया बन जाती है, उसका शरीर रोगोका घर और स्वभाव चिडचिडा, अस्थिर, अशान्त हो जाता है और वह बच्चोकी सम्हाल भी ठीकसे नहीं कर सकती ।

२. गरीबोके घर इतने बच्चे पैदा होते हैं कि उनकी पूरी परवरिश और सम्हाल नामुमकिन होती है । ऐसे बच्चोको रोग लग जाते और बड़े होनेपर वे चोर-उचक्के बनते हैं ।

३. ऊँचे वर्गवालोमे निरकुश विषयभोगकी खातिर गर्भाधान न होने देने और गर्भपातके साधन काममे लाये जाते हैं । इन साधनोसे काम लेना साधारण-वर्गकी स्त्रियोको सिखा दिया गया तो राष्ट्र रोगी, अनीतिमान और भ्रष्ट हो जायगा और अन्तमे उसका विनाश होगा ।

४. अति सभोगसे पुरुषका पुरुषत्व नष्ट होता है, वह इस लायक

भी नहीं रह जाता कि मेहनत-मजदूरी करके अपना निर्वाह कर सके और अनेक रोगोंके फलस्वरूप उसे समयसे पहले ही परलोकका रास्ता लेना पड़ता है। अमरीकामे आज विधुरोंसे विधवाओंकी संख्या २० लाख अधिक है। उसमें उनकी संख्या थोड़ी ही है जो युद्धके कारण विधवा बनी हैं। विवाहित पुरुषोंका बड़ा भाग ५०की उम्रतक पहुँचनेके पहले ही जर्जर हो जाता है।

५ अति सभोगके फलस्वरूप स्त्री-पुरुष दोनोंके भीतर एक प्रकारकी हताशता, अपने-आपको व्यर्थ समझनेका भाव उत्पन्न हो जाता है। दुनियामे जो आज इतनी गरीबी दिखाई देती है, बड़े शहरोंमें जो गरीबोंके मुहल्ले, गद्दी अधेरी गलियाँ हैं, उनका कारण पैसा मिलनेवाले कामका अभाव नहीं है बल्कि वर्तमान विवाह-नियमोंके फलरूप निरकुश सभोग है।

६ गर्भाविस्थामे जो स्त्रीको पुरुषकी वासना-तृप्तिका साधन बनना पड़ता है यह मानव-जातिके भविष्यके लिए अति भयावह है।

इस अवस्थाका सभोग मनुष्यको पशुसे भी हीन बना देता है। गाभिन गाय साड़को अपने पास कभी आने ही न देगी। फिर भी अगर साड़ बलात्कार करे तो वह गाय जो बछड़ा जनेगी उसके तीन या पाँच पाव होंगे अथवा दो पूछे या दो सिर होंगे। समस्त प्राणि-सृष्टिमें अकेला मनुष्य ही यह मानता दिखाई देता है कि इस प्रकारके अत्याचारसे पशुओंमें जो परिणाम होते हैं वे मनुष्योंको न भुगतने होंगे। इस धारणाके मूलमें एक भ्रम है। वह यह कि पुरुषसे बहुत दिनोत्तक अपनी विषय-वासना तृप्ति किये बिना रहा ही नहीं जा सकता। इस भ्रमकी जड़ भी साफ दिखाई देती है। जब वासनाओंको जगानेवाला साथी सदा अपनी बगलमें मौजूद हो तब पुरुषसे भोगकी भूख बुझाये बिना कैसे रहा जायगा ?

पर डाक्टरोंकी रायों और अपने निजके अनुभव-अवलोकनसे भी जान लिया गया है कि गर्भाधानसे पहले अति सभोग अगर अनिष्ट-मूलक है तो गर्भाविस्थाका सभोग तो सीधा नरकका द्वार है। इसके परिणाम-स्वरूप बच्चोंमें पागलपनतककी खराबी पैदा हो जानेका डर रहता है और खुद स्त्रीको तो अपार कष्ट होता है, क्योंकि गर्भ-धारणकी दशामे किसी स्त्रीको सभोगकी इच्छा नहीं होती।

लेखकने इसके बाद चीन, हिन्दुस्तान और अमरीकामे एक ही कमरेमें अनेक स्त्री-पुरुषोंके सोनेसे जो अनीति और निर्वीर्यता फैल रही है उसकी चर्चा की है और इस बुराईका इलाज बताया है ।

उसके बताये हुए कुछ उपाय तो ब्याहके कानूनमें सुधार करनेके हैं, पर उसने ऐसे उपाय भी बताये हैं जिनका करना मनुष्यके हाथमें है । कानून तो जब सुधरना होगा सुधरेगा । पर कुछ सुधार तो आदमीके अख्तियारकी बात है ही । जैसे—

१. सन्तानकी कामनाके बिना स्त्री-पुरुषका सभोग न होना चाहिए, इस प्राकृतिक ज्ञानका खूब प्रचार करना ।

२. स्त्रीको सन्तानकी इच्छा न हो तो पुरुषको केवल उसका पति होनेके नाते ही उसका स्पर्श करनेका अधिकार नहीं मिलता, इस सिद्धान्तका प्रचार करना ।

३. विवाह-बधनमें बधी होनेके कारण ही पतिके साथ एक ही कोठरी और एक ही विस्तरपर सोना स्त्रीपर फर्ज नहीं है, बल्कि सन्तानोत्पादनके हेतुके बिना उसका इस तरह सोना अपराध है—इस ज्ञानका प्रचार करना ।

लेखकका कहना है कि इन नियमोंका पालन किया जाय तो दुनियाके आधे रोग चले जाय—गरीबी चली जाय, रोगी-विकलाग बच्चोंका पैदा होना बंद हो जाय, और स्त्री-पुरुषके जन-कल्याणके लिए पुरुषार्थ करनेका मार्ग उन्मुक्त हो जाय ।

### एक महिलाके प्रश्न

‘विवाहका तत्त्व-ज्ञान’के लेखकने अपनी कृति अपने मित्रोंके पास प्रेमोपहारके रूपमें भेजा होगा । उनमेंसे एक वहनने उसे पत्र लिखा । उसके उत्तरमें लेखकने एक दूसरी पुस्तिका लिख डाली, जिसमें उसके विचार अधिक स्पष्ट कर दिये गये हैं और अपने मतकी पुष्टि अकाट्य दलीलोसे, अधिक सबल रूपमें की गई है । यह पुस्तक पहलीसे भी अधिक महत्त्ववाली और मननीय है ।

उक्त वहनके पत्रका आशय, थोड़ेमें, इस प्रकार है—

“आपकी पुस्तकके लिए अनेक धन्यवाद । अतिशय विषय-भोग ही हमारे रोगोका मुख्य कारण है, इसे अचूक रूपमें बतानेवाली आपकी पुस्तक पहली ही कही जा सकती है । काम-वासना महापुरुषोमें भी होती है । कुछ महापुरुष उससे मुक्त भी होते हैं और कितने ही साधारण-जनोमें वह अति प्रबल होती है । पर सभोगकी शारीरिक आवश्यकता कितनी है, मान ली हुई मानस आवश्यकता कितनी है और महज आदतसे पैदा होनेवाली आवश्यकता कितनी है, इसकी छान-बीन कर लेना जरूरी है । मिसालके तौर पर, यह जान लेना जरूरी है कि ह्वेलके शिकारके लिए समुद्रमें सुदूर गये हुए या ऐसे ही किसी अन्य कारणवश लम्बे अरसे तक स्त्रीसे जुदा रहने-वाले पुरुषके स्वास्थ्यपर इस विवशताके ब्रह्मचर्यका क्या असर होता है ।

“दूसरी बात यह है कि अतिशय विषय-भोगसे होनेवाली हानिको तो मैं स्वीकार करती हूँ, पर क्या गर्भधान रोकनेके कृत्रिम साधन भी अनावश्यक हैं ? गर्भपात या अवैध सन्तानका जन्म देनेके पापसे क्या यह अच्छा नहीं है कि बाह्य साधनोसे काम लेकर सन्तानोत्पत्ति होने ही न दी जाय । प्रकृतिके नियमके विरुद्ध चलनेवाला मनुष्य जनन-गिरोधके उपायोको काम लेनेके फलस्वरूप दुनियामें अपना नामलेवा छोड़े बिना मर जाय तो इसमें समाजका क्या विगडता है ?

“तीसरी बात, मान लीजिये, हम सभी सयमी बन गये । तो भी मोटे हिसाब हर एक दम्पतीके तीनसे अधिक बच्चे न हों तभी दुनियाकी आवादी हृदके अन्दर रह सकती है । और इसका अर्थ यह होता है कि सारी जिन्दगीमें उन्हें दो-चार बार ही सभोग-सुख भोगनेका अवसर मिल सकता है । इतना सयम क्या साधारण आदमीके वसकी बात है ? क्या स्वस्थ और बल-पौरुष-सम्पन्न पुरुष लम्बे अरसेतक सयम रख सकता है ?

## दो कामनाएं

इस पत्रके उत्तरमें लेखकने जो पुस्तिका (‘द ग्रेट सीक्रेट’) लिखी उसका सार नीचे दिया जाता है—

“साधारण पुरुषमें आहारकी इच्छाके अतिरिक्त दो कामनाएं और

होती हैं—एक सती-सुन्दरी स्त्रीके साथ सभोगकी, दूसरी पुरुषार्थकी, अर्थात् धर्म, अर्थ और मोक्षकी । पहलीको तृप्त करनेकी इच्छा दूसरेकी प्रेरणा करती है । बहुतोकी पुरुषार्थकी कामना ब्याहके पहले ही, सहज-प्राप्त स्त्रीके साथ, काम-वासनाकी परितृप्ति कर लेनेसे मर जाती है । अधिकागकी ब्याहके बाद दो-चार बरसो ही में सभोगके अतिरेकसे मर जाती या मन्द हो जाती है । स्वस्थ और वीर्यवान पुरुषमें सभोगकी इच्छा प्रायः सदा बनी रहती है, पर पुरुषार्थकी कामना बलवती हो जाय तो काफी लंबे अरसेतक वह दब भी जाती है । आवश्यकता है किसी महान् लक्ष्यकी । ऐसे लक्ष्यकी जिसकी सिद्धिमें मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगा देनेका सकल्प कर ले ।

ऐसे लक्ष्य अनेक है । एक सामान्य लक्ष्य तो उत्तम सन्तान पैदा करना ही है । अपनी सहधर्मिणीकी स्वाभाविक सन्तानेच्छाको तृप्त करके उसे प्रसन्न रखकर स्वस्थ सन्तान उत्पन्न करना और उसके पालन-पोषण, पढाने-लिखाने, उसे योग्य नागरिक बनानेमें लग जानेसे विषय-वासना अपने आप विदा हो जानी चाहिए । पर इन कर्तव्योका पालन कर सकनेके लिए जरूरी होगा कि उसका शरीर भरा हुआ हो, वह शरीरसे काफी मेहनत-मशक्कत करे । इसके सिवा उसे स्त्रीके साथ एक खाटपर सोना भी बंद करना होगा ।

दूसरा लक्ष्य है कीर्तिका—लोक-कल्याण करके या कोई बड़ा पराक्रम करके नाम कमाना । हो सकता है कि नाम कमा लेनेके बाद मनुष्य यह भी चाहे कि उसे विषय-सुख अधिक अच्छी तरह भोगनेका मौका मिले, पर कीर्तिकी लालसा उस वक्त तो मूल वासनाको दबा ही देती है ।

स्त्री ही जातिके आदर्शकी जननी है । ये आदर्श स्त्रीसे ही पुरुषके मानसमें पहुँचते हैं, इनके परिपाककी प्रेरणा भी स्त्रीसे ही मिलती है । अतः मैं तो कहूँगा कि जिस समाजमें स्त्रीका मूल्य अधिक है—जिस समाजमें स्त्री उर्वशीके समान विक्रमके वशमें है, वह समाज अधिक उत्कर्षशाली है । जिस देशमें स्त्रीकी कीमत कम है, अर्थात् जहाँ स्त्रीकी प्राप्तिमें पुरुषको कुछ मेहनत नहीं करनी पडती उस देशमें गरीबी और गन्दगीकी बहुतायत

होती है। अतः जहाँ स्त्रीका मूल्य अधिक हो वहाँके लोगोको अधिक समृद्ध होना चाहिए।

आप जानना चाहती हैं कि ह्वेलके शिकारको गये हुए और पत्नीसे लवे अरसे तक जुदा रहनेवाले पुरुषके स्वास्थ्यपर इस विवशताके ब्रह्मचर्यका असर क्या होता है। इन लोगोको सख्त मेहनत करनी पडती है, इसलिए काम-वासनाकी अतृप्तिका उनके स्वास्थ्यपर तो कोई बुरा असर नहीं पडता। हाँ, जब उनके पास काफी काम नहीं रहता तब इस वासनाको अप्राकृतिक रूपमें तृप्त करनेके दुर्व्यसन उन्हे लग जाते हैं। शिकारसे लौटकर ये लोग अपनी सारी कमाई शराब और ऐयाशीमें उडा देते हैं, क्योंकि यही लक्ष्य लेकर ये शिकारके लिये जाते हैं।

### कृत्रिम साधन

कृत्रिम साधनोसे सन्तानोत्पादन रोकनेका प्रश्न जो आपने उठाया है वह गभीर है। उसका उत्तर जरा विस्तारसे देना होगा। अपनी खोजो और अवलोकनके बलपर इतना तो मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि इन साधनोसे हानि नहीं होती इसका सबूत नहीं ही मिलता। हाँ, सफल और ज्ञानवान स्त्री रोग-चिकित्सको और मानस-रोग-चिकित्सकोके पास इसे साबित करनेके लिए जवर्दस्त मसाला मौजद है कि इन साधनोसे काम लेना शरीर-स्वास्थ्य और नीति दोनोके लिए अति हानिकर है। और यह खुली बात है कि इस विषयमें एक-दो वाते ध्यान देने योग्य हैं। सन्तानकी कामना न हो तो पति-पत्नीमेंसे किसीको भी सयमके लिए प्रेरित करनेवाली कोई शक्ति नहीं रहती। पुरुषका जी उस स्त्रीसे भर जाता है, उसकी पुरुषार्थकी कामना मद पड जाती है। स्त्री उसे दूसरी स्त्रियोके पास जानेसे रोकनेके लिए उसे अपना ही गुलाम बना रखना चाहती है। अरसे तक गर्भाधान न होने देनेसे उसकी अपनी भोगेच्छा भी भडकती जाती है। नतीजा यह होता है कि पुरुष कुछ ही वरसोमें निर्वीर्य हो जाता है और किसी भी रोगका सामना कर सकनेका बल उसमें नहीं रहता। इस निर्वीर्यतासे बचनेके लिए अक्सर कुत्सित साधनोसे काम लिया जाता है, जिसमें स्त्री-पुरुषके मनमें

एक-दूसरेके लिए तिरस्कार उत्पन्न होता है और अन्तमें सम्बन्ध-विच्छेद या तन्त्राककी नीवत आती है ।

कैंसरके विरोधका कहना है कि इन कृत्रिम साधनोंका व्यवहार कैंसर रोगका भी कारण होता है । नारी-देहकी एक कोमलतम झिल्लीपर इन साधनोंका बहुत बुरा असर होता है—और उससे कितने ही रोग पैदा होते हैं । कितने ही प्रतिष्ठित डाक्टरोंका यह भी कहना है कि इन साधनोंको काममें लानेके कारण बहुत-सी स्त्रियाँ बाध बन जाती हैं । उनका जीवन नीरस हो जाता है और मसार उनके लिए विपरूप हो जाता है ।

### जज लिंडसेका भ्रम

हमारे जज लिंडसेने इन कृत्रिम साधनोंकी खोजको व्यापक रूप दे दिया है, पर उनमें होनेवाले सर्वनाशका उन्हें पता नहीं है । 'वैज्ञानिक गर्भ-निरोध' को वह नई गोज मानते हैं—पर वह बहुत पुरानी चीज है । फ्रान्समें कम-से-कम एक नौ सालमें इस साधनका चलन है । उसकी दशा आज क्या है यह देखिये । उसकी राजधानी पेरिसमें ७० हजार तो ऐसी वेश्याएँ हैं जिनके नाम वेश्याओंके रजिस्टरमें दर्ज हैं । 'अन रजिस्टर्ड' खानगी वेश्याओंकी गन्या उनमें कई गुनी है । उसके आँर नगरोंमें भी यह बुराई बुरी तरह फैल रही है । जननेन्द्रियके रोगोंका भी कोई हृद-हिमाव नहीं है और लान्छो स्त्रियाँ—विवाहित-अविवाहित दोनों—उनसे पीड़ित हो डाक्टरोंके दरकी लाफ छान रही हैं । कितने ही बरसोंमें जन्म-सत्याकी आँसत मृत्यु-सत्याके

और विवाहिता दोनो तरहकी अभागी स्त्रियोंके यौवन और चरित्रकी हाट लग रही है ।

जज लिंडसे अपने देश (अमरीका) के युवा अपराधियोंका विचार करनेवाली अदालतमें अरसेतक न्यायाधीश रह चुके हैं । इन युवक अपराधियोंके वयानोमें उन्हें जो तथ्य मिले उनका उन्होंने उलटा उपयोग किया, और अपनी पुस्तकमें उलटे साधनोंकी सलाह देकर सारी जनताको उलटे रास्तेपर लगा दिया ।

पर अपनी ही पुस्तकमें उन्होंने जो तथ्य-प्रमाण दिये हैं उनका रहस्य उनकी समझमें क्यों न आया ? वर्जीतिया एलिस नामका युवतीका पत्र उन्होंने अपनी पुस्तकमें उद्धृत किया है । वह बेचारी लिखती है कि मैं चार होशियार डाक्टरोंसे मिल चुकी और मेरे पति दूसरे दो डाक्टरोंकी सलाह ले चुके । इन छहों डाक्टरोंका कहना है कि गर्भ-निरोधके साधनोंको काममें लानेसे थोड़े दिनोतक स्त्री-पुरुषके स्वास्थ्यपर कोई असर पडता भले ही न दिखाई दे, पर कुछ ही दिनमें दोनो हाथ मलने लगते हैं, और इस अनिष्टसे ऐसी व्याधिकी उत्पत्ति होती है, जिसका आपरेशन 'एंपिडिसाइटिस' (आतका फोडा) और 'गालस्टोन' (पित्ताशयकी पथरी)के नामसे किया जाता है । पर असलमें तो कुछ और ही होता है । क्या ये डाक्टर भ्रूठे हैं ? ऐसी राय देनेमें तो उनका कोई लाभ नहीं । उलटा, कृत्रिम साधन काममें लाये जाय तो रोग बढे और उनका रोजगार ज्यादा चले । पर ये डाक्टर अनुभवी, प्रतिष्ठित और लोकहितको समझनेवाले हैं ।

जज लिंडसे और उनके पीछे चलनेवाले अब पूरी लगनके साथ इन साधनोंके प्रचारमें लग रहे हैं । यह प्रचार बढता गया तो देशमें हजारों नीम हकीम इन साधनोंके लिए फिरते दिखाई देंगे और इससे राष्ट्रकी अपार हानि होगी ।

लिंडसे महोदयने जनन-निरोधके साधनोंका प्रचार करनेके लिए एक मण्डल स्थापित कर लिया है और कहते हैं कि यह सस्था स्वर्गको धरती-पर उतार लायेगी । पर मैं तो मानता हू कि वह दुनियाको नरक बना देगी । जन-साधारणमें इन साधनोंका प्रचार हुआ तो लोग वेमौत मरेगे । धुल-

घुलकर, सिसक-सिसककर मरेगे और शायद यह सत्यानाश देखकर ही आने-वाली पीढिया इन साधनोसे प्लेकी तरह भागना सीखेगी ।

जज लिंडसेकी नीयत बुरी नहीं है । वह बेचारे तो यही चाहते हैं कि हर एक कुटुम्बमें उतने ही बच्चे पैदा हो जितने स्त्री चाहती हो और जितनेके पालन-पोषणका बोझ पुरुष उठा सके । उनका दूसरा उद्देश्य है कि स्त्रीमें सभोग-सुखकी स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी तृप्तिका समुचित साधन उसे मिल जाय । इस भावनाका भूत उनकी अदालतमें भग्न-वाहिनी निर्लज्ज छोकरियोने उनके मानसमें घुसाया है । मैं तो यह मानता हू कि उनकी अदालतमें आनेवाली लडकियो-जैसी शहादत देनेवाली लडकियाँ अपवादरूप ही होगी । मैं दूसरी बहुत-सी लडकियोसे मिला हू । वे काम-वासनाकी बातोको जज लिंडसेके इजलासपर शहादत देनेवाली लडकियोकी तरह कवित्व और तत्त्व-ज्ञानका पालिश चढाकर तो कह ही नहीं सकती । बहुसख्यक समझदार लडकिया और माताए जानती हैं कि यह वासना शुद्ध भ्रम है । पर जज लिंडसेके सामने कितने ही वर्षोंसे ऐसी कच्ची अक्लकी लडकिया लगातार आ रही हैं । इससे उनके जैसा विवाहित अधेड उम्रका विद्वान् पुरुष भी रास्तेसे बहक गया और अनचाहे बच्चोकी पैदाइश रोकनेकी पुस्तक लिख डाली, नहीं तो ऐसा कौन होगा जो इतना ज्ञान रखते हुए कालिजमें पढनेवाले लडके-लडकियोको निर्भय होकर सहवास-सुख भोगनेकी सलाह देगा और इसके लिए कानून बनवानेका आदोलन करेगा ? उनका ज्ञान काम कर रहा होता तो उन्हें यह मालूम होता कि कितने सुन्दर, तेजस्वी युवक इस पापसे आत्मघातकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए कि उनका पुरुषार्थ विदा हो जाता है और उसके साथ-साथ जीनेकी इच्छा भी चली जाती है । उन्हें इसका पता न हो तो मानस रोगोका इलाज करनेवाले उन्हें बता सकते हैं कि कच्ची उम्रमें जन-नेन्द्रियको बहक जाने देना अच्छे भले युवकको शराबी, चोर, उचक्का और लफंगा बना देता है । उनकी अक्ल मारी न गई होती तो क्या वह लिखते कि पुरुषकी विषय-वासना तृप्त करना और उसकी वेध्या बनना स्त्रीका धर्म है ?

इन अक्लके दुश्मनको कौन समझाये कि प्रजामे अगर जन्म-मरण बहुत बढ़ जाय तो उसे रोकनेका वस एक ही उपाय है—विषय-भोगसे निवृत्ति । इनकी आखे यह क्यों नहीं देख सकती कि पशुओमे यही उपाय अमोघ है ? इनकी अकलमे यह बात क्यों नहीं आती कि इन ऊपरी उपायोका अवलवन स्त्रियोको वेश्या और विपथगामिनी और पुरुषोको निर्जीव-नपुसक बना देता है ।

स्वास्थ्यरक्षाके लिए सभोग आवश्यक है, इस भ्रमको दूर कर देना हरएक डाक्टर और अनुभवी सलाहकारपर फर्ज है । मैं तो अपने अनुभव और विद्वान् अनुभवी चिकित्सकोके साथ बातचीत करके जो-कुछ जान सका हूँ, उसके आधारपर यह कहनेको तैयार हूँ कि लंबे अरसेतक सभोग न करनेसे कुछ भी हानि नहीं होती, बल्कि बेहद लाभ होता है । कितन ही युवकोमे जो उछलता हुआ उत्साह और कौधता हुआ तेज दिखाई देता है वह उनके जी भरकर विषय-भोग करनेका फल नहीं बल्कि सयमका प्रसाद होता है । हरएक पुरुषार्थी 'पुरुष' जाने-अनजाने इस सूत्रका पालन करता है—

विषय-वासनाकी तृप्तिमे खर्च होनेवाली शक्ति सहज ही पुरुषार्थ सिद्धिमे लगाई जा सकती है । शक्तिका सयम जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक सिद्धि मिलेगी ।

इन्सान कितनी ही सदियोसे कीमियाकी तलाशमे भटक रहा है । इस सूत्रमे जैसी शक्तियाँ भरी हैं वैसी कहा मिलेगी ?

### स्त्रीका कर्तव्य

स्त्रियोको अब जागना, सावधान हो जाना चाहिए । उन्हें यह दृढ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम पुरुषकी विषय-वासना तृप्त करनेके साधन नहीं हैं । इस रूपमे व्यवहार किये जानेका उन्हें तीव्र विरोध करना चाहिए । पुरुष कमाकर स्त्रीको खिलाता है तो इसके लिए इतना उपद्रव क्यों ? वह घर चलाये, बच्चोको पाले-पोसे, पढाये-लिखाये, घरके वायु-मंडलमे प्रसन्नता

भरे, पति और बच्चोको ऊचे आदर्शोसे अनुप्राणित करे, अपने उगते-खिलते हुए बेटे-बेटियोको सन्मार्गपर चलाती रहे, इससे अधिक स्त्रीका कर्तव्य और क्या हो सकता है ? इतने कर्तव्योका बोझ उठानेके लिए तो उसे इनाम मिलना चाहिए, उसके लिए खास सुभीते कर दिये जाने चाहिए ।

## ब्रह्मचारिणी जोन

पुरुष जैसे विषय-भोगकी कामनाको पुरुषार्थमे बदल सकता है वैसे ही स्त्री भी कर सकती है । ऊचे आदर्शको सामने रखकर अपने यौवन-धन, अपने सौन्दर्य और अपने सारे आकर्षणको लेकर वह बड़े-से-बड़ा पुरुषार्थ कर सकती है, इतिहासमे इसका सबसे ऊर्चा उदाहरण जॉ दार्क (जोन ऑव आर्क) का है । उसके पास अपने निष्कलक कौमार्य और पारदर्शक ब्रह्मचर्यके सिवा और कौन-सा बल था । १५ वी सदीमे फ्रासमे कैसी भयावह स्थिति थी ! सब ओर दारिद्र्य, दुःख और दुष्टताका साम्राज्य था । फ्रेच सेना अनेक वर्षोसे अग्रेजी सेनासे हारपर हार खाती जा रही थी, सैनिक निस्सत्व, निर्वीर्य हो गये थे । उत्तरके सभी बड़े नगर दुश्मनके कब्जेमे थे । पेरिसकी सड़कोपर लाशोके ढेर पड़े सड़ रहे थे । राजा भाग गया था । स्त्रियोमे शील-जैसी वस्तु रह ही नहीं गई थी, ऐसे कठिन कालमे जॉ दार्क नामकी अपढ पर महा शूवीर और बुद्धिमती कुमारी आगे आई । लोग उसकी पवित्रता स्वीकार न करते थे । सोचते थे कि वह भी फ्रासकी दूसरी हजारो छोकरियो-जैसी होगी । सोलह सालकी लडकीका कौमार्य क्या अखण्डित हो सकता है ?

उसके कौमार्यकी जाच करनेके लिए एक कमीशन बिठाया गया । उसका दावा सही साबित हुआ । तब बुद्धिमान पुरुषोने उसे चादीका बक्तर पहनाया और फौजके आगे रखा, और वह इस तरह मौतका डर छोडकर लडी मानो उसके अन्दर किसीने विजली भर दी हो । उसके ब्रह्मचर्यका लोगोके ऊपर अद्भुत प्रभाव पडा । नामर्द मर्द बन गये और कितने ही वर्षोसे चलनेवाली लडाई गिने-गुथे दिनोमे ही समाप्त हो गई । अग्रेजोके कदम

फ्राससे उखड गये । इतिहासमे इस घटनाका जवाब नही मिला । पर आज जो प्रवाह वह रहा है वह चलता रहे—स्त्री विषय-वासनाकी तृप्ति-मात्रका साधन बन जाय । पुरुष उसे भ्रष्ट करता रहे, जनन-निरोधके साधनोका चलन आम हो जाय, तो इससे समाजमे सत्यानाशका जो चक्र चलेगा उसे रोकनेके लिए ब्रह्मचारिणी तपस्विनी जाँ दार्क-जैसो की ही आवश्यकता होगी, जो १५ वी सदीकी उस वीरागनाका जोड होगा ।

सब स्त्रियाँ भले ही जाँ दार्क न बने, भले ही वे पवित्र विवाह-बधन-मे बधे, पर इस बधनमे बधकर भी वे अपने सम्बन्धकी पवित्रता कायम रखे, उसे वेश्या-वृत्ति न बना दे । माताका धर्म समझे और पुरुषोका पुरुषार्थ जगानेवाली शक्ति बने ।

## उपसंहार

यह इस सुन्दर पुस्तकका सार है । पहली पुस्तकका सार लगभग शब्दश उलथा है । पर यह खुलासा उलथा नही बल्कि लेखकके भावोका निचोड है । सारी पुस्तकमे जो-कुछ कहा गया है वह मानो अपने इस महा-मन्त्रमे आ जाता है—

### मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दु-धारणात्

और जीन द आर्क-जैसे ज्वलन्त दृष्टान्त अपने वैधव्यके अखड ब्रह्मचर्यसे चमकनेवाली मीरावाई, भासीकी महारानी लक्ष्मीवाई और अहल्यावाई होलकरके तथा सपूर्ण जीवनको कौमार्य—ब्रह्मचर्यसे शोभा-सम्पन्न कर देने-वाली दक्षिण भारतकी दो साध्वियो अब्बै और आडालके चरित्रोमे मिलते हैं ।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> स्वर्गीय श्री महादेव देसाई द्वारा किये हुए और 'नवजीवन' में प्रकाशित साराशका उलथा ।

: २ :

## जनन और पुनर्जनन

(श्री विलियम लॉप्ट्स हेयरके लेखका भावानुवाद<sup>१</sup>)

जिन जीवोका शरीर केवल एक कोषका बना होता है उन्हें खुर्दबीनसे देखनेपर प्रकट होता है कि अतिनिम्न कोटिकी जीवश्रेणियोमे जनन या वृद्धिकी क्रिया विभाजनके द्वारा होती है। जीव-शरीरके टुकड़े होकर एकसे दो जीव बन जाते हैं। जीव पोषण पाकर पुष्ट होता है और उसकी जातिके जीवके देहकी अधिक-से-अधिक जितनी बाढ़ हो सकती है उस बाढ़को जब वह पहुँच जाता है तब वह अपने प्राण-केन्द्र (न्यूक्लियस) और कुछ क्षण बाद शरीरके भी दो टुकड़े कर लेता है। स्थिति साधारण हो—जल और आहार सुलभ हो—तो जान पडता है, उसके जीवनका कार्य यही समाप्त हो जाता है। पर ये दोनो वस्तुएँ सुलभ न हो तो कभी-कभी यह देखनेमे आता है कि दोनो कोष फिर जुड़ जाते हैं। इससे नये जीवकी उत्पत्ति तो नही होती, पर उस जीवकी जवानी लौट आ सकती है।

बहुकोषी जीवोमे भी पोषण और वृद्धिकी क्रियाएँ वैसे ही होती हैं जैसे नीचेकी श्रेणीवाले प्राणियोमे, पर एक नई बात देखनेमे आती है। जिस कोष-समूहसे शरीरका निर्माण होता है वह कई वर्गोमे बटकर भिन्न-भिन्न कार्य करने लगता है। कुछ आहार या पोषण प्राप्त करते हैं, कुछ उसका वितरण करते हैं, कुछ शरीर या उसके विभिन्न अगोको हिलने-डुलनेमे समर्थ बनाते हैं तो कुछ उसकी रक्षाका भार उठाते हैं, जैसे खाल। जिन कोषोको नये काम सौपे जाते हैं वे विभाजनकी प्राथमिक क्रिया त्याग देते हैं। पर जिनका स्थान पिडके अधिक भीतरी भागमे होता है वे उसे

<sup>१</sup> शिकागो अमरीकाके 'ओपेन कोर्ट' नामक मासिकके मार्च १९२६ के अंकमें प्रकाशित।

किये जाते हैं । जिन कोषोका रूप-कार्य बदल गया वे उनकी सेवा-रक्षा करते हैं । पर वे खुद जैसे-के-तैसे बने रहते हैं । वे पहलेकी तरह फटते, विभक्त होते रहते हैं, पर बहुकोषी शरीरके अदर ही आगे चलकर कुछ उससे बाहर भी कर दिये जाते हैं । परन्तु उन्हे एक नई शक्ति मिल जाती है । अपने पुरखोकी तरह फटकर एकसे दो हो जानेके बदले वे अपने प्राण-केन्द्र-के टुकड़े किये बिना ही उससे नये पिंड पैदा कर लेते हैं । यह क्रिया तबतक चलती रहती है जबतक प्राणी अपनी जातिकी पूरी वाढ नही प्राप्त कर लेता । तब उसकी देहमे एक नई वात दिखाई देती है । बीज-कोषोके मूल समुदाय वाह्य जननके कामसे छुट्टी पा ही जाते हैं । देहके भीतर विभिन्न क्रियाओके लिए वे नये कोष भी लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं । अपने मूल रूपमे बने रहनेवाले कोष इस प्रकार एक साथ दो काम करते हैं—शरीरके विकासके लिए भीतरी जनन या उत्पादन और वश-रक्षाके लिए बाहरी जनन । यहा इन दोनो क्रियाओमे हम स्पष्टत भेद कर सकते हैं । इनमेसे एकको हम पुनर्जनन और दूसरेको जनन कहेंगे । एक वात और भी ध्यान देने योग्य है । पुनर्जननकी क्रिया—भीतरी उत्पादन—व्यक्तिकी जीवन-रक्षाके लिए अनिवार्य है, इसलिए आवश्यक और प्रधान है । जननकी क्रिया कोषोके आवश्यकतासे अधिक हो जानेका परिणाम है, इसलिए कम जरूरी, गौण है । संभवत दोनो शरीरको पूरा पोषण मिलनेपर अवलंबित है, क्योंकि उसमे कमी हुई तो शरीरके भीतरी निर्माणकी क्रिया ठीक तौरसे न हो सकेगी और फिर वाह्य जनन-वश-वृद्धिकी आवश्यकता न होगी, होना शक्य न होगा । अत इस स्थितिमे जीवनका नियम यह है कि बीज-कोषोका पोषण पहले पुनर्जननके लिए किया जाय, फिर जनन-क्रियाके लिए । शरीरको पूरा पोषण न मिलनेकी दशामे पुनर्जनन प्रथम कर्तव्य होगा और जननकी क्रिया वद रहेगी । इस प्रकार हम जान सकते हैं कि सन्तानोत्पादन कुछ समय तक रोक रखनेकी प्रेरणाका उद्गम कहा है और किस तरह विकसित होकर उसने ब्रह्मचर्य और तपश्चर्याका रूप प्राप्त किया । आन्तरिक पुनर्जननकी क्रिया वद हो जानेका अर्थ मृत्यु होगा, और यह वात हमें स्वाभाविक मृत्युके मूलका भी पता दे देती है ।

## जीवन-शास्त्रमें जनन

मनुष्यो और पशु-जातियोमें लिंग-भेद चरम विकासको पहुंच चुका है और साधारण नियम बन गया है। इनकी स्थितिपर विचार करनेके पहले हमें जनन या वश-वृद्धिके मध्यवर्ती प्रकारपर एक निगाह डाल लेनी होगी। यह प्रकार है—उभयलिंग प्रकारके पहले और अलिंग प्रकारके बादका। पौराणिक गाथाओमें इस जीवश्रेणीको उभयलिंगकी सजा दी गई है, इसलिए कि वह नर-नारी दोनोंके काम करता है। कुछ जीवोंमें अब भी यह बात देखनेमें आती है। उनमें बीज-कोषोंकी आन्तरिक वृद्धि तो ऊपर बताई हुई रीतिसे ही होती है, पर जनन-क्रियाके लिए विलकुल अलग कर दिये जानेके बदले वे कुछ कालके लिए ही अलग किये जाते हैं और देहके दूसरे भागमें दाखिल हो जाते हैं, और जबतक स्वतंत्र जीवनकी योग्यता नहीं प्राप्त कर लेते तबतक वही उनका, पोषण होता रहता है।

जीवनके विकासका नियम यह मालूम होता है कि प्राणी एक-कोपी हो, बहुकोपी हो या उभयलिंग, उसके शरीरकी वाढ उस हदतक हो सकती है जिस हदतक उसके जननी-जनक उसके जन्म-कालमें पहुच चुके थे। इस प्रकार प्रगति व्यष्टि-प्राणीकी ही होती है। जब-जब वह वच्चा पैदा करता है, शरीर-सघटनकी दृष्टिसे वह खुद पहलेसे अच्छी स्थितिमें होता है या हो सकता है। फलतः उसकी सन्तान अपने मा-बापकी साधारण वाढको पहुचनेमें समर्थ होगी। सन्तानोत्पादनमें समर्थ होनेका काल प्रत्येक व्यक्ति और जातिके लिए भिन्न-भिन्न होता है। पर आदर्श रूपमें वह जवानीसे बुढ़ापेके आरम्भतक होता है। जवान होनेके पहले या शक्तियोंका ह्रास आरम्भ हो जानेके बाद सन्तान उत्पन्न की जाय तो वह मा-बापसे बल-वृद्धिमें हीन होगी। यहा भी शरीर-शास्त्रके नियम हमें सभोग-नीतिका एक नियम बताते हैं—वश-वृद्धि और शरीरकी आन्तरिक पुष्टिकी दृष्टिसे पूर्ण जीवन-काल ही सन्तानोत्पादनके लिए सर्वोत्तम काल है।

उभयलिंग प्राणीमें लिंग-भेदकी उत्पत्तिका इतिहास हम छोड देते हैं, क्योंकि यह दिवान-धर्म निर्दिवाद तथ्य है। पर उभय-लिंग प्राणीकी

उत्पत्तिके साथ एक नई वात पैदा हो जाती है जिसकी चर्चा आवश्यक है। उभयलिग प्राणीके दोनो अर्द्धभाग—'नर' और 'मादा'—दो पिंड तो हो ही जाते हैं, हर एक अलगसे बीज-कोष भी पैदा करने लगता है। नर-भाग बीज-कोष या शुक्र-कीट बनाकर आतरिक जननका पुराना बुनियादी काम बदस्तूर किये जाता है, पर उन्हे पृथक् करनेके बजाय इस उद्देश्यसे वटोर रखता है कि शुक्र-कीट उनमें प्रविष्ट होकर गर्भाधान करे। दोनो अवस्थाओमें पुनर्जननकी क्रिया व्यक्तिके लिए अनिवार्य आवश्यक है। गर्भ-स्थितिके बादसे भीतरी पुनर्जननकी क्रिया प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। मानव-प्राणीके पूरी वाढको पहुच जानेपर सन्तानोत्पादन हो सकता है, पर वह केवल जातिके हितार्थ होता है, व्यक्तिका हित उससे होना जरूरी नहीं है। निम्नकोटिके जीवोकी तरह यहा भी आतरिक जनन एक जानेका अर्थ रोग या मृत्यु होता है। यहा भी व्यक्ति और जातिके हित एक-दूसरेके विरोधी होते हैं। व्यक्तिके पास बीज-कोषोकी फाजिल पूजी न हो तो सन्तानोत्पादनमें उसे खर्च करनेसे पुनर्जनन या आतर उत्पादनकी क्रियाको कुछ आवश्यक सामग्रीकी कमी पड जायगी। सच तो यह है कि सभ्य मानव-समाजमें सभोग वश-रक्षाकी आवश्यकतासे कही अधिक और भीतरी पुनर्जननकी क्रियामें अडचन डालते हुए किया जाता है, जिसका फल रोग, मृत्यु और दूसरे कष्ट होते हैं।

मानव-शरीरकी कल किस तरह चलती है इसपर यहा हम थोडी अधिक सूक्ष्म दृष्टि डालना चाहते हैं। हम पुरुष-शरीरको लेते हैं, पर स्त्री-शरीरमें भी, व्यैरेके थोडे अन्तरके साथ, वही क्रियाए होती है।

शुक्र-कोषोका केन्द्रीय भंडार प्राणका आदिम और मूलभूत अधिष्ठान है। भ्रूण या गर्भ आरम्भसे ही, माताकी देहमें वननेवाले रसोसे पुष्ट होकर, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। शुक्र-कोषोका पोषण ही यहा भी जीवनका नियम दिखाई देता है। गर्भके शुक्र-कोषोकी सख्या ज्यो-ज्यो बढ़ती है और उनमें कुछ भिन्नता पैदा होने लगती है, वे आवश्यकतानुसार नये रूप और नये कार्य ग्रहण करने लगते हैं। स्थूल अर्थमें जन्म-ग्रहण-माके पेटसे बाहर आनेसे इस क्रियामें थोडा ही अन्तर पडता है, पहले शुक्र-कोषके पोषणकी सामग्री नालके द्वारा मिलती थी, अब होठो और मुहके रास्ते मिलती है। कोषोकी

वृद्धि अब तेजीसे होती है और सारे शरीरमें जहा कही निकम्मे तन्तुओकी जगह नये तन्तु बनानेकी आवश्यकता होती है वहा पहुच जाते है । रक्त-वाहिनी नाडिया इन कोषोको अपने आदि अधिष्ठानसे लेकर देहके हर हिस्सेमें पहुचाती है । बड़े-बड़े समूहोमें वे खास-खास काम अपने जिम्मे लेते है और देहके भिन्न-भिन्न अंगोका निर्माण और मरम्मत करते है । जिस कोष-समुदायकी वे व्यष्टि है वह जीता रहे इसके लिए वे हजार वार मौतको गले लगाते है । ये सारे 'मुद्दे' शरीरकी ऊपरी सतहपर आ जाते है और खासकर हड्डियो, दातो, खाल और वालोमें कडाई पैदा करके सारे शरीरका बल बढाते और उसकी रक्षा करते है । उनकी मृत्यु देहके उच्चतर जीवन और उसपर आश्रित सारी बातोका मूल्य है । वे आहार-ग्रहण, नये कोषोका उत्पादन, विभाजन, भिन्न-भिन्न वर्गोमें बटकर भिन्न-भिन्न कार्योंका सपादन, और यह सब करके अन्तमें मर जाना बढ कर दे तो शरीर जी नहीं सकता ।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, बीज-कोषो या शुक्र-कोषोसे दा तरहके जीवनकी प्राप्ति होती है—१. आन्तरिक या प्रजनन-रूप और २ बाह्य या जननरूप । पुनर्जनन देहके जीवनका आधार है और उसको भी उची स्रोतसे जीवन मिलता है जिससे जनन-क्रियाको । इससे हम यह अनुमान कर सकते है कि विशेष अवस्थाओमें दोनो क्रियाएँ एक-दूसरेकी विरोधिनी, एक-दूसरेमें बाधक हो सकती है ।

### पुनर्जनन और अचेतन मन

पुनर्जनन यात्रिक क्रिया—बेजान कलके पुरजोका हिलना—न है और न हो सकता है । वह तो जीव-मृष्टिमें कोषके प्रथम विभाजनकी तरह प्राण या जीवका अस्तित्व बतानेवाला व्यापार है । अर्थात्, वह कर्तामें वृद्धि और सकल्पकी शक्ति होनेकी सूचना देता है । प्राण-तत्त्वका विभाजन और बिलगाव—उसका विशिष्ट कार्योंकी योग्यता प्राप्त करना शुद्ध यांत्रिक क्रिया है, यह बात तो नोची भी नहीं जा सकती । इनमें सन्देह नहीं कि जीवनी ये मूलभूत क्रियाएँ हमारी वर्तमान चेतनामें इतनी दूर जा पडी है

कि कोई बुद्धिकृत या सहज सकल्प उनका नियमन करता है, यह नहीं जान पड़ता। पर क्षण-भरके विचारसे ही यह बात स्पष्ट हो जायगी कि पूरी बाढको पहुँचे हुए मनुष्यका सकल्प जिस तरह उसकी बाह्य चेष्टाओ और क्रियाओका संचालन, बुद्धिके निर्देशानुसार करता है, वैसे ही यह भी मानना होगा कि आरम्भमे होनेवाली शरीरके क्रमिक सघटनकी क्रियाएँ भी, अपनी परिस्थितिकी सीमाओके अंदर, एक प्रकारकी बुद्धिकी रहनुमाईमे काम करनेवाली एक प्रकारकी इच्छा-शक्ति या सकल्पके द्वारा परिचालित होती हैं। इस बुद्धिको मानस-शास्त्रके पंडित अब अचेतन मन या अन्तश्चेतना कहने लगे हैं। यह हमारी व्यष्टि सत्ता, हमारी आत्माका ही एक अंग है, जो हमारे साधारण चिन्तनसे लगाव न रखते हुए अपने निजके कर्तव्योके विषयमे अतिशय जागरूक और सावधान रहता है। हमारी बाह्य चेतना सुषुप्ति बेहोशी आदिमे सो जाती है, पर अन्तश्चेतना कभी एक क्षणके लिए आख नहीं मूदती।

इस प्रकार हमारी अन्तश्चेतना ही वह प्राण-शक्ति है जो शरीरके भीतरी निर्माण और विकासकी पेचीदा क्रियाओका नियमन करती है। उसका पहला काम है—गर्भयुक्त डिम्बको अलग करना और इसके बाद प्राणीकी मृत्यु होनेतक मूल बीज-कोषको जज्व कर और उन्हें भिन्न-भिन्न अंगोको भेजकर, अपने पिंड या शरीरकी रक्षा करते रहना। इस विषयमे मेरा मत अनेक नामी मानस-शास्त्रियोके मतका विरोध करता हुआ मालूम हो सकता है, पर मेरा कहना है कि अचेतन मनको केवल व्यक्तिकी चिन्ता होती है, जातिके जीने-मरनेकी परवाह उसे नहीं होती। अतः पहले वह पुनर्जननकी गाडी चलानेका उपाय करता है। केवल एक ही दृष्टिसे कह सकते हैं कि अचेतनको भावी पोढीकी, जातिकी, चिन्ता होती है—शरीर-सघटनकी दृष्टिसे व्यक्तिको अपने पुरुषार्थसे वह, जिस स्तरपर पहुँचा चुका है उसको वह बनाये रखना चाहता है। पर जो बात असंभव है वह उसके किये नहीं हो सकती। चेतन या ज्ञात सकल्पकी सहायतासे भी वह जीवनको अनन्त कालतक बनाये नहीं रह सकता। अतः काम-प्रवृत्ति या सभोगके आवेगके जरिये अपने-आपको फिरसे पैदा करता है। कह सकते हैं कि इम

व्यापारमे अचेतन और चेतन मन—अन्तश्चेतना और वहिश्चेतना—मिलकर काम करती है। सभोगमे मिलनेवाला सुख साधारणतः इस बातकी सूचना माना जा सकता है कि उससे व्यक्तिको सुख मिलनेके सिवा किसी औरके प्रयोजनकी भी पूर्ति होती है। व्यक्तिको इस सुखकी कीमत भी, जितनी वह जानता है, उससे बहुत ज्यादा चुकानी पडती है।

### जन्म और मृत्यु

इस लेखको विज्ञानके विशेषणोंके अवतरणोंसे भरकर बोझिल बना देना इष्ट नहीं है पर विषय इतने महत्त्वका है और जन-समाजमे इस विषयमे इतना अज्ञान फैल रहा है कि कुछ प्रामाणिक वचन हमें देने ही होंगे। रे लैकेस्टर लिखते हैं—

“आदि जीव (प्रोटोजोआँ) का शरीर केवल एक कोषका होता है, और अपना वंश वह अपने शरीरके टुकड़े करके बढ़ाता है। इससे इस प्रकारके जीवोंमे मृत्यु कोई स्वाभाविक और साधारण घटना नहीं है।”

वीसमानका कहना है—“स्वाभाविक मृत्यु केवल बहुकोषी जीवोंमे ही होती है, एक कोषवाले जीव उससे बच जाते हैं। उनके विकासका कभी वंश अन्त नहीं होता जिसकी तुलना मृत्युसे की जा सके, और यह भी जरूरी नहीं कि नये प्राणीके पैदा होनेके लिए पुरानेको मरना पड़े। विभाजनमे दोनों अग समान होते हैं, न कोई बूढ़ा होता है न कोई जवान। इस प्रकार व्यष्टि जीवोंकी अनन्त श्रेणी चलती रहती है, जिसमे हर एककी वय उतनी ही होती है जितनी जातिकी। हर एकमे अनन्त कालतक जीते रहनेकी नामर्थ्य होती है, उसके टुकड़े सदा होते रहते हैं, पर मरता कभी नहीं।”

पैट्रिक गेडेस ‘द इवोल्यूशन आव सेक्स’ (लिंग-भेदका विकास) पुस्तकमे लिखते हैं—“इस तरह हम कह सकते हैं कि मृत्यु देह-धारणका मृत्यु है। यह कीमत हमें कभी-न-कभी चुकानी ही पडती है। देहमे हमारा मतलब कोषोंके उस जटिल सघातसे है जिसमे थोड़ा-बहुत अग-भेद और कार्य-भेद विद्यमान हो।”

श्री वीसमानके अर्थभरे शब्दोंमे “देह एक तरहने जीवनके सच्चे

अधिष्ठान-उत्पादन-कार्य करनेवाले कोप-समूहका अतिरिक्त विस्तार उनसे जोड़ी हुई चीज-सी जान पड़ती है।”

श्री रे लैकेस्टर भी यही बात कहते हैं—“बहुकोषी प्राणियोंके शरीरमें कुछ कोष देहके और घटकोसे अलग कर दिये जाते हैं। ऊँची श्रेणीके जीवोंकी देह, जो मरणशील होती है, इस दृष्टिसे क्षणिक और गौण वस्तु मानी जा सकती है, जिसकी रचनाका प्रयोजन अधिक महत्त्ववाली और अमर वस्तु-विभाजनसे उत्पन्न कोष-सघात—का कुछ दिनोत्क धारण-पोषण करते रहना-भर है।”

“पर इस विषयमें सबसे अधिक मार्केकी और सभवत सर्वाधिक विस्मयजनक बात वह गहरा लगाव है जो ऊँचे प्रकारकी बनावट वाली देहो या पिंडोमें जनन-क्रिया और मृत्युके बीच पाया जाता है। अनेक विज्ञानविद् इस विषयपर स्पष्ट और निश्चयात्मक शब्दोंमें अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। जननका दण्ड मरण है। बहुतेरी जीव-योनियोंमें यह बात विलकुल स्पष्ट है। वश-रक्षाका उपाय करनेमें उनमें नर या मादामेसे एकको अक्सर जानसे हाथ धोना पड़ता है। सन्तानोत्पादनके बाद जीते रहना प्राणकी विजय है, जो सदा नहीं होती। कुछ जीव-जातियोंमें तो कभी नहीं होती। गेटेने मृत्युपर लिखे हुए अपने निबधमें भली-भांति दिखाया है कि जनन और मरणमें कितना निकटका और अनिवार्य सम्बन्ध है। ये दोनों क्रियाएँ क्षय क्रियाकी वे मजिले कही जा सकती हैं जब स्थिति कोई पक्की करवट लेती है।”

श्री पैट्रिक गेडेस पुन कहते हैं—“सन्तानोत्पादन और मृत्युका सम्बन्ध निस्सदेह स्पष्ट है। पर आम बोल-चालमें इस लगावको गलत रूप दे दिया जाता है। हम लोगोको यह कहते सुनते हैं कि प्राणीकी मृत्यु अटल है इसलिए उसे वच्चे पैदा करने ही होंगे, नहीं तो जातिका नाश हो जायगा। पर पीछेके उपयोगकी यह दलील आमतौरसे हमारे दिमागकी वादमें होनेवाली उपज होती है। इतिहास हमें बताता है कि प्राणी इसलिए वच्चे नहीं पैदा करता कि उसे एक दिन मरना है, बल्कि वह वच्चे पैदा करता है इसीलिए मरता है।”

गेटेने इस तत्त्वको यो सूत्र-रूपमे बताया है—“मरण जननको आवश्यक नहीं बनाता, बल्कि वह खुद जननका अनिवार्य परिणाम है।”

बहुत-सी मिसाले देनेके बाद गेडेसने इन ध्यान देने योग्य शब्दोमे इस विषयका उपसंहार किया है—“ऊँची श्रेणीके जीवोमे वंश-वृद्धिके लिए होनेवाला बलिदान बहुत कम हो गया है, फिर भी काम-वासनाकी तृप्तिके फल-रूपमे मौत होनेका खतरा मनुष्यके लिए रहता ही है। सयत मात्रामे सभोगसे भी तन-मनमे सुस्ती, थकावट आ जाती है और शारीरिक शक्तिके इस ह्रास-कालमे हर तरहके रोग होनेकी सभावना बढ़ जाती है, यह तो सभीको मालूम है।”

इस विवेचनाका निचोड़ यह हो सकता है कि सभोग पुरुषके लिए शरीरके क्षयकी क्रिया या मौतकी ओर बढ़ना है और प्रसव-क्रियामे स्त्रीके लिए भी उसका वही अर्थ होता है। और यह बात बिलकुल पक्की है।

असयत सभोगका शरीरके स्वास्थ्यपर जो अनिष्टकर प्रभाव पड़ता है उसपर एक पूरा अध्याय लिखा जा सकता है। अखंड ब्रह्मचर्य या पूर्ण सयमका पालन करनेवालेको भी बल-वीर्य, दीर्घायु और आरोग्यकी प्राप्ति होना साधारण नियम है। इसका एक सबूत, यद्यपि वह जरा भद्दा है, यह हो सता है कि दुर्बल जनोके शरीरमे इजेक्शनके जरिये बाहरसे थोड़ा वीर्य पहुँचा देनेसे उनकी बहुत-सी व्याधिया दूर हो जाती है।”

प्रस्तुत निबन्धके इस भागमे जो मत या निष्कर्ष पाठकोके सामने रखे गये हैं उनका मन उन्हे माननेसे इनकार कर सकता है। कितने ही लोग बहुतेरे बड़े और देखनेमे तन्दुरुस्त लगनेवाले स्त्री-पुरुषोके नाम लेंगे जिनके बहूतसे बालबच्चे हैं, आकडे देकर दिखायगे कि विवाहित स्त्री-पुरुष अविवाहितोसे अधिक जीते हैं। पर इनमेसे कोई भी दलील इस तथ्यके सामने टिक नहीं सकती कि विज्ञानकी दृष्टिमे मृत्यु जीवनके अन्तमे घटित होनेवाली घटना नहीं है, बल्कि एक क्रिया है जो जीवनके साथ ही आरम्भ होती और प्रतिक्षण उसके साथ-साथ चलती रहती है। शरीरकी छोड़की पूर्ति अथवा पोषण और उसका क्षय जीवन और मरणकी शक्तिया है जो एक-दूसरेके बदल-द-गदम चला करती हैं। वचपन और चढ़ती जवानीके दिनोंमे

जीवनकी क्रिया दौडमे आगे रहती है। प्रौढावस्थामे दोनों कदम-ब-कदम चलती है, पर जब उम्र ढलने लगती है तो मृत्युकी क्रिया आगे निकल जाती है और अन्तमे निधनके क्षणमे जीवनकी शक्तको पक्के तौरसे पछाड देती है। इस जय-लाभमे सहायक होनेवाली हर बात, हर बात जो उस घडीको एक दिन, एक वरस या एक दशक आगे खीच लाती है, मृत्युकी क्रिया है। और सभोग निस्सन्देह ऐसा ही कार्य है, खासकर जब वह अति मात्रामे किया जाय।

अपने उपर्युक्त कथनकी प्रामाणिकतापर सन्देह करनेवालोको मैं एक बहुत ही रोचक और ज्ञानगर्भ पुस्तक पढनेकी सलाह दूंगा। वह चार्ल्स एस माइनट लिखित 'द प्राब्लम आव एज ग्रोथ ऐंड डेथ' (वय विकास और मृत्युकी समस्या)।<sup>१</sup> विद्वान लेखकने इस पुस्तकमे क्षय और मृत्युका अर्थ और स्वरूप शरीर-शास्त्रकी दृष्टिसे बताया है। उसकी इस बातको मैं पक्के तौरसे मानता हू कि स्वाभाविक मृत्यु जीवनकी कोई अलग, असबद्ध घटना नहीं है, बल्कि एक निरन्तर चलती रहनेवाली क्रिया है। पर कामुकता-के विषयपर जो पुस्तक मुझे सबसे अधिक महत्त्वकी जान पडी वह है डाक्टर केनेथ सिलवा गुथरीकी 'रिजेनरेशन द गेट ऑव हेवेन' (पुनर्जनन-स्वर्ग-द्वार)<sup>२</sup>। उसका नाम तो बताता है कि वह आध्यात्मिक दृष्टिसे लिखी गई है, पर उसमे शरीरशास्त्र और नीति-शास्त्रकी दृष्टिसे भी विषयका पूर्ण विवेचन किया गया है और अपने मतकी पुष्टिमे विज्ञानके प्रमुख पण्डितो तथा ईसाई धर्माचार्योंके मत पेश किये गए हैं।

### मनकी इन्द्रिय

शरीरके उच्चतर कार्यों, खासकर मनकी भौतिक इन्द्रिय-नाडी-संस्थान

<sup>१</sup> The Problem of Age, Growth and Death, by Charls S. Minot (1908. Johan Murray)

<sup>२</sup> Regeneration, the Gate of Heaven, by Dr. Kenneth Sylvan Guthrie (Boston, the Barta, Press)

और मस्तिष्कका विचार करनेसे जनन और पुनर्जनन क्रियाके स्थिर विरोधका कुछ अदाजा हमें लग सकता है। हमारा सम्पूर्ण नाडी-संस्थान भी ऐसे कोषोंसे ही बना है जो कभी बीज-कोष रह चुके हैं और जो प्राणके आदि अधिष्ठानसे खिचकर आये हैं। विभिन्न संस्थानोंके नाडी-जाल केन्द्रोंको उनकी धारा सदा सींचती रहती है, दिमागको तो प्रचुर मात्रामें उसकी प्राप्ति होती है। इन कोषोंका ऊपरकी ओर जाकर शरीरके पोषणमें लगना रोककर वे सन्तानोत्पादन या केवल भोग-सुखके लिए खर्च किये जाय तो वह खजाना खाली हो जाता है जिससे उक्त अंग रोज होनेवाली छीजकी पूर्ति किया करते हैं? यही शारीरिक सचाइया हमारी वैयक्तिक सभोग-नीतिका आधार है, जो अखंड ब्रह्मचर्य नहीं तो समयकी सलाह जरूर देती है—समयकी प्रेरणाका मूल स्रोत कहा है यह तो बताती ही है।

कुछ दर्शन मानते हैं कि ब्रह्मचर्य-धारणसे मन और आत्माकी शक्तिया बढ़ती हैं। भारतका योग-दर्शन उनमें प्रधान है। पाठक पातजल योग-दर्शनके किसी भी प्रामाणिक उलथाको देखकर मेरे कथनकी सचाईकी जांच कर सकते हैं। ('हारवर्ड ओरियंटल सिरीज'में प्रकाशित जेम्स एच० वुड कृत उलथा मेरी समझसे अग्रेजीमें उसका सर्वश्रेष्ठ अनुवाद है।)

भारतके धार्मिक और सामाजिक जीवनसे परिचित जनको मालूम होगा कि हिन्दू लोग पहले तपस्या किया करते थे और बहुतेरे अब भी करते हैं। उसके दो उद्देश्य होते हैं—शरीरकी शक्तियोंको बनाये रखना और बढ़ाना और मनकी अतीन्द्रिय शक्तिया या सिद्धिया प्राप्त करना। पहलेको हठयोग कहते हैं। शारीरिक पूर्णता—आदर्श स्वास्थ्यको ही उसने अपना लक्ष्य मान लिया है। उसके अन्दर बहुतसे करामाती काम किये जाते हैं। दूनरेका नाम राजयोग है, जिसका उद्देश्य मन, बुद्धि और आत्माकी शक्तियोंका विकास है। पर शारीरिक सदाचारका अंग दोनोंमें समान है। यह पातजलिके योगनून और प्राचीन भारतके इस महान मानस-शास्त्रीके सिद्धान्तोंके महारे रचित अन्य कितने ही ग्रन्थोंमें वर्णित है।

पंच क्लेशोंमें 'राग'का स्थान तीसरा है। पातजलिके कथनानुसार उसका अर्थ है मृग या मृग-प्राप्तिके साधनोंकी कामना या तृष्णा। मृगमें

दु ख मिला हुआ है । सुखानुशायी रागः (२-७) इसलिए वह योगीके लिए त्याज्य है ।

योगके आठ अंग हैं । उनमें पहला और दूसरा यम-नियम हैं, जिनका पालन योगके अभ्यासीको सबसे पहले करना होता है । यह देखकर अचरज होता है कि योगके रहस्योके अनेक उद्घाटनकर्ता या तो इस बातसे अनभिज्ञ हैं या जानते हुए भी इस विषयमें चुप्पी साध लेते हैं कि चौथा यम आठ प्रकारके मैथुनका त्याग है, और ब्रह्मचर्य जननेन्द्रियका निग्रह है ।

पर पतञ्जलिके कथनानुसार ब्रह्मचर्यके लाभ महान हैं **ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः** (३८-२)—ब्रह्मचर्यमें प्रतिष्ठित होनेवालेको वीर्यलाभ होता है । वीर्यके मानी है बल, पौरुष । उसके लाभसे अणिमादि अष्ट सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है ।

श्री मणिलाल ना० द्विवेदी अपनी योग-सूत्रकी टीकामें लिखते हैं । “शरीर-शास्त्रका यह सर्वविदित नियम है कि वीर्यका बुद्धिके साथ बहुत गहरा लगाव है, और हम कह सकते हैं कि आध्यात्म-भावके साथ भी है । जीवनके इस अमूल्य तत्त्वका अपव्यय रोकनेसे मनुष्य को मन-इन्द्रियोंकी अभीष्ट अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त होती है । इस यमका पालन किये बिना किसीकी योग-सिद्धि होनेकी बात हमें नहीं मालूम ।”

योग-सूत्रके कितने ही भाष्योमें योगका प्रयोजन और प्रक्रिया रहस्यवादकी शब्दावलीमें वर्णित है । शक्तिके विषयमें कहा जाता है कि वह सर्पके समान सबसे नीचेके चक्रसे सबसे ऊपरके चक्र अड-कोषसे ब्रह्माकोण्ड जाती है ।

### वैयक्तिक काम-नीति

सदाचारके नियम सामान्यतः जीवनके अनुभवोंसे बनते हैं, चरित्रके व्यक्तियोंके जीवनके ही या समाजोंके अथवा जातिके । इतिहासके कथनानुसार उनकी रचना प्रायः कोई महापुरुष करता है । कभी-कभी उसे ईश्वरके अवतार या दूतका पद प्राप्त होता है । मूसा, बुद्ध, कनफ्युगियस, सुकरात, अरस्तू, ईसा और उनके बाद हर देशमें हुए महान् धर्मोपदेष्टा और तत्त्व-

ज्ञानी सबने अपने-अपने देश और कालमें मनुष्यके आचारको परखनेकी, कोई-न-कोई कसौटी पेश की। अतः सामान्य, सर्वोपयोगी नीति-शास्त्र दर्शन-शास्त्र, मानस-शास्त्र, शरीर-शास्त्र और समाज-शास्त्रके सिद्धान्तोंपर आश्रित होगा। ये सब मिलकर अनेक तथ्य या माने हुए तथ्य प्रस्तुत करते हैं जो स्वतः प्रमाण होते हैं। अतः किसी भी युग या सभ्यतामें वैयक्तिक काम-नीति या सभोग-नीतिके नियम उन्हीं तथ्योंके आधार बनेंगे जो लोगोंके अपने अनुभवमें उनपर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। सामाजिक काम-नीतिकी तरह वैयक्तिक काम-नीति भी युग-युगमें भिन्न होती है। पर उसकी बातें स्थायी और अल्पाधिक सार्वकालिक होती हैं।

इस युगके लिए वैयक्तिक काम-नीति निर्धारित करनेमें हमें सभी ज्ञात तथ्यों और सम्भावनाओंका विचार करना होगा, खासकर जब विश्वसनीय समीक्षकोंके अनुभव उसकी पुष्टि कर देते हों। यह कहना अपनी बड़ाई करना नहीं है कि प्रस्तुत लेखके पहले और पाचवें प्रकरणोंमें जो तथ्य दिये गए हैं वे निर्विकार चित्तके समझदार पाठकोंको तत्क्षण कुछ युक्ति-संगत अनिवार्य परिणामोंपर पहुँचाते हैं। व्यक्तिके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हितकी दृष्टिसे वे तथ्य यहीं बताते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवनका अकांट नियम है। पर इस नियमको चुनौती देनेके लिए तुरत ही दूसरा नियम हमारे सामने आकर ताल ठोकता है। एक नियम दूसरेका खडन करता है, पहला नियम प्रकृतिका है, कामकी वासना या वेग उसकी देन है। पिछला नियम है अपरोक्षज्ञान (इन्ट्यूशन) का, विज्ञानका, अनुभवका, विश्वासका, आदर्शका। पुराने नियमके अनुसरणका फल है जल्दी बूढ़ा होना और जल्दी परलोक सिंघारना। नये नियमके रास्तेमें ऐसी विकट बाधाएँ खड़ी हैं कि उनपर चलनेकी हिम्मत बिरले हीं करते हैं। वस्तु-स्थिति पर विश्वास करना लोगोंके लिए कठिन होता है, वे तुरत किन्तु-परन्तु करने लगते हैं। पर यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि योगियो, सन्यासियो और भिक्षुओंके लिए जो आचारके कड़े-से-कड़े नियम रखे गए हैं वे पौराणिक आख्यानो या अध-विश्वासोंपर आश्रित नहीं हैं, बल्कि इस निबन्धमें वर्णित शारीरिक सचाइयों द्वारा आदिष्ट हैं।

काम-वासनाकी तृप्तिमें सदाचार-पालनका पक्ष, जहातक मेरी जान-कारी है, किसी आधुनिक लेखकने काउट टॉल्स्टॉयसे ज्यादा जोरदार या स्पष्ट शब्दोंमें उपस्थित नहीं किया है। रूसके इस आदर्श-वादी तत्त्वज्ञानीके विचारोंकी एक बानगी मैं यहा देता हू—

“१०२ वश-रक्षाकी प्रवृत्ति—काम-वासना—मनुष्यमें स्वभावजन्य है। पशु-दशामे वह इस सहज वासनाकी तृप्ति कर अपने जीवनके प्रकृति-निर्दिष्ट उद्देश्यकी पूर्ति करता है। इसीमें उसका हित है।

१०३ पर चेतनाके जगनेपर उसका मन यह कहने लगता है कि इस वासनाकी तृप्तिसे व्यष्टिरूपमें उसकी कुछ अधिक भलाई होगी और वह उसकी तृप्ति जातिकी रक्षाके उद्देश्यसे नहीं बल्कि अपने निजके भलेके लिए करने लगता है। यही कामगत पाप है।

१०७ पहली हालतमें जब मनुष्य पवित्रता अर्थात् ब्रह्मचर्यका जीवन विताना और अपनी सारी शक्ति भगवान्की आराधनामें लगाना चाहता हो, सभोग-मात्र—उसका उद्देश्य बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना-पोसना हो तो भी—कामगत पाप होगा। जिस आदमीने ब्रह्मचर्यका रास्ता अपने लिए चुना हो शुद्धतम वैवाहिक जीवन भी उसके लिए एक स्वभाव-कृत पाप होगा।

११३ जिसने सेवा और पवित्रता या ब्रह्मचर्यका रास्ता अपने लिए चुना हो उसके लिए विवाह इस कारण पाप या गलती है कि वह इस बधनमें न बधता तो सभव है सबसे ऊचा धवा अपने लिए चुनता और अपनी सारी शक्तिया भगवान्की सेवामें—फलत प्रेमके प्रचार और व्यक्तिके परम श्रेयकी प्राप्तिमें—लगाता। इसके बदले वह जीवनके नीचेके स्तरपर उतर आता है और अपने परम श्रेयसे वचित रहता है।

११४ जो आदमी वश-रक्षाके रास्तेपर चलना चाहता हो उसके लिए

---

‘टालस्टायकी परिभाषामें पाप धर्म-शास्त्रके किसी विधि-निषेधका उल्लंघन नहीं है। जो-कुछ प्रेम अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति मैत्रीकी अभिव्यक्तिमें बाधक है, वही पाप है।

विवाह न करना पाप होगा। इसलिए कि बाल-बच्चों, अन्ततः कुटुम्बके नेह-नातेसे वचित रहकर वह अपने-आपको दाम्पत्य-जीवनके सबसे बड़े प्रेमसे वचित रखता है।

११५. इसके सिवा जो लोग सभोग-सुखकी बढ़ानेका यत्न करते हैं उनका स्वाभाविक सुख, ज्यों-ज्यों उन्हें कामुकताकी लत लगती है, घटता जाता है। सभी शारीरिक वासनाओंकी तृप्तिमें ऐसा होता है।”

इन पंक्तियोंसे प्रकट होता है कि टॉल्स्टॉयका सिद्धान्त नैतिक सापेक्ष्य-वाद है। मनुष्यके लिए परमेश्वर, परब्रह्म किसी अवतारी धर्माचार्यने नियत नहीं कर दिया है, हर एकको खुद उसे चुनना पडता है। हा, यह जरूरी है कि वह जो नियम, जो रास्ता अपने लिए चुने उसका अनुसरण करे।

यह आचार-नीति ऊपरसे नीचेकी ओर आनेवाला एक निषेध परम्पराका विधान करती है। जिस आदमीको नैष्ठिक ब्रह्मचर्यमें पक्की निष्ठा है और जो ऊचे शारीरिक-मानस लक्ष्योंके लिए बुद्धिपूर्वक समयका पालन करता है उसके लिए सब प्रकारका सभोग वर्जित है। जो आदमी विवाह-बंधनमें बंध चुका है उसके लिए पर-स्त्री या पर-पुरुषका सग निषिद्ध है। अविवाहित स्त्री-पुरुषके अनियमित या स्वच्छद सभोगमें भी वेश्या-गमन या वेश्या-वृत्ति जैसे पतनकारी सबंधका निषेध होगा, और प्राकृतिक रीतिसे कर्म करनेवालेको अप्राकृतिक बुराइयोंसे बचना चाहिए। अपनी काम-वासनाकी तृप्ति करनेवालेके लिए भी अति सभोग हर हालतमें दोष माना जायगा और कच्ची उम्रके युवक-युवतियोंको प्रौढ वयको पहुंचने तक सभोग-सुखकी चाह दबा रखनी होगी। यही काम-नीति है।

ऐसा आदमी तो शायद ही मिले जो इस सामान्य काम-नीतिको समझ न सकता हो और ऐसे भी बिरले ही होंगे जो दिमागपर जोर डालकर सोचे तो उसकी सच्चाईको अस्वीकार करे। हा, कुतर्कसे उसका विरोध करनेकी प्रवृत्ति अवश्य पाई जाती है, लोग यह मानते हैं कि चूकि ब्रह्मचर्यका पालन कठिन है और बिरले ही उसे निभा सकते हैं इसलिए उसका उपदेश देना बेकार है। तर्ककी दृष्टिसे तो विवाहित स्त्री-पुरुषके पर-पुरुष या पर-स्त्री शरीर-संग न करने, पति-पत्निमें भी विषय-भोगकी अति न होने या

प्राकृतिक रीतिसे ही काम-वासनाकी तृप्ति करनेके विषयमे भी यही बात कही जा सकती है । वे एक आदर्शको अस्वीकार करते हैं तो आदर्श-मात्रको कर सकते हैं और हमे गन्दी आदतो और कामुकताके गढेमे गिरनेकी सलाह दे सकते हैं । बुद्धि-विवेक हम एक ही राह बताता है—आदर्शरूपी ध्रुवतारेका अनुसरण । यह ध्रुवतारा हमे रास्तेके गढेसे बचाता और इस योग्य बनाता है कि हम एक नियमका सहारा ले उसके बलसे विरोधी नियमपर विजय प्राप्त कर ले । इस प्रकार इस नीति-नियमका सोच-समझकर और इच्छापूर्वक अनुसरण करके मनुष्य जवानीकी अप्राकृतिक बुराइयोसे स्वाभाविक सयोगकी स्थितिको पहुँच सकता है, भले ही वह अविवाहित, स्वच्छन्द हो । इस स्थितिसे और ऊँचा उठकर वह एकनिष्ठ दाम्पत्य-जीवनके बधनमे बधेगा और अपने तथा अपने साथीके हितके लिए अपनी भोग-वासनापर उतना अकुश रखेगा जितना रख सकता है । यही नीति उसे ब्रह्मचर्यसे होनेवाले उच्चतर लाभोका अधिकारी बना सकती है, अति भोगकी अनेक बुराइयोके गढेमे गिरनेसे तो निश्चय ही बचा सकती है ।

### सामाजिक काम-नीति

समाज व्यक्तियोंके कार्य-कलापका विस्तार और उनका एक लडीमे गूथा जाना है । अतः सामाजिक काम-नीति भी वैयक्तिक काम-नीतिसे ही उत्पन्न होती है । दूसरे शब्दोमे यो कह सकते हैं कि समाजको वैयक्तिक सदाचारके नियमोको कुछ बढ़ाना और कुछ मर्यादित करना पडता है । इसका सबसे बडा उदाहरण विवाहकी व्यवस्था है । विज्ञानके पडितोने विवाहके इतिहासपर बडे-बडे ग्रन्थ लिखे हैं और इस विषयके तथ्य तो इतने इकट्ठे कर दिये हैं कि उनका ढेर लग गया है । इसलिए आज जो सुधार सुभाये जा रहे हैं उनकी चर्चा करनेके लिए उक्त विद्वानोकी रायोका निचोड दे देना भर काफी होगा ।

प्राचीन कालमे मानव-वशमे माताका पद पितासे बडा था । सन्तानो-त्पादन-कार्यमे वही प्रकृतिका प्रधान कारपरदाज थी और है । उसीको लेकर, उसीको केन्द्र बनाकर कुटुम्बकी उत्पत्ति हुई । फलतः एक जमानेमे

माताका राज विश्वकी व्यापक व्यवस्था थी। बहुपतित्व अर्थात् एक स्त्रीका अनेक पुरुषोंसे सम्बन्ध उस समय जायज माना जाता था। एशियाकी कुछ जगली जातियोंमें अब भी इस प्रथाके अवशेष पाये जाते हैं। इस प्रथासे और अशतः जातियों-कबीलोंके संघटनसे भी पतिके पदकी पैदाइश हुई। एक स्त्रीसे सम्बद्ध अनेक पुरुषोंमेंसे जो सबसे अधिक बलवान और सरक्षण समर्थ होता था उसका पद-अधिकार औरोंसे कुछ बड़ा होने लगा। पतिका अंग्रेजी पर्याय—'हस्बैंड' विवाह-प्रथाका इतिहास अपने भीतर लिये हुए है। वह मूलतः Hasboundi है जिसके मानी हैं घरमें रहनेवाला। उसपर घरमें रहना फर्ज होता था। औरोंपर नहीं होता था। धीरे-धीरे वह घरकी रखवाली करनेवाले घरका मालिक बन गया और पीछे कोई-कोई 'गृहपति' जातिका सरदार या राजा भी बन गया। माताके राज या स्त्रीराज्यमें जैसे बहुपतित्वकी प्रथा उपजी थी पिता या पुरुषके राजमें वैसे ही बहुपत्नीत्वका रिवाज पैदा हुआ और फैला।

अतः सामाजिक दृष्टिसे नहीं तो मानव-शास्त्रकी दृष्टिसे पुरुष स्वभावतः अनेक पत्नियोंकी और स्त्री अनेक पतियोंकी कामना रखनेवाली हैं। पुरुष अपनी कामनाकी किरणें सब ओर छिटकाता और जो स्त्री तत्काल उसे सबसे अधिक आकृष्ट करती उसीपर उसे केन्द्रित करता है। स्त्री भी यही कहती है। पर मनुष्यके प्रकृति-प्रेरित, उसकी मनोरचनासे उद्भूत अव्यवस्थित आवेगोंपर थोड़ा-बहुत अंकुश न रखा गया तो मनुष्य-समाज टिक नहीं सकता, चाहे वह आदिम हो या आधुनिक। मनुष्यसे नीचेके सभी प्राणियोंमें ऐसे आवेगोंकी अतिशयता होती है। समाजको इन आवेगोंके लिए विवाहके सिवा और कोई उपयुक्त अंकुश न मिला और अन्तमें एकनिष्ठ विवाह—एक स्त्री-पुरुषके साथ एक स्त्री-पुरुषके व्याह या पति-पत्नी सम्बन्ध—को ही अपनाना पड़ा। इसका विकल्प एक ही हो सकता है—स्वच्छन्दाचार और अन्ततः वर्तमान रूपमें समाजका पूर्ण विनाश। दोनों जीवन-प्रणालियोंका संघर्ष हमारी आंखोंके सामने चल रहा है और हम उसे देख सकते हैं। वैश्या-वृत्ति, अनियमित और अवैध सम्बन्ध, व्यभिचार और तलाक रोज-ब-रोज हमारे सामने इस बातका सबूत पेश

कर रहे हैं कि एकनिष्ठ विवाह आदिम प्रकारके स्त्री-पुरुष सम्बन्धोंके ऊपर अपनी सत्ता अभी स्थापित नहीं कर सका है। कभी कर सकेगा ?

इस बीच हमें एक और उपायकी योग्यतापर विचार कर लेना होगा। वह है तो बहुत पुरानी चीज, पर पहले वह लुक-छिपकर अपना काम करती थी, इधर थोड़े दिनोंसे बिना घूघट, बुरकेके सामने आने लगा है। उसका नाम है 'जनन-निरोध' (बरथ-कंट्रोल); और अर्थ है ऐसी दवाओं और बाह्य साधनोंका व्यवहार जो गर्भ-स्थिति न होने दे। गर्भ-धारणमें स्त्रीपर तो बोझ पडता ही है, पुरुषको भी खासकर भले स्वभावके पुरुषको, उसके कारण काफी अरसे तक सयम रखना पडता है। जनन-निरोध या गर्भ-निरोध सयमको अनावश्यक बना देता और इसका सुभीता कर देता है कि जबतक वासना या शरीर ही शिथिल न हो जाय तबतक हम मनमाना सभोग-मुख भोगते रहे। इसका असर विवाह-सम्बन्धके बाहर भी पडता है। यह अनियमित, अवैध और अफलजनक सभोगका दरवाजा खोल देता है, जो आधुनिक उद्योग-धर्मों, समाज-शास्त्र और राजनीति सबकी दृष्टिसे खतरोंसे भरी हुई बात है। यहाँ इन बातोंकी विस्तारसे चर्चा नहीं की जा सकती। इतना ही कहना काफी है कि गर्भ-निरोधके साधनोंसे विवाहित-अविवाहित दोनों तरहके स्त्री-पुरुषोंके लिए अति सभोगका सुभीता हो जाता है। और ऊपर मैंने शरीर-शास्त्रकी जो दलीले दी हैं वे सही हों तो इससे व्यक्ति और समाज दोनोंकी हानि होना अनिवार्य है।

### उपसंहार

किसान खेतमें जो बीज बिखेरता है वे सभी उगते नहीं। वैसे ही यह निदव भी कुछ ऐसे लोगोंके हाथमें पड़ेगा जो इसे घृणाकी दृष्टिसे देखेंगे। कुछ तो अयोग्यता या निरे आलस्यसे इसे समझेंगे ही नहीं, कुछके लिए इसमें प्रकट किये हुए विचार विलकुल नये होंगे और उनके मानसमें वे विरोध या क्रोधकी भावना भी जगा सकते हैं। पर थोड़े-से-लोग ऐसे भी अवश्य

निकलेंगे जिन्हे वह सच्चा और कामका जान पड़े । मगर उनके मनमें भी शका उठेगी । उनमें जो सबसे भोले होंगे वे कहेंगे—“आपकी दलीलोके अनुसार तो संभोग कभी होना ही नहीं चाहिए । तब तो दुनियामें जीवघारी रह ही न जायगे । इसलिए आपकी राय गलत होनी ही चाहिए ।” मेरा जवाब यह है कि मेरे पास कोई ऐसा खतरनाक अताई नुस्खा नहीं है । जनन-निरोध जन्म रोकनेका सबसे प्रभावकर उपाय है और समय या ब्रह्मचर्यकी तुलनामें बहुत जल्दी दुनियाको आदमियोंसे खाली कर देगा । मैं जो बात चाहता हू वह तो बहुत सीधी है । अज्ञान और असंयत भोगके मुकाबलेमें दर्शन और विज्ञानकी कुछ सचाइयोंको खड़ा करके मैं अपने युगके स्त्री-पुरुष-सम्बन्धकी शुद्धिमें सहायता करना चाहता हू ।



1

1

1

: २ :

ब्रह्मचर्य-१



# ब्रह्मचर्य-१

: १ :

## ब्रह्मचर्य

हमारे व्रतोंमें तीसरा ब्रह्मचर्य-व्रत है। वास्तवमें देखनेपर तो दूसरे सभी व्रत एक सत्यके व्रतमेंसे ही उत्पन्न होते हैं और उसीके लिए उनका अस्तित्व है। जिस मनुष्यने सत्यको वरा है, उसीकी उपासना करता है, वह दूसरी किसी भी वस्तुकी आराधना करे तो व्यभिचारी बन जाता है। फिर विकारकी आराधनाकी तो बात ही कहा उठ सकती है? जिसकी कुल प्रवृत्तिया सत्यके दर्शनके लिए है, वह सतानोत्पत्तिके काममें या घर-गिरस्ती चलानेके झगडेमें पड ही कैसे सकता है? भोग-विलास द्वारा किसीको सत्य प्राप्त होनेकी आज तक हमारे सामने एक भी मिसाल नहीं है।

अथवा अहिंसाके पालनको ले तो उसका पूरा पालन ब्रह्मचर्यके बिना असाध्य है। अहिंसा अर्थात् सर्वव्यापी प्रेम। जहा पुरुषने एक स्त्रीको या स्त्रीने एक पुरुषको अपना प्रेम सौंप दिया वहा उसके पास दूसरेके लिए क्या बच रहा? इसका अर्थ ही यह हुआ कि 'हम दो पहले और दूसरे सब बादको।' पतिव्रता स्त्री पुरुषके लिए और पत्नीव्रती पुरुष स्त्रीके लिए सर्वस्व होमनेको तैयार होगा। अतः यह स्पष्ट है कि उससे सर्वव्यापी प्रेमका पालन नहीं हो सकता। वह सारी सृष्टिको अपना कुटुम्ब नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास अपना माना हुआ एक कुटुम्ब मौजूद है या तैयार हो रहा है। उसकी जितनी वृद्धि, उतना ही सर्वव्यापी प्रेममें विक्षेप होता है। इसके उदाहरण हम सारे संसारमें देख रहे हैं। इसलिए -अहिंसा।

व्रतका पालन करनेवालेसे विवाह नहीं बन सकता, विवाहके बाहरके विकारकी तो बात ही क्या ?

फिर जो विवाह कर चुके हैं उनकी क्या गति होगी ? उन्हें सत्यकी प्राप्ति कभी न होगी ? वे कभी सर्वार्पण नहीं कर सकते ? हमने तो इसका रास्ता निकाल ही रखा है—विवाहितका अविवाहितकी भांति हो जाना। इस दिशामे इससे बढ़कर मैंने दूसरी बात नहीं देखी। इस स्थितिका मजा जिसने चखा है वह गवाही दे सकता है। आज तो इस प्रयोगकी सफलता सिद्ध हुई कही जा सकती है। विवाहित स्त्री-पुरुष एक-दूसरेको भाई-बहन मानने लग जाय तो सारे झगडोसे वे मुक्त हो जाते हैं। ससार-भरकी सारी स्त्रियां बहने हैं, माताएं हैं, लडकियां हैं—यह विचार ही मनुष्यको एकदम ऊंचे ले जानेवाला, वधनमेसे मुक्ति देनेवाला हो जाता है। इसमे पति-पत्नी कुछ खोते नहीं, वरन् अपनी पूजीमे वृद्धि करते हैं, कुटुम्ब बढ़ाते हैं, विकार-रूपी मैल निकलनेसे प्रेम भी बढ़ता है। विकारोके जानेसे एक-दूसरेकी सेवा अधिक अच्छी हो सकती है, एक-दूसरेके बीच कलहके अवसर कम होते हैं। जहा स्वार्थी एकागी प्रेम है, वहा कलहके लिए ज्यादा गुजाइश रहती है।

इस प्रधान विचारके समझ लेने और उसके हृदयमे बैठ जानेके बाद ब्रह्मचर्यसे होनेवाले शारीरिक लाभ, वीर्य-लाभ आदि बहुत गौण हो जाते हैं। जान-बूझकर भोग-विलासके लिए वीर्य खोना और शरीरको निचोडना कितनी बड़ी मूर्खता है ? वीर्यका उपयोग दोनोकी शारीरिक और मानसिक शक्तिको बढ़ानेके लिए है। उसका विषय-भोगमे उपयोग करना यह उसका अति दुरुपयोग है। इस दुरुपयोगके कारण वह बहुतेरे रोगोकी जड बन जाता है।

ऐसे ब्रह्मचर्यका पालन मन, वचन और कर्म तीनोंसे होना चाहिए। व्रत-मात्रके विषयमे यही बात समझनी चाहिए। हम गीतामे पढते हैं कि जो शरीरको तो वशमे रखता हुआ जान पडता है, पर मनसे विकारका पोषण किया करता है, वह मूढ मिथ्याचारी है। सबका यह अनुभव है कि मनको विकारी रहने देकर शरीरको दवानेकी कोशिश करनेमे हानि ही है। जहा

मन होता है वहा शरीर अतमे घिसटाये बिना नही रहता । यहा एक भेद ममभ लेना जरूरी है । मनको विकारवश होने देना एक बात है; मनका अपने-आप, अनिच्छासे, बन्धात्कारसे विकारको प्राप्त हो जाना या होते रहना दूसरी बात है । इस विकारमे यदि हम सहायक न बने तो अतमे पीत ही है । हमारा प्रतिपलका यह अनुभव है कि शरीर काबूमे रहता है, पर मन नही रहता । इसलिए शरीरको तो तुरन्त ही वशमे करके मनको चयमे करनेका हम सतत प्रयत्न करते रहे तो हमने अपना कर्तव्य पालन कर लिया । हमारे, मनके अधीन होते ही, शरीर और मनमे विरोध खडा हो जाता है, मिथ्याचारका आरम्भ हो जाता है । पर जहा तक मनोविकारको दबाते ही रहते है वहा तक दोनो माय जानेवाले है, ऐसा कह सकते है ।

इस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत कठिन, करीब-करीब असम्भव माना गया है । इनके कारणकी खोज करनेसे मालूम होता है कि ब्रह्मचर्यको सकुचित अर्थमे लिया गया है । जननेन्द्रिय-विकारके निरोध-भरको ही ब्रह्मचर्यका पालन मान लिया गया है । मेरे खयालमे यह व्याख्या अधूरी और गल्त है । विषय-मात्रा निरोध ही ब्रह्मचर्य है । निस्सन्देह, जो अन्य उद्रियोको जहा-तहा भटकने देकर एक ही इन्द्रियको रोकनेका प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है । कानमे विकारी वाते सुनना, आगसे विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीभमे विषारोत्तेजक वस्तुका स्वाद लेना. हाथमे

की—शोधमे चर्या, अर्थात् तत्सबधी आचार । इस मूल अर्थमेसे सर्वेन्द्रिय-संयम-रूपी विशेष अर्थ निकलता है । केवल जननेन्द्रिय-संयम-रूपी अघूरे अर्थको तो हमे भूल जाना चाहिए ।

## ब्रह्मचर्यकी व्याख्या

(सादरण मुकामपर एक अभिनन्दन-पत्रका उत्तर देते हुए लोगोंके अनुरोधसे गाधीजीने ब्रह्मचर्यपर लम्बा प्रवचन किया । उसका सार यहा दिया जाता है ।—स०)

“आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्यके विषयपर कुछ कहू । कितने ही विषय ऐसे हैं जिनपर मैं ‘नवजीवन’ में प्रसंगोपान्त ही लिखता हू । और उनपर व्याख्यान तो शायद ही देता हू; क्योंकि यह विषय ही ऐसा है कि कहकर नहीं समझाया जा सकता । आप तो मामूली ब्रह्मचर्यके विषयमें सुनना चाहते हैं । ‘समस्त इन्द्रियोका संयम’, विस्तृत व्याख्या जिस ब्रह्मचर्यकी है, उसके विषयमें नहीं । इस साधारण ब्रह्मचर्यको भी शास्त्रकारोंने बड़ा कठिन बताया है । यह बात ९९ फीसदी सच है, १ फीसदी इसमें कमी है । इसका पालन इसलिए कठिन मालूम होता है कि हम, दूसरी इन्द्रियोको संयममें नहीं रखते । उनमें मुख्य है रसनेन्द्रिय । जो अपनी जिह्वाको कब्जेमें रख सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है । प्राणि-शास्त्रके ज्ञाताओका कथन है कि पशु जिस दर्जेतक ब्रह्मचर्यका पालन करता है उस दर्जेतक मनुष्य नहीं करता । यह सच है । इसका कारण देखनेपर मालूम होगा कि पशु अपनी जिह्वेन्द्रियपर पूरा-पूरा नियंत्रण रखते हैं—इच्छापूर्वक नहीं, स्वभावतः ही । केवल चारेपर अपनी गुजर करते हैं—सो भी महज पेट भरने लायक ही खाते हैं । वे जिन्दगीके लिए खाते हैं, खानेके लिए जीते नहीं हैं; पर हम तो इसके विलकुल विपरीत हैं । मां बच्चेको तरह-तरहके सुस्वादु भोजन कराती हैं । वह मानती है कि बालकके साथ प्रेम दिखानेका यही सर्वोत्तम रास्ता है । ऐसा करते हुए हम उन

चीजोमे स्वाद डालते नही, बल्कि ले लेते हैं। स्वाद तो रहता है भूखमे । भूखके वक्त सूखी रोटी भी मीठी लगती है और बिना भूखे आदमीको लड्डू भी फीके और अस्वादु मालूम होंगे, पर हम तो अनेक चीजोको खा-खाकर पेटको ठसाठस भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्यका पालन नही हो पाता । जो आखे ईश्वरने हमे देखनेके लिए दी है उनको हम मलिन करते हैं ओर देखनेकी वस्तुओको देखना नही सीखते । 'माताको क्यो गायत्री न पढना चाहिए और बालकोको वह क्यो गायत्री सिखावे ?' इसकी छान-बीन करनेकी अपेक्षा उसके तत्त्व—सूर्योपासनाको समझकर सूर्योपासना करावे तो क्या अच्छा हो । सूर्यकी उपासना तो सनातनी और आर्यसमाजी दोनो कर सकते हैं । यह तो मैंने स्थूल अर्थ आपके सामने उपस्थित किया है । इस उपासनाके मानी क्या है ? अपना सिर ऊचा रखकर, सूर्य-नारायणके दर्शन करके, आखकी शुद्धि करना । गायत्रीके रचयिता ऋषि थे, द्रष्टा थे । उन्होने कहा कि सूर्योदयमे जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लीला है वह और कही नही दिखाई दे सकती । ईश्वरके जैसा सुन्दर सूत्रधार अन्यत्र नही मिल सकता और आकाशसे बढ़कर भव्य रगभूमि कही नही मिल सकती । पर कौन माता आज बालककी आखे धोकर उसे आकाश-दर्शन कराती है ? बल्कि माताके भावोमे तो अनेक प्रपञ्च रहते हैं । बडे-बडे घरोमे जो शिक्षा मिलती है उसके फलस्वरूप तो लडका शायद बडा अधिकारी होगा, पर इस बातका कौन विचार करता है कि घरमे जाने-ब्रेजाने जो शिक्षा बच्चोको मिलती है उससे कितनी वाते वह ग्रहण कर लेता है । मा-बाप हमारे शरीरको ढकते हैं, सजाते हैं, पर इसमे कही शोभा बढ सकती है ? कपडे बदलनेके लिए है, सर्दी-गर्मीसे रक्षा करनेके लिए है, सजानेके लिए नही । जाडेसे ठिठुरते हुए लडकेको जब हम अगीठीके पास धकेलेगे, अथवा मुहल्लेमे खेलने-कूदने भेज देगे, अथवा खेतमे कामपर छोड देगे, तभी उसका शरीर बज्रकी तरह होगा । जिसने ब्रह्मचर्यका पालन किया है उसका शरीर बज्रकी तरह जरूर होना चाहिए । हम तो बच्चोके शरीरका नाश कर डालते हैं । हम उसे जो घर मे रखकर गरमाना चाहते हैं उससे तो उसकी चमडीमे इस तरहकी

गरमी आती है जिसे हम छाजनकी उपमा दे सकते हैं । हमने शरीरको दुलराकर उसे विगाड डाला है ।

यह तो हुई कपडेकी बात । फिर घरमे तरह-तरहकी बातें करके हम उनके मनपर बुरा प्रभाव डालते हैं । उसकी शादीकी बातें किया करते हैं, और इसी किस्मकी चीजें और दृश्य भी उसे दिखाये जाते हैं । मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम महज जगली ही क्यों न हो गये ? मर्यादा तोड़नेके अनेक साधनोंके होते हुए भी मर्यादाकी रक्षा हो सकती है । ईश्वरने मनुष्यकी रचना इस तरहसे की है कि पतनके अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है । ऐसी उसकी लीला गहन है । यदि ब्रह्मचर्यके रास्तेसे ये विघ्न हम दूर कर दे तो उसका पालन बहुत आसान हो जाय ।

ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनियाके साथ शारीरिक मुकाबला करना चाहते हैं । उसके दो रास्ते हैं । एक आसुरी और दूसरा दैवी—आसुरी मार्ग है—शरीर-बल प्राप्त करनेके लिए हर किस्मके उपायोसे काम लेना, हर तरहकी चीजे खाना, शारीरिक मुकाबले करना, गो-मास खाना इत्यादि । मेरे लडकपनमे मेरा एक मित्र मुझसे कहा करता था कि मासाहार हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अप्रोजेकी तरह हट्टे-कट्टे हम न हो सकेगे । जापानको भी जब दूसरे देशके साथ मुकाबला करनेका समय आया तब वहा गो-मास-भक्षणको स्थान मिला । सो यदि आसुरी प्रकारसे शरीरको तैयार करनेकी इच्छा हो तो इन चीजोका सेवन करना होगा ।

परन्तु यदि दैवी साधनसे शरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक उपाय है । जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है तब मुझे अपने-पर दया आती है । इस अभिनन्दन-पत्रमे मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा है । सो मुझे कहना चाहिए कि जिन्होंने इस अभिनन्दन-पत्रका मजमून तैयार किया है उन्हें पता नहीं है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसका नाम है ? और जिसके बाल-वच्चे हुए हैं उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं ? नैष्ठिक ब्रह्मचारीको न तो कभी बुखार आता है, न कभी सिर दर्द करता है, न कभी खासी होती है और न कभी अपेडिसाइटिस होता है । डॉक्टर लोग

कहते हैं कि नारंगीका बीज आतमे रह जानेसे भी अपेंडिसाइटिस होता है, परन्तु जिसका शरीर स्वच्छ और निरोगी होता है उसमे ये बीज टिक ही नहीं सकते। जब आते शिथिल पड जाती है तब वे ऐसी चीजोको अपने-आप बाहर नहीं निकाल सकती। मेरी भी आते शिथिल हो गई होगी। इसीसे मैं ऐसी कोई चीज हजम न कर सका हूंगा। बच्चे ऐसी अनेक चीजे खा जाते हैं। माता इसका कहा ध्यान रख सकती है? पर उसकी आतमे इतनी शक्ति स्वाभाविक तौरपर ही होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्यके पालनका आरोपण करके कोई मिथ्याचारी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका तेज तो मुझसे अनेक गुना अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं। हा, यह सच है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। मैंने तो आपके सामने अपने अनुभवकी कुछ बूदे पेश की है जो ब्रह्मचर्यकी सीमा बताते हैं। ब्रह्मचारी रहनेका अर्थ यह नहीं कि मैं स्त्रीको स्पर्श न करूँ, अपनी बहनका स्पर्श न करूँ, पर ब्रह्मचारी होनेका अर्थ यह है कि स्त्रीका स्पर्श करनेसे किसी प्रकारका विकार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि कागजको स्पर्श करनेसे नहीं होता। मेरी बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचर्यके कारण मुझे हिचकन पडे तो वह ब्रह्मचर्य कौडीका है। जिस निर्विकार दशाका अनुभव जब हम किसी बडी सुन्दरी युवतीका स्पर्श करके कर सके तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप यह चाहते हो कि बालक ऐसे ब्रह्मचर्यको प्राप्त करे तो इसका अभ्यास-क्रम आप नहीं बना सकते, मुझ जैसा अधूरा भी क्यों न हो, पर ब्रह्मचारी ही बना सकता है।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। ब्रह्मचर्याश्रम सन्यासाश्रमसे भी बढकर है, पर उसे हमने गिरा दिया। इससे हमारा गृहस्थाश्रम भी विगडा है, वानप्रस्थाश्रम भी विगडा है और सन्यासका तो नाम भी नहीं रह गया है। ऐसी हमारी असहाय अवस्था भी हो गई है।

ऊपर जो आसुरी मार्ग बताया गया है कि उसका अनुकरण करके तो आप पाच सौ वर्षों तक भी पठानोका मुकाबला न कर सकेगे। देवी-मार्गका अनुकरण यदि आज हो तो आज ही पठानोका मुकाबला हो सकता

है; क्योंकि दैवी साधनसे आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षणमे हो सकता है, पर शारीरिक परिवर्तन करते हुए युग बीत जाते हैं। इस दैवी मार्गका अनुसरण तभी हमसे होगा जब हमारे पल्ले पूर्व-जन्मका पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे लिए उचित सामग्री पैदा करेगे।

हिन्दी नवजीवन,

२६ जनवरी १९२५

## एक अस्वाभाविक पिता

एक नवयुवकने मुझे एक पत्र भेजा है जिसका सार ही यहा दिया जा सकता है। वह निम्न प्रकार है

‘मैं एक विवाहित पुरुष हू। मैं विदेश गया हुआ था। मेरा एक मित्र था, जिसपर मुझे और मेरे मा-बापको पूरा विश्वास था। मेरी अनुपस्थितिमें उसने मेरी पत्नीको फुसला लिया, जिससे अब वह गर्भवती भी हो गई है। अब मेरे पिता इस बातपर जोर देते हैं कि मेरी पत्नी गर्भको गिरा दे, नहीं तो वह कहते हैं, खानदानकी बदनामी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि यह तो ठीक नहीं होगा। बेचारी स्त्री पश्चात्तापके मारे मरी जा रही है। न तो उसे खानेकी सुध है, न पीनेकी। जब देखो तब रोती ही रहती है। क्या आप कृपा करके बतलायेगे कि इस हालतमें मेरा क्या फर्ज है।’

यह पत्र मैंने बड़ी हिचकिचाहटके साथ प्रकाशित किया है। जैसा कि हरेक जानता है, समाज में ऐसी घटनाएँ कभी-कदास ही नहीं होती। इसलिए संयमके साथ सार्वजनिक-रूपसे इस प्रश्नकी चर्चा करना मुझे असंगत नहीं मालूम पड़ता।

मुझे तो दिनके प्रकाशकी तरह यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि गर्भ गिराना जुर्म होगा। इस बेचारी स्त्रीने जो असावधानी की है, वैसी असावधानी तो अनगिनत पति करते हैं, लेकिन उनको कभी कोई कुछ नहीं कहता। समाज उन्हें माफ ही नहीं करता, बल्कि उनकी निन्दा भी नहीं करता। स्त्री तो अपनी शर्म को उस तरह छिपा भी नहीं सकती, जिस तरह कि पुरुष अपने पापको सफलताके साथ छिपा सकता है।

यह स्त्री तो दयाकी पात्र है। पतिका यह पवित्र कर्तव्य होगा कि वह अपने पिताकी सलाहको न माने और बच्चेकी परवरिश अपने भरसक

पूरे लाड़-प्यारसे करे । वह अपनी पत्नीके साथ रहना जारी रखे या नहीं, यह एक टेढा सवाल है । परिस्थितिया ऐसी भी हो सकती हैं जिनके कारण उसे उससे अलग होना पड़े; लेकिन उस हालतमें वह इस बातके लिए वाध्य होगा कि उसकी परवरिश तथा शिक्षाकी व्यवस्था करे और शुद्ध मनसे हो तो उसे ग्रहण करनेमें भी मुझे कोई गलती नहीं मालूम पडती । यही नहीं; बल्कि मैं तो ऐसी स्थितिकी भी कल्पना कर सकता हूँ जब पत्नीके अपनी गलतीके लिए पूरी तरह पश्चात्ताप करके उससे मुक्त हो जानेपर पति का यह पुनीत कर्त्तव्य होगा कि वह उसको फिरसे ग्रहण कर ले ।

यग इडिया,

३ जनवरी १९२६

## विद्यार्थियोंकी दशा

एक बहन, जिन्हे अपनी जिम्मेदारीका पूरा खयाल है, लिखती है .

“जबतक हमारे बच्चे वीर्यकी रक्षा करना नहीं सीखते, तबतक हिन्दुस्तानको जैसे आदमियोंकी जरूरत है, वैसे कभी नहीं मिल सकते । हिन्दुस्तानमें कोई १६ वर्षों तक, लड़कोके स्कूलका भार मुझपर रहा है । यह देखकर खलाई आती है कि हमारे बहुतसे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई लड़के स्कूलकी पढाई शुरू करते हैं जोश, ताकत और उम्मीदोंसे भरकर, लेकिन खत्म करते हैं शरीरसे निकम्मे बनकर । गिनकर सैकड़ों बार मैंने देखा है कि इसके कारणका पता ठेठ वीर्य-नाश, अप्राकृतिक कर्म या बाल-विवाहमें ही मिलता है । अभी आज मेरे पास ४२ लड़कोके नाम हैं । ये अप्राकृतिक कर्मके दोषी हैं और इनमेंसे एक भी १३ सालसे अधिक का नहीं है । शिक्षक और माता-पिता ऐसी हालतका होना गलत मानेंगे, लेकिन अगर सही तरीकोसे काम लिया जाय तो व्याधिका पता तुरन्त ही लग जायगा और करीब-करीब हमेशा ही लड़के अपना गुनाह कबूल कर लेंगे । इनमेंसे अधिक लड़के कहते हैं कि वह ऐव उन्होंने स्याने आदमियों, कभी-कभी अपने सम्बन्धियोंसे ही सीखा है ।”

यह कोई खयाली तसवीर नहीं है । यह वह सचार्थ है, जिसे जानने वाले स्कूलोंके कितने-एक मास्टर दवा जाते हैं । मैं इसे पहलेसे जानता था । आज कोई आठ साल हुए, दिल्लीके किसी स्कूलमास्टरने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया था । इसके इलाजके बारेमें अबतक खानगीमें ही मैं बातें करता पाया हूँ और चुप रहा हूँ । यह दोष सिर्फ हिन्दुस्तान-भरमें ही परिमित नहीं है, मगर बाल-विवाहके पापके कारण हमपर इसका और भी अधिक मारक प्रभाव पडता है । इस बहुत ही नाजुक और मुश्किल

सवालकी आम चर्चा करना जरूरी हो गया है; क्योंकि अबसे कुछ साल पहले जिस स्वच्छन्दतासे स्त्री-पुरुषके सम्बन्धकी बातोंपर विचार करना गैर-मुमकिन था, आज उसके साथ हम प्रतिष्ठित समाचार-पत्रोंमें भी इस-पर बहस होते देखते हैं ।

सभोगको देह और दिमागकी तन्दुरुस्तीके लिए फायदेमन्द, नैतिक, जरूरी और स्वाभाविक समझनेकी प्रथाने इस पापकी वृद्धि की है । हमारे सुशिक्षित पुरुषोंके गर्भ-निरोधक साधनोंके स्वच्छन्द व्यवहारके समर्थनने इस काम-वासनाके कीड़ोंकी वृद्धिके लिए समुचित वातावरण पैदा कर दिया है । कमसिन लडकोंके नाजुक और सग्राहक दिमाग ऐसे नतीजे बहुत जल्द निकाल लेते हैं कि उनकी अधार्मिक इच्छाएँ अच्छी और उचित हैं । इस मारक पापके प्रति माता-पिता और शिक्षक, बहुत ही बुरी, बल्कि पापके बराबर, उदासीनता और सहनशीलता दिखलाते हैं । मेरी समझमें, सामाजिक वातावरणको पूरा-पूरा शुद्ध बनाये बिना इस गुनाह-को और कुछ नहीं रोक सकता, विषय-भोगके खयालोसे भरे हुए वातावरणका अज्ञात और सूक्ष्म प्रभाव देशके विद्यार्थियोंके मनपर बिना पडे रह ही नहीं सकता । नागरिक जीवनकी परिस्थिति, साहित्य, नाटक, सिनेमा, घरकी रचना, कितने एक सामाजिक रिवाज, सबका एक ही असर होता है, वह है काम-वासनाकी वृद्धि । छोटे लडकोंके लिए, जिन्हे अपनी इस पाशविक प्रवृत्तिका पता लग गया है, इसके जोरको रोकना गैर-मुमकिन है । ऊपरी इलाजोंसे काम नहीं चलनेका । यदि नई पीढीके प्रति वे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं तो बड़ोंको पहले अपनेसे ही यह सुधार शुरू करना होगा ।

हरिजन सेवक,

३ अप्रैल १९३३

## बढ़ता हुआ दुराचार

सनातन धर्म कालेज, लाहौरके प्रिंसिपल लिखते हैं

“इसके साथ मैं कटिंग और विज्ञप्तिया वगैरह भेज रहा हू, उन्हें देखनेकी मैं आपसे प्रार्थना करता हू। इन कागजोंसे ही आपको सारी बातका पता चल जायगा। यहा पजाबमें ‘युवक हितकारी सघ’ बहुत उपयोगी काम कर रहा है। विद्वत्-समाज एव अधिकारी-वर्गका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ है, और बालकोके सुसंस्कृत माता-पिताओकी भी दिलचस्पी सघने प्राप्त की है। विहार के पण्डित सीतारामदासजी इस आन्दोलनके प्रणेता हैं, और इस आन्दोलनके आश्रयदाताओमें यहाके अनेक प्रतिष्ठित सज्जनोके नाम गिनाये जा सकते हैं।

“इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कोमल वयके बालकोको फसानेका यह दुराचार भारतके दूसरे भागोकी अपेक्षा इधर पजाब और उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्तमें ज्यादा है।

“क्या आप कृपा कर ‘हरिजन’ में अथवा किसी दूसरे अखबारमें लेख या पत्र लिखकर इस बुराईकी तरफ देशका ध्यान आकर्षित करेंगे ?”

इस अत्यन्त नाजुक प्रश्नके सम्बन्धमें बहुत दिन हुए कि युवकसघके मन्त्रीने मुझे लिखा था। उनका पत्र आनेपर मैंने डॉ० गोपीचन्दके साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया, और उनसे यह मालूम हुआ कि सघके मन्त्रीने जो बातें अपने पत्रमें लिखी हैं, वे सब सच्ची हैं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट नहीं सूझ रहा था कि इस प्रश्नकी क्या ‘हरिजन’ में या किसी दूसरे पत्रमें चर्चा करू। इस दुराचारका मुझे पता था, मगर मुझे इस बातका पता नहीं था कि अखबारोंमें इसकी चर्चा करनेसे कोई लाभ हो सकेगा या नहीं।

यह विश्वास अब भी नहीं है। किन्तु कालेजके प्रिंसिपल साहबने जो प्रार्थना की है उसकी मैं अवहेलना नहीं करना चाहता।

यह दुराचार नया नहीं है। यह बहुत दूर-दूरतक फैला हुआ है; चूकि उसे गुप्त रखा जाता है इसलिए वह आसानीसे पकड़मे नहीं आ सकता। जहा विलासपूर्ण जीवन होगा वही यह दुराचार होगा। प्रिंसिपल साहबके बताये हुए किस्सेसे तो यह प्रगट होता है कि अध्यापक ही अपने विद्यार्थियोंको भ्रष्ट करनेके दोषी हैं। वारी जब खुद ही खेतको चर जाय तो फिर किससे रखवारीकी आशा करे? बाइविलमे कहा है—“नौन जब खुद अलौना हो जाय तब उसे कौन चीज नमकीन बना सकती है?”

यह प्रश्न ऐसा है कि इसे न तो कोई जाच-कमेटी ही हल कर सकती है, न सरकार ही। यह तो एक नैतिक सुधारका काम है। माता-पिताओके दिलमे उनके उत्तरदायित्वका भाव पैदा करना चाहिए। विद्यार्थियोंको शुद्ध स्वच्छ रहन-सहनके निकट ससर्गमे लाना चाहिए। सदाचार और निर्विकार जीवन ही सच्ची शिक्षाका आधार-स्तम्भ है, इस विचारका गम्भीरताके साथ प्रचार करना चाहिए। शिक्षण-संस्थाओके ट्रस्टियोंको अध्यापकोंके चुनावमे बहुत ही खबरदारी रखनी चाहिए और अध्यापकोंको चुननेके बाद भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आचरण ठीक है या नहीं? ये तो मैंने थोड़े-से उपाय बतलाये हैं। इन उपायोंके सहारे यह भयकर दुराचार निर्मूल न हो तो कम-से-कम काबूमे तो आ ही सकता है।

हरिजन सेवक,

३ मई १९३५

## नम्रताकी आवश्यकता

बगालमे कार्यकर्त्ताओसे बातचीत करते हुए एक नवयुवकसे मेरा सावका पडा, जिसने कहा कि लोग मुझे इसलिए भी माने कि मैं ब्रह्मचारी हूँ । उसने यह बात इस तरह कही और ऐसे यकीनके साथ कही कि मैं देखता रह गया । मैंने मनमे कहा कि यह उन विषयोकी बाते करता है जिनका ज्ञान इसे बहुत थोडा है । उसके साथियोने उसकी बातका खण्डन किया । और जब मैंने उससे जिरह करनी शुरू की तब तो खुद उसने भी कबूल किया कि हा, मेरा दावा नहीं टिक सकता । जो शस्त्र शारीरिक पाप चाहे न करता हो, पर मानसिक पाप ही करता हो, वह ब्रह्मचारी नहीं । जो व्यक्ति परम रूपवती रमणीको देखकर अविचल नहीं रह सकता वह ब्रह्मचारी नहीं । जो केवल आवश्यकताके बशीभूत होकर अपने शरीरको अपने वशमे रखता है, वह करता तो अच्छी बात है, पर वह ब्रह्मचारी नहीं । हमे अनुचित अप्रासंगिक प्रयोग करके पवित्र शब्दोका मान घटाना न चाहिए । वास्तविक ब्रह्मचर्यका फल तो अद्भुत होता है और वह तो पहचाना भी जा सकता है । इस गुणका पालन करना कठिन है । प्रयत्न तो बहुतेरे लोग करते हैं, पर सफल विरले ही होते हैं । जो लोग गेरुए कपडे पहनकर सन्यासियोके वेशमे देशमे घूमते-फिरते हैं, वे अक्सर बाजारके मामूली आदमीसे ज्यादा ब्रह्मचारी नहीं होते । फर्क इतना ही है कि मामूली आदमी अक्सर उसकी डींग नहीं हाकता और इसलिए बेहतर होता है । वह इस बातपर सन्तुष्ट रहता है कि परमात्मा मेरी आजमाइशको, मेरे प्रलोभनोको तथा मेरे विजयोत्सव और भगीरथ प्रयत्नके होते हुए भी, हो जानेवाले पतनको जानता है । यदि दुनिया उसके पतनको देखे और उससे उसे तोले तो भी वह सन्तुष्ट रहता

है। अपनी सफलताको वह कंजूसके धनकी तरह छिपाकर रखता है। वह इतना विनयी होता है कि उसे प्रकट नहीं करता। ऐसा मनुष्य उद्धारकी आशा रख सकता है; परन्तु वह आधा संन्यासी, जो कि संयमका ककहरा भी नहीं जानता, यह आशा नहीं रख सकता। वे सार्वजनिक कार्यकर्ता जो कि संन्यासीका वेष नहीं बनाते; पर जो अपने त्याग और ब्रह्मचर्यका ढिंढोरा पीटते फिरते हैं और दोनोको सस्ता बताते हैं तथा अपनेको और अपने सेवा-कार्यको वदनाम करते हैं, उनसे खतरा समझिए।

जब कि मैंने अपने सावरमती वाले आश्रमके लिए नियम बनाए तो उन्हें मित्रोके पास सलाह और समालोचनाके लिए भेजा। एक प्रति स्वर्गीय सर गुरुदास वनर्जीको भी भेजी थी। उस प्रतिकी पहुच लिखते हुए उन्होंने सलाह दी कि नियमो मे उल्लिखित व्रतोमे नम्रताका भी एक व्रत होना चाहिए। अपने पत्रमे उन्होंने कहा था कि आजकलके नवयुवकोमे नम्रताका अभाव पाया जाता है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सलाहके मूल्यको तो मानता हूँ और नम्रताकी आवश्यकताको भी सोलहो-आना मानता हूँ, पर एक व्रतमे उसको स्थान देना उसके गौरवको कम कर देना है। यह बात तो हमें गृहीत ही करके चलना चाहिए कि जो लोग अहिंसा, ब्रह्मचर्यका पालन करेगे वे अवश्य ही नम्र रहेगे। नम्र-हीन सत्य एक उद्धत हास्य-चित्र होगा। जो सत्यका पालन करना चाहता है वह जानता है कि वह कितनी कठिन बात है। दुनिया उसकी विजयपर तो तालिया वजायगी, पर वह उसके पतनका हाल बहुत कम जानती है। सत्य-परायण मनुष्य बड़ा आत्म-ताडन करने वाला होता है। उसे नम्र बननेकी आवश्यकता है। जो शस्त्र सारे ससारके साथ, यहातक कि उसके भी साथ जो उसे अपना शत्रु कहता हो, प्रेम करना चाहता है वह जानता है कि केवल अपने वलपर ऐसा करना किस तरह असम्भव है। जबतक वह अपनेको एक क्षुद्र रज-कण न समझने लगेगा तबतक वह अहिंसाके तत्त्वको नहीं ग्रहण कर सकता। जिस प्रकार उसके प्रेमकी मात्रा बढ़ती जाती है उमी प्रकार यदि उसकी नम्रताकी मात्रा न दटी तो वह किसी कामका नहीं। जो मनुष्य अपनी आँखोमे तेज लाना चाहता है,

जो स्त्री-मात्रको अपनी सगी माता या बहन मानता है उसे तो रज-कणसे भी क्षुद्र होना पड़ेगा। उसे एक खाईके किनारे समझिए। ज़रा ही मुह इधर-उधर हुआ कि गिरा। वह अपने मनसे भी अपने गुणोकी काना-फूसी करनेका साहस नहीं कर सकता, क्योंकि वह नहीं जानता कि इसी अगले क्षणमें क्या होने वाला है ? उसके लिए 'अभिमान विनाशके पहले जाता है और मगरूरी पतनके पहले।' गीतामें सच कहा है—

विषया विनवर्तन्ते निराहारस्य देहिन ।

रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

और जबतक मनुष्यके मनमें अहभाव मौजूद है तबतक उसे ईश्वरके दर्शन नहीं हो सकते। यदि वह ईश्वरमें मिलना चाहता हो तो उसे शून्यवत् ही जानना चाहिए। इस सघर्ष-पूर्ण जगत्में कौन कहनेका साहस कर सकता है—“मैंने विजय प्राप्त की ?” हम नहीं, ईश्वर हमें विजय प्राप्त कराता है।

हमें इन गुणोका मूल्य ऐसा कम न कर देना चाहिए जिससे कि हम सब उनका दावा कर सकें। जो बात भौतिक विषयमें सत्य है वही आध्यात्मिक विषयमें भी सत्य है। यदि एक सासारिक सग्राममें विजय पानेके लिए योरोपने पिछले युद्धमें, जो कि स्वयं ही एक नाशवान् वस्तु है, कितने ही करोड़ लोगोका वलिदान कर दिया, तब यदि आध्यात्मिक युद्धमें करोड़ों लोगोको इसके प्रयत्नमें मिट जाना पड़े, जिससे कि ससारके सामने एक पूर्ण उदाहरण रह जाय तो क्या आश्चर्य है ? यह हमारे आधीन है कि हम असीम नभ्रताके साथ इस बातका उद्योग करें।

इन उच्च गुणोकी प्राप्ति ही उनके लिए परिश्रमका पुरस्कार है। जो उसपर व्यापार चलाता है वह अपनी आत्माका नाश करता है। सद्गुण कोई व्यापार करनेकी चीज़ नहीं है। मेरा सत्य, मेरी अहिंसा, मेरा ब्रह्मचर्य, ये मेरे और मेरे कर्त्तसि सम्बन्ध रखनेवाले विषय हैं। वे विक्रीकी चीजे नहीं हैं। जो युवक उनकी तिजारत करनेका साहस करेगा

वह अपना ही नाश कर बैठेगा । ससारके पास कोई बाट ऐसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, जिससे कि इन बातोंकी तोल की जा सके । छान-बीन और विश्लेषण की वहा गुज़र नहीं । इसलिए हम कार्यकर्त्ताओंको चाहिए कि हम उन्हें केवल अपने शुद्धीकरणके लिए प्राप्त करे । हम दुनियासे कह दे कि वह हमारे कार्योंसे हमारी पहचान करे । जो सस्था या आश्रम लोगोसे सहायता पानेका दावा करता हो, उसका लक्ष्य भौतिक-सासारिक होना चाहिए जैसे—कोई अस्पताल, कोई पाठशाला, कोई कताई और खादी-विभाग । सर्वसाधारणको इन कामोंकी योग्यता परखनेका अधिकार है और यदि वे उन्हें पसंद करे तो उनकी सहायता करे । शर्तें स्पष्ट हैं । व्यवस्थापकोंमें नेक-नीयती और योग्यता होनी चाहिए । वह प्रामाणिक मनुष्य जो शिक्षा-शास्त्रसे अपरिचित हो, शिक्षकके रूपमें लोगोसे सहायता पानेका दावा नहीं कर सकता । सार्वजनिक सस्थाओंका हिसाब-किताब ठीक-ठीक रखा जाना चाहिए, जिससे कि लोग जब चाहे तब देख-भाल सके । इन शर्तोंकी पूर्ति संचालकोंको करनी चाहिए । उनकी सच्चरित्रता लोगोके आदर और आश्रयके लिए भाररूप न होनी चाहिए ।

हरिजन सेवक,

२५ जून १९३५

## एक परित्याग

सन् १८६१ में विलायतसे लौटनेके बाद मैंने अपने परिवारके बच्चोको करीब-करीब अपनी निगरानीमें ले लिया, और उनके—बालक-बालिकाओ-के—कंधोपर हाथ रखकर उनके साथ घूमनेकी आदत डाल ली। ये मेरे भाइयोके बच्चे थे। उनके बड़े हो जानेपर भी यह आदत जारी रही। ज्यो-ज्यो परिवार बढ़ता गया, त्यो-त्यो इस आदतकी मात्रा इतनी बढ़ी कि इसकी ओर लोगोका ध्यान आकर्षित होने लगा।

जहातक मुझे याद है, मुझे कभी यह पता नहीं चला कि मैं इसमें कोई भूल कर रहा हूँ। कुछ वर्ष हुए कि साबरमतीमें एक आश्रमवासीने मुझसे कहा था कि 'आप जब बड़ी-बड़ी उम्रकी लडकियो और स्त्रियोके कंधोपर हाथ रखकर चलते हैं, तब इससे लोक-स्वीकृत सभ्यताके विचारको चोट पहुंचती मालूम होती है।' किन्तु आश्रमवासियोके साथ चर्चा होनेके बाद यह चीज जारी ही रही। अभी हालमें मेरे दो साथी जब वर्धा आये तब उन्होंने कहा कि 'आपकी यह आदत सम्भव है कि दूसरोके लिए एक उदाहरण बन जाय, इसलिए आपको यह बन्द कर देनी चाहिए।' उनकी यह दलील मुझे जची नहीं। तो भी उन मित्रोकी चेतावनीकी मैं अवहेलना नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने पाच आश्रमवासियोसे इसकी जाच करने और इसके सम्बन्धमें सलाह देनेके लिए कहा। इसपर विचार हो ही रहा था कि इस बीचमें एक निर्णयात्मक घटना घटी। मुझे किसीने बताया कि यूनिवर्सिटीका एक तेज विद्यार्थी अकेलेमें एक लडकीके साथ, जो उसके प्रभाव में थी, सभी तरहकी आज्ञादीसे काम लेता था, और दलील यह दिया करता था कि वह उस लडकीको सगी बहनकी तरह प्यार करता है, और इसीसे कुछ चेष्टाओका

प्रदर्शन किये बिना उससे रहा नहीं जाता । कोई उसपर अपवित्रताका जरा भी आरोपण करता तो वह नाराज हो जाता । वह नवयुवक क्या-क्या करता था उन सब बातोंको अगर यहा लिखू तो पाठक बिना किसी हिच-किचाहटके यह कह देगे कि जिस आजादीसे वह काम लेता था, उसमे अवश्य ही गन्दी भावना थी । मैंने और दूसरे जिन लोगोंने इस सम्बन्धका पत्र-व्यवहार जब पढा तब हम इस नतीजेपर पहुचे कि या तो वह युवक विद्यार्थी परले सिरेका बना हुआ आदमी है, या फिर खुद अपने-आपको धोखा दे रहा है ।

चाहे जो हो, इस अनुसन्धानने मुझे विचारमे डाल दिया । मुझे अपने उन दोनो साथियोंकी दी हुई चेतावनी याद आई और मैंने अपने दिलसे पूछा कि अगर मुझे यह मालूम हो कि वह नवयुवक अपने बचावमे मेरे व्यवहारकी दलील दे रहा है तो मुझे कैसा लगे ? मैं यहा यह बतला दू कि यह लडकी, जो उस नवयुवककी चेष्टाओका शिकार बन गई है, यद्यपि वह उसे विलकुल पवित्र और भाईके समान मानती है, तो भी वह उसकी उन चेष्टाओको पसन्द नहीं करती, बल्कि यह आपत्ति भी करती है; पर उस बेचारीमे इतनी ताकत नहीं कि वह उस युवककी आपत्तिजनक चेष्टाओको रोक सके । इस घटनाके कारण मेरे मनमे जो आत्म-परीक्षण मथन कर रहा था, उसका यह परिणाम हुआ कि उस पत्र-व्यवहारको पढनेके दो-तीन दिनके अन्दर मैंने अपनी उपर्युक्त प्रथाका परित्याग कर दिया, और गत १२वी तारीखको मैंने वर्धाके आश्रमवासियोंको अपना यह निश्चय सुना दिया । यह बात नहीं कि यह निर्णय करते समय मुझे कष्ट न हुआ हो । इस व्यवहारके बीच या इसके कारण कभी कोई अपवित्र विचार मेरे मनमे नहीं आया । मेरा आचरण कभी छिपा हुआ नहीं रहा है । मैं मानता हू कि मेरा आचरण पिताके जैसा रहा है, और जिन अनेक लड़कियोंका मैं मार्ग-दर्शक और अभिभावक रहा हू, उन्होने अपने मनकी बातें इतने विश्वासके साथ मेरे सामने रखी कि जितने विश्वासके साथ वे शायद और किसीके सामने न रखती । यद्यपि ऐसे ब्रह्मचर्यमे मेरा विश्वास नहीं, जिसमे स्त्री-पुरुषका परस्पर स्पर्श वचानेके लिए एक रक्षाकी दीवार

बनानेकी जरूरत पड़े, और जो ब्रह्मचर्य जरासे प्रलोभनके आगे भग हो जाय तो भी जो स्वतन्त्रता मैंने ले रखी है, उसके खतरोसे मैं अनजान नहीं हूँ ।

इसलिए जिस अनुसन्धानका मैंने ऊपर जिक्र किया है, उसने मुझे अपनी यह आदत छोड़ देनेके लिए सचेत कर दिया, फिर मेरा कन्धोपर हाथ रखकर चलनेका व्यवहार चाहे जितना पवित्र रहा हो । मेरे हरेक आचरणको हज़ारों स्त्री-पुरुष खूब सूक्ष्मतासे देखते हैं, क्योंकि मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें सतत जागरूक रहनेकी आवश्यकता है । मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनका बचाव मुझे दलीलोके सहारे करना पड़े । मेरे उदाहरणका कभी यह अर्थ नहीं था कि उसका चाहे जो अनुसरण करने लग जाय । इस नवयुवकका मामला बतौर एक चेतावनीके मेरे सामने आया और उससे मैं आगाह हो गया । मैंने इस आशासे यह निश्चय किया है कि मेरा यह त्याग उन लोगोको सही रास्ता सुझा देगा, जिन्होंने या तो मेरे उदाहरणसे प्रभावित होकर गलती की है या यो ही । निर्दोष युवावस्था एक अनमोल निधि है । क्षणिक उत्तेजनाके पीछे, जिसे गलतीसे 'आनन्द' कहते हैं, इस निधिको यो ही बरवाद नहीं कर देना चाहिए । और इस चित्रमें चित्रित लडकीके समान कमज़ोर मनवाली 'लडकियोमें इतना बल तो होना ही चाहिए कि वे उन वदमाश या अपने कामोसे अनजान नवयुवकोकी हरकतोका—फिर वे उन्हें चाहे जितना निर्दोष जतलावे—साहसके साथ सामना कर सकें ।

हरिजन सेवक,

२७ सितम्बर १९३५

## सुधारकोंका कर्त्तव्य

लाहौरके सनातन धर्म कालेजके प्रिंसिपलका निम्नलिखित पत्र मैं सहर्ष यहा प्रकाशित कर रहा हूँ .

“बालको पर जो अप्राकृतिक अत्याचार हो रहे हैं उनकी ओर मैं अधिक-से-अधिक जोर देकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

आपको यह तो मालूम ही होगा कि इनमे से बहुत ही थोड़े मामलोकी पुलिसमे रपट लिखाई जाती है, या उन्हे अदालतमे ले जाते हैं । इधर कुछ-दिनोसे पजावमे ऐसे केस इतने ज्यादा होने लगे हैं कि जिनकी कोई हद नही । इस पत्रके साथ आपके अवलोकनार्थ अखबारोकी कुछ कतरने भेज रहा हूँ । अदालतमे कभी-कभी जो एकाध मामले आते हैं, उनमेसे अत्यन्त बीभत्स किस्से ही अखबारोमे प्रकाशित होते हैं । इन्हे पढ़कर आपको यह पूरी तरहसे मालूम हो जायगा कि हमारे कोमल वयस्क बालक-बालिकाओपर इस भयका किस कदर आतक छाया हुआ है । कुछ महीने पहले लाहौरमे गुण्डोने दिन-दहाड़े कुछ स्कूलोके फाटकोपरसे छोटे-छोटे-बच्चोको उठा ले जानेके साहसिक प्रयत्न किये थे । आज भी बालकोके स्कूलमे जाते और आते वक्त खास इन्तजाम रखना पड़ता है । अदालतमे जो मामले गये हैं, उनकी रिपोर्टोमें बालकोके ऊपर किये गए जिन आक्रमणोंका वर्णन आया है अत्यन्त क्रूरता और साहसपूर्ण है । ऐसे राक्षसी काम विरले ही मनुष्य कर सकते हैं ।

साधारण जनता या तो इस विषयमे उदासीन है, या वह इस तरहकी लाचारी महसूस करती है कि इन अपराधोको सगठित होकर कुचल देनेकी लोकोमे आत्म-श्रद्धा नही ।

पजाव-सरकारके जारी किये गए सरकुलरकी जो नकल इसके साथ मैं

भेज रहा हूँ, उससे आपको यह पता चल जायगा कि जनता और सरकारी अफसरोंकी उदासीनताके कारण सरकार भी इस विषयमें अपनेको लाचार-सा अनुभव करती है ।

आपने 'यग इंडिया' के ६ सितम्बर १९२६ के तथा २७ जून १९२६ के अकमें यह ठीक ही कहा था कि इस प्रकारके अप्राकृतिक व्यभिचारके अपराधोंके सम्बन्धमें सार्वजनिक चर्चा करनेका समय आगया है और इस विषयमें सारे देशमें लोकमत जागृत करनेके लिए अखबारों द्वारा इन जुर्मोंका प्रकाशन ही एक-मात्र प्रभावोत्पादक उपाय है ।

मैं आपको अत्यन्त आदरके साथ यह बतलाना चाहता हूँ कि आजकी मौजूदा स्थितिमें कम-से-कम इतना तो हमें करना ही चाहिए । मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस दुराचारके विरुद्ध अखबारों द्वारा जोरदार आन्दोलन चलानेके लिए आप अपनी प्रभावशाली आवाज उठाकर दूसरे अखबारोंकी रास्ता दिखाइए ।”

इस बुराईके खिलाफ हमें अविश्रान्त लड़ाई लड़नी चाहिए, इस विषयमें तो शका ही नहीं सकती । इस पत्रके साथ जो अत्यन्त घृणोत्पादक रिपोर्ट भेजी गई थी, उन्हें मैंने पढ़ डाला है । सनातन धर्म कालेजके आचार्यने मेरे जिन लेखोंका उल्लेख किया है, उनमें जिस किस्मके मामलोंकी मैंने चर्चा की थी, उससे ये मामले जुड़े ही प्रकारके हैं । वे मामले अध्यापकोंकी अनीतिके थे, जिनमें उन्होंने बालकोंको फुसलाया था । और इन रिपोर्टोंमें अधिकतर जिन मामलोंका वर्णन आया है, उनमें तो गुण्डोंने कोमल बच्चोंके बालकों पर अप्राकृतिक व्यभिचार करके उनका खून किया है । अप्राकृतिक व्यभिचार और उनके बाद खून किये जानेके केस हालांकि और भी अधिक घृणा पैदा करनेवाले मालूम होते हैं, तो भी मेरा यह विश्वास है कि जिन मामलोंमें बालक जान-बूझकर अध्यापकोंकी विषय-वासनाके गिकार होते हैं, उनकी अपेक्षा इस प्रकारके मामलोंका इलाज करना सहज है । दोनोंके ही विषयमें सुधारकोंके सतत-जागृत रहने और इस वीभत्स कार्यके सम्बन्धमें लोगोंकी अन्तरात्मा जगानेकी आवश्यकता है । पञ्जावमें चूँकि इस किस्मके अपराध बहुत अधिक होने लगे हैं, इसलिए वहाँके

नेताओंका यह कर्तव्य है कि वे जाति और धर्मका भेद एक तरफ रखकर एक जगह इकट्ठे हो, और बालकोंको फुसलाकर फसाने वाले या उन्हें उठा ले जाकर उनके साथ अप्राकृतिक बलात्कार करके उनका खून करने वाले अपराधियोंके पजेसे इस पचनद प्रदेशके, कोमल वयस्क युवकोंको बचानेके उपायका आयोजन करे। अपराधियोंकी निंदा करने वाले प्रस्ताव पास करनेसे कुछ भी होने-हवानेका नहीं। पाप-मात्र भिन्न-भिन्न प्रकारके रोग है और सुधारकोंको उन्हें ऐसा रोग समझकर ही उनका इलाज करना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस इन मामलोंको सार्वजनिक अपराध समझनेका अपना काम मुलतवी रखेगी, किन्तु पुलिस जो कार्रवाई करती है, उसकी मशा इन सामाजिक अव्यवस्थाओंके मूल कारण ढूढकर उन्हें दूर करनेकी होती ही नहीं। यह तो सुधारकोंका खास अधिकार है। और अगर समाजमें सदाचारके विषयकी भावना और आग्रह न बढ़ा, तो अखबारोंमें दुनिया-भरके लेख लिखे जाय तो भी ऐसे अपराध और-और बढ़ते ही जायगे। इसका कारण यही है कि इस उलटे रास्तेपर जाने वाले लोगोंकी नैतिक भावना कुठित हो जाती है और वे अखबारोंको—खासकर उन भागोंको जिनमें ऐसे-ऐसे दुराचारोंके विरुद्ध जोशसे भरी हुई नसीहतें होती हैं—शायद ही कभी पढते ही। इसलिए मुझे भी यह एक ही प्रभावकारक मार्ग सूझ रहा है कि सनातन धर्म कालेजके प्रिन्सिपल (यदि वे उनमेंसे एक हो तो) जैसे कुछ उत्साही सुधारक दूसरे सुधारकोंको एकत्रित करे और इस बुराईको दूर करनेके लिए कुछ सामूहिक उपाय हाथमें ले।

हरिजन सेवक,

२ नवम्बर १९३५

## उसकी कृपा बिना कुछ नहीं

डॉक्टरों और अपने-आप जेलर बनने वाले सरदार वल्लभभाई तथा जमनालालजी की कृपासे मैं फिर पाठकोके सम्पर्कमें आनेके काबिल हो गया हूँ, हालांकि है यह परीक्षणके तौरपर और एक निश्चित सीमातक ही। इन लोगोंने मेरी स्वतन्त्रतापर यह बन्धन लगा दिया है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है कि फिलहाल मैं 'हरिजन' में उससे अधिक किसी हालतमें नहीं लिखूंगा जो कि मुझे बहुत जरूरी मालूम पड़े, और वह भी इतना ही कि जिसके लिखनेमें प्रति सप्ताह कुछ घंटेसे अधिक समय न लगे। सिवा उनके कि जिनके साथ मैंने अभीसे लिखा-पढी शुरू कर दी है, और किसीकी निजी समस्याओं या घरेलू कठिनाइयोंके बारेमें मैं निजी पत्र-व्यवहार नहीं करूंगा, और न तो मैं किसी सार्वजनिक कार्यक्रमको स्वीकार करूंगा, न किसी सार्वजनिक सभामें भाषण दूंगा या उपस्थित ही होऊंगा। सोने, दिलवहलाव, मिहनत और भोजनके बारेमें भी निश्चित रूपसे निर्देशकर दिये गये हैं, लेकिन उनके वर्णनकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनसे पाठकोका कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे आशा है कि इन हिदायतोंका पालन करनेमें 'हरिजन'के पाठक तथा सवाद-दाता लोग मेरे और महादेव भाईके साथ, जिनके जिम्मे सब पत्र-व्यवहारको भुगतानेका काम होगा, पूरा सहयोग करेंगे।

मेरी बीमारीके मूल और उसके लिए किये जाने वाले उपायोंकी कुछ बात पाठकोके लिए अवश्य रुचिकर होगी। जहातक मैंने अपने डॉक्टरको समझा है, मेरे शरीरका बहुत सावधानी और सिरदर्दीके साथ निरीक्षण करनेपर भी उन्हें मेरे शारीरिक अवयवोंमें कोई खराबी नहीं मिली। उनकी रायमें बहुत सम्भवत 'प्रोटीन' और 'कारबोहाइड्रेट्स' की कमी, जो कि शक्कर और निगास्तेके द्वारा प्राप्त होती है, और बहुत दिनोंसे

अपने रोजमर्राके सार्वजनिक काम-काजके अलावा लगातार लम्बे-लम्बे समयतक परेशान कर देनेवाली विविध निजी समस्याओमे उलझे रहनेसे यह बीमारी हुई थी। जहातक मुझे याद पडता है पिछले बारह महीने या इससे भी अधिक समयसे मैं इस बातको बराबर कहता आ रहा था कि लगातार बढ़ते जानेवाले कामकी तादादमे अगर कमी न हुई तो मेरा बीमार पड़ जाना निश्चित है। इसलिए, जब बीमारी आई तो मेरे लिए वह नई बात नहीं थी। और बहुत सम्भव है कि दुनियामे इसका इतना ढिंढोरा ही न पिटता, अगर एक मित्रकी ज़रूरतसे ज्यादा चिन्ता सामने न आती। जिन्होंने कि मेरे स्वास्थ्यको गिरता देखकर जमनालालजीको सनसनीदार रुक्का भेज दिया। वस, जमनालालजीने यह खबर पाते ही उन सब होशियार डॉक्टरोंको बुला लिया जो कि वर्धामे मिल सकते थे और विशेष सहायताके लिए नागपुर व बम्बई भी खबर भेज दी।

जिस दिन मैं बीमार पडा, उस दिन सवेरे ही मुझे उसकी चेतावनी मिल गई थी। जैसे ही सोकर उठा, मुझे अपनी गर्दनके पास एक खास तरहका दर्द मालूम पडा, लेकिन मैंने उसपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसीसे कुछ नहीं कहा। दिन-भर मैं अपना काग करता रहा। शामकी हवाखोरीके वक्त जब मैं एक मित्रके साथ वाते कर रहा था तो मुझे बहुत थकावट मालूम पडने लगी और मैं बहुत गम्भीर हो गया। मेरे स्नायु इससे पहले पखवाडेमे ऐसी समस्याओके सोच-विचारमे पहले ही काफी ढीले पड चुके थे, जो कि मेरे लिए मानो स्वराज्यके सर्वप्रधान प्रश्नकी ही तरह महत्वपूर्ण थी।

मेरी बीमारीको अगर इतना तूल न दिया गया होता तो भी जो निश्चित चेतावनी प्रकृति मुझे दे रही थी, उसपर मुझे ध्यान देना पडता और मैंने अपनेको थोडा आराम देकर उस कठिनाईको हल करनेकी कोशिश की होती; लेकिन जो कुछ हो गया उसपर नजर डालनेसे मुझे ऐसा मालूम पडता है कि जो-कुछ हुआ वह ठीक ही हुआ। डॉक्टरोंने जो असाधारण सावधानी रखनेकी सलाह दी और उन्हीके समान असाधारण रूपसे उक्त दोनों जेलरोंने जो देख-भाल रखी उसके कारण मजबूरत मुझे

आराम करना पडा, जो वैसे मैं कभी न करता, और उससे मुझे आत्म-निरीक्षणका काफी समय मिल गया। इसलिए उससे मुझे स्वास्थ्यका लाभ ही नहीं हुआ, बल्कि आत्म-निरीक्षणसे मुझे यह भी मालूम हुआ कि गीताका जो अर्थ मैं समझा हूँ उसका पालन करनेमें मैं कितनी गलती कर रहा हूँ। मुझे पता लगा कि जो विविध समस्याएँ हमारे सामने उपस्थित हैं, उनकी काफी गहराईमें मैं नहीं पहुँचा हूँ। यह स्पष्ट है कि उनमेंसे अनेकने मेरे हृदयपर असर डाला है और मैंने उन्हें, अपनी भावुकताको प्रेरित करके, अपने स्नायुओपर जोर डालने दिया है। दूसरे शब्दोंमें कहूँ तो गीताके भक्तको उनके प्रति जैसा अनासक्त रहना चाहिए वैसे मेरा मन या शरीर नहीं रहा है। सचमुच मेरा यह विश्वास है कि जो व्यक्ति प्रकृतिके आदेशका पूर्णतः अनुसरण करता है उसके मनमें बुढ़ापेका भाव कभी आना ही नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो अपनेको सदा तरो-ताजा और नौजवान ही महसूस करेगा और जब उसके मरनेका समय आयगा तो उसी तरह मरेगा जैसे किसी मजबूत वृक्षके पत्ते गिरते हैं। भीष्म पितामहने मृत्यु-शैल्यापर पडे हुए भी युधिष्ठिरको जो उपदेश दिया, मेरी समझमें उसका यही अर्थ है। डॉक्टर लोग मुझे यह चेतावनी देते कभी नहीं थकते थे कि हमारे आस-पास जो घटनाएँ हो रही हैं, उनसे मुझे उत्तेजित हर्षिज नहीं होना चाहिए। कोई दुःखद या उत्तेजक घटना अथवा समाचार मेरे सामने न आये, इसकी भी खास तौरपर सावधानी रखी गई। यद्यपि मेरा खयाल है कि मैं गीताका उतना बुरा अनुयायी नहीं हूँ, जैसा कि इस सावधानीकी कार्रवाईसे मालूम पडता है, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उनकी हिदायतोंमें सार अवश्य था, क्योंकि मगन-वाडीसे महिलाश्रम जानेकी जमनालालजीकी बात मैंने कितनी अनिच्छासे कबूल की, यह मुझे मालूम है। जो भी हो, उन्हें यह विश्वास नहीं रहा कि अनासक्त-रूपसे मैं कोई काम कर सकता हूँ। मेरा वीमार पड जाना उनके लिए इस बातका बडा भारी प्रमाण था कि अनासक्तिकी मेरी जो ख्याति है, वह थोथी है, और इसमें मुझे अपना दोष स्वीकार करना ही पडेगा।

लेकिन अभी तो इससे भी अधिक बुरा होनेको वाकी था। १८६६ से

मैं, जान-बूझ कर और निश्चय के साथ, बराबर ब्रह्मचर्य का पालन करनेकी कोशिश करता रहा हूँ। मेरी व्याख्याके अनुसार, इसमें न केवल शरीर की, बल्कि मन और दचनकी शुद्धता भी शामिल है। और सिवा उस अपवादके, जिसे कि मानसिक स्वलन कहना चाहिए, अपने ३६ वर्षसे अधिक समयके सतत एव जागरूक प्रयत्नके बीच, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी मेरे मनमें इस सम्बन्धमें ऐसी बेचैनी पैदा हुई हो, जैसी कि इस बीमारीके समय मुझे महसूस हुई। यहातक कि मुझे अपनेसे निराशा होने लगी, लेकिन जैसे ही मेरे मनमें ऐसी भावना उठी, मैंने अपने परिचारको और डॉक्टरको उससे अवगत कर दिया, लेकिन वे मेरी कोई मदद नहीं कर सके। मैंने उनसे आशा भी नहीं की थी। अलबत्ता इस अनुभवके बाद मैंने उस आराममें ढिलाई कर दी, जो कि मुझपर लादा गया था और अपने इस बुरे अनुभवको स्वीकार कर लेनेसे मुझे बड़ी मदद मिली। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरे ऊपरसे बड़ा भारी बोझ हट गया और कोई हानि हो सकनेसे पहले ही मैं सम्हल गया; लेकिन गीताका उपदेश तो स्पष्ट और निश्चित है, जिसका मन एक बार ईश्वरमें लग जाय वह कोई पाप नहीं कर सकता। मैं उससे कितना दूर हूँ, यह तो वही जानता है। ईश्वरको धन्यवाद है कि अपने महात्मापनकी प्रसिद्धिसे मैं कभी धोखेमें नहीं पड़ा हूँ, लेकिन इस जबर्दस्तीके विश्रामने तो मुझे इतना विनम्र बना दिया है, जितना मैं पहले कभी नहीं था। इससे अपनी मर्यादाएँ और अपूर्णताएँ भली-भाँति मेरे सामने आ गई हैं, लेकिन उनके लिए मैं उतना लज्जित नहीं हूँ जितना कि सर्वसाधारणसे उनको छिपानेमें होता। गीताके सन्देशमें सदाकी तरह आज मेरा वैसा ही विश्वास है। उस विश्वासको ऐसे सुन्दर रूपमें परिणत करनेके लिए कि जिससे गिरावटका अनुभव ही न हो, लगातार अथक प्रयत्नकी आवश्यकता है, लेकिन उसी गीतामें साथ-साथ असदिग्ध रूपसे यह भी कहा हुआ है कि ईश्वरीय अनुग्रहके बिना वह स्थिति ही प्राप्त नहीं हो सकती। अगर विधाताने इतनी गुजाइश न रखी होती तो हमारे हाथ-पैर ही फूल गये होते और हम अकर्मण्य हो गये होते।

## सन्तति-निग्रह-१

मेरे एक साथीने, जो मेरे लेखोको बड़े ध्यानके साथ पढते रहते हैं, जब यह पढा कि सन्तति-निग्रहके लिए सम्भवतः मैं उन दिनों सहवासकी बात स्वीकार कर लूंगा जिनमें कि गर्भ रहनेकी सम्भावना नहीं होती, तो उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। मैंने उन्हें यह समझानेकी कोशिश की कि कृत्रिम साधनोंसे सन्तति-निग्रह करनेकी बात मुझे जितनी खलती है उतनी यह नहीं खलती, फिर यह है भी अधिकतर विवाहित दम्पतियोंके ही लिए। आखिर बहस बढ़ते-बढ़ते इतनी गहराईपर चलती गई जिसकी हम दोनोंसे किसीने आशा न की थी। मैंने देखा कि यह बात भी उन मित्रको कृत्रिम साधनोंसे सन्तति-निग्रह करने-जैसी ही बुरी प्रतीत हुई। इससे मुझे मालूम पडा कि यह मित्र स्मृतियोंके इस बन्धनको साधारण मनुष्योंके लिए व्यवहार-योग्य समझते हैं कि पति-पत्नीको भी तभी सहवास करना चाहिए, जबकि उन्हें सचमुच सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा हो। इस नियमको जानता तो मैं पहलेसे था, लेकिन उसे इस रूपमें पहले कभी नहीं माना था, जिस रूपमें कि इस बातचीतके बाद मानने लगा हू। अभी तक तो, पिछले कितने ही सालोंसे, मैं इसे ऐसा पूर्ण आदर्श ही मानता आया हू, जिसपर ज्यो-का-त्यो अमल नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता था कि सन्तानोत्पत्तिकी खास इच्छाके दंगर भी विवाहित स्त्री-पुरुष जबतक एक-दूसरेकी रजामन्दीसे सहवास करे तबतक वे वैवाहिक उद्देश्यकी पूर्ति करते हुए स्मृतियोंके आदेशका भंग नहीं करते, लेकिन जिस नये रूपमें अब मैं स्मृतिकी बातको लेता हू वह मेरे लिए मानो एक इल्लहाम है। स्मृतियोंका जो यह कहना है कि जो विवाहित स्त्री-पुरुष इस आदेशका दृढताके साथ पालन करे वे वैसे ही ब्रह्मचारी हैं जैसे

अविवाहित रहकर सदाचारी जीवन व्यतीत करनेवाले होते हैं, उसे अब मैं इतनी अच्छी तरह समझ गया हूँ जैसे पहले कभी नहीं जानता था ।

इस नये रूपमें, अपनी काम-वासनाको तृप्त करना नहीं; बल्कि सन्तानोत्पत्ति ही सहवासका एक-मात्र उद्देश्य है । साधारण काम-पूर्ति तो, विवाहकी इस दृष्टिसे, भोग ही माना जायगा । जिस आनन्दको अभी तक हम निर्दोष और वैध मानते आये हैं उसके लिए ऐसे शब्दका प्रयोग कठोर तो भालूम होगा, लेकिन प्रचलित प्रथाकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ; बल्कि उस विवाह-विज्ञानको ले रहा हूँ जिसे हिन्दू-ऋषियोंने बताया है । यह हो सकता है कि उन्होंने ठीक ढंगसे न रखा हो या वह बिलकुल गलत ही हो; लेकिन मुझ-जैसे आदमीके लिए तो, जो स्मृतियोंकी कई बातोंको अनुभवके आधार-भूत मानता है, उनके अर्थको पूरी तरह स्वीकार किये बगैर कोई चारा ही नहीं है । कुछ पुरानी बातोंको उनके पूरे अर्थोंमें ग्रहण करके प्रयोगमें लानेके अलावा और कोई ऐसा तरीका मैं नहीं जानता जिससे उनकी सच्चाईका पता लगाया जा सके । फिर वह जाच कितनी ही कड़ी क्यों न प्रतीत हो और उससे निकलनेवाले निष्कर्ष कितने ही कठोर क्यों न लगे ।

ऊपर मैंने जो-कुछ कहा है उसको देखते हुए, कृत्रिम साधनों या ऐसे दूसरे उपायोंसे सन्तति-निग्रह करना बड़ी भारी गलती है । अपनी जिम्मेदारीको पूरी तरह समझते हुए मैं यह लिख रहा हूँ । श्रीमती मार्गरेट सेगर और उनके अनुयायियोंके लिए मेरे मनमें बड़े आदरका भाव है । अपने उद्देश्यके लिए उनके अन्दर जो अदम्य उत्साह है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ । यह भी मैं जानता हूँ कि स्त्रियोंको अनचाहे बच्चोंकी सार-सम्हाल और परवरिश करनेके कारण जो कष्ट उठाना पड़ता है, उसके लिए उनके मनमें स्त्रियोंके प्रति बड़ी सहानुभूति है । साथ ही यह भी मैं जानता हूँ कि कृत्रिम सन्तति-निग्रहका अनेक उदार धर्माचार्यों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और डॉक्टरोंने भी समर्थन किया है, जिनमें बहुतोंको तो मैं व्यक्तिगत रूपसे जानता और मानता भी हूँ; लेकिन इस सम्बन्धमें मेरी जो मान्यता है उसे अगर मैं पाठको या कृत्रिम सन्तति-निग्रहके महान् समर्थकोंसे छिपाऊँ तो मैं अपने ईश्वरके प्रति, जोकि सत्यके अलावा और कुछ नहीं है, सच्चा

सावित नहीं होऊगा, और अगर मैंने अपनी मान्यताको छिपाया तो यह निश्चित है कि अपनी गलतीको, अगर मेरी यह मान्यता गलत हो, मैं कभी नहीं जान सकूंगा। अलावा इसके, उन अनेक स्त्री-पुरुषोकी खातिर भी मैं यह जाहिर कर रहा हूँ जोकि सन्तति-निग्रह सहित अनेक नैतिक समस्याओके बारेमें मेरे आदेश और मतको स्वीकार करते हैं।

सन्तति-निग्रह होना चाहिए, इस बातपर तो वे भी सहमत हैं जो इसके लिए कृत्रिम साधनोका समर्थन करते हैं, और वे भी जो अन्य उपाय वतलाते हैं। आत्म-सयमसे सन्तति-निग्रह करनेमें जो कठिनाई होती है, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मनुष्य-जातिको अपनी किस्मत जगानी है तो इसके सिवा इसकी पूर्तिका कोई और उपाय ही नहीं है, क्योंकि यह मेरा आन्तरिक विश्वास है कि कृत्रिम साधनोसे सन्तति-निग्रहकी बात सवने मजूर कर ली तो मनुष्य-जातिका बड़ा भारी नैतिक पतन होगा। कृत्रिम सन्तति-निग्रहके समर्थक इसके विरुद्ध प्रायः जो दलीले पेश करते हैं उनके वावजूद मैं यह कहता हूँ।

मेरा विश्वास है कि मुझमें अन्ध-विश्वास कोई नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि कोई बात इसीलिए सत्य है, क्योंकि वह प्राचीन है। न मैं यह मानता हूँ कि चूँकि वह प्राचीन है इसलिए उसे सन्दिग्ध समझा जाय। जीवनकी आधारभूत कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम यह समझकर यों ही नहीं छोड़ सकते कि उनपर अमल करना मुश्किल है।

इसमें शक नहीं कि आत्म-सयमके द्वारा सन्तति-निग्रह है कठिन, लेकिन अभीतक ऐसा कोई नजर नहीं आया जिसने सजीदगीके साथ इसकी उपयोगितामें सन्देह किया हो या यह न माना हो कि कृत्रिम साधनोकी वनिस्वत यह ऊँचे दर्जेका है।

मैं समझता हूँ, जब हम सहवासको दृढतासे मर्यादित रखनेके शास्त्रोके आदेशको पूर्णतः स्वीकार कर ले, और उसको ही सबसे बड़े आनन्द-का साधन न माने, तो यह अपेक्षाकृत आसान भी हो जायगा। जननेन्द्रियोका काम तो सिर्फ यही है कि विवाहित दम्पतिके द्वारा यथासम्भव सर्वोत्तम सन्तानोत्पत्ति करे। और यह तभी हो सकता है, और होना चाहिए, जबकि

स्त्री-पुरुष दोनो सहवासकी नही बल्कि सन्तानोत्पत्तिकी इच्छासे, जो कि ऐसे सहवासका परिणाम होता है, प्रेरित हो । अतएव सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा-के वगैर सहवास करना अवैध समझा जाना चाहिए और उसपर नियन्त्रण लगाना चाहिए ।

साधारण आदमियोपर ऐसा नियन्त्रण किया जा सकता है या नही, इसपर आगे विचार किया जायगा ।

हरिजन सेवक,

१४ मार्च १९३६

## सन्तति-निग्रह-२

हमारे समाजकी आज ऐसी दशा है कि आत्म-सयमकी कोई प्रेरणा ही उससे नहीं मिलती । शुरूसे हमारा पालन-पोषण ही उससे विपरीत दिशामे होता है । माता-पिताकी मुख्य चिन्ता तो यही होती है कि, जैसे भी हो, अपनी सन्तानका ब्याह कर दे जिससे चूहोकी तरह वे बच्चे जनते रहे और अगर कही लडकी पैदा हो जाय तब तो जितनी भी कम उम्रमे हो सके, बिना यह सोचे कि इससे उसका कितना नैतिक पतन होगा, उसका ब्याह कर दिया जाता है । विवाहकी रस्म भी क्या है, मानो दावत और फिजूल-खर्चकी एक लम्बी सरदर्दी ही है । परिवारका जीवन भी वैसा ही होता है जैसा कि पहलेसे होता आया है, यानी भोगकी ओर बढ़ना ही होता है । छुट्टिया और त्यौहार भी इस तरह रखे गये हैं, जिनसे वैषयिक रहन-सहनकी ओर ही अधिक-से-अधिक प्रवृत्ति होती है । जो साहित्य एक तरहसे गले चपेटा जाता है उससे भी आमतौरपर विषयोन्मुख मनुष्योको उसी ओर अग्रसर होनेका प्रोत्साहन मिलता है । और अत्यत आधुनिक साहित्य तो प्राय यही शिक्षा देता है कि विषय-भोग ही कर्तव्य है और पूर्ण सयम एक पाप है ।

ऐसी हालतमे कोई आश्चर्य नहीं कि काम-पिपासाका नियंत्रण विलकुल असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है और अगर हम यह मानते हैं कि सन्तति-निग्रहका अत्यत वाछनीय और बुद्धिमत्तापूर्ण एव सर्वथा निर्दोष साधन आत्म-सयम ही है तो सामाजिक आदर्श और वातावरणको ही बदलना होगा । इस इच्छित उद्देश्यकी सिद्धिका एक-मात्र उपाय यही है कि जो व्यक्ति आत्म-सयमके साधनमे विश्वास रखते हैं वे दूसरोको भी उससे प्रभावित करनेके लिए अपने अटूट विश्वासके साथ खुद ही इसका अमल शुरू कर दे । ऐसे लोगोके लिए, मैं समझता हूँ, विवाहकी जिस धारणाकी मैंने

पिछले सप्ताह चर्चा की थी वह बहुत महत्त्व रखती है। उसे भली-भाँति ग्रहण करनेका मतलब है अपनी मन स्थितिको बिलकुल बदल देना अर्थात् पूर्ण मानसिक क्रान्ति। यह नहीं कि सिर्फ कुछ चुने हुए व्यक्ति ही ऐसा करे, बल्कि यही समस्त मानव-जातियोंके लिए नियम हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके भगसे मानव-प्राणियोंका दर्जा घटता है और अनचाहे बच्चोंकी वृद्धि, सदा बढ़ती रहनेवाली बीमारियोंकी श्रृंखला और मनुष्यके नैतिक पतनके रूपमें उन्हें तुरन्त ही इसकी सजा मिल जाती है। इसमें शक नहीं कि कृत्रिम साधनों द्वारा सन्तति-निग्रहसे नव-जात शिशुओंकी सख्या-वृद्धिपर किसी हदतक अकुश रहता है, और साधारण स्थितिके मनुष्योका थोडा बचाव हो जाता है, लेकिन व्यक्ति और समाजकी जो नैतिक हानि इससे होती है उसका पार नहीं, क्योंकि जो लोग भोगके लिए ही अपनी काम-वासनाकी तृप्ति करते हैं, उनके लिए जीवनका दृष्टिकोण ही बिलकुल बदल जाता है। उनके लिए विवाह धार्मिक सम्बन्ध नहीं रहता, जिसका मतलब है उन सामाजिक आदर्शोंका बिलकुल बदल जाना, जिन्हे अभीतक हम बहुमूल्य निधिके रूपमें मानते रहे हैं। निस्सन्देह जो लोग विवाहके पुराने आदर्शोंको अन्ध-विश्वास मानते हैं, उनपर इस दलीलका ज्यादा असर न होगा। इसलिए मेरी यह दलील सिर्फ उन्हीं लोगोंके लिए है जो विवाहको एक पवित्र सबंध मानते हैं और स्त्रीको पाशविक आनन्द (भोग) का साधन नहीं, बल्कि सन्तानके धारण और संरक्षणका गुण रखनेवाली माताके रूपमें मानते हैं।

मैंने और मेरे साथी कार्यकर्त्ताओंने आत्म-सयमकी दिशामें जो प्रयत्न किया है, उसके अनुभवसे इस विचारकी पुष्टि होती है, जिसे कि मैंने यहाँ उपस्थित किया है। विवाहकी प्राचीन धारणाके प्रखर प्रकाशमें होनेवाली सोजसे इसे बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो गया है। मेरे लिए तो अब विवाहित-जीवनमें ब्रह्मचर्य बिलकुल स्वाभाविक और अनिवार्य स्थिति बनकर स्वयं विवाहकी ही तरह एक मामूली बात हो गई है। सन्तति-निग्रहका और कोई उपाय व्यर्थ और अकल्पनीय मालूम पड़ता है। एक बार जहाँ स्त्री और पुरुषमें इस विचारने घर किया नहीं कि जननेन्द्रियोंका एक-मात्र

और महान् कार्य सन्तानोत्पत्ति ही है, सन्तानोत्पत्तिके अलावा और किसी उद्देश्यसे सहवास करनेको वे अपने रज-वीर्यकी दण्डनीय क्षति मानने लगेंगे और उसके फलस्वरूप स्त्री-पुरुषमें होनेवाली उत्तेजनाको अपनी मूल्यवान् शक्तिकी वैसी ही दण्डनीय क्षति समझेंगे। हमारे लिए यह समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है कि प्राचीन कालके वैज्ञानिकोंने वीर्य-रक्षाको क्यों इतना महत्त्व दिया है और क्यों इस बातपर उन्होंने इतना जोर दिया है कि हम समाजके कल्याणके लिए उसे शक्तिके सर्वोत्कृष्ट रूपमें परिणत करें। उन्होंने तो स्पष्टरूपसे इस बातकी घोषणा की है कि जो (स्त्री और पुरुष) अपनी काम-वासनापर पूर्ण नियंत्रण कर ले वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकारकी इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है जो और किसी उपायसे प्राप्त नहीं की जा सकती।

ऐसे महान् ब्रह्मचारियोंकी अधिक संख्या क्या, एक भी कोई हमें अपने बीचमें दिखाई नहीं पड़ता, इससे पाठकोको घबराना नहीं चाहिए। अपने बीच जो ब्रह्मचारी आज हमें दिखाई देते हैं वे सचमुच बहुत अपूर्ण नमूने हैं। उनके लिए तो बहुत-से-बहुत यही कहा जा सकता है कि वे ऐसे जिज्ञासु हैं, जिन्होंने अपने शरीरका सयम कर लिया है, पर मनपर अभी सयम नहीं कर पाये हैं। ऐसे दृढ़ वे अभी नहीं हुए हैं कि उनपर प्रलोभनका कोई असर ही न हो, लेकिन यह इसलिए नहीं है कि ब्रह्मचर्यकी प्राप्ति बहुत दुरूह है, बल्कि सामाजिक वातावरण ही उसके विपरीत है और जो लोग ईमानदारीके साथ यह प्रयत्न कर रहे हैं उनमेंसे अधिकांश अनजाने सिर्फ इसी सयमका यत्न करते हैं, जबकि इसमें सफल होनेके लिए उन सब विषयोंके सयमका यत्न किया जाना चाहिए, जिनके चगुलमें मनुष्य फस सकता है। इस तरह किया जाय तो साधारण स्त्री-पुरुषोंके लिए भी वैसे ही प्रयत्नकी आवश्यकता है जैसा कि किसी भी विज्ञानमें निष्णात होनेके अभिलाषी किसी विद्यार्थीको करना पड़ता है। यहाँ जिस रूपमें ब्रह्मचर्य लिया गया है, उस रूपमें जीवन-विज्ञानमें निष्णात होना ही वस्तुतः उसका अर्थ भी है।

हरिजन सेवक,

२१ मार्च १९३६

## नवयुवकोंसे !

आजकल कही-कही नवयुवकोंकी यह आदत-सी पड गई है कि बड़े-बड़े जो-कुछ कहे वह नही मानना चाहिए । मैं यह तो नही कहना चाहता कि उसके ऐसा माननेका विलकुल कोई कारण ही नही है; लेकिन देशके युवकोंको इस बातसे आगाह जरूर करना चाहता हू कि बड़े-बड़े स्त्री-पुरुषों द्वारा कही हुई हरेक बातको सिर्फ इसी कारण माननेसे इन्कार न करे कि उसे बड़े-बूढ़ोने कहा है । अक्सर बुद्धिकी बात बच्चो तकके मुहसे जैसे निकल जाती है, उसी तरह बहुधा बड़े-बूढ़ोके मुहसे निकल जाती है । स्वर्णनियम तो यही है कि हरेक बातको बुद्धि और अनुभवकी कसौटीपर कसा जाय, फिर वह चाहे किसीकी कही या बताई हुई क्यों न हो । कृत्रिम साधनोंसे सन्तति-निग्रहकी बातपर मैं अब आता हू । हमारे अन्दर यह बात जमा दी गई है कि अपनी विषय-वासनाकी पूर्ति करना भी हमारा वैसा ही कर्तव्य है, जैसे वैध रूपमे लिये हुए कर्जको चुकाना हमारा कर्तव्य है, और अगर हम ऐसा न करे तो उससे हमारी बुद्धि कुण्ठित हो जायगी । इस विषयेच्छा-को सन्तानोत्पत्तिकी इच्छासे पृथक् माना जाता है और सन्तति-निग्रहके लिए कृत्रिम-साधनोंके समर्थकोका कहना है कि जबतक सहवास करने वाले स्त्री-पुरुषको बच्चे पैदा करनेकी इच्छा न हो तबतक गर्भ-धारण नही होने देना चाहिए । मैं बड़े साहसके साथ यह कहता हू कि यह ऐसा सिद्धान्त है, जिसका कही भी प्रचार करना बहुत खतरनाक है, और हिन्दुस्तान-जैसे देशके लिए तो, यहा मध्य-श्रेणीके पुरुष अपनी जनने-न्द्रियका दुरुपयोग करके अपना पुरुषत्व ही खो बैठे हैं, यह और भी बुरा है । अगर विषयेच्छाकी पूर्ति कर्तव्य हो, तब तो जिस अप्राकृतिक व्यभि-चारके वारेमे कुछ समय पहले मैंने लिखा था उसे तथा कामपूर्तिके कुछ

अन्य उपायोको भी ग्रहण करना होगा। पाठकोको याद रखना चाहिए कि बड़े-बड़े आदमी भी ऐसे काम पसन्द करते मालूम पड रहे हैं जिन्हे आम नौरपर वैषयिक पतन माना जाता है। सम्भव है कि इस बातसे पाठकोको कुछ ठेस लगे, लेकिन अगर किसी तरह इसपर प्रतिष्ठाकी छाप लग जाय तो बालक-बालिकाओमे अप्राकृतिक व्यभिचारका रोग बुरी तरह फैल जायगा। मेरे लिए तो कृत्रिम साधनोके उपयोगसे कोई खास फर्क नहीं है, जिन्हे लोगोने अभीतक अपनी विषयेच्छा-पूर्तिके लिए अपनाया है, और जिनसे ऐसे कुपरिणाम आये हैं कि बहुत कम लोग उनसे परिचित हैं। स्कूली लडके-लडकियोमे गुप्त व्यभिचारने क्या तूफान मचाया है, यह मैं जानता हू। विज्ञानके नामपर सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधनोके प्रवेश ओर प्रख्यात सामाजिक नेताओके नामसे उनके छपानेसे स्थिति आज और भी पेंचीदा हो गई है और सामाजिक जीवनकी शुद्धताके लिए सुधारकोका काम बहुत-कुछ सम्भव-सा हो गया है। पाठकोको यह बताकर मैं अपने-पर किये गए किसी विश्वासको भग नहीं कर रहा हू कि स्कूल-कालिजोमे ऐसी अविवाहित जवान लडकिया भी हैं, जो अपनी पढाईके साथ-साथ कृत्रिम सन्तति-निग्रहके साहित्य व मासिक पत्रोको बड़े चावसे पढती रहती हैं और कृत्रिम साधनोको अपने साथ रखती हैं। इन साधनोको विवाहिता स्त्रियोतक ही सीमित रखना असम्भव है। और, विवाहकी पवित्रता तो तभी लोप हो जाती है, जबकि उसके स्वाभाविक परिणाम सन्तानोत्पत्तिको छोटकर महज अपनी पाशविक विषय-वासनाकी पूर्ति ही उसका सबसे बडा उपयोग मान लिया जाता है।

मुझे इसमे कोई सदेह नहीं कि जो विद्वान् स्त्री-पुरुष सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधनोके पक्षमे बडी लगनके साथ प्रचार-कार्य कर रहे हैं, वे इस झूठे विश्वासके साथ कि इससे उन बेचारी स्त्रियोकी रक्षा होती है, जिन्हे अपनी इच्छाके विरुद्ध वच्चोका भार सम्भालना पडता है, देशके युवकोकी ऐसी हानि कर रहे हैं, जिसकी कभी पूर्ति ही नहीं हो सकती। जिन्हे अपने वच्चोकी सख्या सीमित करनेकी जरूरत है, उनतक तो आसानी से वे पहुच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाकी गरीब स्त्रियोको पश्चिमी

स्त्रियोंकी भाति ज्ञान या शिक्षण कहा प्राप्त है ? यह भी निश्चय है कि मध्य-श्रेणीकी स्त्रियोंकी ओरसे भी यह प्रचार-कार्य नहीं हो रहा है; क्योंकि हम ज्ञानकी उन्हे उतनी जरूरत ही नहीं है, जितनी कि गरीब लोगोकी है ।

उस प्रचार-कार्यसे सबसे बड़ी जो हानि हो रही है, वह तो पुराने आदर्शको छोड़कर उसकी जगह एक ऐसे आदर्शको अपनाना है, जो अगर अमन्त्रमें लाया गया तो जातिका नैतिक तथा शारीरिक सर्वनाश निश्चित है । प्राचीन शास्त्रोंने व्यर्थ वीर्य-नाशको जो भयावह बताया है, वह कुछ अज्ञान-जनित अन्ध-विश्वास नहीं है । कोई किमान अपने पासके सबसे बढ़िया बीजको बजर जमीनमें बोवे, या बढ़िया खादसे खूब उपजाऊ बने हुए किसी खेतके मालिकको इस शर्तपर बढ़िया बीज मिले कि उसके लिए उसकी उपज करना ही सम्भव न हो तो उसे हम क्या कहेंगे ? परमेश्वरने कृपा करके पुरुषको तो बहुत बढ़िया बीज दिया है और स्त्रीको ऐसा बढ़िया खेत दिया है कि जिसमें बढ़िया इस भू-मडलमें कोई मिल ही नहीं सकता । ऐसी हालतमें मनुष्य अपनी बहुमूल्य सम्पत्तिको व्यर्थ जान दे तो यह उसकी दण्डनीय मूर्खता है । उन्हे तो चाहिए कि अपने पासके बढ़िया-भंग-बढ़िया हीरे-जवाहरात अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओंकी वह जितनी देन-भाग रखता हो, उनमें भी ज्यादा उसकी नार-मम्हाल करे ।

उनके दिमागमे ऐसी विचार-धारा भर देता है, जो मेरे खयालमे, गलत है । भारतके नौजवान स्त्री-पुरुषोका भविष्य उनके अपने ही हाथोमे है । उन्हे चाहिए कि इस भूठे प्रचारसे सावधान हो जाय और जो बहुमूल्य वस्तु परमेश्वरने उन्हे दी है, उसकी रक्षा करे, और जब वे उसका उपयोग करना चाहे तो सिर्फ उसी उद्देश्यसे करे कि जिसके लिए वह उन्हे दिया गया है ।

हरिजन सेवक,

२८ मार्च १९३६

## कृत्रिम साधनोंसे सन्तति-निग्रह

एक सज्जन लिखते हैं :

“हालमे ‘हरिजन’मे श्रीमती सेंगर और महात्मा गाधीकी मुलाकातका जो विवरण प्रकाशित हुआ है उसके बारेमे मैं कुछ कहना चाहता हू ।

“इस बातचीतमे जिस खास बातकी ओर ध्यान नही दिया गया मालूम पडता है वह यह है कि मनुष्य अन्ततोगत्वा कलाकार और उत्पादक है । कम-से-कम आवश्यकताओकी पूर्तिपर ही वह सतोष नही करता ; बल्कि सुन्दरता, रग-विरगापन और आकर्षण भी उसके लिए आवश्यक होता है । मुहम्मद साहबने कहा है कि ‘अगर तेरे पास एक ही पैसा हो तो उससे रोटी खरीद ले ; लेकिन अगर दो हो तो एकसे रोटी खरीद और एकसे फूल ।’ इसमे एक महान् मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है—वह यह कि मनुष्य स्वभावतः कलाकार है, इसलिए हम उसे ऐसे कामोके लिए भी प्रयत्नशील पाते हैं, जो महज उसके शरीर-धारणके लिए आवश्यक नही हैं । उसने तो अपनी आवश्यकता-को कलाका रूप दे रखा है और उन कलाओकी खातिर मनो खून बहाया है । मनुष्यकी उत्पादक-बुद्धि नई-नई कठिनाइयो और समस्याओको पैदा करके उनका तैल निकालनेके लिए उसे प्रेरित करती रहती है । रूसो, रस्किन, टॉलस्टाय, थोरो और गाधी उसे जैसा ‘सरल-सादा’ बनाना चाहते हैं वैसा बन नही सकता । युद्ध भी उसके लिए एक आवश्यक चीज है ; और उसे भी उसने एक महान् कलाके रूपमे परिणत कर दिया है ।

“उसके मस्तिष्कको अपील करनेके लिए प्रकृतिका उदाहरण व्यर्थ है, क्योंकि वह तो उसके जीवनसे ही बिलकुल मेल नही खाती है । ‘प्रकृति उसकी शिक्षिका नही बन सकती ।’ जो लोग प्रकृतिके नामपर अपील करते हैं वे यह भूल करते हैं कि प्रकृतिमे केवल पर्वत तथा उपत्यकाएँ और कुसुम-

क्यारिया ही नहीं है, बल्कि वाढ, भ्रमावात और भूकम्प भी है। कट्टर निराकारवादी नीत्सेका कहना है कि कलाकारकी दृष्टिसे प्रकृति कोई आदर्श नहीं है। वह तो अत्युक्ति तथा विकृतीकरणसे काम लेती है और बहुत-सी चीजोको छोड जाती है। प्रकृति तो एक आकस्मिक घटना है। 'प्रकृतिसे अध्ययन करना' कोई अच्छा चिह्न नहीं है, क्योकि इन नगण्य चीजोके लिए धूलमे लोटना अच्छे कलाकारके योग्य नहीं है। भिन्न प्रकारकी वृद्धिके कार्यको, कला-विरोधी मामूली बातोको, देखनेके लिए यह आवश्यक है कि हम यह जाने कि हम क्या है? हम यह जानते है कि जगली जानवर अपने शरीरको बनाये रखनेकी आवश्यकतावश कच्चा मास खाते है, स्वाद-वश नहीं। यह भी जानते है कि प्रकृतिमे तो पशुओसे समागमकी ऋतुए होती है। ऋतुओके अतिरिक्त कभी मैथुन होता ही नहीं, लेकिन उसी फिलासफरके अनुसार यह तो अच्छे कलाकारके योग्य नहीं है। जो मनुष्य स्वभावतः, अच्छा कलाकार है इसलिए जब सन्तानोत्पत्तिकी आवश्यकता न रहे तब मैथुन-कार्यको बन्द कर देना या केवल सन्तानोत्पत्तिकी स्पष्ट इच्छासे प्रेरित होकर ही मैथुन करना, इतनी प्राकृतिक, इतनी मामूली, इतनी हिसाब-किताबकी-सी बात है कि हमारे फिलासफरके कथनानुसार वह उसकी कला-प्रेमी प्रकृतिको अपील नहीं कर सकता। इसलिए वह तो स्त्री-पुरुषके प्रेमको एक विलकुल दूसरे पहलूसे देखता है—ऐसे पहलूमे जिसका सन्तान-वृद्धिसे कोई सम्बन्ध नहीं। यह बात हेवलाँक एलिस और मेरी स्टोप्स-जैसे आप्त पुरुषोके कथनोसे स्पष्ट होती है। यह इच्छा यद्यपि आत्मासे उत्पन्न होती है, पर वह शारीरिक सम्भोगके बिना अपूर्ण रह जाती है। यह उस समयतक रहेगा जबतक हम इस अशको केवल आत्मामे पूरा नहीं कर सकते और उसके लिए शरीरयत्रकी आवश्यकता समझते है। ऐसे ही सहवासके परिणामका सामना करना विलकुल दूसरी समस्या है। यही सन्तान-निग्रहके आन्दोलनका काम आ जाता है, पर यह काम अगर स्वयं आत्माकी ही पुनः व्यवस्था पर छोड दिया जाय और बाह्य अनुगासन द्वारा—आत्म-संयमके माने इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है—तो हमे यह आशा नहीं होती कि उससे जिन उद्देश्योकी पूर्ति होनी चाहिए,

उन सबको वह सिद्ध कर सकेगा। न इससे विना सुदृढ मनोवैज्ञानिक आधारके सन्तति-निग्रह ही हो सकता है।

“अपनी बातको समाप्त करनेसे पहले मैं यह और कहूंगा कि आत्म-सयम या ब्रह्मचर्यका महत्त्व मैं किसी प्रकार कम नहीं करना चाहता। वैषयिक नियंत्रणको पूर्णतापर ले जानेवाली कलाके रूपमें मैं हमेशा उसकी सराहना करूंगा; लेकिन जैसे अन्य कलाओकी सम्पूर्णता हमारे जीवनमें, (और नीत्सेके अनुसार) हमारे सारे जीवनमें, कोई हस्तक्षेप नहीं करती, वैसे ही ब्रह्मचर्यके आदर्शकों मैं दूसरी बातोंपर प्रभुत्व पानेका सहारा नहीं बनने दूंगा—जनसंख्या-वृद्धि-जैसी समस्याओंके हल करनेका साधन तो वह और भी कम है। हमने इसका कैसे हौवा बना डाला है। युद्धकालीन बच्चेके बारेमें तो हम जानते ही हैं। जिन सैनिकोंने अपना खून बहाकर अपने देशवासियोंके लिए समरागणमें विजय प्राप्त की, क्या हम इरीलिए उन्हें इसका श्रेय न देंगे कि उन्होंने रणक्षेत्रमें भी बच्चे पैदा कर डाले? नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा। मैं समझता हू कि इन बातोंको मद्दे-नजर रखकर ही शास्त्रो (प्रश्नोपनिषद्)में यह कहा गया है कि ‘ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या सयुज्यते’ अर्थात् केवल रात्रिमें ही.. (याने दिनके असाधारण समयको छोड़कर) सहवास किया जाय तो वह ब्रह्मचर्य ही जैसा है। यहा साधारण वैषयिक जीवनको भी ब्रह्मचर्यके ही समान बताया गया है, उसमें इतनी कठोरता तो जीवनके विविध रूपोंमें उलट-फेर करनेके फलस्वरूप ही आई है।”

जो भी कोई ऐसी चीज हो, जिसमें कोरा शब्दाडम्बर, गालीगलौज या आरोप-आक्षेप न हो उसे मैं सहर्ष प्रकाशित करूंगा, जिससे पाठकोंके सामने समस्याके दोनों पहलू आ जाय, और वे अपने आप किसी निर्णयपर पहुच सके। इसलिए इस पत्रको मैं बड़ी खुशीके साथ प्रकाशित करता हू। खुद मैं भी यह जाननेके लिए उत्सुक हू कि जिस बातको विज्ञान-सिद्ध और हितकारी होनेका दावा किया जाता है तथा अनेक प्रमुख व्यक्ति जिसका समर्थन करते हैं, उसका उज्ज्वल पक्ष देखनेकी कोशिश करनेपर भी मुझे वह क्यों इतनी खलती है?

लेकिन मेरे सन्तोषकी कोई ऐसी बात सिद्ध नहीं होती, जिससे मुझे इसका विश्वास हो जाय कि विवाहित जीवनमें मैथुन स्वयं कोई अच्छाई है और उसे करनेवालोंको उससे कोई लाभ होता है। हा, अपने खुदके तथा दूसरे अनेक अपने मित्रोंके अनुभवके आधारपर इससे विपरीत बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ। हममेंसे किसीने भी मैथुन द्वारा कोई मानसिक, आध्यात्मिक या शारीरिक उन्नति की हो, यह मैं नहीं जानता। क्षणिक उत्तेजन और सन्तोष तो उससे अवश्य मिला, लेकिन उसके बाद ही थकावट भी ज़रूर हुई और जैसे ही उस थकावटका असर मिटा नहीं कि मैथुनकी इच्छा तुरन्त ही फिर जागृत हो गई। हालांकि मैं सदासे जागरूक रहा हूँ, फिर भी अच्छी तरह मुझे याद है कि इस विकारसे मेरे कामोंमें बड़ी बाधा पड़ी है। इस कमजोरीको समझकर ही मैंने आत्म-सयमका रास्ता पकड़ा, और इसमें सन्देह नहीं कि तुलनात्मक रूपसे काफी लम्बे-लम्बे समयतक मैं जो बीमारीसे बचा रहता हूँ और शारीरिक एवं मानसिक रूपसे जो इतना अधिक और विचित्र प्रकारका काम कर सकता हूँ कि जिसे देखनेवालोंने अदभुत बतलाया है, उसका कारण मेरा यह आत्म-सयम या ब्रह्मचर्य-पालन ही है।

मुझे भय है कि उक्त सज्जनने जो-कुछ पढ़ा उसका उन्होंने गलत अर्थ लगाया है। मनुष्य कलाकार और उत्पादक है इसमें तो कोई शक नहीं, सुन्दरता और रग-विरगापन भी उसे चाहिए ही, लेकिन मनुष्यकी कलात्मक और उत्पादक प्रवृत्तिने अपने सर्वोत्तम रूपमें उसे यही सिखाया है कि वह आत्म-सयममें कलाका और अनुत्पादक (जो सन्तानोत्पत्तिके लिए न हो) ऐसे सहवासमें अ-सुन्दरताका दर्शन करे। उसमें कलात्मकताकी जो भावना है, उसने उसे विवेकपूर्वक यह जाननेकी शिक्षा दी है कि विविध रंगोंका चाहे-जैसा मिश्रण सौन्दर्यका चिह्न नहीं है, और न हर तरहका आनन्द ही अपने-आपमें कोई अच्छाई है। कलाकी ओर उसकी जो दृष्टि है उसने उसे यह सिखाया है कि वह उपयोगितामें ही आनन्दकी खोज करे, याने वही आनन्दोपभोग करे, जो हितकर हो। इस प्रकार अपने विकासके प्रारम्भिक कालमें ही उसने यह जान लिया था कि खानेके लिए ही उसे

खाना नहीं खाना चाहिए, जैसा कि हमसे कुछ लोग अभी भी करते हैं; बल्कि जीवन टिका रहे इसलिए खाना चाहिए। बादमे उसने यह भी जाना कि जीवित रहनेके लिए ही उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने सहजीवियों और उनके द्वारा उस प्रभुकी सेवाके लिए उसे जीना चाहिए, जिसने उसे तथा उन सबको बनाया या पैदा किया है। इसी प्रकार जब उसने विषय-सहवास या मयुनजनित आनन्दकी बात पर विचार किया तो उसे मालूम पडा कि अन्य प्रत्येक इन्द्रियकी भांति जननेन्द्रियका भी उपयोग दुरुपयोग होता है और इसका उचित कार्य याने सदुपयोग इसीमे है कि केवल प्रजनन या सन्तानोत्पत्तिके ही लिए सहवास किया जाय इसके सिवा और किसी प्रयोजनसे किया जानेवाला सहवास अ-सुन्दर है और ऐसा करनेवाला व्यक्ति और उसकी नस्लके लिए उसके बहुत भयकर परिणाम हो सकते हैं। मैं समझता हूँ, अब इस दलीलको और आगे बढ़ानेकी कोई जरूरत नहीं।

उक्त सज्जनका यह कहना ठीक है कि मनुष्य आवश्यकतासे प्रेरित होकर कलाकी रचना करता है। इस प्रकार आवश्यकता न केवल आविष्कारकी जननी है, बल्कि कलाकी भी जननी है। इसलिए जिस कलाका आधार आवश्यकता नहीं है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए।

साथ ही, अपनी हरेक इच्छाको हमें आवश्यकताका नाम नहीं देना चाहिए। मनुष्यकी स्थिति तो एक प्रकारसे प्रयोगात्मक है। इस बीच आसुरी और दैवी दोनों प्रकारकी शक्तियाँ अपने खेल खेलती हैं। किसी भी समय वह प्रलोभनका शिकार हो सकता है। अतः प्रलोभनसे लडते हुए, उनका शिकार न बननेके रूपमे उसे अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहिए। जो अपने माने हुए बाहरी दुश्मनोसे तो लडता है, किन्तु अपने अन्दरके विविध शत्रुओके आगे अगुली भी नहीं उठा सकता या उन्हें अपना मित्र समझनेकी गलती करता है, वह योद्धा नहीं है। “उसे युद्ध तो करना ही चाहिए”—लेकिन उक्त सज्जनका यह कहना गलत है “कि उसे भी उसने (मनुष्यने) एक महान् कलाके ही रूपमे परिणत कर दिया है।” क्योंकि युद्धकी कला तो हमने अभी शायद ही सीखी हो। हमने तो भूठे युद्धको

उसी तरह सच्चा मान लिया है, जैसे हमारे पूर्व पुरुषोंने बलिदानका गलत अर्थ लगाकर वजाय अपनी दुर्वासनाओके, बेचारे निर्दोष पशुओका बलिदान शुरू कर दिया । अवीसीनियाकी सीमामे आज जो-कुछ हो रहा है, उसमे निश्चय ही न तो कोई सौन्दर्य है और न कोई कला । उक्त सज्जनने उदाहरणके लिए जो नाम चुने है, वे भी (अपने) दुर्भाग्यसे ठीक नहीं चुने, क्योंकि रूसो, रस्किन, थोरो और टॉलस्टाय तो अपने समयमे प्रथम श्रेणीके कलाकार थे और उनके नाम हममेसे अनेकोके मरकर भुला दिये जानेके बाद भी वैसे ही अमर रहेंगे ।

‘प्रकृति’ शब्दका उक्त सज्जनने जो उपयोग किया है, वह भी ठीक नहीं किया मालूम पडता है । प्रकृतिका अनुसरण या अध्ययन करनेके लिए जब मनुष्यको प्रेरित किया जाता है तो उनसे यह नहीं कहा जाता कि वे जगली कीड़े-मकोड़ो या शेरकी तरह काम करने लगे, बल्कि यह अभिप्राय होता है कि मनुष्यकी प्रकृतिका उसके सर्वोत्तम रूपमे अध्ययन किया जाय । मेरे खयालसे वह सर्वोत्तम रूप मनुष्यकी नई सृष्टि पैदा करनेकी प्रकृति है, या जो-कुछ भी वह हो, उसीके अध्ययनके लिए कहा जाता है, लेकिन शायद इस बातको जाननेके लिए काफी प्रयत्नकी आवश्यकता है । पुराने लोगोके उदाहरण देना आजकल ठीक नहीं है । उक्त सज्जनसे मेरा कहना है कि नीत्से या प्रश्नोपनिषद्को बीचमे घुसेडना व्यर्थ है । मेरे लिए तो इस वारेमे अब उद्धरणोकी कोई जरूरत नहीं रही है । देराना यह है कि जिस वारेमे हम चर्चा कर रहे हैं, उसमे तर्क क्या कहता है ? प्रश्न यह है कि हम जो यह कहते हैं कि जननेद्रियका सदुपयोग केवल इसीमे है कि प्रजनन या सन्तानोत्पत्तिके लिए ही उसका उपयोग किया जाय और उसका अन्य कोई उपयोग दुरुपयोग ही है, यह बात ठीक है या नहीं ? अगर यह ठीक है, तो फिर दुरुपयोगको रोककर सदुपयोग पर जानेमे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, उससे वैज्ञानिक शोधकको घबराना नहीं चाहिए ।

हरिजन सेवक,


४ अप्रैल १९३६

## सुधारक बहनोंसे

एक बहनसे गम्भीरतापूर्वक मेरी जो बातचीत हुई उससे मुझे भय होता है कि कृत्रिम सन्तति-निरोध-सम्बन्धी मेरी स्थितिको अभीतक लोगोंने काफी अच्छी तरह नहीं समझा। कृत्रिम सन्तति-निरोधके साधनोका मैं जो विरोध करता हू वह इस कारण नहीं कि वे हमारे यहाँ पश्चिमसे आये हैं। कुछ पश्चिमी चीजे तो हमारे लिए वैसी ही उपयोगी हैं जैसी कि वे पश्चिमके लिए हैं और कृतज्ञताके साथ मैं उनका प्रयोग करता हू। अतएव कृत्रिम सन्तति-निरोधके साधनोसे मेरा विरोध तो केवल उनके गुण-दोषकी दृष्टिसे ही है।

मैं यह मानता हू कि कृत्रिम सन्तति-निग्रहके साधनोका प्रतिपादन करनेवालोमें जो सबसे अधिक बुद्धिमान् हैं वे उन्हें उन स्त्रियोतक ही मर्यादित रखना चाहते हैं जो सन्तानोत्पत्तिसे बचते हुए अपनी और अपने पतियोकी विषय-वासनाको तृप्त करना चाहती हैं, लेकिन मेरे खयालमें, मानव-प्राणियोमें यह इच्छा अस्वाभाविक है और इसको तृप्त करना मानव-कुटुम्बकी आध्यात्मिक गतिके लिए घातक है। इसके खिलाफ अन्य बातोंके साथ अक्सर पेन के लार्ड डासनकी यह राय पेश की जाती है

“विषय-सम्बन्धी प्रेम ससारकी एक प्रचंड और प्रधान शक्ति है। हमारे अन्दर यह भावना इतनी तीव्र, मौलिक और बलवती होती है कि हमें इसके प्रभावको तथ्य-रूपमें स्वीकार करना ही होगा, आप इसका दमन नहीं कर सकते। आप चाहे तो इसे अच्छे रूपमें परिणत कर सकते हैं, किन्तु इसके प्रवाहको रोक नहीं सकते। और यदि इसके प्रवाहका लोत अपर्याप्त या ज़रूरतसे ज्यादा प्रतिबन्ध-युक्त हुआ तो यह अनियमित



स्रोतोसे निकल पड़ेगा। आत्म-सयममे हानिकी सम्भावना रहती है। और यदि किसी जातिमे विवाह होनेमे कल्मिनाई होती हो या बहुत देरमे जाकर विवाह होते हो तो उसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि अनुचित सम्बन्धो-की वृद्धि हो जायगी। इस बातको तो सभी मानते है कि शारीरिक सहवास तभी होना चाहिए जब मन और आत्मा भी उसके अनुकूल हो और इस बातपर भी सब सहमत है कि सन्तानोत्पत्ति ही उसका प्रधान उद्देश्य है; लेकिन क्या यह सच नहीं है कि वारम्बार हम जो सम्भोग करते है वह हमारे प्रेमका शारीरिक प्रदर्शन ही होता है, जिसमे सन्तानोत्पत्तिका कोई विचार या इरादा नहीं होता। तो क्या हम सब गलत ही करते आ रहे है? या, यह बात है कि धर्मका हमारे वास्तविक जीवनसे आवश्यक सम्पर्क नहीं है, जिसके कारण उसके और सर्वसाधारणके बीच खाई पड़ गई है? जबतक किसी सत्ता या शासकका, और धर्माधिकारियोंको भी मैं इन्हीमे शुमार करता हूँ, रख नौजवानोके प्रति अधिक स्पष्ट, अधिक साहसपूर्ण और वास्तविकताके अधिक अनुकूल न होगा तबतक उनकी वफादारी कभी प्राप्त नहीं होगी।

“फिर सन्तानोत्पत्तिके अलावा भी विषय-प्रेमका अपना प्रयोजन है। विवाहित जीवनमे स्वस्थ और सुखी रहनेके लिए यह अनिवार्य है। वैषयिक सहवास यदि परमेश्वरकी देन है तो उसके उपयोगका ज्ञान भी प्राप्त करनेके लायक है। अपने क्षेत्रमे यह इस तरह पैदा किया जाना चाहिए जिससे न केवल एक की; बल्कि सम्भोग करने वाले स्त्री-पुरुष दोनोकी शारीरिक तृप्ति हो। इस तरह एक-दूसरेको जो शारीरिक आनन्द प्राप्त होगा उससे उन दोनोमे एक स्थायी बन्धन स्थापित होगा, उससे उनका विवाह-सम्बन्ध स्थिर होगा। अत्यधिक विषय-प्रेमसे उतने विवाह असफल नहीं होते जितने कि अपर्याप्त और वेदगे वैषयिक प्रेमसे होते है। काम-वासना अच्छी चीज है, ऐसे अधिकांश व्यक्ति, जो किसी भी रूपमे अच्छे है, काम-भावना रखनेमे समर्थ है। काम-भावना-विहीन विषय-प्रेम तो विलकुल बेजान चीज है। दूसरी ओर ऐयाशी पेटूपनके समान एक शारीरिक अति है। अब चूँकि ‘प्रार्थना-पुस्तक’ के परिवर्द्धन पर विचार हो रहा है,

मैं यह बड़े आदरके साथ सुझाना चाहता हू कि उसके विवाह-विधानमें यह और जोड़ दिया जाय कि 'स्त्री और पुरुषके पारस्परिक प्रेमकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति ही विवाहका उद्देश्य है ।'

“अब मैं यह सब छोड़कर सन्तति-निग्रहके सबसे जरूरी प्रश्न पर आता हू । सन्तति-निग्रह स्थायी होनेके लिए आया है । वह तो अब जम चुका है . . और अच्छा हो या बुरा, उसे हमको स्वीकार करना ही होगा । इन्कार करनेसे उसका अन्त नहीं होगा । जिन कारणोंसे प्रेरित होकर अभिभावक लोग सन्तति-निग्रह करना चाहते हैं, उनमें कभी-कभी तो स्वार्थ होता है, लेकिन वे बहुधा आदरणीय और उचित ही होते हैं ॥ विवाह करके अपनी सन्तानको जीवन-सघर्षके योग्य बनाना, मर्यादित आय, जीवन-निर्वाहका खर्च, विविध करोंका बोझ—ये सब इसके लिए जोरदार कारण हैं । और फिर शिक्षितवर्गके अन्दर स्त्रियाँ अपने पतियोंके काम-धन्धों तथा सार्वजनिक जीवनमें भाग लेनेकी भी इच्छा करती हैं । यदि वे बार-बार गर्भवती होती रहे तो वे इच्छाएँ पूरी नहीं हो सकती ॥ यदि सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधनोंका सहारा न लिया जाय तो देरमें विवाह करनेका तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होनेपर उसके साथ अनुचित (गुप्त) रूपसे अपनी विषयेच्छा तृप्त करनेके विविध दुष्परिणाम सामने आयेंगे । एक ओर तो हम ऐसे अनुचित सम्बन्धोंकी बुराई करें और दूसरी ओर विवाहके मार्गमें बाधाएँ उपस्थित करें तो उससे कोई लाभ न होगा । बहुत-से लोग कहते हैं 'सम्भव है कि सन्तति-निग्रह करना ठीक हो सकता है वह तो स्वेच्छापूर्ण सयम ही है; लेकिन ऐसा सयम या तो व्यर्थ होगा या यदि उसका कोई असर पड़ा तो वह अव्यावहारिक और स्वास्थ्य व सुखके लिए हानिकर होगा ।' परिवारके लिए, मान लो, हम चार बच्चोंकी मर्यादा बना लें, तो यह विवाहित स्त्री-पुरुषके लिए एक तरहका सयम ही होगा, जो देर-देरमें सतानोत्पत्ति होनेके कारण ब्रह्मचर्यके समान ही माना जायगा । और जब हम इस बातपर ध्यान दें कि आर्थिक कठिनाईके कारण विवाहित जीवनके प्रारम्भिक वर्षोंमें बहुत कठोर सयम करना पड़ेगा, जब कि विषयेच्छा बहुत प्रबल रहती है, तो मैं

कहता हू कि वह इच्छा इतनी तीव्र होगी कि अधिकांश व्यक्तियोंके लिए उसका दमन करना असंभव होगा और यदि उसे जबरदस्ती दवानेका यत्न किया तो स्वास्थ्य और सुखपर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और नैतिकताके लिए भी वह बहुत खतरनाक होगा। यह तो विलकुल अस्वाभाविक बात है। यह तो वही बात हुई कि प्यासे आदमीके पास पानी रखकर उससे कहा जाय कि खबरदार, इसे पीना मत। नहीं, सयम द्वारा सन्तति-निग्रहसे कोई लाभ न होगा और यदि इसका असर हुआ भी तो वह विनाशक होगा।

“यह तो अस्वाभाविक और मूलतः अनैतिक बात कही जाती है। सम्भ्रताका तो काम ही यह है कि प्राकृतिक शक्तियोंको बशमें करके उन्हें इस तरह परिणत कर लिया जाय कि मनुष्य अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग कर सके। वच्चा आसानीसे पैदा करनेके लिए जब पहले-पहल औजारो (Anaesthetics) का प्रयोग शुरू हुआ तो यही शोर मचाया गया था कि ऐसा करना अस्वाभाविक और अधार्मिक काम है, क्योंकि प्रसव-पीडा सहनेके लिए ही तो भगवान्ने स्त्रियोंको बनाया है। यही बात कृत्रिम साधनोंसे सन्तति-निग्रह करनेकी है, उसमें भी इससे अधिक कोई अस्वाभाविकता नहीं है। उनका प्रयोग तो अच्छा ही है, अलवत्ता दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतमें क्या मैं यह प्रार्थना करू कि धर्माधिकारी लोग इस प्रश्नका विचार करते समय इन पुरातन परम्पराओंकी परवाह नहीं करेंगे जो व्यर्थ-सी हो गई है, बल्कि ऐसे ही अन्य कुछ प्रश्नोंकी तरह, नये मसालोंकी आवश्यकताओं और आधुनिक ज्ञानके प्रकाशमें ही इस प्रश्नपर विचार करेंगे ?”

यह कितने बड़े डॉक्टर हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन डॉक्टरके रूपमें उनका जो बडप्पन है, उसके लिए काफ़ी आदरका भाव रखते हुए भी मैं इस बातपर सन्देह करनेका साहस करता हू कि उनका यह कथन कहातक ठीक है, खासकर उस हालतमें जबकि यह उन स्त्री-पुरुषोंके अनुभवके विपरीत है, जिन्होंने आत्म-सयमका जीवन बिताया है, किन्तु उससे उनकी कोई नैतिक या शारीरिक हानि नहीं हुई। वस्तुतः वात यह है कि डॉक्टर लोग आमतौरपर उन्हीं लोगोंके सम्पर्कमें आते हैं

जो स्वास्थ्यके नियमोंकी अवहेलना करके कोई-न-कोई बीमारी मोल ले लेते हैं। इसलिए बीमारीके अच्छा होनेके लिए क्या करना चाहिए, यह तो वे अक्सर सफलताके साथ बता देते हैं, लेकिन यह बात वे हमेशा नहीं जानते कि स्वस्थ स्त्री-पुरुष किसी खास दिशामे क्या कर सकते हैं? अतएव विवाहित स्त्री-पुरुषों पर सयमके जो असर पड़नेकी बात लार्ड डासन कहते हैं उसे अत्यन्त सावधानीके साथ ग्रहण करना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि विवाहित स्त्री-पुरुष अपनी विषय-तृप्तिको स्वतः कोई बुराई नहीं मानते, उनकी प्रवृत्ति उसे वैध माननेकी ही है, लेकिन आधुनिक युगमें तो कोई बात स्वयंसिद्ध नहीं मानी जाती और हरेक चीजकी बारीकीसे छान-बीन की जाती है। अत यह मानना सरासर गलती होगी कि चूकि अवतक हम विवाहित जीवनमें विषय-भोग करते रहे हैं इसलिए ऐसा करना ठीक ही है या स्वास्थ्यके लिए उसकी आवश्यकता है। बहुत-सी पुरानी प्रथाओंको हम छोड़ चुके हैं और उसके परिणाम अच्छे ही हुए हैं। तब इस खास प्रथाको ही उन स्त्री-पुरुषोंके अनुभवकी कसौटी पर क्यों न कसा जाय, जो विवाहित होते हुए भी एक-दूसरेकी सहमतिसे सयमका जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उससे नैतिक तथा शारीरिक दोनों तरहका लाभ उठा रहे हैं?

लेकिन मैं तो, इसके अलावा, विशेष आधारपर भी भारतमें सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधनोंका विरोधी हू। भारतमें नवयुवक यह नहीं जानते कि विषय-द्रमन क्या है? इसमें उनका कोई दोष नहीं है। छोटी उम्रमें ही उनका विवाह हो जाता है, यह यहाँकी प्रथा है, और विवाहित जीवनमें सयम रखनेको उनसे कोई नहीं कहता। माता-पिता तो अपने नाती-पोते देखनेको उत्सुक रहते हैं। बेचारी बाल-पत्नियोंसे उसके आस-पास वाले यही आशा करते हैं कि जितनी जल्दी हो वे पुत्रवती हो जाय। ऐसे वातावरणमें सन्तति-विरोधक कृत्रिम साधनोंसे तो कठिनाइयाँ और बढ़ेगी ही। जिन बेचारी लड़कियोंसे यह आशा की जाती है कि वे अपने पतियोंकी इच्छा-पूर्ति करेगी, उन्हें अब यह और सिखाया जायगा कि बच्चे पैदा तो न करे, पर विषय-भोग किये जायं, इसीमें उनका भला है। और इस दुहरे

उद्देश्यकी सिद्धिके लिए उन्हे सन्तति-निरोधके कृत्रिम साधनोका सहारा लेना होगा ।।।

मैं तो विवाहित बहनोंके लिए इस विद्याको बहुत घातक समझता हूँ । मैं यह नहीं मानता कि पुरुषकी तरह स्त्रीकी काम-वासना भी अदम्य होती है । मेरी समझमें, पुरुषकी अपेक्षा स्त्रीके लिए आत्म-संयम करना ज्यादा आसान है । हमारे देशमें जरूरत बस इसी बातकी है कि स्त्री अपने पति तकसे 'न' कह सके, ऐसी सुशिक्षा स्त्रियोको मिलनी चाहिए । स्त्रियोको हमें यह सिखा देना चाहिए कि वे अपने पतियोके हाथकी कठपुतली या औजार-मात्र बन जाय, यह उनके कर्तव्यका अंग नहीं है । और कर्तव्यकी ही तरह उनके अधिकार भी हैं । जो लोग सीताको रामकी आज्ञानु-वर्तिनी दासीके रूपमें ही देखते हैं वे इस बातको महसूस नहीं करते कि उनमें स्वाधीनताकी भावना कितनी थी और राम हरेक बातमें उनका कितना खयाल रखते थे । भारतकी स्त्रियोमें सन्तति-निरोधके कृत्रिम साधन अस्तित्वात् करनेके लिए कहना तो विलकुल उल्टी बात है । सबसे पहले तो उन्हे मानसिक दासतासे मुक्त करना चाहिए, उन्हे अपने शरीरकी पवित्रताकी शिक्षा देकर राष्ट्र और मानवताकी सेवामें कितना गौरव है, इस बातकी शिक्षा देनी चाहिए । यह सोच लेना ठीक नहीं है कि भारतकी स्त्रियोका तो उद्धार ही नहीं हो सकता, और इसलिए सन्तानोत्पत्तिमें रुकावट डालकर अपने रहे-सहे स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए उन्हे सिर्फ सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधन ही सिखा देने चाहिए ।

जो बहनें सचमुच उन स्त्रियोके दुःखसे दुखी हैं, जिन्हें इच्छा हो या न हो फिर भी बच्चोंके झमेलेमें पडना पडता है, उन्हे अधीर नहीं होना चाहिए । वे जो-कुछ चाहती हैं, वह एकदम तो कृत्रिम सन्तति-निरोधके साधनोंके पक्षमें आन्दोलनसे भी नहीं होनेवाला है । हरेक उपायके लिए सवाल तो शिक्षाका ही है । इसलिए मेरा कहना यही है कि वह हो अच्छे ढंगकी ।

हरिजन सेवक,

२ मई १९३६

## फिर वही संयमका विषय

एक सज्जन लिखते हैं :

“इन दिनों आपने ब्रह्मचर्यपर जो लेख लिखे हैं, उनसे लोगोमें खलबली-सी मच गई है। जिनकी आपके विचारोंके साथ सहानुभूति है उन्हें भी लम्बे असेतक समय रख सकना मुश्किल पड रहा है। उनकी यह दलील है कि आप अपना ही अनुभव और अभ्यास सारी मानव-जातिपर लागू कर रहे हैं; परन्तु आपने खुद भी तो कबूल किया है कि आप पूरे ब्रह्मचारीकी शर्तें पूरी नहीं कर सकते; क्योंकि आप स्वयं विकारसे खाली नहीं हैं और चूँकि आप यह भी मानते हैं कि दम्पतिको सतानकी सख्या सीमित रखनेकी जरूरत है, इसलिए अधिकांश मनुष्योंके लिए तो एक यही व्यावहारिक उपाय है कि वे सतति-निरोधके कृत्रिम साधन काममें लावे।”

मैं अपनी मर्यादाएँ स्वीकार कर चुका हूँ। इस विवादमें तो ये ही मेरे गुण हैं। कारण, मेरी मर्यादाओंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं भी अधिकांश मनुष्योंकी भाँति दुनयवी आदमी हूँ और असाधारण गुणवान् होनेका मेरा दावा भी नहीं है। मेरे संयमका हेतु भी बिलकुल मामूली था। मैं तो देश या मनुष्य-समाजकी सेवाके खयालसे सन्तान-वृद्धि रोकना चाहता था। देश या समाजकी सेवाकी बात दूरकी है। इसकी अपेक्षा बड़े कुटुम्बका पालन न कर सकना सतति-नियमनके लिए अधिक प्रबल कारण होना चाहिए। वर्तमान दृष्टिकोणसे इस पैतीस वर्षके समयमें मुझे सफलता मिली है। फिर भी मेरा विकार नष्ट नहीं हुआ है और उसके विषयमें मुझे आज भी जागरूक रहनेकी जरूरत है। इससे भली-भाँति सिद्ध है कि मैं बहुत-कुछ साधारण मनुष्य हूँ। इसलिए मेरा कहना

है कि जो बात मेरे लिए सम्भव हुई है वही दूसरे किसी भी प्रयत्नशील मनुष्यके लिए सम्भव हो सकती है ।

कृत्रिम उपायोके समर्थकोके साथ मेरा झगडा इस बातपर है कि वे यह मान बैठे हैं कि मामूली मनुष्य सयम रख ही नहीं सकता । कुछ लोग तो यहातक कहते हैं कि यदि वह समर्थ हो भी तो उसे नयम नहीं रखना चाहिए । ये लोग अपने क्षेत्रमे कितने भी बडे आदमी हो, मैं अत्यन्त विनम्रता किन्तु विश्वासके साथ कहूंगा कि उन्हें इस बातका अनुभव नहीं है कि सयमसे क्या-क्या हो सकता है । उन्हें मानवीय आत्माके मर्यादित करनेका कोई हक नहीं है । ऐसे मामलोमे मेरे जैसे एक आदमीकी निश्चित गवाही भी, यदि वह विश्वस्त हो, तो न केवल अधिक मूल्यवान है, बल्कि निर्णायक भी है । सिर्फ इसी वजहसे कि मुझे लोग 'महात्मा' समझते हैं, मेरी गवाहीको निकम्मी करार दे देना गम्भीर खोजकी दृष्टिसे उचित नहीं है ।

परन्तु एक बहनकी दलील और भी जोरदार है । उनके कहनेका मतलब यह है—“हम कृत्रिम उपायोके समर्थक लोग तो हाल हीमे सामने आये हैं । मैदान आप सयमके समर्थकोके हाथमे पीढियोसे, शायद हजारो वर्षोंसे, रहा है, तो आप लोगोने क्या कर दिखाया ? क्या दुनियाने सयमका सवक सीख लिया है ? बच्चोके भारसे लदे हुए परिवारोकी दुर्दशा रोकनेके लिए आप लोगोने क्या किया है ? आहत माताओकी पुकारको आप लोगोने सुना है ? आइए, अब भी मैदान आप लोगोके लिए खाली है । आप सयमका समर्थन करते रहिए, हमे इसकी चिन्ता नहीं है, और अगर आप पतियोकी जवर्दस्तीमे स्त्रियोको बचा सके तो हम आपकी सफलता भी चाहेगे, मगर आप हमारे तरीकोकी निन्दा क्यों करते हैं ? हम तो मनुष्यकी साधारण कमजोरियो और आदतोके लिए गुजाइश रखकर चलते हैं और हम जो उपाय करते हैं अगर उनका ठीक-ठीक प्रयोग किया जाय, तो वे करीव-करीव अचूक सावित होते हैं ।”

इस व्यगमे स्त्री-हृदयकी पीडा भरी हुई है । जो कुटुम्ब बच्चोकी बढ़ती हुई सख्याके मारे सदा दरिद्र रहते हैं, उनके लिए इस बहनका

हृदय दयासे भर गया है। यह सभी जानते हैं कि मानवीय दुःखकी पुकार पत्थरके दिलोको भी पिघला देती है। भला यह पुकार उच्चात्मा बहनोको प्रभावित किये बिना कैसे रह सकती है ? पर अगर हम भावावेशमें बह जाय और डूबतेकी तरह किसी भी तिनकेका सहारा ढूढने लगे तो ऐसी पुकार हमें आसानीसे गुमराह भी कर सकती है।

हम ऐसे जमानेमें रह रहे हैं, जिसमें विचार और उनके महत्व बहुत जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं। धीरे-धीरे होनेवाले परिणामोंसे हमको सतोष नहीं होता। हमें अपने इन सजातीय, बल्कि केवल अपने ही देशकी भलाईसे तसल्ली नहीं होती। हमें सारे मानव-समाजका खयाल होता है, मानवताकी उद्देश्य-सिद्धिमें यह कम सफलता नहीं है।

परन्तु मानवीय दुःखोका इलाज धीरज छोडनेसे नहीं होगा और सब पुरानी बातोंको सिर्फ पुरानी होनेकी वजहसे छोड देनेसे होगा। हमने पूर्व जन्ममें भी वे ही स्वप्न देखे थे जो आज हमें उत्साहसे अनुप्राणित कर रहे हैं। शायद उन स्वप्नोंमें इतनी स्पष्टता न रही हो। यह भी संभव है कि एक ही प्रकारके दुःखोका जो उपाय उन्होंने बताया वह हमारे मानसके आशातीत रूपमें विशाल हो जानेपर लागू हो। और मेरा दावा तो निश्चित अनुभवके आधार पर यह है कि जिस तरह सत्य और अहिंसा मुट्ठी-भर लोगोंके लिए ही नहीं है, बल्कि सारे मनुष्य-समाजके लिए रोजमर्राके कामकी चीजे हैं, ठीक उसी तरह सयम थोडे-से महात्माओंके लिए नहीं, बल्कि सब मनुष्योंके लिए है। और जिस तरह बहुत-से आदमियोंके झूठे और हिंसक होनेपर भी मनुष्य-समाजको अपना आदर्श नीचा नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार बहुतसे या अधिकांश लोग भी सयमका सदेश स्वीकार न कर सके तो इस विषयमें भी हमें अपना आदर्श नीचा नहीं करना चाहिए।

बुद्धिमान् न्यायाधीश वह है जो विकट मामला सामने होनेपर भी गलत फैसला नहीं करता। लोगोंकी नजरोंमें वह अपनेको कठोर हृदय वन जाने देगा; क्योंकि वह जानता है कि कानूनको बिगाड़ देनेमें सच्ची दया नहीं है। हमें नाशवान शरीर या इन्द्रियोंकी दुर्बलताको भीतर

विराजमान अविनाशी आत्माकी दुर्बलता नहीं समझ लेना चाहिए। हमें तो आत्माके नियमानुसार शरीरको साधना चाहिए। मेरी विनम्र सम्मतिमें ये नियम थोड़े-से और अटल हैं और इन्हे सभी मनुष्य समझ और पाल सकते हैं। इन नियमोंको पालनेमें कम-ज्यादा सफलता मिल सकती है, पर ये लागू तो सभीपर होते हैं। अगर हममें श्रद्धा है तो उसे सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि मनुष्य-समाजको अपने ध्येयकी प्राप्तिमें या उसके निकट पहुंचनेमें लाखों बरस लगेंगे। 'जवाहरलाल' की भाषामें, हमारी विचार-सरणी ठीक होनी चाहिए।

परन्तु उस बहनकी चुनौतीका जवाब देना तो बाकी ही रह गया। सयमवादी हाथ-पर-हाथ धरे नहीं बैठे हैं। उनका प्रचार-कार्य जारी है। जैसे कृत्रिम साधनोंसे उनके साधन भिन्न हैं, वैसे ही उनका प्रचारका तरीका अलग है, और होना चाहिए। सयमवादियोंको चिकित्सालयोंकी जरूरत नहीं है, वे अपने उपायोंका विज्ञापन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह कोई बेचने या दे देनेकी चीज़ें तो हैं नहीं। कृत्रिम साधनोंकी टीका करना और उनके उपयोगसे लोगोंको सचेत करते रहना इस प्रचार-कार्यका ही अंग है। उनके कार्यका रचनात्मक पक्ष तो सदा रहा ही है, किन्तु वह तो स्वभावतः ही अदृश्य होता है। सयमका समर्थन कभी बन्द नहीं किया गया है और इसका सबसे कारगर तरीका आचरणीय है। सयमका सफल अभ्यास करनेवाले सच्चे लोग जितने ज्यादा होंगे उतना ही यह प्रचार-कार्य अधिक कारगर होगा।

हरिजन सेवक,

३० मई १९३६

## संयम द्वारा सन्तति-निग्रह

निम्नलिखित पत्र मेरे पास बहुत दिनों पड़ा रहा :

“आजकल सारी दुनियामे सन्तति-निग्रहका समर्थन हो रहा है। हिन्दुस्तान भी उससे बाहर नहीं। आपके सयम-सम्बन्धी लेखोको मैंने पढा है। सयममे मेरा विश्वास है।

अहमदाबादमे थोड़े दिन पहले एक सन्तति-निग्रह-समिति स्थापित हुई है। ये लोग दवा, टिकिया, ट्यूब वगैरहका समर्थन करके स्त्रियोको हमेशाके लिए सभोगवती करना चाहते हैं।

मुझे आश्चर्य होता है कि जीवनके अखीरी किनारे पर बैठे हुए लोग किसलिए प्रजाको निचोड डालनेकी हिमायत करते हैं !

इसके बजाय सन्तति-नियमन-समिति स्थापित की होती तो ? आप गुजरात पधार रहे हैं, इसलिए मेरी ऊपरकी प्रार्थना ध्यानमे रखकर गुजरातके नारी-तेजको प्रकाश दीजिएगा।

आजके डॉक्टर और वैद्य मानते हैं कि रोगियोको सयमका पाठ सिखानेसे उनकी कमाई मारी जायगी और उन्हें भूखो मरना पडेगा।

इस प्रकारके सन्तति-निग्रहसे समाज बहुत गहरे और अधेरे खड्डमे चला जायगा। उसे अगर ऊपर और प्रकाशमे रहना है तो सयमको अपनाये बिना छुटकारा नहीं। वगैर सयमके मनुष्य कभी ऊचा नहीं चढ सकेगा। इससे तो जितना व्यभिचार आज है, उससे भी अधिक बढेगा। और फिर रोगका तो पूछना ही क्या ?”

इस बीचमे मैं अहमदाबाद हो आया हू। उपर्युक्त विषयपर तो मुझे वहा अपने विचार प्रकट करनेका अवसर मिला नहीं; पर लेखकके इस कथनको मैं अवश्य मानता हू कि सन्तति-निग्रहका नियमन केवल

सयमसे ही सिद्ध किया जाय । दूसरी रीतिसे नियमन करनेमें अनेक दोष उत्पन्न होनेकी सम्भावना है । जहा इस नियमने घर कर लिया है, वहा दोष साफ दिखाई दे रहे हैं । इसमें कोई आश्चर्य नहीं, जो सयम-रहित नियमनके समर्थक इन दोषोको नहीं देख सकते, क्योंकि सयम-रहित नियमनने नीतिके नामसे प्रवेश किया है ।

अहमदावादमें जो समिति बनाई गई है उसके हेतुके विषयमें यह कहना ज्यादाती है कि लेखकने जैसा लिखा है वह वैसा ही है, पर उसका हेतु चाहे जैसा हो, तो भी उसकी प्रवृत्तिका परिणाम तो अवश्य विषय-भोग बढ़ानेमें ही आना है । पानीको उडले तो वह नीचे ही जायगा, इसी तरह विषय-भोग बढ़ानेवाली युक्तिया रची जायगी तो उनसे वह भोग बढेगा ही ।

इसी प्रकार डॉक्टर और वैद्य सयमका पाठ सिखाय तो उनकी कमाई मारी जायगी, इससे वे सयम नहीं सिखाते, ऐसा मानना भी ज्यादाती है । सयमका पाठ सिखाना डॉक्टर-वैद्योंने अपना क्षेत्र आजतक माना नहीं, मगर डॉक्टर और वैद्य इस तरफ ढलते जा रहे हैं, इस बातके चिह्न जरूर नजर आते हैं । उनका क्षेत्र व्याधियोके कारण शोधने और रोग मिटानेका है । अगर वे व्याधियोके कारणोंमें असयम-स्वच्छदताको अग्रस्थान न देगे तो यह कहना चाहिए कि उनका दिवाला निकलनेका समय आ गया है । ज्यो-ज्यो जन-समाजकी समझ-शक्ति बढती जाती है, त्यो-त्यो उसे, अगर रोग जड-मूलसे नष्ट न हुआ तो सन्तोष होनेका नहीं और जबतक जन-समाज सयमकी ओर नहीं ढलेगा, व्याधियोको रोकनके नियमोंका पालन नहीं करेगा, तबतक आरोग्यकी रक्षा करना अशक्य है । यह इतना स्पष्ट है कि अन्तमें इसपर सभी कोई ध्यान देगे, और प्रामाणिक डॉक्टर सयमके मार्ग पर अधिक-से-अधिक जोर देगे । सयम-रहित निग्रह भोग बढ़ानेमें अधिक-से-अधिक हाथ बटायगा, इस विषयमें मुझे तो शका नहीं । इसलिए अहमदावादकी समिति अधिक गहरे उतरकर असयमके भयकर परिणामोंपर विचार करके स्त्रियोंको सयमकी सरलता और आवश्यकताका ज्ञान करानेमें अपने समयका उपयोग करे, तो आवश्यक परिणाम प्राप्त हो सकेगा, ऐसा मेरा नम्र अभिप्राय है । (हरिजन सेवक, १२.६.३६)

## भ्रष्टताकी और

एक युवकने लिखा है :

“संसारका काया-कल्प करनेके लिए आप चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य सदाचारी हो जाय, पर मेरी समझमें ठीक-ठीक नहीं आ रहा है। आखिर इस सच्चरित्रतासे आपका क्या अभिप्राय है ? यह केवल स्त्री-पुरुषतक ही सीमित है या आपका मतलब मनुष्यके समस्त व्यवहारसे है ? मुझे तो शक है कि आपका मतलब केवल स्त्री-पुरुषोंके सम्बन्ध तक ही सीमित है, क्योंकि आप अपने पूजापति और जमींदार दोस्तोंको तो कभी-कभी यह बतानेका कष्ट नहीं करते कि वे कैसे अन्याय-पूर्वक मजदूरों और किसानोंका पेट काट-काटकर अपनी जेब भरते रहते हैं। वहां बेचारे युवक और युवतियोंकी चारित्रिक गलतियों पर उनकी निन्दा और ताड़ना करते हुए आप कभी थकते ही नहीं; और सदा उनके सामने ब्रह्मचर्य-व्रतका आदर्श उपस्थित करते रहते हैं। आपका यह दावा है कि आप भारतीय युवकोंके हृदयकी जानते हैं। मैं किसीका प्रतिनिधि होनेका दावा नहीं करता; पर एक युवककी हैसियतसे ही मैं कहता हू कि आपका यह दावा गलत है। मालूम होता है, आपको पता ही नहीं कि आजकलके मध्यम-वर्गके युवकोंको किन परिस्थितियोंमेंसे गुजरना पड़ता है। बेकारीकी यह भयकर चिंता, आदमीको पीस डालनेवाली ये सामाजिक रुढियाँ और परम्पराएँ, और सहस्रोंका यह प्रलोभनकारी विधातक वातावरण, इनके बीच वह बेचारा आन्दोलित होता रहता है। नवीनता और प्राचीनताका यह संघर्ष उसकी सारी शक्तियोंको चूर-चूर कर रहा है और वह हार कर लाचार हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इन बेचारोंको धोड़ी रहमकी नजरसे देखिए, दया कीजिए। उन्हें ब्रह्मचर्य अपने मनुष्यासाधनके नीति-

शास्त्रकी कसौटी पर न कसिये । मेरा तो खयाल है कि अगर दोनोकी मर्जी हो और परस्पर प्रेम हो तो स्त्री-पुरुष, चाहे वे पति-पत्नी न भी हो तो भी आखिर जो चाहे कर सकते हैं । मेरी रायमें तो वह सदाचार ही होगा । और जबसे सन्तति-नियमनके कृत्रिम साधनोका आविष्कार हुआ है, सयोग-व्यवस्थाकी दृष्टिसे विवाह-प्रथाका नैतिक आधार तो छिन्न-भिन्न हो गया है । अब तो केवल बच्चोके पालन-पोषण और रक्षा-भरके लिए उसका उपयोग रह गया है । ये बातें सुनकर शायद आपके दिलको चोट पहुंचेगी, पर मैं प्रार्थना करता हू कि आजकलके युवकोको भला-बुरा कहनेसे पहले कृपया अपनी तरुणाईको न भूलियेगा । आप खुद क्या कम कामी थे । कितना विषय-भोग करते थे ? मैथुनके प्रति आपकी घृणा शायद आपकी इस अतिका ही परिणाम है । इसलिए अब आप ऐसे सन्यासी बन रहे हैं और इसमें आपको पाप-ही-पाप नजर आता है । अगर तुलना ही करने लगे तो मेरा तो खयाल है कि आजकलके कई युवक इस विषयमें जरूर आपसे बेहतर सावित होंगे ।”

इस तरहके अनेक पत्र मेरे पास आते हैं । इस युवकसे मेरा परिचय हुए लगभग तीन महीने हुए होंगे, पर इतने थोड़े समयमें ही जहातक मुझे पता है, इसके अन्दर कई परिवर्तन हो चुके हैं । अब भी वह एक गम्भीर परिस्थितिमेंसे ही गुजर रहा है । ऊपरका उद्धरण तो उसके एक लम्बे पत्रका अंश है । उसके और भी पत्र मेरे पास हैं, जिन्हे अगर मैं चाहू तो प्रकाशित कर सकता हू, और उसे प्रसन्नता ही होगी, पर मैंने ऊपर जो अंश दिया है वह कितने ही युवकोके विचारों और प्रवृत्तियोंको प्रगट करता है ।

वेशक युवक और युवतियोंसे मुझे अवश्य सहानुभूति है । अपनी जवानीके दिनोकी भी मुझे अच्छी तरह याद है । मुझे तो देशके युवकोपर श्रद्धा है, इसीलिए तो उनकी समस्याओपर विचार करते हुए मैं कभी थकता नहीं ।

मेरे लिए तो नीति, सदाचार और धर्म एक ही बात है । आदमी अगर पूरी तरहसे सदाचारी हो, पर धार्मिक न हो, तो उसका जीवन बालू-

पर खडे किये गये मकानकी तरह समझिए । इसी तरह भ्रष्ट चरित्रका धर्माचरण भी दूसरोको दिखाने-भरके लिए और साम्प्रदायिक उपद्रवोका कारण होता है । नीतिमे सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य भी आ जाता है । मनुष्य-जातिने आजतक सदाचारके जितने नियमोका पालन किया है वे सब इन तीन सर्व-प्रधान गुणोसे सम्बन्धित या प्राप्त हो सकते हैं । ओर अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य सत्यसे प्राप्त हो सकते हैं, जो मेरे लिए प्रत्यक्ष ईश्वर ही हैं ।

सयम-हीन स्त्री या पुरुष तो गया-बीता समझिए । इन्द्रियोको निरंकुश छोड देने वालेका जीवन कर्णधार-हीन नावके समान है, जो निश्चय ही पहली चट्टानसे ही टकराकर चूर-चूर हो जायगी । इसलिए मैं सदैव-से सयम और ब्रह्मचर्यपर इतना जोर दे रहा हूँ । पत्र-प्रेषकके इस कथनमे यहातक तो जरूर सत्य है कि इन सन्तति-निरोधक साधनोने स्त्री-पुरुषोकी सम्बन्ध-विषयक समाजकी कल्पनाओको काफी बदल दिया है, पर अगर संयोगको नीति-युक्त बनानेके लिए स्त्री-पुरुषकी—चाहे वे पति-पत्नी हो या न भी हो—केवल पारस्परिक अनुमति ही का होना काफी हो, तब तो इसी युक्तिके अनुसार समान लिंग वाले दो व्यक्तियोके बीचका सम्बन्ध भी नीतियुक्त बन जायगा और सयोग-व्यवस्था-सम्बन्धी सारी मर्यादा ही नष्ट हो जायगी । और तब तो निस्सदेह देशके युवकोके भाग्यमे सिवा परामभव और दुर्दशाके और कुछ है ही नहीं । हिन्दुस्तानमे ऐसे कई पुरुष और स्त्रिया है, जो विषय-वासनामे बुरी तरह फसे हुए हैं, पर अगर उससे मुक्त हो सके तो वे बहुत खुश हो । विषय-वासना ससारके किसी भी नशेसे अधिक मादक है । यह आशा करना बेकार है कि सन्तति-निरोधक साधनोका व्यवहार सन्तति-नियमन तक ही सीमिति रहेगा । हमारे जीवनके शुद्ध, सभ्य रहनेकी तभीतक आशा की जा सकती है, जबतक कि सयोगसे प्रजननका निश्चित सम्बन्ध है । यह मान लेनेपर अप्राकृतिक मैथुन तो विलकुल उड जाता है, और कुछ हदतक पर-स्त्री-गमनपर भी नियन्त्रण हो जाता है । सयोगको उसके स्वाभाविक परिणामसे अलग करनेका अवश्यम्भावी परिणाम यही होगा कि समाजसे स्त्री-पुरुषकी

सयोग-सम्बन्धी सारी मर्जादा उठ जायगी और अगर सद्भाग्यसे अप्राकृतिक व्यभिचारको प्रत्यक्ष प्रोत्साहन न भी मिला तो भी समाजमें निर्गुण व्यभिचार फेंके बिना नहीं रहेगा ।

सयोग-समस्या पर विचार करते समय अपना व्यक्तिगत अनुभव कहना भी अनुचित न होगा । जिन पाठकोने मेरी 'आत्म-कथा' नहीं पढ़ी है, वे मेरी विषय-लोलुपताके विषयमें कहीं इस पत्र-प्रेषककी तरह अपने विचार न बना ले । सबसे पहली बात तो यह है कि मैं चाहे कितना ही विपयी रहा होऊँ, मेरी विषय-वृत्ति अपनी पत्नीतक ही सीमिति थी । फिर मैं एक बहुत बड़े परिवारमें रहता था, जिससे रातके कुछ घटोको छोड़कर हमें एकांत कभी मिलता ही न था । दूसरे तेईस वर्षकी अवस्थामें ही मैं इतना समझने लायक हो गया था कि महज भोगके लिए सयोग करना निरी ब्रेवकूफी है और सन् १८८६ में, यानी जब मैं तीस सालका था, पूर्ण ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा लेनेका मैं निश्चय कर चुका था । मुझे सन्यासी कहना गलत होगा । मेरे जीवनके नियमात्मक आदर्श तो सारी मानवताके लिए ग्रहण करने योग्य हैं । मैंने उन्हें धीरे-धीरे, ज्यो-ज्यो मेरा जीवन-विकास होता गया, प्राप्त किया है । हरेक कदम मैंने पूरी तरह सोच-समझकर गहरे मननके वाद रखा है । ब्रह्मचर्य और अहिंसा दोनों मेरे व्यक्तिगत अनुभवसे मुझे प्राप्त हुए हैं, और अपने सार्वजनिक कर्तव्योको पूरा करनेके लिए उनका पालन नितान्त आवश्यक था । दक्षिण अफ्रीकामें एक गृहस्थ, एक वैरिस्टर, एक समाज-सुधारक अथवा एक राजनीतिज्ञकी हैसियतसे मुझे जन-समूहसे पृथक् जीवन व्यतीत करना पडा है । उस जीवनमें अपने उपर्युक्त कर्तव्योके पालनार्थ मेरे लिए यह जरूरी हो गया है कि मैं कठोर सयमका पालन करू तथा अपने देश-भाइयो और यूरोप-निवासियोके साथ मनुष्यकी हैसियतसे व्यवहार करते हुए सत्य और अहिंसाका उतनी ही कडाईसे पालन करू ।

मैं एक मामूली आदमी हू । मुझमें जरा भी विवेक नहीं, और योग्यता तो मामूलीसे कम है । मेरे इस अहिंसा और ब्रह्मचर्यके व्रतके पालनमें भी कोई वधाई देने लायक बात नहीं, क्योंकि ये तो वर्षोंके निरन्तर प्रयाससे

मेरे लिए साध्य हुआ है । हर पुरुष और स्त्री साध्य कर सकते हैं, बशर्ते कि वे भी उसी प्रयास, आशा और श्रद्धासे चले । श्रद्धाहीन कार्य अतल खाईकी थाह लेनेका प्रयत्न करनेकी तरह है ।

हरिजन सेवक,

३ अक्टूबर १९३६

## कैसी नाशकारी चीज़ है !

डॉ० सोखे और डॉ० मगलदासके बीच हाल हीमें जो उस वारह-मासी विषय अर्थात् सन्तति-निरोधपर वाद-विवाद हुआ था, उससे मुझे परमादरणीय डॉ० अन्सारीके मतको प्रकट करनेकी हिम्मत हो रही है, जो डॉ० मगलदासके समर्थनमें है। करीबन एक सालकी बात है। मैंने स्वर्गीय डॉ० साहवको लिखा था कि वैद्यककी दृष्टिसे आप इस विवाद-ग्रस्त विषयमें मेरे मतका समर्थन कर सकते हैं या नहीं? मुझे यह जानकर आश्चर्य और खुशी हुई कि उन्होंने मेरा समर्थन किया। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था, तब इस विषयमें उनसे मेरी रू-बरू बातचीत हुई थी और मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने अपने निजी तथा अपने अन्य व्यवसाय-बन्धुओंके अनुभवके आधारपर सप्रमाण अको सहित यह सिद्ध करनेके लिए कि, इन कृत्रिम साधनोका उपयोग करनेवालोको कितनी जवर्दस्त हानि पहुच रही है, एक लेख-माला लिखनेका वचन दिया था। उन्होंने तो उन मनुष्योकी दयनीय अवस्थाका हू-बहू वर्णन सुनाया था जो यह जानते हुए कि उनकी पत्निया और अन्य स्त्रिया सन्तति-निरोधके कृत्रिम साधनोको काममें ला रही हैं, उनसे कुछ दिन सम्भोगके स्वाभाविक परिणामके भयसे मुक्त होनेपर वे अमर्यादित भोग-विलासपर टूट पड़े। नित्य नई-नई औरतोसे मिलनेकी उन्हे अदम्य लालसा होने लगी और आखिर पागल हो गए। आह ! डॉक्टर साहव अपनी उस लेखमाला-को शुरू करने ही वाले थे कि चल वसे !

कहा जाता है कि वर्नाडिशाने भी यही कहा है कि सन्तति-निरोधक साधनोका उपयोग करनेवाले स्त्री-पुरुषोका सम्भोग तो प्रकृति-विरुद्ध

वीर्य-नाशसे किसी प्रकार कम नहीं है । एक क्षण-भर सोचनेसे पता चल जायगा कि उनका कथन कितना यथार्थ है ।

इस बुरी टेवके शिकार बनकर धीरे-धीरे अपने पौरुषसे हाथ धो लेनेवाले विद्यार्थियोंके कहरणा-जनक पत्र तो मुझे करीब-करीब रोज मिलते हैं । कभी-कभी शिक्षकोंके भी खत मिलते हैं । 'हरिजन-सेवक' में लाहौरके सनातनधर्म कालेजके आचार्यका जो पत्रव्यवहार प्रकाशित हुआ था, वह भी पाठकोंको पता होगा, जिसमें उन्होंने उन शिक्षकोंके विरुद्ध बड़ी बुरी तरह शिकायत की थी, जो अपने विद्यार्थियोंके साथ अप्राकृतिक व्यभिचार करते थे । इससे उनके शरीर और चरित्रकी जो दुर्गति हुई थी उसका भी जिक्र आचार्यजीने अपने पत्रमें किया था । इन उदाहरणोंसे तो मैं यही नतीजा निकालता हू कि अगर पति-पत्नीके बीचमें भी मैथुनके स्वाभाविक परिणामके भयसे मुक्त होनेकी सभावनाको लेकर सभोग होगा, तो उसका भी वही घातक परिणाम होगा, जो प्रकृति-विरुद्ध मैथुन-से निश्चित रूपसे होता है ।

निस्सन्देह कृत्रिम साधनोंके बहुत-से हिमायती परोपकारकी भावनासे ही प्रेरित होकर इन चीजोंका अन्धाधुन्ध प्रचार कर रहे हैं; पर यह परोपकार अस्थायी है । मैं इन भले आदमियोंसे अनुरोध करता हू कि इसके परिणामोंका तो खयाल करे । वे गरीब लोग कभी पर्याप्त मात्रामें इनका उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिनतक यह उपकारी पुरुष पहुँचाना चाहते हैं । और जिन्हें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए वे ज़रूर इनका उपयोग करेंगे, और अपने साथियोंका नाश करेंगे, पर अगर यह पूरी तरहसे सिद्ध हो जाता कि शारीरिक या नैतिक आरोग्यकी दृष्टिसे यह चीज लाभदायक है, तो यह भी सह लिया जाता । इनके और भावी सुधारकोंके लिए डॉ० अन्तारीकी राय—अगर उसके विषयमें मेरे शब्दोंको कोई प्रामाण्य माने—एक गम्भीर चेतावनी है ।

हरिजन सेवक,

१२ अगस्त १९३६

## अश्लील विज्ञापन

एक मासिक पत्रमे प्रकाशित एक अत्यन्त वीभत्स पुस्तकके विज्ञापनकी कतरन एक बहनने मुझे भेजी है और लिखा है :

‘ .के पृष्ठो पर नज़र डालते हुए यह विज्ञापन मेरे देखनेमे आया । मैं नहीं जानती कि यह मासिक पत्र आपके पास जाता है या नहीं । आपके पास यह जाता भी हो तो भी मेरे खयालमे इसकी तरफ नज़र डालनेका आपको कभी समय नहीं मिलता होगा । पहले भी एक बार मैंने आपसे “अश्लील विज्ञापनो” के वारेमे बात की थी । मेरी यह बड़ी ही इच्छा है कि इस विषयमे आप किसी समय कुछ लिखे । जिस पुस्तकका यह विज्ञापन है उस किस्मकी पुस्तकोकी आज बाज़ारमे बाढ-सी आ रही है, यह विलकुल सच्ची बात है, पर . जैसे जवाबदार पत्रोके लिए क्या यह उचित है कि वे ऐसी गन्दी पुस्तकोकी विक्रीको प्रोत्साहन दे ? इन चीजोसे मेरा स्त्री-हृदय इतना अधिक दुखता है कि मैं सिवा आपके और किसीको लिख नहीं सकती । ईश्वरने स्त्रीको एक विशेष उद्देश्यके लिए जो वस्तु दी है उसका विज्ञापन लम्पटताको उत्तेजन देनेके लिए किया जाय, यह चीज इतनी हीन है कि इसके प्रति घृणा शब्दोसे प्रकट नहीं की जा सकती । मैं चाहती हू कि इस सम्बन्धमे भारतके प्रमुख अखबारो और मासिक-पत्रोकी क्या जवाबदारी है, इसके वारेमे आप लिखे । आपके पास आलोचनाके लिए भेज सकू, ऐसी यह कोई पहली ही कतरन नहीं है ।”

इस विज्ञापनमे से कुछ भी अश मैं यहा उद्धृत करना नहीं चाहता । पाठकोमे सिर्फ इतना ही कहता हू कि जिस पुस्तकका यह विज्ञापन है उसमेके व्यजित लेखोका वर्णन करनेमे जितनी अश्लील भाषाका उपयोग किया जा सकता है उतना किया गया है । इस पुस्तकका नाम ‘स्त्रीके शरीरका

सौन्दर्य' है; और विज्ञापन देनेवाली फर्म पाठकोसे कहती है कि जो यह पुस्तक खरीदेगा उसे 'नववधूके लिए नया ज्ञान' और 'सम्भोग अथवा सभोगीको कैसे रिभाया जाय ?' नामक यह दो पुस्तके और मुफ्त दी जायगी ।

इस किस्मकी पुस्तकोका विज्ञापन करने वालोको मैं किसी तरह रोक सकता हू या पत्र-सम्पादको और प्रकाशकोसे उनके अखबारो द्वारा मुनाफा उठानेका इरादा मैं छुडवा सकता हू, ऐसी आशा अगर यह बहन रखती है तो वह व्यर्थ है । ऐसी अश्लील पुस्तको या विज्ञापनोके प्रकाशकोसे मैं चाहे जितनी अपील करू उससे कोई मतलब निकलनेका नहीं; किंतु मैं इस पत्र लिखनेवाली बहनसे और ऐसी ही दूसरी विदुषी बहनोसे इतना कहना चाहता हू कि वे बाहर मैदानमे आय और जो काम खास करके उनका है, और जिसके लिए उनमे खास योग्यता है, उस कामको वे शुरू कर दे । अक्सर देखनेमे आया कि किसी मनुष्यको खराब नाम दे दिया जाता है और कुछ समय बाद वह स्त्री या पुरुष ऐसा लमानेगता है कि वह खुद खराब है । स्त्रीको 'अवला' कहना उसे बदनाम करना है । मैं नहीं जानता कि स्त्री किस प्रकार अवला है । ऐसा कहनेका अर्थ अगर यह हो कि स्त्रीमे पुरुषकी जैसी पाशविक वृत्ति नहीं है या उतनी मात्रामे नहीं है जितनी कि पुरुषमे होती है, तो यह आरोप माना जा सकता है, पर यह चीज तो स्त्रीको पुरुषकी अपेक्षा पुनीत बनानेवाली है, और स्त्री पुरुषकी अपेक्षा पुनीत तो है ही । वह अगर आघात करनेमे निर्बल है तो कष्ट सहन करनेमे बलवान है । मैंने स्त्रीको त्याग और अहिंसाकी मूर्ति कहा है । अपने शील या सतीत्वकी रक्षाके लिए पुरुषपर निर्भर न रहना उसे सीखना है । पुरुषने स्त्रीके सतीत्वकी रक्षा की हो ऐसा एक भी उदाहरण मुझे मालूम नहीं । वह ऐसा करना चाहे तो भी नहीं कर सकता । निश्चय ही रामने सीताके या पाचों पाण्डवोने द्रौपदीके शीलकी रक्षा नहीं की । इन दोनो सतियोने अपने सतीत्वके बलसे ही अपने शीलकी रक्षा की । कोई भी मनुष्य वगैर अपनी सम्मतिके अपनी इज्जत-आवरू नहीं खोता । कोई नर-पशु किसी स्त्रीको बेहोश करके उसकी लाज लूट ले तो इससे

उस स्त्रीके शील या सतीत्वका लोप नहीं होगा, इसी तरह कोई दुष्टा स्त्री किसी पुरुषको जड बना देनेवाली दवा खिला दे और उससे अपना मन चाहा कराये तो इससे उस पुरुषके शील या चारित्र्यका नाश नहीं होता।

आश्चर्य तो यह है कि पुरुषोके सौन्दर्यकी प्रशंसामे पुस्तके विलकुल नहीं लिखी गई। तो फिर पुरुषकी विषय-वासना उत्तेजित करनेके लिए ही साहित्य हमेशा क्यों तैयार होता रहे ? यह बात तो नहीं कि पुरुषने स्त्रीको जिन विशेषणोसे भूषित किया है उन विशेषणोको सार्थक करना उसे पसन्द है ? स्त्रीको क्या यह अच्छा लगता होगा कि उसके शरीरके सौन्दर्यका पुरुष अपनी भोग-लालसाके लिए दुरुपयोग करे ? पुरुषके आगे अपनी देहकी सुन्दरता दिखाना क्या उसे पसन्द होगा ? यदि हा, तो किस-लिए ? मैं चाहता हू कि ये प्रश्न सुशिक्षित वहने खुद अपने दिलसे पूछे। ऐसे विज्ञापनो और ऐसे साहित्यसे उनका दिल दुखता हो तो उन्हें इन चीजोके लिए अविराम युद्ध चलाना चाहिए, और एक क्षणमे वे इन चीजोको बन्द करा देगी। स्त्रीमे जिस प्रकार बुरा करनेकी, लोकका नाश करनेकी शक्ति है, उसी प्रकार भला करनेकी लोक-हित साधन करनेकी शक्ति भी उसमे सोई हुई पडी है। यह भान अगर स्त्रीको हो जाय तो कितना अच्छा हो। अगर वह यह विचार छोड दे कि वह खुद अपना तथा पुरुषका—फिर चाहे वह उसका पिता हो, पुत्र हो या पति हो—जन्म सुधार सकती है, और दोनोके ही लिए इस ससारको अधिक सुखमय बना सकती है। राष्ट्र-राष्ट्रके बीचके पागलपन भरे युद्धोसे और इससे भी ज्यादा पागलपन-भरे समाज-नीतिकी नीवके विरुद्ध लडे जाने वाले युद्धोसे अगर समाजको अपना सहार नहीं होने देना है, तो स्त्रीको पुरुषकी तरह नहीं, जैसे कि कुछ स्त्रिया करती है, बल्कि स्त्रीकी तरह अपना योग देना ही होगा। अधिकांशत विना किसी कारणके ही मानव-प्राणियोके सहार करनेकी जो शक्ति पुरुषमे है उस शक्तिमे उसकी हमसरी करनेसे स्त्री मानव-जातिको सुधार नहीं सकती। पुरुषकी जिस भूलसे पुरुषके साथ-साथ स्त्रीका भी विनाश होनेवाला है उस भूलमेसे पुरुषको बचाना उसका परम कर्तव्य है, यह स्त्रीको समझ लेना चाहिए। यह वाहियात

विज्ञापन तो सिर्फ यही बताता है कि हवाका रुख किस तरफ है । इसमें वेशर्मीके साथ स्त्रीका अनुचित लाभ उठाया गया है । 'दुनियाकी जगली जातियोकी स्त्रियोके शरीर-सौन्दर्य' को भी इसने नही छोडा ।

हरिजन सेवक,

२१ नवम्बर १९३६

## काम-शास्त्र

गुजरात विद्यापीठसे हाल ही पारगत-पदवी प्राप्त श्री मगनभाई देसाईके ७ अक्टूबरके पत्रसे नीचे लिखा अश यहा देता हू—

“इस बारके ‘हरिजन’ मे आपका लेख पढकर मेरे मनमे विचार आया कि मैं भी एक प्रश्न चर्चाके लिए आपके सामने पेश करू। इस विषयमें आपने अवतक शायद ही कुछ कहा है। वह है वालकोको और खास करके विद्यार्थियोको काम-विज्ञान सिखाना। आप तो जानते ही हैं कि श्री गुजरातमे इस विषयके बडे हामी हैं। खुद मुझे तो इस बातमे हमेशा अन्देशा ही रहा है, बल्कि मेरा तो मत है कि वे इस विषयके अधिकारी भी नहीं हैं। परिणाम तो इस विषयकी अनिष्टता ही प्रकट होती जाती है। वे तो शायद ऐसा ही मानते दिखाई देते हैं कि काम-विज्ञानके न जानने-से ही शिक्षा और समाजमे यह विगाड हुआ है। नवीन मानस-शास्त्र भी बताता है कि यही सुप्त काम-भाव मानव-प्रवृत्तिका उद्भव-स्थान है। ‘काम एष क्रोध एष’—इसके आगे ये लोग जाते ही नहीं। हमारा एक दिन मुझसे कहता था—‘तो आपको यह कहा मालूम है कि हरेकके अन्दर काम नामक राक्षस रहता है ? और इसके फलस्वरूप उसकी नीति-भावना जाग्रत होनेके बदले उलटी जड होती हुई दिखाई दी। इस तरह गुजरातमे आजकल काम-विज्ञानके शिक्षणके नामपर बहुत-कुछ हो रहा है। इस विषयपर पुस्तके भी लिखी गई हैं। सस्करण-पर-सस्करण छपते हैं और हजारोकी मख्यामे ये विकती हैं। कितने ही साप्ताहिक इस विषयके निकलते हैं और उनकी विक्री भी खूब होती है। खैर यह तो जैसा समाज होता है वैसा उसे परोसनेवाले मिल ही जाते हैं, किन्तु इससे सुधारककी दशा और भी अटपटी हो जाती है।

“इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी शिक्षाके विषयमें सार्वजनिक रूपसे चर्चा करें। शिक्षाके लिए काम-शास्त्रके शिक्षणकी आवश्यकता है ! कौन उसकी शिक्षा देनेका और कौन उसे पानेका अधिकारी है ! मामूली भूगोल-गणितकी तरह क्या सबको उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए ! उसकी क्या मर्यादा है और हमारे रंगोरेशमें पैठे हुए इस शत्रुकी मर्यादा इससे उलटी दिशामें बाधना उचित है या इस तरह उसे शुभ नामका गौरव देनेकी तरफ ! ऐसे अनेक तरहके सवाल मनमें उठते हैं। आगा है कि आप इस विषयपर अवश्य रोशनी डालेंगे।”

इस पत्रको इतने दिनतक मैंने इसी आशासे रख छोड़ा था कि किसी दिन मैं इसमें उठाये गये प्रश्नोपर कुछ लिखूंगा। इस बीच मैं बारहवीं गुजराती-साहित्य-परिषद्का प्रमुख बनकर वापस सेगाव आ पहुँचा। विद्यापीठमें चार दिन जो रहा तो गुजराती भाई-बहनोके सम्पर्कमें आने-से पुरानी स्मृतियाँ ताजी हो आईं। उक्त पत्रके लेखक भी मिले। उन्होंने मुझसे पूछा भी, “मेरे उस पत्रका क्या हुआ ?” “मेरे साथ-साथ वह सफर कर रहा है। मैं उसके बारेमें जरूर लिखूंगा।” यह जवाब देकर मैंने मगन भाईको कुछ तसल्ली दी थी।

अब उनके असली विषयपर आता हूँ। क्या गुजरातमें और क्या दूसरे प्रान्तोंमें, सब जगह कामदेव मामूलके माफिक विजय प्राप्त कर रहे हैं। आजकलकी उनकी विजयमें एक विशेषता यह है कि उनके शरणागत नर-नारीगण उनको धर्म मानते दिखाई देते हैं। जब कोई गुलाम अपनी बेडीको श्रृंगार समझकर पुलकित होता है, तब कहना चाहिए कि उसके सरदारकी पूरी विजय हो गई ! इस तरह कामदेवकी विजय देखते हुए भी मुझे इतना विश्वास है कि यह विजय क्षणिक है, तुच्छ है और अन्तमें उक-कटे विच्छूकी तरह निस्तेज हो जाने वाली है। ऐसा होनेके पहले पुरुषार्थकी तो आवश्यकता है ही। यहाँ मेरा यह आशय नहीं है कि अन्तमें तो कामदेवकी हार होने ही वाली है, इसलिए हम मुस्त या गाफिल बनकर बैठे रहें। कामपर विजय प्राप्त करना स्त्री-पुरुषोका परम कर्तव्य है। उसपर विजाय प्राप्त किये बिना स्वराज्य असम्भव है, स्वराज्य विना स्वराज

अथवा राम-राज होगा ही कहासे ? स्वराज-विहीन स्वराज खिलौनेके आमकी तरह समझना चाहिए । देखनेमें बड़ा सुंदर, पर जब उसे खोला तो अन्दर 'पोल-ही-पोल । कामपर विजय प्राप्त किये बिना कोई सेवक हरिजनकी, कौमी ऐक्यकी, खादीकी, गौ-माताकी, ग्रामवासीकी सेवा कभी नहीं कर सकता । इस सेवाके लिए बौद्धिक सामग्री बस होनेकी नहीं । आत्म-बलके बिना ऐसी महान् सेवा असम्भव है । और आत्मबल प्रभुके प्रसादके बिना अशक्य है । कामीको प्रभुका प्रसाद मिला हो—ऐसा अवतक देखा नहीं गया ।

तो मगन भाईने यह सवाल पूछा है कि हमारे शिक्षा-क्रममें कामशास्त्र-के लिए स्थान है या नहीं, यदि है तो कितना ? कामशास्त्र दो प्रकारका होता है—एक तो है कामपर विजय प्राप्त करनेवाला, उसके लिए तो शिक्षण-क्रममें स्थान होना ही चाहिए । दूसरा है, कामको उत्तेजन देने वाला शास्त्र । यह सर्वथा त्याज्य है । सब धर्मोंने कामको शत्रु माना है । क्रोधका नम्बर दूसरा है । गीता तो कहती है—कामसे ही क्रोधकी उत्पत्ति होती है । यहा कामका व्यापक अर्थ लिया गया है । हमारे विषय-से सम्बन्ध रखनेवाला 'काम' शब्द प्रचलित अर्थमें इस्तमाल किया गया है ।

ऐसा होते हुए भी यह प्रश्न बाकी रहता है कि बालक-बालिकाओंको गुह्येन्द्रियोका और उनके व्यापारका ज्ञान दिया जाय या नहीं ? मैं समझता हूँ कि यह ज्ञान एक हदतक आवश्यक है । आज कितने ही बालक बालिकाएँ शुद्ध ज्ञानके अभावमें अशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं और वे इन्द्रियोका बहुत दुरुपयोग करते हुए पाये जाते हैं । आख होते हुए भी हम नहीं देखते । इस तरह हम कामपर विजय नहीं पा सकते । बालक-बालिकाओंको उन इन्द्रियोके उपयोगका ज्ञान देनेकी आवश्यकता मैं मानता हूँ । मेरे हाथ-नीचे जो बालक-बालिकाएँ रही हैं उन्हें मैंने ऐसा ज्ञान देनेका प्रयत्न भी किया है, परन्तु यह शिक्षण और ही दृष्टिसे दिया जाता है । इन इन्द्रियोका ज्ञान देते हुए समयकी शिक्षा दी जाती है । कामपर कैसे विजय प्राप्त होती है यह सिखाया जाता है । यह शिक्षण देते हुए भी मनुष्य

और पशुके बीचका भेद बताना आवश्यक हो जाता है । मनुष्य वह है जिसे हृदय और बुद्धि है । यह उसका धात्वर्थ है । हृदयको जाग्रत करनेका अर्थ है—सारासार-विवेक सिखाना । यह सिखाते हुए कामपर विजय प्राप्त करना बताया जाता है ।

तो अब इस शास्त्रकी शिक्षा कौन दे ? जिस प्रकार खगोल-शास्त्रकी शिक्षा वही दे सकता है जो उसमे पारगत हो, उसी तरह कामके जीतनेका शास्त्र भी वही सिखा सकता है, जिसने कामपर विजय प्राप्त कर ली हो । उसकी भाषामे सस्कारिता होगी, बल होगा, जीवन होगा, जिस उच्चारणके पीछे अनुभव-ज्ञान नहीं है, वह जडवत् है, वह किसीको स्पर्श नहीं कर सकता । जिसको अनुभव-ज्ञान है, उसका कथन उगे बिना नहीं रह सकता ।

आजकल हमारा बाह्याचार, हमारा वाचन, हमारा विचार-क्षेत्र सब कामकी विजय सूचित कर रहे हैं । हमे उसके पाशसे मुक्त होनेका प्रयत्न करना है । यह काम अवश्य ही विकट है; मगर परवाह नहीं । अगर इने-गिने ही गुजराती हो, जिन्होंने शिक्षण-शास्त्रका अनुभव प्राप्त किया हो और जो कामपर विजय प्राप्त करनेके धर्मको मानते हो, उनकी श्रद्धा यदि अचल रहेगी, वे जाग्रत रहेंगे और सतत प्रयत्न करते रहेंगे तो गुजरातके बालक-बालिकाएँ शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे और कामके जालसे मुक्ति प्राप्त करेंगे और जो उसमे न फसे होंगे वे बच जायेंगे ।

हरिजन सेवक,

२८ नवम्बर १९३६

## अश्लील विज्ञापनोंको कैसे रोका जाय

अश्लील विज्ञापन-सम्बन्धी मेरा लेख देखकर एक सज्जन लिखते हैं—

‘जो अखबार, आपने लिखा, वैसी अश्लील चीजोंके इश्तिहार देते हैं उनके नाम जाहिर करके आप अश्लील विज्ञापनका प्रकाशन रोकनेके लिए बहुत-कुछ कर सकते हैं।’

इन सज्जनने जिस सेसरशिपकी मुझे सलाह दी है उसका भार मैं नहीं ले सकता, लेकिन इससे अच्छा एक उपाय मैं सुझा सकता हूँ। जनताको अगर यह अश्लीलता अखरती हो, तो जिन अखबारों या मासिक-पत्रोंमें आपत्तिजनक विज्ञापन निकले उनके ग्राहक यह कर सकते हैं कि उन अखबारोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करे और अगर फिर भी वे ऐसा करनेसे वाज्र न आये तो उन्हें खरीदना बन्द कर दे। पाठकोंको यह जानकर खुशी होगी कि जिस बहनने मुझे अश्लील विज्ञापनोंकी शिकायत भेजी थी, उसने इस दोषके भागी मासिक-पत्रके सम्पादकको भी इस वारेमें लिखा था, जिसपर उन्होंने इस भूलके लिए खेद-प्रकाश करते हुए उसे आगेसे न छापनेका वादा किया है।

यह कहते हुए भी मुझे खुशी होती है कि मैंने इस वारेमें जो-कुछ लिखा, उसका कुछ अन्य पत्रोंने भी समर्थन किया है। ‘निस्पृह’ (नागपुर) के सम्पादक लिखते हैं

“अश्लील विज्ञापनोंके वारेमें ‘हरिजन’ में आपने जो लेख लिखा है उसे मैंने बहुत सावधानीके साथ पढा। यही नहीं, बल्कि मैंने उसका अविकल अनुवाद भी ‘निस्पृह’ में दिया है और एक छोटी-सी सम्पादकीय टिप्पणी भी उसपर मैंने लिखी है।

मैं बतौर नमूनेके एक विज्ञापन इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ, जो अश्लील न होते हुए भी एक तरहसे अनैतिक तो है ही । इस विज्ञापनमे साफ भूठ है । आमतौर पर गाव वाले ही ऐसे विज्ञापनोंके चक्करमे फसते हैं । मैं ऐसे विज्ञापन लेनेसे इन्कार करता रहा हूँ और इस विज्ञापनदाताको भी यही लिख रहा हूँ । जैसे अखबारमे निकलने वाली समस्त पाठ्य-सामग्री पर सम्पादककी निगाह रहना जरूरी है, उसी तरह विज्ञापनोपर नज़र रखना भी उसका कर्तव्य है । और कोई सम्पादक अपने अखबारका ऐसे लोगो द्वारा उपयोग नहीं होने दे सकता, जो भोले-भाले देहातियोकी आखोमे धूल भोककर उन्हे ठगना चाहते हैं ।

हरिजन सेवक,

१६ दिसम्बर १९३६

## ब्रह्मचर्यका अर्थ

एक सज्जन लिखते हैं :

“आपके विचारोको पढकर मैं बहुत समयसे यह मानता आया हू कि सन्तति-निरोधके लिए ब्रह्मचर्य ही एक-मात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सभोग केवल सन्तानेच्छासे प्रेरित होकर होना चाहिए, बिना सन्तानेच्छाका भोग पाप है, इन बातोको सोचते हैं तो कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। सभोग सन्तानके लिए किया जाय यह ठीक है, पर एक-दो बारके भोगसे सन्तान न हो, तो ? ऐसे समयको मर्यादापूर्वक किस सीमाके अन्दर रहना चाहिए ? एक-दो बारके सभोगसे सन्तान चाहे न हो, पर आशा कहा पिण्ड छोडती है ? इस प्रकार वीर्यका बहुत कुछ अपव्यय अनचाहे भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तिको क्या यह कहा जाय कि ईश्वरकी इच्छा विरुद्ध होनेके कारण उसे भोगका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे भोगके लिए तो बहुत आध्यात्मिकताकी आवश्यकता है। प्राय ऐसा भी देखनेमे आया है कि सन्तान सारी उम्र न होकर उत्तरावस्थामे हुई है, इसलिए आशाका त्याग करना कठिन है। यह कठिनाई तब और भी बढ जाती है, जब दोनो स्त्री-पुरुष रोगसे मुक्त हो।”

यह कठिनाई अवश्य है, लेकिन ऐसी वाते मुश्किल तो हुआ ही करती है। मनुष्य अपनी उन्नति वगैर कठिनाईके कैसे कर सकता है ? हिमालयपर चढनेके लिए जैसे-जैसे मनुष्य आगे बढता है, कठिनाई बढती ही जाती है, यहातक कि हिमालयके सबसे ऊचे शिखरपर आजतक कोई पहुच नहीं सका है। इस प्रयत्नमे कई मनुष्योने मृत्युकी भेट की है। हर साल चढाई करने-वाले नये-नये पुरुषार्थी तैयार होते हैं और निष्फल भी होते हैं, फिर भी इस प्रयासको वे छोडते नहीं। विषयेन्द्रियका दमन हिमालय पहाडपर चढनेसे तो कठिन है ही, लेकिन उसका परिणाम भी कितना ऊचा है। हिमालयपर

चढनेवाला कुछ कीर्ति पायगा, क्षणिक सुख पायगा, इन्द्रिय-जीत मनुष्य आत्मानन्द पायगा और उसका आनन्द दिन-प्रति-दिन बढता जायगा । ब्रह्मचर्य-शास्त्रमे तो ऐसा नियम माना गया है कि पुरुष-वीर्य कभी निष्फल होता ही नहीं और होना ही नहीं चाहिए । और जैसा पुरुषके लिए, ऐसा ही स्त्रीके लिए भी, इसमे कोई आश्चर्यकी बात नहीं । जब मनुष्य अथवा स्त्री निर्विकार होते हैं, तब वीर्यहानि असम्भावित हो जाती है और भोगेच्छाका सर्वथा नाश हो जाता है । जब पति-पत्नी सन्तानकी इच्छा करते हैं तो, तभी एक-दूसरेका मिलन होता है । यही अर्थ गृहस्थाश्रमीके ब्रह्मचर्यका है अर्थात्—स्त्री-पुरुषका मिलन सिर्फ सन्तानोत्पत्तिके लिए ही उचित है, भोग-तृप्तिके लिए कभी नहीं । यह हुई कानूनी बात अथवा आदर्शकी बात । यदि हम इस आदर्शको स्वीकार करे तो हम समझ सकते हैं कि भोगेच्छाकी तृप्ति अनुचित है और हमे उसका यथोचित त्याग करना चाहिए । यह ठीक है कि आज कोई इस नियमका पालन नहीं करते । आदर्शकी बात करते हुए हम शक्तिका खयाल नहीं कर सकते; लेकिन आजकल भोग-तृप्तिको आदर्श बताया जाता है । ऐसा आदर्श कभी हो नहीं सकता, यह स्वयसिद्ध है । यदि भोग आदर्श है तो उसे मर्यादित नहीं होना चाहिए । अमर्यादित भोगसे नाश नहीं होता, यह सभी स्वीकार करते हैं । त्याग ही आदर्श हो सकता है और प्राचीनकालसे रहा है । मेरा कुछ ऐसा विश्वास बन गया है कि ब्रह्मचर्यके नियमोको हम जानते नहीं हैं, इसलिए बडी आपत्ति पैदा हुई है, और ब्रह्मचर्य-पालनमे अनावश्यक कठिनाई महसूस करते हैं । अब जो आपत्ति मुझे पत्र-लेखकने बतलाई है, वह आपत्ति ही नहीं रहती है; क्योंकि सन्ततिके ही कारण तो एक ही बार मिलन हो सकता है, अगर वह निष्फल गया तो दोबारा उन स्त्री-पुरुषोका मिलन होना ही नहीं चाहिए । इस नियमको जाननेके बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जबतक स्त्रीने गर्भ-धारण नहीं किया तबतक, प्रत्येक ऋतुकालके बाद, प्रतिमास एक बार स्त्री-पुरुषका मिलन क्षतव्य हो सकता है, और यह मिलन भोग-तृप्तिके लिए न माना जाय । मेरा यह अनुभव है कि जो मनुष्य वचनसे और कार्यसे विकार-रहित होता है, उसे

मानसिक अथवा शारीरिक व्याधिका किसी प्रकार डर नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे निर्विकार व्यक्ति व्याधियोसे भी मुक्त होते हैं और इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। जिस वीर्यसे मनुष्य-जैसा प्राणी पैदा हो सकता है, उसके अविच्छिन्न सग्रहसे अमोघ शक्ति पैदा होनी ही चाहिए। यह बात शास्त्रोमे तो कही गई है, लेकिन हरेक मनुष्य इसे अपने लिए यत्नसे सिद्ध कर सकता है। और जो नियम पुरुषोके लिए है वह स्त्रियोके लिए भी है। आपत्ति सिर्फ यह है कि मनुष्य मनसे विकारमय रहते हुए शरीरसे विकार-रहित होनेकी व्यर्थ आशा करता है और अन्तमे मन और शरीर दोनोको क्षीण करता हुआ गीताकी भाषामे मूढात्मा और मिथ्याचारी बनता है।

हरिजन सेवक,

१३ मार्च १९३७

## अरण्य-रोदन

“अभी हाल हीमें सन्तति-नियमनकी प्रचारिका मिसेज सेगरके साथ आपकी मुलाकात पर एक समालोचना मैंने पढी है। इसका मुझपर इतना गहरा असर हुआ कि आपके दृष्टि-विन्दुपर सन्तोष और पसन्दगी जाहिर करनेके लिए मैं आपको यह पत्र लिखने बैठा हू। आपकी हिम्मतके लिए ईश्वर सदा आपका कल्याण करे।

“पिछले तीस सालसे मैं लडकोको पढानेका काम करता हू। मैंने हमेशा उन्हे देह-दमन और निस्वार्थ जीवन वितानेके लिए तालीम दी है। जब मिसेज सेगर हमारे आस-पास प्रचार-कार्य कर रही थी, तब हाईस्कूलके लडके-लडकिया उनकी दी हुई सूचनाओका उपयोग करने लग गये थे और परिणामका डर डूर हो जानेसे उनमें खूब व्यभिचार चल पडा था। अगर मिसेज सेगरकी शिक्षा कही व्यापक हो गई तो सारा समाज विषय-सेवनके पीछे पड जायगा, और शुद्ध प्रेमका दुनियासे नामो-निशानतक मिट जायगा। मैं मानता हू कि जनताको उच्च आदर्शोंकी शिक्षा देनेमें सद्दिया लग जायगी; पर यह काम शुरू करनेके लिए अनुकूल-से-अनुकूल समय अभी है। मुझे डर है कि मिसेज सेगर विषयको ही प्रेम समझ बैठी है, पर यह भूल है, क्योंकि प्रेम एक आध्यात्मिक वस्तु है, विषय-सेवन-से इसकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती।

“डॉ० ऐलेक्सिस केरल भी आपके साथ इस बातमें सहमत है कि सयम कभी हानिकारक सिद्ध नहीं होता, सिवाय उन लोगोंके जो दूसरी तरह अपने विषयको उत्तेजित करते हैं और पहलेसे ही अपने मनपर काबू खो चुके हों। मिसेज नेगरका यह वयान कि अधिकांश डॉक्टर यह मानते हैं कि ब्रह्मचर्य-पालनसे हानि होती है, विलकुल गलत है। मैं तो देखता

हू कि यहा कई बड़े-बड़े डॉक्टर अमेरिकन सोशियल हाइजीन (सामाजिक आरोग्य-शास्त्र) के विज्ञान-शास्त्री ब्रह्मचर्य-पालनको लाभदायक मानते हैं।

“आप एक बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मैं आपके जीवन-संग्रामके तमाम चढाव-उतारोका बहुत रसपूर्वक अध्ययन करता रहा हू। आप जगत्में उन इने-गिने व्यक्तियोंमेंसे हैं, जिन्होंने स्त्री-पुरुष-सम्बन्धके प्रश्नपर इस तरह उच्च आध्यात्मिक दृष्टि-बिन्दुसे विचार किया है। मैं आपको यह जताना चाहता हू कि महासमरके इस पार भी आपके आदर्शोंके साथ सहानुभूति रखनेवाला आपका एक साथी यहापर है।

“इस नेक कामको जारी रखे, ताकि नवयुवक-वर्ग सच्ची बातको जान ले; क्योंकि भविष्य इसी वर्गके हाथोंमें है।

“अपने विद्यार्थियोंके साथ अपने सवादमेंसे मैं छोटा-सा उद्धरण यहा देना चाहता हू—‘निर्माण करो, हमेशा निर्माण करो। निर्माण-प्रवृत्ति-मेंसे तुम्हें श्रेय मिलेगा, उन्नति मिलेगी, उत्साह मिलेगा, उल्लास मिलेगा, पर अगर तुम अपनी निर्माणशक्तिको आज विषय-तृप्तिका साधन बना लोगे, तो तुम अपनी रचना-शक्तिपर अत्याचार करोगे और तुम्हारे आध्यात्मिक बलका नाश हो जायगा। रचना-प्रवृत्ति—शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक—का नाम जीवन है, यही आनन्द है। अगर तुम प्रजोत्पत्तिके हेतुके विना या सन्ततिका निरोध करके विषय-सेवन द्वारा सिर्फ इन्द्रिय-सुख प्राप्त करनेका प्रयत्न करोगे तो तुम प्रकृतिके नियम-का भंग और अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंका हनन करोगे। इसका परिणाम क्या होगा? अनिवार विषयाग्नि घघक उठेगी और आखिर निराशा तथा असफलतामें अन्त होगा। इससे तो हम कभी उन उच्च गुणोंका विकास नहीं कर पायेंगे, जिनके बलपर हम उस नवीन मानव-समाजकी रचना कर सकें जिसमें कि दिव्यात्मा स्त्री-पुरुष हो।”

“मैं जानता हू कि यह सब पूर्वकालके नवियोंके अरण्य-रोदन-जैसी बात है, पर मेरा पक्का विश्वास है कि वही सच्चा रास्ता है और मुझसे अधिक कुछ चाहे न भी बन पड़े, मैं कम-से-कम उगली दिखाकर तो अपना समाधान कर लूँ।”

नतति-नियमनके कृत्रिम साधनोंका निषेध करनेवाले जो पत्र मुझे कभी-कभी अमेरिकामें मिलते रहते हैं, उन्हींमेंसे यह भी एक है। पर मुद्गर पश्चिमसे हर हफ्ते हिन्दुस्तानमें जो नामाजिक नाहित्य आता रहता है, उसके तो पठनेमें दिलपर बिल्कुल जुदा ही अगर पड़ता है। यही मागूम होता है, मानो अमेरिकामें तो सिद्धा वैषम्यको ही अन्याय-निराकरण के विरोध नहीं करते हैं, जो मनुष्यको उन अर्थ-विज्ञानके मुक्ति प्रदान करते हैं, जो अबतक गरीबको गुलाम बनाकर मगरके मर्म-ध्रेष्ठ ऐहिक मनुष्यमें मनुष्यको बचित करके उसके गरीबको निष्प्राण बना देनेकी शिक्षा देना चला जा रहा है। यह नाहित्य भी उनका ही अर्थानु-न्याय पैदा करता है, जितना कि यह मर्म, जिनकी वह शिक्षा देता है और जिसे उसके साधारण परिणामके सुननेसे बचकर करनेको प्रोत्साहन देता है। पश्चिममें आनेवाले केवल उन पत्रोंमें मैं 'हरिजन' के पत्रोंके

प्रति भूठी और निरी भावुक सहानुभूतिके अलावा और कुछ नहीं होता । ओर इस मामलेमें व्यक्तिगत अनुभववाली दलीलमें तो उतनी ही बुद्धि है, जितनी कि एक शराबीके किसी कार्यमें होती है और सहानुभूतिवाली दलील एक धोखेकी टट्टी है, जिसके अन्दर पैर भी रखना खतरनाक है । अनचाहे वच्चोके तथा मातृत्वके कष्ट तो कल्याणकारी प्रकृति द्वारा नियोजित सजाए और हिदायते हैं । सयम और इन्द्रिय-नियमके कानूनकी जो परवा नहीं करेगा, वह तो एक तरहसे अपनी खुद-कुशी ही कर लेगा । यह जीवन तो एक परीक्षा है । अगर हम इन्द्रियोका नियमन नहीं कर सकते, तो हम असफलताको न्यौता देते हैं । कायरोकी तरह हम युद्धसे मुह मोडकर जीवनके एकमात्र आनन्दसे अपने-आपको वचित करते हैं ।

हरिजन सेवक,

२७ मार्च १९३७

## ब्रह्मचर्यपर नया प्रकाश

अब एक नई बात आप लोगोसे कहना चाहता हू। सोचा था कि विनोवा सुनाये; पर अब समय है तो स्वयं मैं कहता हू। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि अच्छी बात सबके साथ बाट लेता हू। बातका आरम्भ तो बहुत वर्षों पुराना है। मैं जुलू-युद्धमें गया था। देखो, ईश्वरका खेल इसी तरह चलता है। मेरा निश्चय हो गया कि जिसको जगत्की सेवा करनी है, उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। विवाहित दम्पतिको भी ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए। इससे मेरा मतलब यह था कि उन्हें प्रजोत्पादन-क्रियामें नहीं पडना चाहिए। मैं यह समझता था कि जो प्रजोत्पादन करते हैं, वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्यका आदर्श छगनलाल आदिके सामने रखा। उस वक्त तो मैं विलकुल जवान था। और जवान तो सबकुछ कर सकता है। मैं आपसे कह दू कि आप सब ब्रह्मचारी बने तो क्या वह होनेवाली बात है? वह तो एक आदर्श है, इसलिए मैं तो विवाह भी करा देता हू। एक आदर्श देते हुए भी यह तो जानता ही हू कि ये लोग भोग भी करेंगे। प्रजोत्पादन और ब्रह्मचर्य एक-दूसरेके विरोधी हैं, ऐसा मेरा खयाल रहा।

पर उस दिन विनोवा मेरे पास एक उलझन लेकर आये। एक शास्त्र-वचन है, जिसकी कीमत मैं पहले नहीं जानता था। उस वचनने मेरे दिलपर एक नया प्रभाव डाल दिया। उसका विचार करते-करते मैं विलकुल थक गया, उसमें तन्मय हो गया। अब भी मैं उसीसे भरा हू। ब्रह्मचर्यका जो अर्थ शास्त्रोमें बताया है, वह अति शुद्ध है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह है, जिसने जन्मसे ही ब्रह्मचर्यका पालन किया हो। स्वप्नमें भी जिसका वीर्य-स्खलन न हुआ हो, लेकिन मैं नहीं जानता था

कि प्रजोत्पत्तिके हेतु जो सम्भोग करता है उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्यों माना गया है। कल यह बुलन्द बात मेरी समझमे आ गई। जो दम्पति गृहस्थाश्रममे रहते हुए केवल प्रजोत्पत्तिके हेतु ही परस्पर सयोग और एकान्त करते हैं, वे ठीक ब्रह्मचारी ही हैं। आज हम जिसे विवाह कहते हैं, वह विवाह नहीं, वह भ्रष्टाचार है। यद्यपि मैं कहता था कि प्रजोत्पत्तिके लिए विवाह है, फिर भी यह मानता था कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि दोनोको प्रजोत्पत्तिसे डर न मालूम हो, उसके परिणामको टालनेका प्रयत्न न हो और भोगमे दोनोकी सहमति हो। मैं नहीं जानता कि उसका इससे भी अधिक कोई मतलब होगा, पर यह भी शुद्ध विवाह कब कहा जाय ? दम्पति प्रजोत्पत्ति तभी करे जब जरूरत हो, और जब उसकी जरूरत हो तभी एकान्त भी करें। अर्थात् सम्भोग प्रजोत्पादनको कर्त्तव्य समझकर तथा उसके लिए ही हो। इसके अतिरिक्त कभी एकान्त न करे। यदि एक पुरुष इस प्रकार हेतुपूर्वक सम्भोगको छोड़कर स्थिर वीर्य हो तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारीके बराबर है। सोचिए, ऐसा एकान्तवासि जीवनमे कितनी बार हो सकता है ? वीर्यवान् नीरोग स्त्री-पुरुषोंके लिए तो जीवनमे एक ही बार ऐसा अवसर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति क्यों नैष्ठिक ब्रह्मचारीके समान न माने जाय ? जो बात मैं पहले थोड़ी-थोड़ी समझता था वह आज सूर्यकी तरह स्पष्ट हो गई है। जो विवाहित है, इसे ध्यानमें रखे। पहले भी मैंने यह बात बताई थी, पर उस समय मेरी इतनी श्रद्धा नहीं थी। उसे मैं अव्यावहारिक समझता था। आज व्यावहारिक समझता हूँ। पशु-जीवनमे दूसरी बात हो सकती है, लेकिन मनुष्यके विवाहित जीवनका यह नियम होना चाहिए कि कोई भी पति-पत्नी विना आवश्यकताके प्रजोत्पत्ति न करे और विना प्रजोत्पादनके सम्भोग न करे।

हरिजन सेवक,

३ अप्रैल १९३७

## आश्चर्यजनक, अगर सच है !

खासाहब अब्दुलगफफारखा और मैं सवेरे और शाम जब घूमने जाते हैं तो हमारी बात-चीत अक्सर ऐसे विषयो पर हुआ करती है, जो सभीके हितके होते हैं। खासाहब सरहदी इलाकोमे, यहातक कि काबुल और उसके भी आगे काफी घूमे हैं, और सरहदी कबीलोके बारेमे उनको बडी अच्छी जानकारी है। इसलिए वह अक्सर वहाके सीधे-सादे लोगोकी आदतो और रस्म-रिवाजोके बारेमे मुझे बतलाया करते हैं। वह मुझे बताते हैं कि इन लोगोकी मुख्य खुराक, जो इस सभ्यताकी हवासे अबतक अछूते ही हैं, मक्का और जौ की रोटी और मसूर है। वक्तन-फवक्तन वे छाछ भी ले लिया करते हैं। वे गोश्त खाते हैं, पर बहुत कम। मैंने समझा कि उनकी मशहूर दिलेरीका एक-मात्र कारण उनका खुली हवामे रहना और वहाका अच्छा शक्तिवर्द्धक जलवायु ही है। 'नही, सिर्फ यही बात नही है' खासाहबने उसी वदत कहा, 'उनमे जो ताकत व दिलेरी है उसका भेद तो हमे उनके सयमी जीवनमे मिलता है। शादी वे, मर्द व औरते दोनो ही, पूरी जवानीकी उम्रमे जाकर करते हैं। वेवफाई, व्यभिचार या अविवाहित प्रेमको तो वे जानते ही नही।' शादीसे पहले सहवास करनेकी सजा वहा मौत है। इस तरहका गुनाह करनेवालेकी जान लेनेका उन्हे हक है।'

अगर यह सयम या इन्द्रिय-निग्रह वहा इतना व्यापक है, जैसा कि खासाहब बतलाते हैं, तो इससे हमे हिन्दुस्तानमे एक ऐसा सबक मिलता है, जो हमे हृदयगम कर लेना चाहिए। मैंने खासाहबके आगे यह विचार रखा कि उन लोगोके कदावर और दिलेर होनेका एक बहुत बडा सबब अगर उनका सयमी जीवन है, तो मन और शरीरके बीच पूरा सहयोग होना

ही चाहिए, क्योंकि अगर मन विषय-तृप्तिके पीछे पडा रहा और शरीर-ने निग्रह किया, तो इससे प्राण-शक्तिका इतना भयकर नाश होगा कि शरीरमे कुछ भी नहीं बच रहेगा। खासाहव मान गये कि यह अनुमान ठीक है। उन्होने कहा कि जहातक मैं इसकी जाच कर सका हू, मुझे लगता है कि वे लोग सयमके इतने ज्यादा आदी हो गये हैं कि नौजवान मर्दान और औरतोका शादीसे पहले विषय-तृप्ति करनेका कभी मन ही नहीं होता। खासाहवने मुझसे यह भी कहा कि उन इलाकोकी औरते कभी पर्दा नहीं करती, वहा भूठी लज्जा नहीं है, औरते निडर हैं, चाहे जहा आजादीसे घूमती हैं और अपनी सम्भाल खुद कर सकती हैं, अपनी इज्जत-आवरू बचा सकती हैं, किसी मर्दसे वे अपनी रक्षा नहीं कराना चाहती, उन्हें जरूरत भी नहीं। तो भी खासाहव यह मानते हैं कि उनका यह सयम बुद्धि या जीती-जागती श्रद्धापर आधार नहीं रखता, इसलिए जब ये पहाडोके रहनेवाले लोग सभ्य या नजाकतकी जिन्दगीके सम्पर्कमे आते हैं, तो उनका वह सयम टूट जाता है। सभ्यताके सम्पर्कमे आकर जब वे अपनी पुरानी वात छोड देते हैं, तो उन्हें इसके लिए कोई सजा नहीं मिलती और उनकी वेवफाई और व्यवहारको पल्लिक कम या ज्यादा उपेक्षाकी नजरसे देखती हैं। इससे ऐसे विचार सामने आ जाते हैं, जिनकी मुझे फिलहाल चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह लिखनेका तो अभी मेरा यह मतलब है कि खासाहवकी तरह जो लोग इन फिरकोके आदमियोके बारेमे जानकारी रखते हो, और उनके कथनका समर्थन करते हो, उनसे इसपर और भी रोशनी डलवाई जाय, और मैदानोमे रहनेवाले नौजवानो और युवतियोको बतलाया जाय कि सयमका पालन, अगर वह इन पहाडी फिरकोके लिए सचमुच स्वाभाविक चीज है, जैसा कि खासाहवका खयाल है, तो हम लोगोके लिए भी उसे उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए— अगर अच्छे-अच्छे विचारोको हम अपने विचार-जगत्मे बसा ले, और यो ही घुस आनेवाले बाधक विचारो या विषय-विकारोको जगह न दे। दर असल, अगर सद्विचार काफी बडी सख्यामे हमारे मनमे बस जाय, तो बाधक विचार वहा ठहर ही नहीं सकते। अवश्य इसमे साहसकी जरूरत

है । आत्म-सयम कायर आदमीको कभी हासिल नहीं होता । आत्म-सयम तो प्रार्थना और उपवास-रूपी जागरूकता और निरन्तर प्रयत्नका सुन्दर फल है । अर्थ-हीन स्तोत्रपाठ प्रार्थना नहीं है, न शरीरको भूखो मारना उपवास है, प्रार्थना तो उसी हृदयसे निकलती है जिसे कि ईश्वरका श्रद्धा-पूर्वक ज्ञान है; और उपवासका अर्थ है बुरे या हानिकारक विचार, कर्म या आहारसे परहेज रखना । मन विविध प्रकारके व्यजनोकी ओर दौड़ रहा है और शरीरको भूखो मारा जा रहा है, तो ऐसा उपवास तो निरर्थक व्रत-उपवाससे भी बुरा है ।

हरिजन सेवक,

१० अप्रैल १९३७

## सन्तति-निरोध

प्रश्न—दरिद्र औरतोकी सन्तान-वृद्धि रोकनेके लिए क्या उपाय करना चाहिए ?

उत्तर—हमारा तो कर्तव्य यही है कि उन्हें सयमका धर्म ही समझाये । कृत्रिम उपाय तो मर जाने जैसी बात है । और मैं नहीं समझता कि देहाती स्त्रियां उन्हें अपनायगी । उनके बच्चोके लिए दूध प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिए ।

प्रश्न—सन्तति-निरोधके लिए स्त्रियां तो सयम करना चाहे, पर पुरुष बलात्कार करे, तब क्या किया जाय ?

उत्तर—यह तो सच्चे स्त्री-धर्मका सवाल है । सतियोको मैं पूजता हूँ, पर उन्हें कुएमे नहीं गिराना चाहता । स्त्रीका सच्चा धर्म तो द्रोपदीने बताया है । पति अगर गिरता है तो स्त्री न गिरे । स्त्रीके सयममे बाधा डालना शुद्ध व्यभिचार है । यदि वह बलात्कार करने आवे तो उसे थप्पड़ मारकर भी सीधा करना उसका धर्म है । व्यभिचारी पतिके लिए वह दरवाजा बन्द कर दे । अधर्मी पतिकी पत्नी बननेसे उसे इन्कार करना चाहिए । हमें स्त्रियोके अन्दर यह हिम्मत पैदा कर देनी चाहिए ।

प्रश्न—मध्यम-वर्गकी स्त्रियोका सतति-निरोधके विषयमे क्या कर्तव्य है ?

उत्तर—मध्यम-वर्गकी हो या वादशाही-वर्गकी हो, भोग भोगना हमारे हाथमे है ; लेकिन परिणामके वादशाह हम नहीं बन सकते । सिद्धि होगी या नहीं, यह शका करना हमारा काम नहीं है । हमारा काम तो सिर्फ यही होगा कि सत्य-धर्म सिखाए । मध्यम-श्रेणीकी स्त्रियां नये-नये

उपाय काममें लाए तो हमें मना करना चाहिए । समय ही एक-मात्र उपाय हो सकता है ।

प्रश्न—पतिको उपद्रव जैसा कठिन रोग हो तब स्त्री क्या करे ?

उत्तर—उस हालतमें सन्तति-निरोधके उपायोसे भी स्त्रीका बचाव नहीं हो सकता । ऐसे पतिको क्लीव ही समझकर उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इसके लिए स्त्रिया इतनी विद्या सीख ले, जिससे वे स्वावलम्बी बन जाय ।

गांधी-सेवा-सघ, द्वितीय अधिवेशन

१० अप्रैल १९३७

## विवाहकी मर्यादा

श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं .

‘हरिजन सेवक’ के इसी अकमे ‘धर्म-सकट’ नामक आपका लेख पढा । उसमे आपने लिखा है कि उक्त प्रकारके (अर्थात् मामा-भाजीके सम्बन्ध जैसे) सम्बन्धका प्रतिबन्ध सर्वमान्य नहीं है । ऐसे प्रतिबन्ध रूढियोसे बने हैं । यह देखनेमे नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या तात्त्विक निर्णयसे बने हैं ।”

मेरा अनुमान यह है कि ये प्रतिबन्ध शायद सन्तानोत्पत्तिकी दृष्टिसे लगाये गये हैं । इस शास्त्रके ज्ञाता ऐसा मानते हैं कि विजातीय तत्त्वोंके मिश्रणसे सन्तति अच्छी होती है । इसलिए सगोत्र और सपिण्ड कन्याओंका पाणिग्रहण नहीं किया जाता ।

यदि यह माना जाय कि यह केवल रूढि है तो फिर सगी और चचेरी बहनोके सम्बन्धपर भी कैसे आपत्ति उठाई जा सकती है ? यदि विवाहका हेतु सन्तानोत्पत्ति ही है और सन्तानोत्पादनके ही लिए दम्पतिका सयोग करना योग्य है तो फिर वर-कन्याके चुनावके औचित्यकी कसौटी सु-प्रजननकी क्षमता ही होनी चाहिए । क्या और कसौटिया गौण समझी जाय ? यदि हा, तो किस क्रमसे, यह प्रश्न सहज उठता है । मेरी रायमे वह इस प्रकार होना चाहिए—

- (१) पारस्परिक आकर्षण और प्रेम ।
- (२) सुप्रजननकी क्षमता ।
- (३) कौटुम्बिक और व्यावहारिक सुविधा ।
- (४) समाज और देशकी सेवा ।

(५) आध्यात्मिक उन्नति ।

आपका इस सम्बन्धमे क्या मत है ?

हिन्दू-शास्त्रोमे पुत्रोत्पत्तिपर जोर दिया गया है । सधवाओको आशीर्वाद दिया जाता है, “अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव ।” आप जो यह प्रतिपादन करते हैं कि दम्पति सतानके लिए सयोग करे तो इसका क्या यही अर्थ है कि सिर्फ एक ही सतान उत्पन्न करे, फिर वह लडका हो या लडकी ? वग-वर्धनकी इच्छाके साथ ही ‘पुत्रसे नाम चलता है’ यह इच्छा-भी जुडी हुई मालूम होती है । केवल लडकीसे इस इच्छाका कैसे समाधान हो सकता है ? बल्कि अभीतक समाजमे ‘लडकीके जन्म’ का उतना स्वागत नहीं होता, जितना कि लडकेके जन्मका होता है । इसलिए यदि इन इच्छाओको सामाजिक माना जाय तो फिर एक लडका और एक लडकी—इस तरह दो सतति पैदा करनेकी छूट देना क्या अनुचित होगा ?

केवल सतानोत्पादनके लिए सयोग करनेवाले दम्पति ब्रह्मचारीवत् ही समझे जाने चाहिए—यह ठीक है—यह भी सही है कि सयत जीवनमे एक ही वार सयोगसे गर्भ रह जाता है । पहली वातकी पुष्टिमे एक कथा प्रचलित है—

वशिष्ठकी कुटियाके सामने एक नदी बहती थी । दूसरे किनारे विश्वामित्र तप करते थे । वशिष्ठ गृहस्थ थे । जब भोजन पक जाता, तो पहले अरुन्धती थाल परोसकर विश्वामित्रको खिलाने जाती, बादको वशिष्ठके घरपर सब लोग भोजन करते । यह नित्य-क्रम था । एक रोज वारिण हुई और नदीमे वाढ आ गई । अरुन्धती उस पार न जा सकी । उमने वशिष्ठसे इसका उपाय पूछा । उन्होने कहा—‘जाओ, नदीसे कहना, मैं सदा निराहारी विश्वामित्रको भोजन देने जा रही हू, मुझे रास्ता दे दो ।’ अरुन्धतीने इसी प्रकार नदीसे कहा—और उमने रास्ता दे दिया । तब अरुन्धतीके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि विश्वामित्र रोज तो खाना खाते हैं, फिर निराहारी कैसे हुए ? जब विश्वामित्र खाना खा चुके, तब अरुन्धतीने उनसे पूछा—‘मैं वापस कैसे जाऊं, नदीमे तो वाढ है ?’ विश्वामित्रने उलटकर

पूछा—‘तो आई कैसे ?’ उत्तरमे अरुन्धतीने वशिष्ठका पूर्वोक्त नुसखा वतलाया । तब विश्वामित्रने कहा—‘अच्छा तुम नदीसे कहना, सदा ब्रह्मचारी वशिष्ठके यहा लौट रही हू । नदी, मुझे रास्ता दे दो ।’ अरुन्धतीने ऐसा ही किया और उसे रास्ता मिल गया । अब तो उसके अचरजका ठिकाना न रहा । वशिष्ठके सौ पुत्रोकी तो वह स्वय ही माता थी । उसने वशिष्ठसे इसका रहस्य पूछा कि विश्वामित्रको सदा निराहारी और आपको सदा ब्रह्मचारी कैसे मानू ? वशिष्ठने बताया—“जो केवल गरीर-रक्षणके लिए ही ईश्वरार्पण-बुद्धिसे भोजन करता है, वह नित्य भोजन करते हुए भी निराहारी ही है, और जो केवल स्व-धर्म पालनके लिए अनासक्ति-पूर्वक सन्तानोत्पादन करता है, वह सयोग करते हुए भी ब्रह्मचारी ही है ।’

परन्तु इसमे और मेरी समझमे तो शायद हिन्दू-शास्त्रमे भी केवल एक सन्तति—फिर वह कन्या हो या पुत्र—का विधान नहीं है । अतएव यदि आपको एक पुत्र और एक पुत्रीका नियम मान्य हो, तो मैं समझता हू, बहुतेरे दम्पतियोको समाधान हो जाना चाहिए । अन्यथा मुझे तो ऐसा लगता है कि विना विवाह किये एक बार ब्रह्मचारी रह जाना शक्य हो सकता है; परन्तु विवाह करनेपर केवल सन्तानोत्पादनके लिए, और फिर भी प्रथम सततिके ही लिए सयोग करके फिर आजन्म सयमसे रहना उससे कही कठिन है । मेरा तो ऐसा मत बनता जा रहा है कि ‘काम’ मनुष्यमे स्वाभाविक प्रेरणा है । उसमे सयम सु-सस्कारका सूचक है । ‘सततिके लिए सयोग’ का नियम बना देनेसे सु-सस्कार या धर्मकी तरफ मनुष्यकी गति होती है, इसलिए यह वाछनीय है । सतानोत्पत्तिके ही लिए सयोग करनेवाले सयमीका आदर करूंगा, कामेच्छाकी तृप्ति करनेवालेको भोगी कहूंगा, पर उसे पतित नहीं मानना चाहता, न ऐसा वातावरण ही पैदा करना ठीक होगा कि पतित समझकर लोग उसका तिरस्कार करे । इस विचारमे मेरी कही गलती हो, तो बतावे ।”

विवाहमे जो मर्यादा बाधी गई है, उसका शास्त्रीय कारण मैं नहीं जानता । रूढिको ही, जो मर्यादाकी वृद्धिके लिए बनाई जाती है, नैतिक कारण माननेमे कोई आपत्ति नहीं है । सतान-हितकी दृष्टिसे ही अगर



विरोधी नहीं है। कामाग्निकी तृप्तिके कारण किया हुआ सयोग त्याज्य है। उसे निन्द्य माननेकी आवश्यकता नहीं। असख्य स्त्री-पुरुषोका मिलन भोगके ही कारण होता है, और होता रहेगा। उससे जो दुष्परिणाम होते रहते हैं, उन्हें भोगना पडेगा। जो मनुष्य अपने जीवनको धार्मिक बनाना चाहता है, जो जीव-मात्रकी सेवाको आदर्श समझकर ससार-यात्रा समाप्त करना चाहता है, उसके लिए ही ब्रह्मचर्यकी मर्यादाका विचार किया जा सकता है। और ऐसी मर्यादा आवश्यक भी है।

हरिजन सेवक,

१५ अप्रैल १९३७

## एक युवककी कठिनाई

नवयुवकोके लिए मैंने 'हरिजन' में जो लेख लिखा था, उसपर एक नवयुवक, जिसने अपना नाम गुप्त ही रखा है, अपने मनमें उठे एक प्रश्नका उत्तर चाहता है। यो गुमनाम पत्रोपर कोई ध्यान न देना ही सबसे अच्छा नियम है; लेकिन जब कोई सारयुक्त बात पूछी जाय, जैसी कि इसमें पूछी गई है, तो कभी-कभी मैं इस नियमको तोड़ भी देता हूँ।

पत्र हिन्दीमें है और कुछ लम्बा है। उसका सारांश यह है—

“आपके लेखको पढ़कर मुझे सन्देह होता है कि आप युवकोके स्वभावको कहातक समझते हैं। जो बात आपके लिए सम्भव हो गई है वह सब युवकोके लिए सम्भव नहीं है। मेरा विवाह हो चुका है। इतनेपर भी मैं स्वयं तो सयम कर सकता हूँ; लेकिन मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। बच्चे पैदा हो, यह तो वह नहीं चाहती; लेकिन विषयोपभोग करना चाहती है। ऐसी हालतमें, मैं क्या करूँ? क्या यह मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उसकी भोगेच्छाको तृप्त करूँ? दूसरे जरियेसे वह अपनी इच्छा पूरी करे, इतनी उदारता तो मुझमें नहीं है। फिर अखबारोंमें जो पढ़ता रहा हूँ, उससे मालूम पड़ता है कि विवाह-सम्बन्ध कराने और नव-दम्पतियोंको आगीवादि देनेमें भी आपको कोई आपत्ति नहीं है। यह तो आप अवश्य जानते होंगे, या आपको जानना चाहिए कि वे सब उस ऊर्ध्व उद्देश्यसे ही नहीं होते जिसका कि आपने उल्लेख किया है।”

पत्र-लेखकका कहना ठीक है। विवाहके लिए उन्नत, आर्थिक स्थिति आदिकी एक कसौटी मैंने बना रखी है। उसको पूरा करके जो विवाह होते हैं, मैं उनकी मंगल-कामना करता हूँ। इतने विवाहोंमें मैं शुभ-कामना करता हूँ, इससे सम्भवतः यही प्रकट होता है कि देशके युवकोको इस हद

तक मैं जानता हूँ कि यदि वे मेरा पथ-प्रदर्शन चाहे तो मैं वैसा कर सकता हूँ ।

इस भाईका मामला मानो इस तरहका एक नमूना है जिसके कारण यह सहानुभूतिका पात्र है, लेकिन सयोगका एक-मात्र उद्देश्य प्रजनन ही है, यह मेरे लिए एक प्रकारसे नई खोज है । इस नियमको जानता तो मैं पहलेसे था, लेकिन जितना चाहिए उतना महत्व इसे मैंने पहले कभी नहीं दिया था । अभीतक मैं इसे पवित्र इच्छा-मात्र समझता था । लेकिन अब तो मैं इसे विवाहित जीवनका ऐसा मौलिक विधान मानता हूँ कि यदि इसके महत्वको पूरी तरह मान लिया गया तो इसका पालन कठिन नहीं है । जब समाजमें इस नियमको उपयुक्त स्थान मिल जायगा तभी मेरा उद्देश्य 'सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे लिए तो यह जाज्वल्यमान विधान है । जब हम इसको भग करते हैं, तो उसके दण्डस्वरूप बहुत-कुछ भुगतना पडता है । पत्र-प्रेषक युवक यदि इसके उस महत्वको समझ जाय, जिसका कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और यदि उसे अपनेमें विश्वास एव अपनी पत्नीके लिए प्रेम हो, तो वह अपनी पत्नीको भी अपने विचारोका बना लेगा । उसका यह कहना कि मैं स्वयं संयम कर सकता हूँ क्या सच है ? क्या उसने अपनी पार्श्विक वासनाओको जन-सेवा जैसी किसी ऊँची भावनामें परिणत कर लिया है ? क्या स्वभावतः वह ऐसी कोई बात नहीं करता, जिससे उसकी पत्नीकी विषय-भावनाको प्रोत्साहन मिले ? उसे जानना चाहिए कि हिन्दू-शास्त्रानुसार आठ तरहके सहवास माने गए हैं, जिनमें सकेतो द्वारा विषय-प्रवृत्तिको प्रेरित करना भी शामिल है । क्या वह इससे मुक्त है ? यदि वह ऐसा हो और सच्चे दिलसे यह चाहता हो कि उसकी पत्नीमें भी विषय-वासना न रहे तो वह उसे शुद्धतम प्रेमसे सराबोर करे, उसे यह नियम समझावे, सन्तानोत्पत्तिकी इच्छाके वगैर सहवास करनेसे शारीरिक हानि होती है वह उसे समझावे और वीर्य-रक्षाका महत्व बतलावे । अलावा इसके उसे चाहिए कि अपनी पत्नीको अच्छे कामोकी ओर प्रवृत्त करके उनमें उसे लगाये रखे और उसकी विषय-वृत्तिको शांत करनेके लिए उसके भोजन, व्यायाम आदिको नियमित करनेका यत्न

करे। और उस सत्रसे बढ़कर यदि वह धर्म-प्रवृत्तिका व्यक्ति है, तो अपने उस जीवित विश्वासको वह अपनी बहचरी पत्नीमें भी पैदा करनेकी कोशिश करे, क्योंकि मुझे यह बात कहनी होगी कि ब्रह्मचर्य-व्रतका तब-तक पालन नहीं हो सकता जबतक कि ईश्वरमें, जो कि जीता-जागता मृत्यु हैं, अटूट विश्वास न हो। आजकाल तो यह एक फंजन-सा बन गया है कि जीवनमें ईश्वरका कोई स्थान नहीं समझा जाता और नचचे ईश्वरमें अटिग आस्था रखनेकी आवश्यकताके दिना ही सर्वोच्च जीवनतक पहुचनेपर जोर दिया जाता है। मैं अपनी यह अनमर्थता खबूल करता हू कि जो अपनेमें ऊनी किनी देवी-व्यक्तिमें विश्वास नहीं रखते, या उगानी जरूरी नहीं समझते, उन्हें मैं यह बात समझा नहीं सकता। पर मेरा अपना अनुभव तो मुझे इनी ज्ञानपर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार नारे विश्वास नचागन होगा है, उस शाश्वत नियममें अनल विश्वास रखे बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। इस विश्वासमें विहीन व्यक्ति तो समुद्रमें डल्लग धा पत्नेवाली उम बूजके समान है, जो नष्ट होकर ही रहती है, परन्तु जो बूज समुद्रमें ही रहती है वह उनकी गौरव-वृद्धिमें योग देती है और हमें प्राण-प्रद वायु पहुचानेका सम्मान उसे प्राप्त होता है।

हृदयम संवत्

२४ अग्रेत १८३७

## विद्यार्थियोंके लिए

“हरिजन’ के पिछले एक अकमे आपने ‘एक युवककी कठिनाई’ शीर्षक एक लेख लिखा है, जिसके सम्बन्धमे नम्रता-पूर्वक आपको यह लिख रहा हूँ । मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस विद्यार्थीके साथ न्याय नहीं किया । यह प्रश्न आसानीसे हल होनेवाला नहीं । उसके सवालका आपने जो जवाब दिया है, वह सदिग्ध और सामान्य रायका है । आपने विद्यार्थियोंसे यह कहा है कि वे भूठी प्रतिष्ठाका खयाल छोडकर साधारण मजदूरोंकी तरह बन जाय । यह सब सिद्धातकी बाते आदमीको कुछ रास्ता नहीं सुझाती और न आप-जैसे बहुत ही व्यावहारिक आदमीको शोभा देती है । इस प्रश्नपर आप अधिक विस्तारके साथ विचार करनेकी कृपा करे और नीचे मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, उसमे क्या रास्ता निकाला जाय, इसका तफसील-वार व्यावहारिक और व्यापक उत्तर दे ।

मैं लखनऊ-यूनिवर्सिटीमे एम० ए० का विद्यार्थी हूँ । प्राचीन भारतीय इतिहास मेरा विषय है । मेरी उम्र करीबन २१ सालकी है । मैं विद्याका प्रेमी हूँ और मेरी यह इच्छा है कि जीवनमे जितनी भी विद्या प्राप्त कर सकूँ, करूँ । आपका बताया हुआ जीवनका आदर्श भी मुझे प्रिय है । एकाध महीनेमे मैं एम० ए० फाइनलकी परीक्षा दे दूंगा और मेरी पढाई पूरी हो जायगी । इसके बाद मुझे ‘जीवनमे प्रवेश’ करना पडेगा ।

मुझे अपनी पत्नीके अलावा ४ भाइयो, (मुझसे सब छोटे हैं, और एककी शादी भी हो चुकी है) २ बहनो और माता-पिताका पोषण करना है । हमारे पास कोई पूजीका साधन नहीं है । जमीन है, पर बहुत ही थोडी ।

अपने भाई-बहनोकी शिक्षाके लिए क्या करूँ ? फिर बहनोकी शादी

भी तो जल्दी करनी है । इस सबके अलावा घर-भरके लिए अन्न और वस्त्र कहासे लाकर जुटाऊगा ?

मुझे मौज व टीमटामसे रहनेका मोह नहीं है । मैं और मेरे आश्रित-जन अच्छा निरोगी जीवन बिता सकूँ, और वक्त-जरूरतका काम अच्छी तरह चलता जाय, तो इतनेसे मुझे सतोष है । दोनो समय स्वास्थ्यकर आहार और ठीक-ठीक कपडे मिलते जाय, वस इतना ही मेरे सामने सवाल है ।

पैसेके वारेमे मैं ईमानदारीके साथ रहना चाहता हू । भारी सूद लेकर या शरीर बेचकर मुझे रोजी नहीं कमाना है । देश-सेवा करनेकी भी मुझे इच्छा है । अपने इस लेखमे आपने जो शर्तें रखी हैं, इन्हें पूरा करनेके लिए मैं तैयार हू ।

पर मुझे यह नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करू ? शुरुआत कहा और कैसे की जाय ? शिक्षा मुझे केवल किताबी और अव्यावहारिक मिली है । कभी-कभी मैं सूत कातनेका विचार करता हू; पर कातना सीखे कैसे, और उस सूतका क्या होगा, इसका भी मुझे पता नहीं ।

जिन परिस्थितियोंमे मैं पड़ा हू, उनमे आप मुझे क्या सन्तति-नियमनके कृत्रिम साधन काममे लानेकी सलाह देगे ? सयम और ब्रह्मचर्यमे मेरा विश्वास है, पर बह्मचारी बननेमे मुझे अभी कुछ समय लगेगा । मुझे भय है कि पूर्ण संयमकी सिद्धि प्राप्त होनेके पूर्व यदि मैं कृत्रिम साधनोका उपयोग नहीं करूंगा, तो मेरी स्त्रीके कई बच्चे पैदा हो जायगे और इस तरह बैठे ठाले मैं आर्थिक वरवादी मोल ले लूंगा । और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्त्रीसे, उसके स्वाभाविक भावना-विकाममे, कड़े सयमका पालन कराना विलकुल ही उचित नहीं । आखिरकार साधारण स्त्री-पुरुषोके जीवनमे विषय-भोगके लिए तो स्थान है ही । मैं उसमे अपवाद-रूप नहीं हू । और मेरी स्त्रीको, आपके 'ब्रह्मचर्य', 'विषय-भेवनके खतरे' आदि विषयोके महत्त्वपूर्ण लेख पढने व समझनेका मौका नहीं मिला, इसलिए वह इतसे भी कम तैयार है ।

मुझे अफसोस है कि पत्र ज्यादा लम्बा हो गया है; पर मैं नक्षेपमें

लिखकर इतनी स्पष्टताके साथ अपने विचार जाहिर नही कर सकता था ।

इस पत्रका आपको जो उपयोग करना हो वह आप खुशीसे कर सकते हैं ।”

यह पत्र मुझे फरवरीके अन्तमे मिला था, पर जवाब इसका मैं अब लिख सका हू । इसमे ऐसे महत्वके प्रश्न उठाये गये हैं कि हर एककी चर्चाके लिए इस अखबारके दो-दो कालम चाहिए, पर मैं सक्षेपमे ही जवाब दूंगा ।

इस विद्यार्थीने जो कठिनाइया बताई हैं, वे देखनेमे गम्भीर मालूम होती हैं; पर वे उसकी खुदकी पैदा की हुई हैं । इन कठिनाइयोके नाम निर्देश भरसे ही जान लेना चाहिए कि इस विद्यार्थीकी और अपने देशकी शिक्षा-पद्धतिकी स्थिति कितनी खोटी है । यह पद्धति शिक्षाको केवल बाजारू, बेचकर पैसा पैदा करनेकी चीज बना देती है । मेरी दृष्टिसे शिक्षाका उद्देश्य बहुत ऊंचा ओर पवित्र है । यह विद्यार्थी अगर अपनेको करोडो आदमियोमेसे एक माने, तो वह देखेगा कि वह अपनी डिग्रीमे जो आशा रखता है, वह करोडो युवक और युवतियोसे पूरी नही हो सकती । अपने पत्रमे उसने जिन सम्बन्धियोका जिक्र किया है उनकी परवरिशके लिए वह क्यो जवाबदार बने ? बडी उम्रके आदमी अच्छे मजबूत शरीरके हो, तो वे अपनी आजीविकाके लिए मेहनत-मजूरी क्यो न करे ? एक उद्योगी मधुमक्खीके पीछे—भले ही वह नर हो—बहुत-सी आलसी मधु-मक्खियोका रखना गलत तरीका है ।

इस विद्यार्थीकी उलझनका इलाज, उसने जो बहुत-सी चीजे सीखी हैं, उनके भूल जानेमे है । उसे शिक्षा-सम्बन्धी अपने विचार बदल देने चाहिए । अपनी वहनोको वह ऐसी शिक्षा क्यो दे, जिसपर इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पडे ? वे कोई उद्योग-धन्धा वैज्ञानिक रीतिसे सीखकर अपनी बुद्धिका विकास कर सकती हैं । जिस क्षण वे शरीरके विकासके साथ-साथ मनका विकास कर लेगी, अगर वे ऐसा करेगी, उसी क्षण वे अपनेको समाजका शोषण करने वाली नही, किन्तु सेविकाये समझना ।

सीखेगी, तो उनके हृदयका अर्थात् आत्माका भी विकास होगा। और वे अपने भाईके साथ आजीविकाके लिए काम करनेमें समान हिस्सा लेगी।

पत्र लिखनेवाले विद्यार्थीने अपनी बहनोके व्याहका उल्लेख किया है। उसकी भी यहा चर्चा कर लू। शादी 'जल्दी' होगी ऐसा लिखनेका क्या अर्थ है, यह मैं नहीं जानता। २० सालकी उम्र न हो जाय, तबतक उनकी शादी करनेकी जरूरत ही नहीं और अगर वह अपने जीवनका सारा क्रम बदल लेगा तो वह अपनी बहनोको अपना-अपना वर खुद ढूढ लेने देगा; और विवाह-सम्कारमें ५) रुपयेसे अधिक खर्च होना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसे कितने ही विवाहोमें उपस्थित रहा हू, और उनमें उन लड़कियोंके पति या उनके बड़े-बूढे खासी अच्छी स्थितिके प्रेजुएट थे।

कातना कहा और कैसे सीखा जा सकता है, उसे इसका भी पता नहीं। उसकी यह लाचारी देखकर करुणा आती है। लखनऊमें वह प्रयत्न-पूर्वक तलाश करे, तो कातना सिखाने-वाले उसे वहा कई युवक मिल सकते हैं; पर उसे अकेला कातना सीख कर बैठे रहनेकी जरूरत नहीं, हालाकि सूत कातना भी पूरे समयका धन्धा होता जा रहा है, और वह ग्राम-वृत्ति वाले स्त्री-पुरुषोको पर्याप्त आजीविका दे सकनेवाला उद्योग बनता जा रहा है। मुझे आगा है कि मैंने जो कहा है, उसके वाद वाकीका सब यह विद्यार्थी खुद समझ लेगा।

अब सन्तति-नियमनके कृत्रिम साधनोके सम्बन्धमें यहा भी उसकी कठिनाई काल्पनिक ही है। यह विद्यार्थी अपनी स्त्रीकी बुद्धिको जिस तरह आक रहा है, वह ठीक नहीं। मुझे तो जरा भी शका नहीं कि अगर वह साधारण स्त्रियोंकी तरह है, तो पतिके समयके अनुकूल वह सहल हो जायगी। विद्यार्थी खुद अपने मनसे पूछकर देखे कि उसके मनमें पर्याप्त समय है या नहीं? मेरे पास जितने प्रमाण है, वे तो सब यही बताते हैं कि समय-शक्तिका अभाव स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषमें ही अधिक होता है; पर इस विद्यार्थीको अपनी समय रखनेकी शक्ति कम समझकर उसे हिसाब-मेंसे निकाल देनेकी जरूरत नहीं। उसे बड़े कुटुम्बकी सम्भावनादा मर्दानगीके साथ सामना करना चाहिए, और उस परिवारके पालन-पोषण

करनेका अच्छे-से-अच्छा जरिया दूढ लेना चाहिए । उसे जानना चाहिए कि करोडो आदमियोको इन कृत्रिम साधनोका पता ही नही, इन साधनोको काममे लानेवालोकी सख्या तो बहुत-बहुत होगी तो कुछेक हजार ही होगी । उन करोडोको इस बातका भय नही होता कि बच्चोका पालन किस तरह करेगे, यद्यपि बच्चे वे सब मा-बापकी इच्छासे नही होते । मै चाहता हू कि मनुष्य अपने कर्मके परिणामका सामना करनेसे इन्कार न करे । ऐसा करना कायरता है । जो लोग कृत्रिम साधनोको काममे लाते है, वे सयमका गुण नही सीख सकते । उन्हे इसकी जरूरत नही पडेगी । कृत्रिम साधनोके साथ भोगा हुआ भोग बच्चोका आना तो रोकेगा, पर पुरुष और स्त्री दोनोकी—स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषकी अधिक—जीवन-शक्तिको वह चूस लेगा । आसुरी वृत्तिके खिलाफ युद्ध करनेसे इन्कार करना नामर्दी है । पत्र-लेखक अगर अनचाहे बच्चोको रोकना चाहता है, तो उसके सामने एक-मात्र अचूक और सम्मानित मार्ग यही है कि उसे सयम-पालन करनेका निश्चय कर लेना चाहिए । सौ बार भी उसके प्रयत्न निष्फल जाय तो भी क्या सच्चा आनन्द तो युद्ध करनेमे है, उसका परिणाम तो ईश्वरकी कृपासे ही आता है ।

हरिजन सेवक,

२४ अप्रैल १९३७

## विवाह-संस्कार

[गाधी-सेवा-सघके हुदलीमे हुए तृतीय अधिवेशनमे गाधीजीकी पोती तथा श्री महादेव देसाईकी बहनका विवाह हुआ था ।

अपने स्वभावके विपरीत, गाधीजी ने उस दिन सबकी उपस्थितिमे वर-वधुओसे जो कहना था वह नहीं कहा; बल्कि खानगी तौरपर उन्हे उपदेश दिया । किन्तु गाधीजीके वे विचार सभी दम्पतियोके लिए हितकर है, अत मैं उन विचारोको नीचे सारांश रूपमे देनेका, जहातक मुझसे हो सकेगा, प्रयत्न करता हू ।

—म० दे०]

“तुम्हे यह जानना ही चाहिए कि मैं इन संस्कारोमे उसी हदतक विश्वास करता हू, जहातक कि ये हमारे अन्दर कर्तव्य-पालनकी भावनाको जगाते हैं । जबसे मैंने अपने सम्बन्धमे विचार करना शुरू किया, तभीसे मेरी यह मनोवृत्ति है । तुमने जिन मत्रोका उच्चारण किया, तभीसे मेरी यह मनोवृत्ति है । तुमने जिन मत्रोका उच्चारण किया है और जिन प्रतिज्ञाओको लिया है, वे सबकी-सब सस्कृतमे थी; पर तुम्हारे लिए उन सबका अनुवाद कर दिया गया था । सस्कृतका हमने इसलिए आश्रय लिया, क्योकि मैं जानता हू कि सस्कृत शब्दोमे शक्ति है, जिसके प्रभावके नीचे आना मनुष्य पसन्द ही करेगा ।

“विवाह-संस्कारके समय पतिने जो इच्छाए प्रकट की थी, उनमे एक यह भी है कि बधू अच्छे निरोगी पुत्रकी जननी बने । इस कामनासे मुझे आघात नहीं पहुंचा । इसके माने यह नहीं है कि सन्तान पैदा करना लाजिमी है; पर इसका अर्थ यह है कि यदि संतानकी आवश्यकता है, तो शुद्ध धर्म-भावनासे विवाह करना जरूरी है । जिसे सन्तानकी जरूरत नहीं, उसे

विवाह करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं। विषय-भोगकी तृप्तिके लिए किया हुआ विवाह विवाह नहीं वह तो व्यभिचार है। इसलिए आजके विवाह-संस्कारोका अर्थ यह है कि जब स्त्री-पुरुष दोनोंकी ही सन्ततिके लिए स्पष्ट इच्छा हो, केवल तभी उन्हें सम्भोगकी अनुमति मिलती है। यह सारी ही कल्पना पवित्र है। इसलिए इस कामको प्रार्थनापूर्वक ही करना होगा। कामोत्तेजना और विषय-सुखकी प्राप्तिके लिए साधारणतया स्त्री-पुरुषमें जो प्रेमासक्ति देखनेमें आती है, उसका इस पवित्र कल्पनामें नाम भी नहीं। अगर दूसरी सन्तान नहीं चाहिए, तो स्त्री-पुरुषका ऐसा सम्भोग जीवनमें केवल एक ही बार होगा। जो दम्पति चारित्र्य और शरीरसे स्वस्थ नहीं है, उन्हें सम्भोग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो वह 'व्यभिचार' है। अगर तुमने यह सीखा हो कि विवाह विषय-तृप्तिके लिए है तो तुम्हें यह चीज भूल जानी चाहिए। यह तो एक वहम है। तुम्हारा सारा ही संस्कार पवित्र अग्निकी साक्षीमें हुआ है। तुम्हारे अन्दर जो भी काम-वासना हो उसे वह पवित्र अग्नि भस्म कर दे।

“एक और वहमसे तुम्हें अलग रखनेके लिए मैं तुमसे कहूँगा। यह वहम दुनियामें आजकल जोरोसे फैलता जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इन्द्रिय-निग्रह और संयम गलत तरीके हैं, और विषय-वासनाकी अबाध तृप्ति और स्वच्छन्द प्रेम सबसे अधिक प्राकृतिक वस्तु है। इससे अधिक विनाशकारी वहम कभी सुननेमें नहीं आया। हो सकता है कि तुम आदर्शतक न पहुँच सको, तुम्हारा शरीर अशक्त हो; पर इससे आदर्शको नीचा न कर देना, अधर्मको धर्म न बना लेना। अपनी आत्म-निर्वलताके क्षणोंमें मेरा यह कहना याद रखना। इस पवित्र अवसरकी स्मृति तुम्हें डावाडोल न होने दे, और तुम्हें इन्द्रिय-निग्रहकी ओर ले जाय। विवाह-का अर्थ ही इन्द्रिय-निग्रह और काम-वासनाका दमन है। अगर विवाह-का कोई दूसरा अर्थ है तो वह स्वार्पण नहीं, किन्तु सन्तति-प्राप्तिको छोड़कर किसी दूसरे प्रयोजनसे किया हुआ विवाह विवाह नहीं है। विवाहने तुम्हें मैत्री और समानताके स्वर्ण-सूत्रसे बाध दिया है। पतिको अगर स्वामी कहा गया है तो पत्नीको 'स्वामिनी'। एक-दूसरेके दोनों सहायक हैं, जीवनके

समस्त कार्य और कर्तव्य पूरे करनेमें वे एक-दूसरेका सहयोग करने वाले हैं। लड़को ! तुमसे मैं यह कहूंगा कि अगर ईश्वरने तुम्हें अच्छी बुद्धि और उज्ज्वल भावनाएँ बख्शी हैं तो तुम अपनी पत्नियोंमें भी इन सद्गुणोंका प्रवेश करो। उनके तुम सच्चे शिक्षक और मार्ग-दर्शक बनना, उन्हें मदद देना और उन्हें मार्ग दिखाना; पर कभी उनके बाधक न बनना, न उन्हें गलत रास्ते पर ले जाना। तुम्हारे बीचमें विचार, वचन और कर्मका पूर्ण सामंजस्य हो, तुम अपने हृदयकी बात एक-दूसरेसे न छिपाओ, तुम एकात्म बन जाओ।

“मिथ्याचारी या दम्भी न बनना। जिस कामका करना तुम्हारे लिए असम्भव हो, उसे पूरा करनेके निष्फल प्रयत्नमें अपना स्वास्थ्य न गिरा बैठना। इन्द्रिय-निग्रहसे कभी किसीका स्वास्थ्य नष्ट नहीं होता। जिससे मनुष्यका स्वास्थ्य नष्ट होता है, वह निग्रह नहीं किन्तु बाह्य अवरोध है। सच्चे आत्म-निग्रही व्यक्तिकी शक्ति तो दिन-दिन बढ़ती है और शान्तिके वह अधिकाधिक समीप पहुँचता जाता है। आत्म-निग्रहकी सबसे पहली सीढ़ी विचारोंका निग्रह है। अपनी मर्यादाको समझ लो, और जितना हो सके उतना ही करो। मैंने तो तुम्हारे सामने आदर्श रख दिया है— एक समकोण खींच दिया है। अपनी शक्तिके अनुसार जितना तुमसे हो सके उतना प्रयत्न इस आदर्शतक पहुँचनेका करना। पर अगर तुम असफल हो जाओ तो दुःख या शर्मका कोई कारण नहीं। मैंने तो तुम्हें सिर्फ यह बतलाया है कि यज्ञोपवीत-संस्कारकी तरह विवाह भी एक स्वार्पण-संस्कार है, एक नया जन्म धारण करना है। मैंने तुमसे जो कहा है, उससे भयभीत न होना, और न कोई दुर्बलता महसूस करना। हमेशा विचार, वचन और कर्मकी पूर्ण एकताको अपना लक्ष्य बनाये रहना। विचारमें जितनी सामर्थ्य है, उतनी और किसी वस्तुमें नहीं। कर्म वचनका अनुसरण करता है और वचन विचारका। ससार एक महान् प्रबल विचारका ही परिणाम है, और जहाँ विचार प्रबल और पवित्र है वहाँ परिणाम भी हमेशा प्रबल और पवित्र होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक उच्चादर्शका अभेद्य कवच धारण करके जाओ, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें

कोई भी प्रकृतिक हानि नहीं पहुँचा सकेगा, कोई भी अपवित्रता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी ।

“जिन विधियोंको तुम्हे समझाया गया है, उन्हें याद रखना । ‘मधु-पर्क’ की सीधी-सादी दीखनेवाली विधिको ही ले लो । इसका अभिप्राय यह है कि सारा सस्कार मधुसे परिपूर्ण है, ज़रूरत सिर्फ यह है कि जब वाकी सब लोग उसमे से अपना हिस्सा ले ले, तब तुम उसे ग्रहण करो । अर्थात् त्यागसे ही आनन्द मिलता है ।”

“लेकिन,” एक वरने पूछा, “अगर सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा न हो, तो क्या विवाह ही नहीं करना चाहिए ?”

“निश्चय ही नहीं”, गाधीजीने कहा, “आध्यात्मिक विवाहोमे मेरा विश्वास नहीं है । कई ऐसे उदाहरण ज़रूर मिलते हैं कि जिनमे पुरुषोने शारीरिक सम्भोगका कोई खयाल न कर सिर्फ स्त्रियोकी रक्षा करनेके विचारसे ही विवाह किये, लेकिन यह निश्चय है कि ऐसे उदाहरण बहुत कम बिरले ही हैं । पवित्र वैवाहिक जीवनके बारेमे मैंने जो-कुछ लिखा है, वह सब तुम्हे ज़रूर पढ लेना चाहिए । मुझपर तो, मैंने महाभारतमे जो कुछ पढा है, दिन-पर-दिन उसका ज्यादाह-से-ज्यादाह असर पडता जा रहा है । उसमे व्यासके नियोग करनेका वर्णन है । उसमे व्यासको सुन्दर नहीं बताया है, बल्कि वह तो इससे विपरीत थे । उनकी शकल-सूरतका उसमे जो वर्णन आया है, उससे मालूम पडता है कि देखनेमे वह बडे कुरूप थे, प्रेम-प्रदर्शनके लिए कोई हाव-भाव भी उन्होने नहीं बताये ? बल्कि सम्भोगसे पहले अपने सारे शरीर पर उन्होने घी चुपड लिया था । उन्होने सम्भोग किया वह विषय-वासनाकी पूर्तिके लिए नहीं, बल्कि सन्तानोत्पत्तिके लिए किया था । सन्तानकी इच्छा बिलकुल स्वाभाविक है, और जब एक वार यह इच्छा पूर्ण हो जाय, तो फिर सम्भोग नहीं करना चाहिए ।

मनुने पहली सन्ततिको धर्मज अर्थात् धर्म-भावनासे उत्पन्न बताया है और उसके बाद पैदा होनेवालेको कामज अर्थात् कामवृत्तिके फल-स्वरूप पैदा होनेवाला कहा है । सार-रूपमे वैपयिक सम्बन्धोका यही विधान है । और ‘विधान ही ईश्वर है और विधान या नियमका पालन ही ईश्वर-

## ब्रह्मचर्य—१ : विवाह-संस्कार

की आज्ञाको मानना है ।' यह याद रखो कि तीन बार ~~तुमने~~ यह ~~वचन~~ लिया गया है कि 'किसी भी रूपमें मैं इस विधानका भंग नहीं करूँगा'। अगर मुट्ठी-भर स्त्री-पुरुष ही हमें ऐसे मिल जायें, जो इस विधानसे बन्धनेको तैयार हों तो बलवान और सच्चे स्त्री-पुरुषोंकी एक जाति-की-जाति पैदा हो जायगी ।"

हरिजन सेवक,  
२४ अप्रैल १९३७

## धर्म-संकट

एक सज्जन लिखते हैं

“करीब ढाई साल हुए, हमारे शहरमे एक घटना हो गई थी जो इस प्रकार है—

एक वैश्य गृहस्थकी १६ वरसकी एक कुमारी कन्या थी। लडकीका मामा, जिसकी उम्र लगभग २१ वर्षकी थी, स्थानीय कालेजमे पढता था। यह तो मालूम नहीं कि कबसे इन दोनो मामा और भाजीमे प्रेम था, पर जब बात खुल गई तो उन दोनोने आत्म-हत्या कर ली। लडकी तो फौरन ही ज़हर खानेके बाद मर गई, पर लडका दो रोज बाद अस्पतालमे मरा। लडकीको गर्भ भी था। इस बातकी शुरू-शुरूमे तो खूब चर्चा चली। यहातक कि अभागो मा-बापको शहरमे रहना भारी हो गया, पर वक्तके साथ-साथ यह बात भी दब गई और लोग भूलने लगे। कभी-कभी जब ऐसी मिलती-जुलती बात सुननेको मिलती है, तब पुरानी बातोकी भी चर्चा होती है और यह वाक्या भी दोहरा दिया जाता है, पर उस जमानेमे, जब करीब-करीब सभी लडकीको और लडकेको भी बुरा-भला कह रहे थे, मैंने यह राय अर्ज की थी कि ऐसी हालतमे समाजको विवाह कर लेनेकी इजाजत दे देनी चाहिए। इस बातसे समाजमे खूब बवण्डर उठा। आपकी इसपर क्या राय है ?”

मैंने स्थानका और लेखकका नाम नहीं दिया है, क्योकि लेखक नहीं चाहते कि उनका अथवा उनके गहरका नाम प्रकाशित किया जाय। तो भी इस प्रश्नपर ज़ाहिर चर्चा आवश्यक है। मेरी तो यह राय है कि ऐसे सम्बन्ध जिस समाजमे त्याज्य माने जाते है, वहा विवाहका रूप यकायक नहीं ले सकते, लेकिन किसीकी स्वतन्त्रतापर समाज या सम्बन्धी

आक्रमण क्यों करे ? ये मामा और भाजी सयानी उम्रके थे, अपना हित-अनहित समझ सकते थे । उन्हें पति-पत्नीके सम्बन्धसे रोकनेका किसीको हक नहीं था । समाज भले ही इस सम्बन्धको अस्वीकार करता; पर उन्हें आत्म-हत्या करनेतक जाने देना तो बहुत बड़ा अत्याचार था ।

उक्त प्रकारके सम्बन्धका प्रतिबन्ध सर्वमान्य नहीं है । ईसाई, मुसलमान, पारसी इत्यादि कौमोमे ऐसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं माने जाते हैं—हिन्दुओमे भी प्रत्येक वर्णमे त्याज्य नहीं है । उसी वर्णमे भिन्न प्रान्तमे भिन्न प्रथा है । दक्षिणमे उच्च माने जाने वाले ब्राह्मणोमे ऐसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं, बल्कि स्तुत्य भी माने जाते हैं । मतलब यह है कि ऐसे प्रतिबन्ध रूढियोसे बने हैं । यह देखनेमे नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या तात्त्विक निर्णयसे बने हैं ।

लेकिन समाजके सब प्रतिबन्धोको नवयुवक-वर्ग छिन्न-भिन्न करके फेंक दे, यह भी नहीं होना चाहिए । इसलिए मेरा यह अभिप्राय है कि किसी समाजमे रूढिका त्याग करवानेके लिए लोक-मत तैयार करानेकी आवश्यकता है । इस बीचमे व्यक्तियोको धैर्य रखना चाहिए । धैर्य न रख सके तो बहिष्कारादिको सहन करना चाहिए ।

दूसरी ओर समाजका यह कर्तव्य है कि जो लोग समाज-बन्धन तोड़े, उनके साथ निर्दयताका वर्ताव न किया जाय । बहिष्कारादि भी अहिंसक होने चाहिए ।

उक्त आत्म-हत्याओका दोष, जिस समाजमे वे हुई, उसपर अवश्य है, ऐसा ऊपरके पत्रसे सिद्ध होता है ।

हरिजन सेवक,

१ मई १९३७

## अप्राकृतिक व्यभिचार

कुछ साल पहले बिहार-सरकारने अपने शिक्षा-विभागमे पाठशाला-ओमे होने वाले अप्राकृतिक व्यभिचारके सम्बन्धमे जाच करवाई थी। जाच-समितिने इस बुराईको शिक्षको तकमे पाया था, जो अपनी अस्वाभाविक वासनाकी तृप्तिके कारण विद्यार्थियोके प्रति अपने पदका दुरुपयोग करते हैं। शिक्षा-विभागके डाइरेक्टरने एक सरकुलर द्वारा शिक्षकोमे पाई जानेवाली ऐसी बुराईका प्रतिकार करनेका हुक्म निकाला था। सरकुलरका जो परिणाम हुआ होगा—अगर कोई हुआ हो—वह अवश्य ही जानने लायक होगा।

मेरे पास इस सम्बन्धमे भिन्न-भिन्न प्रान्तोसे साहित्य भी आया है, जिसमे इस और ऐसी बुराईयोकी तरफ मेरा ध्यान खींचा गया है और कहा गया है कि यह प्रायः भारत-भरके तमाम सार्वजनिक और प्राइवेट मदरसोमे फैल गया है और बराबर बढ़ रहा है।

यह बुराई यद्यपि अस्वभाविक है तथापि इसकी विरासत हम अनन्त कालसे भोगते आ रहे हैं। तमाम छुपी बुराईयोका इलाज ढूढ़ निकालना एक कठिनतम काम है। यह और भी कठिन बन जाता है, जब इसका असर बालकोके सरक्षकपर भी पड़ता है—और शिक्षक बालकोके सरक्षक हैं ही। प्रश्न होता है कि 'अगर प्राण-दाता ही प्राणहारक हो जाय तो फिर प्राण कैसे बचे?' मेरी रायमे जो बुराईया प्रगट हो चुकती हैं, उनके सम्बन्धमे विभागकी ओरसे वाज्जाब्ता कार्रवाई करना ही इस बुराईके प्रतिकारके लिए काफी न होगा। सर्वसाधारणके मतको इस सम्बन्धमे सुगठित और सुसंस्कृत बनाना इसका एक-मात्र उपाय है, लेकिन इस देशके कई मामलोमे प्रभावशाली लोकमत जैसी कोई बात है ही नहीं।

राजनैतिक जीवनमें असहायता या बेबसीकी जिस भावनाका एकच्छत्र राज्य है उसने देशके जीवनके सब क्षेत्रोंपर अपना असर डाल रखा है। अतएव जो बुराईया हमारी आंखोंके सामने होती रहती है, उन्हें भी हम टाल जाते हैं।

जो शिक्षा-प्रणाली साहित्यिक योग्यतापर ही एकान्त जोर देती है, वह इस बुराईको रोकनेके लिए अनुपयोगी ही नहीं है; बल्कि उससे उलटे बुराईको उत्तेजना ही मिलती है। जो बालक सार्वजनिक शालाओमें दाखिल होनेसे पहले निर्दोष थे, शालाके पाठ्य-क्रमके समाप्त होते-होते वे ही दूषित, स्वैण और नामर्द बनते देखे गये हैं। बिहार-समितिनै 'बालको-के मनपर धार्मिक प्रतिष्ठाके सस्कार जमाने' की सिफारिश की है, लेकिन दिल्लीके गलेमें घटी कौन बाधे ? अकेले शिक्षक ही धर्मके प्रति आदर-भावना पैदा कर सकते हैं; लेकिन वे स्वयं इससे शून्य हैं। अतएव प्रश्न शिक्षकोके योग्य चुनावका प्रतीत होता है; मगर शिक्षकोके योग्य चुनावका अर्थ होता है, या तो अबसे कहीं अधिक वेतन या फिर शिक्षणके ध्येयका काया-पलट—याने शिक्षाको पवित्र कर्तव्य मानकर शिक्षकोका उसके प्रति जीवन अर्पण कर देना। रोमन कैथालिकोंमें यह प्रथा आज भी विद्यमान है। पहला उपाय तो हमारे-जैसे गरीब देश के लिए स्पष्ट ही असम्भव है। मेरे विचारमें हमारे लिए दूसरा मार्ग ही सुगम है; लेकिन वह भी उसकी शासन-प्रणालीके आधीन रहकर सम्भव नहीं, जिसमें हर एक चीज़की कीमत आकी जाती है, और जो दुनिया-भरमें ज्यादा-से-ज्यादा होती है।

अपने बालकोकी नैतिक सुधारणाके प्रति माता-पिताओंकी लापवाहीके कारण इस बुराईको रोकना और कठिन हो जाता है। वे तो बच्चोंको स्कूल भेजकर अपने कर्तव्यकी इति-श्री मान लेते हैं। इस तरह हमारे सामनेका काम बहुत ही विषाद-पूर्ण है; लेकिन यह सोचकर आशा भी होती है कि तमाम बुराईयोंका एक रामबाण उपाय है और वह है—आत्म-शुद्धि। बुराईकी प्रचण्डतासे घबरा जानेके बदले हममेंसे हर एकको पूरे-पूरे प्रयत्न-पूर्वक अपने आस-पासके वातावरणका सूक्ष्म निरीक्षण करते

रहना चाहिए और अपने-आपको ऐसे निरीक्षणका प्रथम और मुख्य केन्द्र मानना चाहिए। हमें यह कहकर सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए कि हममें दूसरो-की-सी बुराई नहीं है। अस्वाभाविक दुराचार कोई स्वतन्त्र अस्तित्वकी चीज नहीं है। वह तो एक ही रोगका भयकर लक्षण है। अगर हममें अपवित्रता भरी है, अगर हम विषयकी दृष्टिसे पतित हैं, तो हमें आत्मसुधार करना चाहिए और फिर पडोसियोके सुधारकी आशा रखनी चाहिए। आजकल तो हम दूसरोके दोषोके निरीक्षणमें बहुत पटु हो गए हैं और अपने-आपको अत्यन्त निर्दोष समझते हैं। परिणाम दुराचारका प्रसार होता है। जो इस बातके सत्यको महसूस करते हैं वे इससे छूटे और उन्हें पता चलेगा कि यद्यपि सुधार और उन्नति कभी आसान नहीं होते तथापि वे बहुत कुछ सम्भवनीय हैं।

हरिजन सेवक,

२७ मई १९३७

## सम्भोगकी मर्यादा

बंगलौरसे एक सज्जन लिखते हैं

“आप कहते हैं कि विवाहित दम्पतिको एकमात्र तभी सम्भोग करना चाहिए जब दोनों बच्चा पैदा करना चाहे, पर मेहरबानी करके यह तो बतलाइये कि बच्चा पैदा करनेकी इच्छा किसीको क्यों हो ? बहुत-से लोग मा-बाप बननेकी जिम्मेदारीको पूरी तरह महसूस किये बगैर ही सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा करते हैं और दूसरे, बहुत-से अच्छी तरह यह जानते हुए भी कि वे मा-बाप होनेकी जिम्मेदारियोंको निबाहनेमें असमर्थ हैं, बच्चोंकी हविस रखते हैं । बहुत-से ऐसे लोग भी बच्चे पैदा करना चाहते हैं जो शारीरिक और मानसिक दृष्टिसे सन्तानोत्पत्तिके अयोग्य हैं । क्या आप यह नहीं सोचते कि इन लोगोंके लिए प्रजनन करना गलती है ?

बच्चा पैदा करनेकी इच्छाका उद्देश्य क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ । बहुत-से लोग इसलिए बच्चोंकी इच्छा करते हैं कि वे उनकी सम्पत्तिके वारिस बनें और उनके जीवनकी नीरसताको मिटाकर सरस बनाये । कुछ लोग इसलिए भी पुत्रकी इच्छा करते हैं कि ऐसा न हुआ तो मरनेपर वे स्वर्गमें न जा सकेंगे । क्या इन सबका बच्चेकी इच्छा करना गलती नहीं है ?”

किसी बातके कारणोंकी खोज करना तो ठीक है; लेकिन हमेशा ही उन्हें पा लेना सम्भव नहीं है । सन्तानकी इच्छा विश्व-व्यापी है; लेकिन अपने वंशजोंके द्वारा अपनेको कायम रखनेकी इच्छा अगर काफी और सन्तोषजनक कारण नहीं है तो इसका कोई दूसरा सन्तोषजनक कारण मैं नहीं जानता । मगर सन्तानोत्पत्तिकी इच्छाका जो कारण मैंने बतलाया है वह अगर काफी सन्तोषजनक न मालूम हो तो भी जिस बातका मैं प्रतिपादन

कर रहा हूँ, उसमें कोई दोष नहीं आता, क्योंकि यह इच्छा तो है ही। मुझे तो यह स्वाभाविक ही मालूम पड़ती है। मैं पैदा हुआ, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे लिए यह कोई गैर-कानूनी बात नहीं है कि मुझमें जो भी सर्वोत्तम गुण हो उन्हें मैं दूसरेमें मूर्तरूपमें उतरे हुए देखू। कुछ भी हो, जबतक खुद प्रजननमें ही मुझे कोई बुराई न मालूम दे और जबतक मैं यह न देख लू कि खाली आनन्दके लिए सम्भोग करना भी ठीक ही है, तबतक मुझे इस बातपर कायम रहना चाहिए कि सम्भोग तभी ठीक है जब कि वह सन्तानोत्पत्तिकी इच्छासे किया जाय। मैं समझता हूँ कि स्मृतिकार इस बारेमें इतने स्पष्ट थे कि मनुने पहले पैदा हुए बच्चोको ही धर्म्य (धर्मसे पैदा हुए) बतलाया है और बादमें पैदा हुए बच्चोको काम्य (काम-वासनासे पैदा हुए) बतलाया है। इस विषयमें यथासम्भव अनासक्त भावसे मैं जितना अधिक सोचता हूँ उतना ही अधिक मुझे इस बातका पक्का विश्वास होता जाता है कि इस बारेमें मेरी जो स्थिति है और जिसपर मैं कायम हूँ वही सही है। मुझे यह स्पष्टतर होता जा रहा है कि इस विषयके साथ जुड़ी हुई अनावश्यक गोपनीयताके कारण इस विषयमें हमारा अज्ञान ही सारी कठिनाईकी जड़ है। हमारे विचार स्पष्ट नहीं हैं। परिणामोका सामना करनेसे हम डरते हैं। अधूरे उपायोको हम सम्पूर्ण या अन्तिम मानकर अपनाते हैं और इस प्रकार उन्हें आचरणके लिए बहुत कठिन बना लेते हैं। मगर हमारे विचार स्पष्ट हो, हम क्या चाहते हैं इस बातका हमें निश्चय हो तो हमारी वाणी और हमारे आचरण दृढ होंगे।

इस प्रकार, अगर मुझे इस बातका निश्चय हो कि भोजनका हरेक ग्रास शरीरको बनाने और कायम रखनेके ही लिए है तो स्वादकी खातिर मैं कभी खाना न चाहूँगा। यही नहीं, बल्कि मैं यह भी महसूस करूँगा कि अगर भूख या शरीरको कायम रखनेकी दृष्टिके अलावा कोई चीज सुस्वाद होनेके ही कारण खाना चाहूँ तो वह रोगकी निशानी होगी, इसलिए मुझे उसको वाजिव और स्वास्थ्यप्रद इच्छा समझकर उसकी पूर्ति करनेके वजाय अपनी इस बीमारीको दूर करनेकी ही फिक्र करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर मुझे इस बातका निश्चय हो कि प्रजननकी निर्विवाद इच्छाके वगैर

सम्भोग करना गैर-कानूनी और शरीर, मन तथा आत्माके लिए विनाशक है, तो इस इच्छाका दमन करना निश्चय ही आसान हो जायगा—उससे कही आसान, जबकि मेरे मनमें यह निश्चय न हो कि खाली इच्छाकी पूर्ति करना कानून-सम्मत और हितकर है या नहीं। अगर मुझे ऐसी इच्छाके गैर-कानूनीपन या अर्नाचित्यका स्पष्ट रूपसे भान हो तो मैं उसे एक तरहकी बीमारी समझूंगा और अपनी पूरी शक्तिके साथ उसके आक्रमणोंका मुकाबला करूंगा। ऐसे मुकाबलेके लिए तब मैं अपनेको अधिक शक्तिशाली महसूस करूंगा। जो लोग यह दावा करते हैं कि हमें यह वान पसन्द तो नहीं है, लेकिन हम असहाय हैं, वे गलती पर ही नहीं हैं, बल्कि भूठे भी हैं और इसलिए प्रतिरोधमें वे कमजोर रहते और हार जाते हैं। अगर ऐसे सब लोग आत्म-निरीक्षण करे तो उन्हें मालूम होगा कि उनके विचार उन्हें धोखा देते हैं। उनके विचारोंमें वासनाकी इच्छा होती है, और उनकी वाणी उनके विचारोंको गलत रूपमें व्यक्त करती है। दूसरी ओर यदि उनकी वाणी उनके विचारोंकी सच्ची द्योतक हो तो कमजोरी-जैसी कोई बात नहीं हो सकती। हार तो हो सकती है, पर कमजोरी हरगिज नहीं।

इन मज्जनने अस्वस्थ माता-पिताओं द्वारा किये जानेवाले प्रजननपर जो आपत्ति की है वह दिलकुल ठीक है। उन्हें प्रजननकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर वे यह कहे कि सम्भोग हम प्रजननके लिए ही करते हैं तो वे अपनेको और नसारको धोखा देते हैं। किसी भी विषयपर विचार करनेमें सचाईका हमेंना सहारा लेना पड़ता है। सम्भोगके आनन्दको छिपानेके लिए प्रजननकी इच्छाका बहाना हरगिज न लेना चाहिए।

हरिजन भेदान.

२४ सित्त १९३७

## अहिंसा और ब्रह्मचर्य

एक कांग्रेस-नेताने बातचीतके सिलसिलेमें उस दिन मुझसे कहा—  
“यह क्या बात है कि कांग्रेस अब नैतिकताकी दृष्टिसे वैसी नहीं रही जैसी कि वह १९२० से १९२५ तक थी ? तबसे तो इसकी बहुत नैतिक अव-  
नति हो गई है । अब तो इसके नव्वे फीसदी सदस्य कांग्रेसके अनुशासनका  
पालन नहीं करते । क्या आप इस हालतको सुधारनेके लिए कुछ  
नहीं कर सकते ?”

यह प्रश्न उपयुक्त और सामयिक है । मैं यह कहकर अपनी ज़िम्मे-  
दारीसे हट नहीं सकता कि अब मैं कांग्रेसमें नहीं हूँ । मैं तो और अच्छी  
तरह इसकी सेवा करनेके लिए ही इससे बाहर हुआ हूँ । कांग्रेसकी नीतिपर  
अब भी मैं अपना प्रभाव डाल रहा हूँ, यह मैं जानता हूँ । और १९२० में  
कांग्रेसका जो विधान बना था, उसे बनानेवालेकी हैसियतसे उस गिरावटके  
लिए मुझे अपनेको ज़िम्मेदार मानना ही चाहिए, जिससे कि बचा जा  
सकता है ।

कांग्रेसने आरम्भिक कठिनाइयोंके बीच सन् १९२० में काम शुरू किया  
था । सत्य और अहिंसापर बतौर ध्येयके बहुत कम लोग विश्वास करते  
थे । अधिकांश सदस्योंने इन्हे नीतिके तौरपर ही स्वीकार किया ।  
वह अनिवार्य था । मैंने आशा की थी कि नई नीतिसे कांग्रेसको काम करते  
हुए देखकर उनमेंसे अनेक इन्हे अपने ध्येयके रूपमें स्वीकार कर लेंगे ;  
लेकिन ऐसा कुछ ही लोगोंने किया, बहुतोंने नहीं । शुरूआतमें तो सबसे  
बड़े नेताओंमें भारी परिवर्तन देखनेमें आया । स्वर्गीय पंडित मोतीलाल  
नेहरू और देशबन्धुदासके जो पत्र ‘यंग इंडिया’ में उद्धृत किये गए थे,  
उन्हे पाठक भूले नहीं होंगे । समय, सादगी और अपने आपको कुर्बान

कर देनेके जीवनमें उन्हें एक नये आनन्द और एक नई आशाका अनुभव हुआ था। अलीवन्धू तो करीब-करीब फकीर ही बन गये थे। जगह-जगह दौंग करते हुए, इन भाइयोंमें होनेवाली तट्टीलीको मैं आनन्दके साथ देखता था। और जो बात इन चार नेताओंके विषयमें मच्च है, वही और भी ऐसे बहुतोंके बारेमें कही जा सकती है, जिनके कि मैं नाम गिना सकता हूँ। उन नेताओंके उत्साहका लोगोपर भी अमर पडा।

लेकिन यह प्रत्यक्ष परिवर्तन 'एक सालमें स्वराज्य' के आकर्षणकी वजहसे था। इसकी पूर्तिके लिए मैंने जो जत्तें लगाई थीं, उनपर किसीने ध्यान नहीं दिया। रवाजा अब्दुलमजीद साहबने तो यहातक कह डाला कि मत्याग्रह-मेनाके, जैसी कि कांग्रेस उन समय बन गई थी और अभी भी है, (यदि कांग्रेसवादी मत्याग्रहके अर्थको महनूस करे) सेनापतिकी हैनियतने मुझे इस बातका निश्चय कर लेना चाहिए था कि मैं जो जत्तें लगा रहा हूँ, वे ऐसी हैं जो पूरी हो जायगी। जायद उनका कहना ठीक ही था। सिर्फ यह जान-बखु मेरे पान नहीं था। सामूहिक रूपमें और राजनीतिक उद्देश्यमें अहिंसा का उपयोग खुद मेरे लिए भी एक प्रयोग ही था। इसलिए मैं सर्व-पूर्वक

लेकिन अहिंसाकी योजनामे जवर्दस्तीका कोई काम नहीं है। उसमे तो इसी बातपर निर्भर रहना पडता है कि लोगोकी बुद्धि और हृदयतक— उसमे भी बुद्धिकी अपेक्षा हृदयपर ही ज्यादा—पहुचनेकी क्षमता प्राप्त की जाय।

इसका अभिप्राय हुआ कि सत्याग्रह-सेनापतिके शब्दमे ताकत होनी चाहिए—वह ताकत नहीं जो असीमित अस्त्र-शस्त्रोसे प्राप्त होती है, बल्कि वह जो जीवनकी शुद्धता, दृढ जागरूकता और सतत आचरणसे प्राप्त होती है। यह ब्रह्मचर्यका पालन किये वगैर असम्भव है। इसका इतना सम्पूर्ण होना आवश्यक है, जितना कि मनुष्यके लिए सम्भव है। ब्रह्मचर्यका अर्थ यहा खाली दैहिक आत्मसयम या निग्रह ही नहीं है। इसका तो इससे कही अधिक अर्थ है। इसका मतलब है सभी इन्द्रियो पर पूर्ण नियमन। इस प्रकार अशुद्ध विचार भी ब्रह्मचर्यका भग है और यही हाल क्रोधका है। सारी शक्ति उस वीर्य-शक्तिकी रक्षा और ऊर्ध्वगतिसे प्राप्त होती है, जिससे कि जीवनका निर्माण होता है। अगर इस वीर्य-शक्तिको नष्ट होने देनेके वजाय, सचय किया जाय, तो यह सर्वोत्तम सृजन-शक्तिके रूपमे परिणत हो जाती है। बुरे या अस्त-व्यस्त, अव्यवस्थित, अवाछनीय विचारोसे भी इस शक्तिका वरावर और अज्ञात रूपसे क्षय होता रहता है और चूकि विचार ही सारी वाणी और क्रियाओका मूल होता है इसलिए वे भी इसीका अनुसरण करती है। इसीलिए पूर्णत नियन्त्रित विचार खुद ही सर्वोच्च प्रकारकी शक्ति है। और स्वतः क्रियाशील बन सकता है। मूकरूपमे की जानेवाली हार्दिक प्रार्थनाका मुझे तो यही अर्थ मालूम पडता है। अगर मनुष्य ईश्वरकी मूर्तिका उपासक है, तो उसे अपने मर्यादित क्षेत्रके अन्दर किसी बातकी इच्छा भर करनेकी देर है। जैसा वह चाहता है वैसा ही वह बन जाता है। जिस तरह चूने वाले नलमे भाप रखनेसे कोई शक्ति पैदा नहीं होती, उसी प्रकार जो अपनी शक्तिका किसी भी रूपमे क्षय होने देता है, उसमे इस शक्तिका होना असम्भव है। प्रजोत्पत्तिके निश्चित उद्देश्यसे न किया जाने वाला काम-सम्बन्ध इस शक्ति-क्षयका एक बहुत बडा नमूना है, इसलिए उसकी खास

तौरसे निन्दा की गई है, वह ठीक ही है, लेकिन जिसे अहिंसात्मक कार्यके लिए मनुष्य-जातिके विशाल समूहको संगठित करना है, उसे तो, इन्द्रियो-के जिस पूर्ण निग्रहका मैंने ऊपर वर्णन किया है, उसको प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना ही चाहिए।

ईश्वरकी असीम कृपाके बगैर यह सम्पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह सम्भव नहीं है। गीताके दूसरे अध्यायमें एक श्लोक है—

“विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः,  
रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।”

अर्थात्—जबतक उपवास किये जाते हैं, तबतक इन्द्रिया विषयोकी ओर नहीं दौडती, पर अकेले उपवाससे रस सूख नहीं जाते। उपवास छोडते ही वे और बढ भी सकते हैं। इसको वशमें करनेके लिए तो ईश्वर-का प्रसाद आवश्यक है। यह नियमन यात्रिक या अस्थायी नहीं है। एक वार प्राप्त हो जानेके बाद यह कभी नष्ट नहीं होता। उस हालतमें वीर्य-शक्ति इस तरह सुरक्षित रहती है कि अगणित रास्तोमेंसे किसीमें होकर उसके निकलनेकी सम्भावना ही नहीं रहती।

कहा गया है कि ऐसा ब्रह्मचर्य यदि किसी तरह प्राप्त किया जा सकता हो तो कन्दराओमें रहनेवाले ही कर सकते होंगे। ब्रह्मचारीको तो, कहते हैं, स्त्रियोका स्पर्श तो क्या, उसका दर्शन भी कभी नहीं करना चाहिए। निस्सन्देह किसी ब्रह्मचारीको काम-वासनासे किसी स्त्रीको न तो छूना चाहिए, न देखना चाहिए और न उसके विषयमें कुछ कहना या सोचना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य-विषयक पुस्तकोमें हमें यह जो वर्णन मिलता है उसमें इसके महत्वपूर्ण अव्यय ‘कामवासना-पूर्वक’ का उल्लेख नहीं मिलता। इस छूटकी वजह यह मालूम पडती है कि ऐसे मामलोमें मनुष्य निष्पक्षरूपसे निर्णय नहीं कर सकता और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कब तो उसपर ऐसे सम्पर्कका असर पडा और कब नहीं। काम-विकार अक्सर अनजाने ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए दुनियामें आज्ञादीसे सबके साथ हिलने-मिलनेपर ब्रह्मचर्यका पालन यद्यपि कठिन है, लेकिन

अगर ससारसे नाता तोड़ लेनेपर ही यह प्राप्त हो सकता हो तो उसका कोई विशेष मूल्य ही नहीं है ।

जैसे भी हो मैंने तो तीस वर्षसे भी अधिक समयसे प्रवृत्तियोंके बीच रहते हुए ब्रह्मचर्यका खासी सफलताके साथ पालन किया है । ब्रह्मचर्यका जीवन बितानेका निश्चय कर लेनेके बाद, अपनी पत्नीके साथ व्यवहारको छोड़कर मेरे बाह्य आचरणमें कोई अन्तर नहीं पडा । दक्षिण अफ्रिकामे भारतीयोंके बीच मुझे जो काम करना पडा, उसमें मैं स्त्रियोंके साथ आज्ञादी-के साथ हिलता-मिलता था । ट्रासवाल और नेटालमें शायद ही कोई ऐसी भारतीय स्त्री हो जिसे मैं न जानता होऊ । मेरे लिए तो इतनी सारी स्त्रियां वहने और बेटियां ही थीं । मेरा ब्रह्मचर्य पुस्तकीय नहीं है । मैंने तो अपने तथा उन लोगोंके लिए जो कि मेरे कहनेपर इस प्रयोगमें शामिल हुए हैं, अपने ही नियम बनाये हैं और अगर मैंने इसके लिए निर्दिष्ट निषेधोका अनुसरण नहीं किया है, तो धार्मिक साहित्यमें स्त्रियोंको जो सारी बुराई और प्रलोभनका द्वार बताया गया है, उसे मैं इतना भी नहीं मानता । मैं तो ऐसा मानता हू कि मुझमें जो भी अच्छाई हो वह सब मेरी माकी वदौलत है । इसलिए स्त्रियोंको मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि काम-वासनाकी तृप्तिके लिए ही वे बनाई गई हैं, बल्कि हमेशा उसी श्रद्धाके साथ देखा है जो कि मैं अपनी माताके प्रति रखता हू । पुरुष ही प्रलोभन देनेवाला और आक्रमण करने वाला है । स्त्रीके स्पर्शसे वह अपवित्र नहीं होता; बल्कि अक्सर वह खुद ही उसका स्पर्श करने लायक पवित्र नहीं होता । लेकिन हालमें मेरे मनमें सन्देह जरूर उठा है कि स्त्री या पुरुष-के सम्पर्कमें आनेके लिए ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणीको किस तरहकी मर्यादाओका पालन करना चाहिए । मैंने जो मर्यादाएं रखी हैं वे मुझे पर्याप्त नहीं मालूम पडती, लेकिन वे क्या होनी चाहिए, यह मैं नहीं जानता । मैं तो प्रयोग कर रहा हू । इस बातका मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं अपनी परिभाषाके अनुसार पूरा ब्रह्मचारी बन गया हू । अब भी मैं अपने विचारोपर उतना नियंत्रण नहीं रख सकता हू जितने नियंत्रणकी अपनी अहिंसाकी शोधोके लिए मुझे आवश्यकता है, लेकिन अगर मेरी अहिंसा

ऐसी हो जिसका दूसरोपर असर पड़े और वह उनमे फैले, तो मुझे अपने विचारोपर और अधिक नियंत्रण करना ही चाहिए। इस लेखके आरम्भिक वाक्यमे नेतृत्वकी जिस प्रत्यक्ष असफलताका उल्लेख किया गया है, उसका कारण शायद कही-न-कही किसी कमीका रह जाना ही है।

अहिंसामे मेरा विश्वास हमेशाकी तरह दृढ है। मुझे इस बातका पूरा विश्वास है कि इससे न केवल हमारे देशकी सारी आवश्यकताओकी पूर्ति होनी चाहिए, बल्कि अगर ठीक तरहसे इसका पालन किया जाय तो यह उस खून-खराबीको भी रोक सकती है, जो हिन्दुस्तानके बाहर हो रही है और सारे पश्चिमी ससारमे जिसके व्याप्त हो जानेका अन्देशा है।

मेरी आकाक्षा तो मर्यादित है। परमेश्वरने मुझे इतनी शक्ति नहीं दी है, जो अहिंसाके पथपर सारी दुनियाकी रहनुमाई करू; लेकिन मैंने यह कल्पना जरूर की है कि हिन्दुस्तानकी अनेक खराबियोंके निवारणार्थ अहिंसाका प्रयोग करनेके लिए उसने मुझे अपना औजार बनाया है। इस दिशामे अभीतक जो प्रगति हो चुकी है, वह महान् है; लेकिन अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। इतनेपर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आम तौरपर कांग्रेसवादियोंकी जो सहानुभूति आवश्यक है उसे उकसानेकी शक्ति मुझमे नहीं रही है। जो अपने औजारोंको ही बुरा बतलाता रहता है वह कोई अच्छा बढई नहीं है। यह तो 'नाच न आवे, आगन टेढा' की मसल होगी। इसी तरह विगडे हुए कामोके लिए अपने आदमियोंको दोष देनेवाला सेनापति भी अच्छा नहीं कहा जा सकता; पर मैं यह जानता हू कि मैं बुरा सेनापति नहीं हू। अपनी मर्यादाओको जाननेकी जितनी बुद्धि मुझमे मौजूद है अगर कभी उसका मेरे अन्दरसे दिवाला निकल जाय तो ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देगा कि मैं उसकी स्पष्ट घोषणा कर दूंगा।

उसकी कृपासे मैं कोई आधी सदीसे जो काम कर रहा हूँ अगर उसके लिए मेरी और जरूरत न रही, तो शायद वह मुझे उठा लेगा, लेकिन मेरा खयाल है कि मेरे करनेको अभी काफी काम है। जो अन्धकार मेरे ऊपर

छा गया मालूम पडता है वह नष्ट हो जायगा, और स्पष्टतया अहिंसात्मक साधनोसे भारत अपने लक्ष्यतक पहुच जायगा—फिर इसके लिए चाहे डाडी-कूचसे भी ज्यादा उग्र लडाई लडनी पडे या उसके वगैर ही ऐसा हो जाय । मैं ईश्वरसे उस प्रकाशकी याचना कर रहा हू जो अन्धकारका नाश कर देगा । अहिंसामे जिनकी जीवित श्रद्धा हो उन्हे इसमे मेरा साथ देना चाहिए ।

हरिजन सेवक,

२३ जुलाई १९३८

## विद्यार्थियोंके लिए लज्जाजनक

पजावके एक कालेजकी लडकीका एक अत्यन्त हृदयस्पर्शी पत्र करीबन दो महीनेसे मेरी फायलमे पडा हुआ है। इस लडकीके प्रश्नका जवाब जो अभीतक नहीं दिया इसमे समयके अभावका तो केवल एक बहाना था। किसी-न-किसी तरह इस कामसे अपनेको मैं बचा रहा था, हालांकि मैं यह जानता था कि इस प्रश्नका क्या जवाब देना चाहिए। इस बीचमे मुझे एक और पत्र मिला। यह पत्र एक ऐसी बहनका लिखा हुआ है, जो बहुत अनुभव रखती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कालेजकी इस लडकीकी जो यह बहुत वास्तविक कठिनाई है, उसका मुकाबला करना मेरा कर्तव्य है, और इसकी अब मैं और अधिक दिनोतक उपेक्षा नहीं कर सकता। पत्र उसने शुद्ध हिन्दुस्तानीमे लिखा है, जिसका एक भाग मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूँ।

“लडकियो और वयस्क स्त्रियोके सामने, उनकी इच्छाके विरुद्ध ऐसे अवसर आ जाया करते हैं, जब कि उन्हें अकेली जानेकी हिम्मत करनी पडती है—या तो उन्हें एक ही शहरमे एक जगहसे दूसरी जगह जाना होता है या एक शहरसे दूसरे शहरको। और जब वे इस तरह अकेली होती हैं, तब गन्दी मनोवृत्ति वाले लोग उन्हें तग किया करते हैं। वे उस वक्त अनुचित और अश्लील भाषातकका प्रयोग करते हैं। और अगर भय उन्हें रोकता नहीं है, तो इससे भी आगे बढ़नेमे उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे मौकोपर अहिंसा क्या काम दे सकती है? हिंसाका उपयोग तो है ही। अगर किसी लडकी या स्त्रीमे काफी हिम्मत हो तो उसके पास जो भी साधन होंगे वह उन्हें काममे लायगी और एक वार वदमाशोको सबक सिखा देगी। वे कम-

से-कम हंगामा तो मचा सकती है जिससे कि लोगोका ध्यान आकर्षित हो जाय और गुण्डे वहासे भाग जाय । लेकिन मैं यह जानती हू कि इसके परिणाम-स्वरूप विपत्ति सिर्फ टल जायगी, यह कोई स्थायी इलाज नहीं है । अशिष्ट व्यवहार करने वाले लोगोका अगर आपको पता है तो मुझे विश्वास है कि उन्हें अगर समझाया जाय, तो वे आपकी प्रेम और नम्रताकी वाते सुनेगे । पर उस आदमीके लिए आप क्या कहेंगे, जो साइकिलपर चढा हुआ किसी लडकी या स्त्रीको देखकर, जिसके साथ कि कोई मर्द साथी नहीं है, गद्दी भाषाका प्रयोग करता है ? उसे दलील देकर समझानेका आपको मौका नहीं है । आपके उससे फिर मिलनेकी कोई सम्भावना नहीं । हो सकता है, आप उसे पहचाने भी नहीं । आप उसका पता भी नहीं जानते । ऐसी परिस्थितिमे वह बेचारी लडकी या स्त्री क्या करे ? मैं अपना ही उदाहरण देकर आपको अपना अनुभव बताती हू । २६ अक्टूबरकी रातकी बात है । मैं अपनी एक सहेली के साथ ७-३० बजे के करीब एक खास कामसे जा रही थी । उस वक्त किसी मर्द साथीको साथ ले जाना नामुमकिन था, और काम इतना जरूरी था कि टाला नहीं जा सकता था । रास्तेमे एक सिख युवक साइकिलपर जा रहा था । वह कुछ गुनगुनाता जाता था । जबतक कि हम सुन सके उसने गुनगुनाना जारी रखा । हमे यह मालूम था कि वह हमे लक्ष करके ही गुनगुना रहा है । हमे उसकी यह हरकत बहुत नागवार मालूम हुई । सडकपर कोई चहल-पहल नहीं थी । हमारे चद कदम जानेसे पहले वह लौट पडा । हम उसे फौरन पहचान गये, हालांकि वह अब भी हमसे खासे फासलेपर था । उसने हमारी तरफ साइकिल घुमाई । ईश्वर जाने, उसका इरादा उतरनेका था, या यू ही हमारे पाससे सिर्फ गुजरनेका । हमे ऐसा लगा कि हम खतरेमे है । हमे अपनी शारीरिक बहादुरीमे विश्वास नहीं था । मैं एक औसत लडकीके मुकाबले शरीरसे कमजोर हू, लेकिन मेरे हाथमे एक बडी-सी किताब थी । यकायक किसी तरह मेरे अन्दर हिम्मत आगई । साइकिलकी तरफ मैंने उस किताबको जोरसे मारा और चिल्लाकर कहा, “चुहलवाजी करनेकी तू फिर हिम्मत करेगा ?” वह मुश्किलसे अपनेको सभाल सका,

और साइकिलकी रफ्तार बढ़ाकर वहासे रफू-चक्कर हो गया। अब अगर मैंने उसकी साइकिलकी तरफ किताब जोरसे न मारी होती तो वह अन्त-तक इसी तरह अपनी गन्दी भापासे हमें तग करता जाता। यह तो मामूली; बल्कि नगण्य-सी घटना है; पर मैं चाहती हूँ कि आप लाहौर आते और हम हत-भागिनी लड़कियोंकी मुसीबतोंकी दास्तान खुद अपने कानों सुनते। आप निश्चय ही इस समस्याका ठीक-ठीक हल ढूँढ सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे यह बताये कि ऊपर जिन परिस्थितियोंका मैंने वर्णन किया है उनमें लड़कियाँ अहिंसाके सिद्धान्तका प्रयोग किस तरह कर सकती हैं, और कैसे अपने आपको बचा सकती हैं? दूसरे स्त्रियोंको अपमानित करनेकी जिन युवकोंको यह बहुत बुरी आदत पड़ गई है, उसको सुधारनेका क्या उपाय है? आप यह उपाय न मुझाइयेगा कि हमें उस नई पीढ़ीके आनेतक इन्तजार करना चाहिए और तब-तक हम इस अपमानको चुपचाप बर्दाश्त करती रहें, जिस-पीढ़ीने कि बचपनसे ही स्त्रियोंके साथ भद्रोचित व्यवहार करनेकी शिक्षा पाई होगी। सरकारकी या तो इस सामाजिक बुराईका मुकाबला करनेकी इच्छा नहीं या ऐना करनेमें वह असमर्थ है। और हमारे बड़े-बड़े नेताओंके पास ऐसे प्रश्नोंके लिए बक्त नहीं। कुछ जब यह सुनते हैं कि किन्हीं लड़कीने अगिष्टतामें पैदा आनेवाले नवयुवकोंकी अच्छी तरहसे मरम्मत कर दी है, तो कहते हैं, "सावाग, ऐसा ही सब लड़कियोंको करना चाहिए।" कभी-कभी किन्हीं नेताको हम विद्यार्थियोंके ऐसे दुर्व्यवहारके खिलाफ छटादार भाषण करते हुए पाते हैं, मगर ऐना कोई नज़र नहीं आता, जो इस गम्भीर समस्याका हल निकालनेमें निरन्तर प्रयत्नशील हो। आपको यह जानकर काष्ट और आश्चर्य होगा कि दीवान्नी और ऐसे ही दूसरे त्योंहारों पर अखबारोंमें इस किस्मकी चंदादनीगी नोटिने निकारा करती हैं कि रोजनी देखनेतक-के लिए आँसुओंको धरोने बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसी तरह एक दातमें आप जान सकते हैं कि दुनियाके इन हिस्सेमें हम जिन क्रूर मुसीबतोंमें

एक दूसरी पजाबी लडकीको मैंने यह पत्र पढनेके लिए दिया था । उसने भी अपने कालेज-जीवनके निजी अनुभवके आधारपर इस घटनाका समर्थन किया । उसने मुझे बताया कि मेरे सवाददाताने जो-कुछ लिखा है, बहुत-सी लडकियोका अनुभव वैसा ही होता है ।

एक और अनुभवी महिलाने लखनऊकी अपनी विद्यार्थिनी मित्रोके अनुभव लिखे हैं । सिनेमा-थियेटरोमे उनकी पिछली लाइनमे बैठे हुए लडके उन्हें दिक करते हैं, उनके लिए ऐसी भाषाका प्रयोग करते हैं, जिसे मैं अश्लीलके सिवा और कोई नाम नहीं दे सकता । उन लडकियोके साथ किये जानेवाले भद्दे मजाक भी पत्र-लेखिकाने मुझे लिखे हैं, लेकिन मैं उन्हें यहा उद्धृत नहीं कर सकता ।

अगर सिर्फ तात्कालिक निजी रक्षाका सवाल हो तो इसमे सन्देह नहीं कि उस लडकीने, जो अपनेको शारीरिक दृष्टिसे कमजोर बताती है, जो इलाज—साइकिलके सवारपर जोरसे किताव मारकर—किया, वह विलकुल ठीक है । यह बहुत पुराना इलाज है । मैं 'हरिजन' मे पहले भी लिख चुका हू कि यदि कोई व्यक्ति जवर्दस्ती करने पर उतारू होना चाहता है तो उसके रास्तेमे शारीरिक कमजोरी भी रुकावट नहीं डालती, भले ही उसके मुकाबलेमे शारीरिक दृष्टिसे कोई बहुत बलवान विरोधी हो । और हम यह भली-भाति जानते हैं कि आजकल तो जिस्मानी ताकत इस्तमाल करनेके इतने ज्यादा तरीके ईजाद हो चुके हैं कि एक छोटी, लेकिन काफी समझदार लडकी किसीकी हत्या और विनाशतक कर सकती है । जिस परिस्थितिका जिक्र पत्र-लेखिकाने किया है, वैसी परिस्थितियोमे लडकियोको आत्म-रक्षाके तरीके सिखानेका रिवाज आजकल बढ रहा है, लेकिन वह लडकी यह भी खूब समझती है कि भले ही वह उस क्षण आत्म-रक्षाके हथियारके तौरपर अपने हाथकी किताव मारकर बच गई हो, लेकिन इस वढती हुई बुराईका यह कोई असली इलाज नहीं है । भद्दे अश्लील मजाकके कारण बहुत घबराने या डर जानेकी जरूरत नहीं, लेकिन इनकी ओरसे आख मूद लेना भी ठीक नहीं । ऐसे सब मामले भी अखबारोमे छप जाने चाहिए । इस बुराईका भडाफोड करनेमे किसीका

भूठा लिहाज नहीं करना चाहिए। इस सार्वजनिक बुराईके लिए प्रबल लोक-मत जैसा कोई अच्छा इलाज नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इन बातोंको जनता उदासीनतासे देखती है; लेकिन सिर्फ जनताको ही क्यों दोष दिया जाय ? उनके सामने ऐसी गुस्ताखीके मामले भी तो आने चाहिए। चोरीके मामले तकके लिए उन्हें पता लगाकर छापा जाता है, तब कही जाकर चोरी कम होती है। इस तरह जबतक ऐसे मामले भी दवाये जाते रहेगें, इस बुराईका इलाज नहीं हो सकता। पाप और बुराई भी अपने शिकारके लिए अन्वकार चाहते हैं। जब उनपर रोगनी पडती है, वे खुद-बखुद खत्म हो जाते हैं।

लेकिन मुझे यह भी डर है कि आजकलकी लड़कीको भी तो अनेकोंकी दृष्टिमें आकर्षक बनना प्रिय है। वह अति साहसको पसन्द करती है। आजकलकी लड़की वर्षा या धूपसे बचनेके उद्देश्यसे नहीं, बल्कि लोगोका ध्यान अपनी ओर खींचनेके लिए तरह-तरहके भडकीले कपडे पहनती है। वह अपनेको रगकर कुदरतको भी मात करना और असाधारण मुन्दर दिखाना चाहती है। ऐसी लड़कियोंके लिए कोई अहिंसात्मक मार्ग नहीं है। मैं इन पृष्ठोमें बहुत बार लिख चुका हू कि हमारे हृदयमें अहिंसाकी भावनाके विकासके लिए भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। अहिंसाकी भावना बहुत महान् प्रयत्न है। विचार और जीवनके तरीकेमें यह क्रान्ति उत्पन्न कर देता है। यदि मेरी पत्र-लेखिका और उस तरहके-से विचार रखने वाली लड़किया ऊपर बताये गये तरीकेसे अपने जीवनको बिल्कुल ही बदल डाले तो उन्हें जल्दी ही यह अनुभव होने लगेगा कि उनके सम्पर्कमें आनेवाले नौजवान उनका आदर करना तथा उनकी उपस्थितिमें भद्रोचित व्यवहार करना सीखने लगे हैं; लेकिन यदि उन्हें मालूम होने लगे कि उनकी लाज और धर्मपर हमला होनेका खतरा है, तो उनमें उस पशु मनुष्यके आगे आत्म-समर्पण करनेके वजाय मर जानेतकका साहस होना चाहिए। कहा जाता है कि कभी-कभी लड़कीको इस तरह बाधकर या मुहमें कपडा ठुनकर विवश कर दिया जाता है कि वह आसानीसे मर भी नहीं सकती, जैसे कि मैंने सलाह दी है; लेकिन मैं फिर भी जोरोके साथ

कहता हू कि जिस लडकीमे मुकावलेका दृढ सकल्प है, वह उसे असहाय बनानेके लिए बाधे गये सब सम्बन्धोको तोड सकती है। दृढ सकल्प उसे मरनेकी शक्ति दे सकता है।

लेकिन यह साहस और यह दिलेरी उन्हीके लिए सम्भव है, जिन्होने इसका अभ्यास कर लिया है। जिसका अहिसापर दृढ विश्वास नहीं है, उन्हे रक्षाके साधारण तरीके सीखकर कायर युवकोके अश्लील व्यवहारसे अपना बचाव करना चाहिए।

पर बडा सवाल तो यह है कि युवक साधारण शिष्टाचार भी क्यों छोड दे, जिससे भली लडकियोको हमेशा उनसे सताये जानेका डर लगता रहे ? मुझे यह जानकर दु ख होता है कि ज्यादातर नौजवानोमे बहादुरीका जरा भी मादा नहीं रहा, लेकिन उनमे एक वर्गके नाते नामवर होनेकी डाय पदा होनी चाहिए। उन्हे अपने साथियोमे होनेवाली प्रत्येक ऐसी वारदातकी जाच करनी चाहिए। उन्हे हर एक स्त्रीका अपनी मा और बहनकी तरह आदर करना सीखना चाहिए। यदि वे शिष्टाचार नहीं सीखते, तो उनकी बाकी सारी लिखाई-पढाई फिजूल है।

और क्या यह प्रोफेसरो और स्कूल-मास्टरोका फर्ज नहीं है कि लोगोके सामने जैसे अपने विद्यार्थियोकी पढाईके लिए जिम्मेवार होते है उसी तरह उनके शिष्टाचार और सदाचाके लिए भी उनको पूरी तसल्ली दे ?

हरिजन सेवक,

३१ दिसम्बर १९३८

## आजकलकी लड़कियां

ग्यारह लड़कियोंकी ओरसे लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला है, जिनके नाम और पते भी मुझे भेजे गए हैं। उनमें ऐसे हेर-फेर करके जिससे उसके मतलबमें तो कोई तबदीली न हो; पर वह पढनेमें अधिक अच्छा हो जाय, मैं उसे यहा देता हू—

“एक लड़कीकी ‘आत्म-रक्षा कैसे करे?’ शीर्षक शिकायतपर जो ३१ दिसम्बर १९३८ के ‘हरिजन’ में प्रकाशित हुई, आपने जो टीका-टिप्पणी की वह विशेष ध्यान देने लायक है। आधुनिक यानी आजकलकी लड़कीने आपको इस हदतक उत्तेजित कर दिया मालूम पडता है कि अन्तमें आपने उसे अनेकोंकी दृष्टिमें आकर्षक बननेकी शौकीन बतला डाला है। इससे स्त्रियों के प्रति आपके जिस विचारका पता लगता है वह बहुत स्फूर्तिदायक नहीं है।

इन दिनों जब कि पुरुषोंकी मदद करने और जीवनके भारमें बराबरीका हिस्सा लेनेके लिए स्त्रिया बन्द दरवाजोंसे बाहर आ रही हैं, यह नि.सन्देह आश्चर्यकी ही बात है कि पुरुषों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किये जानेपर अभी भी उन्हें ही दोष दिया जाता है। इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें दोनोंका कनूर बराबर हो। कुछ लड़किया ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें अनेकोंकी दृष्टिमें आकर्षक बनना प्रिय हो; लेकिन उस हालतमें यह भी मानना ही पडेगा कि ऐसे पुरुष भी हैं जो ऐसी लड़कियोंकी टोहमें गली-सडकोंमें फिरने रहते हैं। और यह तो हर्गिज नहीं माना जा सकता या मानना चाहिए कि आजकल की सभी लड़किया इस तरह अनेकोंकी दृष्टिमें आकर्षक बननेकी शौकीन हैं या आजकलके नवयुवक सब उनकी टोहमें फिरनेवाले ही हैं। आप नन्द

आजकलकी काफी लडकियोंके सम्पर्कमें आये हैं और उनके निश्चय, वलिदान एव स्त्रियोचित अन्य गुणोका आपपर जरूर असर पडा होगा ।

आपको पत्र लिखने वालीने जैसे बदचलन आदमियोका जिक्र किया है उनके खिलाफ लोक-मत तैयार करनेका जहातक सवाल है, यह करना लडकियोका काम नही है । यह काम हम भूठी शर्मके लिहाजसे नही, बल्कि उसके असरके लिहाजसे कहती है ।

लेकिन ससार-भरमें जिसकी इज्जत है ऐसे आदमीके द्वारा ऐसी बात कही जानेसे एक बार फिर उसी पुरानी और लज्जाजनक लोकोक्तिकी पैरवी की जाती मालूम पडती है कि 'स्त्री नरकका द्वार है ।'

इस कथनसे यह न समझिये कि आजकलकी लडकिया आपकी इज्जत नही करती । नवयुवकोकी तरह वे भी आपका सम्मान करती है । उन्हे तो सबसे बडी यही शिकायत है कि उन्हे नफरत या दयाकी दृष्टिसे क्यों देखा जाय । उनके तौर-तरीके अगर सचमुच दोषपूर्ण हो तो वे उन्हे सुधारनेके लिए तैयार है, लेकिन उनकी मलामत करनेसे पहले उनके दोषको अच्छी तरह सिद्ध कर देना चाहिए । इस सम्बन्धमें वे न तो स्त्रियोके प्रति शिष्टताकी भूठी भावनाकी छायाका ही सहारा लेना चाहती है, न वे न्यायाधीश द्वारा मनमाने तौरपर अपनी निन्दाकी जानेको चुपचाप वर्दाश्त करनेके लिए ही तैयार है । सचाईका सामना तो करना ही चाहिए, आजकलकी लडकीमें, जिसे कि आपके कथनानुसार अनेकोकी दृष्टिमें आकर्षक बनना प्रिय है, उसका मुकाबला करने जितना साहस पर्याप्त रूपमें विद्यमान है ।'

मुझे पत्र भेजनेवालियोको शायद यह पता नही है कि चालीस बरससे ज्यादा हुए तब दक्षिण अफ्रीकामें मैंने भारतीय स्त्रियोकी सेवाका कार्य करना शुरू किया था, जबकि इनमेंसे किसीका शायद जन्म न हुआ होगा । मैं तो ऐसा कुछ लिख ही नही सकता जो नारीत्वके लिए अपमानजनक हो । स्त्रियोके लिए इज्जतकी सम्भावना मेरे अन्दर इतनी ज्यादा है कि मैं उनकी बुराईका विचार ही नही कर सकता । स्त्रिया तो, जैसा कि अंग्रेजीमें उन्हे कहा गया है, हमारा सुन्दरार्द्ध है । फिर मैंने जो लेख

लेखा वह विद्यार्थियोकी निर्लज्जता पर प्रकाश डालनेके लिए था, लड़कियोकी कमजोरीका ढोल पीटनेके लिए नहीं। अलबत्ता रोगका नेदान बतलानेके लिए, अगर मुझे उसका ठीक इलाज बतलाना हो तो, मुझे उन सब बातोंका उल्लेख करना लाजिमी था, जो रोगकी तहमे हो।

आधुनिक या आजकलकी लड़कीका एक खास अर्थ है। इसलिए अपनी बात कुछ ही तक सीमित रखनेका सवाल नहीं था। यह याद रहे कि अंग्रेजी शिक्षा पाने वाली सभी लड़किया आधुनिक नहीं हैं। मैं ऐसी लड़कियोको जानता हूँ, जिन्हें 'आधुनिक लड़की' की भावनासे स्पर्शतक नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी जरूर हैं जो आधुनिक लड़किया बन गई हैं। मैंने जो कुछ लिखा वह भारतकी विद्यार्थिनियोको यह चेतावनी देनेके ही लिए था कि वे आधुनिक लड़कियोकी नकल करके उस समस्याको और जटिल न बनाए जो पहले ही भारी खतरा हो रही है, क्योंकि जिस समय मुझे यह पत्र मिला, उसी समय मुझे आन्ध्रसे भी एक विद्यार्थिनीका पत्र मिला था, जिसमे आन्ध्रके विद्यार्थियोके व्यवहारकी कड़ी शिकायत की गई थी और उसका जो वर्णन उसने किया था वह लाहौरकी लड़की द्वारा वर्णित व्यवहारसे भी बुरा था। आन्ध्रकी वह लड़की कहती है कि उसकी साथिन लड़किया सादा पोशाक पहननेपर भी नहीं बच पाती, लेकिन उनमे इतना साहस नहीं है कि वे उन लड़कोके जगलीपनका भडाफोड कर दे जो कि जिस सस्थामे पढते हैं उसके लिए कलक-रूप है। आन्ध्र-यूनिवर्सिटीके अधिकारियोका ध्यान मैं इस शिकायतकी ओर आकर्षित करता हूँ।

पत्र भेजनेवाली इन ग्यारह लड़कियोको मैं इस बातके लिए निमन्त्रित करता हूँ कि वे विद्यार्थियोके जगली व्यवहारके खिलाफ जहाद बोल दे। ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद अपने-आप करते हैं। लड़कियोको पुरुषके जगली व्यवहारसे अपनी रक्षा करनेकी कला तो सीख ही लेनी चाहिए।

हरिजन सेवक,

१८ फरवरी १९३६

# परिशिष्ट

: १ :

## सन्तति-निरोधको हिमायतिन

दरिद्रनारायणकी सेवामे अपना सब-कुछ समर्पण कर देनेवाले बूढ़े किसानसे सर्वथा विपरीत, इंग्लैण्डकी एक श्रीमती हाड-मार्टिन है, जो कृत्रिम सन्तति-निरोधकी ज़बर्दस्त प्रचारिका है और भारतके गरीबोकी मददके लिए अपना सन्देश लेकर भारत पधारी है। गाधीजीके पास वह इस इरादेसे आई है कि या तो उन्हें अपने विचारोका बना ले या खुद उनके विचारोपर आ जाय। निस्सन्देह, वह हिन्दुस्तानमे पहली ही बार आई है और यहा के गरीबोकी हालत अभी उन्होने मुश्किलसे ही देखी होगी, इसलिए ब्रिटेनकी गन्दी वस्तियोके अपने अनुभवकी ही उन्होने चर्चा की और उन 'अबलाओ' का बडा पक्ष लिया, जिन्हे कि सगक्त पुरुषके आगे भुकना पडता है।

लेकिन इस पहली ही दलीलपर गाधीजीने उन्हें आडे हाथो लिया। 'कोई स्त्री अबला नहीं है।' गाधीजी ने कहा, "कमज़ोर-से-कमज़ोर स्त्री भी पुरुषसे ज्यादा बल रखती है और अगर आप भारतके गावोमे चले तो मैं यह बात आपको दिखला देनेके लिए पूरी तरह तैयार हू। वहा प्रत्येक स्त्री आपसे यही कहेगी कि उसकी इच्छा न हो तो माईका जाया कोई ऐसा लाल नहीं जो उसपर बलात्कार कर सके। यह बात अपनी पत्नीके साथ-के खुद अपने अनुभवसे मैं कह सकता हू, और यह याद रखिए कि मेरा उदाहरण कोई विरला ही नहीं है। सच तो यह है कि भुकनेके बजाय मर जानेकी भावना मौजूद हो तो कोई राक्षस भी स्त्रीको अपनी दुष्ट चेष्टा-

के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह तो परस्परकी रजामन्दीकी बात है। स्त्री-पुरुष दोनोंमें ही पशुत्व और देवत्वका सम्मिश्रण है, और अगर हम उनमेंसे पशुत्वको दूर कर सकें तो यह श्रेष्ठ और हितकर ही होगा।”

“लेकिन”, श्रीमती हाड-मार्टिनने पूछा, “अगर पुरुष अधिक वच्चोसे बचनेके लिए अपनी पत्नीको छोड़कर पर-स्त्रीके पास जाय तो बेचारी पत्नी क्या करे?”

“यह तो आप अपनी बातें बदल रही हैं, लेकिन यह याद रखिए कि अगर आप अपनी दलीलको निभ्रान्त न रखेंगी तो आप जरूर गलत परिणाम-पर पहुंचेंगी। व्यर्थकी कल्पनाएं करके पुरुषको पुरुषसे कुछ और तथा स्त्रीको स्त्रीसे अन्यथा बनानेकी कोशिश न कीजिए। आपके सन्देहका आधार क्या है, यह तो मुझे समझ लेने दीजिए। जब मैंने यह कहा कि सन्तति-निरोधका आपका प्रचार काफी फल चुका है, तब इस विनोदके पीछे कुछ गम्भीरता थी, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि ऐसे भी कुछ स्त्री-पुरुष हैं जो समझते हैं कि सन्तति-निरोधमें ही हमारी मुक्ति है। इसलिए मैं आपसे इसका आधार समझ लेना चाहता हूँ।”

“मैं इसमें ससारकी मुक्ति नहीं देखती”, श्रीमती हाड-मार्टिनने कहा, “मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि सन्तति-निरोधका कोई रूप अस्तित्वात् किये बगैर प्रजाकी मुक्ति नहीं है। आप ऐसा एक तरीकेसे करेंगे, मैं दूसरे तरीकेसे करूंगी। आपके तरीकेका भी मैं प्रतिपादन करती हूँ, लेकिन सभी हालतोंमें नहीं। आप तो, मालूम होता है, एक सुन्दर वस्तुको ऐसा समझते हैं मानो वह कोई आपत्तिजनक चीज हो, पर यह याद रखिए कि दो व्यक्ति जब नये जीवनका निर्माण करने जाते हैं तो वे पशुत्वसे ऊपर उठकर देवत्वके अत्यन्त निकट होते हैं। इस क्रियामें कोई बात ऐसी है जो बड़ी सुन्दर है।”

“यहां भी आप भ्रममें हैं”, गांधीजीने कहा, “नये जीवनका निर्माण देवत्वके अत्यन्त निकट है, इस बातको मैं मानता हूँ। मैं जो-कुछ चाहता हूँ वह तो यही है कि यह देवी रूपमें ही किया जाय, मतलब यह कि पुरुष-स्त्री नये जीवनका निर्माण करने यानी सन्तानोत्पत्तिके सिवा और किसी

इच्छासे सम्भोग न करे ? लेकिन अगर वे खाली काम-वासना शान्त करने-के लिए ही सम्भोग करे तब तो वे शैतानियतके ही बहुत नज़दीक होते हैं । दुर्भाग्यवश, मनुष्य इस बातको भूल जाता है कि वह देवत्वके निकटतम है, वह अपने अन्दर विद्यमान पशु-वासनाके पीछे भटकने लगता है और पशुसे भी बदतर बन जाता है ।”

“लेकिन पशुत्वकी आपको क्यों निन्दा करनी चाहिए ?”

“मैं निन्दा नहीं करता । पशु तो, उसके लिए कुदरतने जो नियम बनाये हैं, उनका पालन करता है । सिंह अपने क्षेत्रमें एक श्रेष्ठ प्राणी है और मुझको खा जानेका उसे पूरा अधिकार है, लेकिन मेरी यह विशेषता नहीं है कि मैं पजे बढ़ाकर आपके ऊपर झपटूँ । मैं ऐसा करूँ तो अपनेको हीन बनाकर पशुसे भी बदतर बन जाऊँगा ।”

“मुझे अफसोस है,” श्रीमती हाड-मार्टिनने कहा, “मैंने अपने भाव ठीक तरह व्यक्त नहीं किये । इस बातको मैं स्वीकार करती हूँ कि अधिकांश मामलोमें इससे उनकी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन यह ऐसी बात जरूर है जिससे जीवन ऊँचा बनेगा । मेरी बात आप समझ गये होंगे, हालांकि मुझे शक है कि मैं अपनी बात विलकुल स्पष्ट नहीं कर पाई हूँ ।”

“नहीं-नहीं, मैं आपकी अव्यवस्थिताका कोई बेजा फायदा नहीं उठाना चाहता । हाँ, यह जरूर चाहता हूँ कि मेरा दृष्टिकोण आप समझ लें । ग़लतफहमियोंपर न चलिए । उपरि-मार्ग और अधो-मार्गमेंसे कोई एक आदमीको जरूर चुनना होगा, लेकिन उसमें पशुत्वका अंश होनेके कारण वह उपरि-मार्गके बदले अधो-मार्ग उसके सामने सुन्दर आवरणसे परिवेष्टित हो । सद्गणके परदेमें पाप सामने आने पर मनुष्य आसानीसे उसका शिकार हो जाता है, और मेरी स्टोप्स तथा दूसरे (कृत्रिम सन्तति-निरोधके हिमायती) यही कर रहे हैं । मैं अगर विलासताका प्रचार करना चाहूँ तो, मैं जानता हूँ, मनुष्य आसानीसे उसे ग्रहण कर लेगे । मैं जानता हूँ कि आप जैसे लोग अगर निस्स्वार्थ भावसे उत्साहके साथ अपने सिद्धान्तके प्रचारमें लगे रहे तो जाहिरा तौर पर शायद आपको विजय भी मिल जाय, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसा करके आप निश्चित रूपसे मृत्युके

मार्गपर पहुँचेंगे—इसमें शक नहीं कि ऐसा आप करेंगे इस बातको बिल्कुल न जानते हुए कि आप कितनी शरारत कर रहे हैं। अधो-मार्गकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उसके लिए किसी समर्थन या दलीलकी जरूरत नहीं होती। यह तो हमारे अन्दर मौजूद ही है, और अगर हम इस पर रोक लगाकर इसे नियंत्रित न रखें तो रोग और महामारीका खतरा है।”

श्रीमती हाड-मार्टिनने जो अबतक देवत्व और शैतानियतके बीच भेदको स्वीकार करती मालूम पडती थी, कहा कि ऐसा कोई भेद नहीं है और लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा वे परस्पर-सम्बद्ध हैं। सन्तति-निरोधकी सारी फिलासफीके पीछे दरअसल यही बात है, और सन्तति-निरोधके हिमायती यह भूल जाते हैं कि यही उनका रामबाण इलाज है।

“तो आप ऐसा समझती हैं कि देव और पगु एक ही चीज हैं ? क्या आप सूर्यमें विश्वास करती हैं ? अगर करती हैं तो क्या आप यह नहीं सोचती कि छायामे भी आपको विश्वास करना ही चाहिए ?” गाधीजीने पूछा।

“आप छायामे शैतान क्यों कहते हैं ?”

“आप चाहे तो उसे ईश्वरेतर कह सकती हैं।”

“मैं यह नहीं समझती कि छायामे ‘ईश्वरेतर’ नहीं है। जीवन तो सर्वत्र है।”

“जीवनका प्रभाव जैसी भी कोई चीज है। क्या आप जानती हैं कि हिन्दू लोग अपने-अपने प्रियतमो तकके शरीरको उनकी जीवन-ज्योति-के बुझते ही जल्द-से-जल्द जलाकर भस्म कर देते हैं ? यह ठीक है कि समस्त जीवनमें मूलभूत एकता है; लेकिन विभिन्नता भी है। हमारा काम है कि उस विभिन्नतामें प्रवेश करके उसके अन्दर समाविष्ट एकताका पता लगाये; लेकिन बुद्धिके द्वारा नहीं, जैसा कि आप प्रयत्न करनेकी कोशिश कर रही हैं। जहाँ सत्य है, वहाँ असत्य भी जरूर होना चाहिए; इसी तरह जहाँ प्रकाश है, वहाँ छाया भी जरूर होगी। जबतक आप तर्क और बुद्धि ही नहीं, बल्कि शरीरका भी सर्वथा उत्सर्ग न कर दें तबतक आप इस व्यापक ज्ञानकी अनुभूति नहीं कर सकती।”

श्रीमती हाड-मार्टिन भौचक्की रह गई । उनकी मुलाकातका समय बीता जा रहा था, लेकिन गाधीजीने कहा, “नहीं, मैं आपको और समय देनेके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको वर्धा आकर मेरे पास ठहरना होगा । मैं भी आपसे कम उत्साही नहीं हूँ, इसलिए जबतक आप मुझे अपने विचारोका न बना ले या खुद मेरे विचारो पर न आ जाय तबतक आपको हिन्दुस्तानसे नहीं जाना चाहिए ।”

यह आनन्दप्रद वार्ता सुनते हुए, जो दूसरे कार्य-क्रमोके कारण यही रोकनी पडी, मुझे असीसीके सन्त फ्रासिसके इन महान शब्दोका स्मरण हो आया—“प्रकाशने देखा और अन्धकार लुप्त हो गया । प्रकाशने कहा, “मैं वहा जाऊंगा ?” शान्तिने दृष्टि फेकी और युद्ध भाग गया, शान्तिने कहा, “मैं वहा जाऊगी ।” प्रेम उदित हुआ और घृणा उड गई । प्रेमने कहा, “मैं वहा जाऊंगा ।” और यह वात सूर्य-प्रकाशकी भाति सर्वत्र फैलकर हमारे अतरमें प्रवेश कर गई ।

—महादेव देसाई

## पाप और सन्तति-निग्रह

गाधीजीके ध्यानमे सारे दिन ग्राम और ग्रामवासी ही रहते हैं और स्वप्न भी उन्हे इसी विषयके आते हैं । स्वामी योगानन्द नामके एक संन्यासी सोलह बरस अमेरिकामे रहकर अभी-अभी स्वदेग वापस आये हैं । गत सप्ताह राची जाते हुए गाधीजीसे मिलनेके लिए वे यहा उतर पडे और दो दिन ठहरे । उनके साथ गाधीजीका जो खासा लम्बा सम्वाद हुआ । उसमे भी उनके इस ग्राम-चिन्तनकी काफी स्पष्ट झलक दिखाई देती थी । स्वामी योगानन्द केवल धर्मप्रचारके लिए अमेरिका गये थे और उनके कहे अनुसार उन्होने आचरण और उपदेशके द्वारा भारतवर्षका आध्यात्मिक सन्देश संसारको देनेका ही सब जगह प्रयत्न किया । उनका यह दृढ विश्वास है कि "भारतवर्षके बलिदानसे ही जगत्का उद्धार होगा ।"

गाधीजीके साथ उन्हे पाप, सन्तति-निग्रह इन दो विषयो पर चर्चा करनी थी । अमेरिकाके जीवनकी काली वाजू उन्होने अच्छी तरह देखी थी और अमेरिकाके युवको और युवतियोके विलासितामय जीवनकी एक-एक बात पर प्रकाश डालनेवाली पुस्तकके लेखक जज लिडसेके साथ उनका वहा काफी निकटका परिचय था ।

गाधीजीने कहा, "दुनियामे पाप क्यो है" इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन है । मैं तो एक ग्रामवासी जो जबाब देगा वही दे सकता हू । जगत्मे प्रकाश है तो अन्वकार भी है । इसी तरह जहा पुण्य है वहा पाप होगा ही । किन्तु पाप और पुण्य तो हमारी मानवी दृष्टिसे है । ईश्वरके आगे तो पाप और पुण्य जैसी कोई चीज ही नही । ईश्वर तो पाप और पुण्य दोनोंसे ही परे है । हम गरीब ग्रामवासी उसकी लीलाका मनुष्यकी वाणी-मे वर्णन करते हैं; पर हमारी भाषा ईश्वरकी भाषा नही है ।

“वेदान्त कहता है कि यह जगत् माया रूप है । यह निरूपण भी मनुष्यकी तोतली वाणीका है । इसलिए मैं कहता हू कि मैं इन बातोंमें पडता ही नहीं । ईश्वरके घरके गूढ-से-गूढ भेद जाननेका भी मुझे अवसर मिले तो भी मैं उन्हें जाननेकी हामी न भरू । कारण यह है कि मुझे यह पता नहीं कि मैं वह सब जानकर क्या करूंगा । हमारे आत्म-विकासके लिए इतना ही जानना काफी है कि मनुष्य जो कुछ अच्छा काम करता है ईश्वर निरन्तर उसके साथ रहता है । यह भी ग्रामवासीका निरूपण है ।”

“ईश्वर सर्वशक्तिमान् तो है ही, तो वह हमें पापसे मुक्त क्यों नहीं कर देता ?” स्वामीजी ने पूछा ।

“मैं इस प्रश्नकी भी उधेड़-बुनमें नहीं पडना चाहता । ईश्वर और हम बराबर नहीं हैं । बराबरीवाले ही एक-दूसरेसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, छोटे-बड़े नहीं । गाववाले यह नहीं पूछते कि शहरवाले अमुक काम क्यों करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हमने वैसा किया तो हमारा सर्वनाश तो निश्चित ही है ।”

“आपके कहनेका आशय मैं अच्छी तरह समझता हू । आपने यह बड़ी जोरदार दलील दी है । पर ईश्वरको किसने बनाया ?” स्वामीजीने पूछा ।

“ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान् है तो अपना सिरजनहार उसे स्वयं ही होना चाहिए ।”

“ईश्वर स्वतंत्र सत्तावान् है या लोक-तंत्रमें विश्वास करनेवाला ? आपका क्या विचार है ?”

“मैं इन बातोंपर विलकुल विचार नहीं करता । मुझे ईश्वरकी सत्ता-में तो हिस्सा लेना नहीं, इसलिए ये प्रश्न मेरे लिए विचारणीय नहीं हैं । मैं तो, मेरे आगे जो कर्तव्य है, उसे करके ही सतोष मानता हू । जगत्-की उत्पत्ति कैसे हुई, और क्यों हुई, इन सब प्रश्नोंकी चिन्तामें मैं क्यों पडू ?”

“ईश्वरने हमें बुद्धि तो दी है ?”

“बुद्धि तो जरूर दी है, पर वह बुद्धि हमें यह समझनेमें सहायता

देती है कि जिन बातोंका हम ओर-छोर नहीं निकाल सकते उनमें हमें माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि सच्चे ग्रामवासीमें अद्भुत व्यावहारिक बुद्धि होती है और इससे वह कभी इन पहेलियोंकी उलझनमें नहीं पड़ता।”

“अब मैं एक दूसरा ही प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप यह मानते हैं कि पुण्यात्मा होनेकी अपेक्षा पापी होना सहल है, अथवा ऊपर चढ़नेकी अपेक्षा नीचे गिरना आसान है।”

“ऊपरसे तो ऐसा मालूम होता है, पर असल बात यह है कि पापी होनेकी अपेक्षा पुण्यात्मा होना सहल है। कवियोंने कहा है सही कि नरकका मार्ग आसान है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं यह भी नहीं मानता कि ससारमें अच्छे आदमियोंकी अपेक्षा पापी लोग अधिक हैं। अगर ऐसा है तो ईश्वर स्वयं पापकी मूर्ति बन जायगा, पर वह तो अहिंसा और प्रेमका साकार रूप है।”

“क्या मैं आपकी अहिंसाकी परिभाषा जान सकता हूँ ?”

“ससारमें किसी भी प्राणीको मन, वचन और कर्मसे हानि न पहुचाना अहिंसा है।”

गाधीजीकी इस व्याख्यासे अहिंसाके सम्बन्धमें काफी लम्बी चर्चा हुई, पर उस चर्चाको मैं छोड़ देता हूँ। ‘हरिजन’ और ‘यंगइंडिया’ में न जाने कितनी बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।

“अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ,” स्वामीजीने कहा, “क्या आप सन्तति-निग्रहके मुकाबलेमें सयमको अधिक पसन्द करते हैं ?”

“मेरा यह विश्वास है कि किसी कृत्रिम रीतिसे या पश्चिममें प्रचलित मोजूदा रीतियोंमें सन्तति-निग्रह करना आत्म-घात है। मैंने यही जो ‘आत्म-घात’ शब्दका प्रयोग किया है उसका अर्थ यह नहीं है कि प्रजाका समूल नाश हो जायगा। ‘आत्म-घात’ शब्दको मैं इनमें ऊँचे अर्थमें लेता हूँ। मेरा आग्रह यह है कि सन्तति-निग्रहकी ये रीतियाँ मनुष्योंको पशु-नै सद्वृत्त बनाने देती हैं। यह अनीतिना मार्ग है।”

“पर हम यह कहा तब वर्दानि ग्रे कि मनुष्य अश्विनके साथ गन्तान

पैदा करता ही चला जाय ? मैं एक ऐसे आदमीको जानता हूँ, जो नित्य एक सेर दूध लेता था और उसमें पानी मिला देता था, ताकि उसे अपने तमाम बच्चोंको बाट सके। बच्चोंकी सख्या हर साल बढ़ती ही जाती थी। क्या इसमें आप पाप नहीं मानते ?”

“इतने बच्चे पैदा करना कि उनका पालन-पोषण न हो सके यह पाप तो है ही, पर मैं यह मानता हूँ कि अपने कर्मके फलसे छुटकारा पानेकी कोशिश करना तो उससे भी बड़ा पाप है। इससे तो मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है।”

“तब लोगोको यह सत्य बतानेका सबसे अच्छा व्यावहारिक मार्ग क्या है।”

“सबसे अच्छा व्यावहारिक मार्ग यह है कि हम सयमका जीवन बितावे। उपदेशसे आचरण ऊँचा है।”

“मगर पश्चिमके लोग हमसे पूछते हैं कि तुम लोग अपनेको पश्चिमके लोगोसे अधिक आध्यात्मिक मानते हो, फिर भी हम लोगोके मुकाबलेमें तुम्हारे यहाँ बालकोंकी मृत्यु अधिक सख्यामें क्यों होती है ? महात्माजी, आप मानते हैं कि मनुष्य अधिक सख्यामें सतान पैदा करे ?”

“मैं तो यह मानने वाला हूँ कि सन्तान विलकुल पैदा न की जाय।”

“तब तो सारी प्रजाका नाश हो जायगा।”

“नाश नहीं होगा, प्रजाका और भी सुन्दर रूपान्तर हो जायगा। पर यह कभी होनेका नहीं, क्योंकि हमें अपने पूर्वजोसे यह विषय-वृत्तिको उत्तराधिकार युगानयुगसे मिला हुआ है। युगोकी इस पुरानी आदतको काबूमें लानेके लिए बहुत बड़े प्रयत्नकी जरूरत है, तो भी वह प्रयत्न सीधा-सादा है। पूर्ण त्याग, पूर्ण ब्रह्मचर्य ही आदर्श स्थिति है। जिससे यह न हो सके वह खुशीसे विवाह कर ले, पर विवाहित जीवनमें भी वही सयमसे रहे।”

“जन-साधारणको सयममय जीवनकी बात सिखानेकी क्या आपके पास कोई व्यावहारिक रीति है ?”

“जैसा कि एक क्षण पहले मैं कह चुका हूँ, हमें पूर्ण सयमकी साधना

करनी चाहिए और जन-साधारणके बीच जाकर सयममय जीवन विताना चाहिए। भोग-विलास छोड़कर ब्रह्मचर्यके साथ अगर कोई मनुष्य रहे तो उसके आचरणका प्रभाव अवश्य ही जनता पर पड़ेगा। ब्रह्मचर्य और अस्वाद व्रतके बीच अविच्छिन्न सम्बन्ध है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहता है, वह अपने प्रत्येक कार्यमें सयमसे काम लेगा और सदा नम्र बनकर रहेगा।”

स्वामीजीने कहा, “मैं समझ गया। जन-साधारणको सयमके आनन्दका पता नहीं और हमें यह चीज उसे सिखानी है, पर मैंने पश्चिम-के लोगोकी जिस दलीलके वारेमें आपसे कहा है, उस पर आपका क्या मत है ?”

“मैं यह नहीं मानता कि हम लोगोमें पश्चिमके लोगोकी अपेक्षा आध्यात्मिकता अधिक है। अगर ऐसा होता तो आज हमारा इतना अध-पतन न हो गया होता। किंतु इस बातसे कि पश्चिमके लोगोकी उम्र औसतन हम लोगोकी उम्रसे ज्यादा लम्बी होती है, यह साबित नहीं होता कि पश्चिममें आध्यात्मिकता है। जिसमें अध्यात्म-वृत्ति होती है, उसकी आयु अधिक लम्बी होनी चाहिए, यह बात नहीं है, बल्कि उसका जीवन अधिक अच्छा, अधिक शुद्ध होना चाहिए।”

—महादेव देसाई

## श्रीमती सेंगर और सन्तति-निरोध

श्रीमती मार्गरेट सेगर अभी थोड़े ही समय पहले गाधीजीसे वर्धामे मिली थी ।\* गाधीजीने उन्हे अच्छी तरह समय दिया था । भारतवर्ष छोडनेके पहले उन्होने 'इलस्ट्रेटेड वीकली'मे एक लेख लिखा है, जिसमे यह दिखाया गया है कि गाधीजीके साथ उनकी जो बात-चीत हुई उससे उन्हे कितना थोडा लाभ प्राप्त हुआ है । गाधीजीसे वह मार्गदर्शन प्राप्त करनेके लिए आई थी । "अगणित लोग आपको पूजते हैं, आपकी आज्ञा पर चलते हैं, फिर उनसे आप इस सम्बन्धमे क्यो नही कहते ? उनके लिए आप कोई ऐसा मन्त्र क्यो नही देते कि जिससे वे सन्मार्ग पर चलना सीखे ?"—यह वे चाहती थी । "देशके लाखो स्त्री-पुरुषोका हित आपने किया है तो फिर इस विषयमे भी आप कुछ कीजिए ।" यह उनकी माग थी । पहले दिन अच्छी तरह बात करनेके बाद जब वे तृप्त नही हुई तो दूसरे दिन भी उन्होने उतनी देर तक बातें की । अब वे अपने लेखमे यह लिखती है कि गाधीजीको तो भारतकी महिलाओका कुछ पता नही, क्योकि उन्होने तो सारी बात-चीतमे दो ऐसी बेहूदी बातें की कि जिनसे उनका अज्ञान प्रकट हो गया । गाधीजीने इस बात-चीतमे अपनी आत्मा निचोड दी थी, अपनी आत्म-कथाके कितने ही प्रकरण हृदयगम भाषामे बताये थे, किन्तु उन सबका निष्कर्ष इस महिलाने यह निकाला कि गाधीजीको स्त्रियोकी मनोवृत्तिका कुछ ज्ञान ही नही ।

गाधीजीसे श्रीमती सेगर स्त्रियोके लिए एक उद्धारक मन्त्र लेना चाहती थी, और वह मन्त्र उन्हे मिला, पर वह तो असलमे यह चाहती थी कि उनके अपने मन्त्र पर गाधीजी मोहर लगा दे । इसलिए वह सुवर्ण मन्त्र उन्हे दो कौडीका मालूम हुआ । उन्हे भले ही वह दो कौडीका मालूम हुआ हो,

पर भारतकी स्त्रियोको वह मत्र देना जरूरी है, उन्हे वह कौडी मोलका मालूम नही पड़ेगा। गाधीजीने तो उनसे बार-बार विनय करके यह भी कहा था कि मुझसे आपको एक ही बात मिल सकती है। मेरे और आपके तत्त्व-ज्ञानमे जमीन-आसमानका अन्तर है। इन सब बातोको उस समय तो उन्होने अच्छा महत्त्व दिया, पर खुद उन्होने जो लेख प्रकाशित कराया है, उसमे उन्हे जरा भी महत्त्व नही दिया।

गाधीजीने तो पीडित स्त्रियोके लिए यह सुवर्ण मत्र दिया था कि—  
 “मैने तो अपनी स्त्रीके गजसे ही तमाम स्त्रियोका माप निकाला है। दक्षिण अफ्रिकामे अनेक बहनोंसे मैं मिला—यूरोपीय और भारतीय दोनोंसे ही। भारतीय स्त्रियोसे तो मैं सभीसे मिल चुका था, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उनसे मैंने काम लिया था। सभीसे मैं तो डोडी पीट-पीट कर कहता था कि तुम अपने शरीरकी—आत्माकी तरह शरीरकी भी—स्वामिनी हो, तुम्हे किसीके वशमे होकर नही बरतना है, तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध तुम्हारे माता-पिता या तुम्हारा पति तुमसे कुछ नही करा सकता, लेकिन बहुत-सी बहने अपने पतिसे ‘ना’ नही कह सकती। इसमे उनका दोष नही। पुरुषोने उन्हे गिराया है, पुरुषोने उनके पतनके लिए अनेक तरहके जाल रचे है, और उन्हे बाधनेकी जजीरको भी उन्होने सोनेकी जजीरका नाम दे रखा है। इसलिए वे बेचारी पुरुषकी ओर आकर्षित हो गई है। मगर मेरे पास तो एक ही सुवर्ण-मार्ग है, वह यह कि वे पुरुषोका प्रतिरोध करे। यह वे उन्हे साफ-साफ बतला दे कि उनकी इच्छाके विरुद्ध पुरुष उनके ऊपर सन्ततिका भार नही डाल सकते। इस प्रकारका प्रतिरोध करानेमे अपने जीवनके शेष वर्ष यदि मैं खर्च कर सकू तो फिर सन्तति-निग्रह-जैसी बातका कोई प्रश्न नही रहता। पुरुष यदि पशु-वृत्ति लेकर उनके पास जावे तो वे स्पष्ट रूपसे ‘ना’ कह दे। यह शक्ति अगर उनमे आ जाय तो फिर कुछ भी करनेकी जरूरत नही। यहा हिन्दुस्तानमे तो सन्तति-निग्रहका प्रश्न ही नही रहेगा। सभी पुरुष तो पशु है नही। मैंने ही तो अपने निजी सम्पर्कमे आई हुई अनेक स्त्रियोको यह प्रतिरोधकी कला सिखाई है। असल प्रश्न तो यह है कि अनेक स्त्रिया यह प्रतिरोध करना

ही नहीं चाहती। . . . मेरा तो यह विश्वास है कि ६६ प्रतिशत स्त्रियाँ विना किसी कटुताके अपने प्रेमसे ही पतियोसे यह प्रार्थना कर सकती हैं कि हमारे ऊपर आप बलात्कार न करे। यह चीज असलमे उन्हें सिखाई नहीं गई, न माता-पिताने ही सिखाई, न समाज-सुधारकोने ही। तो भी कुछ पिता ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने अपने दामादसे यह बात की है, और कुछ अच्छे पति भी देखनेमें आये हैं कि जिन्होंने अपनी स्त्रीकी रक्षा की है। मेरी तो सौ बातकी एक बात है कि स्त्रियोको प्रतिरोधका जो जन्म-सिद्ध अधिकार है, उसका उन्हें निर्बाध रीतिसे उपयोग करना चाहिए।”

मगर यह बात श्रीमती सेगरको बेहूदी-सी मालूम हुई। गाधीजीके आगे तो उन्होंने नहीं कहा, पर अपने लेखमें वे कहती हैं कि इस सारी बातसे गाधीजीका अज्ञान ही प्रकट होता है, क्योंकि स्त्रियोमें इस तरहका प्रतिरोध करनेकी शक्ति नहीं। आज स्त्रियाँ यह प्रतिरोध नहीं करती, यह तो गाधी जी भी खुद मानते हैं, पर उनका कहना यह है कि प्रत्येक शुद्ध सुधारकका यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह स्त्रियोको इस तरहका प्रतिरोध करनेकी शिक्षा दे। क्रोध, द्वेष और हिंसाकी दावाग्नि महात्मा ईसाके जमानेमें भी सुलग रही थी, किन्तु उन्होंने उपदेश दिया प्रेमका, अहिंसाका। उस उपदेशका पालन आज भी कम ही होता है, पर इससे यह कोई नहीं कहता कि महात्मा ईसाको मानव-समाजका ज्ञान न था।

श्रीमती सेगर बम्बईकी चालियोमें कुछ स्त्रियोसे मिलकर आई थी, और कहती थी कि उन स्त्रियोके साथ बात करने पर उन्हें ऐसा लगा कि उन स्त्रियोको यदि सन्तति-निग्रहके साधन प्राप्त हो जाय तो उन्हें बड़ी खुशी हो। ईश्वर जाने, वे वहाँ किस चालीमें गई थी, और उनका दुभाषिया कौन था। मगर गाधीजीने तो उनसे यह कहा कि “हिन्दुस्तानके गावोंमें आप जाय तो आपके सन्तति-निग्रहके इन उपायोकी वे लोग बात भी सहन नहीं करेगी। आज इनीगिनी पढी-लिखी स्त्रियोको आप भले ही बहका सके, पर इससे आप यह न मान ले कि हिन्दुस्तानकी स्त्रियोकी ऐसी ही मनोवृत्ति है।”

लेकिन श्रीमती सेगरको ऐसा मालूम हुआ कि इस प्रतिरोधसे तो

गार्हस्थ्य जीवनमें कलह बढ़ेगा, स्त्रिया अप्रिय हो जायगी, पति-पत्नीके विवाहित जीवनकी सुगन्ध और सुन्दरता नष्ट हो जायगी। बात तो यह थी कि इस प्रतिरोधसे यह सब होगा, यह बात नहीं, पर विना शरीर-सम्बन्धका विवाहित जीवन ही शुष्क हो जाता है, ऐसा वे मानती हैं। इसलिए शरीर-सम्बन्धके विरुद्ध यह विद्रोहकी सलाह ही उनके गले नहीं उतरती। अमेरिकाके कुछ उदाहरण उन्होंने गांधीजीके आगे रखे और बतलाया कि “देखिए, इन पति-पत्नियोंका जीवन अलग-अलग रहनेसे कष्टकमय हो गया था; पर उन्होंने सन्तति-निग्रह करना सीखा और इससे वे लोग विवाहित जीवनका आनन्द भी उठा सके और उनका जीवन भी सुखी हुआ।” गांधीजीने कहा, “मैं आपको पचासो उदाहरण दूसरे प्रकारके दे सकता हूँ। शुद्ध सयमी जीवनसे कभी दुःखकी उत्पत्ति नहीं हुई; किन्तु आत्म-सयम तो एक खरी वस्तु है। आत्म-सयम रखने वाला व्यक्ति अपने जीवनमात्रको जबतक सयत नहीं करता तबतक उसमें वह सफल हो ही नहीं सकता। मेरा तो यह अटल विश्वास है कि आपने जो उदाहरण दिये हैं वे तो सयम-हीन, बाह्य त्याग करके अन्तरसे विषयका सेवन करने वालोंके उदाहरण हैं। उन्हें यदि मैं सन्तति-निग्रहके उपायोंकी सिफारिश करूँ तो उनका जीवन तो और भी गन्दा हो जाय।

कुवारे स्त्री-पुरुषोंके लिए तो यह साधन नरकका द्वार खोल देगे। इस विषयमें गांधीजीको शंका ही नहीं थी। उन्होंने अपने अनुभव भी सुनाये, मगर श्रीमती सेगरकी वर्धाकी बातचीतसे यह जान पडा कि वे कुवारे पुरुषोंके लिए इन उपायोंकी सिफारिश नहीं कर रही हैं। उन्होंने तो इतना पूछा कि “विवाहितोंके लिए भी क्या आप इन साधनोंकी अनुमति नहीं देते?” गांधीजीने कहा, “नहीं, विवाहितोंका भी यह साधन सत्यानाश करेगे।” श्रीमती सेगरने अपने लेखमें जो दलील इसके विरुद्ध रखी है, वह दलील उन्होंने बातचीतमें नहीं दी थी। वे लिखती हैं— “यदि सन्तति-निग्रहके साधनसे ही मनुष्य अत्यन्त विषयी अथवा व्यभिचारी बनते हों, तब तो गर्भाधानके बादके नौ मासमें भी अतिशय विषय और व्यभिचारके लिए क्या गुजाइश नहीं रहती?” दलीलकी खातिर तो यह

दलील की जा सकती है, पर मालूम होता है कि श्रीमती सेगरने इस बातका विचार नहीं किया कि स्त्री-जातिके लिए ही यह दलील कितनी अपमानजनक है। बहुत ही दवाई हुई अथवा एकाध अत्यन्त विषयान्ध स्त्रीको छोड़कर क्या कोई गर्भवती स्त्री अपने पतिके भी विषय-वासनाके वश होती है ?”

मगर बात असलमे यह थी कि श्रीमती सेगर और गाधीजीकी मनो-वृत्तियोमे पृथ्वी-आकाशका अन्तर था। बातचीतमे विषयेच्छा और प्रेमकी चर्चा चली। गाधीजीने कहा कि विषयेच्छा और प्रेम ये दोनो अलग-अलग चीजे है। श्रीमती सेगरने भी यही बात कही। गाधीजीने अपने अनुभवका प्रकाश डालकर कहा कि “मनुष्य अपने मनको चाहे जितना धोखा दे, पर विषय विषय है, और प्रेम प्रेम है। काम-रहित प्रेम मनुष्यको ऊचा उठाता है, और काम-वासना वाला सम्बन्ध मनुष्यको नीचे गिराता है।” गाधीजीने सन्तानोत्पत्तिके लिए किये हुए धर्म्य सम्बन्धका अपवाद कर दिया। उन्होने दृष्टान्त देकर समझाया कि “शरीर-निर्वाहके लिए हम जो कुछ खाते हैं, वह आहार नहीं, अस्वाद नहीं, किन्तु स्वाद है और विहार है। हलवा या पकवान या शराव मनुष्य भूख या प्यास बुझानेके लिए नहीं खाता-पीता, किन्तु केवल अपनी विषय-लोलुपताके वश होकर ही इन चीजोको खाता-पीता है। इसी तरह शुद्ध सन्तानोत्पत्तिके लिए पति-पत्नी जब इकट्ठे होते हैं तब उस सम्बन्धको प्रेम-सम्बन्ध कहते हैं, सन्तानोत्पत्तिकी इच्छाके बिना जब वह इकट्ठे होते हैं तो वह प्रेम नहीं, भोग है।”

श्रीमती सेगरने कहा, “यह उपमा ही मुझे स्वीकार्य नहीं।”

गाधीजी—“आपको यह क्यों स्वीकार्य हो ? आप तो सन्तानेच्छारहित सम्बन्धको आत्माकी भूख मानती हैं, इसलिए मेरी बात क्यों आपके गले उतरे ?”

श्रीमती सेगर—“हा, मैं उसे आत्माकी भूख मानती हू। मुख्य बात यह है कि वह भूख किस तरह तृप्त की जाय ? तृप्तिके परिणाम-स्वरूप सन्तान हो या न हो, यह गौण बात है। अनेक वच्चे बिना इच्छाके ही उत्पन्न होते हैं और शुद्ध सन्तानोत्पत्तिके लिए तो कौन दम्पति इकट्ठे होते

होगे ? यदि शुद्ध सन्तानोत्पत्तिके लिए ही इकट्ठे हो तो पति-पत्नीको जीवनमे तीन-चार वार ही विषयेच्छाको तृप्त करके सन्तोष मानना पड़े । और यह तो ठीक बात नहीं कि सन्तानेच्छासे जो सम्बन्ध किया जाय, वह शुद्ध प्रेम है और सन्तानेच्छा-रहित सम्बन्ध विषय-सम्बन्ध है ।”

गाधीजी—“मैं यह अनुभवकी बात कहता हू कि मैंने अमुक सन्ताने होनेके बाद अपने विवाहित जीवनमे शरीर-सम्बन्ध बन्द कर दिया । सन्तानेच्छारहित सभी सम्बन्ध विषय-सम्बन्ध है, ऐसा आप कहना चाहे तो मैं यह कबूल कर सकता हू । मेरा तो एक अनुभव आईना-सा स्पष्ट है कि मैं जब-जब शरीर-सम्बन्ध करता था, तब-तब हमारे जीवनमे मुख एव शान्ति और विशुद्ध आनन्द नहीं होता था । एक आकर्षण था सही, किन्तु ज्यो-ज्यो हमारे जीवनमे—मेरेमे—सयम बढ़ता गया, त्यो-त्यो हमारा जीवन अधिक उन्नत होता गया । जबतक विषयेच्छा थी, तबतक सेवा-शक्ति शून्यवत् थी । विषयेच्छा पर चोट की कि तुरन्त सेवा-शक्ति उत्पन्न हुई । काम नष्ट हुआ और प्रेमका साम्राज्य जमा ।” गाधीजीने अपने जीवनके एक अन्य आकर्षणकी भी बात की । उस आकर्षणसे ईश्वरने उन्हें किस तरह बचाया, यह भी उन्होंने बतलाया, पर ये तमाम अनुभवकी बातें श्रीमती सेगरको अप्रस्तुत मालूम हुई । शायद न मानने योग्य मालूम हुई हो तो कोई अचरज नहीं, क्योंकि अपने लेखमे वे कहती हैं कि “कांग्रेसके मुट्ठी-भर आदर्शवादी कार्यकर्ता अपनी विषयेच्छाको दवाफर सेवाशक्तिमें भले ही परिणत कर सके हो, पर उन इने-गिने व्यक्तियोंको छोड़कर उन्हें तो हम लोगोकी बातें करनी थी ।” पर जहा तक मेरा खयाल है, गाधीजीने तो कांग्रेस या कांग्रेसके कार्यकर्ताओंका सारी बातचीतमें कोई हवाला ही नहीं दिया था । पर श्रीमती सेगर यह भूल जाती हैं कि तमाम नैतिक उन्नति “मुट्ठी-भर आदर्शवादियों” के आचरणकी वरीयत ही हुई है । मच बात तो यह है कि गाधीजीने बतौर स्वप्न-द्रष्टा-के वान नहीं की थी । गाधीजी खुद एक नीति-गिदक हैं और श्रीमती सेगर भी नीति-गिदक हैं, वे स्वयं एक नमाज-नेवक हैं और श्रीमती सेगर भी समाज-नेदिका हैं, यह मानकर ही नारा नवाद चला था, और

यह होते हुए भी व्यवहारकी भूमिका पर खडे होकर ही उन्होंने उनसे वाते की थी। उन्होंने कहा, “नहीं, बतौर नीति-रक्षकके मेरा और आपका कर्तव्य तो यह है कि इस सन्तति-निग्रहको छोड़कर अन्य उपायोका आयोजन करे। जीवनमे कठिन पहेलिया तो आयगी ही, पर वे किसी मनचाहे अनुकूल साधनसे हल नहीं की जा सकती। इन सन्तति-निग्रहके साधनको अधर्म्य समझकर आप चलेगी तभी आपको अन्य साधन सूभेगे। तीन-चार बच्चे पैदा हो जानेके बाद मा-बापको अपनी विषय-वासना शान्त कर देनी चाहिए, इस प्रकारकी शिक्षा हम क्यों न दे, इस तरहका कानून हम क्यों न बनावे? विषय-भोग खूब तो भोग लिया, चार-चार बच्चे ही जानेके बाद भोग-वासनाको अब क्यों न रोका जाय? बच्चे मर जाय और बादको जरूरत हो तो सन्तान उत्पन्न करनेकी गरजसे पति-पत्नी फिरसे इकट्ठे हो सकते हैं। आप ऐसा करेगी तो विवाह-बन्धनको आप ऊंचे दर्जे पर ले जायगी। सन्तति-निग्रहकी सलाह मुझसे कोई स्त्री लेने आये तो मैं उससे यही कहूंगा कि ‘यह सलाह, बहन, तुम्हे मेरे पास मिलनेकी नहीं, और किसीके पास जाओ।’ पर आप तो सन्तति-निग्रहके धर्मका आज प्रचार कर रही हैं। मैं आपसे यह कहूंगा कि इससे आप लोगोको नरकमे ले जाकर पटकेंगी, क्योंकि उनसे आप यह तो कहेगी नहीं कि ‘बस, अब इससे आगे नहीं।’ इसमे आप कोई मर्यादा तो रख नहीं सकेगी।”

वर्धामे जो बातचीत हुई उसमे तो श्रीमती सेगरने इतने अधिक मित्रभावसे, इतनी अधिक जिज्ञासा-वृत्तिसे बर्ताव किया कि कुछ पूछिये नहीं। गाधीजीसे उन्होंने कहा था, “पर आप कोई उपाय भी बतलाइए। सयम मैं भी चाहती हूँ, सयम मुझे अप्रिय नहीं, पर शक्य सयमका ही पालन हो सकता है न?” सत्य-शोधककी नम्रतासे गाधीजीने कहा, “निर्वल मनुष्योके लिए एक उपाय दिखाई देता है। वह उपाय हाल हीमे एक मित्रकी भेजी हुई पुस्तकमे देखा है। उसमे यह सलाह दी है कि ऋतुकालके बाद अमुक दिनको छोड़कर विषय-सेवन किया जाय। इस तरह भी मनुष्यको महीनेमे १०-१२ दिन मिल जाते हैं और सन्तानोत्पादनसे वह

बच सकता है । इस उपायमे बाकीके दिन तो सयम पालनेमे ही जायगे, इसलिए मैं इस उपायको सहन कर सकता हूँ ।”

पर यह उपाय श्रीमती सेगरको तो नीरस ही मालूम हुआ होगा ; क्योंकि इस उपायका उन्होंने न तो अपने लेखमे ही कही उल्लेख किया है, न अपने भाषणोमे ही । इस उपायकी ही बात करे तो सन्तति-निग्रहके साधन बेचनेवाले भीख मागने लगे और तीसो दिन जिन्हे भोग-वासना सताती हो, उन बेचारोकी क्या हालत हो ?

फिर श्रीमती सेगर तो ऐसे दुखियोकी दुख-भजक ठहरी । ऐसे दुखियोका मोक्ष-साधन सन्तति-निग्रहके सिवा और क्या हो सकता है । मैं यह कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ । श्रीमती सेगरने अमेरिकामे सर्वधर्म-परिषद्के आगे जो भाषण दिया था, उसमे उन्होंने सन्तति-निग्रहको मोक्ष-साधनका रूप दिया है । उस भाषणमे उन्होंने न तो सयमकी बात की है ; न केवल विवाहित दम्पतियोकी । वहा तो उन्होंने बात की है उस अमेरिका की—जहा हर साल २० लाख भ्रूण-हत्याए होती है । इतनी बाल हत्याएं रोकनेके लिए सन्तति-निग्रहके साधनोके सिवा दूसरा उपाय ही क्या !! पर अभी ज़रा और आगे बढे तो कुछ दूसरी ही बात मालूम होगी, और वह यह कि इन विदेशी प्रचारिकाओकी चढाई भारतकी स्त्रियोके हितार्थ नहीं, किन्तु दूसरे ही हेतुसे हो रही है । अमेरिकाके उस भाषणमे ही उन्होंने स्पष्ट रीतिसे कहा था कि—“जापानकी आवादी कितनी बढ रही है ! वहा तो जन-वृद्धिकी मात्रा पहले ही बढी-चढी थी, और अब तो वह उसे भी पार कर रही है । इसी तरह अगर यह बढती गई तो इन एशियाके राष्ट्रोका त्रास पृथ्वी कैसे सहन कर सकेगी ? राष्ट्रसघको इसके विरुद्ध कोई जबर्दस्त प्रतिबन्ध सहना ही होगा । अपनी इतनी बडी प्रजाके लिए खानेकी तगी होनेसे जापानको और भी देशोकी जरूरत होगी, और भी मण्डिया चाहनी पडेगी, इसीसे वह पवित्र सधियोको भग कर रहा है और विश्व-व्यापी युद्धका बीज बो रहा है ।” जापान आज जिस अप्रिय रीतिसे पेश आ रहा है, उसे देखते हुए तो जापानका यह उदाहरण चतुराईसे भरा हुआ उदाहरण है ; पर श्रीमती सेगरको तो इस डरका भयकर

स्वप्न दवा रहा है कि सन्तति-निग्रह न करने वाले ए।शियाई राष्ट्र यूरोपीय प्रजाके लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे जन-हितैषियोंकी चढाईसे हम जितनी ही जल्दी सजग हो जाय उतना ही अच्छा।

—महादेव देसाई

## श्रीमती सेंगरका पत्र

श्रीमती सेगरने मुझे निम्नलिखित पत्र भेजा है—

“अपने लेख (‘विदेशियोंके नये-नये हमले’) में मेरे और गाधीजीके बीच हुई बातचीत देते हुए आप कहते हैं कि ‘इलस्ट्रेटेड वीकली’ के अपने लेखमें मैंने उस बातचीतका सिर्फ एक ही पहलू रखा है। आपकी यह बात विलकुल ठीक है। उस लेखमें दरअसल, उसी पर मैं विचार भी करना चाहती थी।

“मुझे यह भी बताना चाहिए कि उस लेखको छपनेके लिए भेजनेसे पहले मैंने आपकी ओर गाधीजीकी एक प्रिय और वफादार मित्र म्यूरियल लेस्टरको पढ़कर सुना दिया था और जिसे आप ‘परदेकी ओटमें दुर्भाव’ कहते हैं वह बात उन्होंने ही सुझाई थी। कृपया इस बातका यकीन रखें कि जो बहादुर स्त्री-पुरुष हिन्दुस्तानकी आजादीके लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन सबके प्रति मेरे मनमें अत्यधिक श्रद्धा और सम्मानका ही भाव है। मैंने अभी तक जो-कुछ किया है उस पर आप नजर डालें तो हिन्दुस्तानमें आजादी प्राप्त करनेके लिए किये जानेवाले प्रयत्नोंकी मदद करनेकी गरजसे १९१७ में जो पहला दल अमेरिकामें संगठित हुआ था, उसमें मेरा भी नाम आपको मिलेगा।

“एक और बात भी आपके लेखमें ऐसी है जिसमें, मैं समझती हूँ, आप गलती पर हैं। वह यह कि आप उसमें यह जाहिर करने मान्यम पत्रों हैं कि हमारी बातचीतमें गाधीजीने (शत्रु-शक्तिके बाद कुछ दिनोंको छोड़कर) ऐसे दिनोंमें समागमके उपायको स्वीकार कर लिया है जिसमें गर्भ रहनेकी सम्भावना प्रायः नहीं होती। मेरे ख्यालमें आप दाव्य सिद्ध हुए कारखानों देखें तो उसमें उल्टा यह बयान आसानी मिलेगा,

‘यह बात मुझे उतनी नहीं खलती जितनी कि दूसरी खलती है।’ हालांकि मैंने और निश्चित बात कहनेका आग्रह किया, लेकिन इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसी हालतमें आपने सार्वजनिक रूपसे जो कथन उनका बताया है, मेरे खयालमें वह आपने ठीक नहीं किया। और अन्तमें आपने प्रचारकोके ‘व्यापार’ की जो बात लिखी है, मैं नहीं समझती कि उसमें गांधीजी आपसे सहमत होंगे। वह वाक्य और जिस भावनाका वह सूचक है वह, आप-जैसे व्यक्तिके लायक नहीं है, जिसने कि नि स्वार्थ भावसे जन-सेवाका कार्य किया है।

“सन्तति-निग्रहके कार्यकर्त्ता जिस बातको मानव-स्वतन्त्रता एवं प्रगतिके लिए मनुष्य-मात्रका मौलिक स्वत्व मानते हैं, उसके लिए नि स्वार्थ भावसे और बिना किसी परिश्रमके उन्होंने सग्राम किया है और अब भी कर रहे हैं। फिर जो अपना विरोधी हो उसके बारेमें यो ही कोई ऐसी बात कह देना सर्वथा अनुचित, असौजन्यपूर्ण और असत्य है, जो दरअसल बिल्कुल बेबुनियाद हो।”

इसमें जहां तक ‘परदेकी ओटमें दुर्भाव’ से सम्बन्ध है, मैं प्रसन्नता-से और कृतज्ञता-पूर्वक अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह मानना होगा कि जिस शोखी और तुनकमिजाजीके लहजेमें वह लेख लिखा हुआ है, उससे यही भाव टपकता है, हालांकि अब मैं यह मान लेना हूँ कि उनका ऐसा भाव नहीं था।

दूसरी गलतीके बारेमें, श्रीमती सेगरको यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने तो ‘बातचीतके सिर्फ एक पहलूको ही’ लिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि यह कहकर कि ऋतु-कालके बाद-के कुछ दिनोंको छोड़कर ऐसे दिनोंमें समागमकी बात गांधीजी सहन कर लेंगे, जिनमें गर्भ रहनेकी सम्भावना प्रायः नहीं होती, क्योंकि इसमें आत्म-संयमकी थोड़ी-बहुत भावना तो है, मैंने उन्हें किसी ऐसी स्थितिमें डाल दिया है जो उन्हें पसन्द नहीं है। मैं तो सिर्फ यही बताना चाहता था कि अपने विरोधीकी बातको भी, जहां तक सम्भव हो, किस तत्परताके साथ गांधीजी स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने जिस कारण यह कहा कि

‘यह बात मुझे इतनी नहीं खलती जितनी कि दूसरी खलती है,’ वह इस विषयमें बड़ी मुद्देकी बात है, क्योंकि श्रीमती सेगरके उपाय (कृत्रिम सन्तति-निग्रह) से जहा महीनेके सभी दिनोंमें विषय-भोगमें प्रवृत्त होनेकी छुट्टी मिल जाती है वहा इस विशेष उपायसे किसी हदतक तो आत्म-सयम होता ही है ।

‘व्यापार’ वाली बात, मैं समझता हूँ, श्रीमती सेगरको बहुत बुरी लगी है, लेकिन खुद श्रीमती सेगरपर मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है, न मेरा ऐसा कोई इरादा ही था, क्योंकि मुझे मालूम है, उन्होंने अपने उद्देश्यके लिए बड़ी बहादुरी और निस्स्वार्थ भावसे लडाई लडी है, मगर यह बात विलकुल गलत भी नहीं है कि सन्तति-निग्रहके लिए आजकल जो प्रचार हो रहा है वह तथा सन्तति-निग्रहके प्राय सभी उत्साही समर्थकोके यहा विक्रीके लिए इस सम्बन्धका जो आकर्षक साहित्य या औजार आदि होते हैं वह सब मिलाकर बहुत भद्दा है । इन सबसे उस उद्देश्यको तो हानि ही पहुचती है जिसके लिए कि श्रीमती सेगर निस्स्वार्थ भावसे इतना उद्योग कर रही है ।

—महादेव देसाई

## स्त्रियोंको स्वर्गकी देवियां न बनाइए'

गाधीजी उस विषयपर आये, जिस विषयपर कि विषय-समितिमे उन्होने अपने विचार प्रकट किये थे। वायु-मण्डल अनुकूल नहीं था, इसलिए उस विषयपर वे कोई प्रस्ताव नहीं ले सके। 'ज्योति-सघ' नामक आन्दोलनकी सचालिका बहनोने उन्हे एक पत्र लिखा था। इसी-को लेकर उन्होने कुछ कहा। इस पत्रके साथ एक प्रस्ताव भी था, जिसमे उन्होने उस वृत्तिकी निन्दा की, जो आज-कल स्त्रियोका चित्रण करनेके विषयमे वर्तमान साहित्यमे चल पडी है। गाधीजीको लगा कि उनकी शिकायतमे काफी बल है और उन्होने कहा, "इस आरोपमे सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आजकलके लेखक स्त्रियोका विलकुल भूठा चित्रण करते हैं। जिस अनुचित भावुकताके साथ स्त्रियोका चरित्र-चित्रण किया जाता है, उनके शरीर-सौन्दर्यका जैसा भद्दा और असभ्यतापूर्ण वर्णन किया जाता है, उसे देखकर इन कितनी बहनोको घृणा होने लग गई है। क्या उनका सारा सौन्दर्य और बल केवल शारीरिक सुन्दरता ही मे है? पुरुषोकी लालसा-भरी विकारी आखोकी तृप्ति करनेकी क्षमतामे ही है? इस पत्रकी लेखिकाए पूछती है और उनका पूछना विलकुल न्याय्य है कि क्यो हमारा हमेशा इस तरह वर्णन किया जाता है, मानो हम कमजोर और दबू औरते हो, जिनका कर्तव्य केवल यही है कि घरके तमाम हलके-से-हलके काम करती रहे और जिनके एकमात्र देवता उनके पति हैं! जैसी वे हैं वैसी ही उन्हे क्यो नहीं बताया जाता? वे कहती है, 'न तो हम स्वर्गकी अप्सराए है, न गुडिया है, और न विकार और दुर्बलताओकी गठरी ही है।' पुरुषोकी

भाति हम भी तो मानव-प्राणी ही है । जैसे वे हैं वैनी ही हम भी हैं । हममें भी आजादीकी वही आग है । मेरा दावा है कि उन्हें वार उनके दिग्गों में काफी अच्छी तरह जानता हू । दक्षिण अफ्रिकामें एक समय मेरे जान-पार न्द्रिया-ही-न्द्रिया थी । मर्द सब उनके जेलोंमें चलें गये थें । आश्रममें कोई ६० न्द्रिया थी । और मैं उन सब लड़कियों और न्द्रियोंमें पिता और भाई बन गया था । आपको मुनकर वारचर्य होगा कि मेरे पास रहते हुए उनका जान्मिक बल बढ़ता ही गया, यहातक कि अन्तमें वे सब खद-व-वृद्ध जेग चली गई ।

अभावमे ज़रा हिन्दीकी कल्पना तो कीजिए । आजकलके साहित्यमे स्त्रियोके विषयमे जो-कुछ मिलता है, ऐसी बाते आपको तुलसीकृत रामायणमे मिलती है ?”



: ३ :

ब्रह्मचर्य-२



# ब्रह्मचर्य-२

: १ :

## ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्यकी जो व्याख्या मैंने की है, वह अब भी कायम है। अर्थात्, जो मनुष्य मनसे भी विकारी होता है, समझना चाहिए कि उसका ब्रह्मचर्य स्वलित हो गया है। जो विचारमे निर्विकार नहीं, वह पूर्ण ब्रह्मचारी कभी नहीं माना जा सकता। चूकि अपनी इस व्याख्यातक मैं नहीं पहुच सका, इसलिए अपनेको मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं मानता। पर अपने आदर्शसे दूर होते हुए भी, मैं यह मानता हू कि जब मैंने इस व्रतका आरभ किया तब मैं जहापर था, उससे आगे बढ़ गया हू। विचारकी निर्विकारता तबतक कभी आती ही नहीं, जबतक कि 'पर' का दर्शन नहीं होता। जब विचारके ऊपर पूरा काबू हो जाता है, तब पुरुष स्त्रीको और स्त्री पुरुषको अपनेमे लय कर लेती है। इस प्रकारके ब्रह्मचारीके अस्तित्वमे मेरा विश्वास है, पर ऐसा कोई ब्रह्मचारी मेरे देखनेमे नहीं आया। ऐसा ब्रह्मचारी बननेका मेरा महान प्रयास जारी अवश्य है। जबतक यह ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं हो जाता, मनुष्य उतनी अहिंसातक, जितनी कि उसके लिए शक्य है, पहुच नहीं सकता।

ब्रह्मचर्यके लिए आवश्यक मानी जानेवाली बाड़को मैंने हमेशाके लिए आवश्यक नहीं माना है। जिसे किसी बाह्य रक्षाकी जरूरत है वह पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं। इसके विपरीत, जो बाड़को तोड़नेके ढोंगसे प्रलोभनोकी खोजमे रहता है, वह ब्रह्मचारी नहीं, किंतु मिथ्याचारी है।

ऐसे निर्भय ब्रह्मचर्यका पालन कैसे हो ? मेरे पास इसका कोई अचूक

उपाय नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण दशाको नहीं पहुँचा हूँ। पर मैंने अपने लिए जिस वस्तुको आवश्यक माना है, वह यह है :

विचारोको खाली न रहने देनेकी खातिर निरन्तर उन्हे शुभ चिन्तनमे लगाये रहना चाहिए। रामनामका इकतारा तो चौबीसो घटे, सोते हुए भी, श्वासकी तरह स्वाभाविक रीतिसे, चलता रहना चाहिए। वाचन हो तो सदा शुभ, और विचार किया जाय, तो अपने कार्यका ही। कार्य पारमार्थिक होना चाहिए। विवाहितोको एक-दूसरेके साथ एकात-सेवन नहीं करना चाहिए, एक कोठरीमे एक चारपाईपर नहीं सोना चाहिए। यदि एक दूसरेको देखनेसे विकार पैदा होता हो, तो अलग-अलग रहना चाहिए। यदि साथ-साथ बातें करनेमे विकार पैदा होता हो, तो बातें नहीं करनी चाहिए। स्त्रीमात्रको देखकर जिसके मनमे विकार पैदा होता हो, वह ब्रह्मचर्य-पालनका विचार छोड़कर अपनी स्त्रीके साथ मर्यादापूर्वक व्यवहार रखे, जो विवाहित न हो, उसे विवाहका विचार करना चाहिए। किसीको सामर्थ्यके बाहर जानेका आग्रह नहीं रखना चाहिए। सामर्थ्यसे बाहर प्रयत्न करके गिरनेवालोके अनेक उदाहरण मेरी नजरके सामने आते रहते हैं।

जो मनुष्य कानसे बीभत्स या अश्लील बातें सुननेमे रस लेते हैं, आखसे स्त्रीकी तरफ देखनेमे रस लेते हैं, वे सब ब्रह्मचर्यका भंग करते हैं। अनेक विद्यार्थी और शिक्षक ब्रह्मचर्य-पालनमे जो हताश हो जाते हैं, इसका कारण यह है कि वे श्रवण, दर्शन, वाचन, भाषण आदि की मर्यादा नहीं जानते, और मुझसे पूछते हैं, “हम किस तरह ब्रह्मचर्यका पालन करें ?” प्रयत्न वे जरा भी नहीं करते। जो पुरुष स्त्रीके चाहे जिस अंगका सविकार स्पर्श करता है, उसने ब्रह्मचर्यका भंग किया है, ऐसा समझना चाहिए। जो ऊपरी मर्यादाका ठीक-ठीक पालन करता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य सुलभ हो जाता है।

आलसी मनुष्य कभी ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकता। वीर्य-सग्रह करनेवालेमे एक अमोघ शक्ति पैदा होती है। उसे अपने शरीर और मनको निरन्तर कार्यरत रखना ही चाहिए। अतः हरेक साधकको ऐसा सेवा-कार्य खोज लेना चाहिए कि जिससे उसे विषय-सेवन करनेके लिए रचनात्र भी समय न मिले।

साधकको अपने आहारपर पूरा काबू रखना चाहिए। वह जो कुछ खाये, वह केवल औषधिरूपमें शरीर-रक्षाके लिए, स्वादके लिए कदापि नहीं। इसलिए मादक पदार्थ, मसाले वगैरा उसे खाने ही नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी मिताहारी नहीं, किंतु अल्पाहारी होना चाहिए। सब अपनी मर्यादा बाँध ले।

उपवासादिके लिए ब्रह्मचर्य-पालनमें अवश्य स्थान है। पर आवश्यकतासे अधिक महत्त्व देकर जो उपवास करता और उससे अपनेको कृतकृत्य हुआ मानता है, वह भारी गलती करता है। निराहारीके विषय उस बीचमें क्षीण भले ही हो जाये, पर उसका रस नष्ट नहीं होता। शरीरको नीरोगी रखनेमें उपवास बहुत सहायक है। अल्पाहारी भी भूल कर सकता है, इसलिए प्रसंगोपात्त उपवास करनेमें लाभ ही है।

‘क्षणिक रसके लिए मैं क्यों तेजहीन होऊँ ? जिस वीर्यमें प्रजोत्पत्तिकी शक्ति भरी हुई है, उसका पतन क्यों होने दूँ, और इस तरह ईश्वरकी दी हुई बख्शीसका दुरुपयोग करके मैं ईश्वरका चोर क्यों बनूँ ? जिस वीर्यका सग्रह कर मैं वीर्यवान् बन सकता हूँ, उसका पतन करके वीर्यहीन क्यों बनूँ ?’ इस विचारका मनन यदि साधक नित्य करे, और रोज ईश्वर-कृपाकी याचना करे, तो संभवतः वह इस जन्ममें ही वीर्यपर काबू प्राप्त कर ब्रह्मचारी बन सकता है। इसी आशाको लेकर मैं जी रहा हूँ।

‘हरिजन-सेवक’,

२८-१०-३६

## ब्रह्मचर्यका स्पष्टीकरण

मोण्टाना (अमरीका) से कुमारी मैवल ई० सिम्पसनने 'हरिजन' के सम्पादकको लिखा है .

“मैं आपके पत्रकी प्रशंसा करती हूँ । यह ठीक है कि आकारमें यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो कुछ रहता है उससे इस अभावकी पूर्ति हो जाती है । गांधीजीने सन्तति-निग्रहके विषयमें सदाकी तरह स्पष्टता-पूर्वक जो लेख लिखा है, वह मुझे बहुत पसन्द आया । अगर वह बीस बरस पहले, जब कि सन्तति-निग्रहसे घृणा की जाती थी, और अब जब कि इसका बहुत जोर है, अमरीका आते तो वह यह जान जाते कि नैतिक दृष्टिसे यह कितना पतन-कारक है । लेकिन वह किसीको इस बातका विश्वास नहीं करा सकेगे, क्योंकि यह मनुष्यको नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे भी वंचित कर देता है, जिससे इस पथपर चलनेवालोके लिए उच्च नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे बुद्धिपूर्वक किसी बातका निर्णय करना असम्भव हो जाता है । इस सम्बन्धमें हिन्दुस्तानने अगर पश्चिमका अनुकरण किया तो निश्चय ही वह अपने दो अत्यन्त अमूल्य और सुन्दर रत्नोंको खो देगा— एक तो छोटे बच्चोके प्रति प्रेम, और दूसरा माता-पिताके प्रति श्रद्धा । अमरीकाने इन दोनोंको गँवा दिया है—और, इनका उसे कुछ पता भी नहीं । क्या आप ब्रह्मचर्यके अर्थका स्पष्टीकरण कर सकते हैं ? मुझसे इसके बारे-में पूछा गया है । हालांकि मेरे मनमें इसकी कुछ कल्पना तो है, लेकिन वह इतनी निश्चित नहीं है कि मैं दूसरोको समझानेका प्रयत्न करूँ ।”

पाठक और पाठिकाएँ इस साक्षीका जो-कुछ मूल्य आके वह आक सकते हैं । मगर मैं कहता हूँ कि सन्तति-निग्रहके कृत्रिम साधनोका प्रयोग

करनेके विरुद्ध ऐसी साक्षी उन लोगोकी साक्षीसे कही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इनके प्रयोगसे फायदा उठानेका दावा करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। इससे बच्चोकी उत्पत्ति रुकती है, इस रूपमे तो इसके फायदेसे कोई इन्कार नहीं करता। कहा सिर्फ यह जाता है कि इसके प्रयोगसे जो नैतिक हानि होती है वह बेहिसाब है। कुमारी सिम्पसनने हमे ऐसी हानिका माप बताया है।

अब रही ब्रह्मचर्यके अर्थकी बात। सो उसका मूलार्थ इस प्रकार बताया जा सकता है—वह आचरण कि जिससे कोई व्यक्ति ब्रह्म या परमात्माके सम्पर्कमे आता है।

इस आचरणमे सब इन्द्रियोका सम्पूर्ण सयम शामिल है। इस शब्दका यही सच्चा और सुसगत अर्थ है।

वैसे आम तौरपर इसका अर्थ सिर्फ जननेन्द्रियका शारीरिक संयम ही लगाया जाने लगा है। इस सकीर्ण अर्थने ब्रह्मचर्यको हलका करके उसके आचरणको प्रायः बिलकुल असभव कर दिया है। जननेन्द्रियपर तबतक सयम नहीं हो सकता जबतक कि सभी इन्द्रियोका उपयुक्त सयम न हो। क्योंकि वे सब अन्योन्याश्रित हैं। मन भी इन्द्रियोमे ही शामिल है। जबतक मनपर सयम न हो, खाली शारीरिक सयम चाहे कुछ समयके लिए प्राप्त भी हो जाय, पर उससे कुछ हो नहीं सकता।

‘हरिजन सेवक’,

२०-६-३६

## लड़कीको क्या चाहिए

एक महिला लिखती है

“आपका ‘ऐसी मुसीबत जिससे बच सकते हैं’ शीर्षक लेख मुझे अधूरा-सा लगता है। माता-पिता अपनी लड़कियोंकी शादी करनेका क्यों आग्रह रखते हैं और फिर उसके लिए ऐसी अकथनीय मुसीबतें क्यों उठाते हैं? अगर वे अपनी लड़कियोंको भी लड़कोंकी तरह ऐसी शिक्षा देने लग जाय जिससे कि वे भी स्वतंत्रतापूर्वक अपनी आजीविका कमाने लगे तो उन्हें लड़कियोंके लिए बर तलाश करनेमें इतना कष्ट और चिन्ताएँ न करनी पड़े। मेरा अपना तो यह अनुभव है कि जब लड़कियोंको अपनी मानसिक उन्नति करनेका अवकाश मिल जाता है और वे इज्जत-के साथ अपना भरण-पोषण करने लायक हो जाती हैं, तब अगर वे शादी करना चाहती हैं तो उन्हें अपने लायक बर तलाशनेमें कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। मेरे कहनेका कोई यह अर्थ न लगाए कि लड़कियोंको आजकलकी तथोक्त उच्च शिक्षा देनेकी मैं सिफारिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वह तो हजारों लड़कियोंके लिए अप्राप्य ही है। मेरा तो मतलब यह है कि लड़कियोंको उपयोगी ज्ञानके साथ-साथ किसी ऐसे धन्धेकी शिक्षा भी दी जाय जिससे उन्हें यह पूरा विश्वास हो जाय कि वे अपने माता-पिता या पतिकी निरी आश्रिता बनकर नहीं रहेगी, बल्कि अगर मौका आया तो ससारमें अपने पैरोपर भी खड़ी रह सकती हैं। हाँ, मैं तो ऐसी भी कुछ लड़कियोंको जानती हूँ, जो पति-द्वारा छोड़ दिये जानेपर आज फिर अपने पतियोंके साथ सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं, क्योंकि परित्यक्ताकी दशामें उन्हें सद्भाग्यसे स्वाश्रयी बनने तथा अन्य उपयोगी

शिक्षा पानेका अवसर मिल गया था। विवाहयोग्य कन्याओके माता-पिताओकी कठिनाइयोका विचार करते समय, आप सवालके इस पहलू-पर भी जोर दे तो बडा अच्छा हो।”

पत्र-भेजनेवाली महिलाने जो भाव प्रकट किये है, उनका मैं हृदयसे समर्थन करता हू। मुझे तो एक ऐसे पिताके मामलेपर विचार करना था, जिसने अपने-आपको बडी मुसीबतमे डाल लिया था—इसलिए नही कि उनकी लडकी अयोग्य थी, बल्कि इसलिए कि वे और शायद उनकी लडकी भी वरका चुनाव अपनी जातिके छोटे-से दायरेमे ही करना चाहते थे। इस मामलेमे तो लडकीका सुयोग्य होना ही एक विघ्न साबित हो रहा था। अगर लडकी निरक्षर होती तो हर किसी युवकके अनुकूल अपनेको बना लेती। पर चूकि खुद सुशिक्षिता थी, इसलिए स्वभावतः उसके लिए उतने ही सुयोग्य वरकी भी जरूरत थी। समाजमे दुर्भाग्यवश, किसी लडकीसे शादी करनेके लिए कीमतके बतौर रूपये मागना नीचता और निश्चित रूपसे बुराई नही मानते। कालेजकी अग्रेजी शिक्षाको खामखा इतना अधिक कृत्रिम महत्व प्रदान कर दिया गया है। उसमे तो न जाने कितने पाप छिपे रहते है। जिन वर्गोंके युवकोमे लडकियोसे शादी करनेके प्रस्ताव मजूर करनेपर कीमते मागी जाती है, बडा अच्छा होता अगर उनमे सुयोग्यताकी परिभाषा बनानेमे कुछ अधिक अक्लसे काम लिया जाता। ऐसा होता तो लडकियोके लिए वर ढूढनेकी चिन्ता अगर पूरी तरह न भी दूर होती तो कम-से-कम काफी घट जाती। इसलिए पाठकोसे मैं सिफारिश करूंगा कि वे इन पत्र-प्रेषक महिलाके विचारोपर जरूर गौर करे। पर साथ ही, जातपातकी इन महान् हानिकर बाडोको भी तोडनेकी उन्हे मैं जोरोसे सलाह दूंगा। ये बाडे तोडनेपर चुनावके लिए एक विशाल क्षेत्र खुल जायगा और यह पैसे ठहरानेकी बुराई बहुत हदतक अपने-आप कम हो जायगी।

‘हरिजन सेवक’,

५-६-३६

## चरित्र-बल आवश्यक है

अच्छी तरह हरिजन-सेवा करनेके लिए, यही नहीं बल्कि गरीब, अनाथ, असहायोकी सब तरहकी सेवाके लिए यह जरूरी है कि लोक-सेवक-का अपना चरित्र शुद्ध और पवित्र हो। चरित्रबल अगर न हो, तो ऊची-से-ऊची बौद्धिक और व्यवस्था-सम्बन्धी योग्यताकी भी कोई कीमत नहीं। वह तो उलटे अडचन भी बन सकती है, जबकि शुद्ध चरित्रके साथ-साथ ऐसी सेवाका प्रेम भी हो तो उससे आवश्यक बौद्धिक और व्यवस्था-सम्बन्धी योग्यता भी निश्चय ही बढ़ जायगी या पैदा हो जायगी। हरिजन-सेवामे लगे हुए दो अच्छे प्रसिद्ध कार्यकर्ताओकी शोचनीय चरित्र-हीनताके दो अत्यन्त दुःखद उदाहरण मेरे सामने आये हैं, जिनपरसे कि मैं यह बात कह रहा हू। इन दोनोंको जो लोग जानते थे वे सब इन्हे शुद्धचरित्रका और सदेहसे परे मानते थे। लेकिन इन दोनोंने ऐसा आचरण किया है, जो, जिस पदपर ये आसीन थे, उसके बिलकुल अनुपयुक्त है। इसमे कोई शक नहीं कि वे अपने हृदयके अघेरे कोनेमे जहरीले सापकी तरह छिपी हुई विषय-वासनाके शिकार हुए हैं। लेकिन हम तो मर्त्यलोकके साधारण जीव ठहरे, दूसरोके मनमे क्या है यह हम नहीं जान सकते। हम तो मनुष्यको सिर्फ उनके उन कामोसे ही जान सकते हैं, और हमे उन्हीपरसे उनके वारेमे कुछ निर्णय करना चाहिए, जिन्हे कि हम देख और पूरा कर सकते हैं। ये दो मामले तो ऐसे हुए हैं कि उनके लिए हरिजन-सेवक-सघके कार्य-कर्ता बने रहना असम्भव हो गया है। यह कोई सजा नहीं है; लेकिन उनके खुदके लिए भी न सही, तो भी हरिजन-सेवक-सघ और उसके उद्देश्य-की रक्षाके लिए उनका उससे हट जाना जरूरी है। मैं यह बात बड़ी अच्छी

तरह कह सकता हूँ कि सघको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनेकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे कार्यकर्त्ता सघसे, बल्कि मैं आशा करता हूँ कि सार्वजनिक प्रवृत्तिसे, खुद ही हट जायगे। यह ठीक है कि सेवा करनेकी किसीको मनाही नहीं है। जिस आदमीका भयंकर रूपसे नैतिक पतन हो गया हो, अगर फिर भी वह सावधान हो जाय, तो वह जहा भी चाहे सेवा कर सकता है। खुद उसका सुघर जाना ही कुछ कम बात नहीं है, वह भी समाजकी एक सेवा ही होगी। लेकिन ऐसी सेवा, जो खुद-ब-खुद होती है और प्रायः गुप्त रूपसे की जाती है, उससे बिलकुल भिन्न है, जो किसी सस्थामे रहकर उसकी सब सुविधाओका उपयोग करते हुए की जाती है। ऐसे सार्वजनिक जीवनमे फिरसे प्रवेश पानेके लिए तो यह बहुत जरूरी है कि सर्वसाधारणका पूरा विश्वास फिरसे प्राप्त किया जाय।

आजकलके सार्वजनिक जीवनमे एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जबतक कोई सार्वजनिक कार्यकर्त्ता अपने जिम्मेके किसी व्यवस्थाकार्यको अच्छी तरह पूरा करता है, उसके चरित्रके सम्बन्धमे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कहा यह जाता है कि चरित्रपर ध्यान देना हरेकका अपना निजी काम है, हमे उसमे दखल देनेकी कोई जरूरत नहीं, हालांकि मैं जानता हूँ कि यह बात अक्सर कही जाती है, लेकिन इस विचारको ग्रहण करना तो दूर, मैं इसे ठीक भी कभी नहीं समझ सका हूँ। जिन सस्थाओने व्यक्तियोंके निजी चरित्रको विशेष महत्त्व नहीं दिया, उनमे उससे कैसे-कैसे भयंकर परिणाम सामने आये, इसका मुझे पता है। बावजूद इसके पाठकोको यह जान लेना जरूरी है कि इस समय मैं जो बात कह रहा हूँ वह सिर्फ हरिजन-सेवक-सघ जैसी उन सस्थाओके ही बारेमे कह रहा हूँ, जो करोड़ों मूक लोगोके हितकी संरक्षक बनना चाहती है। मगर मुझे इसमे कोई शक नहीं है कि ऐसी किसी भी सेवाके लिए शुद्ध और निष्कलंक चरित्रका होना अनिवार्य रूपसे आवश्यक है। हरिजनसेवा अथवा खादी या ग्रामोद्योगके काममे लगे हुए कार्यकर्त्ताओके लिए तो उन बिलकुल सीधे-सादे, निर्दोष और अज्ञान स्त्री-पुरुषोके सम्पर्कमे आना बहुत जरूरी है, जो बौद्धिक दृष्टिसे संभवतः बच्चोके समान होंगे। अगर उनमे चरित्रबल

न होगा तो अन्तमे जाकर ज़रूर उनका पतन होगा और उसके फलस्वरूप जिस उद्देश्यके लिए वे काम कर रहे हैं, उसे उस कार्यक्षेत्रमे और भी धक्का लगेगा, जिसमे कि सर्वसाधारण उनसे परिचित है। ऐसे मामलोके अनुभवसे प्रेरित होकर ही मैं यह बात लिख रहा हूँ। यह प्रसन्नताकी बात है। ऐसी सेवामे जितने लोग लगे हुए हैं उनकी सख्याके लिहाजसे ऐसे इन्तजामके ही हैं। लेकिन बीच-बीचमे ऐसे मामले प्रायः होते रहते हैं। इसीलिए जो सस्थाएँ और कार्यकर्ता ऐसे सेवा-कार्योमे लगे हुए हैं, उन्हें सार्वजनिक रूपमे सावधान करने और चेतावनी देनेकी जरूरत है। कार्यकर्ता इसके लिए जितने भी अधिक सतर्क और सावधान रहे उतना ही कम

‘हरिजन सेवक’,

७-११-३६

## एक ही शत्रु

मनुष्यमात्रका एक ही शत्रु है, एक ही मित्र है; और वह है आप खुद ही। यह मेरा वचन नहीं, सर्वशास्त्रोंका है। जब मनुष्य अपने-आपको धोखा देता है, तब वह आप अपना शत्रु बन जाता है। जब वह अपने अतरमे रहनेवाले परमेश्वरकी गोदमे अपने-आपको छोड़ देता है, तब वह खुद अपना मित्र बन जाता है। यह लिखनेका प्रयोजन है चरित्रपतनके वे दोनों मामले, जिनका कि मैंने उल्लेख किया है और मेरी दृष्टिमे आनेवाले इसी प्रकारके और भी छोटे-मोटे किस्से। इन मामलोमे मैं ज्यो-ज्यों गहरा उतरता जाता हू, त्यो-त्यो देखता हू कि उन व्यक्तियोने अपने-आपको धोखा दे रखा है। मेरी जाच-पड़तालका परिणाम क्या आता है, यह तो आगे मालूम होगा।

दोष तो हम सभी करते हैं। लेकिन जब हम दोषमे से निर्दोषता सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं, तब हम और अधिक नीचे गिर जाते हैं।

एक पुरुषको दो स्त्रिया भाईके समान समझती है, तपस्वीके रूपमे, शुद्ध सेवकके रूपमे उसे देखती है, शिक्षक या गुरु मानती है; उन्हीके साथ उसका पतन होता है, और पीछे उनमे से एकके साथ वह शादी कर लेता है। इसे मैं अपना व्यभिचार छिपानेकी युक्ति मानता हूं। इस प्रकारके सम्बन्धको विवाहका नाम देना विवाहकी मानो फज़ीहत करना है। मैं जानता हू कि आजकल ऐसा बहुत जगह हो रहा है। पापका गुणाकार होनेसे उसकी वृद्धि होती है, वह कुछ पुण्यरूप नहीं कहा जा सकता। सारा जगत पाप करता है इसलिए वह रूढ़ भले ही हो जाय, पर अगर पाप होगा तो वह पाप ही रहेगा, ऐसा नियम पाप समझे जानेवाले सभी कृत्योको लागू नहीं होगा, यह मैं जानता हूं। मेरी दृष्टिमे तो जो वस्तु

परपरासे पाप मानी जा रही है और जिसे आज समाज पाप मानता है, उस प्रकारके ये किस्से हैं ।

शिक्षकोके अपनी शिष्याओके साथ गुप्त सम्बन्ध हो जाय, और पीछे उन सम्बन्धोमे से किसी एकको विावह का रूप दे दिया जाय, तो इससे ऐसा सम्बन्ध पवित्र नहीं बन सकता । जिस प्रकार सगे भाई-बहनके बीचमे पति-पत्नीका सम्बन्ध सभव नहीं, उसी प्रकार शिक्षक और शिष्याके बीच होना चाहिए, यह मेरा दृढ अभिप्राय है । अगर इस सुवर्ण नियमका पूर्ण पालन न हो, तो परिणाम यह होगा कि शिक्षण-सस्था टूट जायगी; कोई लडकी शिक्षकोसे सुरक्षित न रह सकेगी । शिक्षकका पद ऐसा है कि लडकिया और लडके उसके नीचे निरतर रहते हैं, शिक्षकके वचनको वेदका वचन मानते हैं । अतः शिक्षक जो स्वतंत्रता लेता है, उसके विषयमे उन्हे कोई शका नहीं होती । इसलिए जहा शरीरसे भिन्न आत्माका सम्मान है, वहा इस प्रकारके सम्बन्ध असह्य समझे जाते हैं, और समझे जाने चाहिए । जब ऐसा कोई सम्बन्ध 'हरिजन-सेवक-सघ' जैसी सस्थामे हो जाय, तब उससे होनेवाला बुरा असर बहुत दूरतक पहुचता है और उस कार्यको हानि पहुचाता है ।

कुछ लोगोको प्रकट रूपमे पाप स्वीकार करते सकोच होता है, कुछको स्वीकार करते हुए भिन्न होती है । धर्म तो पुकार-पुकार कर कहता है अपने किये हुए राईके समान दिखनेवाले दोषोको पर्वतके समान देखो । यदि हृदयसे उन्हे पूर्णतः स्वीकार करोगे, तो जैसे मैला कपडा मैल दूर हो जानेसे ही शुद्ध होता और शुद्ध दीखता है, उसी तरह तुम भी शुद्ध हो जाओगे और दिखोगे । और तुम्हारा प्रकट स्वीकार और पश्चात्ताप भविष्यमे पापसे बचनेमे ढालरूप सिद्ध होगा ।

'हरिजन सेवक',

५-१२-३६

## दृश्य तथा अदृश्य दोष

एक खादीसेवक लिखते हैं :

“आप कार्यकर्त्ताओंके सदाचारपर बहुत जोर देते आ रहे हैं। आपने अधिकतर कामवासनासे वचनेको ही बहुत महत्व दिया है, जो कि ठीक भी है। जब कभी इस विषयमें किसी कार्यकर्त्ताकी गिरावटका उदाहरण आपके सामने आया है, आपके हृदयको सख्त चोट लगी है और आपने उसका उल्लेख ‘हरिजन’ में भी किया है। लेकिन क्या सदाचारका अर्थ केवल परस्त्रीके प्रति कामवासना न रखना ही है? क्या भूठ बोलना, ईर्ष्या व द्वेष रखना सदाचारके विरुद्ध नहीं है? चूकि हमारा समाज भी इन बातोंको इतनी घृणासे नहीं देखता, जितनी घृणासे वह परस्त्रीके साथ सवधको देखता है; इसलिए शायद आप भी इन बातोंपर अधिक जोर नहीं देते। पर ये बुराइया उससे कम नहीं, बल्कि वाज हालातमें तो ये कहीं अधिक हानिकारक होती हैं।

“वैसे तो पापोंकी तुलना ही क्या! परन्तु हमारे आजकलके समाजमें तो इन चीजोंको अधिक बुरी निगाहसे नहीं देखा जाता। जब एक जिम्मेदार मुख्य कार्यकर्त्ता एक दिनमें चार-पाँच सफेद भूठ बोले और किसीपर भूठे इल्जाम लगाये, तो क्या हृदय विदीर्ण नहीं हो जाता? क्या इससे अपनेको व समाजको वह हानि नहीं पहुँचाता?”

प्रश्न यह अच्छा है। दोषोंमें ऊँच-नीचकी भावना नहीं होनी चाहिए। जहाँतक मेरा संबंध है, मैं तो असत्यको सब पापोंकी जड़ मानता हूँ और जिस सस्थामें भूठको बर्दाश्त किया जाता है, वह सस्था कभी समाज-सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हस्ती भी ज्यादा दिनों-

तक रह सकती है। लेकिन मनुष्य भूठका प्रयोग जब करता है, तब उस भूठपर अनेक प्रकारके रग चढते हैं। वह एक प्रकारका व्यभिचार है। भूठके ही रूपमे भूठ शायद ही प्रकट होता है। व्यभिचारी तीन दोष करता है। भूठका दोष तो करता ही है, क्योंकि उसके पापको छुपाता है। व्यभिचारको दोष मानता ही है और दूसरे व्यक्तिका भी पतन करता है।

जितने और दोषोका वर्णन लेखकने किया है, वे सब गुणवाचक है। इनको हम न देख सकते हैं, न शीघ्र पकड सकते हैं। जब वे मूर्तिमत होते हैं, अर्थात् कार्यमे परिणत होते हैं, तभी उनका विवेचन हो सकता है, उनके दूर करनेका उपाय भी तभी सभावित होता है। एक मनुष्य किसीसे द्वेष करता है। उसका कोई परिणाम जबतक नहीं आता, तबतक न उसकी कोई टीका की जाती है न द्वेषी मनुष्यका सुधार किया जा सकता है। लेकिन जब द्वेषवश कोई किसीको हानि पहुंचाता है, तब उसकी टीका हो सकती है और वह दडके योग्य भी बनता है। बात यह है कि समाजमे और कानूनमे भी व्यभिचार काफी वर्दाश किया जाता है, अगरचे व्यभिचारसे समाजको हानि अधिक पहुंचती है। चोरको सख्त सजा मिलती है और चोर बेचारा समाजसे बहिष्कृत हो जाता है। और व्यभिचारी सफेदपोश सब जगह देखनेमे आते हैं, उन्हे दड तो मिलता ही नहीं। कानून उनकी उपेक्षा करता है। मेरा विश्वास है कि करोडोकी सेवा करनेवाली सस्थामे जैसे चोरोको, गुडोको स्थान होना ही नहीं चाहिए, ठीक इसी तरह व्यभिचारियोको भी नहीं होना चाहिए।

‘हरिजन सेवक’,

२७-२-३७

## एक युवककी दुविधा

एक विद्यार्थी पूछता है :

“मैट्रिक पास या कालेजमे पढनेवाला युवक अगर दुर्भाग्यसे दो-तीन बच्चोका पिता हो गया हो, तो उसे अपनी आजीविका प्राप्त करनेके लिए क्या करना चाहिए ? और उसकी इच्छाके विरुद्ध पच्चीस वरस पहले ही उसकी शादी करदी जाय तो उसे, उस हालतमे, क्या करना चाहिए ?”

मुझे तो सीधे-से-सीधा जवाब यह सूझता है कि जो विद्यार्थी अपनी स्त्री और बच्चोका पोषण करनेके लिए क्या करना चाहिए, यह न जानता हो, अथवा जो अपनी इच्छाके विरुद्ध शादी करता हो, उसकी पढाई व्यर्थ है। लेकिन इस विद्यार्थीके लिए तो वह भूतकालका इतिहास-मात्र है। इस विद्यार्थीको तो ऐसे उत्तरकी जरूरत है, जो उसको सहायक हो सके। उसने यह नहीं बताया कि उसकी जरूरतें कितनी हैं ? वह अगर मैट्रिक पास है तो अपनी कीमत ज्यादा न आके और साधारण मजदूरोकी श्रेणीमे अपनेको रखेगा तो उसे अपनी आजीविका प्राप्त करनेमे कोई कठिनाई नहीं आवेगी। उसकी बुद्धि उसके हाथ-पैरको मदद करेगी, और इस कारण जिन मजदूरोको अपनी बुद्धिका विकास करनेका मौका नहीं मिला है, उनकी अपेक्षा वह अच्छा काम कर सकेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो मजदूर अंग्रेजी नहीं पढा वह मूर्ख होता है। दुर्भाग्यसे मजदूरोको उनकी बुद्धिके विकासमे कभी मदद नहीं दी गई, और जो स्कूलोमे पढते हैं, उनकी बुद्धि कुछ तो विकसित होती ही है, यद्यपि उनके सामने जो विघ्न-बाधाएँ आती हैं वे इस जगतके दूसरे किसी भागमे देखनेको नहीं मिलती। इस मानसिक विकासका वातावरण स्कूल-कालेजमे पैदा हुए भूठी प्रतिष्ठाके खयालसे बराबर हो जाता है। इस कारण विद्यार्थी यह मानने लगते हैं कि कुर्सी-

मेज़पर बैठकर ही वे आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस प्रश्नकर्ताको तो शरीर-श्रमका गौरव समझकर इसी क्षेत्रमेंसे अपने परिवारके लिए आजीविका प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

और फिर उसकी पत्नी भी अवकाशके समयका उपयोग करके परिवारकी आमदनीको क्यों न बढ़ावे ? इसी प्रकार अगर लड़के भी कुछ काम करने जैसे हो तो उनको भी किसी उत्पादक काममें लगा देना चाहिए। पुस्तकोके पढ़नेसे ही बुद्धिका विकास होता है, यह खयाल गलत है। इसको दिमागमेंसे निकालकर यह सच्चा खयाल मनमें जमाना चाहिए कि शास्त्रीय रीतिसे कारीगरका काम सीखनेसे मनका विकास सबसे जल्दी होता है। हाथको या औज़ारको किस प्रकार मोड़ना या घुमाना पड़ता है, यह कदम-कदमपर उम्मीदवारको जब सिखाया जाता है तब उसके मनके सच्चे विकासकी शुरुआत होती है। विद्यार्थी अगर साधारण मजदूरोकी श्रेणीमें अपनेको खड़ा कर ले तो उनकी बेकारीका प्रश्न बिना मेहनतके हल हो सकता है।

अपनी इच्छाके विरुद्ध विवाह करनेके विषयमें तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपनी इच्छाके खिलाफ जबरदस्ती किये जानेवाले विवाहका विरोध करने जितना सकल्प-बल तो विद्यार्थियोंको जरूर प्राप्त करना चाहिए। विद्यार्थियोंको अपने बलपर खड़ा रहने और अपनी इच्छाके विरुद्ध कोई भी बात—खासकर ब्याह-शादी—जबरदस्ती किये जानेके हरेक प्रयत्नका विरोध करनेकी कला सीखनी चाहिए।

‘हरिजन सेवक’,

२६-१०-३७

## साहित्यमें गंदगी

त्रावणकोरके एक हाईस्कूलके हेडमास्टर लिखते हैं :

“यह तो आप जानते ही हैं कि त्रावणकोरका राजनैतिक वातावरण इस समय बहुत दुःखपूर्ण हो गया है। हाईस्कूल तकके छात्र हड़ताल कर रहे हैं और दूसरोको स्कूलमें जानेसे रोक रहे हैं। इन लोगोमें कुछ ऐसी भावना काम कर रही है कि आप विद्यार्थियोकी, और छात्रोकी हड़तालके पक्षमें हैं। मैं यह पसंद करूंगा कि इस विषयपर आप अपनी राय आम विद्यार्थियोको लिखनेकी कृपा करे। इससे स्थिति साफ हो जायगी।”

मेरा खयाल है कि विद्यार्थियो और छात्रोकी हड़तालोके खिलाफ मैंने काफी मौकोपर लिखा है, बहुत ही कम प्रसंग मैंने छोडे होंगे। मैं यह मानता हू कि विद्यार्थियोका राजनैतिक प्रदर्शनो और दलगत राजनीतिमें हिस्सा लेना बिलकुल गलत चीज है। इस किस्मका जोश उनके गभीर अध्ययनमें हस्तक्षेप करता है, और उन्हे होनहार नागरिकोके रूपमें काम करनेके अयोग्य बना देता है। अलबत्ता, एक चीज ऐसी जरूर है कि जिसके लिए विद्यार्थियो या छात्रोका हड़ताल करना उनका फर्ज है। लाहौर-के ‘यूथ्स वेलफेयर असोसियेशन’ के अवैतनिक मंत्रीका मुझे एक पत्र मिला है। इस पत्रमें अश्लीलता और कामुकतासे भरे काफी नमूने पाठ्य पुस्तकोसे उद्धृत किये गए हैं, जिन्हे विभिन्न विश्वविद्यालयोने अपने पाठ्यक्रमोमें रक्खा है। यह ऐसे गंदे अवतरण है कि पढनेमें घिन मालूम होती है। हालांकि यह पाठ्यक्रमकी पुस्तकोमेंसे लिये गए हैं। मैंने जितना भी साहित्य पढा है, उसमें इतनी गंदगी कभी मेरी नजरसे नहीं गुजरी। इन अवतरणोको निष्पक्ष रीतिसे संस्कृत, फारसी और हिन्दीके कवियोकी रचनाओमेंसे लिया गया है। मेरा ध्यान इस ओर सबसे पहले वर्धाके महिला-आश्रमकी लड़कियोने

आकर्षित किया था, और हालमे मेरी पुत्रवधूने, जोकि देहरादूनके कन्या-गुरुकुलमे पढ रही है, इन अश्लील कविताओकी तरफ मेरा ध्यान खीचा है। उसकी कुछ पाठ्यपुस्तकोमे जैसी अश्लीलता भरी हुई है, वैसी कभी उसकी नजरसे नहीं गुजरी थी। उसने मेरी इसमे सहायता चाही। मैं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिकारियोसे इस सबधमे लिखा-पढी कर रहा हू। पर बडी-वडी सस्थाए धीरे-धीरे हीं कदम आगे रखती है। लेखको और प्रकाशकोका स्वार्थ सुधार नहीं होने देता, उनका एकाधिकार आडे आ जाता है। साहित्यकी वेदी तो खास धूपकी अधिकारिणी है। मेरी पुत्रवधूने मुझे यह सुझाया और मैं तुरन्त उसके साथ सहमत हो गया कि वह अपनी परीक्षामे अनुत्तीर्ण होनेकी जोखिम ले लेगी, पर अश्लील और कामुकता-पूर्ण साहित्य नहीं पढेगी। उसकी यह एक नर्म-सी हडताल है, पर है उसके लिए यह विलकुल हितकर और पूरी प्रभावकारक। पर यह एक ऐसा प्रसंग है जो विद्यार्थियो या छात्रो द्वारा की हुई हडतालको न सिर्फ उचित ही ठहराता है, बल्कि मेरी रायमे, उनका यह फर्ज हो जाता है कि ऐसा साहित्य अगर उनके ऊपर जबरन लादा जाय तो उसके खिलाफ वे विद्रोह भी करे।

किसीको चाहे जो पढनेकी स्वतंत्रता देना, यह एक बात है। पर यह विलकुल अलग बात है कि युवा लडके-लडकियोको ऐसे साहित्यका परिचय कराया जाय, जिससे निश्चय ही उनके काम-विकारोको उत्तेजन मिलता हो, और ऐसी चीजोके बारेमे बाहियात कुतूहल मनमे पैदा हो कि जिनका ज्ञान आगे चलकर उचित समयपर और जरूरी हदतक उन्हें जरूर हो जायगा। बुरा साहित्य तब कही अधिक हानि पहुचाता है जबकि वह निर्दोष साहित्यके रूपमे हमारे सामने आता है और उसपर बड़े-बड़े विश्वविद्यालयोके प्रकाशनकी छाप लगी होती है।

विद्यार्थियोकी शांतिपूर्ण हडताल एक ऐसा तरीका है, जिससे अत्यावश्यक सुधार जल्द-से-जल्द हो सकता है। ऐसी हडतालोमे कोई शोरगुल या उपद्रव नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना काफी होगा कि जिन परीक्षाओमे उत्तीर्ण होनेके लिए आपत्तिजनक साहित्यका अध्ययन आवश्यक हो, उनका

परीक्षार्थी बहिष्कार कर दे । अश्लीलताके विरुद्ध विद्रोह करना हरेक शुद्ध मनोवृत्तिवाले विद्यार्थीका कर्तव्य है ।

उक्त असोसियेशनने मुझे लिखा है कि मैं कांग्रेसी मत्रियोसे यह अपील करू कि वे पाठ्यक्रममेसे ऐसी पुस्तको या उन अशोको जो आपत्तिजनक है, हटवा देनेके लिए जो भी उपाय सभव हो, वह करे । मैं इस लेख द्वारा सहर्ष ऐसी अपील न केवल कांग्रेसी मत्रियो, बल्कि सभी प्रातोके शिक्षा-मत्रियोसे करता हू । निश्चय ही, विद्यार्थियोकी बुद्धिके स्वस्थ विकासमे तो सभी एक-सी दिलचस्पी रखते हैं ।

‘हरिजन सेवक’,

१५-१०-३८

## आर्यसमाज और गन्दा साहित्य

कन्यागुरुकुल देहरादूनके श्री घर्मदेव शास्त्रीने और उनके बाद गुरुकुल कागडीके आचार्य अभयदेवने मुझे लिखा है कि मैंने अपने 'साहित्यमे गन्दगी' शीर्षक लेखमे जो अपनी पुत्रवधुका उल्लेख किया है, जो कन्या गुरुकुलमे अध्ययन कर रही है और जिसने अपनी परीक्षामे की कुछ पाठ्य पुस्तकोकी गन्दगीके विषयमे लिखा था, उसका कही-कही यह अर्थ लगाया गया है कि आर्यसमाजके अधिकारी इस प्रकारके गन्दे साहित्यको प्रोत्साहन देते हैं। इन दोनो ही सज्जनोने इसका जोरदार खडन किया है। आचार्य अभयदेवने मुझे लिखा है कि गुरुकुल तो इस विषयमे इतना सतर्क रहा है कि कालिदास-जैसे महाकवियोकी रचनाओके लिए भी उसका यह आग्रह है कि शकुन्तला जैसी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियोके ऐसे सस्करणोका ही अध्ययन उसके विद्यार्थी करे, जिनमे से अश्लीलताके अश बिलकुल निकाल दिये गए हो। यह तो वादकी बात है कि गुरुकुलने अपने विद्यार्थियोको साहित्य-सम्मेलनकी परीक्षाओमे बैठनेकी अनुमति दी। सम्मेलन ऐसी पुस्तकोको अपने पाठ्यक्रममे रखना वर्दाश्त कर रहा है, जिनमे गन्दे साहित्यको स्थान मिला हुआ है। मैं समझता हू कि गुरुकुलके अधिकारियोने सम्मेलनके प्रबन्धकोका ध्यान इस विषयकी ओर आकर्षित किया है और उनसे कहा है कि वे ऐसी पुस्तकोको अपने पाठ्यक्रममे से निकाल दे, जिनमे आपत्तिजनक अंश हो। मुझे आशा है कि जबतक वे परीक्षार्थियोकी पाठ्य पुस्तकोमे के गन्दे साहित्यके खिलाफ छेडी हुई इस लडाईमे सफलता प्राप्त न कर लेंगे, तबतक उन्हे सतोष न होगा।

'हरिजन सेवक',

## मेरा जीवन

‘बर्ई क्रॉनिकल’में उसके इलाहाबाद-स्थित सवाददाता द्वारा प्रेषित नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित हुआ है :

“गाधीजीके बारेमें कॉमन्स-सभामें जो बातें फैल रही हैं, उनके सम्बन्धमें बड़ी चीका देनेवाली खबरें प्रकाशमें आई हैं। कहा जाता है कि अग्रेज इतिहासकार मि० एडवर्ड टॉमसनने, जो हालहीमें इलाहाबाद आये थे, इंग्लैण्डमें फैली हुई विचित्र मनोवृत्तिपर कुछ रोशनी डाली है। मि० टॉमसन यहाँ कुछ राजनैतिक नेताओंसे भी मिले थे, जिनसे उन्होंने गाधीजीके सम्बन्धमें कॉमन्स-सभामें फैली हुई इन तीन बातोंके सम्बन्धमें कहा बताते हैं—

“१. गाधीजी ब्रिटिश सरकारके साथ विला किसी शर्तके सहयोग करना चाहते थे।

“२. गाधीजी अब भी कांग्रेसपर प्रभाव डाल सकते हैं।

“३. गाधीजीके कामुक जीवनके सम्बन्धमें कई कहानियाँ चली थी। खयाल यह था कि गाधीजी अब वह सत पुरुष नहीं रहे हैं।

“मि० टॉमसनका खयाल है कि गाधीजीके ‘कामुक जीवन’के सम्बन्धमें जो धारणाएँ बनी हैं, वे कुछ मराठी-पत्रोंके आधारपर हैं। उन्होंने, जहातक कि मुझे पता है, इसकी चर्चा सर तेजबहादुर सप्रूसे की, जिन्होंने इसका खडन किया। बादमें, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री पी० एन० सप्रूसे भी यह चर्चा की। उन्होंने भी जोरोंके साथ इसका खडन किया।

“ऐसा जान पडता है कि इंग्लैण्डसे रवाना होनेके पहले मि० टॉमसन कॉमन्स-सभाके कई सदस्योंसे मिले थे। इलाहाबादसे रवाना होनेके पहले मि० टॉमसनने नेहरूजीकी सलाहसे, एक पत्र कॉमन्स-सभाके सदस्य मि०

ग्रीनउडके पास भेज दिया था, और इस पत्रमे उन्होने गाधीजीके बारेम फ़ैली हुई कहानियोको बिलकुल निराधार बताया था।”

मि० टॉमसनने सेगाव आनेकी भी कृपा की थी। उन्होने इस रिपोर्टको मूलत ठीक बताया।

तीसरे अभियोगके बारेमे कुछ स्पष्टीकरण जरूरी है। दो दिन पहले चार-पाच गुजराती भाइयोने मेरे नाम एक चिट्ठी भेजी, उसके साथ एक समाचार-पत्र था, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही जान पडता है कि वह मेरे चरित्रको उतना काला चित्रित करे जितना कि किसी मनुष्यका हो सकता है।

पत्रके शीर्षकके अनुसार उसका उद्देश्य 'हिन्दुओका सगठन' करना है। मेरे खिलाफ जो इल्जाम लगाये गए हैं वे अधिकतर मेरे इकरारोके आधार-पर ही हैं और उन्हे तोडा-मरोडा गया है। दूसरे कई इल्जामोके साथ कामुकताका इल्जाम सबसे बडा है। कहा जाता है कि मेरा 'ब्रह्मचर्य' मेरी कामुकता छिपानेका एक साधन है। बेचारी डॉक्टर सुशीला नैयरको मेरी मालिश करने व मुझे औपचारिक स्नान करानेके अपराधपर जनताकी दृष्टिके सामने घसीटकर लाया गया है। ये दो बातें ऐसी हैं, जिनके लिए मेरे आस-पासके व्यक्तियोमे वह सबसे अधिक योग्य है। उत्सुक व्यक्तियोकी जानकारीके लिए यह बतला दू कि ये काम तनहाईमें कभी नहीं किये जाते। ये काम डेढ घटेसे भी अधिक तक होते रहते हैं, और इनके बीच मैं प्रायः सो जाता हूँ, और महादेव, प्यारेलाल या दूसरे साथियोके साथ काम भी करता रहता हूँ।

जहातक कि मुझे पता है, इन अभियोगोका आरम्भ अस्पृश्यताके विरुद्ध चलाये गए मेरे आन्दोलनके साथ हुआ। यह उस समयकी बात है, जब कि अस्पृश्यता-निवारण काँग्रेसके कार्यक्रममे शामिल था। मैंने इस विषयपर सभाओमे बोलना आरम्भ किया था और हरिजनोके सभाओ व आश्रमोमे आनेपर जोर देने लगा था। उस समय कुछ सनातनी, जो मेरी सहायता करते और मुझसे मित्रता रखते थे, मुझसे अलहदा हो गए, और उन्होने मुझे बदनाम करनेका एक आन्दोलन ही आरम्भ कर दिया। उसके बाद एक बहुत प्रभावशाली अग्रेज इस आन्दोलनमे शामिल हो गया।

उसने स्त्रियोंके साथ मेरी स्वतन्त्रतापर टीका-टिप्पणी की, और मेरे 'महात्मापन' को पापपूर्ण जीवन बताया। इस आन्दोलनमें एक-दो प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी भी शामिल थे। गोलमेज़ कान्फ़ेसके अवसरपर अमरीकन अखबारोंने मेरा वडा निर्दय मज़ाक उड़ाया था। मीराबेन, जो उस समय देखरेख करती थी, इन मज़ाकोका लक्ष्य बनी। मि० टॉमसन उन सज्जनोसे परिचित है, जो इन इल्जामोके पीछे हैं, और जहातक मैं उनकी बात समझ सका, साबरमती-आश्रमकी सदस्या प्रेमाबहन कटकके नाम लिखी गई मेरी चिट्ठिया भी मेरे पतनको सिद्ध करनेके लिए काममें लाई गई है। प्रेमाबहन एक ग्रेजुएट महिला और योग्य कार्यकर्तृ हैं। वह ब्रह्मचर्य और इसी प्रकारके दूसरे विषयोपर प्रश्न पूछा करती थी। मैं उन्हें पूरे जवाब भेजता था। उन्होने यह सोचकर कि ये जवाब सर्वसाधारणके लिए भी उपयोगी होंगे, मेरी इजाजतसे उन्हें प्रकाशित कर दिया। मैं उन्हें बिलकुल निर्दोष और पवित्र मानता हूँ।

अभीतक मैंने इन इल्जामोको नज़रन्दाज़ किया है; लेकिन मि० टॉमसन की बातें और गुजराती सवाददाताओका आग्रह, जो कहते हैं कि उन्होने इस तरहकी निन्दाके जो अश भेजे वे तो मेरे बारेमें जो कुछ कहा जा रहा है उसके नमूनेभर हैं, मुझे उनका खण्डन करनेके लिए बाध्य करते हैं। मेरे इस जीवनमें कोई गोपनीयता नहीं है। कमजोरियाँ मुझमें भी हैं ज़रूर। लेकिन अगर कामुकताकी ओर मेरा रुझान होता, तो मुझमें इतना साहस है कि मैं उसको कबूल कर लेता। जब मेरे अन्दर अपनी पत्नीतकके साथ विषय-सम्बन्ध रखनेकी अर्हति काफी बढ़ गई और इस सम्बन्धमें मैंने अपनी काफ़ी परीक्षा कर ली तभी, और अच्छाईके साथ देश-सेवा करनेके लिए, मैंने १९०६ में ब्रह्मचर्यका व्रत लिया था। उसी दिनसे मेरा खुला जीवन शुरू हो गया है। सिर्फ़ उस अवसरको छोड़कर, जिसका कि मैंने 'यंग इण्डिया' और 'नवजीवन' के अपने लेखोमें उल्लेख किया है, और कभी मैं अपनी पत्नी या अन्य स्त्रियोंके साथ दरवाज़ा बन्द करके सोया या रहा होऊँ, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। और वे राते मेरे लिए सचमुच काली राते थी। लेकिन, जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, अपने वावजूद ईश्वरने मुझे

बचाया है। मुझमें अगर कोई गुण हो तो मैं उसके श्रेयका अपने लिए कोई दावा नहीं करता। मेरे लिए तो सब गुणोका दाता वही तारनहार प्रभु है और उसीने अपनी सेवाके लिए सदा मेरी रक्षा की है।

जिस दिनसे मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया, उसी दिनसे हमारी स्वतंत्रताका आरम्भ हुआ है। मेरी पत्नी मेरे स्वामित्वके अधिकारसे मुक्त हो गई, और मैं अपनी उस वासना की दासतासे मुक्त हो गया, जिसकी पूर्ति उसे करनी पड़ती थी। जिस भावनामें मैं अपनी पत्नीके प्रति अनुरक्त था, उस भावनामें और किसी स्त्रीके प्रति मेरा आकर्षण नहीं रहा है। पतिके रूपमें उसके प्रति मैं बहुत वफादार था और अपनी माताके सामने किसी अन्य स्त्रीका दास न बननेकी मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके प्रति भी मैं वैसा ही वफादार था। लेकिन जिस तरह मेरे अन्दर ब्रह्मचर्यका उदय हुआ, उसके कारण अदम्य रूपसे स्त्रियोको मैं मातृभावसे देखने लगा। स्त्रियाँ मेरे लिए इतनी पवित्र हो गई कि मैं उनके प्रति कामुकतापूर्ण प्रेमका खयाल ही नहीं कर सकता। इसलिए तत्काल हरेक स्त्री मेरे लिए बहन या बेटीकी तरह हो गई। फिनिक्समें मेरे आसपास काफी स्त्रियाँ रहती थी। उनमेंसे कई तो मेरी रिश्तेदार ही थी, जो मेरे कहनेसे दक्षिण अफ्रिका आई थी। दूसरी मेरे साथियो या रिश्तेदारोकी पत्नियाँ थी। वेस्ट-परिवार तथा अन्य अग्रज भी इन्हींमें थे। वेस्ट-परिवारमें, वेस्ट, उनकी पत्नी और सास इतने व्यक्ति थे। उनकी सास उस छोटी-सी बस्तीकी बूढ़ी दादी बन गई थी।

जैसी कि मेरी आदत है, किसी नई और अच्छी बातको मैं अपनेतक ही सीमित नहीं रख सकता। इसलिए मैंने सभी वाशिन्दोको ब्रह्मचर्य ग्रहण करनेके लिए कहा। सभीने उसे पसन्द किया और कुछ यह व्रत लेकर इस आदर्शके प्रति सच्चे भी रहे। पर मेरा ब्रह्मचर्य उसका पालन करनेके लिए बने हुए कट्टर नियमोके वारेमें कुछ नहीं जानता। मैंने तो जब जैसी ज़रूरत देखी, उसके अनुसार अपने नियम बना लिये। लेकिन मेरा यह विश्वास कभी नहीं रहा कि ब्रह्मचर्यका उपयुक्त रूपमें पालन करनेके लिए स्त्रियोके किसी भी तरह के ससर्गसे विलकुल बचना चाहिए। जो

सयम अपने विपरीत वर्गके सब ससर्गसे, फिर वह कितना ही निर्दोष क्यों न हो, बचनेके लिए कहे वह बलात् सयम है, जिसका कोई महत्व नहीं।

सलिए सेवा या कामकाजके लिए स्वाभाविक ससर्गोंपर कभी कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा। और मुझे तो दक्षिण अफ्रिकामे अग्रेज व हिन्दुस्तानी अनेक बहनोका विश्वास प्राप्त था। और जब दक्षिण अफ्रिकामे मैंने भारतीय बहनोको निष्क्रिय प्रतिरोध-आन्दोलनमे भाग लेनेके लिए निमन्त्रित किया, तो मुझे लगा कि मैं भी उन्हीमेंसे एक हूँ। मुझे इस बातका पता चल गया कि स्त्री-जातिकी सेवाके लिए मैं खास तौरसे उपयुक्त हूँ। इस कहानीको (जोकि मेरे लिए बड़ी रोमाचकारी है) सक्षेपमे खत्म करनेके लिए मैं कहूंगा कि भारत लौटनेपर यहा भी जल्दी ही मैं भारतीय स्त्रियोमे हिलमिल गया। मेरे लिए यह एक रुचिकर रहस्योद्घाटन था कि मैं उनके हृदयोत्कृष्ट किस आसानीसे पहुच जाता हूँ। दक्षिण अफ्रिकाकी तरह यहा भी मुसलमान स्त्रियोने मुझसे कभी परदा नहीं किया। आश्रममे मैं स्त्रियोसे घिरा हुआ सोता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वे अपनेको हर तरह सुरक्षित महसूस करती हैं। मुझे यह भी याद दिला देनी चाहिए कि सेगाव-आश्रममे कोई पोशीदगी नहीं है।

अगर स्त्रियोके प्रति मेरा कामुकतापूर्ण भुकाव होता तो, अपने जीवनके इस कालमे भी, मुझमे इतना साहस है कि मैंने कई पत्नियाँ रख ली होती। गुप्त या खुले स्वतंत्र प्रेममे मेरा विश्वास नहीं है। उन्मुक्त प्रेमको मैं तो कुत्तोका प्रेम समझता हूँ। और गुप्त प्रेममे तो, इसके अलावा, कायरता भी है।

‘हरिजन सेवक’,

४-११-३६

## स्त्री-धर्म क्या है ?

एक बहुत पढी-लिखी बहनका पत्र, कुछ हिस्से निकाल देनेके बाद, यहाँ देता हूँ .

“आपने अहिंसा और सत्याग्रहके ज़रिए दुनियाको आत्माका गौरव दिखा दिया है । मनुष्यके पशु-स्वभावको जीतनेकी समस्या इन्ही दो शब्दोंसे हल हो सकती है ।

“उद्योगके ज़रिये शिक्षा एक महान कल्पना ही नहीं है, बल्कि हम अपने बच्चोंको स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो शिक्षाका एकमात्र सही तरीका भी यही है । आपहीने यह बात कही है और एक ही वाक्यमें शिक्षाकी सारी विशाल समस्या हल कर दी है । उसकी तफ़्सील तो हालात और तज़रबोंसे ही तय हो सकती है ।

“मेरी अर्ज़ है कि स्त्रियोंका सवाल भी ज़रूर हल कर दे ।

“राजाजी कहते हैं कि हम स्त्रियोंका कोई सवाल ही नहीं है । शायद राजनैतिक मानेमें न हो । कदाचित्, धधके बारेमें भी कानून द्वारा हमें निश्चिन्त बनाया जा सकता है, अर्थात् सभी पेशे औरत-मर्द सबके लिए समान रूपमें खुले कर दिये जा सकते हैं ।

“मगर फिर भी हम स्त्री हैं और स्त्रीके गुण-दोष पुरुषसे भिन्न हैं, इस बातमें अन्तर नहीं पडता । हमें अपने स्वभावके दोषोंको दूर करनेके लिए अहिंसा और सत्याग्रहके अलावा कुछ और सिद्धान्त भी चाहिए ।

“पुरुषकी तरह स्त्रीकी आत्मा भी ऊँचा उठनेकी कोशिश करती है, मगर जैसे नरको अपनी आक्रमणकारी भावना, काम-वासना और दुःख पहुँचानेकी पशु-वृत्ति आदिसे छुटकारा पानेके लिए अहिंसा और ब्रह्मचर्यकी ज़रूरत है, ठीक उसी तरह नारीको भी कुछ ऐसे उसूलोंकी आवश्यकता है,

जिनसे वह अपने स्वभावके दोष दूर कर सके, क्योंकि वे दोष पुरुषके दोषोंसे अलग तरहके हैं और आम तौरपर कहा जाता है कि वे प्रकृतिसे ही स्त्रीके साथ लगे हुए हैं। स्त्री होनेके कारण ही उसके जो स्वाभाविक गुण-दोष हैं, उसका जिस तरह लालन-पालन और शिक्षण होता है और उसके लिए जैसा वातावरण पैदा हो जाता है वह सब उसके विरुद्ध पड़ता है। और ये चीजें, यानी उसका स्वभाव, उसकी तालीम, और उसका वायुमंडल, उसके काममें हमेशा खलल डालते, उसका रास्ता रोकते और आमतौरपर यह कहनेका मौका देते हैं कि 'आखिर तो औरत ही है।' जब मैं कहती हूँ कि स्त्री होना ही उसके गलेका हार हो गया है, तो मेरा मतलब यही है।

“मेरे खयालसे हमारी समस्या ठीक तौरपर हल हो जाय और अपने सुधारका सही तरीका हमारे हाथ लग जाय तो सहानुभूति और कोमलता आदि जो हमारे स्वाभाविक गुण हैं, उन्हें बाधक होनेके वजाय हम साधक बना सकती हैं। जैसा आपने पुरुषों और बच्चोंके बारेमें हल बताया है उसी तरह हमारा सुधार भी हमारे ही भीतरसे होना चाहिए।

“मैंने स्वभाव, शिक्षा और वातावरणकी बात कही है। अपनी बात साफ समझानेके लिए मैं एक मिसाल देती हूँ।

“कुदरतने औरतको कोमल, नरम-दिल, हमदर्द और बच्चोंकी मा बनाया है। इन चीजोंका असर उसपर अनजानमें भी बहुत होता है। इसलिए जब उसे कुछ करना पड़ता है तो वह बेहद भावुक हो जाती है। मर्दोंके सम्पर्कमें आनेपर वह बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर बैठती है। जिस वक्त उसे सख्त रहना चाहिए उस वक्त उसका दिल पिघल जाता है। वह जल्दी ही खुश और नाराज़ हो जाती है, उसे आसानीसे अपनेपर गर्व हो जाता है और आम तौरपर भोलेपनके काम करती है।

“जब मैं आपसे मिलने आई तब, हालांकि उस मुलाकातकी मुझे बड़ी उत्सुकता थी और पहली रात उनका विचार करते-करते मुझे नींद भी नहीं आई थी, फिर भी जब मैं आपके सामने गई और आपने मुझे बैठ जानेको कहा तो मैं श्री देसाईकी लम्बी-चौड़ी पीठकी आड़में जा बैठी। वहाँसे न मैं आपकी बात सुन सकती थी और न आपका मुँह देख सकती थी। यह

मेरा कितना भोलापन था ! इतना ही नहीं, मैंने देख लिया कि मैं अपनी बात भी नहीं समझा सकती, मेरी ज़वान ही नहीं चलती थी । इसकी वजह मैं यह समझती हूँ कि मेरे स्वभावपर भावुकता सवार रहती है और आसानीसे काबूके बाहर हो जाती है । अवश्य ही, यह खास दोष तो उचित तालीमसे निकल जाता, मगर मैं कह सकती हूँ कि सम्भव है, मैं और कोई ऐसा ही भोलेपनका काम कर बैठूँ ।

“मेरी एक सखीने मुझे वे उत्तर दिखाए थे जो उसन राष्ट्रीय योजना-उपसमितिकी स्त्रियोंके कामके बारेकी प्रश्नावलीपर लिख भेजे थे । आप ज़रूर जानते होंगे कि ये सवाल नम्बरवार होते हैं और कुछ इस तरहके हैं : देशके जिस भागमें आप रहती हैं वहा किस हदतक स्त्रियोंको अपने हकसे सम्पत्ति रखने, हासिल करने, उत्तराधिकारमें मिलने, बेचने या दे डालनेका अधिकार है ? जिन अनेक काम-वधोमें अलग-अलग योग्यताकी स्त्रियोंको लगानेकी ज़रूरत हो सकती है, उनके लिए स्त्रियोंको उचित शिक्षा और तालीम देनेका क्या बन्दोबस्त और सुविधाएँ हैं ? वगैरह-वगैरह ।

“मेरी सखीने प्रश्नोका उत्तर न देकर यह लिखा है : ‘यह कहना ज़रा भी सच नहीं है कि प्राचीनकालमें स्त्रियोंको शिक्षा जैसी कोई चीज़ मिलती ही न थी ।’ उसने यह भी लिखा है कि ‘वैदिक युगमें विवाह होनेपर पत्नीको कुटुम्बमें तुरन्त प्रतिष्ठाका स्थान दिया जाता था और वह अपने पतिके घरकी मालिकन बन जाती थी ।’ आदि, आदि । उसने मनुस्मृतिसे प्रमाण भी दिये हैं ।

“मैंने उससे पूछा कि जब सवाल आजके ज़मानेके बारेमें पूछे गए हैं तो पुरान रीति-रिवाजका हाल लिखनेकी क्या ज़रूरत थी ? वह यह सोचकर कि निबन्धके रूपमें उत्तर बढ़िया रहता है, कुछ मुह-ही-मुहमें कहती रही और फिर तेज़ होकर बोली, ‘श्रीमती . . . अमुकका जवाब तो मुझसे भी बुरा है ।’

“मेरी समझसे मेरी सखीकी यह भूल ठीक तालीम न मिलनेके कारण हुई है और तालीम उसे स्त्री होनेके कारण ही नहीं दी गई । यह तो एक मुर्हारे भी जानता है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके जवाबमें दूसरे ही विषयपर निबन्ध नहीं लिखना चाहिए ।

“मेरे खयालमे मुझे उदाहरण देते जाने और अपनी बात समझाते रहनेकी जरूरत नहीं है। आपको सब प्रकारकी स्त्रियोका इतना विशाल अनुभव है कि आप जान गए होंगे कि मेरा यह कहना सही है या नहीं कि जिस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तसे स्त्रिया सुधर सकती हैं वही उन्हे मालूम नहीं है।

“आपने मुझे ‘हरिजन’ पढ़नेकी सलाह दी थी। मैं शकसे पढती हूँ। मगर अबतक अन्तरात्माके लिए कोई सलाह मेरे देखनेमे नहीं आई। राष्ट्रीय आजादीके लिए कातना और लड़ना तो उस तालीमके कुछ पहलू ही है। उनमे समस्याका सारा हल समाया हुआ नहीं दीखता, क्योंकि मैंने ऐसी स्त्रिया देखी है जो कातती और कांग्रेसके आदर्शोंपर अमल करनेकी कोशिश तो जरूर करती है; लेकिन फिर भी वही बड़ी-बड़ी भूले कर बैठती है, जिनका कारण उनका स्त्री होना ही है।

“मैं पुरुषोंके जैसी नहीं बनना चाहती। लेकिन जैसे आपने पुरुषोंकी पशु-प्रकृतिके सुधारके लिए अहिंसा सिखाई है, वैसे हमें भी वह पाठ पढ़ा दीजिए जिससे हमारा भोलेपनका दोष दूर हो जाय। कृपा करके बताइए, हम कैसे अपने स्वभावका सदुपयोग करे और अपनी वाधाओंको सुविधा बनाले।

“यह स्त्री होनेका भार हमेशा मेरे मनपर रहता है। जब कभी मैं किसीको नाक-भौं सिकोड़कर यह कहते सुनती हू कि ‘आखिर स्त्री है’ तो मेरी आत्मामे वेदना होती है (अगर आत्मामे भी वेदना हो सकती हो तो)। एक पुरुषसे मैंने इन बातोंकी चर्चा की तो वह मेरी हँसी उड़ाकर कहने लगा, ‘आपने हमारे मित्रके घर उस बच्चेको देखा था। वह गाड़ी बनाकर खेल रहा था और किटकिट करता जब खभेके सामने पहुँचा तो उसके चौतरफ घूमनेके बजाय उसने अपने कन्वोंसे घक्का देकर उसे गिरानेकी कोशिश की। वह अपने बाल-स्वभावसे यह समझता था कि मैं इसे गिरा दूंगा। आपकी बातसे मुझे वह याद आता है। आप जो कहती हैं वह मनोवैज्ञानिक बात है। आप उसे समझने और सुलझानेका जो प्रयत्न करती हैं, उसपर मुझे हँसी आती है।’”

मैं तो यह समझकर खुश था कि सत्याग्रहकी खोजके साथ स्त्रियोके उद्धार-कार्यमे मेरी निश्चित सहायता शुरू हो गई है। मगर पत्र-लेखिकाकी यह राय है कि स्त्रियोको पुरुषोसे अलग तरहका इलाज चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पुरुष सही हल निकाल सकेगा। वह कितनी ही कोशिश करे, असफल ही रहेगा, क्योंकि प्रकृतिने उसे स्त्रीसे भिन्न बनाया है। जिसके लगती है वही जानता है कि पीडा कहा हो रही है। इस कारण अन्तमे तो स्त्रियोको ही यह तय करनेका अधिकार है कि उन्हे क्या चाहिए। मेरी अपनी राय तो यह है कि जैसे मूलमे स्त्री और पुरुष एक है, ठीक उसी तरह उनकी समस्याका तत्त्व भी असलमे एक ही है। दोनोमे एक ही आत्मा विराजमान है। दोनो एक ही प्रकारका जीवन बिताते है। दोनोकी एक ही भातिकी भावनाए है। दोनो एक दूसरेका पूरक है। एककी असली सहायताके बिना दूसरा जी नहीं सकता।

मगर किसी-न-किसी तरह अनन्त कालसे स्त्रीपर पुरुषने आधिपत्य रखा है। इस कारण स्त्रीमे अपनेको नीचा समझनेकी मनोवृत्ति आगई है। पुरुषने स्वार्थवश स्त्रीको यह सिखाया है कि वह उससे नीचे दर्जेकी है और स्त्रीने इस शिक्षाको सच्चा मान लिया है। मगर ज्ञानी पुरुषोने उसका दर्जा बराबरका ही माना है।

फिर भी इसमे कोई शक नहीं कि एक जगह पहुचकर दोनोके काम अलग-अलग हो जाते है। जहा यह बात सही है कि मूलमे दोनो एक है, वहा यह भी उतना ही सच है कि दोनोकी शरीर-रचना एक-दूसरेसे बहुत भिन्न है। इसलिए दोनोका काम भी अलग-अलग ही होना चाहिए। मातृत्वका धर्म ऐसा है जिसे अधिकाश स्त्रिया सदा ही धारण करती रहेगी। मगर उसके लिए जिन गुणोकी आवश्यकता है उनका पुरुषोमे होना जरूरी नहीं है। वह सहनेवाली है, वह करनेवाला है। वह स्वभावसे घरकी मालिकन है, वह कमानेवाला है। वह कमाईकी रक्षा करती और बाटती है। वह हर मानेमे पालक है। मानवजातिके दुधमुहे बच्चोको पाल-पोसकर बडा करनेकी कला उसीका विशेष धर्म और एकमात्र अधिकार है। वह सभाल न रखे तो मानवजाति नष्ट हो जाय।

मेरी रायमें इसमें स्त्री और पुरुष दोनोंका पतन है कि स्त्रीको घर छोड़कर घरकी रक्षाके लिए बन्दूक उठानेको कहा या समझाया जाय । यह तो फिरसे जगली बनना और नाशकी शुरुआत करना हुआ । जिस घोड़ेपर पुरुष सवार होता है उसीपर स्त्री भी चढ़नेकी कोशिश करती है, तो वह दोनोंको गिराती है । पुरुष अपनी जीवन-सगिनीसे भय या प्रलोभन दिखाकर उसका खास काम छुडायगा, तो इसका पाप पुरुषके ही सिर होगा । वीरता जितनी बाहरी हमलेसे अपने घरको बचानेमें है, उतनी ही उसे भीतरसे स्वच्छ और व्यवस्थित रखनेमें है ।

मैंने करोडो किसानोको उनकी स्वाभाविक हालतमें देखा है और छोटे-से सेगावमें रोज देखता हूँ, तो स्त्री और पुरुषके काम, कुदरती बंटवारेकी तरफ मेरा ध्यान जोरके साथ गया है । स्त्रिया लुहार और बढई नहीं है, मगर खेतोमें स्त्री-पुरुष दोनों काम करते हैं । अलवत्ता, भारी काम पुरुष ही करते हैं । स्त्रिया घरकी देख-रेख और व्यवस्था रखती है । वे कुटुम्बके थोड़ेसे साधनोमें कुछ वृद्धि जरूर करती है, मगर मुख्य कमाई पुरुष ही करता है ।

कामके बटवारेकी बात मान लेनेके बाद, साधारण गुणो और संस्कृतिकी जरूरत करीब-करीब दोनोंके लिए एक-सी ही है ।

व्यक्तिका सम्बन्ध हो या राष्ट्रका, स्त्री-पुरुषकी महान् समस्याको सुलझानेमें मैंने यह सहायता दी है कि जीवनके हर पहलूमें सत्य और अहिंसाको स्वीकृतिके लिए पेश कर दिया । मैंने यह आशा बाध रखी है कि इस काममें निर्विवाद रूपसे स्त्री ही अगुआ बनेगी और मानवीय विकासमें इस तरह अपना योग्य स्थान पाकर वह अपनेको नीचा समझनेकी वृत्ति छोड़ देगी । ऐसा करनेमें वह सफल हो सकी तो वह दृढ़तापूर्वक इस नई शिक्षाको माननेसे इन्कार कर देगी कि सब बातोका फैसला और व्यवहार काम-वासनासे ही होता है । मुझे डर है कि मैंने कही यह बात जरा भद्दे ढंगसे तो नहीं कह दी । लेकिन मैं आशा करता हू कि मेरा अर्थ स्पष्ट है । मुझे मालूम नहीं कि जो लाखो पुरुष युद्धमें क्रियात्मक भाग ले रहे हैं उनके मनपर कामदेवका ही भूत सवार है । न अपने खेतोमें साथ-साथ काम करनेवाले

किसानोको उसकी चिन्ता या भार ही सता रहा है । मेरे कहनेका यह मतलब नहीं है कि जो कामवासना प्रकृतिने ही पुरुष और स्त्री दोनोंमे भर दी है उससे ये लोग मुक्त है । मगर इतना तो विलकुल निश्चित है कि उनके जीवनमे इस चीजकी उतनी प्रधानता नहीं है जितनी कि उन लोगोके जीवन-मे दिखाई देती है, जो आजकलके स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी साहित्यमे डूबे हुए है । जब स्त्रीको या पुरुषको जीवनकी कठोर और भयकर सचाईका मुकाबला करना पडता है तो किसीको इन बातोके लिए फुसंत ही नहीं मिलती ।

—मैंने इस अखवारमे राय दी है कि स्त्री अहिंसाकी मूर्ति है । अहिंसाका अर्थ है अनत प्रेम और उसका अर्थ है कष्ट सहनेकी अनत शक्ति । पुरुषकी माता, स्त्रीसे बढकर इस शक्तिका परिचय अधिक-से-अधिक मात्रामे और किससे मिलता है ? नौ महीनेतक बच्चेको पेटमे रखकर, उसे अपना रक्त पिलाकर और इसमे जो कष्ट होता है उसीमे आनन्द मानकर वही तो यह परिचय देती है । प्रसूतिकी वेदनासे बढकर और कौन-सी पीडा हो सकती है ? मगर वह सतानकी खुशीमे इसे भूल जाती है और फिर रोज-ब-रोज बच्चेको बडा करनेमे जो तकलीफे होती है, वह कौन बर्दाश्त करता है ? वह अपना यह प्रेम सारे मानव-समाजको दे डाले और भूल जाय कि वह कभी पुरुषके भोगविलासकी चीज भी हो सकती है, फिर देखे कि उसे पुरुषके बराबर, उसकी माता, जननी और मूक-पथप्रदर्शक बनकर खडे होनेका गौरवपूर्ण दर्जा मिलता है या नहीं ? युद्धमे फँसी हुई दुनिया आज शातिका धर्मृतपान करनेके लिए तडप रही है । यह शाति-कला सिखानेका काम भगवानने स्त्रीको ही दिया है । वह सत्याग्रहमे अगुआ बन सकती है, क्योंकि उसके लिए पुस्तकोसे मिलनेवाले ज्ञानकी जरूरत नहीं होती । उसके लिए तो तगडा दिल चाहिए, जो कष्ट-सहन और श्रद्धासे बनता है ।

सासून-अस्पतालमे मेरी मेहरबान दाईने बरसो पहले, जब मैं वहा बीमार पडा था, तब एक स्त्रीका किस्सा सुनाया था । उस स्त्रीको एक दुखदायी चीरा लगवाना था, मगर उसने बेहोशीकी दवा सूघनेसे इसलिए इन्कार कर दिया कि उसके पेटमे जो बच्चा था, उसकी जानकी जोखिम न हो । उसके लिए बेहोशीकी दवा अपने बच्चेका प्रेम ही था । उसको

बचानेकी खातिर वह बड़-से-बडा कष्ट सहनेको तैयार थी । स्त्रियोमें ऐसी वीरागनाएं बहुत हो सकती हैं, इसलिए उन्हे कभी अपने स्त्रीत्वको नीचा नहीं समझना चाहिए और न पुरुष न होनेपर दु.ख मानना चाहिए । अक्सर जब उस वीरागनाका खयाल आता है तो मुझे स्त्रीके दर्जेपर ईर्ष्या होती है । क्या अच्छा हो कि वह भी इसे पहचाने । स्त्रीको पुरुष-जन्म पानेकी जितनी लालसा हो सकती है उतनी पुरुषको स्त्री-जन्म पानेकी हो सकती है ! मगर यह इच्छा व्यर्थ है । हमे तो भगवानने जिस योनिमे जन्म दिया है और प्रकृतिने हमारा जो धर्म निश्चित कर दिया है उसीमे सुखी रहना चाहिए ।

सेगाव,

१२-२-४०

## पुरुष और स्त्रियाँ

प्रश्न—मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप पुरुष और स्त्री सत्याग्रहियोंका स्वच्छंदता-पूर्वक मिलना-जुलना और उनका एकसाथ काम करना पसन्द करेंगे, अथवा अलग इकाइयोंके रूपमें उनका सगठन करना और हरेकके कार्य-क्षेत्रकी स्पष्ट सीमा निर्धारित कर देना ज्यादा अच्छा होगा ? मेरा अनुभव तो यह है कि पहले ढगसे निश्चित रूपसे पर्याप्त परिणाममें अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टता पैदा होगी, और ऐसा हुआ भी है। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस संभवनीय बुराईका मुकाबला करनेके लिए आप कौन-से नियम सुझाएंगे ?

उत्तर—मैं तो अलग इकाइया रखना ही पसन्द करूंगा। औरतोंके पास औरतोंके बीच करनेके लिए काफीसे ज्यादा काम है। हमारा स्त्री-वर्ग बुरी तरह उपेक्षित है और उनके बीच काम करनेके लिए विशुद्ध सच्चाईवाली सैकड़ों बुद्धिमती स्त्री कार्य-कर्तृयोकी जरूरत है। सिद्धांतकी दृष्टिसे भी मैं स्त्री-पुरुष दोनोंके अलग-अलग अपना काम करनेमें विश्वास रखता हूँ। लेकिन इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बना सकता। दोनोंके बीचके सम्बन्धपर विवेकका नियंत्रण होना चाहिए। दोनोंके बीच कोई अन्तराय न होना चाहिए। उनका परस्परका व्यवहार प्राकृतिक और स्वेच्छापूर्ण होना चाहिए।

‘हरिजन सेवक’,

१-६-४०

## एक विधवाकी कठिनाई

प्रश्न—मैं एक बंगाली ब्राह्मण विधवा हूँ। अपने रंडापेके दिनसे—  
इन २४ सालोमे—अपने भोजनके बारेमे कठोर नियमोंका पालन करनेका मुझे अभ्यास है। अपने ही कुटुम्बके बीच भी मुझ विधवाका अपना अलग चौका है और बर्तन भी मेरे अलग है। मैं आपके सत्य और अहिंसाके आदर्शमे विश्वास रखती हूँ। १९३० से मैं आदतन खादी पहनती हूँ और नियमित रूपसे कातती हूँ। ढाकाके एक हरिजन गांवमे हमारे महिला-समाजने एक हरिजन स्कूल खोल रखा है। मैं वहां जाती और हरिजनोंमें शरीक होती हूँ; मैं अपनी मुसलमान बहनोसे भी खुले तौरपर मिलती-जुलती हूँ, जिनके लिए मेरे हृदयमे शुभेच्छा है। लेकिन मैं हरिजनो या दूसरे अ-ब्राह्मण जातियोंके साथ खा-पी नहीं सकती।

क्या मेरी जैसी कट्टर विधवाएं सत्याग्रहियो, निष्क्रिय या सक्रिय, मैं नहीं भरती हो सकतीं ?

उत्तर—कांग्रेस-विधानकी दृष्टिसे भरती होनेका तुम्हे पूरा अधिकार है। तुम अपने अधिकारपर अमल भी कर सकती हो। किन्तु जब तुम मुझसे पूछती हो तो मैं तुम्हे भरती होनेसे विरत करूंगा। मैं जानता हूँ कि बंगाली विधवाएं कितनी वारीकीसे उन नियमोका पालन करती हैं जिन्हे कि प्रथाने उनके लिए नियत कर रखा है। लेकिन जिन विधवाओने अपनेको देशके कामके लिए समर्पित कर दिया है और वह भी अहिंसात्मक रीतिसे, उन्हे किसीके साथ खाने-पीनेमे कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं इस बातमे विश्वास नहीं करता कि लोगोके साथ खानेसे, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो, आध्यात्मिक उन्नतिमे कोई बाधा पड़ती है। प्रधान चीज तो मनोभाव है। अगर कोई विधवा प्रत्येक कामको सेवाकी भावना-

से करती है, तो उसका भला ही होगा। कोई विधवा खान-पान तथा अन्य नियमोंका बड़ी सावधानीसे पालन करती है, फिर भी यदि वह पवित्र हृदयकी नहीं है, तो वह सच्ची विधवा नहीं है। इसे तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि किसी समाजका नियंत्रण करनेके लिए जो नियम होते हैं, उनका दिखाऊ तौरपर पालन करके कितने ही पाखण्डी अपनेको छिपा लेते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अन्तर्जातीय भोज तथा ऐसी ही बातोंपर जो बाधाएँ हैं, उन्हें आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय प्रगतिमें बाधक समझकर उनकी परवा मत करो और हृदयके सस्कारपर ही ध्यान लगाओ। सत्याग्रह-दलमें मैं आत्मतुष्ट आदमियोंको नहीं बल्कि उनको लेना पसन्द करूँगा, जिन्होंने अपने विवेकसे काम लिया है और जीवनका एक ऐसा मार्ग चुन लिया है जो उनके मस्तिष्क और हृदय दोनोंको श्रेयस्कर प्रतीत हुआ है।

‘हरिजन सेवक’,

१५-६-४०

## गृहस्थ आश्रम

एक बहनने, जो अच्छी कार्यकर्तृ है और जो अधिक अच्छी तरहसे देश-सेवा करनेके उद्देश्यसे अविवाहित रहना चाहती थी, अब अपनी पसंद-का साथी पाकर हाल हीमें विवाह कर लिया है। लेकिन उनका विचार है कि ऐसा करके उन्होंने गलती की और जो ऊँचा आदर्श अपने सामने रखा था उससे गिर गईं। मैंने उनका यह भ्रम दूर करनेकी कोशिश की है। इसमें सदेह नहीं कि सेवाके लिए बालिकाओका अविवाहित रहना अच्छी बात है। लेकिन लाखोंमें से एकाध ही ऐसा कर सकती है। जीवनमें विवाह एक स्वाभाविक चीज है और इसे किसी तरहकी गिरावट समझना भारी भूल है। जब आदमी किसी कामको पतन समझता है तो वह कितना ही प्रयास क्यों न करे, उससे ऊपर उठना अति कठिन हो जाता है। आदर्श यह है कि विवाहको पवित्र माना जाय और विवाहित अवस्थामें आत्म-सयमसे जीवन बिताया जाय। हिन्दू धर्ममें चार आश्रमोंमेंसे एक आश्रम गृहस्थ है। वस्तुतः, अन्य तीन इसपर आधारित हैं। परन्तु दुर्भाग्यसे आजकल विवाह मात्र शारीरिक गठजोड़ माना जाता है। अन्य तीन आश्रम तो नामशेष हो गए हैं।

उपरोक्त बहन और अन्य बहनोका, जो उन्हींकी तरह सोचती है, कर्तव्य है कि वे विवाहको घृणित न माने, बल्कि उसे उसका उचित स्थान दे और उसकी पवित्रताको बनाये रखे। अगर वे आवश्यक आत्मसयमसे काम लेगी तो वे अपने भीतर सेवा-शक्ति बढ़ती हुई पाएंगी। जो सेवा करना चाहती है, वे स्वभावतः अपने लिए वैसे ही विचारोका जीवन-साथी चुनेगी और उन दोनोंकी मिली-जुली सेवाओंसे देशको अधिक लाभ होगा।

यह दुखके साथ कहना पडता है कि साधारणत आजकल लडकियोको मातृत्वके कर्तव्य नही सिखाये जाते । लेकिन अगर विवाहित जीवन धर्मविधि है तो मातृत्व भी वैसा ही समझा जाना चाहिए । आदर्श मा बनना आसान चीज नही है । सन्तान-उत्पत्तिका कार्य पूरी जिम्मेदारीसे सभालनेकी जरूरत है । माताको यह पूरा ज्ञान होना चाहिए कि बच्चेके गर्भमे आनेसे लेकर उसके जन्मतक उसका क्या कर्तव्य है । और वह मा, जो देशको प्रतिभावान, स्वस्थ और सुसस्कृत बच्चे देती है, निश्चय ही देशकी सेवा करती है । वे बच्चे बडे होकर सेवामे तत्पर रहेगे ।

सच तो यह है कि जिनकी आत्माए सेवाभावसे ओतप्रोत है, वे किसी भी दशामे क्यों न हो, सदा सेवा करते रहेगे । ऐसा जीवन वे कभी न अपनाएगे जो सेवामे रुकावटका कारण बने ।

सेगाव,

३-३-४२

## भरोसेकी सहायता

आत्म-संयमके लिए एक भाईने तीन तरीके बताये हैं, जिनमे दो बाहरी और एक अन्दरूनी है। 'अन्दरूनी' मददके बारेमे वे यो लिखते हैं :

“तीसरी चीज जो आत्म-संयममे मदद करती है, 'रामनाम' है। इसमे कामवासनाको ईश्वर-दर्शनकी पवित्र इच्छामे बदल देनेकी बहुत बड़ी शक्ति है। वास्तवमे अनुभवसे मुझे लगता है कि करीब-करीब सभी मनुष्योमे जो कामवासना पाई जाती है, वह एक तरहकी 'कुण्डलिनी शक्ति' है, जो अपने-आप बढती और विकसित होती रहती है। जिस तरह सृष्टिके शुरूसे ही इन्सान कुदरतके खिलाफ लडता आया है, उसी तरह अपनी 'कुण्डलिनी'की इस स्वाभाविक गतिके खिलाफ भी उसे लड़ना चाहिए, और उसे नीचेकी तरफ न जाने देकर ऊपरकी ओर ले जाना चाहिए— ऊर्ध्वरेता बनना चाहिए। जहा एक बार 'कुण्डलिनी' का ऊपर चलना शुरू हुआ कि वह मस्तिष्ककी तरफ चलने लगती है और आदमी धीरे-धीरे ऊर्ध्वरेता बनकर स्वयं अपने-आपमे और अपने चारो तरफ दिखाई देनेवाले दूसरे आदमियोमे एक ही ईश्वरको देखने लगता है।” इसमे कोई शक नहीं कि 'रामनाम' सबसे ज्यादा भरोसेकी सहायता है। अगर दिलसे उसका जप किया जाय तो वह हरएक बुरे खयालको फौरन दूर कर सकता है, और जब बुरा खयाल मिट गया तो उसका बुरा असर होना सभव नहीं। अगर मन कमजोर है तो बाहरकी सब सहायता बेकार है, और मन पवित्र है, तो वह सब अनावश्यक है। इसका यह मतलब कदापि नहीं समझना चाहिए कि एक पवित्र मनवाला आदमी सब तरहकी छूट लेते हुए भी बेदाग बचा रह सकता है। ऐसा आदमी खुद ही अपने साथ कोई छूट न लेगा। उसका सारा जीवन उसकी अन्दरूनी पवित्रताका

सच्चा सबूत होगा। गीतामें ठीक ही कहा है कि आदमीका मन ही उसे बनाता है और वही उसे विगाडता भी है। मिल्टन जब यह कहता है कि 'इन्सानका मन ही सबकुछ है; वही स्वर्गको नरक और नरकको स्वर्ग बना देता है,' तो वह भी इसी विचारकी व्याख्या करता है।

शिमला,

२-५-४६

## ब्याह और ब्रह्मचर्य

सूरतके पाटीदार आश्रमसे जिन भाईने श्री नरहरि परीखको 'हरिजनों और सवर्णोंके ब्याह' के बारेमे सवाल पूछा है, उन्हीने यह दूसरा सवाल भी उठाया है :

“शादी करना, और जबतक स्वराज न मिले, ब्रह्मचर्यका पालन करना, ये दोनो चीजे एक साथ बैठती नही है। अगर ब्रह्मचर्य ही रखना हो तो शादी करनेकी क्या जरूरत ? और अगर शादी करना हो, तो ब्रह्मचर्यको बीचमे क्यों लाया जाय ? इन्सान सम्य प्राणी है। ब्याह-जैसा पवित्र रिवाज दाखल करके उसने समाजमे व्यवस्था और इन्साफ कायम करनेकी कोशिश की है। अगर शादीका रिवाज न होता, तो जातीय सवालपर घर, बाजार और गांवमे तरह-तरहके झगड़े खड़े होते रहते। शादी करनेके बाद कामवृत्तिकी बागडोर खुली छोड़ देनेको तो कोई नही कहता। उसमे समयके लिए जगह है। और संयमसे ही गृहस्थाश्रमकी खूबसूरती बढ़ती है। शादीका पहला हेतु तो साथ रहकर एक-दूसरेको आगे बढ़ाना है। यह मानना ही पड़ेगा कि इसमे कामवृत्तिको मर्यादामे रखकर उसकी प्यास बुझाना मुख्य उद्देश्य रहा है। स्वराज न मिलनेतक नये ब्याहे जोड़ेसे ब्रह्मचर्य-पालनेकी प्रतिज्ञा कराना उनकी जिन्दगीमे झूठ और दिखावा दाखल करना है। इससे उनमे विकृति भी पैदा हो सकती है। जो मर्द-औरत अनोखे दरजेके होंगे, वे तो शादीके बन्धनमे पड़ेगे ही नही। शादी करनेवाले तो आम लोग ही होंगे। . . . अच्छा हुआ कि पतिने बादमे बापूजीको कह दिया कि वह पत्नीके माता बननेके हकको छीन नही सकते। इससे बापूजीकी एक तरहसे इज्जत बच गई। नही तो इस तरह ब्रह्मचर्यकी बातसे झूठ और दिखावे या ढोंगको मदद मिलनेके सिवा दूसरा नतीजा शायद ही निकलता।

“स्वराज मिलनेतक ब्रह्मचर्य पालनेकी प्रतिज्ञाका मर्म या भेद वापू समझावे, यह जरूरी है। मुझे तो यह एक हँसीकी बात लगती है।”

इस सवालमें यह मान लिया गया है कि ब्याह करनेमें पहली चीज विषय-भोग है। यह दुखकी बात है। सचमुच तो ब्याहका मतलब औरत और मर्दकी गाढी-से-गाढी मित्रता होना चाहिए, और है। उसमें विषय-भोगको तो जगह ही नहीं। जिस शादीमें विषय-भोगको जगह है, वह सच्ची शादी ही नहीं, सच्ची मित्रता ही नहीं। ऐसी शादियाँ मैंने देखी हैं, जहाँ शादीका हेतु सिर्फ एक-दूसरेका साथ और सेवा ही रहा है। यह सच है कि ऐसी शादियाँ मैंने इंग्लैण्डमें ही देखी हैं। मेरी अपनी मिसाल यहाँ वेमौका न गिनी जाय, तो मैं कहूँगा कि भरी जवानीमें विषय-भोगको छोड़नेके बाद ही हम जिन्दगीका सच्चा रस लूट सके। तभी हमारी जोड़ी सचमुच खिली और हम साथ मिलकर हिन्दुस्तानकी और इन्सानकी सच्ची सेवा कर सके। यह बात मैं 'मेरे सत्यके प्रयोगों' में लिख चुका हूँ। हमारा ब्रह्मचर्य अच्छी-से-अच्छी सेवा-भावनाओंसे पैदा हुआ था।

हजारों ब्याह तो आम तौरपर जैसे हुआ करते हैं, हुआ करेंगे। उनमें विषय-भोग पहली चीज रहेगी। अनगिनत लोग स्वादकी खातिर खाते हैं। इससे स्वाद इन्सानका धर्म नहीं बन जाता। थोड़े ही लोग ऐसे हैं कि जो जिन्दा रहनेके लिए खाते हैं। वे ही खानेका धर्म जानते हैं। इसी तरह थोड़े ही लोग औरत और मर्दके पवित्र रिश्तेका स्वाद लेनेके लिए, ईश्वरको पहचाननेके लिए शादी करते हैं। सच्ची शादीका धर्म तो वही पहचानते हैं और पालते हैं।

मालूम होता है कि तेन्दुलकर और इन्दुमतीके ब्याहके बारेमें पूरी बातें सवाल पूछनेवाले भाई नहीं जानते। उनके ब्याहकी प्रतिज्ञामें दोनोंकी इच्छाकी बात थी। प्रतिज्ञा हिन्दुस्तानीमें लिखी गई थी। अखबार-वालोंने अपना ही अंग्रेजी तरजुमा छपा। इतनी बात पक्की है कि दोनोंकी ब्रह्मचर्य पालनेकी इच्छा थी। वह शादी विषय-भोगकी खातिर नहीं थी। दोनों एक-दूसरेको बरसोंसे पहचानते थे। इन्दुमतीको घरके लोगोंकी इजाजत कड़ी कसौटीके बाद मिली थी। बादमें तेन्दुलकरकी क़ैद उनके

रास्तेमे आई । दोनोके बडोकी ख्वाहिश थी कि शादी आश्रममे हो तो अच्छा । इन्दुमतीको आश्रममे आसरा मिला था । वहा उसे तसल्ली मिली थी । मैंने माना था कि दोनोमे खूब सेवाभाव है । मैं समझता हूँ कि अभी भी ऐसा ही है । मैंने उनके लिए ब्रह्मचर्य स्वाभाविक चीज मानी थी ।

यह सब होते हुए भी ब्रह्मचर्यमे ढोगको जगह हो सकती है । इसमें कसूर ब्रह्मचर्यका नहीं, ढोगका है । एक अग्रज कवि ने कहा है कि ढोंग अच्छे गुणोकी तारीफ है । जहा सच्चे सिक्केकी क्रीमत है, वहां भूठा सिक्का सच्चे सिक्केकी छायामे रहेगा ही । जहा अच्छे गुणोकी कदर है वहा अच्छे गुणोका दिखावा भी रहेगा । दिखावेके डरसे अच्छे गुणोको छोड़ना, यह कैसी दु.ख और हैरानीकी बात है ।

पूना जाते हुए, रेलमे,

३०-६-४६

## बहनोंकी दुविधा

सवाल—जब बदमाश लोग किसी औरतपर हमला कर तो उसे क्या करना चाहिए ? वह भाग जाय या हिंसासे उनका सामना करे ? यानी वह भाग जानेके लिए डोंगिया तैयार रखे या हथियारोसे अपना बचाव करनेको तैयार रहे ?

जवाब—इस सवालका मेरा जवाब बहुत सीधा-सादा है, क्योंकि मेरे खयालमे हिंसाकी कोई तैयारी नही हो सकती । अगर ऊची-ऊची किस्मकी हिम्मत बढ़ानी हो तो हमे अहिंसाके लिए ही सारी तैयारी करनी चाहिए । कायरताकी अपेक्षा हिंसाको हमेशा तरजीह देनेकी निगाहसे ही हिंसा बरदाश्त की जा सकती है । इसलिए मैं खतरेके समय भाग निकलनेके लिए डोंगिया तैयार न रक्खूंगा । अहिंसक आदमीके लिए खतरेका कोई समय होता ही नही । उसे तो मौतकी खामोश और शानदार तैयारी करनी होती है । इसीलिए कहीसे कोई मदद न मिलनेपर भी अहिंसक औरत या मर्द हँसते-हँसते मौतका सामना करेगा, क्योंकि सच्ची मदद तो भगवानसे ही मिलती है । मैं इसके सिवा दूसरी कोई बात सिखा नही सकता और जो मैं सिखाता हू उसीपर अमल करनेके लिए यहा आया हू । मैं नही जानता कि ऐसा कोई अवसर मुझे कभी मिलेगा या दिया जायगा । जो औरते गुडोके हमला करनेपर बिना हथियारके उनका सामना नही कर सकती उन्हे हथियार रखनेकी सलाह देनेकी जरूरत नही । वे तो वैसा करेगी ही । हथियार रखने या न रखनेकी इस हमेशाकी पूछताछमे जरूर ही कोई-न-कोई दोष है । लोगोको स्वाभाविक रूपसे आज्ञाद रहना सीखना होगा । अगर वे मेरी इस खास नसीहतको याद रक्खे कि अहिंसासे ही सच्चा और कारगर मुकाबला किया जा सकता है तो वे इसीके अनुसार अपना व्यवहार बना लगे । और बिना सोचे-समझे ही क्यो न हो, मगर दुनिया यही तो करती रही है, क्योंकि दुनियाकी

हिम्मत ऊचे-ऊचे नमूनेकी, यानी अहिंसासे पैदा हुई हिम्मत नहीं है, इसलिए वह अपनेको अटम बमसे लैस रखनेकी हदतक पहुँची है। जो लोग उसमें हिंसाकी व्यर्थताको नहीं देख पाते, वे कुदरती तौरपर अपनेको अच्छे-से-अच्छे हथियारोंसे लैस रखे बिना न रहेगे।

जबसे मैं दक्षिणी अफ्रीकासे लौटा हू तभीसे हिन्दुस्तानमें अहिंसाकी सोची-समझी शिक्षा बराबर दी जाती रही है और उसका जो नतीजा निकला है, सो हम देख चुके हैं।

सवाल—क्या किसी औरतको गुंडोंके सामने भुक्तनेके बजाय आत्महत्या करनेकी सलाह दी जा सकती है ?

जवाब—इस सवालका ठीक-ठीक जवाब देनेकी जरूरत है। नोआखलीके लिए रवाना होनेके पहले मैंने दिल्लीमें इसका जवाब दिया था। कोई औरत आत्म-समर्पण करनेके बजाय निश्चय ही आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करेगी। दूसरे शब्दोंमें, जिन्दगीकी मेरी योजनामें आत्म-समर्पणकी कोई जगह नहीं। लेकिन मुझसे यह पूछा गया था कि आत्महत्या या खुदकुशी कैसे की जाय ? मैंने तुरंत जवाब दिया कि आत्महत्याके साधन सुझाना मेरा काम नहीं। और, ऐसी हालतोंमें आत्महत्याकी स्वीकृति देनेके पीछे यह विश्वास था, और है कि जो आत्महत्या करनेके लिए भी तैयार है, उनमें ऐसे मानसिक विरोध और आत्माकी ऐसी पवित्रताके लिए वह जरूरी ताकत मौजूद है, जिसके सामने हमला करनेवाला अपने हथियार डाल देता है। मैं इस दलीलको आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसे आगे बढ़ानेकी गुंजाइश नहीं है। मैं कबूल करता हूँ कि इसके लिए जिस पक्के सबूतकी जरूरत है, वह मिल नहीं रहा।

सवाल—अगर अपनी जान देने और हमला करनेवालेकी जान लेनेमेंसे किसी एकको चुननेका सवाल हो, तो आप क्या सलाह देंगे ?

जवाब—जब अपनी जान देने या हमला करनेवालेकी जान लेनेमेंसे किसी एकको पसन्द करनेका सवाल हो तो बेशक, मैं पहली चीज़को पसंद करूंगा।

पाल्ला,

## मैंने कैसे शुरू किया ?

‘हरिजन’ के लिए जीवनके शाश्वत भागोपर चर्चा करना ठीक लगता है। उनमें एक ब्रह्मचर्य है। दुनिया मामूली चीजोंकी तरफ दौड़ती है। शाश्वत चीजोंके लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। तो भी हम विचार करे तो देखेंगे कि दुनिया शाश्वत चीजोंपर ही निभती है।

ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं ? जो हमें ब्रह्मकी तरफ ले जाय, वह ब्रह्मचर्य है। इसमें जननेन्द्रियका संयम आ जाता है। वह संयम मन, वाणी और कर्मसे होना चाहिए। अगर कोई मनसे भोग करे और वाणी व स्थूल कर्मपर काबू रखे तो यह ब्रह्मचर्यमें नहीं चलेगा। ‘मन चगा तो कठौतीमें गगा’। मनपर पूरा काबू हो जाय, तो वाणी और कर्मका संयम बहुत आसान हो जाता है। मेरी कल्पनाका ब्रह्मचारी स्वाभाविक रूपसे स्वस्थ होगा, उसका सिरतक नहीं दुखेगा, वह स्वभावतः दीर्घजीवी होगा, उसकी बुद्धि तेज होगी, वह आलसी नहीं होगा, शारीरिक या बौद्धिक काम करनेसे थकेगा नहीं और उसकी बाहरी सुघडता सिर्फ दिखावा न होकर भीतरका प्रतिबिम्ब होगी। ऐसे ब्रह्मचारीमें स्थितप्रज्ञके सब लक्षण देखनेमें आवेंगे।

ऐसा ब्रह्मचारी हमें कहीं दिखाई न पड़े तो उसमें घबरानेकी कोई बात नहीं।

जो स्थिरवीर्य है, जो ऊर्ध्वरेता है, उनमें ऊपरके लक्षण देखनेमें आवें तो कौन बड़ी बात है ? मनुष्यके इस वीर्यमें अपने जैसा जीव पैदा करनेकी ताकत है, उस वीर्यको ऊंचे ले जाना ऐसी-वैसी बात नहीं हो सकती। जिस वीर्यके एक बूदमें इतनी ताकत है, उसके हजारों बूदोंकी ताकतका माप कौन लगा सकता है ?

यहां एक जरूरी बातपर विचार कर लेना चाहिए। पातंजलि भगवानके पाच महाव्रतोंमेंसे किसी एकको लेकर उसकी साधना नहीं की जा सकती। यह हो सकता है कि सिर्फ सत्यके बारेमें ही, क्योंकि दूसरे चार तो सत्यमें छिपे हुए हैं, और इस युगके लिए तो पाचकी नहीं, ग्यारह व्रतोंकी जरूरत है। विनोवाने उन्हें मराठीमें सूत्ररूपमें रख दिया है :

अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह,  
शरीरश्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन।  
सर्वधर्मी, समानत्व, स्वदेशी, स्पर्शभावना,  
ही एकादश सेवावी नम्रत्व व्रतनिश्चये।

ये सब व्रत सत्यके पालनमेंसे निकाले जा सकते हैं। मगर जीवन इतना सरल नहीं। एक सिद्धांतमेंसे अनेक उपसिद्धांत निकाले जा सकते हैं। तो भी एक सबसे बड़े सिद्धान्तको समझनेके लिए अनेक उप-सिद्धान्त जानने पड़ते हैं।

यह भी समझना चाहिए कि सब व्रत समान हैं। एक टूटा कि सब टूटे। हमें आदत पड गई है कि सत्य और अहिंसा व्रत-भगको हम मात्र कर सकते हैं। इन व्रतोंको तोड़नेवालेकी तरफ हम अगुली नहीं उठाते। अस्तेय और अपरिग्रह क्या है, सो तो हम समझते ही नहीं। मगर माना हुआ ब्रह्मचर्यका व्रत टूटा तो तोड़नेवालेका बुरा हाल होता है। जिस समाजमें ऐसा होता है, उसमें कोई बड़ा दोष होना चाहिए। ब्रह्मचर्यका सकुचित अर्थ लेनेसे वह निस्तेज बनता है, उसका कुछ पालन नहीं होता, सच्ची कीमत नहीं आकी जाती और दम्भ बढ़ता है। कम-से-कम इस व्रतका पूरा स्थूल पालन भी अशक्य नहीं तो बहुत कठिन होता ही है। इसलिए सब व्रतोंको एकसाथ लेना चाहिए। ऐसा ही तभी ब्रह्मचर्यकी व्याख्या सिद्ध की जा सकती है। आजकी भाषामें वही सच्चा ब्रह्मचारी है, जो एकादश व्रतका पालन मनसे, वाणीसे और कर्मसे करता है।

नई दिल्ली,

२-६-४७

## ब्रह्मचर्यकी रक्षा

मैंने पिछले हफ्ते जिस ब्रह्मचर्यकी चर्चा की थी, उसके लिए कैसी रक्षा होनी चाहिए ? जवाब तो सीधा है । जिसे रक्षाकी जरूरत हो, वह ब्रह्मचर्य ही नहीं । मगर यह कहना आसान है । उसे समझना और उसपर अमल करना बहुत मुश्किल है ।

इतना तो साफ है कि यह बात पूर्ण ब्रह्मचारीके लिए ही सच्ची है । लेकिन जो ब्रह्मचारी बननेकी कोशिश कर रहा है उसके लिए तो अनेक बन्धनोंकी जरूरत है । आमके छोटे पेडको सुरक्षित रखनेके लिए उसके चारो तरफ बाड़ लगानी पडती है । छोटा बच्चा पहले माकी गोदमें सोता है, फिर पालनेमें और फिर चालन-गाडी लेकर चलता है । जब बडा होकर खुद चलने-फिरने लगता है तब सब सहारा छोड देता है । न छोडे तो उसे नुकसान होता है । ब्रह्मचर्यपर भी यही चीज लागू होती है ।

ब्रह्मचर्य एकादश व्रतोंमेंसे एक व्रत है । यह पिछले हफ्ते मैं कह चुका हू । इसपरसे यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्यकी मर्यादा या बाड एकादश व्रतोंका पालन है । मगर एकादश व्रतोंको कोई बाड न माने । बाड तो किसी खास हालतके लिए ही होती है । हालत बदली और बाड भी गई । मगर एकादशव्रतका पालन तो ब्रह्मचर्यका जरूरी हिस्सा है । उसके बिना ब्रह्मचर्य-पालन नहीं हो सकता ।

आखिरमें ब्रह्मचर्य मनकी स्थिति है । बाहरी आचार या व्यवहार उसकी पहचान, उसकी निशानी है । जिस पुरुषके मनमें जरा भी विषय-वासना नहीं रही वह कभी विकारके वश नहीं होगा । वह किसी औरतको चाहे जिस हालतमें देखे, चाहे जिस रूप-रंगमें देखे, तो भी उसके मनमें विकार पैदा नहीं होगा । यही स्त्रीके बारेमें भी समझना चाहिए ।

भार जिसके मनमें विकार उठा ही करते हैं उसे तो सगी बहन या बेटी-को भी नहीं देखना चाहिए। मैंने अपने कुल मित्रोंको यह नियम पालनेकी सलाह दी थी। और जिन्होंने इसका पालन किया है उन्हें फायदा हुआ है। अपने बारेमें मेरा यह तजस्वा है कि जिन चीजोंको देखकर दक्षिणी अफ्रीकामें मेरे मनमें कभी विकार पैदा नहीं हुआ था, उन्हींसे दक्षिण अफ्रीकासे वापस आनेपर मेरे मनमें विकार पैदा हुआ। और, उसे शान्त करनेमें मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी।

यह बात सिर्फ जननेन्द्रियके बारेमें ही सच थी, ऐसा नहीं। इन्सानको शोभा न देनेवाले डरके बारेमें भी यही सच पड़ी और मैं शर्मिन्दा हुआ। बचपनमें मैं स्वभावसे डरपोक था। दीयोंके बिना मैं आरामसे सो नहीं सकता था। कमरेमें अकेले सोना अपनी बहादुरीकी निशानी समझता था। मुझे पता नहीं कि आज अगर मैं रास्ता भूल जाऊँ और काली रातमें घने जंगलमें भटकता होऊँ तो मेरी क्या हालत हो? मेरा राम मेरे पास है, यह ख्याल भी उस वक्त भूल जाऊँ तो? अगर बचपनका डर मेरे मनमें से बिलकुल निकल न गया हो तो मैं मानता हूँ कि निर्जन जंगलमें तिडर रहना जननेन्द्रियके समयसे भी ज्यादा मुश्किल है। जिसकी यह हालत है, वह मेरी व्याख्याका ब्रह्मचारी तो नहीं ही गिना जायगा।

ब्रह्मचर्यकी जो मर्यादा हम लोगोंमें मानी जाती है उसके मुताबिक ब्रह्मचारीको स्त्रियों, पशुओं और नपुंसकोंके बीच नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचारी अकेली स्त्री या स्त्रियोंकी टोलीको उपदेश न करे। स्त्रियोंके साथ, एक आसनपर न बैठे। स्त्रियोंके शरीरका कोई हिस्सा न देखे। दूध, दही, घी वगैरा चिकनी चीजें न खाये। स्नान-लेपन न करे। यह सब मैंने दक्षिणी अफ्रीकामें पढ़ा था। वहाँ जननेन्द्रियका समय करनेवाले पश्चिम-के स्त्री-पुरुषोंके बीचमें रहता था। मैं उन्हें इन सब मर्यादाओंको तोड़ते देखता था। खुद भी उनका पालन नहीं करता था। यहाँ आकर भी न कर सका। दूध, दही वगैरा मैं हठपूर्वक छोड़ता था। उसका कारण दूसरा था। इसमें मैं हारा। अभी भी अगर मुझे कोई ऐसी वनस्पति मिल जाय जो दूध-घीकी जरूरत पूरी कर सके तो मैं फौरन दूध वगैरा प्राणिज चीजें

छोड़ दू और मेरी खुशीका पार न रहे । मगर यह तो दूसरी बात हुई ।

ब्रह्मचारी कभी निर्वीर्य नहीं होता । वह रोज़ वीर्य पैदा करता है और उसे इकट्ठा करके रोज-रोज़ बढ़ाता जाता है । उसे कभी बुढापा नहीं आता । उसकी बुद्धि कभी कुठित नहीं होती ।

मुझे लगता है कि जो ब्रह्मचारी बननेकी सच्ची कोशिश कर रहा है, उसे भी ऊपर बताई हुई मर्यादाओकी ज़रूरत नहीं है । ब्रह्मचर्य जबरदस्तीसे यानी मनसे विरुद्ध जाकर पालनेकी चीज़ नहीं । वह जबरदस्तीसे नहीं पाला जा सकता । यहा तो मनको बशमे करनेकी बात है । जो ज़रूरत पडनेपर भी स्त्रीको छूनेसे भागता है, वह ब्रह्मचारी बननेकी कोशिश ही नहीं करता ।

इस लेखका मतलब यह नहीं कि लोग मनमानी करे । इसमें तो सच्चा समय पालनेकी बात बताई गई है । दंभ या ढोगके लिए यहा कोई जगह हो ही नहीं सकती ।

जो छुपे तौरसे विषय-सेवनके लिए इस लेखका इस्तेमाल करेगा, वह दभी और पापी ही गिना जायगा ।

ब्रह्मचारीको नकली बाडोसे भागना चाहिए । उसे अपने लिए अपनी मर्यादा बना लेनी है । जब उसकी ज़रूरत न रहे तब उसे तोड देना चाहिए । इस लेखका उद्देश्य तो यह है कि हम सच्चे ब्रह्मचर्यको पहचाने । उसकी कीमत जान ले और ऐसे कीमती ब्रह्मचर्यका पालन करे । इसमे देशसेवाका सच्चा ज्ञान रहा है । इससे देशसेवा करनेकी शक्ति भी बढ़ती है ।

नई दिल्ली,

८-६-४७

## ईश्वर कहाँ है और कौन है ?

ब्रह्मचर्य क्या है, यह बताते हुए मैंने लिखा था कि ब्रह्म यानी ईश्वर तक पहुँचनेका जो आचार होना चाहिए, वह ब्रह्मचर्य है। लेकिन इतना जान लेनेसे ईश्वरके रूपका पता नहीं चलता। अगर उसका ठीक पता चल जाय, तो हम ईश्वरकी तरफ जानेका ठीक रास्ता भी जान सकते हैं। ईश्वर मनुष्य नहीं है। इसलिए वह किसी मनुष्यमे उतरता है या अवतार लेता है, ऐसा कहे तो यह निरा सत्य नहीं है। एक तरहसे ईश्वर किसी खास मनुष्यमे उतरता है, ऐसा कहनेका मतलब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि वह मनुष्य ईश्वरके ज्यादा निकट है। उसमे हमे ज्यादा ईश्वरपन दिखाई देता है। ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है। वह सबमे मौजूद है, इसलिए हम सब ईश्वरके अवतार हैं। मगर ऐसा कहनेसे कोई मतलब हल नहीं होता। राम, कृष्ण इत्यादिको हम अवतार कहते हैं, क्योंकि उनमे लोगोने ईश्वरके गुण देखे। आखिर तो राम, कृष्ण आदि मनुष्यके कल्पना-जगतमे बसते हैं, और उसके कल्पित चित्र ही हैं। इतिहासमे ऐसे लोग हो गए या नहीं, इसके साथ इन कल्पनाकी तस्वीरोका कोई संबंध नहीं। कई बार हम इतिहासके राम और कृष्णको ढूँढते-ढूँढते मुश्किलोमे पड जाते हैं और हमे कई तरहके तर्कोंका सहारा लेना पड़ता है।

सच बात तो यह है कि ईश्वर एक शक्ति है, तत्त्व है, शुद्ध चैतन्य है, सब जगह मौजूद है। मगर हैरानीकी बात यह है कि ऐसा होते हुए भी सबको उसका सहारा या फ़ायदा नहीं मिलता, या यों कहे कि सब उसका सहारा पा नहीं सकते।

बिजली एक बड़ी शक्ति है। मगर सब उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसे पैदा करनेका अटल क़ानून है। उसके अनुसार काम किया जाय तभी

विजली पैदा की जा सकती है। विजली जड है, वेजान चीज है। उसके इस्तेमालका कायदा चेतन मनुष्य मेहनत करके जान सकता है। जिस चेतनामय बड़ी भारी शक्तिको हम ईश्वर कहते हैं, उसके प्रयोगका भी नियम तो है ही। लेकिन यह चीज बिलकुल साफ है कि उस नियमको ढूढनेके लिए बहुत ज्यादा परिश्रमकी जरूरत है। उस नियमका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यको पालनेका सीधा रास्ता रामनाम है। यह मैं अपने अनुभवसे कह सकता हूँ। तुलसीदास-जैसे भक्त ऋषि-मुनियोने वह रास्ता बताया ही है। मेरे अनुभवका कोई जरूरतसे ज्यादा मतलब न निकाले। रामनाम सब जगह मौजूद रहनेवाली रामवाण दवा है, यह शायद मैंने पहले-पहल उरुल्लीकाचनमे ही साफ-साफ जाना था। जो उसका पूरा इस्तेमाल जानता है, उसे जगतमे कम-से-कम बाहरी काम करना पडता है। फिर भी उसका काम बडे-से-बडा होता है।

इस तरह विचार करते हुए मैं कह सकता हू कि ब्रह्मचर्यकी रक्षाके जो नियम माने जाते हैं, वे तो खेल ही हैं। सच्ची और अमर-रक्षा तो रामनाम ही है। राम जब जीवसे उतरकर हृदयमे बढ जाता है, तभी उसका चमत्कार पूरा दिखाई देता है। यह अचूक साधन पानेके लिए एकादशव्रत तो है ही। मगर कभी साधन ऐसे होते हैं कि उनमेसे कौनसा साधन और कौनसा साध्य है, यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एकादश-व्रतोमेसे सत्यको ही ले, तो पूछा जा सकता है कि क्या सत्य साधन है और रामनाम साध्य ? या, राम साधन है और सत्य साध्य ?

मगर मैं सीधी बात पर आऊ। ब्रह्मचर्यका आज माना हुआ अर्थ ले तो वह यह है जननेन्द्रिय पर काबू पाना। इस संयमका सुनहला रास्ता और उसकी अमर-रक्षा रामनाम है। इस रामनामको सिद्ध करनेके कायदे या नियम तो है ही।

नई दिल्ली,

१४-६-४७

## नाम-साधनाकी निशानियाँ

रामनाम जिसके हृदयसे निकलता है, उसकी पहचान क्या है ? अगर हम इतना न समझ ले, तो रामनामकी फजीहत हो सकती है । वैसे भी होती तो है ही । माला पहनकर और तिलक लगाकर रामनाम बड़बड़ाने वाले बहुत मिलते हैं । कहीं मैं उनकी सख्याको बढ़ा तो नहीं रहा हूँ ? यह डर ऐसा वैसा नहीं है । आजकलके मिथ्याचारमे क्या करना चाहिए ? क्या चुप रहना ही ठीक नहीं ? हो सकता है । लेकिन बनावटी चुपसे कोई फायदा नहीं । जीते-जागते मौनके लिए तो बड़ी भारी साधना-की ज़रूरत है । उसकी अनुपस्थितिमे हृदयगत रामनामकी पहचान क्या ? इसपर हम विचार करे ।

एक वाक्यमे कहा जाय तो रामके भक्त और गीताके स्थितप्रज्ञमे कोई भेद नहीं । ज्यादा गहरे उतरे तो हम देखेगे कि रामभक्त पंचगहाभूतो-का सेवक होगा । वह प्रकृतिके कानूनपर चलेगा । इसलिए इसे किसी तरहकी बीमारी होगी ही नहीं । होगी भी तो वह उसे पच महाव्रतकी मददसे अच्छा कर लेगा । किसी भी उपायसे भौतिक दुःख दूर कर लेना आत्माका काम नहीं, शरीरका भले ही हो । इसलिए जो शरीरको ही आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टिमे शरीरसे अलग शरीरवारी आत्मा जैसा कोई तत्त्व नहीं, वे तो शरीरको टिकाये रखने के लिए सारी दुनियामे भटकेंगे, लका जायंगे । इससे उल्टे जो यह मानता है कि आत्मा देहमे रहते हुए भी देहसे अलग है, हमेशा स्थिर रहनेवाला तत्त्व है । अनित्य शरीरमे बसता है, शरीरकी सभाल तो रखता है, पर शरीरके जानेसे घबराता नहीं, दुःखी नहीं होता और सहज ही उसे छोड़ देता है, वह देहवारी डाक्टर-वैद्योके पीछे नहीं भटकता । वह खुद ही अपना डाक्टर बन जाता है । सब काम करते

हुए भी वह आत्माका ही ख्याल रखता है। वह मूर्छामेंसे जाग हुए की तरह बर्ताव करता है।

ऐसा इन्सान हर सासके साथ रामनाम जपता रहता है। वह सोता है, तो भी उसका राम जागता है। खाते-पीते कुछ भी काम करते हुए राम तो उसके साथ ही रहेगा। इस साथीका खो जाना ही इन्सानकी सच्ची मृत्यु है।

इस रामको अपने पास रखनेके लिए या अपने-आपको रामके पास रखनेके लिए वह पचमहाभूतकी मदद लेकर सतोष मानेगा, यानी वह मिट्टी, हवा, पानी, सूरजकी रोशनी और आकाशका सहज और साफ और व्यवस्थित तरीकेसे इस्तेमाल करके जो पा सकेगा, उसमें सन्तोष मानेगा। यह उपयोग रामनामका पूरक नहीं, पर रामनामकी साधनाकी निशानी है। रामनामको इन मददगारकी जरूरत नहीं। लेकिन इसके बदले जो एकके बाद दूसरे वैद्य-हकीमोंके पीछे दौड़े और रामनामका दावा करे, उसकी बात कुछ जचती नहीं।

एक ज्ञानीने तो मेरी बात पढ़कर यह लिखा कि रामनाम ऐसा कीमिया है कि जो शरीरको बदल डालता है। वीर्यको इकट्ठा करना दबाकर रक्खे हुए घनके समान है। उसमेंसे अमोघ शक्ति पैदा करने-वाला तो रामनाम ही है। खाली सग्रह करनेसे तो घबराहट होती है। किसी भी समय उसका पतन हो सकता है। लेकिन जब रामनामके स्पर्शसे वह वीर्य गतिवान होता है, ऊर्ध्वगामी बनता है, तब उसका पतन असंभव हो जाता है।

शरीरके पोषणके लिए शुद्ध खून जरूरी है। आत्माके पोषणके लिए शुद्ध वीर्य-शक्तिकी जरूरत है। इसे दिव्यशक्ति कह सकने है। यह शक्ति सारी इन्द्रियोकी शिथिलताको मिटा सकती है। इसलिए कहा है कि रामनाम हृदयमें बैठ जाय, तो नई जिन्दगी शुरू होती है। यह कानून जवान, बूढ़े, मर्दे, औरत सबपर लागू होता है।

पश्चिममें भी यह ख्याल पाया जाता है। 'क्रिश्चियन साइन्स' नामका संप्रदाय बिलकुल यही नहीं तो करीब-करीब इसी तरहकी बात करता है।

मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तानको ऐसे सहारेकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिन्दुस्तानमे तो यह दिव्य विद्या पुराने ज़मानेसे ही चली आ रही है।

हरिद्वार,

२१-६-४७

## एक उलभन

विलायतमें अच्छी तरह शिक्षा पाये हुए एक हिन्दुस्तानी भाईके वहासे लिखे पत्रमेंसे कुछ हिस्सा नीचे देता हूँ .

“स्त्री और पुरुषके सबधके वारेमें मेरे मनकी हालत कुछ विचित्र-सी है । मैंने आपको लिखा ही है कि कुछ बन्धन और मर्यादाएँ मैं रखने ही वाला हूँ और रखी भी है । लेकिन जब सोचता हूँ तो अपनी हालत मुझे त्रिशकु जैसी दिखाई देती है । एक तरफसे लगता है कि स्त्री-पुरुषके सबधको ज्यादा कुदरती बनानेसे बुराई और पापाचार कम होगा । दूसरी तरफसे लगता है कि एक-दूसरेको छूनेसे बुराई पैदा हुए बिना रह नहीं सकती । यहाकी अदालतमें जब भाई-बहन और बाप-बेटीके वारेमें मुकद्दमे आते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि उन लोगोंने एक-दूसरेका स्पर्श जब शुरू किया, तब उसमें दोष नहीं था । मुझे लगता है कि स्पर्श-सुखकी वजहसे आदमी बदमाश हो, तो एक महीने या एक हफ्तेमें और भला हो तो धीरे-धीरे १० बरसमें भी पापकी तरफ झुके बिना नहीं रह सकता । छुटपनमें जो तालीम पाई है उस परसे जो विचार बन गए हैं और आजकलके विचारोकी किताबें पढनेसे जो विचार आते हैं, उन दोनोंमें हमेशा झगडा चला करता है । यह भी ख्याल आता है कि स्पर्श-मात्र छोड देनेसे क्या काम चल सकेगा ? मैं अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुच पाया हूँ । लेकिन थोडेमें मेरी यही स्थिति है ।”

बहुतेरे नौजवान लडके-लडकियोकी यही हालत होती है । उनके लिए सीधा रास्ता यही है : उन्हें स्पर्श मात्रका त्याग करना ही चाहिए । किताबोंमें लिखी हुई मर्यादाएँ उस समयमें होनेवाले अनुभवसे बनाई गई हैं । लेखकोके लिए वे जरूरी भी थी । साधकको अपने लिए उनमेंसे

## ब्रह्मचर्य—२ : एक उलभन

कुछ मर्यादाएँ या दूसरी कुछ नई मर्यादाएँ बना लेनी होंगी। आत्म-साजसज्जा की बीचमें रखकर उसके आसपास एक दायरा खींचे तो मजिल तक पहुँचनेके कई रास्ते दिखाई देगे। उनमेंसे जिसे जो आसान मालूम हो उस पर चले और मजिल पर पहुँचे।

जिस साधकको अपने-आप पर भरोसा नहीं वह अगर दूसरोकी नक़ल करने लगे तो जरूर ठोकर खायगा।

इतना सावधान कर देनेके बाद मैं कहूँगा कि इंग्लैंडकी अदालतमें चलनेवाले मुकद्दमोंमें से या उपन्यास पढ़कर ब्रह्मचर्यका रास्ता खोजना आकाश-कुसुम लाने जैसी बेकार कोशिश है। सच्चा इंग्लैंड वहाँकी अदालतमें या उपन्यासमें नहीं। इन दोनोंका अपनी-अपनी जगह भले ही कुछ उपयोग हो मगर ब्रह्मचर्यकी साधना करनेवालोको इन दोनोंको छूना भी नहीं चाहिए।

इंग्लैंडके बड़े-बड़े साधकोके दिलमें इस पत्र लिखनेवाले भाईकी तरह उलभने नहीं पैदा होती, क्योंकि वे सब यह जानते हैं कि उनका राम उनके दिलमें बसता है। वे न अपने-आपको धोखा देते हैं और न दूसरोको। उनकी बहन उनके लिए बहन ही है और मा मा है। ऐसे साधकके लिए सारी स्त्रियाँ बहन या मा हैं। उसे कभी यह खयाल भी नहीं आता कि स्पर्श-मात्र बुरा है। उसमेंसे दोष पैदा होनेका डर नहीं रहता। वह सारी स्त्रियोंमें उसी भगवानको देखता है, जिसे वह अपनेमें पाता है।

ऐसे लोग हमने नहीं देखे, इसलिए यह मानना कि वे हो ही नहीं सकते, घमडकी निशानी है। इससे ब्रह्मचर्यकी महिमा घटती है। ईश्वरको हमने नहीं देखा या ईश्वरको जिसने देखा, ऐसा कोई आदमी हमें नहीं मिला है। इसलिए ईश्वर है ही नहीं यह माननेमें जितनी भूल है, उतनी ही ब्रह्मचर्यकी ताकतको अपने नापसे नापनेमें रही है।

नई दिल्ली,

२६-६-४७

## पुराने विचारोंका बचाव

कुछ दिन पहले मैंने एक पत्रका कुछ हिस्सा 'हरिजन सेवक' में दिया था। उस परसे पत्र लिखनेवाले भाई लिखते हैं :

“मेरे ग्यारह साल पहलेके लिखे हुए खतपर आपने जो विचार बताये हैं, उनमेंसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मगर उनपर चलनेकी हिम्मत मुझमें कम है। मनमें आता है कि सापकी बाबीमें हाथ डाला ही क्यों जाय ? आप आदर्श पुरुषकी कल्पना जगतके सामने रखें, तो भी लोक-संग्रहकी दृष्टिसे यह अच्छा होगा कि आप लोगोको मर्यादा और बन्धन रखनेकी सलाह दें। यह ज्यादा रक्षा होगी। स्त्री-पुरुषका भेद माननेकी जरूरत नहीं। यह स्त्री 'मेरी है' यह भाव मनसे निकाल देने चाहिए। बिल्कुल सात्विक भूमिकाका ही प्रचार करके हिन्दुस्तानकी कम्युनिस्ट पार्टीने अनजानमें हमारे समाजको जो नुकसान पहुंचाया है, वह सचमुच भयानक है। श्री किशोरलाल भाई तो यहातक कहते हैं कि स्त्रीके साथ एक चटाई पर भी न बैठना चाहिए। इसमें उनका पुराण-मथीपन दीखता हो तो भी उनकी बात सोचने लायक है।

“यद्यदाचरते श्रेष्ठ. तत्तदेवेतरो जन'—गीताकी यह चेतावनी भूली नहीं जा सकती। ऊंचे दरजेको पहुंचे हुए लोगोको यह डर मनमें रखना चाहिए कि मामूली शक्तिवाले बिना समझे उनकी सिर्फ नकल ही करेंगे। इसलिए उन्हें बधन रखकर अपने दरजेसे नीचेका ही आचरण करना चाहिए। मुझे लगता है, इसीमें समाजका भला है। हा, एक सचोट दलील आपके पक्षमें है। वह यह कि ऊंचे दरजे तक पहुंच सकनेकी मिसाल जगतके सामने रखनेवाला कोई न हो, तो समाजकी श्रद्धाका लोप हो जाय। इन्सानके भीतर रहनेवाली भगवानकी ज्योति किसीको तो बतानी ही होगी। इसके

जवाबमें मैं इतना ही कहूंगा कि इस चीज़का फैसला जमाखर्चका हिसाब निकालकर बड़ोको खुद करना होगा।”

यह टीका मुझे अच्छी, लगती है। सबको अपनी कमजोरी पहचाननी चाहिए। जान-बूझकर उसे जो छिपाता है और बलवानकी नकल करने जाता है वह ठोकर खायगा ही। इसलिए मैंने तो कहा है कि हरेकको अपनी मर्यादा खुद बाधनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किशोरलाल-भाई जिस चटाई पर स्त्री बैठी हो, उस पर बैठनेसे इन्कार करेगे। ऐसा ही तो मुझे ताज्जुब होगा। मैं तो ऐसी मर्यादाको समझ नहीं सकता। मैंने उनके मुहसे ऐसा कभी नहीं सुना।

स्त्रीकी निर्दोष सगतिकी तुलना सापके बिलसे करना मैं तो अज्ञान ही मानता हूँ। इसमें स्त्री-जातिका और पुरुषका अपमान है। क्या जवान लड़का अपनी माके पास नहीं बैठेगा? बहनके पास नहीं बैठेगा? रेलमें उसके साथ एक पटरी पर नहीं बैठेगा? ऐसे संगसे भी जिसका मन चंचल होता हो, उसकी हालत कितनी दयाजनक मानी जायगी?

यह मैं मानता हूँ कि लोक-संग्रहके लिए बहुत-कुछ छोड़ना चाहिए। मगर इसमें भी समझसे काम लेना होगा। यूरोपमें नगोका एक संघ है। उन्होंने मुझे इसमें खीचनेकी कोशिश की। मैंने साफ़ इन्कार कर दिया और कहा :

‘लोग इस तरहकी बात सहन नहीं कर सकते। जबतक उसके लिए जरूरी पवित्रता न हो तबतक ऐसी नुमायश नहीं की जा सकती।’ तात्त्विक दृष्टिसे मैं यह मानता हूँ कि स्त्री-पुरुष बिलकुल नंगे हो, तो भी उससे कुछ नुकसान न होना चाहिए। आदम और हीवा अपने निर्दोष जमानेमें नंगे ही घूमते थे। जब उन्हें अपने नगोपनका ज्ञान हुआ, तब उन्होंने अपने अंग ढकने शुरू किये और वे स्वर्गसे निकाल दिये गए। हम गिरे हुए हैं। इसे भूलकर चलेगे तो नुकसान ही होगा। नंगोकी मिसालको मैं लोक-संग्रहकी आवश्यकतामें गिनूंगा।

मगर लोक-संग्रह की दलील देकर मुझपर दवाव डाला गया कि मैं छुआछूत मिटानेकी बात छोड़ दू। लोक-संग्रहकी दृष्टिसे नौ वरसकी लड़की-

की शादी करनेका रिवाज चालू रखनेकी बात कही गई है। लोक-संग्रहकी खातिर दरियापार जानेसे रोका जाता था। ऐसी और भी कई मिसालें दी जा सकती हैं। मगर घरके कुएमे हम तैरें, डूब न मरें।

बन्धन ऐसे तो नहीं होने चाहिए कि जिससे स्त्री-पुरुषका भेद हम भूल ही न सके। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अनेक कामोमे इस फर्कके लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल इस भेदको याद करनेका मौका एक ही होता है, वह तब जब काम सवारी करता है। जिन स्त्री-पुरुषो पर सारे दिन ही काम सवार रहता है, उनके मन सड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग लोक-कल्याण नहीं कर सकते। इन्सानकी हालत आमतौर पर ऐसी नहीं होती। करोडो देहाती अगर सारे दिन इसी चीजका खयाल किया करे, तो वे किसी भी शुभ कामके लायक नहीं रह सकते।

नई दिल्ली,

१३-७-४७

## मुश्किलको समझना

पिछले दिनोंके मेरे भाषणोंको पढ़कर, जिनसे हिन्दुस्तानकी पिछली घटनाओंके कारण मुझे होनेवाले दुःखका आभास मिलता है, एक अंग्रेज़ बहन लिखती है :

“क्या इस गहरे दुःख, इन्सानके नरककी ओर लगातार बढ़ते जाने और वातावरणमें निराशाकी भावनाके फैलनेका यह मतलब है कि आपको १२५ बरससे भी ज्यादा अरसे तक जीना चाहिए ? मर जाना कितनी आसान बात है । . . . इन्सान रात-दिन नरककी तकलीफ महसूस करता है । . . .”

मैं जानता हूँ कि यह बहन मज़ाकके बतौर मुझसे यह उम्मीद नहीं करती कि मुझे १२५ बरससे ज्यादा जीना चाहिए । वे भगवानमें जबर-दस्त भरोसा रखनेवाली एक बहादुर महिला हैं । जितने दिनों जीना मेरे भागमें बड़ा है, उसमें एक दिन भी बढ़ा लेनेका सवाल मेरे साथ नहीं है । एक भाग्यवादीके नाते मैं तो मानता हूँ कि भगवानकी इच्छाके बिना एक तिनका भी नहीं हिलता । अभी तक मैंने जो कुछ किया है और आगे भी करना चाहूंगा, वह यह है कि मैं १२५ बरसकी ज़िन्दगी चाहता हूँ, बशर्ते कि वह ज़िन्दगी इन्सानकी ज्यादा-से-ज्यादा सेवा करनेमें लगे । मगर जबतक ऐसी इच्छाके साथ उसके अनुरूप ज़रूरी और सही आचरण न किया जाय, तबतक इससे कोई फायदा नहीं । गीतामें अर्जुनके सवाल पूछनेपर भगवान कृष्णने ‘स्थितप्रज्ञ’ का जो वर्णन किया है, उसका सर एडविन आरनाल्डने अंग्रेजीमें तरजुमा किया है । वह वर्णन यों है :

‘अर्जुन—हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है और जो भगवानके ध्यानमें लीन है, उसका क्या लक्षण है ? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है ? कैसे बैठता या रहता है ?

कृष्ण—हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य अपने मनमें भरी हुई सारी वासनाओंको छोड़ देता है और अपनी आत्माके लिए आत्मामें ही पूरा सन्तोष पा जाता है, तो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं।

‘जो दुःख पानेसे घबराता नहीं और सुखकी इच्छा नहीं करता, काम, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, उसे मुनि, साधु या स्थितधी कहते हैं।

‘सब विषयोंसे जिसका मन हट गया है और भला-बुरा कुछ भी हुआ हो, उससे जिसे न खुशी है न दुःख है, ऐसा आदमी स्थिर बुद्धिवाला होता है।

‘जैसे कछुआ अपने चारों पाव सिकोड़ लेता है, इसी तरह जो मनुष्य अपनी इन्द्रियोंको उनके विषय-भोगसे खींचकर अपने काबूमें कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है।

‘इन्द्रियोंको विषयोंसे अलग रखनेपर वे विषय तो नष्ट हो जाते हैं, मगर उनकी वासना बनी रहती है। वह भी ब्रह्मके दर्शन होने पर नष्ट हो जाती है।

‘हे अर्जुन, बुद्धिमान आदमीके अपनी इन्द्रियोंको दवानेकी कोशिश करते हुए भी ये बलवान इन्द्रियाँ जबरन उसका मन अपनी तरफ खींच लेती हैं।

‘इसलिए मनुष्यको उन्हें वशमें करके अपना मन पूरी तरह मुझमें लगाना चाहिए, क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ उसके वशमें होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है।

‘इन्द्रियोंके विषयोंका ध्यान करते-करते उनमें प्रीति पैदा हो जाती है, उस प्रीतिसे इच्छाको जोर मिलता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आने लगता है और गुस्सेसे सम्मोह यानी बेवकूफी पैदा होती है, बेवकूफीसे स्मरणशक्ति घट जाती है। इसके घटनेसे बुद्धिका नाश होता है और जब बुद्धिका नाश हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह बरबाद हो जाता है।

‘मगर प्रीति और द्वेष छोड़कर जिसने अपनी इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लिया है उसके विषय-सेवन करनेपर भी उसे शान्ति ही मिलती है।

‘मनके प्रसन्न होनेसे सब दुःखोका नाश हो जाता है और प्रसन्न मनवालेकी बुद्धि जल्द ही स्थिर होती है ।

‘जिसका मन अपने वशमें नहीं है, उसे आत्मज्ञान नहीं होता और जिसे आत्मज्ञान नहीं, उसे शान्ति नहीं मिलती और जिसे शान्ति नहीं मिली, उसे सुख कैसे मिलेगा ?

‘जिसका मन इन्द्रियोंकी इच्छानुसार चलता है, उसकी बुद्धिको मन उसी तरह नष्ट कर देता है, जिस तरह समुद्रमें पडी हुई नावको तूफान नष्ट कर देता है ।

‘इसलिए, हे अर्जुन, जो आदमी अपनी इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे सब तरह खींचकर उन्हें अपने वशमें कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है ।

‘अज्ञानी लोगोके लिए जो रात है, उसमें योगी पुरुष जागता है और जिस अज्ञानरूपी अंधेरेमें, सब प्राणी जागते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है ।

‘अज्ञानी लोगोके लिए जो रात है, उसमें योगी पुरुष जागता है और जिस अज्ञानरूपी अंधेरेमें सब प्राणी जागते हैं, उसे योगी पुरुष रात समझता है ।

‘जैसे लवालव भरे हुए समुद्रमें कई नदिया मिलती हैं, पर उसे अगान्त नहीं कर पाती उसी तरह जिस स्थिर बुद्धिवाले पुरुषमें सारे भोग किसी प्रकारका विकार पैदा किये बिना समा जाते हैं उसे ही पूरी शान्ति मिलती है, न कि भोगोंकी इच्छा रखनेवालेको ।

‘जो व्यक्ति सारी कामनाओंको छोड़कर, ममता और अहंकारको दिलसे हटाकर और इच्छा-रहित होकर वरतता है, उसे शान्ति मिलती है ।

‘हे अर्जुन, इस हालतको ‘ब्राह्मीस्थिति’ कहते हैं । उसके मिल जानेके बाद आदमी फिर मोहमें नहीं पडता । और अगर इस हालतमें रहते हुए वह मर जाय, तो ‘ब्रह्मनिर्वाण’ पाता है ।’

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस स्थितिको पहुँचनेकी कोशिश करने पर भी मैं अभी उससे बहुत दूर हूँ । मैं अनुभव करता हूँ कि जब हमारे आनपास इतना तूफान मचा हुआ है, तब उसे स्थितिको प्राप्त करना कितना कठिन है !

## आत्म-संयम

इस पत्रमे वह वहन लिखती है :

“खुशीकी बात सिर्फ इतनी ही है कि इन्सान चाहे थोड़े ही क्यो न हो ईश्वरसे अलग रहनेमे अपनी स्वाभाविक कमजोरीको समझ गये है।”

इन वहनके पत्रके प्रारभमे यह आदर्श वाक्य लिखा हुआ है :

“जो दिल नन्हे वच्चोकी तरह इतने पवित्र है कि वे किसीसे दुश्मनी कर ही नहीं सकते, उन्हीमे इन्सानको आज्ञाद करानेके उपाय भरे रहते है।”

यह बात कितनी सच है और साथ ही कितनी मुश्किल है !!

नई दिल्ली,

२२-७-४७

## एक विद्यार्थीकी उलझन

एक विद्यार्थीने अपने शिक्षकको एक पत्र लिखा था। उसका नीचेका हिस्सा शिक्षकने मेरी राय जाननेके लिए मेरे पास भेजा है। विद्यार्थीका पत्र अंग्रेजीमें है। उसकी मातृभाषा क्या होगी, यह मैं नहीं जानता।

“मुझे दो बातोंने घेर लिया है : एक तरफसे मेरे देश-प्रेमने और दूसरी तरफसे तेज विषय-वासनाने। इससे मुझमें विरोधी भावनाएँ पैदा होती हैं और मेरे निर्णय हिल जाते हैं। मुझे अपने देशका पहले नम्बरका सेवक बनना है। लेकिन साथ ही मुझे दुनियाका आनंद भी लेना है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वरमें मेरी श्रद्धा नहीं है, हालांकि कितनी ही बार मुझे ईश्वरका डर मालूम होता है। सच पूछा जाय तो सारा जीवन ही एक समस्या है। मैं क्या जानूँ कि इस जीवनके बाद मेरा क्या होनेवाला है? मैंने बहुत-सी जलती चिताएँ देखी हैं। आखिरी चिता मैंने अपनी मान ली है। जलती चिताके दृश्यने मुझपर भयंकर असर पैदा किया। क्या मेरे भी ऐसे ही हालहोगे? यह विचार भी मैं सहन नहीं कर सकता। किसी घायलको देखता हूँ तो मेरे सिरमें चक्कर आने लगता है। बादमें मेरी कल्पना काम करने लगती है और कहती है कि तेरे शरीरका भी किसी दिन यही हाल होगा। मैं जानता हूँ कि किसी शरीरको इस हालतमें से मुक्ति नहीं मिलती। साथ ही, ऐसा लगता है कि मौतके बाद जीवन नहीं है, और इसलिए मुझे मौतका डर लगता है।

“इस हालतमें मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो मैं इस उलझनमें फँसकर जलता रहूँ या दुनियाके ऐश-आराममें लिपट कर दूसरी बातोंका खयाल तक न करूँ। दूसरे किसीके सामने मैंने यह बात कबूल नहीं की,

लेकिन आपके सामने कबूल करता हूँ कि मैंने तो दुनियाका आनंद लूटनेका रास्ता ही पकड़ा है।

“यह दुनिया ही सच्ची है और किसी भी कीमत पर उसका आनंद लूटना ही है। मेरी पत्नी अभी-अभी मरी है। मेरे मनमें उसके लिए प्रेम था। लेकिन मैं देखता हूँ कि उस प्रेमकी जड़में उसका मरना नहीं था, बल्कि मेरा यह स्वार्थ था कि उसके मरनेसे मैं अकेला रह गया। मरनेके बाद तो कोई गुथी सुलभानेको रहती नहीं और जीवित आदमीके लिए तो सारा जीवन ही एक गुथी है। शुद्ध प्रेममें मेरी श्रद्धा नहीं है। जिसे प्रेमके नामसे पहचाना जाता है वह प्रेम तो सिर्फ विषय-भोगका होता है। अगर शुद्ध प्रेम जैसी कोई चीज़ होती तो अपनी पत्नीकी अपेक्षा अपने मा-बापसे मेरा आकर्षण ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हालत तो इससे बिल्कुल उलटी थी, मा-बापकी अपेक्षा पत्नीमें मेरा आकर्षण ज्यादा था। यह सच है कि मैं अपनी पत्नीके प्रति बफादार था। लेकिन उसे मैं यह गारन्टी नहीं दिला सकता था कि उसके मरनेके बाद भी उसकी तरफ मेरा प्रेम बना रहेगा। उसके मरनेके बाद मुझे जो दुःख होगा, वह तो उसके न रहनेसे पैदा होनेवाली मुसीबतका दुःख होगा। आप इसे एक तरहकी बेरहमी कह सकते हैं। सो जैसा भी हो, लेकिन सच्ची हालत यही है। अब मेहरबानी करके मुझे लिखिये और रास्ता बताइये।”

पत्रके इस हिस्सेमें तीन बातें आती हैं। एक, विषय-वासना और देश-प्रेमके बीच खड़ा होनेवाला विरोध, दूसरी, ईश्वरमें और मरनेके बाद भविष्यमें श्रद्धा, और तीसरी शुद्ध प्रेम और विषय-वासनाका द्वन्द्व-युद्ध।

पहली उलझन ठीक ढंगसे रखी गई मालूम होती है। उसका सार यह है कि विषय-भोगकी इच्छा सच्ची बात है और देश-प्रेम बहते प्रवाहमें खिंच जानेके समान है। यहाँ देश-प्रेमका अर्थ होगा सत्ता पानेके प्रयत्नमें पडना, ताकि उसके साथ विषय-वासना पूरी करनेका मेल बैठ सके। इस तरहके बहुतसे उदाहरण मिल सकते हैं। देश-प्रेमका मेरा अर्थ यह है कि प्रजाके गरीब लोगोंके लिए भी हमारे दिलमें प्रेमकी आग जलती हो। यह आग विषय-वासना जैसी चीज़को हमेशा जला डालती है।

इसलिए मैं देश-प्रेम और विषय-वासनाके बीच कोई झगड़ा देखता ही नहीं। उलटे, यह प्रेम हमेशा विषय-वासनाको जीत लेता है। ऐसे विश्व-प्रेमको, जो वृत्ति तोड़ सके, उसे पोसनेका समय भी कहा बच सकता है? इसके खिलाफ जिस आदमीको विषय-वासनाने अपने वशमें कर लिया है, उसका तो नाश ही होता है।

ईश्वरके बारेमें और मरनेके बाद भविष्यके बारेमें अश्रद्धा भी ऊपरकी वासनामें ही पैदा होती है, क्योंकि यह वासना औरत और मर्दको जड़से हिला देती है। अनिश्चय उन्हें खा जाता है। विषय-वासनाके नाश हो जानेपर ही ईश्वर पर रहनेवाली श्रद्धा जीती है। दोनों चीजें साथ-साथ नहीं रह सकती।

तीसरी उलझनमें पहलीको ही दुहराया गया मालूम होता है। पति और पत्नीके बीच शुद्ध प्रेम हो, तो वह दूसरे सब प्रेमोंकी अपेक्षा आदमीको ईश्वरके ज्यादा पास ले जाता है। लेकिन जब पति-पत्नीके बीच के प्रेममें विषय-वासना मिल जाती है, तब वह मनुष्यको अपने भगवानसे दूर ले जाती है। इसमेंसे एक सवाल पैदा होता है, अगर औरत और मर्द का भेद पैदा न हो, विषय-भोगकी इच्छा मर जाय तो शादीकी जरूरत ही क्या रह जाय !

अपने पत्रमें विद्यार्थीने ठीक ही स्वीकार किया है कि अपनी पत्नीकी तरफ उसका स्वार्थ-भरा प्रेम था। अगर वह प्रेम निःस्वार्थ होता तो अपनी जीवन-सगिनीके मरनेके बाद विद्यार्थीका जीवन ज्यादा ऊचा उठता, क्योंकि साथीके मरनेके बाद उसकी यादमें से पिछड़े हुए लोगोंकी सेवामें उस भाईकी लगन ज्यादा बड़ी होती।

नई दिल्ली,

१२-१०-४७

## शंकाओंके जवाब

[१९३२-३३ के बीच श्री मणिवहन, लेडी ठाकरसी और मीरावहनके साथ यरवदा जेलमे वापूसे मुलाकात करनेका मुझे सौभाग्य मिला था । मैं जब साबरमती वापस आ गया, तब वापूजीने नीचे लिखा बगैर तारीखका पत्र मेरे नाम भेजा ।

— पी० जी० मेथ्यु ]

“फिरसे पढ़ा नहीं

“प्रिय मेथ्यु,

“मुझे आपके तीन पत्र मिले । बुद्धिकी अपनी जगह तो है ही, लेकिन उसे हृदयकी जगह पर नहीं बैठना चाहिए । आप अपने जीवनके या किसी भी पहचानके बुद्धिशाली आदमीके जीवनके किन्ही चौबीस घण्टोको जाचकर देखेगे, तो आपको मालूम होगा कि इस समयमे किये हुए करीब-करीब सभी काम भावनासे किये हुए होंगे, बुद्धिसे नहीं । इससे यह नसीहत मिलती है कि बुद्धिका एक बार विकास हो जानेके बाद वह अपने स्वभावके अनुसार अपने-आप ही काम करती है, और अगर हृदय शुद्ध हो, तो जो कुछ भी वहमभरा या अनीतिमय हो, उसे वह छोड देती है । बुद्धि एक चौकीदार है और अगर वह अपने दरवाजे पर सदा जाग्रत और अटल हालतमे रहे, तो कहा जा सकता है कि वह अपनी जगह पर है । और मेरा दावा है कि वह आश्रममे यह काम बजाती ही है । जीवन यानी कर्तव्य यानी कर्म, जब बुद्धिसे—तर्कसे कर्मोको खतम कर दिया जाता है, तब वह दूसरेकी जगह लेनेवाली बन जाती है और ऐसी बुद्धिको हटाना जरूरी है ।

“अब आपका दूसरा पत्र लेता हूँ । मैं यह नहीं कहता कि पीढी-दर-पीढी का घन्धा अखितयार करना चाहिए । मेरा कहना तो यह है कि जिस तरह हमारे शरीरका रंग और बहुतसी दूसरी बातें हमे विरासतमे मिलती

है, उसी तरह धन्धा भी मिलता है। जो कुदरतमे हो रहा है, मैंने वही बात कही है। अपनी खुदकी राय मैंने नहीं बताई है। पीढी-दर-पीढीसे चले आनेवाले स्वभावके कारण शक्तिका सग्रह होता है, और नीतिमान मनुष्यके लिए वह जरूरी है। लेकिन इस नियमका मतलब इतना ही है कि हम अपने नजदीकके तथा दूरके पूर्वजोसे विरासतमे मिली हुई भौतिक और मानसिक वृत्तियोंके साथ जन्म लेते हैं। लेकिन ये वृत्तिया बदली जा सकती हैं। और जब वे नुकसानदेह हो या जब उनमे अपने स्वार्थके लिए नहीं, बल्कि दूसरोकी सेवाके लिए परिवर्तन करनेकी जरूरत पैदा हो, तब उन्हें बदलना ही चाहिए।

“स्त्री और पुरुष दोनोको चाहे जब भोगसे दूर रहनेका हक है। सभोग पूरी तरहसे दोनोकी इच्छाका काम होना चाहिए। इसलिए जब दोनोमेंसे कोई एक जिन्दगी भरके लिए भोग छोड़ देनेका निश्चय करे, और यदि पति या पत्नी अपनी विषय-वासनाको काबूमे न रख सके तो उसे दूसरा साथी खोज लेनेकी स्वतंत्रता है। लेकिन यह तो तभी हो सकता है, जब विवाह-बन्धनमे बंधे हुए पति-पत्नीमे सच्चा प्रेम न हो, यानी दूसरे शब्दोमे, विवाहके सच्चे अर्थमे उनका विवाह ही न हो। विवाह-सम्बन्ध तो स्त्री-पुरुषके बीच जीवन भरकी मित्रता है। इससे उसमे उन्हें शरीर-सम्बन्ध रखनेकी स्वतंत्रता भले ही हो, लेकिन फिर भी उसमे पशु-वृत्तिको रोकनेकी ओर उनकी प्रवृत्ति बढती ही रहती है। जब इस तरहकी मित्रता हो, तब राजी-खुशीसे शारीरिक तृप्ति न मिले, तो भी उससे लगन-बन्धन नहीं टूटता। इसमे ऊच-नीचका सवाल ही नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि जो एकके लिए ठीक है, वह सबके लिए ठीक होगा ही। लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि ईश्वरके भक्तके पास पशु वासनाओको तृप्त करनेका समय ही नहीं रहता और इसलिए इस संबंधमे उसका सारा रस मिट जाता है। यदि ब्रह्मचर्यका यही अर्थ करे, तो वह इससे ज्यादा ऊँची स्थिति है।

“विवाह होने देने या उन्हें रोकनेका सवाल मेरे या और किसीके भी हाथमे नहीं है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि पसन्दगीके क्षेत्रको

सीमित रखनेमें ही समझदारी है। इसमें अपवाद इतना ही है कि दूसरी किसी तरहकी मित्रताके समान इसमें भी मर्यादा नहीं है। लेकिन इसमें जीवन भरमें सिर्फ एक ही मित्र हो सकता है। इसलिए यदि विवाहके क्षेत्रको मर्यादित कर दिया जाय, और वह जाने हुए क्षेत्रमें होनेपर भी बहुत ही परिचित सम्बन्धमें न किया जाय, तो यह शोध ज्यादा आसान होती है और उसमें जोखम भी कम रहता है।

“साधारण तौरसे जन धर्ममें भी आत्मघातको पाप माना जाता है। परन्तु जब मनुष्यको आत्मघात और अधोगतिके बीच चुनाव करनेका प्रसंग आवे, तब यही कहा जा सकता है कि उस हालतमें उसके लिए आत्मघात ही कर्तव्य रूप है। एक उदाहरण लीजिये। किसी पुरुषमें विकार इतना बढ़ जाय कि वह किसी स्त्रीकी आवरू लेनेपर उतारू हो जाय और अपने-आपको रोकनेमें असमर्थ हो, लेकिन यदि उस वक्त उसमें थोड़ी भी बुद्धि जाग्रत हो और वह अपनी स्थूल देहका अन्त कर दे, तो वह अपने-आपको इस नरकसे बचा सकता है।

“आश्रममें उपवासका कुछ दुरुपयोग जरूर हुआ है, लेकिन उसकी छूत अधिक फैलना सम्भव नहीं। क्योंकि उसका दुरुपयोग करना आसान नहीं है। भूख बड़ी बलवान होती है।

“यह कभी नहीं हो सकता कि किसी व्यक्तिमें अहिंसाका जरूरतसे ज्यादा विकास हुआ हो। लेकिन सामान्य जैनोंने अनशनकी तरह ही अहिंसाकी भी विडम्बना कर रखी है। साधारण जैन तो अहिंसाका छिलका ही लेता है और अन्दरका गूदा छोड़ देता है। अहिंसा यानी सब जीवोंके लिए अनन्त प्रेम। और इसलिए उसमें दूसरेको बचानेके लिए अपने जीवनकी कुरवानी करनेकी सदा तैयारी रहनी चाहिए।

“मुझे आशा है कि इससे आपको शान्ति मिलेगी। लेकिन जबतक सेवाके किसी स्थायी काममें आपको पूरा सन्तोष न मिले, तबतक सच्ची शान्ति मिलना सम्भव नहीं।”

‘हरिजन सेवक’,

१२-१२-४८

## ब्रह्मचर्य द्वारा मातृ-भावनाका साक्षात्कार

[ ब्रह्मचर्य पालनेकी इच्छा रखनेवाली एक लडकीको हिन्दीमें लिखे पत्रका अंश । ]

ब्रह्मचर्य पालनेमें सबसे बड़ी चीज मातृ-भावनाका साक्षात्कार करना है । हम सब एक पिताके लड़के-लड़कियाँ हैं । उनमें विवाह कैसे ? खाना केवल औषधि रूप, स्वादके लिए नहीं । मनको और शरीरको सेवाकार्यमें रोके रखना । सत्यनारायणका मनन करना । बाल कटानेका धर्म स्पष्ट हो जाय, तो लोकलज्जा छोडकर कटवाना । ईश्वर-भक्तिके लिए नित्य मनुष्य सेवामें लीन रहना । मनोविकार हमारे सच्चे शत्रु हैं, यह समझकर उनसे नित्य युद्ध करना । इसी युद्धका महाभारतमें वर्णन है ।

## मंडलद्वारा प्रकाशित प्राप्य साहित्य

### गांधीजी लिखित

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| १ आत्मकथा (संपूर्ण)          | ५)     |
| २. आत्मकथा (सक्षिप्त-हिन्दी) | १॥)    |
| ३ आत्मकथा (सक्षिप्त-उर्दू)   | १॥)    |
| ४ प्रार्थना-प्रवचन (भाग १)   | ३)     |
| ५. प्रार्थना-प्रवचन (भाग २)  | २॥)    |
| ६ गीता-माता                  | ४)     |
| ७ धर्म-नीति                  | २)     |
| ८. पद्रह अगस्तके बाद         | २)     |
| ९. द० अफ्रीकाका सत्याग्रह    | ३॥)    |
| १० मेरे समकालीन              | ५)     |
| ११ आत्मसयम                   |        |
| १२ अनासक्तियोग               | १॥)    |
| १३ गीताबोध                   | ॥)     |
| १४. मंगल-प्रभात              | १=)    |
| १५ सर्वोदय                   | १=)    |
| १६. आश्रमवासियोसे            | १=)    |
| १७ ग्रामसेवा                 | १=)    |
| १८ नीति-धर्म                 | १=)    |
| १९ हिन्द-स्वराज्य            | ॥)     |
| २० राष्ट्रवाणी               | १)     |
| २१. बापूकी सीख               | ॥)     |
| २२. आजका विचार               | १=)    |
| २३ सत्यवीरकी कथा             | १)     |
| २४ ब्रह्मचर्य (भाग १ व २)    | १), ॥) |
| २५. अनीतिकी राह पर           | १)     |
| २६ हृदय-मथनके पाच दिन        | १)     |
| २७. गांधी-शिक्षा (३ भाग)     | १=)    |

### विनोबाजी लिखित

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| २८ विनोबाके विचार (दो भाग) | ३)  |
| २९ गीता-प्रवचन             | १॥) |
| ३० जीवन और शिक्षण          | २)  |
| ३१ शान्ति-यात्रा           | १॥) |
| ३२. स्थितप्रज्ञ-दर्शन      | १)  |
| ३३ ईशावास्यवृत्ति          | ॥)  |
| ३४ ईशावास्योपनिषद्         | =)  |
| ३५ सर्वोदय-विचार           | १=) |
| ३६ स्वराज्य-शास्त्र        | ॥)  |
| ३७ भू-दान-यज्ञ             | १)  |
| ३८ गांधीजीको श्रद्धाजलि    | १=) |
| ३९. राजघाटकी सनिधिमे       | ॥)  |
| ४० सर्वोदयका घोषणापत्र     | १)  |
| ४१ विचार-पोथी              | १)  |
| ४२ जमानेकी माग             | =)  |

### नेहरूजी लिखित

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ४३ मेरी कहानी               | ८)  |
| ४४ हिन्दुस्तानकी समस्याएं   | २)  |
| ४५ लडखडाती दुनिया           | २)  |
| ४६ राष्ट्रपिता              | २)  |
| ४७ हिन्दुस्तानकी कहानी      | १०) |
| ४८. राजनीतिसे दूर           | २॥) |
| ४९. हमारी समस्याये (दो भाग) | १)  |
| ५० विश्व-इतिहासकी झलक       | २१) |
| अन्य लेखकोंकी               |     |
| ५१. गांधीजीकी देन           |     |
| (डा० राजेद्रप्रसाद)         | १॥) |

५२. गांधी-मार्ग  
(डा० राजेन्द्रप्रसाद) ८
५३. गांधीकी कहानी(लुई फिशर) ४
५४. भारत विभाजनकी कहानी  
ए० के० (जॉनसन) ४
५५. महाभारत-कथा (राजाजी) ५
५६. कुब्जा सुन्दरी (राजाजी) २
५७. शिशुपालन " ॥
५८. कारावास-कहानी  
(सु० नैयर) १०
५९. बापूके चरणोमें २॥
६०. बा, बापू और भाई ॥
६१. गांधी-विचार-दोहन १॥
६२. अहिंसाकी शक्ति १॥
६३. सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन ७
६४. सत्याग्रह-मीमांसा ३॥
६५. बुद्धवाणी (वियोगी हरि) १
६६. श्रद्धाकण " १
६७. अयोध्याकांड " १
६८. संत-सुधासार " ११
६९. प्रार्थना " ॥
७०. भागवत धर्म (ह०उपा०) ६॥
७१. श्रेयार्थी जमनालालजी " ६॥
७२. स्वतंत्रताकी और " ४
७३. बापूके आश्रममें " १
७४. बापू (घन० विरटा) २
७५. रूप और स्वरूप " ॥
७६. डावरीके पत्ते " १
७७. ध्रुवोपान्यास ॥
७८. स्त्री और पुरुष (टाल्स्टाय) १
७९. मेरी मुक्तिकी कहानी " १॥
८०. प्रेममें गणपति " २
८१. जीवन-साधना(टाल्स्टाय) १॥
८२. कलवारकी करतूत " ॥
८३. बालकोका विवेक " ॥॥
८४. हम करे क्या ? " ३॥
८५. हमारे जमानेकी गुलामी, ॥॥
८६. धर्म और सदाचार " १॥
८७. अंधेरेमें उजाला " १॥
८८. बुराई कैसे मिटे " १
८९. सामाजिक कुरीतिया " २
९०. जीवन-सदेश (ख० जिन्नान) १
९१. राजनीति प्रवेशिका १
९२. लोक-जीवन ३॥
९३. अशोकके फूल (ह० द्विवेदी) ३
९४. कल्पवृक्ष (डा० अग्रवाल) २
९५. पंचदशी (स० यज्ञपाल) १॥
९६. काग्रेसका इतिहास  
(३ भाग) ३०
९७. सप्तदशी २
९८. रीढकी हड्डी १॥
९९. अमिट रेखायें (सत्यवती) ३
१००. आत्मोपदेश १
१०१. तामिल वेद(तिरवत्लुवर) १॥
१०२. आत्म-रहस्य (रतन० जैन) ३
१०३. धैरी-नायायें १॥
१०४. बुद्ध और बौद्धनायक १॥
१०५. जातक-कथा(आनंद की०) २॥
१०६. हमारे गावकी कहानी १॥
१०७. रामनीर्य-मदेन (३ भाग) १
१०८. रोटीका नवान्न (श्रीवाट०) ३
१०९. नवयुष्कोमें दो बाने ॥
११०. नानाजातीकी रेतों ३॥
१११. फगोली रेतों ३॥

|                                |     |                              |    |
|--------------------------------|-----|------------------------------|----|
| ११२. मशुआका इलाज               | ॥॥  | १३९. कितनी जमीन ?            | ॥॥ |
| ११३. काश्मीर पर हमला           | २॥  | १४०. ऐसे थे सरदार            | ॥॥ |
| ११४. पुरुषार्थ (डा० भगवान्दास) | ६॥  | १४१. चैतन्य महाप्रभु         | ॥॥ |
| ११५. कब्ज-कारण और निवारण       | २॥  | १४२. कहावतोकी कहानिया        | ॥॥ |
| ११६. भारतीय सस्कृति            | ३॥॥ | १४३. सरल व्यायाम             | ॥॥ |
| ११७. मानवताके भरने             | १॥॥ | १४४. द्वारका                 | ॥॥ |
| ११८. आधुनिक भारत               | ५॥  | १४५. बापूकी वाते             | ॥॥ |
| ११९. साहित्य और जीवन           | २॥  | १४६. बाहुवली और नेमिनाथ      | ॥॥ |
| १२०. इग्लैडमे गाधीजी           | २॥  | १४७. तन्दुरुस्ती हजार नियामत | ॥॥ |
| १२१. खादी द्वारा ग्राम-विकास   | ॥॥॥ | १४८. बीमारी कैसे दूर करे ?   | ॥॥ |
| १२२. ग्राम सुधार               | १॥  | १४९. माटीकी मुरत जागी        | ॥॥ |
| १२३. चारादाना                  | १॥  | १५०. गिरिघरकी कुडलियां       | ॥॥ |
| १२४. शिष्टाचार                 | ॥॥  | १५१. रहीमके दोहे             | ॥॥ |
| १२५. राष्ट्रीयगीत              | १॥  | १५२. दादूकी वाणी             | ॥॥ |
| १२६. मनन                       | १॥  | संस्कृत-साहित्य-सौरभ         |    |
| १२७. गाधी डायरी                | २॥  | १५३. कादम्बरी                | ॥॥ |
| समाज-विकास-माला                |     | १५४. उत्तररामचरित            | ॥॥ |
| १२८. बद्रीनाथ                  | ॥॥  | १५५. वेणी-संहार              | ॥॥ |
| १२९. जगलकी सैर                 | ॥॥  | १५६. शकुतला                  | ॥॥ |
| १३०. भीष्म-पितामह              | ॥॥  | १५७. मृच्छकटिक               | ॥॥ |
| १३१. शिवि और दधीचि             | ॥॥  | १५८. मुद्राराक्षस            | ॥॥ |
| १३२. विनोबा और भूदान           | ॥॥  | १५९. नलोदय                   | ॥॥ |
| १३३. कबीरके बोल                | ॥॥  | १६०. नागानद                  | ॥॥ |
| १३४. गाधीजीका विद्यार्थी जीवन  | ॥॥  | १६१. रघुवश                   | ॥॥ |
| १३५. गगाजी                     | ॥॥  | १६२. मालविकाग्निमित्र        | ॥॥ |
| १३६. गौतम बुद्ध                | ॥॥  | १६३. स्वप्नवासवदत्ता         | ॥॥ |
| १३७. निषाद और शबरी             | ॥॥  | १६४. हर्ष-चरित               | ॥॥ |
| १३८. गाव सुखी, हम सुखी         | ॥॥  | १६५. किरातार्जुनीय           | ॥॥ |

